



भारत का संविधान

[1 मई, 2024 को यथाविद्यमान]

THE CONSTITUTION OF INDIA

[As on 1st May, 2024]

2024

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग, राजभाषा खण्ड

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

LEGISLATIVE DEPARTMENT, OFFICIAL LANGUAGES WING

PREFACE

This is the sixth pocket size edition of the Constitution of India in the diglot form. In this edition, the text of the Constitution of India has been brought up-to-date by incorporating therein all the amendments up to the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023. The foot notes below the text indicate the Constitution Amendment Acts by which such amendments have been made.

The Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015 containing details of acquired and transferred territories between the Governments of India and Bangladesh has been provided in Appendix I.

The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019 and the declaration under article 370(3) of the Constitution have been provided respectively in Appendix II and Appendix III for reference.

New Delhi;
1st May, 2024

Dr. Rajiv Mani,
Secretary to the Government of India.

प्राक्कथन

यह भारत के संविधान का द्विभाषी रूप में छठवां जेबी संस्करण है । इस संस्करण में संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 सहित सभी संशोधनों को सम्मिलित करते हुए भारत के संविधान के पाठ को अध्ययन किया गया है । पाठ के नीचे पाद-टिप्पण संविधान संशोधन अधिनियमों को इंगित करते हैं, जिनके द्वारा ऐसे संशोधन किए गए हैं ।

भारत और बांग्लादेश सरकारों के बीच अर्जित और अन्तरित राज्यक्षेत्रों के ब्यौरों को अन्तर्विष्ट करने वाले संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 का परिशिष्ट 1 में उपबंध किया गया है ।

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 2019 तथा संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा का क्रमशः परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 में संदर्भ के लिए उपबंध किया गया है ।

नई दिल्ली ;

1 मई, 2024

डॉ० राजीव मणि,

सचिव, भारत सरकार ।

LIST OF ABBREVIATIONS USED

Art., arts.		<i>for</i> Article, articles.
Cl., cls.		" Clause, clauses.
C.O.		" Constitution Order.
Ins.		" Inserted.
P., pp.		" Page, pages.
Pt.		" Part.
Rep.		" Repealed.
Ss., ss.		" Section, sections.
Sch.		" Schedule.
Subs.		" Substituted.
w.e.f.		" with effect from.
w.r.e.f.		" with retrospective effect from.

संक्षेपाक्षरों की सूची

का०आ०.....	कानूनी आदेश ।
का०नि०आ०.....	कानूनी नियम और आदेश ।
पृ०	पृष्ठ ।
सं०	संख्यांक (नम्बर) ।
सं०आ०.....	संविधान आदेश ।
सं०का०आ०.....	साधारण कानूनी आदेश ।

THE CONSTITUTION OF INDIA

CONTENTS

PREAMBLE

PART I

THE UNION AND ITS TERRITORY

ARTICLES

1. Name and territory of the Union.
2. Admission or establishment of new States.
- [2A. Sikkim to be associated with the Union.—*Omitted.*]
3. Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States.
4. Laws made under articles 2 and 3 to provide for the amendment of the First and the Fourth Schedules and supplemental, incidental and consequential matters.

PART II

CITIZENSHIP

5. Citizenship at the commencement of the Constitution.
6. Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan.
7. Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan.
8. Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India.
9. Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State not to be citizens.
10. Continuance of the rights of citizenship.
11. Parliament to regulate the right of citizenship by law.

भारत का संविधान

विषय सूची

उद्देशिका

अनुच्छेद

पृष्ठ

भाग 1

संघ और उसका राज्यक्षेत्र

1.	संघ का नाम और राज्यक्षेत्र	2
2.	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना.....	2
[2क.	सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना – लोप किया गया।] ..	2
3.	नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन	2
4.	पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां	3

भाग 2

नागरिकता

5.	संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता	4
6.	पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार	4
7.	पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार	4
8.	भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार	5
9.	विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना.....	5
10.	नागरिकता के अधिकारों का बना रहना	5
11.	संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना.....	5

ARTICLES

PART III

FUNDAMENTAL RIGHTS

General

- 12. Definition.
- 13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights.

Right to Equality

- 14. Equality before law.
- 15. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.
- 16. Equality of opportunity in matters of public employment.
- 17. Abolition of Untouchability.
- 18. Abolition of titles.

Right to Freedom

- 19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.
- 20. Protection in respect of conviction for offences.
- 21. Protection of life and personal liberty.
- 21A. Right to education.
- 22. Protection against arrest and detention in certain cases.

Right against Exploitation

- 23. Prohibition of traffic in human beings and forced labour.
- 24. Prohibition of employment of children in factories, etc.

Right to Freedom of Religion

- 25. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.
- 26. Freedom to manage religious affairs.
- 27. Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion.
- 28. Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions.

भाग 3

मूल अधिकार

साधारण

12.	परिभाषा	6
13.	मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ.....	6
	<i>समता का अधिकार</i>	
14.	विधि के समक्ष समता.....	6
15.	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध	6
16.	लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता	8
17.	अस्पृश्यता का अंत.....	9
18.	उपाधियों का अंत.....	9
	<i>स्वातंत्र्य-अधिकार</i>	
19.	वाक्-स्वातंत्र्य, आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण	9
20.	अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण.....	11
21.	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण.....	11
21क.	शिक्षा का अधिकार.....	11
22.	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण.....	11
	<i>शोषण के विरुद्ध अधिकार</i>	
23.	मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध.....	14
24.	कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध.....	14
	<i>धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार</i>	
25.	अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता	14
26.	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता.....	14
27.	किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता	15
28.	कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता.....	15

ARTICLES

Cultural and Educational Rights

- 29. Protection of interests of minorities.
- 30. Right of minorities to establish and administer educational institutions.
- [31. Compulsory acquisition of property —*Omitted.*]

Saving of Certain Laws

- 31A. Saving of Laws providing for acquisition of estates, etc.
- 31B. Validation of certain Acts and Regulations.
- 31C. Saving of laws giving effect to certain directive principles.
- [31D. Saving of laws in respect of anti-national activities.—*Omitted.*]

Right to Constitutional Remedies

- 32. Remedies for enforcement of rights conferred by this Part.
- [32A. Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32.—*Omitted.*]
- 33. Power of Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to Forces, etc.
- 34. Restriction on rights conferred by this Part while martial law is in force in any area.
- 35. Legislation to give effect to the provisions of this Part.

PART IV**DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY**

- 36. Definition.
- 37. Application of the principles contained in this Part.
- 38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people.
- 39. Certain principles of policy to be followed by the State.
- 39A. Equal justice and free legal aid.

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

29.	अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण	15
30.	शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार.....	15
[31.	संपत्ति का अनिवार्य अर्जन – लोप किया गया ।].....	16
	<i>कुछ विधियों की व्यावृत्ति</i>	
31क.	संपदाओं, आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति.....	16
31ख.	कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण	18
31ग.	कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति	18
[31घ.	राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति – लोप किया गया ।]	18

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

32.	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार	19
[32क.	राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना – लोप किया गया ।]	19
33.	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों, आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद् की शक्ति.....	19
34.	जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन.....	20
35.	इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान	20

भाग 4**राज्य की नीति के निदेशक तत्व**

36.	परिभाषा	21
37.	इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना	21
38.	राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा	21
39.	राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व.....	21
39क.	समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता	22

ARTICLES

- 40. Organisation of village panchayats.
- 41. Right to work, to education and to public assistance in certain cases.
- 42. Provision for just and humane conditions of work and maternity relief.
- 43. Living wage, etc., for workers.
- 43A. Participation of workers in management of Industries.
- 43B. Promotion of co-operative societies.
- 44. Uniform civil code for the citizens.
- 45. Provision for early childhood care and education to children below the age of six years.
- 46. Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections.
- 47. Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health.
- 48. Organisation of agriculture and animal husbandry.
- 48A. Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life.
- 49. Protection of monuments and places and objects of national importance.
- 50. Separation of judiciary from executive.
- 51. Promotion of international peace and security.

PART IVA

FUNDAMENTAL DUTIES

- 51A. Fundamental duties.

PART V

THE UNION

CHAPTER I.—THE EXECUTIVE

The President and Vice-President

- 52. The President of India.
- 53. Executive power of the Union.
- 54. Election of President.

40.	ग्राम पंचायतों का संगठन	22
41.	कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार.....	22
42.	काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध	22
43.	कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आदि	22
43क.	उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना	22
43ख.	सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन	23
44.	नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता	23
45.	छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध	23
46.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि	23
47.	पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य	23
48.	कृषि और पशुपालन का संगठन	23
48क.	पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा.....	23
49.	राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण.....	24
50.	कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण.....	24
51.	अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि.....	24

भाग 4क**मूल कर्तव्य**

51क.	मूल कर्तव्य	25

भाग 5**संघ****अध्याय 1—कार्यपालिका****राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति**

52.	भारत का राष्ट्रपति	26
53.	संघ की कार्यपालिका शक्ति	26
54.	राष्ट्रपति का निर्वाचन.....	26

ARTICLES

55. Manner of election of President.
56. Term of office of President.
57. Eligibility for re-election.
58. Qualifications for election as President.
59. Conditions of President's office.
60. Oath or affirmation by the President.
61. Procedure for impeachment of the President.
62. Time of holding election to fill vacancy in the office of President and the term of office of person elected to fill casual vacancy.
63. The Vice-President of India.
64. The Vice-President to be *ex officio* Chairman of the Council of States.
65. The Vice-President to act as President or to discharge his functions during casual vacancies in the office, or during the absence, of President.
66. Election of Vice-President.
67. Term of office of Vice-President.
68. Time of holding election to fill vacancy in the office of Vice-President and the term of office of person elected to fill casual vacancy.
69. Oath or affirmation by the Vice-President.
70. Discharge of President's functions in other contingencies.
71. Matters relating to, or connected with, the election of a President or Vice-President.
72. Power of President to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases.
73. Extent of executive power of the Union.

Council of Ministers

74. Council of Ministers to aid and advise President.
75. Other provisions as to Ministers.

The Attorney-General for India

76. Attorney-General for India.

55.	राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति	26
56.	राष्ट्रपति की पदावधि	27
57.	पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता	28
58.	राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं	28
59.	राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें	28
60.	राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.....	28
61.	राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया	29
62.	राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि....	29
63.	भारत का उपराष्ट्रपति.....	29
64.	उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना	29
65.	राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन.....	30
66.	उपराष्ट्रपति का निर्वाचन	30
67.	उपराष्ट्रपति की पदावधि	31
68.	उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि...	31
69.	उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	31
70.	अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन.....	32
71.	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय.....	32
72.	क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति.....	32
73.	संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार	33

मंत्रि-परिषद्

74.	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्	34
75.	मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध	34

भारत का महान्यायवादी

76.	भारत का महान्यायवादी	35

ARTICLES

Conduct of Government Business

- 77. Conduct of business of the Government of India.
- 78. Duties of Prime Minister as respects the furnishing of information to the President, etc.

CHAPTER II.—PARLIAMENT

General

- 79. Constitution of Parliament.
- 80. Composition of the Council of States.
- 81. Composition of the House of the People.
- 82. Readjustment after each census.
- 83. Duration of Houses of Parliament.
- 84. Qualification for membership of Parliament.
- 85. Sessions of Parliament, prorogation and dissolution.
- 86. Right of President to address and send messages to Houses.
- 87. Special address by the President.
- 88. Rights of Ministers and Attorney-General as respects Houses.

Officers of Parliament

- 89. The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States.
- 90. Vacation and resignation of, and removal from, the office of Deputy Chairman.
- 91. Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman.
- 92. The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.
- 93. The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People.
- 94. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker.
- 95. Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker.

सरकारी कार्य का संचालन

77.	भारत सरकार के कार्य का संचालन	35
78.	राष्ट्रपति को जानकारी देने, आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य...	36

अध्याय 2—संसद्**साधारण**

79.	संसद् का गठन.....	36
80.	राज्य सभा की संरचना.....	36
81.	लोक सभा की संरचना.....	37
82.	प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनःसमायोजन	38
83.	संसद् के सदनों की अवधि.....	39
84.	संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता	39
85.	संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन.....	40
86.	सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार	40
87.	राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण	40
88.	सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार	40

संसद् के अधिकारी

89.	राज्य सभा का सभापति और उपसभापति	41
90.	उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना.....	41
91.	सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति.....	41
92.	जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना	41
93.	लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	42
94.	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना	42
95.	अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति	42

ARTICLES

- 96. The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.
- 97. Salaries and allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker.
- 98. Secretariat of Parliament.

Conduct of Business

- 99. Oath or affirmation by members.
- 100. Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum.

Disqualifications of Members

- 101. Vacation of seats.
- 102. Disqualifications for membership.
- 103. Decision on questions as to disqualifications of members.
- 104. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 99 or when not qualified or when disqualified.

Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members

- 105. Powers, privileges, etc., of the Houses of Parliament and of the members and committees thereof.
- 106. Salaries and allowances of members.

Legislative Procedure

- 107. Provisions as to introduction and passing of Bills.
- 108. Joint sitting of both Houses in certain cases.
- 109. Special procedure in respect of Money Bills.
- 110. Definition of "Money Bills".
- 111. Assent to Bills.

Procedure in Financial Matters

- 112. Annual financial statement.
- 113. Procedure in Parliament with respect to estimates.
- 114. Appropriation Bills.

96.	जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना	43
97.	सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते	43
98.	संसद् का सचिवालय	43
	<i>कार्य संचालन</i>	
99.	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	44
100.	सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति	44
	<i>सदस्यों की निरर्हताएं</i>	
101.	स्थानों का रिक्त होना	44
102.	सदस्यता के लिए निरर्हताएं	46
103.	सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय	46
104.	अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति	47
	<i>संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां</i>	
105.	संसद् के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि	47
106.	सदस्यों के वेतन और भत्ते	48
	<i>विधायी प्रक्रिया</i>	
107.	विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध	48
108.	कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक	48
109.	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया	49
110.	“धन विधेयक” की परिभाषा	50
111.	विधेयकों पर अनुमति	51
	<i>वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया</i>	
112.	वार्षिक वित्तीय विवरण	51
113.	संसद् में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया	52
114.	विनियोग विधेयक	53

ARTICLES

- 115. Supplementary, additional or excess grants.
- 116. Votes on account, votes of credit and exceptional grants.
- 117. Special provisions as to financial Bills.
Procedure Generally
- 118. Rules of procedure.
- 119. Regulation by law of procedure in Parliament in relation to financial business.
- 120. Language to be used in Parliament.
- 121. Restriction on discussion in Parliament.
- 122. Courts not to inquire into proceedings of Parliament.

CHAPTER III.—LEGISLATIVE POWERS OF THE PRESIDENT

- 123. Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament.

CHAPTER IV.—THE UNION JUDICIARY

- 124. Establishment and constitution of the Supreme Court.
- 124A. National Judicial Appointments Commission.
- 124B. Functions of Commission.
- 124C. Power of Parliament to make law.
- 125. Salaries, etc., of Judges.
- 126. Appointment of acting Chief Justice.
- 127. Appointment of *ad hoc* Judges.
- 128. Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court.
- 129. Supreme Court to be a court of record.
- 130. Seat of Supreme Court.
- 131. Original jurisdiction of the Supreme Court.
- [131A. Exclusive jurisdiction of the Supreme Court in regard to questions as to constitutional validity of Central laws.—*Omitted.*]
- 132. Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts in certain cases.
- 133. Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts in regard to civil matters.
- 134. Appellate jurisdiction of the Supreme Court in regard to criminal matters.

115.	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान	53
116.	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान	54
117.	वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध	54

साधारणतया प्रक्रिया

118.	प्रक्रिया के नियम	55
119.	संसद् में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन	55
120.	संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा	56
121.	संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन	56
122.	न्यायालयों द्वारा संसद् की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना	56

अध्याय 3—राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ

123.	संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति	56

अध्याय 4—संघ की न्यायपालिका

124.	उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन	57
124क.	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग	58
124ख.	आयोग के कृत्य	59
124ग.	विधि बनाने की संसद् की शक्ति	59
125.	न्यायाधीशों के वेतन, आदि	59
126.	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति	60
127.	तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति	60
128.	उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति...	60
129.	उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना	61
130.	उच्चतम न्यायालय का स्थान	61
131.	उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता	61
[131क.	केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता – लोप किया गया ।]	61
132.	कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता.....	61
133.	उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता.....	62
134.	दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता	62

ARTICLES

- 134A. Certificate for appeal to the Supreme Court.
- 135. Jurisdiction and powers of the Federal Court under existing law to be exercisable by the Supreme Court.
- 136. Special leave to appeal by the Supreme Court.
- 137. Review of judgments or orders by the Supreme Court.
- 138. Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court.
- 139. Conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs.
- 139A. Transfer of certain cases.
- 140. Ancillary powers of the Supreme Court.
- 141. Law declared by Supreme Court to be binding on all courts.
- 142. Enforcement of decrees and orders of the Supreme Court and orders as to discovery, etc.
- 143. Power of the President to consult the Supreme Court.
- 144. Civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court.
- [144A. Special provisions as to disposal of questions relating to constitutional validity of laws.—*Omitted.*]
- 145. Rules of Court, etc.
- 146. Officers and servants and the expenses of the Supreme Court.
- 147. Interpretation.

CHAPTER V.—COMPTROLLER AND AUDITOR-
GENERAL OF INDIA

- 148. Comptroller and Auditor-General of India.
- 149. Duties and powers of the Comptroller and Auditor-General.
- 150. Form of accounts of the Union and of the States.
- 151. Audit reports.

PART VI

THE STATES

CHAPTER I.—GENERAL

- 152. Definition.

134क.	उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र	63
135.	विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना	63
136.	अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत	63
137.	निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन	63
138.	उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि	64
139.	कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना	64
139क.	कुछ मामलों का अंतरण	64
140.	उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां	64
141.	उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना	65
142.	उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश	65
143.	उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति	65
144.	सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना	65
[144क.	विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध — लोप किया गया].....	65
145.	न्यायालय के नियम, आदि	65
146.	उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय	67
147.	निर्वचन	68

अध्याय 5—भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

148.	भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	68
149.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां	69
150.	संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप	69
151.	संपरीक्षा प्रतिवेदन	69

भाग 6

राज्य

अध्याय 1—साधारण

152.	परिभाषा	70

ARTICLES

CHAPTER II.— THE EXECUTIVE

The Governor

- 153. Governors of States.
- 154. Executive power of State.
- 155. Appointment of Governor.
- 156. Term of office of Governor.
- 157. Qualifications for appointment as Governor.
- 158. Conditions of Governor's office.
- 159. Oath or affirmation by the Governor.
- 160. Discharge of the functions of the Governor in certain contingencies.
- 161. Power of Governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases.
- 162. Extent of executive power of State.

Council of Ministers

- 163. Council of Ministers to aid and advise Governor.
- 164. Other provisions as to Ministers.

The Advocate-General for the State

- 165. Advocate-General for the State.

Conduct of Government Business

- 166. Conduct of business of the Government of a State.
- 167. Duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to Governor, etc.

CHAPTER III.—THE STATE LEGISLATURE

General

- 168. Constitution of Legislatures in States.
- 169. Abolition or creation of Legislative Councils in States.
- 170. Composition of the Legislative Assemblies.

अध्याय 2—कार्यपालिका**राज्यपाल**

153.	राज्यों के राज्यपाल	70
154.	राज्य की कार्यपालिका शक्ति	70
155.	राज्यपाल की नियुक्ति	70
156.	राज्यपाल की पदावधि	70
157.	राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं	71
158.	राज्यपाल के पद के लिए शर्तें	71
159.	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	71
160.	कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन	72
161.	क्षमा, आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघूकरण की राज्यपाल की शक्ति	72
162.	राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार	72

मंत्रि-परिषद्

163.	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्	72
164.	मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध	72

राज्य का महाधिवक्ता

165.	राज्य का महाधिवक्ता	74

सरकारी कार्य का संचालन

166.	राज्य की सरकार के कार्य का संचालन	74
167.	राज्यपाल को जानकारी देने, आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य.....	75

अध्याय 3—राज्य का विधान-मंडल**साधारण**

168.	राज्यों के विधान-मंडलों का गठन	75
169.	राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन	76
170.	विधान सभाओं की संरचना	76

ARTICLES

- 171. Composition of the Legislative Councils.
- 172. Duration of State Legislatures.
- 173. Qualification for membership of the State Legislature.
- 174. Sessions of the State Legislature, prorogation and dissolution.
- 175. Right of Governor to address and send messages to the House or Houses.
- 176. Special address by the Governor.
- 177. Rights of Ministers and Advocate-General as respects the Houses.

Officers of the State Legislature

- 178. The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly.
- 179. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker.
- 180. Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker.
- 181. The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.
- 182. The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council.
- 183. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Chairman and Deputy Chairman.
- 184. Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman.
- 185. The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.
- 186. Salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman.
- 187. Secretariat of State Legislature.

Conduct of Business

- 188. Oath or affirmation by members.
- 189. Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum.

Disqualifications of Members

- 190. Vacation of seats.

171.	विधान परिषदों की संरचना	77
172.	राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि	79
173.	राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता	79
174.	राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन	80
175.	सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार	80
176.	राज्यपाल का विशेष अभिभाषण	80
177.	सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार	80
	<i>राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी</i>	
178.	विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	81
179.	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना.....	81
180.	अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति	81
181.	जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना	81
182.	विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति	82
183.	सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना.....	82
184.	सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति	82
185.	जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना	83
186.	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते	83
187.	राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय.....	83
	<i>कार्य संचालन</i>	
188.	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.....	84
189.	सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति	84
	<i>सदस्यों की निरर्हताएं</i>	
190.	स्थानों का रिक्त होना.....	84

ARTICLES

- 191. Disqualifications for membership.
- 192. Decision on questions as to disqualifications of members.
- 193. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 188 or when not qualified or when disqualified.

*Powers, privileges and immunities of State Legislatures and
their Members*

- 194. Powers, privileges, etc., of the Houses of Legislatures and of the members and committees thereof.
- 195. Salaries and allowances of members.

Legislative Procedure

- 196. Provisions as to introduction and passing of Bills.
- 197. Restriction on powers of Legislative Council as to Bills other than Money Bills.
- 198. Special procedure in respect of Money Bills.
- 199. Definition of "Money Bills".
- 200. Assent to Bills.
- 201. Bills reserved for consideration.

Procedure in Financial Matters

- 202. Annual financial statement.
- 203. Procedure in Legislature with respect to estimates.
- 204. Appropriation Bills.
- 205. Supplementary, additional or excess grants.
- 206. Votes on account, votes of credit and exceptional grants.
- 207. Special provisions as to financial Bills.

Procedure Generally

- 208. Rules of procedure.
- 209. Regulation by law of procedure in the Legislature of the State in relation to financial business.

191.	सदस्यता के लिए निरर्हताएं	85
192.	सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय	86
193.	अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति.....	87
	<i>राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां</i>	
194.	विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि.....	87
195.	सदस्यों के वेतन और भत्ते.....	88
	<i>विधायी प्रक्रिया</i>	
196.	विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध	88
197.	धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बंधन	88
198.	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया.....	89
199.	“धन विधेयक” की परिभाषा.....	90
200.	विधेयकों पर अनुमति.....	91
201.	विचार के लिए आरक्षित विधेयक.....	91
	<i>वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया</i>	
202.	वार्षिक वित्तीय विवरण.....	92
203.	विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया	92
204.	विनियोग विधेयक	93
205.	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान	93
206.	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान	94
207.	वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध	95
	<i>साधारणतया प्रक्रिया</i>	
208.	प्रक्रिया के नियम	95
209.	राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन	96

ARTICLES

- 210. Language to be used in the Legislature.
- 211. Restriction on discussion in the Legislature.
- 212. Courts not to inquire into proceedings of the Legislature.

CHAPTER IV.—LEGISLATIVE POWER OF THE
GOVERNOR

- 213. Power of Governor to promulgate Ordinances during recess of Legislature.

CHAPTER V.—THE HIGH COURTS IN THE
STATES

- 214. High Courts for States.
- 215. High Courts to be courts of record.
- 216. Constitution of High Courts.
- 217. Appointment and conditions of the office of a Judge of a High Court.
- 218. Application of certain provisions relating to Supreme Court to High Courts.
- 219. Oath or affirmation by Judges of High Courts.
- 220. Restriction on practice after being a permanent Judge.
- 221. Salaries, etc., of Judges.
- 222. Transfer of a Judge from one High Court to another.
- 223. Appointment of acting Chief Justice.
- 224. Appointment of additional and acting Judges.
- 224A. Appointment of retired Judges at sittings of High Courts.
- 225. Jurisdiction of existing High Courts.
- 226. Power of High Courts to issue certain writs.
- [226A. Constitutional validity of Central laws not to be considered in proceedings under article 226.—*Omitted.*]
- 227. Power of superintendence over all courts by the High Court.
- 228. Transfer of certain cases to High Court.
- [228A. Special provisions as to disposal of questions relating to constitutional validity of State laws.—*Omitted.*]

210.	विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा	96
211.	विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन	97
212.	न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना....	97
अध्याय 4—राज्यपाल की विधायी शक्ति		
213.	विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति	97
अध्याय 5—राज्यों के उच्च न्यायालय		
214.	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय	98
215.	उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना	98
216.	उच्च न्यायालयों का गठन	99
217.	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें	99
218.	उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना	101
219.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा.....	101
220.	स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन	101
221.	न्यायाधीशों के वेतन आदि	101
222.	किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण	102
223.	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति	102
224.	अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति	102
224क.	उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति.....	103
225.	विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता.....	103
226.	कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति	104
[226क.	अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता पर विचार न किया जाना – लोप किया गया ।]	105
227.	सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति	105
228.	कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण	106
[228क.	राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध – लोप किया गया ।].....	106

ARTICLES

- 229. Officers and servants and the expenses of High Courts.
- 230. Extension of jurisdiction of High Courts to Union territories.
- 231. Establishment of a common High Court for two or more States.
- [232. Articles 230, 231 and 232 substituted by articles 230 and 231].

CHAPTER VI.—SUBORDINATE COURTS

- 233. Appointment of district judges.
- 233A. Validation of appointments of, and judgments, etc., delivered by, certain district judges.
- 234. Recruitment of persons other than district judges to the judicial service.
- 235. Control over subordinate courts.
- 236. Interpretation.
- 237. Application of the provisions of this Chapter to certain class or classes of magistrates.

[PART VII.—Omitted]

THE STATES IN PART B OF THE FIRST SCHEDULE

- [238. *Omitted.*]

PART VIII

THE UNION TERRITORIES

- 239. Administration of Union territories.
- 239A. Creation of local Legislatures or Council of Ministers or both for certain Union territories.
- 239AA. Special provisions with respect to Delhi.
- 239AB. Provision in case of failure of constitutional machinery.
- 239B. Power of administrator to promulgate Ordinances during recess of Legislature.
- 240. Power of President to make regulations for certain Union territories.
- 241. High Courts for Union territories.
- [242. Coorg.—*Omitted.*]

PART IX

THE PANCHAYATS

- 243. Definitions.

229.	उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय	106
230.	उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार.....	107
231.	दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना	107
[231.	अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231 और अनुच्छेद 232 के स्थान पर अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231 प्रतिस्थापित ।].....	107

अध्याय 6—अधीनस्थ न्यायालय

233.	जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति.....	108
233क.	कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण	109
234.	न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती	109
235.	अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण	109
236.	निर्वचन	110
237.	कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना.....	110

[भाग 7 — लोप किया गया ।]

पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य

[238.	लोप किया गया ।]	111

भाग 8

संघ राज्यक्षेत्र

239.	संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन	112
239क.	कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन	112
239कक.	दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध	113
239कख.	सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध	115
239ख.	विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति.....	116
240.	कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति.....	117
241.	संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय	118
[242.	कोड़गू – लोप किया गया ।].....	118

भाग 9

पंचायत

243.	परिभाषाएं	119

ARTICLES

- 243A. Gram Sabha.
- 243B. Constitution of Panchayats.
- 243C. Composition of Panchayats.
- 243D. Reservation of seats.
- 243E. Duration of Panchayats, etc.
- 243F. Disqualifications for membership.
- 243G. Powers, authority and responsibilities of Panchayats.
- 243H. Powers to impose taxes by, and Funds of, the Panchayats.
- 243-I. Constitution of Finance Commission to review financial position.
- 243J. Audit of accounts of Panchayats.
- 243K. Elections to the Panchayats.
- 243L. Application to Union territories.
- 243M. Part not to apply to certain areas.
- 243N. Continuance of existing laws and Panchayats.
- 243-O. Bar to interference by courts in electoral matters.

PART IXA**THE MUNICIPALITIES**

- 243P. Definitions.
- 243Q. Constitution of Municipalities.
- 243R. Composition of Municipalities.
- 243S. Constitution and composition of Wards Committees, etc.
- 243T. Reservation of seats.
- 243U. Duration of Municipalities, etc.
- 243V. Disqualifications for membership.
- 243W. Powers, authority and responsibilities of Municipalities, etc.
- 243X. Power to impose taxes by, and Funds of, the Municipalities.
- 243Y. Finance Commission.

243क.	ग्राम सभा	119
243ख.	पंचायतों का गठन	119
243ग.	पंचायतों की संरचना	119
243घ.	स्थानों का आरक्षण	121
243ङ.	पंचायतों की अवधि, आदि	122
243च.	सदस्यता के लिए निरर्हताएं	122
243छ.	पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	123
243ज.	पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां...	123
243झ.	वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन.....	123
243ञ.	पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा	124
243ट.	पंचायतों के लिए निर्वाचन	124
243ठ.	संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना	125
243ड.	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना	125
243ढ.	विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना	126
243ण.	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन.....	126

भाग 9क

नगरपालिकाएं

243त.	परिभाषाएं	127
243थ.	नगरपालिकाओं का गठन	127
243द.	नगरपालिकाओं की संरचना	128
243ध.	वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना	129
243न.	स्थानों का आरक्षण	129
243प.	नगरपालिकाओं की अवधि, आदि	130
243फ.	सदस्यता के लिए निरर्हताएं	131
243ब.	नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	131
243भ.	नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां	131
243म.	वित्त आयोग.....	132

ARTICLES

- 243Z. Audit of accounts of Municipalities.
- 243ZA. Elections to the Municipalities.
- 243ZB. Application to Union territories.
- 243ZC. Part not to apply to certain areas.
- 243ZD. Committee for district planning.
- 243ZE. Committee for Metropolitan planning.
- 243ZF. Continuance of existing laws and Municipalities.
- 243ZG. Bar to interference by courts in electoral matters.

PART IXB

THE CO-OPERATIVE SOCIETIES

- 243ZH. Definitions.
- 243Z-I. Incorporation of co-operative societies.
- 243ZJ. Number and term of members of board and its office bearers.
- 243ZK. Election of members of board.
- 243ZL. Supersession and suspension of board and interim management.
- 243ZM. Audit of accounts of co-operative societies.
- 243ZN. Convening of general body meetings.
- 243Z-O. Right of a member to get information.
- 243ZP. Returns.
- 243ZQ. Offences and penalties.
- 243ZR. Application to multi-State co-operative societies.
- 243ZS. Application to Union territories.
- 243ZT. Continuance of existing laws.

PART X

THE SCHEDULED AND TRIBAL AREAS

- 244. Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas.
- 244A. Formation of an autonomous State comprising certain tribal areas in Assam and creation of local Legislature or Council of Ministers or both therefor.

243य.	नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा	132
243यक.	नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन	133
243यख.	संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना	133
243यग.	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना	133
243यघ.	जिला योजना के लिए समिति	133
243यङ.	महानगर योजना के लिए समिति.....	134
243यच.	विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना	136
243यछ.	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन	136

भाग 9ख

सहकारी सोसाइटियां

243यज.	परिभाषाएं	137
243यझ.	सहकारी सोसाइटियों का निगमन	137
243यञ.	बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि	138
243यट.	बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन	139
243यठ.	बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अन्तरिम प्रबंध	139
243यड.	सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा	140
243यढ.	साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना	140
243यण.	सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार	141
243यत.	विवरणियां	141
243यथ.	अपराध और शास्तियां	141
243यद.	बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना	142
243यध.	संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना	142
243यन.	विद्यमान विधियों का जारी रहना	142

भाग 10

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र

244.	अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन	143
244क.	असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रि-परिषद् का या दोनों का सृजन	143

ARTICLES

PART XI**RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATES****CHAPTER I.—LEGISLATIVE RELATIONS***Distribution of Legislative Powers*

- 245. Extent of laws made by Parliament and by the Legislatures of States.
- 246. Subject-matter of laws made by Parliament and by the Legislatures of States.
- 246A. Special provision with respect to goods and services tax.
- 247. Power of Parliament to provide for the establishment of certain additional courts.
- 248. Residuary powers of legislation.
- 249. Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest.
- 250. Power of Parliament to legislate with respect to any matter in the State List if a Proclamation of Emergency is in operation.
- 251. Inconsistency between laws made by Parliament under articles 249 and 250 and laws made by the Legislatures of States.
- 252. Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State.
- 253. Legislation for giving effect to international agreements.
- 254. Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States.
- 255. Requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matters of procedure only.

CHAPTER II.—ADMINISTRATIVE RELATIONS*General*

- 256. Obligation of States and the Union.
- 257. Control of the Union over States in certain cases.
- [257A. Assistance to States by deployment of armed forces or other forces of the Union.—*Omitted.*]
- 258. Power of the Union to confer powers, etc., on States in certain cases.

भाग 11

संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय 1—विधायी संबंध

विधायी शक्तियों का वितरण

245.	संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार.....	145
246.	संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु	145
246क.	माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध	145
247.	कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद् की शक्ति.....	146
248.	अवशिष्ट विधायी शक्तियां	146
249.	राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति	146
250.	यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति	147
251.	संसद् द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति.....	147
252.	दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना.....	147
253.	अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान	148
254.	संसद् द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति	148
255.	सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना.....	148

अध्याय 2—प्रशासनिक संबंध

साधारण

256.	राज्यों की और संघ की बाध्यता	149
257.	कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण	149
[257क.	संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता - लोप किया गया ।]	150
258.	कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति....	150

ARTICLES

- 258A. Power of the States to entrust functions to the Union.
 [259. Armed Forces in States in Part B of the First Schedule.—
Omitted.]
 260. Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India.
 261. Public acts, records and judicial proceedings.
 Disputes relating to Waters
 262. Adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers
 or river valleys.
 Co-ordination between States
 263. Provisions with respect to an inter-State Council.

PART XII**FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS****CHAPTER I.—FINANCE***General*

264. Interpretation.
 265. Taxes not to be imposed save by authority of law.
 266. Consolidated Funds and public accounts of India and of the
 States.
 267. Contingency Fund.
 Distribution of Revenues between the Union and the States
 268. Duties levied by the Union but collected and appropriated by the
 States.
 [268A. Service tax levied by Union and collected by the Union and the
 States.—*Omitted.*]
 269. Taxes levied and collected by the Union but assigned to the
 States.
 269A. Levy and collection of goods and services tax in course of inter-
 State trade or commerce.
 270. Taxes levied and distributed between the Union and the States.
 271. Surcharge on certain duties and taxes for purposes of the Union.
 [272. Taxes which are levied and collected by the Union and may be
 distributed between the Union and the States.—*Omitted.*]
 273. Grants in lieu of export duty on jute and jute products.
 274. Prior recommendation of President required to Bills affecting
 taxation in which States are interested.

258क.	संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति.....	150
[259.	पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल — लोप किया गया।]	150
260.	भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता	150
261.	सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां	151

जल संबंधी विवाद

262.	अंतरराज्यिक नदियों या नदी-दूरों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन..	151

राज्यों के बीच समन्वय

263.	अंतर-राज्य परिषद् के संबंध में उपबंध.....	151

भाग 12

वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

अध्याय 1—वित्त

साधारण

264.	निर्वचन	152
265.	विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना	152
266.	भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे	152
267.	आकस्मिकता निधि	152
	<i>संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण</i>	
268.	संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क	153
[268क.	संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाने वाला सेवा-कर — लोप किया गया]	153
269.	संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर ..	154
269क.	अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण	154
270.	उद्गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण.....	155
271.	कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार	156
[272.	कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे — लोप किया गया ।]	156
273.	जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान	156
274.	ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा.....	157

ARTICLES

- 275. Grants from the Union to certain States.
- 276. Taxes on professions, trades, callings and employments.
- 277. Savings.
- [278. Agreement with States in Part B of the First Schedule with regard to certain financial matters.—*Omitted.*]
- 279. Calculation of “net proceeds”, etc.
- 279A. Goods and Services Tax Council.
- 280. Finance Commission.
- 281. Recommendations of the Finance Commission.

Miscellaneous Financial Provisions

- 282. Expenditure defrayable by the Union or a State out of its revenues.
- 283. Custody, etc., of Consolidated Funds, Contingency Funds and moneys credited to the public accounts.
- 284. Custody of suitors’ deposits and other moneys received by public servants and courts.
- 285. Exemption of property of the Union from State taxation.
- 286. Restrictions as to imposition of tax on the sale or purchase of goods.
- 287. Exemption from taxes on electricity.
- 288. Exemption from taxation by States in respect of water or electricity in certain cases.
- 289. Exemption of property and income of a State from Union taxation.
- 290. Adjustment in respect of certain expenses and pensions.
- 290A. Annual payment to certain Devaswom Funds.
- [291. Privy purse sums of Rulers.—*Omitted.*]

CHAPTER II.—BORROWING

- 292. Borrowing by the Government of India.
- 293. Borrowing by States.

275.	कुछ राज्यों को संघ से अनुदान	157
276.	वृत्तियाँ, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर	158
277.	व्यावृत्ति	159
[278.	कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार — लोप किया गया ।]	159
279.	“शुद्ध आगम”, आदि की गणना	159
279क.	माल और सेवा कर परिषद्	160
280.	वित्त आयोग	162
281.	वित्त आयोग की सिफारिशें	163

प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध

282.	संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय	163
283.	संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा, आदि	163
284.	लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा	163
285.	संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट	164
286.	माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन	164
287.	विद्युत पर करों से छूट	164
288.	जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट	165
289.	राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट	165
290.	कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन	166
290क.	कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय	166
[291.	शासकों की निजी शैली की राशि — लोप किया गया ।]	167

अध्याय 2—उधार लेना

292.	भारत सरकार द्वारा उधार लेना	167
293.	राज्यों द्वारा उधार लेना	167

ARTICLES

CHAPTER III.—PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES,
OBLIGATIONS AND SUITS

294. Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in certain cases.
295. Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in other cases.
296. Property accruing by escheat or lapse or as *bona vacantia*.
297. Things of value within territorial waters or continental shelf and resources of the exclusive economic zone to vest in the Union.
298. Power to carry on trade, etc.
299. Contracts.
300. Suits and proceedings.

CHAPTER IV.—RIGHT TO PROPERTY

- 300A. Persons not to be deprived of property save by authority of law.

PART XIII

TRADE, COMMERCE AND INTERCOURSE
WITHIN THE TERRITORY OF INDIA

301. Freedom of trade, commerce and intercourse.
302. Power of Parliament to impose restrictions on trade, commerce and intercourse.
303. Restrictions on the legislative powers of the Union and of the States with regard to trade and commerce.
304. Restrictions on trade, commerce and intercourse among States.
305. Saving of existing laws and laws providing for State monopolies.
- [306. Power of certain States in Part B of the First Schedule to impose restrictions on trade and commerce.—*Omitted*]
307. Appointment of authority for carrying out the purposes of articles 301 to 304.

PART XIV

SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES

CHAPTER I.—SERVICES

308. Interpretation.

अध्याय 3—संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद

294.	कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार	167
295.	अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार	168
296.	राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति	168
297.	राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना	169
298.	व्यापार करने, आदि की शक्ति	169
299.	संविदाएं	170
300.	वाद और कार्यवाहियां	170

अध्याय 4—संपत्ति का अधिकार

300क.	विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना	170

भाग 13**भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम**

301.	व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता	171
302.	व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद् की शक्ति	171
303.	व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन	171
304.	राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन	171
305.	विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति	172
[306.	पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधनों के अधिरोपण की शक्ति - लोप किया गया].....	172
307.	अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति	172

भाग 14**संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं****अध्याय 1—सेवाएं**

308.	निर्वचन	173

ARTICLES

- 309. Recruitment and conditions of service of persons serving the Union or a State.
- 310. Tenure of office of persons serving the Union or a State.
- 311. Dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a State.
- 312. All-India services.
- 312A. Power of Parliament to vary or revoke conditions of service of officers of certain services.
- 313. Transitional provisions.
- [314. Provision for protection of existing officers of certain services.—*Omitted.*]

CHAPTER II.—PUBLIC SERVICE COMMISSIONS

- 315. Public Service Commissions for the Union and for the States.
- 316. Appointment and term of office of members.
- 317. Removal and suspension of a member of a Public Service Commission.
- 318. Power to make regulations as to conditions of service of members and staff of the Commission.
- 319. Prohibition as to the holding of offices by members of Commission on ceasing to be such members.
- 320. Functions of Public Service Commissions.
- 321. Power to extend functions of Public Service Commissions.
- 322. Expenses of Public Service Commissions.
- 323. Reports of Public Service Commissions.

PART XIVA

TRIBUNALS

- 323A. Administrative tribunals.
- 323B. Tribunals for other matters.

309.	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें..	173
310.	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि	173
311.	संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना	174
312.	अखिल भारतीय सेवाएं	175
312क.	कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद् की शक्ति	175
313.	संक्रमणकालीन उपबंध	177
[314.	कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध-लोप किया गया]	177

अध्याय 2—लोक सेवा आयोग

315.	संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग	177
316.	सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि	177
317.	लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना	179
318.	आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति	179
319.	आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध	180
320.	लोक सेवा आयोगों के कृत्य	180
321.	लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति	182
322.	लोक सेवा आयोगों के व्यय	182
323.	लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन	182

भाग 14क

अधिकरण

323क.	प्रशासनिक अधिकरण	183
323ख.	अन्य विषयों के लिए अधिकरण	184

ARTICLES

PART XV

ELECTIONS

- 324. Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission.
- 325. No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be included in a special, electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex.
- 326. Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage.
- 327. Power of Parliament to make provision with respect to elections to Legislatures.
- 328. Power of Legislature of a State to make provision with respect to elections to such Legislature.
- 329. Bar to interference by courts in electoral matters.
- [329A. Special provision as to elections to Parliament in the case of Prime Minister and Speaker.—*Omitted.*]

PART XVI

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES

- 330. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People.
- 330A. Reservation of seats for women in the House of the People.
- 331. Representation of the Anglo-Indian community in the House of the People.
- 332. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States.
- 332A. Reservation of seats for women in the Legislative Assemblies of the States.
- 333. Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the States.
- 334. Reservation of seats and special representation to cease after certain period.
- 334A. Reservation of seats for women take effect.
- 335. Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts.

भाग 15**निर्वाचन**

324.	निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना	186
325.	धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना	187
326.	लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना	187
327.	विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति	187
328.	किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति	188
329.	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन	188
[329क.	प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद् के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध -- लोप किया गया ।]	188

भाग 16**कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध**

330.	लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण	189
[330क.	लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण	
331.	लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व	190
332.	राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण	190
[332क.	राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण	
333.	राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.....	191
334.	स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना..	192
[334क.	महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना.....	192
335.	सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे	192

ARTICLES

- 336. Special provision for Anglo-Indian community in certain services.
- 337. Special provision with respect to educational grants for the benefit of Anglo-Indian Community.
- 338. National Commission for Scheduled Castes.
- 338A. National Commission for Scheduled Tribes.
- 338B. National Commission for Backward Classes.
- 339. Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes.
- 340. Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes.
- 341. Scheduled Castes.
- 342. Scheduled Tribes.
- 342A. Socially and educationally backward classes.

PART XVII**OFFICIAL LANGUAGE****CHAPTER I.—LANGUAGE OF THE UNION**

- 343. Official language of the Union.
- 344. Commission and Committee of Parliament on official language.

CHAPTER II.—REGIONAL LANGUAGES

- 345. Official language or languages of a State.
- 346. Official language for communication between one State and another or between a State and the Union.
- 347. Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State.

**CHAPTER III.—LANGUAGE OF THE SUPREME COURT,
HIGH COURTS, ETC.**

- 348. Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc.
- 349. Special procedure for enactment of certain laws relating to language.

विषय सूची	(xxiii)
अनुच्छेद	पृष्ठ
336. कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध	192
337. आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध	193
338. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	193
338क. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	195
338ख. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग	197
339. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण	199
340. पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति	199
341. अनुसूचित जातियां	200
342. अनुसूचित जनजातियां	200
342क. सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग	201

भाग 17

राजभाषा

अध्याय 1—संघ की भाषा

343. संघ की राजभाषा	203
344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद् की समिति	203

अध्याय 2—प्रादेशिक भाषाएं

345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं.....	204
346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा	204
347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध.....	205

अध्याय 3—उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों, आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा	205
349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया..	206

ARTICLES

CHAPTER IV.—SPECIAL DIRECTIVES

- 350. Language to be used in representations for redress of grievances.
- 350A. Facilities for instruction in mother-tongue at primary stage.
- 350B. Special Officer for linguistic minorities.
- 351. Directive for development of the Hindi language.

PART XVIII

EMERGENCY PROVISIONS

- 352. Proclamation of Emergency.
- 353. Effect of Proclamation of Emergency.
- 354. Application of provisions relating to distribution of revenues while a Proclamation of Emergency is in operation.
- 355. Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance.
- 356. Provisions in case of failure of constitutional machinery in States.
- 357. Exercise of legislative powers under Proclamation issued under article 356.
- 358. Suspension of provisions of article 19 during emergencies.
- 359. Suspension of the enforcement of the rights conferred by Part III during emergencies.
- [359A. Application of this Part to the State of Punjab.—*Omitted.*]
- 360. Provisions as to financial emergency.

PART XIX

MISCELLANEOUS

- 361. Protection of President and Governors and Rajpramukhs.
- 361A. Protection of publication of proceedings of Parliament and State Legislatures.
- 361B. Disqualification for appointment on remunerative political post.
- [362. Rights and privileges of Rulers of Indian States.—*Omitted.*]
- 363. Bar to interference by courts in disputes arising out of certain treaties, agreements, etc.
- 363A. Recognition granted to Rulers of Indian States to cease and privy purses to be abolished.

अध्याय 4—विशेष निदेश

350.	व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा...	206
350क.	प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं	206
350ख.	भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकार	207
351.	हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश	207

भाग 18**आपात उपबंध**

352.	आपात की उद्घोषणा	208
353.	आपात की उद्घोषणा का प्रभाव	210
354.	जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना	211
355.	बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य	211
356.	राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध.....	211
357.	अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग	214
358.	आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन	215
359.	आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन..	216
[359क.	इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना – लोप किया गया ।]	217
360.	वित्तीय आपात के बारे में उपबंध	217

भाग 19**प्रकीर्ण**

361.	राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण	219
361क.	संसद् और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण...	220
361ख.	लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता	220
[362.	देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार – लोप किया गया ।]	221
363.	कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन	221
363क.	देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत	221

ARTICLES

- 364. Special provisions as to major ports and aerodromes.
- 365. Effect of failure to comply with, or to give effect to, directions given by the Union.
- 366. Definitions.
- 367. Interpretation.

PART XX**AMENDMENT OF THE CONSTITUTION**

- 368. Power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefor.

PART XXI**TEMPORARY, TRANSITIONAL AND
SPECIAL PROVISIONS**

- 369. Temporary power to Parliament to make laws with respect to certain matters in the State List as if they were matters in the Concurrent List.
- 370. Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir.
- 371. Special provision with respect to the States of Maharashtra and Gujarat.
- 371A. Special provision with respect to the State of Nagaland.
- 371B. Special provision with respect to the State of Assam.
- 371C. Special provision with respect to the State of Manipur.
- 371D. Special provisions with respect to the State of Andhra Pradesh or the State of Telangana.
- 371E. Establishment of Central University in Andhra Pradesh.
- 371F. Special provisions with respect to the State of Sikkim.
- 371G. Special provision with respect to the State of Mizoram.
- 371H. Special provision with respect to the State of Arunachal Pradesh.
- 371-I. Special provision with respect to the State of Goa.
- 371J. Special provisions with respect to the State of Karnataka.
- 372. Continuance in force of existing laws and their adaptation.
- 372A. Power of the President to adapt laws.

364.	महापतनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध	222
365.	संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव	222
366.	परिभाषाएं	222
367.	निर्वचन	227

भाग 20**संविधान का संशोधन**

368.	संविधान का संशोधन करने की संसद् की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया	228

भाग 21**अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध**

369.	राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों	230
370.	जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध	230
371.	महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध	232
371क.	नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	232
371ख.	असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	236
371ग.	मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	236
371घ.	आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	237
371ङ.	आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना	240
371च.	सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	241
371छ.	मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	244
371ज.	अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	244
371झ.	गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	245
371ञ.	कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	245
372.	विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन	246
372क.	विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति	247

ARTICLES

373. Power of President to make order in respect of persons under preventive detention in certain cases.
374. Provisions as to Judges of the Federal Court and proceedings pending in the Federal Court or before His Majesty in Council.
375. Courts, authorities and officers to continue to function subject to the provisions of the Constitution.
376. Provisions as to Judges of High Courts.
377. Provisions as to Comptroller and Auditor-General of India.
378. Provisions as to Public Service Commissions.
- 378A. Special provision as to duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly.
- [379. Provisions as to provisional Parliament and the Speaker and Deputy Speaker thereof.—*Omitted.*]
- [380. Provision as to President.—*Omitted.*]
- [381. Council of Ministers of the President.—*Omitted.*]
- [382. Provisions as to provisional Legislatures for States in Part A of the First Schedule. — *Omitted.*]
- [383. Provision as to Governors of Provinces. — *Omitted.*]
- [384. Council of Ministers of the Governors.—*Omitted.*]
- [385. Provision as to provisional Legislatures in States in Part B of the First Schedule.—*Omitted.*]
- [386. Council of Ministers for States in Part B of the First Schedule. — *Omitted.*]
- [387. Special provision as to determination of population for the purposes of certain elections.—*Omitted.*]
- [388. Provisions as to the filling of casual vacancies in the provisional Parliament and provisional Legislatures of the States. — *Omitted.*]
- [389. Provision as to Bills pending in the Dominion Legislatures and in the Legislatures of Provinces and Indian States.—*Omitted.*]

373.	निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति	248
374.	फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध	248
375.	संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना	249
376.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध	249
377.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध	249
378.	लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध	250
378क.	आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध	250
[379.	अन्तर्कालीन संसद् तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध — लोप किया गया ।]	250
[380.	राष्ट्रपति के बारे में उपबंध — लोप किया गया ।].....	250
[381.	राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् — लोप किया गया ।].....	250
[382.	पहली अनुसूची के भाग क में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों के बारे में उपबंध — लोप किया गया ।].....	250
[383.	प्रान्तों के राज्यपालों के बारे में उपबंध — लोप किया गया ।].....	250
[384.	राज्यपालों की मंत्रि-परिषद् — लोप किया गया ।].....	251
[385.	पहली अनुसूची के भाग ख में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों के बारे में उपबंध — लोप किया गया ।].....	251
[386.	पहली अनुसूची के भाग ख में के राज्यों की मंत्रि-परिषद् — लोप किया गया ।].....	251
[387.	कुछ निर्वाचनों के परियोजनाओं के लिए जनसंख्या के निर्धारण के बारे में विशेष उपबंध — लोप किया गया ।].....	251
[388.	अन्तर्कालीन संसद् तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में आकस्मिक रिक्तियों के बारे में उपबंध — लोप किया गया ।].....	251
[389.	डोमीनियन विधान-मंडल तथा प्रान्तों और देशी राज्यों के विधान-मंडलों में लंबित विधेयकों के बारे में उपबंध — लोप किया गया ।].....	251

ARTICLES

- [390. Money received or raised or expenditure incurred between the commencement of the Constitution and the 31st day of March, 1950. —*Omitted.*]
- [391. Power of the President to amend the First and Fourth Schedules in certain contingencies. —*Omitted.*]
392. Power of the President to remove difficulties.

PART XXII

SHORT TITLE, COMMENCEMENT,
AUTHORITATIVE TEXT
IN HINDI AND REPEALS

393. Short title.
394. Commencement.
- 394A. Authoritative text in the Hindi language.
395. Repeals.

SCHEDULES

FIRST SCHEDULE

- I. —The States.
- II. —The Union territories.

SECOND SCHEDULE

PART A—Provisions as to the President and the Governors of States.

PART B—[*Omitted.*]

PART C—Provisions as to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People and the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States and the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of a State.

PART D—Provisions as to the Judges of the Supreme Court and of the High Courts.

PART E—Provisions as to the Comptroller and Auditor-General of India.

THIRD SCHEDULE—Forms of Oaths or Affirmations.

[390.	इस संविधान के प्रारंभ और 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापित या व्यय किया हुआ धन — लोप किया गया].....	251
[391.	कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति — लोप किया गया].....	251
392.	कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति	251

भाग 22**संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन**

393.	संक्षिप्त नाम	252
394.	प्रारंभ	252
394क.	हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ	252
395.	निरसन	252

अनुसूचियां

पहली अनुसूची	253
1. राज्य	253
2. संघ राज्यक्षेत्र	260
दूसरी अनुसूची	263
भाग क — राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध	263
भाग ख — [लोप किया गया]	263
भाग ग — लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध	264
भाग घ — उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध	265
भाग ड — भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध	268
तीसरी अनुसूची —शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप	269

ARTICLES

FOURTH SCHEDULE—Allocation of seats in the Council of States.

FIFTH SCHEDULE—

Provisions as to the Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes

PART A—General.

PART B—Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.

PART C— Scheduled Areas.

PART D—Amendment of the Schedule.

SIXTH SCHEDULE—

Provisions as to the Administration of Tribal Areas in the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

SEVENTH SCHEDULE—

List I — Union List.

List II— State List.

List III— Concurrent List.

EIGHTH SCHEDULE— Languages.

NINTH SCHEDULE—Validation of certain Acts and Regulations.

TENTH SCHEDULE— Provisions as to disqualification on ground of defection.

ELEVENTH SCHEDULE—Powers, authority and responsibilities of Panchayats.

TWELFTH SCHEDULE—Powers, authority and responsibilities of Municipalities, etc.

APPENDICES

APPENDIX I.—The Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015.

APPENDIX II.—The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019.

APPENDIX III.— Declaration under article 370(3) of the Constitution.

चौथी अनुसूची—राज्य सभा में स्थानों का आबंटन.....	273
पांचवीं अनुसूची—अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध	276
भाग क — साधारण	276
भाग ख — अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण	276
भाग ग — अनुसूचित क्षेत्र	278
भाग घ — अनुसूची का संशोधन	279
छठी अनुसूची— असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध	280
सातवीं अनुसूची	310
सूची 1 — संघ सूची	310
सूची 2 — राज्य सूची	317
सूची 3 — समवर्ती सूची	321
आठवीं अनुसूची — भाषाएं	325
नवीं अनुसूची—कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण	327
दसवीं अनुसूची—दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध	345
ग्यारहवीं अनुसूची—पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	349
बारहवीं अनुसूची—नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व ...	350
परिशिष्ट	
परिशिष्ट 1 — संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015	351
परिशिष्ट 2 — संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 2019	370
परिशिष्ट 3 — संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा	371

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a ¹[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC] and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the ²[unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s.2, for "SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC" (w.e.f. 3-1-1977).

2. Subs. by s. 2, *ibid.*, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3-1-1977).

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

PART I

THE UNION AND ITS TERRITORY

1. Name and territory of the Union.—(1) India, that is Bharat, shall be a Union of States.

¹[(2) The States and the territories thereof shall be as specified in the First Schedule.]

(3) The territory of India shall comprise—

(a) the territories of the States;

²[(b) the Union territories specified in the First Schedule;
and]

(c) such other territories as may be acquired.

2. Admission or establishment of new States.—Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.

³[**2A.** *[Sikkim to be associated with the Union.]*.—Omitted by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 5 (w.e.f. 26-4-1975).]

3. Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States.—Parliament may by law—

(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State;

(b) increase the area of any State;

(c) diminish the area of any State;

(d) alter the boundaries of any State;

(e) alter the name of any State:

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 2, for cl. (2) (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by s. 2 *ibid.* for sub-clause (b) (w.e.f. 1-11-1956).

3. Ins. by the Constitution (Thirty-fifth Amendment) Act, 1974, s. 2 (w.e.f. 1-3-1975).

भाग 1

संघ और उसका राज्यक्षेत्र

1. **संघ का नाम और राज्यक्षेत्र**—(1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा ।

¹[(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।]

(3) भारत के राज्यक्षेत्र में,—

(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र;

²[(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र; और]

(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएं,

समाविष्ट होंगे ।

2. **नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना**—संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी ।

³[2क. [सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना ।]—संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) लोप किया गया ।]

3. **नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन**—संसद, विधि द्वारा—

(क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;

(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी:

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा (1-11-1956 से) खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा (1-11-1956 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा (1-3-1975 से) अंतःस्थापित ।

¹[Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States ^{2***}, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired.]

³[*Explanation I.*—In this article, in clauses (a) to (e), “State” includes a Union territory, but in the proviso, “State” does not include a Union territory.

Explanation II.—The power conferred on Parliament by clause (a) includes the power to form a new State or Union territory by uniting a part of any State or Union territory to any other State or Union territory.]

4. Laws made under articles 2 and 3 to provide for the amendment of the First and the Fourth Schedules and supplemental, incidental and consequential matters.—(1) Any law referred to in article 2 or article 3 shall contain such provisions for the amendment of the First Schedule and the Fourth Schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions (including provisions as to representation in Parliament and in the Legislature or Legislatures of the State or States affected by such law) as Parliament may deem necessary.

(2) No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

1. Subs. by the Constitution (Fifth Amendment) Act, 1955, s. 2, for the proviso (w.e.f. 24-12-1955).

2. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

3. Ins. by the Constitution (Eighteenth Amendment) Act, 1966, s. 2 (w.e.f. 27-8-1966).

(भाग 1—संघ और उसका राज्यक्षेत्र)

¹[परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव ²राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद् के किसी सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा ।]

³[स्पष्टीकरण 1—इस अनुच्छेद के खंड (क) से खंड (ड) में, “राज्य” के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र है, किंतु परंतुक में “राज्य” के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2—खंड (क) द्वारा संसद् को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण करना है ।]

4. पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ—(1) अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निदिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी (जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद् में और विधान-मंडल या विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद् आवश्यक समझे ।

(2) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी ।

1. संविधान (पाचवां संशोधन) अधिनियम, 1955 की धारा 2 द्वारा (24-12-1955 से) परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
3. संविधान (अठारहवां संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा (27-8-1966 से) अंतःस्थापित ।

PART II CITIZENSHIP

5. Citizenship at the commencement of the Constitution.—At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India and—

- (a) who was born in the territory of India; or
 - (b) either of whose parents was born in the territory of India; or
 - (c) who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately preceding such commencement,
- shall be a citizen of India.

6. Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan.—Notwithstanding anything in article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this Constitution if—

(a) he or either of his parents or any of his grand-parents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted); and

(b)(i) in the case where such person has so migrated before the nineteenth day of July, 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration, or

(ii) in the case where such person has so migrated on or after the nineteenth day of July, 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the Government of the Dominion of India on an application made by him therefor to such officer before the commencement of this Constitution in the form and manner prescribed by that Government:

Provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least six months immediately preceding the date of his application.

7. Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan.—Notwithstanding anything in articles 5 and 6, a person who has after the first day of March, 1947, migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India:

भाग 2

नागरिकता

5. संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता—इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और—

(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था; या

(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था; या

(ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है,

भारत का नागरिक होगा ।

6. पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार—अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्यक्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा—

(क) यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था; और

(ख) (i) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है; या

(ii) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 को या उसके पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है:

परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम छह मास भारत के राज्यक्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा ।

7. पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार—अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च, 1947 के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा:

(Part II.—Citizenship)

Provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law and every such person shall for the purposes of clause (b) of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the nineteenth day of July, 1948.

8. Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India.—Notwithstanding anything in article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grand-parents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted), and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefor to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this Constitution, in the form and manner prescribed by the Government of the Dominion of India or the Government of India.

9. Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State not to be citizens.—No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

10. Continuance of the rights of citizenship.—Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

11. Parliament to regulate the right of citizenship by law.—Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.

(भाग 2—नागरिकता)

परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्यक्षेत्र को 19 जुलाई, 1948 के पश्चात् प्रव्रजन किया है ।

8. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार—अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है ।

9. विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना—यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा ।

10. नागरिकता के अधिकारों का बना रहना—प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा ।

11. संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना—इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी ।

PART III FUNDAMENTAL RIGHTS

General

12. Definition.—In this Part, unless the context otherwise requires, “the State” includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.

13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights.—(1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void.

(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void.

(3) In this article, unless the context otherwise requires,—

(a) “law” includes any Ordinance, order, bye-law, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law;

(b) “laws in force” includes laws passed or made by a Legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas.

¹[(4) Nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under article 368.]

Right to Equality

14. Equality before law.—The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

15. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.—(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to—

1. Ins. by the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971, s. 2 (w.e.f. 5-11-1971).

भाग 3 मूल अधिकार

साधारण

12. परिभाषा—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं ।

13. मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ—(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं ।

(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी ।

(3) इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “विधि” के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रुढ़ि या प्रथा है;

(ख) “प्रवृत्त विधि” के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है ।

¹[(4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी ।]

समता का अधिकार

14. विधि के समक्ष समता—राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा ।

15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध—(1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।

(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर—

1. संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 द्वारा (5-11-1971 से) अंतःस्थापित ।

THE CONSTITUTION OF INDIA

(Part III.—Fundamental Rights)

(a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment; or

(b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public.

(3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children.

¹[(4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.]

²[(5) Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30.]

³[(6) Nothing in this article or sub-clause (g) of clause (1) of article 19 or clause (2) of article 29 shall prevent the State from making,—

(a) any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses (4) and (5); and

(b) any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses (4) and (5) in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30, which in the case of reservation would be in addition to the existing reservations and subject to a maximum of ten per cent. of the total seats in each category.

1. Added by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 2 (w.e.f. 18-6-1951).

2. Ins. by the Constitution (Ninety-third Amendment) Act, 2005, s. 2 (w.e.f. 20-1-2006).

3. Ins. by the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019, s. 2 (w.e.f. 14-1-2019).

(भाग 3—मूल अधिकार)

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश; या

(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग,

के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा ।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

¹[(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।]

²[(5) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, विधि द्वारा, कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं ।]

³[(6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात, राज्य को,—

(क) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी; और

(ख) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होंगे ।

1. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 2 द्वारा (18-6-1951 से) जोड़ा गया ।

2. संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 द्वारा (20-1-2006 से) अन्तःस्थापित ।

3. संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 2 द्वारा (14-1-2019 से) अंतःस्थापित ।

(Part III.—Fundamental Rights)

Explanation.—For the purposes of this article and article 16, "economically weaker sections" shall be such as may be notified by the State from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage.]

16. Equality of opportunity in matters of public employment.—(1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State.

(3) Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing, in regard to a class or classes of employment or appointment to an office ¹[under the Government of, or any local or other authority within, a State or Union territory, any requirement as to residence within that State or Union territory] prior to such employment or appointment.

(4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.

²[(4A) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation ³[in matters of promotion, with consequential seniority, to any class] or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State.]

⁴[(4B) Nothing in this article shall prevent the State from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause (4) or clause (4A) as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of fifty per cent. reservation on total number of vacancies of that year.]

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for "under any State specified in the First Schedule or any local or other authority within its territory, any requirement as to residence within that State" (w.e.f. 1-11-1956).

2. Ins. by the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Act, 1995, s. 2 (w.e.f. 17-6-1995).

3. Subs. by the Constitution (Eighty-fifth Amendment) Act, 2001, s. 2, for certain words (retrospectively) (w.e.f. 17-6-1995).

4. Ins. by the Constitution (Eighty-first Amendment) Act, 2000, s. 2 (w.e.f. 9-6-2000).

(भाग 3—मूल अधिकार)

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए "आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग" वे होंगे, जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ।]

16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता—(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी ।

(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा ।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद् को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो ¹[किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है] ।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

²[(4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में ³[किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर, पारिणामिक ज्येष्ठता सहित, प्रोन्नति के मामलों में] आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।]

⁴[(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक् वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।]

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के या उसके क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन उस राज्य के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. संविधान (सतहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 द्वारा (17-6-1995 से) अंतःस्थापित ।

3. संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी प्रवाभ से) (17-6-1995 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4. संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा (9-6-2000 से) अंतःस्थापित ।

(Part III.—Fundamental Rights)

(5) Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination.

¹[(6) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause (4), in addition to the existing reservation and subject to a maximum of ten per cent. of the posts in each category.]

17. Abolition of Untouchability.—“Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.

18. Abolition of titles.—(1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.

(2) No citizen of India shall accept any title from any foreign State.

(3) No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the State, accept without the consent of the President any title from any foreign State.

(4) No person holding any office of profit or trust under the State shall, without the consent of the President, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign State.

Right to Freedom

19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.—

(1) All citizens shall have the right—

- (a) to freedom of speech and expression;
- (b) to assemble peaceably and without arms;
- (c) to form associations or unions ²[or co-operative societies];
- (d) to move freely throughout the territory of India;

1. Ins. by the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019, s. 3 (w.e.f. 14-1-2019).

2. Ins. by the Constitution (Ninety-seventh Amendment) Act, 2011, s. 2 (w.e.f. 8-2-2012).

(भाग 3—मूल अधिकार)

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो ।

¹[(6) इस अनुच्छेद की कोई बात, राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन, खंड (4) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।]

17. अस्पृश्यता का अंत—“अस्पृश्यता” का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है । “अस्पृश्यता” से उपजी किसी निर्याग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।

18. उपाधियों का अंत—(1) राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा ।

(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा ।

(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा ।

स्वातंत्र्य-अधिकार

19. वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण—(1) सभी नागरिकों को—

(क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का;

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का;

(ग) संगम या संघ ²[या सहकारी सोसाइटी] बनाने का;

(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का;

1. संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 3 द्वारा (14-1-2019 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 2 द्वारा (8-2-2012 से) अंतःस्थापित ।

THE CONSTITUTION OF INDIA

(Part III.—Fundamental Rights)

(e) to reside and settle in any part of the territory of India; ¹[and]

$$^2[(f)^* \quad * \quad * \quad * \quad *]$$

(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

³[(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of ⁴[the sovereignty and integrity of India], the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.]

(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of ⁴[the sovereignty and integrity of India or] public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.

(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of ⁴[the sovereignty and integrity of India or] public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.

(5) Nothing in ⁵[sub-clauses (d) and (e)] of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.

1. Ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 2 (w.e.f. 20-6-1979).

2. Sub-clause (f) omitted by s.2, *ibid.* (w.e.f. 20-6-1979).

3. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 3, for cl. (2) (with retrospective effect).

4. Ins. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 2 (w.e.f. 5-10-1963).

5. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 2, for "sub-clauses (d), (e) and (f)" (w.e.f. 20-6-1979).

(भाग 3—मूल अधिकार)

(ड) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का;¹[और]

²[(च)* * * * *]

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का,

अधिकार होगा ।

³[(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर ⁴[भारत की प्रभुता और अखंडता,] राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।]

(3) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर ⁴[भारत की प्रभुता और अखंडता या] लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।

(4) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर ⁴[भारत की प्रभुता और अखंडता या] लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।

(5) उक्त खंड के ⁵[उपखंड (घ) और उपखंड (ड)] की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।

1. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 2 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 2 द्वारा (20-6-1979 से) उपखंड (च) का लोप किया गया ।
3. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 2 द्वारा (5-10-1963 से) अंतःस्थापित ।
5. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 2 द्वारा (20-6-1979 से) "उपखंड (घ), उपखंड (ड) और उपखंड (च)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part III.—Fundamental Rights)

(6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, ¹[nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,—

(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business; or

(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.]

20. Protection in respect of conviction for offences.—(1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.

(2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.

(3) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.

21. Protection of life and personal liberty.—No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

²[**21A. Right to education.**—The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.]

22. Protection against arrest and detention in certain cases.—(1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.

1. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 3, for certain words (w.e.f. 18-6-1951).

2. Ins. by the Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002, s. 2 (w.e.f. 1-4-2010).

(भाग 3—मूल अधिकार)

(6) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी और विशिष्टतया ¹[उक्त उपखंड की कोई बात—

(i) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से; या

(ii) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारबार, उद्योग या सेवा, नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा, चलाए जाने से,

जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।]

20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण—(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी ।

(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा ।

(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।

21. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण—किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

²[**21क. शिक्षा का अधिकार—**राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा ।]

22. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण—(1) किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा ।

1. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 3 द्वारा (18-6-1951 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 द्वारा (1-4-2010 से) अन्तःस्थापित ।

(Part III.—Fundamental Rights)

(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.

(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply—

(a) to any person who for the time being is an enemy alien; or

(b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.

* (4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless—

(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:

* Cl. (4) shall stand substituted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 3 (date yet to be notified) as—

"(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than two months unless an Advisory Board constituted in accordance with the recommendations of the Chief Justice of the appropriate High Court has reported before the expiration of the said period of two months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:

Provided that an Advisory Board shall consist of a Chairman and not less than two other members, and the Chairman shall be a serving Judge of the appropriate High Court and the other members shall be serving or retired Judges of any High Court :

Provided further that nothing in this clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (a) of clause (7).

Explanation.—In this clause, "appropriate High Court" means,—

(i) in the case of the detention of a person in pursuance of an order of detention made by the Government of India or an officer or authority subordinate to that Government, the High Court for the Union territory of Delhi;

(ii) in the case of the detention of a person in pursuance of an order of detention made by the Government of any State (other than a Union territory), the High Court for that State; and

(iii) in the case of the detention of a person in pursuance of an order of detention made by the administrator of a Union territory or an officer or authority subordinate to such administrator, such High Court as may be specified by or under any law made by Parliament in this behalf."

(भाग 3—मूल अधिकार)

(2) प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा ।

(3) खंड (1) और खंड (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो,—

(क) तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है; या

(ख) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है ।

“(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का तीन मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि—

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं:

* संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 3 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से, जो कि अधिसूचित नहीं हुई है) खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा—

“(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का दो मास से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि समुचित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश के अनुसार गठित सलाहकार बोर्ड ने उक्त दो मास की अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं:

परंतु सलाहकार बोर्ड एक अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और अध्यक्ष समुचित उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और अन्य सदस्य किसी उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे :

परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड (7) के उपखंड (क) के अधीन संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस खंड में, “समुचित उच्च न्यायालय” से अभिप्रेत है,—

(i) भारत सरकार या उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय;

(ii) (संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न) किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में, उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय; और

(iii) किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या ऐसे प्रशासक के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में वह उच्च न्यायालय जो संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए ।” ।

(Part III.—Fundamental Rights)

Provided that nothing in this sub-clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (b) of clause (7); or

(b) such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under sub-clauses (a) and (b) of clause (7).

(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.

(6) Nothing in clause (5) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose.

(7) Parliament may by law prescribe—

*(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4);

** (b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention; and

*** (c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under **** sub-clause (a) of clause (4).

* Sub-clause (a) shall stand omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 3(b)(i) (date to be notified).

** Sub-clause (b) shall stand re-lettered as sub-clause (a) by s. 3(b)(ii), *ibid.* (date to be notified).

*** Sub-clause (c) shall stand re-lettered as sub-clause (b) by s. 3(b)(iii), *ibid.* (date to be notified).

**** Sub-clause (a) of clause (4) shall stand substituted as "clause (4)" by s. 3(b)(iii), *ibid.* (date to be notified).

(भाग 3—मूल अधिकार)

परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड (7) के उपखंड (ख) के अधीन संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को खंड (7) के उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन संसद् द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है ।

(5) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्रातिशोध अवसर देगा ।

(6) खंड (5) की किसी बात से ऐसा आदेश, जो उस खंड में निर्दिष्ट है, करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है ।

(7) संसद् विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि—

“(क) किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिए खंड (4) के उपखंड (क) के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा;

“(ख) किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा; और

“(ग) [खंड (4) के उपखंड (क)] के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी ।

* संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 3(ख)(i) द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) उपखंड (क) का लोप किया गया ।

** संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 3(ख)(ii) द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) उपखंड (ख) को उपखंड (क) के रूप में पुनःअक्षान्तित किया जाएगा ।

*** संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 3(ख)(iii) द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) उपखंड (ग) को उपखंड (ख) के रूप में पुनःअक्षान्तित किया जाएगा ।

**** संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 3(ख)(iii) द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) “खंड (4) के उपखंड (क)” के रूप में “खंड (4)” प्रतिस्थापित ।

(Part III.—Fundamental Rights)

*Right against Exploitation***23. Prohibition of traffic in human beings and forced labour.**—(1)

Traffic in human beings and *begar* and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them.

24. Prohibition of employment of children in factories, etc.—No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.

Right to Freedom of Religion

25. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.—(1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion.

(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—

(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;

(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.

Explanation I.—The wearing and carrying of *kirpans* shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.

Explanation II.—In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly.

26. Freedom to manage religious affairs.—Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—

(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;

(भाग 3—मूल अधिकार)

शोषण के विरुद्ध अधिकार

23. मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध—(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलातश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी । ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।

24. कारखानों, आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध—चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा ।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

25. अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता—(1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा ।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो—

(क) धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बन्धन करती है;

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है ।

स्पष्टीकरण 1—कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिक्ख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—खंड (2) के उपखंड (ख) में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ।

26. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता—लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को—

(क) धार्मिक और पूर्ण प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,

(Part III.—Fundamental Rights)

- (b) to manage its own affairs in matters of religion;
- (c) to own and acquire movable and immovable property; and
- (d) to administer such property in accordance with law.

27. Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion.—No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination.

28. Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions.—(1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.

(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.

(3) No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto.

Cultural and Educational Rights

29. Protection of interests of minorities.—(1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

30. Right of minorities to establish and administer educational institutions.—(1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

(भाग 3—मूल अधिकार)

(ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का;

(ग) जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का; और

(घ) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का,

अधिकार होगा ।

27. किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता—किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं ।

28. कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता—(1) राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ।

(2) खंड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है ।

(3) राज्य से मान्यताप्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है ।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

29. अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण—(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा ।

(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा ।

30. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार—(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा ।

(Part III.—Fundamental Rights)

¹[(1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority, referred to in clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause.]

(2) The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.

2*

*

*

*

31. [*Compulsory acquisition of property.*].—*Omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 6 (w.e.f. 20-6-1979).*

³[*Saving of Certain Laws*]

⁴**[31A. Saving of laws providing for acquisition of estates, etc.—**

⁵[(1) Notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for—

(a) the acquisition by the State of any estate or of any rights therein or the extinguishment or modification of any such rights; or

(b) the taking over of the management of any property by the State for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property; or

(c) the amalgamation of two or more corporations either in the public interest or in order to secure the proper management of any of the corporations; or

(d) the extinguishment or modification of any rights of managing agents, secretaries and treasurers, managing directors, directors or managers of corporations, or of any voting rights of shareholders thereof; or

1. Ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 4 (w.e.f. 20-6-1979).

2. Sub-heading "Right to Property" omitted by s. 5, *ibid.* (w.e.f. 20-6-1979).

3. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 3 (w.e.f. 3-1-1977).

4. Ins. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 4, (with retrospective effect).

5. Subs. by the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955, s. 3, for cl. (1) (with retrospective effect).

(भाग 3—मूल अधिकार)

¹[(1क) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए ।]

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है ।

2*

*

*

*

31. [संपत्ति का अनिवार्य अर्जन ।]—संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 6 द्वारा (20-6-1979 से) निरसित ।

³[कुछ विधियों की व्यावृत्ति]

⁴[31क. संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति—
⁵[(1) अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए; या

(ख) किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने के लिए; या

(ग) दो या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित करने के लिए; या

(घ) निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेरधारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए; या

1. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 4 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 5 द्वारा (20-6-1979 से) उपशोर्ष "संपत्ति का अधिकार" का लोप किया गया ।

3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

4. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 4 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित ।

5. संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part III.—Fundamental Rights)

(e) the extinguishment or modification of any rights accruing by virtue of any agreement, lease or licence for the purpose of searching for, or winning, any mineral or mineral oil, or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or licence,

shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by ¹[article 14 or article 19]:

Provided that where such law is a law made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent:]

²[Provided further that where any law makes any provision for the acquisition by the State of any estate and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the State to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or appurtenant thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure, provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof.]

(2) In this article,—

³[(a) the expression “estate” shall, in relation to any local area, have the same meaning as that expression or its local equivalent has in the existing law relating to land tenures in force in that area and shall also include—

(i) any *jagir*, *inam* or *muafi* or other similar grant and in the States of ⁴[Tamil Nadu] and Kerala, any *janmam* right;

(ii) any land held under ryotwari settlement;

(iii) any land held or let for purposes of agriculture or for purposes ancillary thereto, including waste land, forest land, land for pasture or sites of buildings and other structures occupied by cultivators of land, agricultural labourers and village artisans;]

1. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 7, for "article 14, article 19 or article 31" (w.e.f. 20-6-1979).

2. Ins. by the Constitution (Seventeenth Amendment) Act, 1964, s. 2(i) (w.e.f. 20-6-1964).

3. Subs. by s.2(ii), *ibid.*, for sub-clause (a) (with retrospective effect).

4. Subs. by the Madras State (Alteration of Name) Act, 1968 (53 of 1968), s. 4, for "Madras" (w.e.f. 14-1-1969).

(भाग 3—मूल अधिकार)

(ड) किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए,

उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह ¹[अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19] द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है:

परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि है वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है:]

²[परंतु यह और कि जहां किसी विधि में किसी संपदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहां उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है वहां राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को, जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार-मूल्य से कम नहीं होगी।]

(2) इस अनुच्छेद में,—

³[(क) “संपदा” पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भू-धृतियों से संबंधित विद्यमान विधि में है और इसके अंतर्गत—

(i) कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसे ही अन्य अनुदान और ⁴[तमिलनाडु] और केरल राज्यों में कोई जन्मम् अधिकार भी होगा;

(ii) रैयतबाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी;

(iii) कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए धृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी, जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चरागाह या भूमि के कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं:]

1. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 7 द्वारा (20-6-1979 से) “अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 की धारा 2(i) द्वारा (20-6-1964 से) अंतःस्थापित।
3. संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 की धारा 2(ii) द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) उपखंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 53) की धारा 4 द्वारा (14-1-1969 से) “मद्रास” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part III.—Fundamental Rights)

(b) the expression “rights”, in relation to an estate, shall include any rights vesting in a proprietor, sub-proprietor, under-proprietor, tenure-holder, ¹[*raiyat, under-raiyat*] or other intermediary and any rights or privileges in respect of land revenue.]

²[**31B. Validation of certain Acts and Regulations.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or Tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force.]

³[**31C. Saving of laws giving effect to certain directive principles.**—Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing ⁴[all or any of the principles laid down in Part IV] shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by ⁵[article 14 or article 19;] ⁶[*and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy*]:

Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.]

⁷**31D.** [*Saving of laws in respect of anti-national activities.*].—Omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 2 (w.e.f. 13-4-1978).

1. Ins. by the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955, s. 3 (with retrospective effect).

2. Ins. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 5 (w.e.f. 18-6-1951).

3. Ins. by the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Act, 1971, s. 3 (w.e.f. 20-4-1972).

4. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 4, for “the principles specified in clause (b) or clause (c) of article 39” (w.e.f. 3-1-1977). Section 4 has been declared invalid by the Supreme Court in *Minerva Mills Ltd. and Others Vs Union of India and Others*, AIR 1980 SC 1789.

5. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 8, for “article 14, article 19 or article 31” (w.e.f. 20-6-1979).

6. The words in italics struck down by the Supreme Court in *Kesavananda Bharati vs. State of Kerala*, AIR 1973, SC 1461.

7. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 5 (w.e.f. 03-01-1977).

(भाग 3—मूल अधिकार)

(ख) “अधिकार” पद के अंतर्गत, किसी संपदा के संबंध में, किसी स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, भू-धृतिधारक, ¹[रैयत, अवर रैयत] या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू-राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे।

²[31ख. कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण—अनुच्छेद 31क में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम, विनियम या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक, उसे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधान-मंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त बना रहेगा।]

³[31ग. कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति—अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी, कोई विधि, जो ⁴[भाग 4 में अधिकथित सभी या किन्हीं तत्वों] को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह ⁵[अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19] द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है ⁶[और कोई विधि, जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है]:

परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई जाती है वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है।

⁷31घ. [राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति।]—संविधान (तैत्तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 2 द्वारा (13-4-1978 से) लोप किया गया।

1. संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित।
2. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 5 द्वारा (18-6-1951 से) अंतःस्थापित।
3. संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (20-4-1972 से) अंतःस्थापित।
4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 4 द्वारा (3-1-1977 से) “अनुच्छेद 39 के खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों” के स्थान पर प्रतिस्थापित। धारा 4 को उच्चतम न्यायालय द्वारा, मिर्नवा मिल्स लि० और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ए.आई.आर. 1980 एस०सी० 1789 में अविधिमान्य घोषित कर दिया गया।
5. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 8 द्वारा (20-6-1979 से) “अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. उच्चतम न्यायालय ने, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ए.आई.आर. 1973 एस०सी० 1461 में इटैलिक में लिखे गए शब्दों को निष्प्रभावी कर दिया है।
7. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 5 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित।

(Part III.—Fundamental Rights)

*Right to Constitutional Remedies***32. Remedies for enforcement of rights conferred by this Part.—**(1)

The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.

(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of *habeas corpus*, *mandamus*, prohibition, *quo warranto* and *certiorari*, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.

(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).

(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.

¹**32A.** [*Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32.*].—Omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 3 (w.e.f. 13-4-1978).

²**[33. Power of Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to Forces, etc.]**—Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,—

(a) the members of the Armed Forces; or

(b) the members of the Forces charged with the maintenance of public order; or

(c) persons employed in any bureau or other organisation established by the State for purposes of intelligence or counter intelligence; or

(d) person employed in, or in connection with, the telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c),

be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.]

1. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 6 (w.e.f. 1-2-1977).

2. Subs. by the Constitution (Fiftieth Amendment) Act, 1984, s. 2, for art. 33 (w.e.f. 11-9-1984).

(भाग 3—मूल अधिकार)

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

32. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार—(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है ।

(2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हों, निकालने की शक्ति होगी ।

(3) उच्चतम न्यायालय को खंड (1) और खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद्, उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड (2) के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी ।

(4) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निर्लंबित नहीं किया जाएगा ।

¹32क. [राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना ।]—संविधान (तैतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 3 द्वारा (13-4-1978 से) लोप किया गया ।

²33. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों, आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद् की शक्ति—संसद्, विधि द्वारा, अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई,—

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों को; या

(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखने का भारसाधन करने वाले बलों के सदस्यों को; या

(ग) आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को; या

(घ) खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को, लागू होने में, किस विस्तार तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे ।।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 2 द्वारा (11-9-1984 से) अनुच्छेद 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part III.—Fundamental Rights)

34. Restriction on rights conferred by this Part while martial law is in force in any area.—Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area.

35. Legislation to give effect to the provisions of this Part.—Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have, power to make laws—

(i) with respect to any of the matters which under clause (3) of article 16, clause (3) of article 32, article 33 and article 34 may be provided for by law made by Parliament; and

(ii) for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this Part,

and Parliament shall, as soon as may be after the commencement of this Constitution, make laws for prescribing punishment for the acts referred to in sub-clause (ii);

(b) any law in force immediately before the commencement of this Constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in sub-clause (i) of clause (a) or providing for punishment for any act referred to in sub-clause (ii) of that clause shall, subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made therein under article 372, continue in force until altered or repealed or amended by Parliament.

Explanation.—In this article, the expression "law in force" has the same meaning as in article 372.

(भाग 3—मूल अधिकार)

34. जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन—इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद् विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां सेना विधि प्रवृत्त थी, व्यवस्था के बनाए रखने या पुनःस्थापन के संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदिष्ट समपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी।

35. इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) संसद् को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधान-मंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह—

(i) जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद् विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी उनमें से किसी के लिए; और

(ii) ऐसे कार्यों के लिए, जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए,

विधि बनाए और संसद् इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए, जो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी;

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्त विधि, जो भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उसका संसद् द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में, “प्रवृत्त विधि” पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में

है।

PART IV

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

36. Definition.—In this Part, unless the context otherwise requires, “the State” has the same meaning as in Part III.

37. Application of the principles contained in this Part.—The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.

38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people.—¹[(1)] The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.

²[(2)] The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations.]

39. Certain principles of policy to be followed by the State.—The State shall, in particular, direct its policy towards securing—

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;

(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;

(d) that there is equal pay for equal work for both men and women;

(e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength;

1. Art. 38 renumbered as cl. (1) by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 9 (w.e.f. 20-6-1979).

2. Ins. by s. 9, *ibid.* (w.e.f. 20-6-1979).

भाग 4

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

36. परिभाषा— इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” का वही अर्थ है जो भाग 3 में है ।

37. इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना— इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा ।

38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा— ¹[(1)] राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा ।

²[(2)] राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा ।]

39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व— राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मचारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

1. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 9 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 38 को खंड (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 9 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित ।

(Part IV.— Directive Principles of State Policy)

¹[(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.]

²[39A. **Equal justice and free legal aid.**—The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.]

40. Organisation of village panchayats.—The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.

41. Right to work, to education and to public assistance in certain cases.—The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.

42. Provision for just and humane conditions of work and maternity relief.—The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.

43. Living wage, etc., for workers.—The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.

³[43A. **Participation of workers in management of industries.**—The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organisations engaged in any industry.]

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 7, for cl. (f) (w.e.f. 3-1-1977).

2. Ins. by s. 8, *ibid.* (w.e.f. 3-1-1977).

3. Ins. by s. 9, *ibid.* (w.e.f. 3-1-1977).

(भाग 4—राज्य की नीति के निदेशक तत्व)

¹[(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय्य व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए ।]

²[39क. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता— राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्यायता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा ।]

40. ग्राम पंचायतों का संगठन— राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों ।

41. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार— राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा ।

42. काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध— राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा ।

43. कर्मचारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आदि— राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मचारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा ।

³[43क. उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारों का भाग लेना— राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मचारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा ।]

-
1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 7 द्वारा (3-1-1977 से) खंड (च) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 8 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।
 3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 9 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

(Part IV.— Directive Principles of State Policy)

¹[**43B. Promotion of co-operative societies.**—The State shall endeavour to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of co-operative societies.]

44. Uniform civil code for the citizens.—The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

²[**45. Provision for early childhood care and education to children below the age of six years.**—The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.]

46. Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections.—The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

47. Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health.—The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

48. Organisation of agriculture and animal husbandry.—The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.

³[**48A. Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life.**—The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.]

1. Ins. by the Constitution (Ninety-seventh Amendment) Act, 2011, s. 3 (w.e.f. 15-2-2012).

2. Subs. by the Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002, s. 3, for art. 45 (w.e.f. 1-4-2010).

3. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 10 (w.e.f. 3-1-1977).

(भाग 4—राज्य की नीति के निदेशक तत्व)

¹[43ख. सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन—राज्य, सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा ।]

44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता—राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ।

²[45. छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध—राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा ।]

46. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि—राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।

47. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य—राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा ।

48. कृषि और पशुपालन का संगठन—राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारु और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा ।

³[48क. पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा—राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा ।]

1. संविधान (सतानेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा (15-2-2012 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 3 द्वारा (1-4-2010 से) अनुच्छेद 45 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 10 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

(Part IV.— Directive Principles of State Policy)

49. Protection of monuments and places and objects of national importance.—It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, ¹[declared by or under law made by Parliament] to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.

50. Separation of judiciary from executive.—The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

51. Promotion of international peace and security.—The State shall endeavour to—

- (a) promote international peace and security;
- (b) maintain just and honourable relations between nations;
- (c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another; and
- (d) encourage settlement of international disputes by arbitration.

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 27, for "declared by Parliament by law" (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 4—राज्य की नीति के निदेशक तत्व)

49. राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण—¹[संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व वाले ¹[घोषित किए गए] कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी ।

50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण—राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य कदम उठाएगा ।

51. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि—राज्य,—

(क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का;

(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का;

(ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का; और

(घ) अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का,

प्राप्त करेगा ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 द्वारा (1-11-1956 से) "संसद् द्वारा विधि द्वारा घोषित" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[PART IVA

FUNDAMENTAL DUTIES

51A. Fundamental duties.—It shall be the duty of every citizen of India—

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;]

²[(k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.]

1. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 11 (w.e.f. 3-1-1977).

2. Ins. by the Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002, s. 4 (w.e.f. 1-4-2010).

¹[भाग 4क

मूल कर्तव्य

51क. मूल कर्तव्य— भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे ;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जनार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले;]

²[(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।]

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 11 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा (1-4-2010 से) अंतःस्थापित ।

PART V THE UNION

CHAPTER I.—THE EXECUTIVE

The President and Vice-President

52. The President of India.—There shall be a President of India.

53. Executive power of the Union.—(1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the Defence Forces of the Union shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law.

(3) Nothing in this article shall—

(a) be deemed to transfer to the President any functions conferred by any existing law on the Government of any State or other authority; or

(b) prevent Parliament from conferring by law functions on authorities other than the President.

54. Election of President.—The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—

(a) the elected members of both Houses of Parliament; and

(b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.

¹[*Explanation.*—In this article and in article 55, “State” includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of *Puducherry.]

55. Manner of election of President.—(1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.

(2) For the purpose of securing such uniformity among the States *inter se* as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner:—

(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly;

1. Ins. by the Constitution (Seventieth Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 1-6-1995).

* Now Puducherry *vide* the Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006), s. 3 (w.e.f. 1-10-2006).

अध्याय 1-कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

52. भारत का राष्ट्रपति— भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।

53. संघ की कार्यपालिका शक्ति— (1) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा ।

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा ।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात—

(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी; या

(ख) राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद् को निवारित नहीं करेगी ।

54. राष्ट्रपति का निर्वाचन—राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें—

(क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और

(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य,

होंगे ।

¹[स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में, “राज्य” के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और “पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र हैं ।]

55. राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति— (1) जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी ।

(2) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद् और प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए;

1. संविधान (सतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (1-6-1995 से) अंतःस्थापित ।

* पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 3 द्वारा (1-10-2006 से) अब यह पुडुचेरी है ।

(Part V.—The Union)

(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;

(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding one-half being counted as one and other fractions being disregarded.

(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

¹[*Explanation*.—In this article, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

Provided that the reference in this *Explanation* to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year ²[2026] have been published, be construed as a reference to the 1971 census.]

56. Term of office of President.—(1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

Provided that—

(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;

(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;

(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

(2) Any resignation addressed to the Vice-President under clause (a) of the proviso to clause (1) shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People.

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 12, for the *Explanation* (w.e.f. 3-1-1977).

2. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 2, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).

(भाग 5—संघ)

(ख) यदि एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष पांच सौ से कम नहीं है तो उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा;

(ग) संसद् के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को, संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी।

(3) राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

¹[स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद में, “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं:

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् ²[2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है।]

56. राष्ट्रपति की पदावधि—(1) राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा:

परंतु—

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा;

(ग) राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) खंड (1) के परंतुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष को तुरन्त दी जाएगी।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 12 द्वारा (3-1-1977 से) स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 2 द्वारा (21-2-2002 से) “2000” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part V.—The Union)

57. Eligibility for re-election.—A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

58. Qualifications for election as President.—(1) No person shall be eligible for election as President unless he—

(a) is a citizen of India,

(b) has completed the age of thirty-five years, and

(c) is qualified for election as a member of the House of the People.

(2) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.

Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor ^{1***} of any State or is a Minister either for the Union or for any State.

59. Conditions of President's office.—(1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.

(2) The President shall not hold any other office of profit.

(3) The President shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.

(4) The emoluments and allowances of the President shall not be diminished during his term of office.

60. Oath or affirmation by the President.—Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or, in his absence, the senior-most Judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say—

1. The words "or Rajpramukh or Uparajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 5—संघ)

57. पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता— कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

58. राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं— (1) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है; और

(ग) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।

(2) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है ^{1***} अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

59. राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें— (1) राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(2) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

(3) राष्ट्रपति, बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियाँ, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद, विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियाँ, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।

(4) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।

60. राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान— प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्:—

1. संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।

(Part V.—The Union)

"I, A.B., do swear in the name of God that I will faithfully execute the office solemnly affirm

of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India."

61. Procedure for impeachment of the President.—(1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.

(2) No such charge shall be preferred unless—

(a) the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least fourteen days' notice in writing signed by not less than one-fourth of the total number of members of the House has been given of their intention to move the resolution, and

(b) such resolution has been passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House.

(3) When a charge has been so preferred by either House of Parliament, the other House shall investigate the charge or cause the charge to be investigated and the President shall have the right to appear and to be represented at such investigation.

(4) If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the President from his office as from the date on which the resolution is so passed.

62. Time of holding election to fill vacancy in the office of President and the term of office of person elected to fill casual vacancy.—(1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.

(2) An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy; and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

63. The Vice-President of India.—There shall be a Vice-President of India.

64. The Vice-President to be *ex officio* Chairman of the Council of States.—The Vice-President shall be *ex officio* Chairman of the Council of the States and shall not hold any other office of profit:

(भाग 5—संघ)

ईश्वर की शपथ लेता हूँ

“मैं, अमुक ----- कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन (अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा।”।

61. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया— (1) जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद् का कोई सदन आरोप लगाएगा।

(2) ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि—

(क) ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात् प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है; और

(ख) उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है।

(3) जब आरोप संसद् के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।

(4) यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा।

62. राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि— (1) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

(2) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दश में छह मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

63. भारत का उपराष्ट्रपति— भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

64. उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना— उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा:

(Part V.—The Union)

Provided that during any period when the Vice-President acts as President or discharges the functions of the President under article 65, he shall not perform the duties of the office of Chairman of the Council of States and shall not be entitled to any salary or allowance payable to the Chairman of the Council of States under article 97.

65. The Vice-President to act as President or to discharge his functions during casual vacancies in the office, or during the absence, of President.—(1) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation or removal, or otherwise, the Vice-President shall act as President until the date on which a new President elected in accordance with the provisions of this Chapter to fill such vacancy enters upon his office.

(2) When the President is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Vice-President shall discharge his functions until the date on which the President resumes his duties.

(3) The Vice-President shall, during, and in respect of, the period while he is so acting as, or discharging the functions of, President, have all the powers and immunities of the President and be entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.

66. Election of Vice-President.—(1) The Vice-President shall be elected by the ¹[members of an electoral college consisting of the members of both Houses of Parliament] in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

(2) The Vice-President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected Vice-President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Vice-President.

(3) No person shall be eligible for election as Vice-President unless he—

(a) is a citizen of India;

(b) has completed the age of thirty-five years; and

1. Subs. by the Constitution (Eleventh Amendment) Act, 1961, s. 2, for "members of both Houses of Parliament assembled at a joint meeting" (w.e.f. 19-12-1961).

(भाग 5—संघ)

परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।

65. राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन—

(1) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है।

(2) जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

(3) उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में, जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।

66. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन—(1) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन '[संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों] द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

(2) उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(3) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है; और

1. संविधान (ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 द्वारा (19-12-1961 से) "संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part V.—The Union)

(c) is qualified for election as a member of the Council of States.

(4) A person shall not be eligible for election as Vice-President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.

Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor ^{1***} of any State or is a Minister either for the Union or for any State.

67. Term of office of Vice-President.—The Vice-President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

Provided that—

(a) a Vice-President may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;

(b) a Vice-President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People; but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution;

(c) a Vice-President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

68. Time of holding election to fill vacancy in the office of Vice-President and the term of office of person elected to fill casual vacancy.—

(1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of Vice-President shall be completed before the expiration of the term.

(2) An election to fill a vacancy in the office of Vice-President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 67, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

69. Oath or affirmation by the Vice-President.—Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the

1. The words "or Rajpramukh or Uparajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 5—संघ)

(ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है ।

(4) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है ^{1***} अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है ।

67. उपराष्ट्रपति की पदावधि— उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा:

परंतु—

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो;

(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं करता है ।

68. उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि— (1) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा ।

(2) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा ।

69. उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान— प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।

(Part V.—The Union)

President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say—

"I, A.B., do swear in the name of God that I will bear true faith and solemnly affirm

allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter."

70. Discharge of President's functions in other contingencies.—

Parliament may make such provision as it thinks fit for the discharge of the functions of the President in any contingency not provided for in this Chapter.

¹[**71. Matters relating to, or connected with, the election of a President or Vice-President.**—(1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice-President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.

(2) If the election of a person as President or Vice-President is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice-President, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration.

(3) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a President or Vice-President.

(4) The election of a person as President or Vice-President shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him.]

72. Power of President to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases.—(1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence—

(a) in all cases where the punishment or sentence is by a Court Martial;

1. Subs. by the Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975, s. 2 (w.e.f 10-8-1975) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 10. (w.e.f. 20-6-1979).

निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्:—

ईश्वर की शपथ लेता हूँ

“मैं, अमुक ----- कि मैं विधि द्वारा स्थापित सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा ।”।

70. अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन—संसद्, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

1[71. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय—(1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे ।

(3) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद् विधि द्वारा कर सकेगी ।

(4) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।]

72. क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति—(1) राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की—

(क) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है;

1. संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 2 द्वारा (10-8-1975 से) प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 10 द्वारा (20-6-1979 से) प्रतिस्थापित ।

(Part V.—The Union)

(b) in all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends;

(c) in all cases where the sentence is a sentence of death.

(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the power conferred by law on any officer of the Armed Forces of the Union to suspend, remit or commute a sentence passed by a Court Martial.

(3) Nothing in sub-clause (c) of clause (1) shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the Governor ^{1***} of a State under any law for the time being in force.

73. Extent of executive power of the Union.—(1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend—

(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and

(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:

Provided that the executive power referred to in sub-clause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State ^{2***} to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.

(2) Until otherwise provided by Parliament, a State and any officer or authority of a State may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that State such executive power or functions as the State or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this Constitution.

1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 5—संघ)

(ख) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है;

(ग) उन सभी मामलों में, जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है, शक्ति होगी ।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी आफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(3) खंड (1) के उपखंड (ग) की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल ^{1***} द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

73. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार—(1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार—

(क) जिन विषयों के संबंध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है उन तक; और

(ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक,

होगा:

परंतु इस संविधान में या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, उपखंड (क) में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी ^{2***} राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है ।

(2) जब तक संसद् अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में, जिनके संबंध में संसद् को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में उल्लिखित" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।

(Part V.—The Union)

Council of Ministers

74. Council of Ministers to aid and advise President.—¹[(1) There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice:]

²[Provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration.]

(2) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the President shall not be inquired into in any court.

75. Other provisions as to Ministers.—(1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

³[(1A) The total number of Ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed fifteen per cent. of the total number of members of the House of the People.

(1B) A member of either House of Parliament belonging to any political party who is disqualified for being a member of that House under paragraph 2 of the Tenth Schedule shall also be disqualified to be appointed as a Minister under clause (1) for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire or where he contests any election to either House of Parliament before the expiry of such period, till the date on which he is declared elected, whichever is earlier.]

(2) The Ministers shall hold office during the pleasure of the President.

(3) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.

(4) Before a Minister enters upon his office, the President shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule.

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s.13, for cl. (1) (w.e.f. 3-1-1977).

2. Ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 11 (w.e.f. 20-6-1979).

3. Ins. by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, s. 2 (w.e.f. 1-1-2004).

74. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्— ¹[(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा:]

²[परंतु राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।]

(2) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।

75. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध— (1) प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की सलाह पर करेगा।

³[(1क) मंत्रि-परिषद् में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(1ख) किसी राजनीतिक दल का संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद् के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा।]

(2) मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।

(3) मंत्रि-परिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(4) किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा (3-1-1977 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 11 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित।

3. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (1-1-2004 से) अंतःस्थापित।

(Part V.—The Union)

(5) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be a Minister.

(6) The salaries and allowances of Ministers shall be such as Parliament may from time to time by law determine and, until Parliament so determines, shall be as specified in the Second Schedule.

The Attorney-General for India

76. Attorney-General for India.—(1) The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court to be Attorney-General for India.

(2) It shall be the duty of the Attorney-General to give advice to the Government of India upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the President, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.

(3) In the performance of his duties the Attorney-General shall have right of audience in all courts in the territory of India.

(4) The Attorney-General shall hold office during the pleasure of the President, and shall receive such remuneration as the President may determine.

Conduct of Government Business

77. Conduct of business of the Government of India.—(1) All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.

(2) Orders and other instruments made and executed in the name of the President shall be authenticated in such manner as may be specified in rules¹ to be made by the President, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the President.

(3) The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India, and for the allocation among Ministers of the said business.

²(4) * * * *

1. See notifiñ No. S.O. 2297, dated the 3rd November, 1958, Gazette of India, Extraordinary, Pt. II, Sec. 3 (ii), p. 1315, as amended from time to time.

2. Cl. (4) was ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s.14 (w.e.f. 3-1-1977) and omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 12 (w.e.f. 20-6-1979).

(भाग 5—संघ)

(5) कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

(6) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद, विधि द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

भारत का महान्यायवादी

76. भारत का महान्यायवादी—(1) राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा।

(2) महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों।

(3) महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।

(4) महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे।

सरकारी कार्य का संचालन

77. भारत सरकार के कार्य का संचालन—(1) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी।

(2) राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों¹ में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।

(3) राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा।

²(4)*

*

*

*

1. देखिए समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 2297, तारीख 3 नवंबर, 1958, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृष्ठ 1315।

2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 14 द्वारा (3-1-1977 से) खंड (4) अंतःस्थापित किया गया था और संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 12 द्वारा (20-6-1979 से) उसका लोप किया गया।

(Part V.—The Union)

78. Duties of Prime Minister as respects the furnishing of information to the President, etc.—It shall be the duty of the Prime Minister—

(a) to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation;

(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for; and

(c) if the President so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.

CHAPTER II.—PARLIAMENT

General

79. Constitution of Parliament.—There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People.

80. Composition of the Council of States.—(1) ¹[^{2***} The Council of States] shall consist of—

(a) twelve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause (3); and

(b) not more than two hundred and thirty-eight representatives of the States ³[and of the Union territories].

(2) The allocation of seats in the Council of States to be filled by representatives of the States ³[and of the Union territories] shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the Fourth Schedule.

(3) The members to be nominated by the President under sub-clause (a) of clause (1) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely:—

Literature, science, art and social service.

1. Subs. by the Constitution (Thirty-fifth Amendment) Act, 1974, s. 3, for "The Council of States" (w.e.f. 1-3-1975).

2. The words "Subject to the provisions of para. 4 of the Tenth Schedule," omitted by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 5 (w.e.f. 26-4-1975).

3. Added by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 3 (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 5—संघ)

78. राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य—प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे;

(ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे; और

(ग) किसी विषय को, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे ।

अध्याय 2—संसद्

साधारण

79. संसद् का गठन—संघ के लिए एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे ।

80. राज्य सभा की संरचना—(1)^{1[2***} राज्य सभा]

(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाने वाले बारह सदस्यों; और

(ख) राज्यों के ³[और संघ राज्यक्षेत्रों के] दो सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों,

से मिलकर बनेगी ।

(2) राज्य सभा में राज्यों के और ³[और संघ राज्यक्षेत्रों के] प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आबंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा ।

(3) राष्ट्रपति द्वारा खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्:—

साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा ।

1. संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा (1-3-1975 से) "राज्य सभा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) "दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्दों का लोप किया गया ।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा (1-11-1956 से) जोड़ा गया ।

(Part V.—The Union)

(4) The representatives of each State ^{1***} in the Council of States shall be elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) The representatives of the ²[Union territories] in the Council of States shall be chosen in such manner as Parliament may by law prescribe.

³**[81. Composition of the House of the People.—**(1) ⁴[Subject to the provisions of article 331 ^{5***}], the House of the People shall consist of—

(a) not more than ⁶[five hundred and thirty members] chosen by direct election from territorial constituencies in the States; and

(b) not more than ⁷[twenty members] to represent the Union territories, chosen in such manner as Parliament may by law provide.

(2) For the purposes of sub-clause (a) of clause (1),—

(a) there shall be allotted to each State a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between that number and the population of the State is, so far as practicable, the same for all States; and

(b) each State shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is, so far as practicable, the same throughout the State:

⁸[Provided that the provisions of sub-clause (a) of this clause shall not be applicable for the purpose of allotment of seats in the House of the People to any State so long as the population of that State does not exceed six millions.]

1. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 3 (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by s. 3, *ibid.* for "States specified in Part C of First Schedule" (w.e.f. 1-11-1956).

3. Subs. by s. 4, *ibid.* for arts. 81 and 82 (w.e.f. 1-11-1956).

4. Subs. by the Constitution (Thirty-fifth Amendment) Act, 1974, s. 4, for "subject to the provisions of art. 331" (w.e.f. 1-3-1975).

5. The words and figure "and para. 4 of the Tenth Schedule" omitted by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 5 (w.e.f. 26-4-1975).

6. Subs. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), s. 63, for "five hundred and twenty-five members" (w.e.f. 30-5-1987).

7. Subs. by the Constitution (Thirty-first Amendment) Act, 1973, s. 2, for "twenty-five members" (w.e.f. 17-10-1973).

8. Ins. by s. 2, *ibid.* (w.e.f. 17-10-1973).

(भाग 5—संघ)

(4) राज्य सभा में प्रत्येक ^{1***} राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

(5) राज्य सभा में ²[संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे।

³[81. लोक सभा की संरचना—(1) ⁴[अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ^{5***}] लोक सभा—

(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए ⁶[पांच सौ तीस] से अनधिक ⁶[सदस्यों]; और

(ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से, जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए ⁷[बीस] से अनधिक ⁷[सदस्यों],

से मिलकर बनेगी।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक राज्य को लोक सभा में स्थानों का आबंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो; और

(ख) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो:

⁸[परन्तु इस खंड के उपखंड (क) के उपबंध किसी राज्य को लोक सभा में स्थानों के आबंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या साठ लाख से अधिक नहीं हो जाती है।]

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा (1-11-1956 से) अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 4 द्वारा (1-3-1975 से) "अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) "और दसवीं अनुसूची के पैरा 4" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।
6. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 63 द्वारा (30-5-1987 से) "पांच सौ पच्चीस सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा (17-10-1973 से) "पच्चीस सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा (17-10-1973 से) अंतःस्थापित।

(Part V.—The Union)

(3) In this article, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

¹[Provided that the reference in this clause to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year ²[2026] have been published, ³[be construed,—

(i) for the purposes of sub-clause (a) of clause (2) and the proviso to that clause, as a reference to the 1971 census; and

(ii) for the purposes of sub-clause (b) of clause (2) as a reference to the ⁴[2001] census.]]

82. Readjustment after each census.—Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine:

Provided that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing House:

⁵[Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the President may, by order, specify and until such readjustment takes effect, any election to the House may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment:

Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year ⁶[2026] have been published, it shall not be necessary to ⁷[readjust,—

1. Added by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 15 (w.e.f. 3-1-1977).

2. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 3, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).

3. Subs. by s.3, *ibid*, for certain words (w.e.f. 21-2-2002).

4. Subs. by the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003, s. 2, for "1991" (w.e.f. 22-6-2003).

5. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 16 (w.e.f. 3-1-1977).

6. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 4, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).

7. Subs. by s.4, *ibid*., for certain words (w.e.f. 21-2-2002).

(भाग 5—संघ)

(3) इस अनुच्छेद में, “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं:

¹[परन्तु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् ²[2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, ³यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह,—

(i) खंड (2) के उपखंड (क) और उस खंड के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है; और

(ii) खंड (2) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए ⁴[2001] की जनगणना के प्रति निर्देश है।]

82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन— प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे:

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता है:

⁵[परन्तु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं:

परन्तु यह और भी कि जब तक सन् ⁶[2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक ⁷[इस अनुच्छेद के अधीन,—

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 15 द्वारा (3-1-1977 से) जोड़ा गया।
2. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 3 द्वारा (21-2-2002 से) “2000” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 3 द्वारा (21-2-2002 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. संविधान (सत्तासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (22-6-2003 से) “1991” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 16 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित।
6. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 4 द्वारा (21-2-2002 से) “2000” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 4 द्वारा (21-2-2002 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part V.—The Union)

(i) the allocation of seats in the House of the People to the States as readjusted on the basis of the 1971 census; and

(ii) the division of each State into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of the ¹[2001] census,

under this article.]]

83. Duration of Houses of Parliament.—(1) The Council of States shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

(2) The House of the People, unless sooner dissolved, shall continue for ²[five years] from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of ²[five years] shall operate as a dissolution of the House:

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

84. Qualification for membership of Parliament.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament unless he—

³[(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;]

(b) is, in the case of a seat in the Council of States, not less than thirty years of age and, in the case of a seat in the House of the People, not less than twenty-five years of age; and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

1. Subs. by the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003, s. 3, for "1991" (w.e.f. 22-6-2003).

2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 17, for "five years" (w.e.f. 3-1-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 13, for "six years" (w.e.f. 20-6-1979).

3. Subs. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 3, for cl.(a) (w.e.f. 5-10-1963).

(भाग 5—संघ)

(i) राज्यों को लोक सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आबंटन का; और

(ii) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो ¹[2001] ¹[2001] की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं,

पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा।]]

83. संसद् के सदनों की अवधि—(1) राज्य सभा का विघटन नहीं होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे।

(2) लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से ²[पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और ²[पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा:

परन्तु उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब, संसद्, विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

84. संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति संसद् के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

³[(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;]

(ख) वह राज्य सभा में स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का और लोक सभा में स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं।

1. संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा (22-6-2003 से) "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 17 द्वारा (3-1-1977 से) के स्थान पर प्रतिस्थापित और संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 13 द्वारा (20-6-1979 से) "छह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 3 द्वारा (5-10-1963 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part V.—The Union)

¹[**85. Sessions of Parliament, prorogation and dissolution.**—(1) The President shall from time to time summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

(2) The President may from time to time—

(a) prorogue the Houses or either House;

(b) dissolve the House of the People.]

86. Right of President to address and send messages to Houses.—(1) The President may address either House of Parliament or both Houses assembled together, and for that purpose require the attendance of members.

(2) The President may send messages to either House of Parliament, whether with respect to a Bill then pending in Parliament or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration.

87. Special address by the President.—(1) At the commencement of ²[the first session after each general election to the House of the People and at the commencement of the first session of each year] the President shall address both Houses of Parliament assembled together and inform Parliament of the causes of its summons.

(2) Provision shall be made by the rules regulating the procedure of either House for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address ^{3***}.

88. Rights of Ministers and Attorney-General as respects Houses.—Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.

1. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 6, for art. 85 (w.e.f. 18-6-1951).

2. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 7, for "every session" (w.e.f. 18-6-1951).

3. The words "and for the precedence of such discussion over other business of the House" omitted by s. 7, *ibid.* (w.e.f. 18-6-1951).

(भाग 5—संघ)

¹[85. संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन— (1) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद् के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।]

(2) राष्ट्रपति, समय-समय पर—

(क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा;

(ख) लोक सभा का विघटन कर सकेगा ।

86. सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार— (1) राष्ट्रपति, संसद् के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) राष्ट्रपति, संसद् में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, संसद् के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा ।

87. राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण— (1) राष्ट्रपति, ²[लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में] एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद् को उसके आह्वान के कारण बताएगा ।

(2) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए ^{3***} उपबंध किया जाएगा ।

88. सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार— प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद् की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा ।

1. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा (18-6-1951 से) "अनुच्छेद 85" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 द्वारा (18-6-1951 से) "प्रत्येक सत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 द्वारा (18-6-1951 से) "और सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए" शब्दों का लोप किया गया ।

(Part V.—The Union)

Officers of Parliament

89. The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States.—(1) The Vice-President of India shall be *ex officio* Chairman of the Council of States.

(2) The Council of States shall, as soon as may be, choose a member of the Council to be Deputy Chairman thereof and, so often as the office of Deputy Chairman becomes vacant, the Council shall choose another member to be Deputy Chairman thereof.

90. Vacation and resignation of, and removal from, the office of Deputy Chairman.—A member holding office as Deputy Chairman of the Council of States—

(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Council;

(b) may at any time, by writing under his hand addressed to the Chairman, resign his office; and

(c) may be removed from his office by a resolution of the Council passed by a majority of all the then members of the Council:

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution.

91. Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman.—(1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman, or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council of States as the President may appoint for the purpose.

(2) During the absence of the Chairman from any sitting of the Council of States the Deputy Chairman, or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Council, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Council, shall act as Chairman.

92. The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.—(1) At any sitting of the Council of States, while any resolution for the removal of the Vice-President from his office is under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 91 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman, or, as the case may be, the Deputy Chairman, is absent.

(भाग 5—संघ)

संसद के अधिकारी

89. राज्य सभा का सभापति और उपसभापति—(1) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा ।

(2) राज्य सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब राज्य सभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी ।

90. उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना—राज्य सभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

(क) यदि राज्य सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; और

(ग) राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा:

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो ।

91. सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति—(1) जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो, राज्य सभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(2) राज्य सभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो राज्य सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो राज्य सभा द्वारा अवधारित किया जाए, सभापति के रूप में कार्य करेगा ।

92. जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना—(1) राज्य सभा की किसी बैठक में, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति, या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 91 के खंड (2) के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है ।

(Part V.—The Union)

(2) The Chairman shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Council of States while any resolution for the removal of the Vice-President from his office is under consideration in the Council, but, notwithstanding anything in article 100, shall not be entitled to vote at all on such resolution or on any other matter during such proceedings.

93. The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People.—The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the House shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

94. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker.—A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of the House of the People—

(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the House of the People;

(b) may at any time, by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office; and

(c) may be removed from his office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House:

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution:

Provided further that, whenever the House of the People is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution.

95. Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker.—(1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the House of the People as the President may appoint for the purpose.

(2) During the absence of the Speaker from any sitting of the House of the People the Deputy Speaker or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the House, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the House, shall act as Speaker.

(2) जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्य सभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्य सभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर, मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा।

93. लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष—लोक सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

94. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना—लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

(क) यदि लोक सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; और

(ग) लोक सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा:

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो:

परन्तु यह और कि जब कभी लोक सभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात् होने वाले लोक सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा।

95. अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति—(1) जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोक सभा का ऐसा सदस्य, जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) लोक सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो लोक सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो लोक सभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(Part V.—The Union)

96. The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.—(1) At any sitting of the House of the People, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 95 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker, or, as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.

(2) The Speaker shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the House of the People while any resolution for his removal from office is under consideration in the House and shall, notwithstanding anything in article 100, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of an equality of votes.

97. Salaries and allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker.—There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

98. Secretariat of Parliament.—(1) Each House of Parliament shall have a separate secretarial staff:

Provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both Houses of Parliament.

(2) Parliament may by law regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of either House of Parliament.

(3) Until provision is made by Parliament under clause (2), the President may, after consultation with the Speaker of the House of the People or the Chairman of the Council of States, as the case may be, make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the House of the People or the Council of States, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause.

96. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना— (1) लोक सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 95 के खंड (2) के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है ।

(2) जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोक सभा में विचाराधीन है तब उसको लोक सभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

97. सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते— राज्य सभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद्, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदाय किया जाएगा ।

98. संसद् का सचिवालय— (1) संसद् के प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृंद होगा:

परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद् के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी ।

(3) जब तक संसद् खंड (2) के अधीन उपबंध नहीं करती है तब तक राष्ट्रपति, यथास्थिति, लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात् लोक सभा के या राज्य सभा के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे ।

(Part V.—The Union)

Conduct of Business

99. Oath or affirmation by members.—Every member of either House of Parliament shall, before taking his seat, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

100. Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum.—(1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.

The Chairman or Speaker, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.

(2) Either House of Parliament shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in Parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

¹[(3) Until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House.

(4) If at any time during a meeting of a House there is no quorum, it shall be the duty of the Chairman or Speaker, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.]

Disqualifications of Members

101. Vacation of seats.—(1) No person shall be a member of both Houses of Parliament and provision shall be made by Parliament by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one House or the other.

1. Cls. (3) and (4) omitted by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 18 (date not notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 20-6-1979).

99. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान—संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

100. सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति—(1) इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण, अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा ।

सभापति या अध्यक्ष, अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

(2) संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी, उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति, जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद की कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी ।

¹[(3) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग होगी ।

(4) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है ।]

सदस्यों की निरर्हताएं

101. स्थानों का रिक्त होना—(1) कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 18 द्वारा (तारीख अधिसूचित नहीं की गई) खंड (3) और खंड (4) का लोप किया गया । इस संशोधन का संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 45 द्वारा (20-6-1979 से) लोप कर दिया गया ।

(Part V.—The Union)

(2) No person shall be a member both of Parliament and of a House of the Legislature of a State ^{1***}, and if a person is chosen a member both of Parliament and of a House of the Legislature of ²[a State], then, at the expiration of such period as may be specified in rules* made by the President, that person's seat in Parliament shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislature of the State.

(3) If a member of either House of Parliament—

(a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in ³[clause (1) or clause (2) of article 102]; or

⁴[(b) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Chairman or the Speaker, as the case may be, and his resignation is accepted by the Chairman or the Speaker, as the case may be,]

his seat shall thereupon become vacant:

⁵[Provided that in the case of any resignation referred to in sub-clause (b), if from information received or otherwise and after making such inquiry as he thinks fit, the Chairman or the Speaker, as the case may be, is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation.]

(4) If for a period of sixty days a member of either House of Parliament is without permission of the House absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant:

Provided that in computing the said period of sixty days no account shall be taken of any period during which the House is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

1. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by s. 29 and Sch., *ibid.*, for "such a State" (w.e.f. 1-11-1956).

* See the Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950, published with the Ministry of Law, notfn. No. F. 46/50-C, dated the 26th January, 1950, Gazette of India, Extraordinary, P. 678.

3. Subs. by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 2, for "cl. (1) of art. 102" (w.e.f. 1-3-1985).

4. Subs. by the Constitution (Thirty-third Amendment) Act, 1974, s. 2 (w.e.f. 19-5-1974).

5. Ins. by s.2, *ibid.* (w.e.f. 19-5-1974).

(भाग 5—संघ)

(2) कोई व्यक्ति संसद् और किसी ¹*** राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् और ²[किसी राज्य] के विधान-मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों* में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधान-मंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है।

(3) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य—

(क) ³[अनुच्छेद 102 के खंड (1) या खंड (2)] में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है; या

⁴[(ख) यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,]

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा:

⁵[परन्तु उपखंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकर नहीं करेगा।]

(4) यदि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा:

परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "ऐसे किसी राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

* देखिए, विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ. 46/50-सी, तारीख 26 जनवरी, 1950, भारत का राजपत्र, असाधारण, पृ० 678 में प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950।

3. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 2 द्वारा (1-3-1985 से) "अनुच्छेद 102 के खंड (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा (19-5-1974 से) प्रतिस्थापित।

5. संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा (19-5-1974 से) अंतःस्थापित।

(Part V.—The Union)

102. Disqualifications for membership.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament—

¹[(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder;]

(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(c) if he is an undischarged insolvent;

(d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;

(e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament.

²[*Explanation.*—For the purposes of this clause] a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State.

³[(2) A person shall be disqualified for being a member of either House of Parliament if he is so disqualified under the Tenth Schedule.]

⁴[**103. Decision on questions as to disqualifications of members.**—

(1) If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 102, the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 19 to read as "(a) if he holds any such office of profit under the Government of India or the Government of any State as is declared by Parliament by law to disqualify its holder" (date not notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 20-6-1979).

2. Subs. by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 3, for "(2) for the purposes of this art." (w.e.f. 1-3-1985).

3. Ins. by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 1-3-1985).

4. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 20, for art. 103 (w.e.f. 3-1-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 14, for art. 103 (w.e.f. 20-6-1979).

(भाग 5—संघ)

102. सदस्यता के लिए निरर्हताएं— (1) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा—

¹[(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;]

(ख) यदि वह विकृतचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

²[**स्पष्टीकरण—** इस खंड के प्रयोजनों के लिए,] कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

³[(2) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

⁴[**103. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय—** (1) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 19 द्वारा (तारीख अधिसूचित नहीं की गई) इस प्रकार पढ़े जाने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है: "(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा लाभ का पद धारण करता है, जिसे संसद् ने विधि द्वारा उसके धारक को निरर्हित घोषित किया है" । इस संशोधन का संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 45 द्वारा (20-6-1979 से) लोप कर दिया गया ।

2. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 3 द्वारा (1-3-1985 से) "(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 3 द्वारा (1-3-1985 से) अंतःस्थापित ।

4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 द्वारा (3-1-1977 से) अनुच्छेद 103 के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 14 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 103 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part V.—The Union)

(2) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.]

104. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 99 or when not qualified or when disqualified.—If a person sits or votes as a member of either House of Parliament before he has complied with the requirements of article 99, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the Union.

Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members

105. Powers, privileges, etc., of the Houses of Parliament and of the members and committees thereof.—(1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament.

(2) No member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, votes or proceedings.

¹[(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the members and the committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and, until so defined, ²[shall be those of that House and of its members and committees immediately before the coming into force of section 15 of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978.]].

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 21 (date to be notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 20-6-1979).

2. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 15, for certain words (w.e.f. 20-6-1979).

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।]

104. अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति—यदि संसद् के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या वह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ या निरर्हित कर दिया गया हूँ या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूँ, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी ।

संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

105. संसद् के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, आदि—(1) इस संविधान के उपबंधों और संसद् की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद् में वाक्त-स्वातंत्र्य होगा ।

(2) संसद् में या उसकी किसी समिति में संसद् के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद् के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

¹[(3) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जो संसद्, समय-समय पर, विधि द्वारा, परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक ²[वही होंगी जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं ।]]

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 द्वारा (तारीख अधिसूचित की जानी है) प्रतिस्थापित । इस संशोधन का, संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 45 द्वारा (20-6-1979 से) लोप किया गया ।

2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 द्वारा (20-6-1979 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part V.—The Union)

(4) The provisions of clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, a House of Parliament or any committee thereof as they apply in relation to members of Parliament.

106. Salaries and allowances of members.—Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India.

Legislative Procedure

107. Provisions as to introduction and passing of Bills.—(1) Subject to the provisions of articles 109 and 117 with respect to Money Bills and other financial Bills, a Bill may originate in either House of Parliament.

(2) Subject to the provisions of articles 108 and 109, a Bill shall not be deemed to have been passed by the Houses of Parliament unless it has been agreed to by both Houses, either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both Houses.

(3) A Bill pending in Parliament shall not lapse by reason of the prorogation of the Houses.

(4) A Bill pending in the Council of States which has not been passed by the House of the People shall not lapse on a dissolution of the House of the People.

(5) A Bill which is pending in the House of the People, or which having been passed by the House of the People is pending in the Council of States, shall, subject to the provisions of article 108, lapse on a dissolution of the House of the People.

108. Joint sitting of both Houses in certain cases.—(1) If after a Bill has been passed by one House and transmitted to the other House—

(a) the Bill is rejected by the other House; or

(b) the Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the Bill; or

(c) more than six months elapse from the date of the reception of the Bill by the other House without the Bill being passed by it,

(भाग 5—संघ)

(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद् के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद् के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं ।

106. सदस्यों के वेतन और भत्ते—संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद्, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थीं, प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

विधायी प्रक्रिया

107. विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध—(1) धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक संसद् के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा ।

(2) अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक संसद् के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित, जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं, उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं ।

(3) संसद् में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा ।

(4) राज्य सभा में लंबित विधेयक, जिसको लोक सभा ने पारित नहीं किया है, लोक सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा ।

(5) कोई विधेयक, जो लोक सभा में लंबित है या जो लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य सभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा ।

108. कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक—(1) यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात्,—

(क) दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकर कर दिया गया है; या

(ख) विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं; या

(ग) दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना छह मास से अधिक बीत गए हैं,

(Part V.—The Union)

the President may, unless the Bill has elapsed by reason of a dissolution of the House of the People, notify to the Houses by message if they are sitting or by public notification if they are not sitting, his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the Bill:

Provided that nothing in this clause shall apply to a Money Bill.

(2) In reckoning any such period of six months as is referred to in clause (1), no account shall be taken of any period during which the House referred to in sub-clause (c) of that clause is prorogued or adjourned for more than four consecutive days.

(3) Where the President has under clause (1) notified his intention of summoning the Houses to meet in a joint sitting, neither House shall proceed further with the Bill, but the President may at any time after the date of his notification summon the Houses to meet in a joint sitting for the purpose specified in the notification and, if he does so, the Houses shall meet accordingly.

(4) If at the joint sitting of the two Houses the Bill, with such amendments, if any, as are agreed to in joint sitting, is passed by a majority of the total number of members of both Houses present and voting, it shall be deemed for the purposes of this Constitution to have been passed by both Houses:

Provided that at a joint sitting—

(a) if the Bill, having been passed by one House, has not been passed by the other House with amendments and returned to the House in which it originated, no amendment shall be proposed to the Bill other than such amendments (if any) as are made necessary by the delay in the passage of the Bill;

(b) if the Bill has been so passed and returned, only such amendments as aforesaid shall be proposed to the Bill and such other amendments as are relevant to the matters with respect to which the Houses have not agreed, and the decision of the person presiding as to the amendments which are admissible under this clause shall be final.

(5) A joint sitting may be held under this article and a Bill passed thereat, notwithstanding that a dissolution of the House of the People has intervened since the President notified his intention to summon the Houses to meet therein.

109. Special procedure in respect of Money Bills.—(1) A Money Bill shall not be introduced in the Council of States.

तो उस दशा के सिवाय, जिसमें लोक सभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना, यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा या यदि वे बैठक में नहीं हैं तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा:

परन्तु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी ।

(2) छह मास की ऐसी अवधि की गणना करने में, जो खंड (1) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है ।

(3) यदि राष्ट्रपति ने खंड (1) के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा, किन्तु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात् किसी समय सदनों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा और, यदि वह ऐसा करता है तो, सदन तदनुसार अधिवेशित होंगे ।

(4) यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु संयुक्त बैठक में—

(क) यदि विधेयक एक सदन से पारित किए जाने पर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं कर दिया गया है और उस सदन को, जिसमें उसका आरंभ हुआ था, लौटा नहीं दिया गया है तो ऐसे संशोधनों से भिन्न (यदि कोई हों), जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए हैं, विधेयक में कोई और संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित कर दिया गया है और लौटा दिया गया है तो विधेयक में केवल पूर्वोक्त संशोधन, और ऐसे अन्य संशोधन, जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किए जाएंगे,

और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कौन से संशोधन इस खंड के अधीन ग्राह्य हैं ।

(5) सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात्, लोक सभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी, इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा ।

109. धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया—(1) धन विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा ।

(Part V.—The Union)

(2) After a Money Bill has been passed by the House of the People it shall be transmitted to the Council of States for its recommendations and the Council of States shall within a period of fourteen days from the date of its receipt of the Bill return the Bill to the House of the People with its recommendations and the House of the People may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Council of States.

(3) If the House of the People accepts any of the recommendations of the Council of States, the Money Bill shall be deemed to have been passed by both Houses with the amendments recommended by the Council of States and accepted by the House of the People.

(4) If the House of the People does not accept any of the recommendations of the Council of States, the Money Bill shall be deemed to have been passed by both Houses in the form in which it was passed by the House of the People without any of the amendments recommended by the Council of States.

(5) If a Money Bill passed by the House of the People and transmitted to the Council of States for its recommendations is not returned to the House of the People within the said period of fourteen days, it shall be deemed to have been passed by both Houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the House of the People.

110. Definition of “Money Bills”.—(1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely:—

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

(b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Government of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of India;

(c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of India, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;

(d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India;

(e) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure;

(भाग 5—संघ)

(2) धन विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित किया जाएगा और राज्य सभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोक सभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर लोक सभा, राज्य सभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी ।

(3) यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोक सभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा ।

(4) यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक, राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना, दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था ।

(5) यदि लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित धन विधेयक उक्त चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा, उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था ।

110. “धन विधेयक” की परिभाषा—(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात्:—

(क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन;

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन;

(ग) भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना;

(घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग;

(ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना;

(Part V.—The Union)

(f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or of a State; or

(g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f).

(2) A Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) If any question arises whether a Bill is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the House of the People thereon shall be final.

(4) There shall be endorsed on every Money Bill when it is transmitted to the Council of States under article 109, and when it is presented to the President for assent under article 111, the certificate of the Speaker of the House of the People signed by him that it is a Money Bill.

111. Assent to Bills.—When a Bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assents to the Bill, or that he withholds assent therefrom:

Provided that the President may, as soon as possible after the presentation to him of a Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill to the Houses with a message requesting that they will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a Bill is so returned, the Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the Houses with or without amendment and presented to the President for assent, the President shall not withhold assent therefrom.

Procedure in Financial Matters

112. Annual financial statement.—(1) The President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for that year, in this Part referred to as the "annual financial statement".

(2) The estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately—

(भाग 5—संघ)

(च) भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मद्धे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा; या

(छ) उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय ।

(2) कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है ।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्य सभा को पारेषित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोक सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है ।

111. विधेयकों पर अनुमति—जब कोई विधेयक संसद् के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है:

परन्तु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा ।

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

112. वार्षिक वित्तीय विवरण—(1) राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद् के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहा गया है ।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में—

(Part V.—The Union)

(a) the sums required to meet expenditure described by this Constitution as expenditure charged upon the Consolidated Fund of India; and

(b) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of India,

and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.

(3) The following expenditure shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of India—

(a) the emoluments and allowances of the President and other expenditure relating to his office;

(b) the salaries and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States and the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People;

(c) debt charges for which the Government of India is liable including interest, sinking fund charges and redemption charges, and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemption of debt;

(d) (i) the salaries, allowances and pensions payable to or in respect of Judges of the Supreme Court;

(ii) the pensions payable to or in respect of Judges of the Federal Court;

(iii) the pensions payable to or in respect of Judges of any High Court which exercises jurisdiction in relation to any area included in the territory of India or which at any time before the commencement of this Constitution exercised jurisdiction in relation to any area included in ¹[a Governor's Province of the Dominion of India];

(e) the salary, allowances and pension payable to or in respect of the Comptroller and Auditor-General of India;

(f) any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal;

(g) any other expenditure declared by this Constitution or by Parliament by law to be so charged.

113. Procedure in Parliament with respect to estimates.—(1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of Parliament, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either House of Parliament of any of those estimates.

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for "a Province corresponding to a State specified in Part A of the First Schedule" (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 5—संघ)

(क) इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां; और

(ख) भारत की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां,

पृथक्-पृथक् दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा ।

(3) निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात्—

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय;

(ख) राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते;

(ग) ऐसे ऋण भार, जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं;

(घ) (i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन;

(ii) फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय पेंशन;

(iii) उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन, जो भारत के राज्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या जो '[भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत] के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था;

(ड) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, या उसके संबंध में, संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन;

(च) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां;

(छ) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद् द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है ।

113. संसद् में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया— (1) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद् में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद् के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानी प्रांत" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part V.—The Union)

(2) So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the House of the People, and the House of the People shall have power to assent, or to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein.

(3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the President.

114. Appropriation Bills.—(1) As soon as may be after the grants under article 113 have been made by the House of the People, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of India of all moneys required to meet—

(a) the grants so made by the House of the People; and

(b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of India but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before Parliament.

(2) No amendment shall be proposed to any such Bill in either House of Parliament which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of India, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final.

(3) Subject to the provisions of articles 115 and 116, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article.

115. Supplementary, additional or excess grants.—(1) The President shall—

(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 114 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year; or

(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year,

cause to be laid before both the Houses of Parliament another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the House of the People a demand for such excess, as the case may be.

(भाग 5—संघ)

(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे लोक सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोक सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे।

(3) किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

114. विनियोग विधेयक— (1) लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, भारत की संचित निधि में से—

(क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की; और

(ख) भारत की संचित निधि पर भारित, किन्तु संसद् के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनाधिक व्यय की, पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में संसद् के किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं।

(3) अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं।

115. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान— (1) यदि—

(क) अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है; या

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर, उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो राष्ट्रपति, यथास्थिति, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या लोक सभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा।

(Part V.—The Union)

(2) The provisions of articles 112, 113 and 114 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand and also to any law to be made authorising the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein or to a demand for a grant and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure or grant.

116. Votes on account, votes of credit and exceptional grants.—(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the House of the People shall have power—

(a) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 113 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 114 in relation to that expenditure;

(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resources of India when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement;

(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year,

and Parliament shall have power to authorise by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of India for the purposes for which the said grants are made.

(2) The provisions of articles 113 and 114 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure.

117. Special provisions as to financial Bills.—(1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President and a Bill making such provision shall not be introduced in the Council of States:

Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax.

(भाग 5—संघ)

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं।

116. लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान—(1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा को—

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक, अग्रिम देने की;

(ख) जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है तब भारत के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है, ऐसा कोई अपवादानुदान करने की,

शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की संसद् को शक्ति होगी।

(2) खंड (1) के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं।

117. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध—(1) अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से उपखंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा:

परन्तु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी।

(Part V.—The Union)

(2) A Bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill.

Procedure Generally

118. Rules of procedure.—(1) Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure* and the conduct of its business.

(2) Until rules are made under clause (1), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Constitution with respect to the Legislature of the Dominion of India shall have effect in relation to Parliament subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, as the case may be.

(3) The President, after consultation with the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, may make rules as to the procedure with respect to joint sittings of, and communications between, the two Houses.

(4) At a joint sitting of the two Houses the Speaker of the House of the People, or in his absence such person as may be determined by rules of procedure made under clause (3), shall preside.

119. Regulation by law of procedure in Parliament in relation to financial business.—Parliament may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of business in, each House of Parliament in relation to any financial matter or to any Bill for the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India, and, if and so far as any provision of any law so made is inconsistent with any rule made by a House of Parliament under clause (1) of article 118 or with any rule or standing order having effect in relation to Parliament under clause (2) of that article, such provision shall prevail.

* The brackets and words "(including the quorum to constitute a meeting of the House" ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 22 (date not notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 20-6-1979).

(भाग 5—संघ)

(2) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मनों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है।

(3) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक संसद् के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है।

साधारणतया प्रक्रिया

118. प्रक्रिया के नियम— (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया* और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा।

(2) जब तक खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधान-मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद् के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष उनमें करें।

(3) राष्ट्रपति, राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

(4) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक सभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड (3) के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाए।

119. संसद् में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन— संसद्, वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित, संसद् के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगी तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 118 के खंड (1) के अधीन संसद् के किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन संसद् के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा।

* संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 22 द्वारा (तारीख अधिसूचित नहीं की गई) "(जिसके अन्तर्गत सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सम्मिलित है)" शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित। इस संशोधन का संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 45 द्वारा (20-6-1979 से) लोप कर दिया गया।

(Part V.—The Union)

120. Language to be used in Parliament.—(1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English:

Provided that the Chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother-tongue.

(2) Unless Parliament by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, have effect as if the words “or in English” were omitted therefrom.

121. Restriction on discussion in Parliament.—No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties except upon a motion for presenting an address to the President praying for the removal of the Judge as hereinafter provided.

122. Courts not to inquire into proceedings of Parliament.—(1) The validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

(2) No officer or member of Parliament in whom powers are vested by or under this Constitution for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order, in Parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers.

CHAPTER III.—LEGISLATIVE POWERS OF THE PRESIDENT

123. Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament.—(1) If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require.

(2) An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of Parliament, but every such Ordinance—

(a) shall be laid before both Houses of Parliament and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of Parliament, or, if before the expiration of that period resolutions disapproving it are passed by both Houses, upon the passing of the second of those resolutions; and

(भाग 5—संघ)

120. संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा—(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा:

परन्तु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो “या अंग्रेजी में” शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

121. संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन—उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद् में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं ।

122. न्यायालयों द्वारा संसद् की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना—(1) संसद् की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) संसद् का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद् में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा ।

अध्याय 3—राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां

123. संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति—

(1) उस समय को छोड़कर जब संसद् के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों ।

(2) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद् के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद् के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अननुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं तो, इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा; और

(Part V.—The Union)

(b) may be withdrawn at any time by the President.

Explanation.—Where the Houses of Parliament are summoned to reassemble on different dates, the period of six weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purposes of this clause.

(3) If and so far as an Ordinance under this article makes any provision which Parliament would not under this Constitution be competent to enact, it shall be void.

¹(4)*

*

*

*

*

CHAPTER IV.—THE UNION JUDICIARY

124. Establishment and constitution of the Supreme Court.—(1)

There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than *[seven] other Judges.

(2) Every Judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal ²[on the recommendation of the National Judicial Appointments Commission referred to in article 124A] and shall hold office until he attains the age of sixty-five years:

³[*

*

*

*

]*

⁴[Provided that]—

(a) a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;

(b) a Judge may be removed from his office in the manner provided in clause (4).

1. Ins. by the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975, s. 2 (with retrospective effect) and omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 16 (w.e.f. 20-6-1979).

* Now “thirty-three” vide the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019 (37 of 2019), s. 2 (w.e.f. 9-8-2019).

2. Subs. by the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, s. 2, for “after consultation with such of the Judges of the Supreme Court and of the High Court in the States as the President may deem necessary for the purpose” (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.

3. The first proviso was omitted by s. 2, *ibid.* The proviso was as under:—

“Provided that in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted.” This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.

4. Subs. by s. 2, *ibid.* for “provided further that” This amendment has been struck down by the Supreme Court in the Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs Union of India judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.

(भाग 5—संघ)

(ख) राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—जहां संसद के सदन, भिन्न-भिन्न तारीखों को पुनः समवेत होने के लिए, आहूत किए जाते हैं वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए, छह सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी ।

(3) यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद् इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा ।

¹(4)*

*

*

*

अध्याय 4—संघ की न्यायपालिका

124. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन—(1) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और, जब तक संसद् विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक, सात* से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा ।

(2) ²[अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर], राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है:

³[*

*

*

*

]*]

⁴[परन्तु],—

(क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) किसी न्यायाधीश को खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा ।

1. संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित किया गया था और संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 16 द्वारा (20-6-1979 से) लोप किया गया ।

* उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 (2019 का 37) की धारा 2 द्वारा (9-8-2019 से) अब "तैंतीस" ।

2. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 2 द्वारा (13-4-2015 से) "उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझें" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।

3. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 2 द्वारा (13-4-2015 से) पहले परन्तु का लोप किया गया । संशोधन के पूर्व यह निम्नानुसार था--

"परन्तु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा:। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।

4. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 2 द्वारा (13-4-2015 से) "परन्तु यह और कि" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।

(Part V.—The Union)

¹[(2A) The age of a Judge of the Supreme Court shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may by law provide.]

(3) A person shall not be qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India and—

(a) has been for at least five years a Judge of a High Court or of two or more such Courts in succession; or

(b) has been for at least ten years an advocate of a High Court or of two or more such Courts in succession; or

(c) is, in the opinion of the President, a distinguished jurist.

Explanation I.—In this clause "High Court" means a High Court which exercises, or which at any time before the commencement of this Constitution exercised, jurisdiction in any part of the territory of India.

Explanation II.—In computing for the purpose of this clause the period during which a person has been an advocate, any period during which a person has held judicial office not inferior to that of a district judge after he became an advocate shall be included.

(4) A Judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.

(5) Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehaviour or incapacity of a Judge under clause (4).

(6) Every person appointed to be a Judge of the Supreme Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

(7) No person who has held office as a Judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India.

²[124A. **National Judicial Appointments Commission.**—(1) There shall be a Commission to be known as the National Judicial Appointments Commission consisting of the following, namely:—

1. Ins. by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, s. 2 (w.e.f. 5-10-1963).

2. Ins. by the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, s. 3 (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.

(भाग 5—संघ)

¹[(2क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद् विधि द्वारा उपबंध करे ।]

(3) कोई व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है; और—

(क) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा है; या

(ख) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है; या

(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है ।

स्पष्टीकरण 1—इस खंड में, “उच्च न्यायालय” से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है, या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था ।

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है ।

(4) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है ।

(5) संसद् खंड (4) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी ।

(6) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(7) कोई व्यक्ति, जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा ।

²[**124क. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग**— (1) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक आयोग होगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

1. संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 2 द्वारा (5-10-1963 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 3 द्वारा (13-4-2015 से) अन्तःस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।

(Part V.—The Union)

- (a) the Chief Justice of India, Chairperson, *ex officio*;
- (b) two other senior Judges of the Supreme Court next to the Chief Justice of India—Members, *ex officio*;
- (c) the Union Minister in charge of Law and Justice—Member, *ex officio*;
- (d) two eminent persons to be nominated by the committee consisting of the Prime Minister, the Chief Justice of India and the Leader of Opposition in the House of the People or where there is no such Leader of Opposition, then, the Leader of single largest Opposition Party in the House of the People—Members:

Provided that one of the eminent person shall be nominated from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities or Women:

Provided further that an eminent person shall be nominated for a period of three years and shall not be eligible for renomination.

- (2) No act or proceedings of the National Judicial Appointments Commission shall be questioned or be invalidated merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

124B. Functions of Commission.—It shall be the duty of the National Judicial Appointments Commission to—

- (a) recommend persons for appointment as Chief Justice of India, Judges of the Supreme Court, Chief Justices of High Courts and other Judges of High Courts;
- (b) recommend transfer of Chief Justices and other Judges of High Courts from one High Court to any other High Court; and
- (c) ensure that the person recommended is of ability and integrity.

124C. Power of Parliament to make law.—Parliament may, by law, regulate the procedure for the appointment of Chief Justice of India and other Judges of the Supreme Court and Chief Justices and other Judges of High Courts and empower the Commission to lay down by regulations the procedure for the discharge of its functions, the manner of selection of persons for appointment and such other matters as may be considered necessary by it.]

125. Salaries, etc., of Judges.—¹[(1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.]

(2) Every Judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such privileges, allowances and rights as are specified in the Second Schedule:

1. Subs. by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Act, 1986, s. 2, for cl. (1) (w.e.f. 1-4-1986).

(भाग 5—संघ)

- (क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति — अध्यक्ष, पदेन;
 (ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के दो अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश — सदस्य, पदेन;
 (ग) संघ का विधि और न्याय का भारसाधक मंत्री — सदस्य, पदेन;
 (घ) प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विपक्ष के नेता या जहाँ ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहाँ, लोक सभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति — सदस्य:

परंतु विख्यात व्यक्तियों में से एक विख्यात व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों अथवा स्त्रियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु यह और कि विख्यात व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और पुनः नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।

(2) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कोई कार्य या कार्यवाहियाँ, केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी या अविधिमान्य नहीं होंगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

124ख. आयोग के कृत्य— राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, —

(क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना;

(ख) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की सिफारिश करना; और

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वह व्यक्ति, जिसकी सिफारिश की गई है, सक्षम और सत्यनिष्ठ है।

124ग. विधि बनाने की संसद की शक्ति— संसद, विधि द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी तथा आयोग को विनियमों द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की रीति और ऐसे अन्य विषयों के लिए, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं, प्रक्रिया अधिकृत करने के लिए सशक्त कर सकेगी।]

125. न्यायाधीशों के वेतन, आदि— [(1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।]

(2) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर अवधारित किए जाएं और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा:

(Part V.—The Union)

Provided that neither the privileges nor the allowances of a Judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.

126. Appointment of acting Chief Justice.—When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

127. Appointment of *ad hoc* Judges.—(1) If at any time there should not be a quorum of the Judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the Court, ¹[the National Judicial Appointments Commission on a reference made to it by the Chief Justice of India, may with the previous consent of the President] and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance at the sittings of the Court, as an *ad hoc* Judge, for such period as may be necessary, of a Judge of a High Court duly qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India.

(2) It shall be the duty of the Judge who has been so designated, in priority to other duties of his office, to attend the sittings of the Supreme Court at the time and for the period for which his attendance is required, and while so attending he shall have all the jurisdiction, powers and privileges, and shall discharge the duties, of a Judge of the Supreme Court.

128. Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court.—Notwithstanding anything in this Chapter, ²[the National Judicial Appointments Commission] may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a Judge of the Supreme Court or of the Federal Court ³[or who has held the office of a Judge of a High Court and is duly qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court] to sit and act as a Judge of the Supreme Court, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a Judge of that Court:

1. Subs. by the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, s. 4, for "the Chief Justice of India may, with the previous consent of the President" (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.

2. Subs. by s. 5, *ibid.*, for "the Chief Justice of India" (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.

3. Ins. by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, s. 3 (w.e.f. 5-10-1963).

(भाग 5—संघ)

परन्तु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

126. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति—जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

127. तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति—(1) यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो ¹राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से] और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित है और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोद्विष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा।

(2) इस प्रकार नामोद्विष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्णता देकर उस समय और उस अवधि के लिए, जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में, उपस्थित हो और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

128. उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति—इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, ²[राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग], किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है ³या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित है,] उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान, ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे, किन्तु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा:

1. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 4 द्वारा (13-4-2015 से) "भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है।
2. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 5 द्वारा (13-4-2015 से) "भारत का मुख्य न्यायमूर्ति," के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है।
3. संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 3 द्वारा (5-10-1963 से) अंतःस्थापित।

(Part V.—The Union)

Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a Judge of that Court unless he consents so to do.

129. Supreme Court to be a court of record.—The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.

130. Seat of Supreme Court.—The Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places, as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time, appoint.

131. Original jurisdiction of the Supreme Court.—Subject to the provisions of this Constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute—

(a) between the Government of India and one or more States; or

(b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other; or

(c) between two or more States,

if and in so far as the dispute involves any question (whether of law or fact) on which the existence or extent of a legal right depends:

¹[Provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, *sanad* or other similar instrument which, having been entered into or executed before the commencement of this Constitution, continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute.]

²[**131A. Exclusive jurisdiction of the Supreme Court in regard to questions as to constitutional validity of Central laws.**].—Omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 4 (w.e.f. 13-4-1978).

132. Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts in certain cases.—(1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a High Court in the territory of India, whether in a civil, criminal or other proceeding, ³[if the High Court certifies under article 134A] that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution.

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 5, for the proviso (w.e.f. 1-11-1956).

2. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 23 (w.e.f. 1-2-1977).

3. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 17, for "if the High Court certifies" (w.e.f. 1-8-1979).

(भाग 5—संघ)

परन्तु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।

129. उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना— उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी।

130. उच्चतम न्यायालय का स्थान— उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।

131. उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता— इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच; या

(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच; या

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच,

किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में (विधि का या तथ्य का) ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो और वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी:

¹[परन्तु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्रवर्तन में है या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा।]

²[131क. **केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता**।]— संविधान (तैतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 4 द्वारा (13-4-1978) से लोप किया गया।

132. कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता— (1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी ³[यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134क के अधीन प्रमाणित कर देता है] कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 5 द्वारा (1-11-1956 से) परन्तु क के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 23 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित।

3. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 17 द्वारा (1-8-1979 से) "यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part V.—The Union)

¹(2)*

*

*

*

*

(3) Where such a certificate is given, ^{2***} any party in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that any such question as aforesaid has been wrongly decided ^{2***}.

Explanation.—For the purposes of this article, the expression “final order” includes an order deciding an issue which, if decided in favour of the appellant, would be sufficient for the final disposal of the case.

133. Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts in regard to civil matters.—³(1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a High Court in the territory of India ⁴[if the High Court certifies under article 134A—]

(a) that the case involves a substantial question of law of general importance; and

(b) that in the opinion of the High Court the said question needs to be decided by the Supreme Court.]

(2) Notwithstanding anything in article 132, any party appealing to the Supreme Court under clause (1) may urge as one of the grounds in such appeal that a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution has been wrongly decided.

(3) Notwithstanding anything in this article, no appeal shall, unless Parliament by law otherwise provides, lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of one Judge of a High Court.

134. Appellate jurisdiction of the Supreme Court in regard to criminal matters.—(1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a High Court in the territory of India if the High Court—

(a) has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death; or

(b) has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death; or

(c) ⁵[certifies under article 134A] that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court:

1. Cl. (2) omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 17, for "if the High Court certifies" (w.e.f. 1-8-1979).

2. Certain words omitted by s. 17, *ibid.* (w.e.f. 1-8-1979).

3. Subs. by the Constitution (Thirtieth Amendment) Act, 1972, s. 2, for cl. (1) (w.e.f. 27-2-1973).

4. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s.18, for "if the High Court certifies.—" (w.e.f. 1-8-1979).

5. Subs. by s. 19, *ibid.*, for "certifies" (w.e.f. 1-8-1979).

¹(2)*

*

*

*

(3) जहां ऐसा प्रमाणपत्र दे दिया गया है ^{2***} वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है ^{4***}।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, “अंतिम आदेश” पद के अंतर्गत ऐसे विवादक का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है तो, उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा।

133. उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता—³(1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी ⁴[यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि]—

(क) उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है; और

(ख) उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है।]

(2) अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय में खंड (1) के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान् प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे।

134. दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता—(1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि—

(क) उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है; या

(ख) उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है; या

(ग) वह उच्च न्यायालय ⁵[अनुच्छेद 134क के अधीन प्रमाणित कर देता है] कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है:

1. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 17 द्वारा (1-8-1979 से) “यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है” खंड (2) का लोप किया गया।
2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 17 द्वारा (1-8-1979 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।
3. संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 2 द्वारा (27-2-1973 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 18 द्वारा (1-8-1979 से) “यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 19 द्वारा (1-8-1979 से) “प्रमाणित करता है” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part V.—The Union)

Provided that an appeal under sub-clause (c) shall lie subject to such provisions as may be made in that behalf under clause (1) of article 145 and to such conditions as the High Court may establish or require.

(2) Parliament may by law confer on the Supreme Court any further powers to entertain and hear appeals from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a High Court in the territory of India subject to such conditions and limitations as may be specified in such law.

¹[134A. **Certificate for appeal to the Supreme Court.**—Every High Court, passing or making a judgment, decree, final order, or sentence, referred to in clause (1) of article 132 or clause (1) of article 133, or clause (1) of article 134,—

(a) may, if it deems fit so to do, on its own motion; and

(b) shall, if an oral application is made, by or on behalf of the party aggrieved, immediately after the passing or making of such judgment, decree, final order or sentence,

determine, as soon as may be after such passing or making, the question whether a certificate of the nature referred to in clause (1) of article 132, or clause (1) of article 133 or, as the case may be, sub-clause (c) of clause (1) of article 134, may be given in respect of that case.]

135. Jurisdiction and powers of the Federal Court under existing law to be exercisable by the Supreme Court.—Until Parliament by law otherwise provides, the Supreme Court shall also have jurisdiction and powers with respect to any matter to which the provisions of article 133 or article 134 do not apply if jurisdiction and powers in relation to that matter were exercisable by the Federal Court immediately before the commencement of this Constitution under any existing law.

136. Special leave to appeal by the Supreme Court.—(1) Notwithstanding anything in this Chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India.

(2) Nothing in clause (1) shall apply to any judgment, determination, sentence or order passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the Armed Forces.

137. Review of judgments or orders by the Supreme Court.—Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

1. Ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 20 (w.e.f. 1-8-1979).

(भाग 5—संघ)

परन्तु उपखंड (ग) के अधीन अपील ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 145 के खंड (1) के अधीन इस निमित्त बनाए जाएं और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करे ।

(2) संसद् विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दंडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं, ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी ।

¹[134क. उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र—प्रत्येक उच्च न्यायालय, जो अनुच्छेद 132 के खंड (1) या अनुच्छेद 133 के खंड (1) या अनुच्छेद 134 के खंड (1) में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, इस प्रश्न का अवधारण कि उस मामले के संबंध में, यथास्थिति, अनुच्छेद 132 के खंड (1) या अनुच्छेद 133 के खंड (1) या अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाणपत्र दिया जाए या नहीं,—

(क) यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वप्रेरणा से कर सकेगा; और

(ख) यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात् व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो करेगा ।]

135. विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियाँ का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना— जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसको अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, अधिकारिता और शक्तियाँ होंगी यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियाँ फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थीं ।

136. अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत— (1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा ।

(2) खंड (1) की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी ।

137. निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन— संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

(Part V.—The Union)

138. Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court.—(1) The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the Union List as Parliament may by law confer.

(2) The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any matter as the Government of India and the Government of any State may by special agreement confer, if Parliament by law provides for the exercise of such jurisdiction and powers by the Supreme Court.

139. Conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs.—Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of *habeas corpus*, *mandamus*, prohibition, *quo warranto* and *certiorari*, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause (2) of article 32.

¹[**139A. Transfer of certain cases.**—²[(1) Where cases involving the same or substantially the same questions of law are pending before the Supreme Court and one or more High Courts or before two or more High Courts and the Supreme Court is satisfied on its own motion or on an application made by the Attorney-General of India or by a party to any such case that such questions are substantial questions of general importance, the Supreme Court may withdraw the case or cases pending before the High Court or the High Courts and dispose of all the cases itself:

Provided that the Supreme Court may after determining the said questions of law return any case so withdrawn together with a copy of its judgment on such questions to the High Court from which the case has been withdrawn, and the High Court shall on receipt thereof, proceed to dispose of the case in conformity with such judgment.]

(2) The Supreme Court may, if it deems it expedient so to do for the ends of justice, transfer any case, appeal or other proceedings pending before any High Court to any other High Court.]

140. Ancillary powers of the Supreme Court.—Parliament may by law make provision for conferring upon the Supreme Court such supplemental powers not inconsistent with any of the provisions of this Constitution as may appear to be necessary or desirable for the purpose of enabling the Court more effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it by or under this Constitution.

1. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 24 (w.e.f. 1-2-1977).

2. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 21, for cl. (1) (w.e.f. 1-8-1979).

(भाग 5—संघ)

138. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि—(1) उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे ।

(2) यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे ।

139. कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना—संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड (2) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निदेश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उप्रेषण रिट हैं, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी ।

¹[**139क. कुछ मामलों का अंतरण**—²[(1) यदि ऐसे मामले, जिनमें विधि के समान या सारतः समान प्रश्न अंतर्बलित हैं, उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा या ऐसे किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान् प्रश्न हैं तो, उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा:

परन्तु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामले को उक्त विधि के प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात् ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस उच्च न्यायालय को, जिससे मामला मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा और वह उच्च न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा ।]

(2) यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही का अंतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय को कर सकेगा ।]

140. उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां—संसद विधि द्वारा, उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हों और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 24 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 21 द्वारा (1-8-1979 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part V.—The Union)

141. Law declared by Supreme Court to be binding on all courts.—

The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.

142. Enforcement of decrees and orders of the Supreme Court and orders as to discovery, etc.—(1) The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order¹ prescribe.

(2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Supreme Court shall, as respects the whole of the territory of India, have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or the investigation or punishment of any contempt of itself.

143. Power of the President to consult the Supreme Court.—(1) If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that Court for consideration and the Court may, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.

(2) The President may, notwithstanding anything in ^{2***} the proviso to article 131, refer a dispute of the kind mentioned in the ³[said proviso] to the Supreme Court for opinion and the Supreme Court shall, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.

144. Civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court.—All authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court.

⁴[**144A.** *[Special provisions as to disposal of questions relating to constitutional validity of laws.]—Omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 5 (w.e.f. 13-4-1978).]*

145. Rules of Court, etc.—(1) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules for regulating generally the practice and procedure of the Court including—

(a) rules as to the persons practising before the Court;

1. See the Supreme Court (Decrees and Orders) Enforcement Order, 1954 (C.O. 47).

2. The words, brackets and figure "clause (i) of" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

3. Subs. by s. 29 and Sch., *ibid.*, for "said clause" (w.e.f. 1-11-1956).

4. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 25 (w.e.f. 1-2-1977).

(भाग 5—संघ)

141. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना—उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।

142. उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश—(1) उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश¹ द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी।

143. उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति—(1) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।

(2) राष्ट्रपति अनुच्छेद 131^{2***} के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार के विवाद को, जो³ [उक्त परन्तुक] में वर्णित है, राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा।

144. सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना—भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

⁴[144क. [विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध]]—संविधान (तैनालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 5 द्वारा (13-4-1978 से) लोप किया गया।

145. न्यायालय के नियम, आदि—(1) संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय समय-समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के, साधारणतया, विनियमन के लिए नियम बना सकेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:—

(क) उस न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम;

1. उच्चतम न्यायालय (डिक्री और आदेश) प्रवर्तन आदेश, 1954 (सं.आ. 47) देखिए।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "के खंड (i)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया गया।

3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "उक्त खंड" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 25 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित।

(Part V.—The Union)

(b) rules as to the procedure for hearing appeals and other matters pertaining to appeals including the time within which appeals to the Court are to be entered;

(c) rules as to the proceedings in the Court for the enforcement of any of the rights conferred by Part III;

¹[(cc) rules as to the proceedings in the Court under ²[article 139A];]

(d) rules as to the entertainment of appeals under sub-clause (c) of clause (1) of article 134;

(e) rules as to the conditions subject to which any judgment pronounced or order made by the Court may be reviewed and the procedure for such review including the time within which applications to the Court for such review are to be entered;

(f) rules as to the costs of and incidental to any proceedings in the Court and as to the fees to be charged in respect of proceedings therein;

(g) rules as to the granting of bail;

(h) rules as to stay of proceedings;

(i) rules providing for the summary determination of any appeal which appears to the Court to be frivolous or vexatious or brought for the purpose of delay;

(j) rules as to the procedure for inquiries referred to in clause (1) of article 317.

(2) Subject to the ³[provisions of ⁴**** clause (3)], rules made under this article may fix the minimum number of Judges who are to sit for any purpose, and may provide for the powers of single Judges and Division Courts.

(3) ⁵[⁴****The minimum number] of Judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be five:

-
1. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 26 (w.e.f. 1-2-1977).
 2. Subs. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 6, for "articles 131A and 139A" (w.e.f. 13-4-1978).
 3. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 26, for "provisions of clause (3)" (w.e.f. 1-2-1977).
 4. Certain words omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 6 (w.e.f. 13-4-1978).
 5. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 26, for "The minimum number" (w.e.f. 1-2-1977).

(भाग 5—संघ)

(ख) अपीलें सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में और अपीलों संबंधी अन्य विषयों के बारे में, जिनके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर अपीलें उस न्यायालय में ग्रहण की जानी हैं, नियम;

(ग) भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी का प्रवर्तन कराने के लिए उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम;

¹[(गग) ²[अनुच्छेद 139क] के अधीन उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम;]

(घ) अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) के अधीन अपीलों को ग्रहण किए जाने के बारे में नियम;

(ङ) उस न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या किए गए आदेश का जिन शर्तों के अधीन रहते हुए पुनर्विलोकन किया जा सकेगा उनके बारे में और ऐसे पुनर्विलोकन के लिए प्रक्रिया के बारे में, जिसके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर ऐसे पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उस न्यायालय में ग्रहण किए जाने हैं, नियम;

(च) उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों के और उनके आनुषंगिक खर्च के बारे में, तथा उसमें कार्यवाहियों के संबंध में प्रभारित की जाने वाली फीसों के बारे में नियम;

(छ) जमानत मंजूर करने के बारे में नियम;

(ज) कार्यवाहियों को रोकने के बारे में नियम;

(झ) जिस अपील के बारे में उस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह तृच्छ या तंग करने वाली है अथवा विलंब करने के प्रयोजन से की गई है, उसके सक्षिप्त अवधारण के लिए उपबंध करने वाले नियम;

(ञ) अनुच्छेद 317 के खंड (1) में निर्दिष्ट जांचों के लिए प्रक्रिया के बारे में नियम ।

(2) ³[^{4***} खंड (3) के उपबंधों] के अधीन रहते हुए, इस अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियम, उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन के लिए बैठेंगे तथा एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्ति के लिए उपबंध कर सकेंगे ।

(3) जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या इस संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की ⁵[^{4***} न्यूनतम संख्या] पांच होगी:

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 26 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 6 द्वारा (13-4-1978 से) "अनुच्छेद 131क और अनुच्छेद 139क" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 26 द्वारा (1-2-1977 से) "खंड (3) के उपबंधों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 6 द्वारा (13-4-1978 से) कुछ शब्दों लोप किया गया ।
5. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 26 द्वारा (1-2-1977 से) "न्यूनतम संख्या" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part V.—The Union)

Provided that, where the Court hearing an appeal under any of the provisions of this Chapter other than article 132 consists of less than five Judges and in the course of the hearing of the appeal the Court is satisfied that the appeal involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution the determination of which is necessary for the disposal of the appeal, such Court shall refer the question for opinion to a Court constituted as required by this clause for the purpose of deciding any case involving such a question and shall on receipt of the opinion dispose of the appeal in conformity with such opinion.

(4) No judgment shall be delivered by the Supreme Court save in open Court, and no report shall be made under article 143 save in accordance with an opinion also delivered in open Court.

(5) No judgment and no such opinion shall be delivered by the Supreme Court save with the concurrence of a majority of the Judges present at the hearing of the case, but nothing in this clause shall be deemed to prevent a Judge who does not concur from delivering a dissenting judgment or opinion.

146. Officers and servants and the expenses of the Supreme Court.—

(1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:

Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.

(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:

Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.

(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

(भाग 5—संघ)

परन्तु जहाँ अनुच्छेद 132 से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय पांच से कम न्यायाधीशों से मिलकर बना है और अपील की सुनवाई के दौरान उस न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का ऐसा सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण अपील के निपटारे के लिए आवश्यक है वहाँ वह न्यायालय ऐसे प्रश्न को उस न्यायालय को, जो ऐसे प्रश्न को अंतर्वलित करने वाले किसी मामले के विनिश्चय के लिए इस खंड की अपेक्षानुसार गठित किया जाता है, उसकी राय के लिए निर्देशित करेगा और ऐसी राय की प्राप्ति पर उस अपील को उस राय के अनुरूप निपटाएगा ।

(4) उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा, अन्यथा नहीं और अनुच्छेद 143 के अधीन प्रत्येक प्रतिवेदन खुले न्यायालय में सुनाई गई राय के अनुसार ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(5) उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय और ऐसी प्रत्येक राय, मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंख्या की सहमति से ही दी जाएगी, अन्यथा नहीं, किन्तु इस खंड की कोई बात किसी ऐसे न्यायाधीश को, जो सहमत नहीं है, अपना विसम्मत निर्णय या राय देने से निवारित नहीं करेगी ।

146. उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय— (1) उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निदिष्ट करे:

परन्तु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में, जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(2) संसद् द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए, जहाँ तक वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।

(3) उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसों और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग होंगी ।

(Part V.—The Union)

147. Interpretation.—In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

CHAPTER V.—COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA

148. Comptroller and Auditor-General of India.—(1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.

(2) Every person appointed to be the Comptroller and Auditor-General of India shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

(3) The salary and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be determined by Parliament by law and, until they are so determined, shall be as specified in the Second Schedule:

Provided that neither the salary of a Comptroller and Auditor-General nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement shall be varied to his disadvantage after his appointment.

(4) The Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further office either under the Government of India or under the Government of any State after he has ceased to hold his office.

(5) Subject to the provisions of this Constitution and of any law made by Parliament, the conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be prescribed by rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor-General.

(6) The administrative expenses of the office of the Comptroller and Auditor-General, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of persons serving in that office, shall be charged upon the Consolidated Fund of India.

(भाग 5—संघ)

147. निर्वचन— इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान् प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम, 1935 के (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमिति है) अथवा किसी सपरिषद् आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान् प्रश्न के प्रति निर्देश हैं ।

अध्याय 5-भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

148. भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक— (1) भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती हैं तब तक ऐसी होंगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं:

परन्तु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और अनुपस्थिति छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, अपने पद पर न रह जाने के पश्चात्, भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा ।

(5) इस संविधान के और संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(6) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे ।

(Part V.—The Union)

149. Duties and powers of the Comptroller and Auditor-General.—

The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States as were conferred on or exercisable by the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and of the Provinces respectively.

¹[**150. Form of accounts of the Union and of the States.**—The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, ²[on the advice of] the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe.]

151. Audit reports.—(1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.

(2) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor ^{3***} of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State.

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 27, for art.150 (w.e.f. 1-4-1977).

2. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 22, for "after consultation with" (w.e.f. 20-6-1979).

3. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 5—संघ)

149. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ—नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः भारत डोमिनियन के और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखापरीक्षक को प्रदत्त थीं या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य थीं ।

¹[150. संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप—संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ²[की सलाह पर] विहित करे ।]

151. संपरीक्षा प्रतिवेदन—(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल ^{3***} के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

-
1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 27 द्वारा (1-4-1977 से) "अनुच्छेद 150" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 22 द्वारा (20-6-1979 से) "से परामर्श के पश्चात्" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।

PART VI
THE STATES ^{1***}
CHAPTER I.—GENERAL

152. Definition.—In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” ²[does not include the State of Jammu and Kashmir].

CHAPTER II.—THE EXECUTIVE

The Governor

153. Governors of States.—There shall be a Governor for each State:

³[Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.]

154. Executive power of State.—(1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

(2) Nothing in this article shall—

(a) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority; or

(b) prevent Parliament or the Legislature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor.

155. Appointment of Governor.—The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

156. Term of office of Governor.—(1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.

(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.

(3) Subject to the foregoing provisions of this article, a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

1. The words "IN PART A OF THE FIRST SCHEDULE" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by s. 29 and Sch. *ibid.*, for "means a State specified in Part A of the First Schedule" (w.e.f. 1-11-1956).

3. Added by s. 6, *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

भाग 6

^{1***} राज्य

अध्याय 1-साधारण

152. परिभाषा— इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” पद ²[के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है] ।

अध्याय 2-कार्यपालिका

राज्यपाल

153. राज्यों के राज्यपाल— प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा:

³[परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी ।]

154. राज्य की कार्यपालिका शक्ति— (1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा ।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात—

(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी; या

(ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद् या राज्य के विधान-मंडल को निवारित नहीं करेगी ।

155. राज्यपाल की नियुक्ति— राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा ।

156. राज्यपाल की पदावधि— (1) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा ।

(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा:

-
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “पहली अनुसूची के भाग क में के” शब्दों का लोप किया गया ।
 2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “का अर्थ पहली अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य हैं” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 6 द्वारा (1-11-1956 से) जोड़ा गया ।

Provided that a Governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

157. Qualifications for appointment as Governor.—No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.

158. Conditions of Governor's office.—(1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.

(2) The Governor shall not hold any other office of profit.

(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.

¹[(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.]

(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

159. Oath or affirmation by the Governor.—Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the senior most Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say—

“I, A. B., do swear in the name of God that I will faithfully execute the
solemnly affirm

office of Governor (or discharge the functions of the Governor) of(*name of the State*) and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of(*name of the State*).”.

1. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 7 (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 6—राज्य)

परन्तु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पदग्रहण नहीं कर लेता है।

157. राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं— कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।

158. राज्यपाल के पद के लिए शर्तें— (1) राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पदग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(2) राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

(3) राज्यपाल, बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।

¹[(3क) जहां एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आबंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे।]

(4) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।

159. राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान— प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पदग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्:—

ईश्वर की शपथ लेता हूं

“मैं, अमुक,----- कि मैं श्रद्धापूर्वक.....

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं

(राज्य का नाम) के राज्यपाल के पद का कार्यपालन (अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं..... (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा।”।

160. Discharge of the functions of the Governor in certain contingencies.—The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.

161. Power of Governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases.—The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

162. Extent of executive power of State.—Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of a State shall extend to the matters with respect to which the Legislature of the State has power to make laws:

Provided that in any matter with respect to which the Legislature of a State and Parliament have power to make laws, the executive power of the State shall be subject to, and limited by, the executive power expressly conferred by this Constitution or by any law made by Parliament upon the Union or authorities thereof.

Council of Ministers

163. Council of Ministers to aid and advise Governor.—(1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.

(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.

(3) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court.

164. Other provisions as to Ministers.—(1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor:

(भाग 6—राज्य)

160. कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन— राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है।

161. क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति— किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।

162. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार— इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है:

परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधान-मंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी।

मंत्रि-परिषद्

163. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्— (1) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं।

(3) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।

164. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध— (1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे:

(Part VI.—The States)

Provided that in the States of ¹[Chhattisgarh, Jharkhand], Madhya Pradesh and ²[Odisha] there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work.

³[(1A) The total number of Ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers in a State shall not exceed fifteen per cent. of the total number of members of the Legislative Assembly of that State:

Provided that the number of Ministers, including the Chief Minister in a State shall not be less than twelve:

Provided further that where the total number of Ministers including the Chief Minister in the Council of Ministers in any State at the commencement of the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003 exceeds the said fifteen per cent. or the number specified in the first proviso, as the case may be, then the total number of Ministers in that State shall be brought in conformity with the provisions of this clause within six months from such date⁴ as the President may by public notification appoint.

(1B) A member of the Legislative Assembly of a State or either House of the Legislature of a State having Legislative Council belonging to any political party who is disqualified for being a member of that House under paragraph 2 of the Tenth Schedule shall also be disqualified to be appointed as a Minister under clause (1) for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire or where he contests any election to the Legislative Assembly of a State or either House of the Legislature of a State having Legislative Council, as the case may be, before the expiry of such period, till the date on which he is declared elected, whichever is earlier.]

(2) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.

(3) Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule.

1. Subs. by the Constitution (Ninety-fourth Amendment) Act, 2006, s. 2, for "Bihar" (w.e.f. 12-6-2006).

2. Subs. by the Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 (15 of 2011), s. 4, for "Orissa" (w.e.f. 1-11-2011).

3. Ins. by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, s. 3 (w.e.f. 1-1-2004).

4. 7-1-2004, *vide* notification number S.O. 21(E), dated 7-1-2004.

परंतु ¹[छत्तीसगढ़, झारखंड,] मध्य प्रदेश और ²[ओडिशा] राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भारसाधक हो सकेगा ।

³[(1क) किसी राज्य की मंत्रि-परिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहां संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्रि-परिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, यथास्थिति, उक्त पंद्रह प्रतिशत या पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख⁴ से, जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे, छह मास के भीतर इस खंड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी ।

(1ख) किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधान सभा का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद् है, कोई सदस्य जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरहित है, अपनी निरहता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह, ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा के लिए या विधान परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरहित होगा ।]

(2) मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(3) किसी मंत्री द्वारा अपना पदग्रहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा ।

1. संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 2 द्वारा (12-6-2006 से) "बिहार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011 का 15) की धारा 4 द्वारा (1-11-2011 से) "उड़ीसा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा (1-1-2004 से) अंतःस्थापित ।

4. देखिए अधिसूचना सं. का.आ. 21(अ), तारीख 7-1-2004 ।

(Part VI.—The States)

(4) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislature of the State shall at the expiration of that period cease to be a Minister.

(5) The salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time to time by law determine and, until the Legislature of the State so determines, shall be as specified in the Second Schedule.

The Advocate-General for the State

165. Advocate-General for the State.—(1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.

(2) It shall be the duty of the Advocate-General to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.

(3) The Advocate-General shall hold office during the pleasure of the Governor, and shall receive such remuneration as the Governor may determine.

Conduct of Government Business

166. Conduct of Business of the Government of a State.—(1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.

(2) Orders and other instruments made and executed in the name of the Governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the Governor, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the Governor.

(3) The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among Ministers of the said business in so far as it is not business with respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion.

(भाग 6—राज्य)

(4) कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा ।

(5) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे और जब तक उस राज्य का विधान-मंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

राज्य का महाधिवक्ता

165. राज्य का महाधिवक्ता—(1) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा ।

(2) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों ।

(3) महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे ।

सरकारी कार्य का संचालन

166. राज्य की सरकार के कार्य का संचालन—(1) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी ।

(2) राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है ।

(3) राज्यपाल, राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे वहां तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा ।

(Part VI.—The States)

¹(4)*

*

*

*

*

167. Duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to Governor, etc.—It shall be the duty of the Chief Minister of each State—

(a) to communicate to the Governor of the State all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation;

(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as the Governor may call for; and

(c) if the Governor so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.

CHAPTER III.—THE STATE LEGISLATURE

General

168. Constitution of Legislatures in States.—(1) For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and—

(a) in the States of ^{2***} ³[Andhra Pradesh], Bihar, ^{4***} ⁵[Madhya Pradesh], ^{6***} ⁷[Maharashtra], ⁸[Karnataka], ^{9***}

1. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 28 (w.e.f. 3-1-1977) and omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 23 (w.e.f. 20-6-1979).

2. The words "Andhra Pradesh," omitted by the Andhra Pradesh Legislative Council (Abolition) Act, 1985 (34 of 1985), s. 4 (w.e.f. 1-6-1985).

3. Ins. by the Andhra Pradesh Legislative Council Act, 2005 (1 of 2006), s. 3 (w.e.f. 30-3-2007).

4. The word "Bombay" omitted by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960) s. 20 (w.e.f. 1-5-1960).

5. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 8 (w.e.f. 1-11-1956).

6. The words "Tamil Nadu," omitted by the Tamil Nadu Legislative Council (Abolition) Act, 1986 (40 of 1986), s. 4 (w.e.f. 1-11-1986).

7. Ins. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 20 (w.e.f. 1-5-1960).

8. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) Act, 1973 (31 of 1973), s. 4, for "Mysore" (w.e.f. 1-11-1973), which was inserted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 8(1) (w.e.f. 1-11-1956).

9. The word "Punjab," omitted by the Punjab Legislative Council (Abolition) Act, 1969 (46 of 1969), s. 4 (w.e.f. 7-1-1970).

¹(4)* * * *

167. राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य—
प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे;

(ख) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह दे; और

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे ।

अध्याय 3—राज्य का विधान-मंडल

साधारण

168. राज्यों के विधान-मंडलों का गठन—(1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान-मंडल होगा जो राज्यपाल और—

(क) ^{2***} ³[आंध्र प्रदेश], बिहार, ^{4***} ⁵[मध्य प्रदेश,] ^{6***} ⁷[महाराष्ट्र],
⁸[कर्नाटक] ^{9***}

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 28 द्वारा (3-1-1977 से) और उसका संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 23 द्वारा (20-6-1979 से) अन्तःस्थापित ।
2. "आंध्र प्रदेश" शब्दों का आंध्र प्रदेश विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1985 (1985 का 34) की धारा 4 द्वारा (1-6-1985 से) लोप किया गया ।
3. आंध्र प्रदेश विधान परिषद् अधिनियम, 2005 (2006 का 1) की धारा 3 द्वारा (30-3-2007 से) अंतःस्थापित ।
4. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 20 द्वारा (1-5-1960 से) "मुंबई" शब्द का लोप किया गया ।
5. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 8 द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित ।
6. तमिलनाडु विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 40) की धारा 4 द्वारा (1-11-1986 से) "तमिलनाडु" शब्द का लोप किया गया ।
7. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 20 द्वारा (1-5-1960 से) अंतःस्थापित ।
8. मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 4 द्वारा (1-11-1973 से) "मैसूर" के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित किया गया था ।
9. पंजाब विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1969 (1969 का 46) की धारा 4 द्वारा (7-1-1970 से) "पंजाब" शब्द का लोप किया गया ।

(Part VI.—The States)

¹[²[Tamil Nadu, Telangana]] ³[and Uttar Pradesh], two Houses;
(b) in other States, one House.

(2) Where there are two Houses of the Legislature of a State, one shall be known as the Legislative Council and the other as the Legislative Assembly, and where there is only one House, it shall be known as the Legislative Assembly.

169. Abolition or creation of Legislative Councils in States.—(1) Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting.

(2) Any law referred to in clause (1) shall contain such provisions for the amendment of this Constitution as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as Parliament may deem necessary.

(3) No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

⁴[**170. Composition of the Legislative Assemblies.**—(1) Subject to the provisions of article 333, the Legislative Assembly of each State shall consist of not more than five hundred, and not less than sixty, members chosen by direct election from territorial constituencies in the State.

(2) For the purposes of clause (1), each State shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall, so far as practicable, be the same throughout the State.

2. The words "Tamil Nadu" ins. by the Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010 (16 of 2010), s. 3 (date to be notified).

2. Subs. by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), s. 96, for "Tamil Nadu" (w.e.f. 1-6-2014).

3. Subs. by the West Bengal Legislative Council (Abolition) Act, 1969 (20 of 1969), s. 4 for "Uttar Pradesh and West Bengal" (w.e.f. 1-8-1969).

4. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 9, for art. 170 (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 6—राज्य)

¹[²तमिलनाडु, तेलंगाना]] ³[और उत्तर प्रदेश] राज्यों में दो सदनों से;

(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से,

मिलकर बनेगा ।

(2) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां एक का नाम विधान परिषद् और दूसरे का नाम विधान सभा होगा और जहां केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधान सभा होगा ।

169. राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन—(1) अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी, संसद् विधि द्वारा किसी विधान परिषद् वाले राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में, जिसमें विधान परिषद् नहीं है, विधान परिषद् के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधान सभा ने इस आशय का संकल्प विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया है ।

(2) खंड (1) में विनिर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद् आवश्यक समझे ।

(3) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी ।

⁴[**170. विधान सभाओं की संरचना**—(1) अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पांच सौ से अनधिक और साठ से अन्यून, सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(2) खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो ।

1. तमिलनाडु विधान परिषद् अधिनियम, 2010 (2010 का 16) की धारा 3 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) "तमिलनाडु" शब्द अंतःस्थापित ।
2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 96 द्वारा (1-6-2014 से) "तमिलनाडु" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. बंगाल विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1969 (1969 का 20) की धारा 4 द्वारा (1-8-1969 से) "उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 9 द्वारा (1-11-1956 से) "अनुच्छेद 170" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[*Explanation*.—In this clause, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

Provided that the reference in this *Explanation* to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year ²[2026] have been published, be construed as a reference to the ³[2001] census.]

(3) Upon the completion of each census, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine:

Provided that such readjustment shall not affect representation in the Legislative Assembly until the dissolution of the then existing Assembly:

⁴[Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the President may, by order, specify and until such readjustment takes effect, any election to the Legislative Assembly may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment:

Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year ²[2026] have been published, it shall not be necessary to ⁵[readjust—

(i) the total number of seats in the Legislative Assembly of each State as readjusted on the basis of the 1971 census; and

(ii) the division of such State into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of the ³[2001] census,

under this clause.]

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 29, for the *Explanation* (w.e.f. 3-1-1977).

2. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 5, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).

3. Subs. by the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003, s. 4, for "1991" (w.e.f. 22-6-2003). The figures "1991" were substituted for the original figures "1971" by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 5 (w.e.f. 21-2-2002).

4. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 29 (w.e.f. 3-1-1977).

5. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 5, for certain words (w.e.f. 21-2-2002).

¹**स्पष्टीकरण**— इस खंड में “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं:

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् ²[2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ³[2001] की जनगणना के प्रतिनिर्देश है ।]

(3) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनःसमायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे:

परंतु ऐसे पुनः समायोजन से विधान सभा में प्रतिनिधित्व पद पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है:

⁴परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं:

परंतु यह और भी कि जब तक सन् ²[2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक ⁵[इस खंड के अधीन,—

(i) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों की कुल संख्या का; और

(ii) ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो ³[2001] की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं,

पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा ।]

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 29 द्वारा (3-1-1977 से) स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 5 द्वारा (21-2-2002 से) “2000” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 द्वारा (22-6-2003 से) “1991” के स्थान पर प्रतिस्थापित । संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 5 द्वारा (21-2-2002 से) मूल अंक “1971 के स्थान पर “1991” अंक प्रतिस्थापित किए गए थे ।
4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 29 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।
5. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 5 द्वारा (21-2-2002 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

171. Composition of the Legislative Councils.—(1) The total number of members in the Legislative Council of a State having such a Council shall not exceed ¹[one-third] of the total number of members in the Legislative Assembly of that State:

Provided that the total number of members in the Legislative Council of a State shall in no case be less than forty.

(2) Until Parliament by law otherwise provides, the composition of the Legislative Council of a State shall be as provided in clause (3).

(3) Of the total number of members of the Legislative Council of a State—

(a) as nearly as may be, one-third shall be elected by electorates consisting of members of municipalities, district boards and such other local authorities in the State as Parliament may by law specify;

(b) as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons residing in the State who have been for at least three years graduates of any university in the territory of India or have been for at least three years in possession of qualifications prescribed by or under any law made by Parliament as equivalent to that of a graduate of any such university;

(c) as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least three years engaged in teaching in such educational institutions within the State, not lower in standard than that of a secondary school, as may be prescribed by or under any law made by Parliament;

(d) as nearly as may be, one-third shall be elected by the members of the Legislative Assembly of the State from amongst persons who are not members of the Assembly;

(e) the remainder shall be nominated by the Governor in accordance with the provisions of clause (5).

(4) The members to be elected under sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) shall be chosen in such territorial constituencies as may be prescribed

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 10, for "one-fourth" (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 6—राज्य)

171. विधान परिषदों की संरचना— (1) विधान परिषद् वाले राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के ¹[एक-तिहाई] से अधिक नहीं होगी:

परंतु किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में चालीस से कम नहीं होगी ।

(2) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद् की संरचना खंड (3) में उपबंधित रीति से होगी ।

(3) किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का—

(क) यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जो संसद् विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा;

(ख) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं या जिनके पास कम से कम तीन वर्ष से ऐसी अर्हताएं हैं जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गई हों;

(ग) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में, जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं, पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं;

(घ) यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं;

(ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड (5) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(4) खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में चुने जाएंगे, जो संसद् द्वारा बनाई गई

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 10 द्वारा (1-11-1956 से) "एक चौथाई" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

by or under any law made by Parliament, and the elections under the said sub-clauses and under sub-clause (d) of the said clause shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) The members to be nominated by the Governor under sub-clause (e) of clause (3) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely:—

Literature, science, art, co-operative movement and social service.

172. Duration of State Legislatures.—(1) Every Legislative Assembly of every State, unless sooner dissolved, shall continue for ¹[five years] from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of ¹[five years] shall operate as a dissolution of the Assembly:

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

(2) The Legislative Council of a State shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

173. Qualification for membership of the State Legislature.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he—

²[(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;]

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 30, for "five years" (w.e.f. 3-1-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 24, for "six years" (w.e.f. 6-9-1979).

2. Subs. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 4, for cl. (a) (w.e.f. 5-10-1963).

(भाग 6—राज्य)

विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड (घ) के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे।

(5) राज्यपाल द्वारा खंड (3) के उपखंड (ड) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्:—

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा।

172. राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि—(1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से ¹[पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और ¹[पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा:

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात् की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(2) राज्य की विधान परिषद् का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे।

173. राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधान-मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

²[(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;]

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 द्वारा (3-1-1977 से) "पांच वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 द्वारा (6-9-1979 से) "छह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 4 द्वारा (5-10-1963 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part VI.—The States)

(b) is, in the case of a seat in the Legislative Assembly, not less than twenty-five years of age and, in the case of a seat in the Legislative Council, not less than thirty years of age; and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

¹[**174. Sessions of the State Legislature, prorogation and dissolution.**—(1) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

(2) The Governor may from time to time—

(a) prorogue the House or either House;

(b) dissolve the Legislative Assembly.]

175. Right of Governor to address and send messages to the House or Houses.—(1) The Governor may address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of the State, or both Houses assembled together, and may for that purpose require the attendance of members.

(2) The Governor may send messages to the House or Houses of the Legislature of the State, whether with respect to a Bill then pending in the Legislature or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration.

176. Special address by the Governor.—(1) At the commencement of ²[the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year], the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons.

(2) Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the House or either House for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address ^{3***}.

1. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 8, for art.174 (w.e.f. 18-6-1951).

2. Subs. by s. 9, *ibid.*, for "every session" (w.e.f. 18-6-1951).

3. The words "and for the precedence of such discussion over other business of the House" omitted by s. 9, *ibid.* (w.e.f. 18-6-1951).

(ख) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद् के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।

¹[174. राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन—(1) राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) राज्यपाल, समय-समय पर,—

(क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा;

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा ।]

175. सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार—(1) राज्यपाल, विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में, अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) राज्यपाल, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा ।

176. राज्यपाल का विशेष अभिभाषण—(1) राज्यपाल, ²[विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में] और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान-मंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा ।

(2) सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए ³*** उपबंध किया जाएगा ।

1. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 8 द्वारा (18-6-1951 से) "अनुच्छेद 174" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 9 द्वारा (18-6-1951 से) "प्रत्येक सत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 9 द्वारा (18-6-1951 से) "तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए" शब्दों का लोप किया गया ।

177. Rights of Ministers and Advocate-General as respects the Houses.—Every Minister and the Advocate-General for a State shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly of the State or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses, and to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, any committee of the Legislature of which he may be named a member, but shall not, by virtue of this article, be entitled to vote.

Officers of the State Legislature

178. The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly.—Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

179. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker.—A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of an Assembly—

(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly;

(b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office; and

(c) may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly:

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution:

Provided further that, whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution.

180. Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker.—(1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose.

(2) During the absence of the Speaker from any sitting of the Assembly the Deputy Speaker or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Assembly, shall act as Speaker.

(भाग 6—राज्य)

177. सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार—प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधान-मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी

178. विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष—प्रत्येक राज्य की विधान सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

179. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना—विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

(क) यदि विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; और

(ग) विधान सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा:

परंतु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो:

परंतु यह और कि जब कभी विधान सभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात् होने वाले विधान सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा।

180. अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति—(1) जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधान सभा का ऐसा सदस्य, जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) विधान सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विधान सभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

181. The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.—(1) At any sitting of the Legislative Assembly, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 180 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker or, as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.

(2) The Speaker shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly while any resolution for his removal from office is under consideration in the Assembly and shall, notwithstanding anything in article 189, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of an equality of votes.

182. The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council.—The Legislative Council of every State having such Council shall, as soon as may be, choose two members of the Council to be respectively Chairman and Deputy Chairman thereof and, so often as the office of Chairman or Deputy Chairman becomes vacant, the Council shall choose another member to be Chairman or Deputy Chairman, as the case may be.

183. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Chairman and Deputy Chairman.—A member holding office as Chairman or Deputy Chairman of a Legislative Council—

(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Council;

(b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Chairman, to the Deputy Chairman, and if such member is the Deputy Chairman, to the Chairman, resign his office; and

(c) may be removed from his office by a resolution of the Council passed by a majority of all the then members of the Council:

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution.

184. Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman.—(1) While the office of Chairman is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council as the Governor may appoint for the purpose.

(भाग 6—राज्य)

181. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना— (1) विधान सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 180 के खंड (2) के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वह उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है।

(2) जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधान सभा में विचाराधीन है तब उसको विधान सभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह अनुच्छेद 189 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा।

182. विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति— विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद्, यथाशीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी और जब-जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब परिषद् किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, सभापति या उपसभापति चुनेगी।

183. सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना— विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

(क) यदि विधान परिषद् का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य सभापति है तो उपसभापति को संबोधित और यदि वह सदस्य उपसभापति है तो सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; और

(ग) विधान परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा:

परंतु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो।

184. सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति— (1) जब सभापति का पद रिक्त है तब उपसभापति, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो विधान परिषद् का ऐसा सदस्य, जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) During the absence of the Chairman from any sitting of the Council the Deputy Chairman or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Council, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Council, shall act as Chairman.

185. The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.—(1) At any sitting of the Legislative Council, while any resolution for the removal of the Chairman from his office is under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 184 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman or, as the case may be, the Deputy Chairman is absent.

(2) The Chairman shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Council while any resolution for his removal from office is under consideration in the Council and shall, notwithstanding anything in article 189, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of an equality of votes.

186. Salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman.—There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council, such salaries and allowances as may be respectively fixed by the Legislature of the State by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

187. Secretariat of State Legislature.—(1) The House or each House of the Legislature of a State shall have a separate secretarial staff:

Provided that nothing in this clause shall, in the case of the Legislature of a State having a Legislative Council, be construed as preventing the creation of posts common to both Houses of such Legislature.

(2) The Legislature of a State may by law regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the House or Houses of the Legislature of the State.

(2) विधान परिषद् की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो विधान परिषद् की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विधान परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, सभापति के रूप में कार्य करेगा ।

185. जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना— (1) विधान परिषद् की किसी बैठक में, जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति, या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 184 के खंड (2) के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है ।

(2) जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधान परिषद् में विचाराधीन है तब उसको विधान परिषद् में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह अनुच्छेद 189 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

186. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते— विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदाय किया जाएगा ।

187. राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय— (1) राज्य के विधान-मंडल के सदन का या प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृन्द होगा:

परंतु विधान परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल की दशा में, इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है ।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्तों का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगा ।

(3) Until provision is made by the Legislature of the State under clause (2), the Governor may, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the Assembly or the Council, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause.

Conduct of Business

188. Oath or affirmation by members.—Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

189. Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum.—(1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of a House of the Legislature of a State shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or Chairman, or person acting as such.

The Speaker or Chairman, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.

(2) A House of the Legislature of a State shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the Legislature of a State shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

¹[(3) Until the Legislature of the State by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of a House of the Legislature of a State shall be ten members or one-tenth of the total number of members of the House, whichever is greater.

(4) If at any time during a meeting of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State there is no quorum, it shall be the duty of the Speaker or Chairman, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.]

1. Omitted by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 31 (date not notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 20-6-1979).

(भाग 6—राज्य)

(3) जब तक राज्य का विधान-मंडल खंड (2) के अधीन उपबंध नहीं करता है तब तक राज्यपाल, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात् विधान सभा के या विधान परिषद् के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे ।

कार्य संचालन

188. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान—राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

189. सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति—(1) इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण, अध्यक्ष या सभापति को अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा ।

अध्यक्ष या सभापति, अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

(2) राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी, उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति, जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाही विधिमान्य होगी ।

¹[(3) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति दस सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी ।

(4) यदि राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है ।]

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 31 द्वारा (तारीख अधिसूचित नहीं की गई) । इस संशोधन का संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 45 द्वारा (20-6-1979 से) लोप कर दिया गया ।

(Part VI.—The States)

Disqualifications of Members

190. Vacation of seats.—(1) No person shall be a member of both Houses of the Legislature of a State and provision shall be made by the Legislature of the State by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one house or the other.

(2) No person shall be a member of the Legislatures of two or more States specified in the First Schedule and if a person is chosen a member of the Legislatures of two or more such States, then, at the expiration of such period as may be specified in rules¹ made by the President, that person's seat in the Legislatures of all such States shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislatures of all but one of the States.

(3) If a member of a House of the Legislature of a State—

(a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in ²[clause (1) or clause (2) of article 191]; or

³[(b) resigns his seat by writing under his hand addressed to the speaker or the Chairman, as the case may be, and his resignation is accepted by the Speaker or the Chairman, as the case may be,]

his seat shall thereupon become vacant:

⁴[Provided that in the case of any resignation referred to in sub-clause (b), if from information received or otherwise and after making such inquiry as he thinks fit, the Speaker or the Chairman, as the case may be, is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation.]

(4) If for a period of sixty days a member of a House of the Legislature of a State is without permission of the House absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant:

Provided that in computing the said period of sixty days no account shall be taken of any period during which the House is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

1. See the Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950 published by the Ministry of Law Notification number F. 46/50-C, dated the 26th January, 1950, Gazette of India, Extraordinary, p. 678.

2. Subs. by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 4, for "clause (1) of article 191" (w.e.f. 1-3-1985).

3. Subs. by the Constitution (Thirty-third Amendment) Act, 1974, s. 3 (w.e.f. 19-5-1974).

4. Ins. by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 19-5-1974).

(भाग 6—राज्य)

सदस्यों की निरर्हताएं

190. स्थानों का रिक्त होना—(1) कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों¹ में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे सभी राज्यों के विधान-मंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधान-मंडलों में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है ।

(3) यदि राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य—

(क) ²[अनुच्छेद 191 के खंड (2)] में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है; या

³[(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,]

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा:

⁴[परंतु उपखंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा ।]

(4) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा:

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है ।

1. देखिए विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 46/50-सी, दिनांक 26 जनवरी, 1950, भारत का राजपत्र, असाधारण, पृ० 678 में प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 ।

2. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 4 द्वारा (1-3-1985 से) "अनुच्छेद 191 के खंड (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा (19-5-1974 से) प्रतिस्थापित ।

4. संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा (19-5-1974 से) अंतःस्थापित ।

191. Disqualifications for membership.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—

¹[(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;]

(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(c) if he is an undischarged insolvent;

(d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;

(e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament.

²[*Explanation.*—For the purposes of this clause], a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State.

³(2) A person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State if he is so disqualified under the Tenth Schedule.]

⁴[**192. Decision on questions as to disqualifications of members.**—(1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 32 to read as "(a) if he holds any such office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule as is declared by Parliament by law to disqualify its holder" (date not notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 20-6-1979).

2. Subs. by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 5, for "(2) For the purposes of this article" (w.e.f. 1-3-1985).

3. Ins. by s. 5, *ibid.* (w.e.f. 1-3-1985).

4. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 33, for art. 192 (w.e.f. 3-1-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 25, for art. 192 (w.e.f. 20-6-1979).

191. सदस्यता के लिए निरर्हताएं— (1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा—

¹[(क) यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;]

(ख) यदि वह विकृतचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

²[**स्पष्टीकरण—** इस खंड के प्रयोजनों के लिए,] कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

³[(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

⁴[**192. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय—** (1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 32 द्वारा (तारीख अधिसूचित नहीं की गई) इस प्रकार पढ़े जाने के लिए प्रतिस्थापित किया गया : "(क) यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा लाभ का पद धारण करता है, जिसे संसद् ने विधि द्वारा उसके धारक को निरर्हित घोषित किया है ।" इस संशोधन का संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 45 द्वारा (20-6-1979 से) लोप कर दिया गया ।

2. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) "(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) अंतःस्थापित ।

4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 33 द्वारा (3-1-1977 से) प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 192 प्रतिस्थापित ।

(2) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.]

193. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 188 or when not qualified or when disqualified.—If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of article 188, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament or the Legislature of the State, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the State.

*Powers, Privileges and Immunities of State Legislatures
and their Members*

194. Powers, privileges, etc., of the Houses of Legislatures and of the members and committees thereof.—(1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State.

(2) No member of the Legislature of a State shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Legislature or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of a House of such a Legislature of any report, paper, votes or proceedings.

¹[(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 34 to read as follows :

"(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be those of that House, and of its members and Committees, at the commencement of section 34 of the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, and as may be evolved by such House of the House of the People, and of its members and committees where such House is the Legislative Assembly and in accordance with those of the Council of States, and of its members and committees where such House is the Legislative Council." (date not notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 19-6-1979)."

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।]

193. अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति—यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ या निरर्हित कर दिया गया हूँ या संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसी करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूँ, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी ।

राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

194. विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, आदि—(1) इस संविधान के उपबंधों के और विधान-मंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्-स्वातंत्र्य होगा ।

(2) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में विधान-मंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

¹[(3) अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की और ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जो वह विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा परिनिश्चित करे

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 34 द्वारा निम्नलिखित रूप में पढ़े जाने के लिए प्रतिस्थापित किया गया : —

"(3) अन्य बातों में किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की और ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ वे होंगी, जो संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 34 के प्रारंभ पर थी और जो लोक सभा द्वारा ऐसे सदन और उसके सदस्यों और समितियों के लिए व्यक्त की जाएं, जहां ऐसा सदन विधान सभा है और राज्य सभा द्वारा ऐसे सदन और उसके सदस्यों और समितियों के लिए व्यक्त की जाएं, जहां ऐसा सदन विधान परिषद् है ।"¹ इस संशोधन का संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 45 द्वारा (19-6-1979 से) लोप कर दिया गया ।

by the Legislature by law, and, until so defined, ¹[shall be those of that House and of its members and committees immediately before the coming into force of section 26 of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978].

(4) The provisions of clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, a House of the Legislature of a State or any committee thereof as they apply in relation to members of that Legislature.

195. Salaries and allowances of members.—Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined, by the Legislature of the State by law and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province.

Legislative Procedure

196. Provisions as to introduction and passing of Bills.—(1) Subject to the provisions of articles 198 and 207 with respect to Money Bills and other financial Bills, a Bill may originate in either House of the Legislature of a State which has a Legislative Council.

(2) Subject to the provisions of articles 197 and 198, a Bill shall not be deemed to have been passed by the Houses of the Legislature of a State having a Legislative Council unless it has been agreed to by both Houses, either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both Houses.

(3) A Bill pending in the Legislature of a State shall not lapse by reason of the prorogation of the House or Houses thereof.

(4) A Bill pending in the Legislative Council of a State which has not been passed by the Legislative Assembly shall not lapse on a dissolution of the Assembly.

(5) A Bill which is pending in the Legislative Assembly of a State, or which having been passed by the Legislative Assembly is pending in the Legislative Council, shall lapse on a dissolution of the Assembly.

197. Restriction on powers of Legislative Council as to Bills other than Money Bills.—(1) If after a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council and transmitted to the Legislative Council—

1. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 26, for certain words (w.e.f. 20-6-1979).

और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक ¹[वही होंगी जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 26 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं]]

(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं ।

195. सदस्यों के वेतन और भत्ते—राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जो तत्स्थानी प्रांत की विधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थीं, प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

विधायी प्रक्रिया

196. विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध—(1) धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक विधान परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा ।

(2) अनुच्छेद 197 और अनुच्छेद 198 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक विधान परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित, जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं, उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं ।

(3) किसी राज्य के विधान-मंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा ।

(4) किसी राज्य की विधान परिषद् में लंबित विधेयक, जिसको विधान सभा ने पारित नहीं किया है, विधान सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा।

(5) कोई विधेयक, जो किसी राज्य की विधान सभा में लंबित है या जो विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद् में लंबित है, विधान सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा ।

197. धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियाँ पर निर्बंधन—(1) यदि विधान परिषद् वाले राज्य की विधान सभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद् को पारेषित किए जाने के पश्चात्—

1. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 26 द्वारा (20-6-1979 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part VI.—The States)

(a) the Bill is rejected by the Council; or

(b) more than three months elapse from the date on which the Bill is laid before the Council without the Bill being passed by it; or

(c) the Bill is passed by the Council with amendments to which the Legislative Assembly does not agree;

the Legislative Assembly may, subject to the rules regulating its procedure, pass the Bill again in the same or in any subsequent session with or without such amendments, if any, as have been made, suggested or agreed to by the Legislative Council and then transmit the Bill as so passed to the Legislative Council.

(2) If after a Bill has been so passed for the second time by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council—

(a) the Bill is rejected by the Council; or

(b) more than one month elapses from the date on which the Bill is laid before the Council without the Bill being passed by it; or

(c) the Bill is passed by the Council with amendments to which the Legislative Assembly does not agree;

the Bill shall be deemed to have been passed by the Houses of the Legislature of the State in the form in which it was passed by the Legislative Assembly for the second time with such amendments, if any, as have been made or suggested by the Legislative Council and agreed to by the Legislative Assembly.

(3) Nothing in this article shall apply to a Money Bill.

198. Special procedure in respect of Money Bills.—(1) A Money Bill shall not be introduced in a Legislative Council.

(2) After a Money Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council, it shall be transmitted to the Legislative Council for its recommendations, and the Legislative Council shall within a period of fourteen days from the date of its receipt of the Bill return the Bill to the Legislative Assembly with its recommendations, and the Legislative Assembly may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Legislative Council.

(3) If the Legislative Assembly accepts any of the recommendations of the Legislative Council, the Money Bill shall be deemed to have been passed by both Houses with the amendments recommended by the Legislative Council and accepted by the Legislative Assembly.

(4) If the Legislative Assembly does not accept any of the

(भाग 6—राज्य)

(क) विधान परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है; या

(ख) विधान परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से, उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना, तीन मास से अधिक बीत गए हैं; या

(ग) विधान परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिनसे विधान सभा सहमत नहीं होती है,

तो विधान सभा विधेयक को, अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, उसी या किसी पश्चातवर्ती सत्र में ऐसे संशोधनों सहित या उसके बिना, यदि कोई हो, जो विधान परिषद् ने किए हैं, सुझाए हैं या जिनसे विधान परिषद् सहमत है, पुनः पारित कर सकेगी और तब इस प्रकार पारित विधेयक को विधान परिषद् को पारेषित कर सकेगी ।

(2) यदि विधान सभा द्वारा विधेयक इस प्रकार दुबारा पारित कर दिए जाने और विधान परिषद् को पारेषित किए जाने के पश्चात्—

(क) विधान परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है; या

(ख) विधान परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से, उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना, एक मास से अधिक बीत गया है; या

(ग) विधान परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिनसे विधान सभा सहमत नहीं होती है,

तो विधेयक राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जो विधान परिषद् ने किए हैं या सुझाए हैं और जिनसे विधान सभा सहमत है, उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधान सभा द्वारा दुबारा पारित किया गया था ।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी ।

198. धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया—(1) धन विधेयक विधान परिषद् में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा ।

(2) धन विधेयक विधान परिषद् वाले राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् विधान परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित किया जाएगा और विधान परिषद् विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधान सभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर विधान सभा, विधान परिषद् की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी ।

(3) यदि विधान सभा, विधान परिषद् की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक विधान परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए और विधान सभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा ।

(4) यदि विधान सभा, विधान परिषद् की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं

(Part VI.—The States)

recommendations of the Legislative Council, the Money Bill shall be deemed to have been passed by both Houses in the form in which it was passed by the Legislative Assembly without any of the amendments recommended by the Legislative Council.

(5) If a Money Bill passed by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council for its recommendations is not returned to the Legislative Assembly within the said period of fourteen days, it shall be deemed to have been passed by both Houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the Legislative Assembly.

199. Definition of “Money Bills”.—(1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely:—

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

(b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the State, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the State;

(c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of the State, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;

(d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State;

(e) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, or the increasing of the amount of any such expenditure;

(f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of the State or the public account of the State or the custody or issue of such money; or

(g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f).

(2) A Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) If any question arises whether a Bill introduced in the Legislature of

करती है तो धन विधेयक विधान परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना, दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधान सभा द्वारा पारित किया गया था ।

(5) यदि विधान सभा द्वारा पारित और विधान परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित धन विधेयक उक्त चौदह दिन की अवधि के भीतर विधान सभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधान सभा द्वारा पारित किया गया था ।

199. “धन विधेयक” की परिभाषा—(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात्:—

(क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन;

(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन;

(ग) राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना;

(घ) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग;

(ङ) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना;

(च) राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मद्धे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन; या

(छ) उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय ।

(2) कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा, कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है ।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मंडल

a State which has a Legislative Council is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the Legislative Assembly of such State thereon shall be final.

(4) There shall be endorsed on every Money Bill when it is transmitted to the Legislative Council under article 198, and when it is presented to the Governor for assent under article 200, the certificate of the Speaker of the Legislative Assembly signed by him that it is a Money Bill.

200. Assent to Bills.—When a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State or, in the case of a State having a Legislative Council, has been passed by both Houses of the Legislature of the State, it shall be presented to the Governor and the Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President:

Provided that the Governor may, as soon as possible after the presentation to him of the Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill together with a message requesting that the House or Houses will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the House or Houses with or without amendment and presented to the Governor for assent, the Governor shall not withhold assent therefrom:

Provided further that the Governor shall not assent to, but shall reserve for the consideration of the President, any Bill which in the opinion of the Governor would, if it became law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that Court is by this Constitution designed to fill.

201. Bills reserved for consideration.—When a Bill is reserved by a Governor for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom:

Provided that, where the Bill is not a Money Bill, the President may direct the Governor to return the Bill to the House or, as the case may be, the Houses of the Legislature of the State together with such a message as is mentioned in the first proviso to article 200 and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider it accordingly within a period of six months from the date of receipt of such message and, if it is again passed by the House

(भाग 6—राज्य)

में पुरःस्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद् को पारेषित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है ।

200. विधेयकों पर अनुमति—जब कोई विधेयक राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद् वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है:

परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, सदन या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगा:

परंतु यह और कि जिस विधेयक से, उसके विधि बन जाने पर, राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, संकटापन्न हो जाएगा, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा ।

201. विचार के लिए आरक्षित विधेयक—जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है:

परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को, यथास्थिति, राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ, जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक में वर्णित है, लौटा दे और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया

(Part VI.—The States)

or Houses with or without amendment, it shall be presented again to the President for his consideration.

Procedure in Financial Matters

202. Annual financial statement.—(1) The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this Part referred to as the “annual financial statement”.

(2) The estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately—

(a) the sums required to meet expenditure described by this Constitution as expenditure charged upon the Consolidated Fund of the State; and

(b) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of the State,

and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.

(3) The following expenditure shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of each State—

(a) the emoluments and allowances of the Governor and other expenditure relating to his office;

(b) the salaries and allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and, in the case of a State having a Legislative Council, also of the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council;

(c) debt charges for which the State is liable including interest, sinking fund charges and redemption charges, and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemption of debt;

(d) expenditure in respect of the salaries and allowances of Judges of any High Court;

(e) any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal;

(f) any other expenditure declared by this Constitution, or by the Legislature of the State by law, to be so charged.

203. Procedure in Legislature with respect to estimates.—(1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly,

(भाग 6—राज्य)

जाएगा और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

202. वार्षिक वित्तीय विवरण— (1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहा गया है।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में—

(क) इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां; और

(ख) राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां,
पृथक्-पृथक् दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा।

(3) निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात्—

(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय;

(ख) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति के भी वेतन और भत्ते;

(ग) ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं;

(घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के संबंध में व्यय;

(ङ) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां;

(च) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है।

203. विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया— (1) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं

but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the Legislature of any of those estimates.

(2) So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the Legislative Assembly, and the Legislative Assembly shall have power to assent, or to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein.

(3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor.

204. Appropriation Bills.—(1) As soon as may be after the grants under article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of all moneys required to meet—

(a) the grants so made by the Assembly; and

(b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the House or Houses.

(2) No amendment shall be proposed to any such Bill in the House or either House of the Legislature of the State which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final.

(3) Subject to the provisions of articles 205 and 206, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of the State except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article.

205. Supplementary, additional or excess grants.—(1) The Governor shall—

(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year; or

(भाग 6—राज्य)

लगाया जाएगा कि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है ।

(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधान सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे ।

(3) किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

204. विनियोग विधेयक— (1) विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य की संचित निधि में से—

(क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की; और

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित, किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की,

पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा ।

(2) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधान-मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं ।

(3) अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 206 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं ।

205. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान— (1) यदि—

(क) अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है; या

(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be.

(2) The provisions of articles 202, 203 and 204 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand and also to any law to be made authorising the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein or to a demand for a grant and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure or grant.

206. Votes on account, votes of credit and exceptional grants.—(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have power—

(a) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 204 in relation to that expenditure;

(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resources of the State when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement;

(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year,

and the Legislature of the State shall have power to authorise by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of the State for the purposes for which the said grants are made.

(2) The provisions of articles 203 and 204 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो राज्यपाल, यथास्थिति, राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या राज्य की विधान सभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा ।

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं ।

206. लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान—(1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य की विधान सभा को—

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक, अग्रिम देने की;

(ख) जब किसी सेवा की महता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है तब राज्य के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है ऐसा कोई अपवादानुदान करने की,

शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की राज्य के विधान-मंडल को शक्ति होगी ।

(2) खंड (1) के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए

(Part VI.—The States)

for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure.

207. Special provisions as to financial Bills.—(1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council:

Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax.

(2) A Bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to that House the consideration of the Bill.

Procedure Generally

208. Rules of procedure.—(1) A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure* and the conduct of its business.

(2) Until rules are made under clause (1), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Constitution with respect to the Legislature for the corresponding Province shall have effect in relation to the Legislature of the State subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Speaker of the Legislative Assembly, or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be.

(3) In a State having a Legislative Council the Governor, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman of

* The brackets and words "(including the quorum to constitute a meeting of the House)" ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 35 (date not notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 20-6-1979).

(भाग 6—राज्य)

धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं ।

207. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध—(1) अनुच्छेद 199 के खंड (1) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद् में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा:

परंतु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी ।

(2) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके सदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है ।

(3) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर राज्य की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है ।

साधारणतया प्रक्रिया

208. प्रक्रिया के नियम—(1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया* और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा ।

(2) जब तक खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रांत के विधान-मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए उस राज्य के विधान-मंडल के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति उनमें करे ।

(3) राज्यपाल, विधान परिषद् वाले राज्य में विधान सभा के अध्यक्ष और विधान

* संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 35 द्वारा (तारीख अधिसूचित नहीं की गई) "(जिसके अन्तर्गत सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सम्मिलित है)" शब्द और कोष्ठक से अंतःस्थापित । इस संशोधन का संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 45 द्वारा (20-6-1979 से) लोप कर दिया गया ।

(Part VI.—The States)

the Legislative Council, may make rules as to the procedure with respect to communications between the two Houses.

209. Regulation by law of procedure in the Legislature of the State in relation to financial business.—The Legislature of a State may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of business in, the House or Houses of the Legislature of the State in relation to any financial matter or to any Bill for the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State, and, if and so far as any provision of any law so made is inconsistent with any rule made by the House or either House of the Legislature of the State under clause (1) of article 208 or with any rule or standing order having effect in relation to the Legislature of the State under clause (2) of that article, such provision shall prevail.

210. Language to be used in the Legislature.—(1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in the Legislature of a State shall be transacted in the official language or languages of the State or in Hindi or in English:

Provided that the Speaker of the Legislative Assembly or Chairman of the Legislative Council, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the House in his mother-tongue.

(2) Unless the Legislature of the State by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, have effect as if the words "or in English" were omitted therefrom:

¹[Provided that in relation to the ²[Legislatures of the States of Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya and Tripura] this clause shall have effect as if for the words "fifteen years" occurring therein, the words "twenty-five years" were substituted:]

³[Provided further that in relation to the ⁴[Legislatures of the States of ⁵[Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram]], this clause shall have effect as if for

1. Ins. by the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), s. 46 (w.e.f. 25-1-1971).

2. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971) s. 71, for "Legislature of the State of Himachal Pradesh" (w.e.f. 21-1-1972).

3. Ins. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 39 (w.e.f. 20-2-1987).

4. Subs. by the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), s. 42, for "Legislature of the State of Mizoram" (w.e.f. 20-2-1987).

5. Subs. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), s. 63, for "Arunachal Pradesh and Mizoram" (w.e.f. 30-5-1987).

परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात्, दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

209. राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन— किसी राज्य का विधान-मंडल, वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित, राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्य विधान-मंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा।

210. विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा— (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा:

परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो “या अंग्रेजी में” शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो:

¹[परंतु ²[हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों] के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले “पंद्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस वर्ष” शब्द रख दिए गए हों:]

³[परंतु यह और कि ⁴[⁵[अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-

1. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 46 द्वारा (25-1-1971 से) अंतःस्थापित।
2. पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 द्वारा (21-1-1972 से) “हिमाचल प्रदेश राज्य के विधान-मंडल” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित।
4. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 42 द्वारा (20-2-1987 से) “मिजोरम राज्य के विधान-मंडल” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 63 द्वारा (30-5-1987 से) “अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

the words "fifteen years" occurring therein, the words "forty years" were substituted.]

211. Restriction on discussion in the Legislature.—No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.

212. Courts not to inquire into proceedings of the Legislature.—(1) The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

(2) No officer or member of the Legislature of a State in whom powers are vested by or under this Constitution for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order, in the Legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers.

CHAPTER IV.—LEGISLATIVE POWER OF THE GOVERNOR

213. Power of Governor to promulgate Ordinances during recess of Legislature.—(1) If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require:

Provided that the Governor shall not, without instructions from the President, promulgate any such Ordinance if—

(a) a Bill containing the same provisions would under this Constitution have required the previous sanction of the President for the introduction thereof into the Legislature; or

(b) he would have deemed it necessary to reserve a Bill containing the same provisions for the consideration of the President; or

(c) an Act of the Legislature of the State containing the same provisions would under this Constitution have been invalid unless, having been reserved for the consideration of the President, it had received the assent of the President.

(2) An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, but every such Ordinance—

(भाग 6—राज्य)

मंडलों]] के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले “पंद्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “चालीस वर्ष” शब्द रख दिए गए हों ।]

211. विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन—उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए, आचरण के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा नहीं होगी ।

212. न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना—

(1) राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधान-मंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा ।

अध्याय 4 — राज्यपाल की विधायी शक्ति

213. विधान-मंडल के विभ्रान्तिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति—(1) उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधान सभा सत्र में है या विधान परिषद् वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों:

परंतु राज्यपाल, राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना, कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा यदि—

(क) वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को विधान-मंडल में पुरःस्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा इस संविधान के अधीन होती; या

(ख) वह वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता; या

(ग) वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाला राज्य के विधान-मंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अविधिमान्य होता जब तक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो गई होती ।

(2) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम का होता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(Part VI.—The States)

(a) shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council; and

(b) may be withdrawn at any time by the Governor.

Explanation.—Where the Houses of the Legislature of a State having a Legislative Council are summoned to reassemble on different dates, the period of six weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purposes of this clause.

(3) If and so far as an Ordinance under this article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, it shall be void:

Provided that, for the purposes of the provisions of this Constitution relating to the effect of an Act of the Legislature of a State which is repugnant to an Act of Parliament or an existing law with respect to a matter enumerated in the Concurrent List, an Ordinance promulgated under this article in pursuance of instructions from the President shall be deemed to be an Act of the Legislature of the State which has been reserved for the consideration of the President and assented to by him.

¹(4)*

*

*

*

1. Cl. (4) was ins. by the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975, s. 3 (with retrospective effect) and omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 27 (w.e.f. 20-6-1979).

(भाग 6—राज्य)

(क) राज्य की विधान सभा के समक्ष और विधान परिषद् वाले राज्य में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा तथा विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधान सभा उसके अननुमोदन का संकल्प पारित कर देती है और यदि विधान परिषद् है तो वह उससे सहमत हो जाती है तो, यथास्थिति, संकल्प के पारित होने पर या विधान परिषद् द्वारा संकल्प से सहमत होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा; और

(ख) राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण— जहां विधान परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के सदन, भिन्न-भिन्न तारीखों को पुनः समवेत होने के लिए, आहूत किए जाते हैं वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए छह सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चात्पूर्व तारीख से की जाएगी ।

(3) यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो राज्य के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम में, जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, अधिनियमित किए जाने पर विधिमान्य नहीं होता तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा:

परंतु राज्य के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम के, जो समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के बारे में संसद् के किसी अधिनियम या किसी विद्यमान विधि के विरुद्ध है, प्रभाव से संबंधित इस संविधान के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए यह है कि कोई अध्यादेश, जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित किया जाता है, राज्य के विधान-मंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और जिसे उसने अनुमति दे दी है ।

¹(4)*

*

*

*

1. संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) खंड (4) अंतःस्थापित किया गया था और संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 27 द्वारा (20-6-1979 से) लोप किया गया ।

CHAPTER V.—THE HIGH COURTS IN THE STATES

$$^2(3)^* \quad * \quad * \quad *$$

216. Constitution of High Courts.—Every High Court shall consist of a Chief Justice and such other Judges as the President may from time to time deem it necessary to appoint.

3* * *

Provided that—

(a) a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;

(b) a Judge may be removed from his office by the President in the

1. The bracket and figure "(1)" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
2. Cls. (2) and (3) omitted by s. 29 and Sch., *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).
3. Proviso omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 11 (w.e.f. 1-11-1956).
4. Subs. by the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, s. 6, for "after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the State, and, in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court" (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and Another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.
5. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 12, for "shall hold office until he attains the age of sixty years" (w.e.f. 1-11-1956).
6. Subs. by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, s. 4(a), for "sixty years" (w.e.f. 5-10-1963).

अध्याय 5—राज्यों के उच्च न्यायालय

214. राज्यों के लिए उच्च न्यायालय—¹*** प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा ।

²(2) * * * *

²(3) * * * *

215. उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना— प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।

216. उच्च न्यायालयों का गठन— प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे ।

³* * * *

217. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें— (1) ⁴[अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति] अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश ⁵[अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह ⁶[बासठ वर्ष] की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है:]] परंतु—

(क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) कोष्ठक और अंक “(1)” का लोप किया गया ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) खंड (2) और खंड (3) का लोप किया गया ।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 11 द्वारा (1-11-1956 से) परन्तुक का लोप किया गया ।
4. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 6 द्वारा (13-4-2015 से) “भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रपति” के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
5. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 12 द्वारा (1-11-1956 से) “तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 4(क) द्वारा (5-10-1963 से) “साठ वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part VI.—The States)

manner provided in clause (4) of article 124 for the removal of a Judge of the Supreme Court;

(c) the office of a Judge shall be vacated by his being appointed by the President to be a Judge of the Supreme Court or by his being transferred by the President to any other High Court within the territory of India.

(2) A person shall not be qualified for appointment as a Judge of a High Court unless he is a citizen of India and—

(a) has for at least ten years held a judicial office in the territory of India; or

(b) has for at least ten years been an advocate of a High Court^{1***} or of two or more such Courts in succession.^{2***}

²(c)* * * * *

Explanation.—For the purposes of this clause—

³[(a) in computing the period during which a person has held judicial office in the territory of India, there shall be included any period, after he has held any judicial office, during which the person has been an advocate of a High Court or has held the office of a member of a tribunal or any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law;]

⁴[(aa) in computing the period during which a person has been an advocate of a High Court, there shall be included any period during which the person⁵ [has held judicial office or the office of a member of a tribunal or any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law] after he became an advocate;

(b) in computing the period during which a person has held judicial office in the territory of India or been an advocate of a High Court, there shall be included any period before the commencement of this

1. The words "in any State specified in the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. The word "or" and sub-clause (c) were ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 36 (w.e.f. 3-1-1977) and omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 28 (w.e.f. 20-6-1979).

3. Ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 28 (w.e.f. 20-6-1979).

4. Cl. (a) re-lettered as cl. (aa) by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 28 (w.e.f. 20-6-1979).

5. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 36, for "has held judicial office" (w.e.f. 3-1-1977).

(भाग 6—राज्य)

लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा;

(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को, अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा ।

(2) कोई व्यक्ति, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और—

(क) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है; या

(ख) किसी ^{1***} उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है; ^{2***}

^{2(ग)*} * * * *
स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

³[(क) भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है;]

⁴[(कक) किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् ⁵न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है;]

(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य में के" शब्दों का लोप किया गया ।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 36 द्वारा (3-1-1977 से) शब्द "या" और उपखंड (ग) अंतःस्थापित किए गए और संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 28 द्वारा (20-6-1979 से) उनका लोप किया गया ।
3. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 28 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित ।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 28 द्वारा (20-6-1979 से) खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया ।
5. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 36 द्वारा (3-1-1977 से) "न्यायिक पद धारण किया हो" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Constitution during which he has held judicial office in any area which was comprised before the fifteenth day of August, 1947, within India as defined by the Government of India Act, 1935, or has been an advocate of any High Court in any such area, as the case may be.

¹[(3) If any question arises as to the age of a Judge of a High Court, the question shall be decided by the President after consultation with the Chief Justice of India and the decision of the President shall be final.]

218. Application of certain provisions relating to Supreme Court to High Courts.—The provisions of clauses (4) and (5) of article 124 shall apply in relation to a High Court as they apply in relation to the Supreme Court with the substitution of references to the High Court for references to the Supreme Court.

219. Oath or affirmation by Judges of High Courts.—Every person appointed to be a Judge of a High Court ^{2***} shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor of the State, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

³[**220. Restriction on practice after being a permanent Judge.**—No person who, after the commencement of this Constitution, has held office as a permanent Judge of a High Court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other High Courts.

Explanation.—In this article, the expression “High Court” does not include a High Court for a State specified in Part B of the First Schedule as it existed before the commencement⁴ of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956.]

221. Salaries, etc., of Judges.—⁵[(1) There shall be paid to the Judges of each High Court such salaries as may be determined by Parliament by law

1. Ins. by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, s. 4(b), (with retrospective effect).

2. The words “in a State” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

3. Subs. by s. 13, *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

4. 1st November, 1956.

5. Subs. by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Act, 1986, s. 3, for clause (1) (w.e.f. 1-4-1986).

(भाग 6—राज्य)

जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने, यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र में जो 15 अगस्त, 1947 से पहले भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में समाविष्ट था, न्यायिक पद धारण किया है या वह ऐसे किसी क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है ।

¹[(3) यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा ।]

218. उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना— अनुच्छेद 124 के खंड (4) और खंड (5) के उपबंध, जहां-जहां उनमें उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश है वहां-वहां उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके, उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं ।

219. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान—^{2***} उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पदग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

³**[220. स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन—** कोई व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में, “उच्च न्यायालय” पद के अंतर्गत संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ⁴ से पहले विद्यमान पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है ।]

221. न्यायाधीशों के वेतन आदि—⁵[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब

1. संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 4(ख) द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “किसी राज्य में” शब्दों का लोप किया गया ।

3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 13 द्वारा (1-11-1956 से) प्रतिस्थापित ।

4. 1 नवम्बर, 1956 ।

5. संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 द्वारा (1-4-1986 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.]

(2) Every Judge shall be entitled to such allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such allowances and rights as are specified in the Second Schedule:

Provided that neither the allowances of a Judge nor his rights in respect to leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.

222. Transfer of a Judge from one High Court to another.—(1) The President may, ¹[on the recommendation of the National Judicial Appointments Commission referred to in article 124A], transfer a Judge from one High Court to any other High Court ^{2***}.

³[(2) When a Judge has been or is so transferred, he shall, during the period he serves, after the commencement of the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, as a Judge of the other High Court, be entitled to receive in addition to his salary such compensatory allowance as may be determined by Parliament by law and, until so determined, such compensatory allowance as the President may by order fix.]

223. Appointment of acting Chief Justice.—When the office of Chief Justice of a High Court is vacant or when any such Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

⁴[**224. Appointment of additional and acting Judges.**—(1) If by reason of any temporary increase in the business of a High Court or by reason

1. Subs. by the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, s. 7, for "after consultation with the Chief Justice of India" (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of *Supreme Court Advocates-on-Record Association and Another Vs. Union of India* in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.

2. The words "within the territory of India" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 14 (w.e.f. 1-11-1956).

3. Ins. by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, s. 5 (w.e.f. 5-10-1963). Original cl. (2) was omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 14 (w.e.f. 1-11-1956).

4. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 15 for art. 224 (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 6—राज्य)

तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।]

(2) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का, जो संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा:

परंतु किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

222. किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण—(1) राष्ट्रपति, ¹[अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर] ^{2***} किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा ।

³[(2) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है या किया जाता है तब वह उस अवधि के दौरान, जिसके दौरान वह संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 के प्रारंभ के पश्चात् दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, प्राप्त करने का हकदार होगा ।]

223. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति—जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा ।

⁴[**224. अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति—**(1) यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के

1. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 7 द्वारा (13-4-2015 से) "भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्" के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 14 द्वारा (1-11-1956 से) "भारत के राज्यक्षेत्र में के" शब्दों का लोप किया गया ।

3. संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा (5-10-1963 से) अंतःस्थापित । संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 14 द्वारा (1-11-1956 से) मूल खंड (2) का लोप किया गया ।

4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 15 द्वारा (1-11-1956 से) अनुच्छेद 224 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part VI.—The States)

of arrears of work therein, it appears to the President that the number of the Judges of that Court should be for the time being increased, ¹[the President may, in consultation with the National Judicial Appointments Commission, appoint] duly qualified persons to be additional Judges of the Court for such period not exceeding two years as he may specify.

(2) When any Judge of a High Court other than the Chief Justice is by reason of absence or for any other reason unable to perform the duties of his office or is appointed to act temporarily as Chief Justice, ¹[the President may, in consultation with the National Judicial Appointments Commission, appoint] a duly qualified person to act as a Judge of that Court until the permanent Judge has resumed his duties.

(3) No person appointed as an additional or acting Judge of a High Court shall hold office after attaining the age of ²[sixty-two years].]

³[**224A. Appointment of retired Judges at sittings of High Courts.**—Notwithstanding anything in this Chapter, ⁴[the National Judicial Appointments Commission on a reference made to it by the Chief Justice of a High Court for any State, may with the previous consent of the President], request any person who has held the office of a Judge of that Court or of any other High Court to sit and act as a Judge of the High Court for that State, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a Judge of that High Court:

Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a Judge of that High Court unless he consents so to do.]

1. Subs. by the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, s. 8, for "the President may appoint" (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down, by the Supreme Court in the case of Supreme Court *Advocates-on-Record Association and Another Vs. Union of India* in its judgment, dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.

2 Subs. by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, s. 6, for "sixty years" (w.e.f. 5-10-1963).

3. Ins. by s. 7, *ibid.* (w.e.f. 5-10-1963).

4. Subs. by the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, s. 9, for "the Chief Justice of a High Court for any State may at any time, with the previous consent of the President" (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court *Advocates-on-Record Association and Another Vs. Union of India* in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117.

(भाग 6—राज्य)

कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए ¹[तो राष्ट्रपति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से, सम्यक् रूप से] अर्हित व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा ।

(2) जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ¹[तो राष्ट्रपति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से, सम्यक् रूप से] अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है ।

(3) उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति ²[बासठ वर्ष] की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

³[224क. उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति— इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, ⁴[राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से,] किसी व्यक्ति से, जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा:

परंतु जब तक यथापूर्ववक्त व्यक्ति उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी ।]

1. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 8 द्वारा (13-4-2015 से) "तो राष्ट्रपति सम्यक् रूप से" के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
2. संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 6 द्वारा (5-10-1963 से) "साठ वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 7 द्वारा (5-10-1963 से) अंतःस्थापित ।
4. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 9 द्वारा (13-4-2015 से) "किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से" के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य **बनाम** भारत संघ ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117 में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।

225. Jurisdiction of existing High Courts.—Subject to the provisions of this Constitution and to the provisions of any law of the appropriate Legislature made by virtue of powers conferred on that Legislature by this Constitution, the jurisdiction of, and the law administered in, any existing High Court, and the respective powers of the Judges thereof in relation to the administration of justice in the Court, including any power to make rules of Court and to regulate the sittings of the Court and of members thereof sitting alone or in Division Courts, shall be the same as immediately before the commencement of this Constitution:

¹[Provided that any restriction to which the exercise of original jurisdiction by any of the High Courts with respect to any matter concerning the revenue or concerning any act ordered or done in the collection thereof was subject immediately before the commencement of this Constitution shall no longer apply to the exercise of such jurisdiction.]

²[**226. Power of High Courts to issue certain writs.**—(1) Notwithstanding anything in article 32 ^{3***}, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases, any Government, within those territories directions, orders or writs, including ⁴[writs in the nature of *habeas corpus*, *mandamus*, prohibition, *quo warranto* and *certiorari*, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose.]

(2) The power conferred by clause (1) to issue directions, orders or writs to any Government, authority or person may also be exercised by any High Court exercising jurisdiction in relation to the territories within which the cause of action, wholly or in part, arises for the exercise of such power,

1. Omitted by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 37 (w.e.f. 1-2-1977) and subsequently ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 29 (w.e.f. 20-6-1979).

2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 38 for art. 226 (w.e.f. 1-2-1977).

3. The words, figures and letters "but subject to the provisions of article 131A and article 226A" omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 7 (w.e.f. 13-4-1978).

4. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 30, for the portion beginning with "writs in the nature of *habeas corpus*, *mandamus*, *prohibition*, *quo warranto* and *certiorari*, or any of them" and ending with "such illegality has resulted in substantial failure of justice." (w.e.f. 1-8-1979).

225. विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता— इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि तथा उस न्यायालय में न्याय प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की अपनी-अपनी शक्तियाँ, जिनके अंतर्गत न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति तथा उस न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों का चाहे वे अकेले बैठें या खंड न्यायालयों में बैठें विनियमन करने की शक्ति है, वही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले थी:

¹[परंतु राजस्व संबंधी अथवा उसका संग्रहण करने में आदिष्ट या किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की बाबत उच्च न्यायालयों में से किसी की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, जिस किसी निर्बंधन के अधीन था वह निर्बंधन ऐसी अधिकारिता के प्रयोग को ऐसे प्रारंभ के पश्चात् लागू नहीं होगा ।]

²**226. कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति** — (1) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी ³प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, ⁴[भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए] उन राज्यक्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत ⁴[बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, या उनमें से कोई] निकालने की शक्ति होगी ।]

(2) किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश या रिट निकालने की खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन राज्यक्षेत्रों के संबंध में, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वादहेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी, इस बात के होते हुए भी किया जा

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 37 द्वारा (1-2-1977 से) लोप किया गया और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 29 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 38 द्वारा (1-2-1977 से) अनुच्छेद 226 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 7 द्वारा (13-4-1978 से) "किंतु अनुच्छेद 131क और अनुच्छेद 226क के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया गया ।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 30 द्वारा (1-8-1979 से) "जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं अथवा उनमें से किसी को" से आरंभ होकर "न्याय की सारवान् निष्फलता हुई है, किसी क्षति के प्रतितोष के लिए" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part VI.—The States)

notwithstanding that the seat of such Government or authority or the residence of such person is not within those territories.

¹[(3) Where any party against whom an interim order, whether by way of injunction or stay or in any other manner, is made on, or in any proceedings relating to, a petition under clause (1), without—

(a) furnishing to such party copies of such petition and all documents in support of the plea for such interim order; and

(b) giving such party an opportunity of being heard,

makes an application to the High Court for the vacation of such order and furnishes a copy of such application to the party in whose favour such order has been made or the counsel of such party, the High Court shall dispose of the application within a period of two weeks from the date on which it is received or from the date on which the copy of such application is so furnished, whichever is later, or where the High Court is closed on the last day of that period, before the expiry of the next day afterwards on which the High Court is open; and if the application is not so disposed of, the interim order shall, on the expiry of that period, or, as the case may be, the expiry of the said next day, stand vacated.]

²[(4) The power conferred on a High Court by this article shall not be in derogation of the power conferred on the Supreme Court by clause (2) of article 32.]

³[**226A.** *Constitutional validity of Central laws not to be considered in proceedings under article 226.*].—Omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 8 (w.e.f. 13-4-1978).

227. Power of superintendence over all courts by the High Court.—

⁴[(1) Every High Court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction.]

1. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s.30, for cls. (3), (4), (5) and (6) (w.e.f. 1-8-1979).

2. Cl. (7) renumbered as cl. (4) by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 30 (w.e.f. 1-8-1979).

3. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 39 (w.e.f. 1-2-1977).

4. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 40, for cl. (1) (w.e.f. 1-2-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 31, for cl. (1) (w.e.f. 20-6-1979).

(भाग 6—राज्य)

सकेगा कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास-स्थान उन राज्यक्षेत्रों के भीतर नहीं है ।

¹[(3) जहां कोई पक्षकार, जिसके विरुद्ध खंड (1) के अधीन किसी याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में व्यादेश के रूप में या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति से कोई अंतरिम आदेश—

(क) ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की और ऐसे अंतरिम आदेश के लिए अभिवाक् के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां; और

(ख) ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर,

दिए बिना किया गया है, ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करता है और ऐसे आवेदन की एक प्रतिलिपि उस पक्षकार को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश किया गया है या उसके काउंसेल को देता है वहां उच्च न्यायालय उसकी प्राप्ति की तारीख से या ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि इस प्रकार दिए जाने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद है वहां उसके ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति से पहले जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है, आवेदन को निपटाएगा और यदि आवेदन इस प्रकार नहीं निपटाया जाता है तो अंतरिम आदेश, यथास्थिति, उक्त अवधि की या उक्त ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति पर रद्द हो जाएगा ।]

²[(4) इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से, अनुच्छेद 32 के खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा ।]

³[226क. अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता पर विचार न किया जाना ।]— संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 8 द्वारा (13-4-1978 से) लोप किया गया ।

227. सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति—⁴[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा ।]

1. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 30 द्वारा (1-8-1979 से) खंड (3), खंड (4), खंड (5) और खंड (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 30 द्वारा (1-8-1979 से), खंड (7) को खंड (4) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 39 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित ।

4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 40 द्वारा (1-2-1977 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 31 द्वारा (20-6-1979 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the High Court may—

(a) call for returns from such courts;

(b) make and issue general rules and prescribe forms for regulating the practice and proceedings of such courts; and

(c) prescribe forms in which books, entries and accounts shall be kept by the officers of any such courts.

(3) The High Court may also settle tables of fees to be allowed to the sheriff and all clerks and officers of such courts and to attorneys, advocates and pleaders practising therein:

Provided that any rules made, forms prescribed or tables settled under clause (2) or clause (3) shall not be inconsistent with the provision of any law for the time being in force, and shall require the previous approval of the Governor.

(4) Nothing in this article shall be deemed to confer on a High Court powers of superintendence over any court or tribunal constituted by or under any law relating to the Armed Forces.

¹(5)*

*

*

*

228. Transfer of certain cases to High Court.—If the High Court is satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution the determination of which is necessary for the disposal of the case, ²[it shall withdraw the case and ^{3***} may—]

(a) either dispose of the case itself, or

(b) determine the said question of law and return the case to the court from which the case has been so withdrawn together with a copy of its judgment on such question, and the said court shall on receipt thereof proceed to dispose of the case in conformity with such judgment.

1. Cl. (5) was ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 40 (w.e.f. 1-2-1977) and omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 31 (w.e.f. 20-6-1979).

2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 41, for "it shall withdraw the case and may—" (w.e.f. 1-2-1977).

3. The words, figures and letter, "subject to the provisions of article 131A," omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 9 (w.e.f. 13-4-1978).

(भाग 6—राज्य)

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उच्च न्यायालय—

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा;

(ख) ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम और प्ररूप बना सकेगा, और निकाल सकेगा तथा विहित कर सकेगा; और

(ग) किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्ररूप विहित कर सकेगा ।

(3) उच्च न्यायालय उन फीसों की सारणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शैरिफ को तथा सभी लिपिकों और अधिकारियों को तथा उनमें विधि-व्यवसाय करने वाले अटर्नियों, अधिवक्ताओं और प्लीडरों को अनुज्ञेय होंगी:

परंतु खंड (2) या खंड (3) के अधीन बनाए गए कोई नियम, विहित किए गए कोई प्ररूप या स्थिर की गई कोई सारणी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध से असंगत नहीं होगी और इनके लिए राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाली नहीं समझी जाएगी ।

.¹(5)*

*

*

*

228. कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण—यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है ²[तो वह ³उस मामले को अपने पास मंगा लेगा और—]

(क) मामले को स्वयं निपटा सकेगा; या

(ख) उक्त विधि के प्रश्न का अवधारण कर सकेगा और उस मामले को ऐसे प्रश्न पर निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस न्यायालय को, जिससे मामला इस प्रकार मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा और उक्त न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 40 द्वारा (1-2-1977 से) खंड (5) अंतःस्थापित किया गया और संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 31 द्वारा (20-6-1979 से) उसका लोप किया गया ।

2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 41 द्वारा (1-2-1977 से) "तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा तथा—" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 9 द्वारा (13-4-1978 से) "अनुच्छेद 131क के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया गया ।

¹[228A. *Special provisions as to disposal of questions relating to constitutional validity of State laws.*].—Omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 10 (w.e.f. 13-4-1978).

229. Officers and servants and the expenses of High Courts.—(1) Appointments of officers and servants of a High Court shall be made by the Chief Justice of the Court or such other Judge or officer of the Court as he may direct:

Provided that the Governor of the State ^{2***} may by rule require that in such cases as may be specified in the rule no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court save after consultation with the State Public Service Commission.

(2) Subject to the provisions of any law made by the Legislature of the State, the conditions of service of officers and servants of a High Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of the Court or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice to make rules for the purpose:

Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the Governor of the State ^{2***}.

(3) The administrative expenses of a High Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of the State, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

³[230. **Extension of jurisdiction of High Courts to Union territories.**—(1) Parliament may by law extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude the jurisdiction of a High Court from, any Union territory.

(2) Where the High Court of a State exercises jurisdiction in relation to a Union territory,—

(a) nothing in this Constitution shall be construed as empowering the Legislature of the State to increase, restrict or abolish that jurisdiction; and

(b) the reference in article 227 to the Governor shall, in relation to

1. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 42 (w.e.f. 1-2-1977).

2. The words "in which the High Court has its principal seat" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

3. Subs. by s. 16, *ibid.*, for arts. 230, 231 and 232 (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 6—राज्य)

¹228क. राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध ।— संविधान (तैत्तिलीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 10 द्वारा (13-4-1978 से) लोप किया गया ।

229. उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय— (1) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे:

परंतु उस राज्य का राज्यपाल ² नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(2) राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं:

परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए, जहां तक वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित हैं, उस राज्य के राज्यपाल के ² अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।

(3) उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसों और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग होंगी ।

³230. उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार— (1) संसद, विधि द्वारा, किसी संघ राज्यक्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्यक्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी ।

(2) जहां किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, वहां—

(क) इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के विधान-मंडल को उस अधिकारिता में वृद्धि, उसका निर्बंधन या उत्सादन करने के लिए सशक्त करती है; और

(ख) उस राज्यक्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्ररूपों

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 42 द्वारा (1-2-1977 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है," शब्दों का लोप किया गया ।

3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 द्वारा (1-11-1956 से) अनुच्छेद 230, 231 और 232 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part VI.—The States)

any rules, forms or tables for subordinate courts in that territory, be construed as a reference to the President.

231. Establishment of a common High Court for two or more States.—(1) Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this Chapter, Parliament may by law establish a common High Court for two or more States or for two or more States and a Union territory.

(2) In relation to any such High Court,—

¹(a)* * * * *

(b) the reference in article 227 to the Governor shall, in relation to any rules, forms or tables for subordinate courts, be construed as a reference to the Governor of the State in which the subordinate courts are situate; and

(c) the references in articles 219 and 229 to the State shall be construed as a reference to the State in which the High Court has its principal seat:

Provided that if such principal seat is in a Union territory, the references in articles 219 and 229 to the Governor, Public Service Commission, Legislature and Consolidated Fund of the State shall be construed respectively as references to the President, Union Public Service Commission, Parliament and Consolidated Fund of India.]

[**232. Interpretation.**—Articles 230, 231 and 232 subs. by articles 230 and 231 by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 16 (w.e.f. 1-11-1956)].

CHAPTER VI.—SUBORDINATE COURTS

233. Appointment of district judges.—(1) Appointments of persons to

1. Sub-clause (a) was omitted by the Constitution (Ninety-ninth Amendment) Act, 2014, s. 10 (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court *vide its order the 16-10-2015 in the Supreme Court Advocates-on-Record Association and Another Vs. Union of India reported* AIR 2016 SC 117. Before amendment, sub-clause (a) was as under:—

"(a) the reference in article 217 to the Governor of the State shall be construed as reference to the Governors of all the States in relation to which the High Court exercises jurisdiction".

(भाग 6—राज्य)

या सारणियों के संबंध में, अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति निर्देश है।

231. दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना— (1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी।

(2) किसी ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में,—

¹(क) * * * *

(ख) अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्ररूपों या सारणियों के संबंध में, अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं जिसमें वे अधीनस्थ न्यायालय स्थित हैं; और

(ग) अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 229 में राज्य के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस राज्य के प्रति निर्देश हैं, जिसमें उस उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है:

परंतु यदि ऐसा मुख्य स्थान किसी संघ राज्यक्षेत्र में है तो अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 229 में राज्य के राज्यपाल, लोक सेवा आयोग, विधान-मंडल और संचित निधि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, संसद और भारत की संचित निधि के प्रति निर्देश हैं।]

[**232. निर्वचन—**संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 6 द्वारा (1-11-1956 से) अनुच्छेद 230, 231 और 232 के स्थान पर अनुच्छेद 230, और 231 को प्रतिस्थापित किया गया।]

अध्याय 6—अधीनस्थ न्यायालय

233. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति— (1) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और

1. संविधान (निम्नानुवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 10 द्वारा (13-4-2015 से) उपखंड (क) का लोप किया गया। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य **बनाम** भारत संघ (ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 117) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 16-10-2015 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। संशोधन के पूर्व उपखंड (क) निम्नानुसार था:—

“(क) अनुच्छेद 217 में उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उन सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रति निर्देश हैं जिनके संबंध में वह उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है;”।

be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.

(2) A person not already in the service of the Union or of the State shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than seven years an advocate or a pleader and is recommended by the High Court for appointment.

¹[233A. Validation of appointments of, and judgments, etc., delivered by, certain district judges.—Notwithstanding any judgment, decree or order of any court,—

(a) (i) no appointment of any person already in the judicial service of a State or of any person who has been for not less than seven years an advocate or a pleader, to be a district judge in that State, and

(ii) no posting, promotion or transfer of any such person as a district judge, made at any time before the commencement of the Constitution (Twentieth Amendment) Act, 1966, otherwise than in accordance with the provisions of article 233 or article 235 shall be deemed to be illegal or void or ever to have become illegal or void by reason only of the fact that such appointment, posting, promotion or transfer was not made in accordance with the said provisions;

(b) no jurisdiction exercised, no judgment, decree, sentence or order passed or made, and no other act or proceeding done or taken, before the commencement of the Constitution (Twentieth Amendment) Act, 1966 by, or before, any person appointed, posted, promoted or transferred as a district judge in any State otherwise than in accordance with the provisions of article 233 or article 235 shall be deemed to be illegal or invalid or ever to have become illegal or invalid by reason only of the fact that such appointment, posting, promotion or transfer was not made in accordance with the said provisions.]

234. Recruitment of persons other than district judges to the judicial service.—Appointments of persons other than district judges to the judicial service of a State shall be made by the Governor of the State in accordance with rules made by him in that behalf after consultation with the State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.

1. Ins. by the Constitution (Twentieth Amendment) Act, 1966, s. 2 (w.e.f. 22-12-1966).

(भाग 6—राज्य)

प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा ।

(2) वह व्यक्ति, जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है ।

¹233क. कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण— किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश होते हुए भी, —

(क) (i) उस व्यक्ति की जो राज्य की न्यायिक सेवा में पहले से ही है या उस व्यक्ति की, जो कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है, उस राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की बाबत; और

(ii) ऐसे व्यक्ति की जिला न्यायाधीश के रूप में पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण की बाबत, जो संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारंभ से पहले किसी समय अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार न करके अन्यथा किया गया है, केवल इस तथ्य के कारण कि ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण उक्त उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया था, यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध या शून्य है या कभी भी अवैध या शून्य रहा था;

(ख) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार न करके अन्यथा नियुक्त, पदस्थापित, प्रोन्नत या अंतरित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारंभ से पहले प्रयुक्त अधिकारिता की, पारित किए गए या दिए गए निर्णय, डिक्री, दंडादेश या आदेश की और किए गए अन्य कार्य या कार्यवाही की बाबत, केवल इस तथ्य के कारण कि ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण उक्त उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया था, यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध या अविधिमान्य है या कभी भी अवैध या अविधिमान्य रहा था ।]

234. न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती— जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, और राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी ।

1. संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा (22-12-1966 से) अंतःस्थापित ।

235. Control over subordinate courts.—The control over district courts and courts subordinate thereto including the posting and promotion of, and the grant of leave to, persons belonging to the judicial service of a State and holding any post inferior to the post of district judge shall be vested in the High Court, but nothing in this article shall be construed as taking away from any such person any right of appeal which he may have under the law regulating the conditions of his service or as authorising the High Court to deal with him otherwise than in accordance with the conditions of his service prescribed under such law.

236. Interpretation.—In this Chapter—

(a) the expression “district judge” includes judge of a city civil court, additional district judge, joint district judge, assistant district judge, chief judge of a small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, sessions judge, additional sessions judge and assistant sessions Judge;

(b) the expression “judicial service” means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge.

237. Application of the provisions of this Chapter to certain class or classes of magistrates.—The Governor may by public notification direct that the foregoing provisions of this Chapter and any rules made thereunder shall with effect from such date as may be fixed by him in that behalf apply in relation to any class or classes of magistrates in the State as they apply in relation to persons appointed to the judicial service of the State subject to such exceptions and modifications as may be specified in the notification.

(भाग 6—राज्य)

235. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण—जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना है, उच्च न्यायालय में निहित होगा, किंतु इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति से उसके अपील के अधिकार को छीनती है जो उसकी सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे है या उच्च न्यायालय को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह उससे ऐसी विधि के अधीन विहित उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार व्यवहार न करके अन्यथा व्यवहार करे ।

236. निर्वचन—इस अध्याय में,—

(क) “जिला न्यायाधीश” पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश हैं;

(ख) “न्यायिक सेवा” पद से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो अनन्यतः ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है, जिनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद से अवर अन्य सिविल न्यायिक पदों का भरा जाना आशयित है ।

237. कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना—राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध और उनके अधीन बनाए गए नियम ऐसी तारीख से, जो वह इस निमित्त नियत करे, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, राज्य में किसी वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं ।

***PART VII**

[The States in Part B of the First Schedule].

* Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956)

*भाग 7

[पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य ।]

* संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

PART VIII

¹[THE UNION TERRITORIES]

²[**239. Administration of Union territories.**—(1) Save as otherwise provided by Parliament by law, every Union territory shall be administered by the President acting, to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify.

(2) Notwithstanding anything contained in Part VI, the President may appoint the Governor of a State as the administrator of an adjoining Union territory, and where a Governor is so appointed, he shall exercise his functions as such administrator independently of his Council of Ministers.]

³*[**239A. Creation of local Legislatures or Council of Ministers or both for certain Union territories.**—(1) Parliament may by law create ⁴[for the Union territory of ⁵[Puducherry]]—

(a) a body, whether elected or partly nominated and partly elected, to function as a Legislature for the Union territory, or

(b) a Council of Ministers,

or both with such constitution, powers and functions, in each case, as may be specified in the law.

(2) Any such law as is referred to in clause (1) shall not be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368 notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending this Constitution.]

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 17, for the heading "THE STATES IN PART C OF THE FIRST SCHEDULE" (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by s. 17, *ibid.*, for art. 239 (w.e.f. 1-11-1956).

3. Ins. by the Constitution (Fourteenth Amendment) Act, 1962, s. 4 (w.e.f. 28-12-1962).

4. Subs. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987) s. 63, for "for any of the Union territories of Goa, Daman and Diu and Pondicherry" (w.e.f. 30-5-1987).

5. Subs. by the Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006), s. 4, for "Pondicherry" (w.e.f. 1-10-2006).

* Article 239A has been made applicable to Union Territory of Jammu and Kashmir by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) S.13 (w.e.f. 31-10-2019).

भाग 8

¹[संघ राज्यक्षेत्र]

²[239. संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन— (1) संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है ।

(2) भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रि-परिषद् से स्वतंत्र रूप से करेगा ।]

^{3*}[239क. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन— (1) संसद्, विधि द्वारा ⁴[⁵पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र के लिए,] —

(क) उस संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागतः नामनिर्दिष्ट और भागतः निर्वाचित निकाय का; या

(ख) मंत्रि-परिषद् का,

या दोनों का सृजन कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक का गठन, शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट विधि को, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है ।]

-
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 17 द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग ग में के राज्य" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 17 द्वारा (1-11-1956 से) अनुच्छेद 239 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 3. संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 4 द्वारा (28-12-1962 से) अंतःस्थापित ।
 4. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 63 द्वारा (30-5-1987 से) "गोवा, दमण और दीव और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों में से किसी के लिए" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 5. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (1-10-2006 से) "पांडिचेरी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 - * अनुच्छेद 239क जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 13 द्वारा (31-10-2019 से) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र को लागू किया गया है।

¹[**239AA. Special provisions with respect to Delhi.**—(1) As from the date of commencement of the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991, the Union territory of Delhi shall be called the National Capital Territory of Delhi (hereafter in this Part referred to as the National Capital Territory) and the administrator thereof appointed under article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor.

(2)(a) There shall be a Legislative Assembly for the National Capital Territory and the seats in such Assembly shall be filled by members chosen by direct election from territorial constituencies in the National Capital Territory.

(b) The total number of seats in the Legislative Assembly, the number of seats reserved for Scheduled Castes, the division of the National Capital Territory into territorial constituencies (including the basis for such division) and all other matters relating to the functioning of the Legislative Assembly shall be regulated by law made by Parliament.

²[(ba) Seats shall be reserved for women in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

(bb) As nearly as may be, one-third of the seats reserved for the Scheduled Castes in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall be reserved for women.

(bc) As nearly as may be, one-third of the total number of seats to be filled by direct election in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (including the numbers of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes) shall be reserved for women in such manner as Parliament may by law determine.]

(c) The provisions of articles 324 to 327 and 329 shall apply in relation to the National Capital Territory, the Legislative Assembly of the National Capital Territory and the members thereof as they apply, in relation to a State, the Legislative Assembly of a State and the members thereof respectively; and any reference in articles 326 and 329 to “appropriate Legislature” shall be deemed to be a reference to Parliament.

1. Arts 239AA and 239 AB ins. by the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991, s. 2 (w.e.f. 1-2-1992).

2. ins. by the Constitution (One-hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, s. 2 (date yet to be notified).

¹[239कक. दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध—(1) संविधान (उनहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ से दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र कहा गया है) कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का पदाभिधान उप-राज्यपाल होगा ।

(2)(क) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी और ऐसी विधान सभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से भरे जाएंगे ।

(ख) विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन (जिसके अंतर्गत ऐसे विभाजन का आधार है) तथा विधान सभा के कार्यकरण से संबंधित सभी अन्य विषयों का विनियमन, संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा ।

²[(खक) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(खख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

(खग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है), ऐसी रीति में, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।]

(ग) अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, किसी राज्य, किसी राज्य की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं तथा अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329 में “समूचित विधान-मंडल” के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संसद् के प्रति निर्देश है ।

1. संविधान (उनहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 239कक और अनुच्छेद 239कख (1-2-1992 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (एक सौ छठावां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 2 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंतःस्थापित ।

(3) (a) Subject to the provisions of this Constitution, the Legislative Assembly shall have power to make laws for the whole or any part of the National Capital Territory with respect to any of the matters enumerated in the State List or in the Concurrent List in so far as any such matter is applicable to Union territories except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 66 of that List in so far as they relate to the said Entries 1, 2 and 18.

(b) Nothing in sub-clause (a) shall derogate from the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter for a Union territory or any part thereof.

(c) If any provision of a law made by the Legislative Assembly with respect to any matter is repugnant to any provision of a law made by Parliament with respect to that matter, whether passed before or after the law made by the Legislative Assembly, or of an earlier law, other than a law made by the Legislative Assembly, then, in either case, the law made by Parliament, or, as the case may be, such earlier law, shall prevail and the law made by the Legislative Assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void:

Provided that if any such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, such law shall prevail in the National Capital Territory:

Provided further that nothing in this sub-clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislative Assembly.

(4) There shall be a Council of Ministers consisting of not more than ten percent. of the total number of members in the Legislative Assembly, with the Chief Minister at the head to aid and advise the Lieutenant Governor in the exercise of his functions in relation to matters with respect to which the Legislative Assembly has power to make laws, except in so far as he is, by or under any law, required to act in his discretion:

Provided that in the case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and his Ministers on any matter, the Lieutenant Governor shall refer it to the President for decision and act according to the decision given thereon by the President and pending such decision it shall be competent for the Lieutenant Governor in any case where the matter, in his opinion, is so urgent that it is necessary for him to take immediate action, to take such action or to give such direction in the matter as he deems necessary.

(3)(क) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधान सभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से तथा उस सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 से, जहां तक उनका संबंध उक्त प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से है, संबंधित विषयों से भिन्न राज्य सूची में या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में, जहां तक ऐसा कोई विषय संघ राज्यक्षेत्रों को लागू है, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी।

(ख) उपखंड (क) की किसी बात से संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा।

(ग) यदि विधान सभा द्वारा किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई विधि के, चाहे वह विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या किसी पूर्वतर विधि के, जो विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न है, किसी उपबंध के विरुद्ध है तो, दोनों दशाओं में, यथास्थिति, संसद द्वारा बनाई गई विधि, या ऐसी पूर्वतर विधि अभिभावी होगी और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी:

परंतु यदि विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में अभिभावी होगी:

परंतु यह और कि इस उपखंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो विधान सभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) जिन बातों में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उप-राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे उन बातों को छोड़कर, उप-राज्यपाल की, उन विषयों के संबंध में, जिनकी बाबत विधान सभा को विधि बनाने की शक्ति है, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जो विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा:

परंतु उप-राज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच किसी विषय पर मतभेद की दशा में, उप-राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर किए गए विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा तथा ऐसा विनिश्चय होने तक उप-राज्यपाल किसी ऐसे मामले में, जहां वह विषय, उसकी राय में, इतना आवश्यक है जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक है वहां, उस विषय में ऐसी कार्रवाई करने या ऐसा निदेश देने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, सक्षम होगा।

(5) The Chief Minister shall be appointed by the President and other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Chief Minister and the Ministers shall hold office during the pleasure of the President.

(6) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly.

¹[(7) (a)] Parliament may, by law, make provisions for giving effect to, or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters incidental or consequential thereto.

²[(b) Any such law as is referred to in sub-clause (a) shall not be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368 notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending, this Constitution.]

(8) The provisions of article 239B shall, so far as may be, apply in relation to the National Capital Territory, the Lieutenant Governor and the Legislative Assembly, as they apply in relation to the Union territory of ³[Puducherry], the administrator and its Legislature, respectively; and any reference in that article to “clause (1) of article 239A” shall be deemed to be a reference to this article or article 239AB, as the case may be.

239AB. Provision in case of failure of constitutional machinery.—If the President, on receipt of a report from the Lieutenant Governor or otherwise, is satisfied—

(a) that a situation has arisen in which the administration of the National Capital Territory cannot be carried on in accordance with the provisions of article 239AA or of any law made in pursuance of that article; or

(b) that for the proper administration of the National Capital Territory it is necessary or expedient so to do,
the President may by order suspend the operation of any provision of article 239AA or of all or any of the provisions of any law made in pursuance of that

1. Subs. by the Constitution (Seventieth Amendment) Act, 1992, s. 3, for “(7)” (w.e.f. 21-12-1991).

2. Ins. by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 21-12-1991).

3. Subs. by the Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006), s. 4, for “Pondicherry” (w.e.f. 1-10-2006).

(5) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे ।

(6) मंत्री-परिषद् विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।

¹[(7)(क)] संसद्, पूर्वगामी खंडों को प्रभावी करने के लिए, या उनमें अंतर्विष्ट उपबंधों की अनुपूर्ति के लिए और उनके आनुषंगिक या पारिणामिक सभी विषयों के लिए, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगी ।

²[(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट विधि को, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है ।]

(8) अनुच्छेद 239ख के उपबंध, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, उप-राज्यपाल और विधान सभा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे ³[पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासक और उसके विधान-मंडल के संबंध में लागू होते हैं; और उस अनुच्छेद में “अनुच्छेद 239क के खंड (1)” के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 239कख के प्रति निर्देश है ।

239कख. सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध—यदि राष्ट्रपति का, उप-राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239कक या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; या

(ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,

तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अनुच्छेद 239कक के किसी उपबंध के अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को, ऐसी

1. संविधान (सतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा (21-12-1991 से) “(7)” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. संविधान (सतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा (21-12-1991 से) अंतःस्थापित ।

3. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (1-10-2006 से) “पांडिचेरी” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

article for such period and subject to such conditions as may be specified in such law and make such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient for administering the National Capital Territory in accordance with the provisions of article 239 and article 239AA.]

¹[239B. Power of administrator to promulgate Ordinances during recess of Legislature.—(1) If at any time, except when the Legislature of ²[the Union territory of ³[Puducherry]] is in session, the administrator thereof is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require:

Provided that no such Ordinance shall be promulgated by the administrator except after obtaining instructions from the President in that behalf:

Provided further that whenever the said Legislature is dissolved, or its functioning remains suspended on account of any action taken under any such law as is referred to in clause (1) of article 239A, the administrator shall not promulgate any Ordinance during the period of such dissolution or suspension.

(2) An Ordinance promulgated under this article in pursuance of instructions from the President shall be deemed to be an Act of the Legislature of the Union territory which has been duly enacted after complying with the provisions in that behalf contained in any such law as is referred to in clause (1) of article 239A, but every such Ordinance—

(a) shall be laid before the Legislature of the Union territory and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature or if, before the expiration of that period, a resolution disapproving it is passed by the Legislature, upon the passing of the resolution; and

(b) may be withdrawn at any time by the administrator after obtaining instructions from the President in that behalf.

(3) If and so far as an Ordinance under this article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act of the Legislature of the Union

1. Ins. by the Constitution (Twenty-seventh Amendment) Act, 1971, s. 3 (w.e.f. 30-12-1971).

2. Subs. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987) s. 63, for "a Union territory referred to in clause (1) article 239A" (w.e.f. 30-5-1987).

3. Subs. by the Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006), s. 4, for "Pondicherry" (w.e.f. 1-10-2006).

अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं, निलंबित कर सकेगा, तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239क के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।]

¹[239ख. विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति— (1) उस समय को छोड़कर जब ²[³पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र] का विधान-मंडल सत्र में है, यदि किसी समय उसके प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों:

परंतु प्रशासक, कोई ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही प्रख्यापित करेगा, अन्यथा नहीं:

परंतु यह और कि जब कभी उक्त विधान-मंडल का विघटन कर दिया जाता है या अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई किसी कार्रवाई के कारण उसका कार्यकरण निलंबित रहता है तब प्रशासक ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा।

(2) राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट विधि में, उस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् सम्यक् रूप से अधिनियमित किया गया है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा और विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधान-मंडल उसके अननुमोदन का संकल्प पारित कर देता है तो संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा; और

(ख) राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात् प्रशासक द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

(3) यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम में, जिसे अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट विधि में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात्

1. संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (30-12-1971 से) अंतःस्थापित।

2. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 63 द्वारा (30-5-1987 से) "अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्रों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (1-10-2006 से) "पांडिचेरी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part VIII.—The Union Territories)

territory made after complying with the provisions in that behalf contained in any such law as is referred to in clause (1) of article 239A, it shall be void.]

¹(4)* * *

²**[240. Power of President to make regulations for certain Union territories.]**—(1) The President may make regulations for the peace, progress and good government of the Union territory of—

(a) the Andaman and Nicobar Islands;

³[(b) Lakshadweep;]

⁴[(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;]

⁵[(d) * * * * ;]

⁶[(e) ⁷[Puducherry];]

⁸(f) * * *

⁹(g) * * *

¹⁰[Provided that when any body is created under article 239A to function as a Legislature for the Union territory of ⁷[Puducherry], the President shall not make any regulation for the peace, progress and good government of that Union territory with effect from the date appointed for the first meeting of the Legislature:]

1. Clause (4) ins. by the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975, s. 4 (with retrospective effect). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 32 (w.e.f. 20-6-1979).
2. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 17, for art. 240 (w.e.f. 1-11-1956).
3. Subs. by the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) Act, 1973 (34 of 1973), s. 4, for entry (b) (w.e.f. 1-11-1973).
4. Subs. by the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019) s. 4(i) (w.e.f. 26-1-2020) for entry (c) which was ins. by the Constitution (Tenth Amendment) Act, 1961, s.3 (w.e.f. 11-8-1961).
5. Omitted by the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019) s. 4(ii) (w.e.f. 26-1-2020).
6. Ins. by the Constitution (Fourteenth Amendment) Act, 1962, s. 5 (w.e.f. 16-8-1962).
7. Subs. by the Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006), s. 4 for "Pondicherry" (w.e.f. 1-10-2006).
8. The entry (f) relating to Mizoram omitted by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 39 (w.e.f. 20-2-1987).
9. The entry (g) relating to Arunachal Pradesh omitted by the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), s. 42 (w.e.f. 20-2-1987).
10. Ins. by the Constitution (Fourteenth Amendment) Act, 1962, s. 5 (w.e.f. 28-12-1962).

बनाया गया है, अधिनियमित किए जाने पर विधिमान्य नहीं होता तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा ।]

¹(4)* * *

²[240. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति—

(1) राष्ट्रपति—

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप;

³[(ख) लक्षद्वीप;]

⁴[(ग) दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव;]

⁵[(घ)****;]

⁶[(ङ) ⁷[पुडुचेरी];]

⁸(च)* * *

⁹(छ)* * *

संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा:

¹⁰[परंतु जब ⁷[पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधान-मंडल के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239क के अधीन किसी निकाय का सृजन किया जाता है तब राष्ट्रपति विधान-मंडल के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बनाएगा:]

-
1. संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 4 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) खंड (4) अंतःस्थापित किया गया संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 32 द्वारा (20-6-1979 से) लोप किया गया।
 2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 17 द्वारा (1-11-1956 से) अनुच्छेद 240 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 3. लक्कादीव, मिनीकोय और अमीनदीवी द्वीप (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 34) की धारा 4 द्वारा (1-11-1973 से) प्रविष्टि (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 4. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 4(i) द्वारा (26-1-2020 से) के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961 की धारा 3 द्वारा (11-8-1961 से) प्रविष्टि ग अंतःस्थापित की गई थी।
 5. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 4(ii) द्वारा (26-1-2020 से) लोप किया गया।
 6. संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 5 द्वारा (16-8-1962 धारा 7 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित।
 7. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (1-10-2006 से) "पांडिचेरी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 8. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) मिजोरम संबंधी प्रविष्टि (च) का लोप किया गया।
 9. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 42 द्वारा (20-2-1987 से) अरुणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि (छ) का लोप किया गया।
 10. संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 5 द्वारा (28-12-1962 से) अंतःस्थापित।

(Part VIII.—The Union Territories)

¹[Provided further that whenever the body functioning as a Legislature for the Union territory of ²[Puducherry] is dissolved, or the functioning of that body as such Legislature remains suspended on account of any action taken under any such law as is referred to in clause (1) of article 239A, the President may, during the period of such dissolution or suspension, make regulations for the peace, progress and good government of that Union territory.]

(2) Any regulation so made may repeal or amend any Act made by Parliament or ³[any other law], which is for the time being applicable to the Union territory and, when promulgated by the President, shall have the same force and effect as an Act of Parliament which applies to that territory.]

241. High Courts for Union territories.—(1) Parliament may by law constitute a High Court for a ⁴[Union territory] or declare any court in any ⁵[such territory] to be a High Court for all or any of the purposes of this Constitution.

(2) The provisions of Chapter V of Part VI shall apply in relation to every High Court referred to in clause (1) as they apply in relation to a High Court referred to in article 214 subject to such modifications or exceptions as Parliament may by law provide.

⁶(3) Subject to the provisions of this Constitution and to the provisions of any law of the appropriate Legislature made by virtue of powers conferred on that Legislature by or under this Constitution, every High Court exercising jurisdiction immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, in relation to any Union territory shall continue to exercise such jurisdiction in relation to that territory after such commencement.

(4) Nothing in this article derogates from the power of Parliament to extend or exclude the jurisdiction of a High Court for a State to, or from, any Union territory or part thereof.]

242. [Coorg].—*Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).*

-
1. Ins. by the Constitution (Twenty-seventh Amendment) Act, 1971, s. 4 (w.e.f. 15-2-1972).
 2. Subs. by the Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006), s. 4, for "Pondicherry" (w.e.f. 1-10-2006).
 3. Subs. by the Constitution (Twenty-seventh Amendment) Act, 1971, s. 4, for "any existing law" (w.e.f. 15-2-1972).
 4. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for "State specified in Part C of the First Schedule" (w.e.f. 1-11-1956).
 5. Subs. by s. 29. and Sch., *ibid.*, for "such State" (w.e.f. 1-11-1956).
 6. Subs. by s. 29, and Sch., *ibid.*, for cls. (3) and (4) (w.e.f. 1-11-1956).

¹परंतु यह और कि जब कभी ²[पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के रूप में कार्य करने वाले निकाय का विघटन कर दिया जाता है या उस निकाय का ऐसे विधान-मंडल के रूप में कार्यकरण, अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई कार्रवाई के कारण निलंबित रहता है तब राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा ।]

(2) इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या ³[किसी अन्य विधि] का, जो उस संघ राज्यक्षेत्र को तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के किसी ऐसे अधिनियम का है जो उस राज्यक्षेत्र को लागू होता है ।]

241. संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय—(1) संसद विधि द्वारा, किसी ⁴[संघ राज्यक्षेत्र] के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी या ⁵[ऐसे राज्यक्षेत्र] में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी ।

(2) भाग 6 के अध्याय 5 के उपबंध, ऐसे उपांतरणों या अपवादों के अधीन रहते हुए, जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, खंड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अनुच्छेद 214 में निर्दिष्ट किसी उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं ।

⁶[(3) इस संविधान के उपबंधों के और इस संविधान द्वारा या इसके अधीन समचित विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाई गई उस विधान-मंडल की किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक उच्च न्यायालय, जो संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता था, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उस राज्यक्षेत्र के संबंध में उस अधिकारिता का प्रयोग करता रहेगा ।

(4) इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके भाग पर विस्तार करने या उससे अपवर्जन करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा ।]

242. [कोड़गू]—संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

-
1. संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 द्वारा (15-2-1972 से) अंतःस्थापित ।
 2. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (1-10-2006 से) "पांडिचेरी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 3. संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 द्वारा (15-2-1972 से) "किसी विद्यमान विधि" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्य" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 5. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "ऐसा राज्य" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 6. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) खंड (3) और खंड (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[PART IX
THE PANCHAYATS

243. Definitions.—In this Part, unless the context otherwise requires,—

- (a) “district” means a district in a State;
- (b) “Gram Sabha” means a body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of Panchayat at the village level;
- (c) “intermediate level” means a level between the village and district levels specified by the Governor of a State by public notification to be the intermediate level for the purposes of this Part;
- (d) “Panchayat” means an institution (by whatever name called) of self-government constituted under article 243B, for the rural areas;
- (e) “Panchayat area” means the territorial area of a Panchayat;
- (f) “Population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
- (g) “village” means a village specified by the Governor by public notification to be a village for the purposes of this Part and includes a group of villages so specified.

243A. Gram Sabha.—A Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at the village level as the Legislature of a State may, by law, provide.

243B. Constitution of Panchayats.—(1) There shall be constituted in every State, Panchayats at the village, intermediate and district levels in accordance with the provisions of this Part.

(2) Notwithstanding anything in clause (1), Panchayats at the intermediate level may not be constituted in a State having a population not exceeding twenty lakhs.

243C. Composition of Panchayats.—(1) Subject to the provisions of this Part, the Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the composition of Panchayats:

1. Original Part IX relating to "The territories in Part D of the First Schedule and other territories not specified in that Schedule" was omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956) and subsequently ins. by the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 24-4-1993).

भाग 9

पंचायत

243. परिभाषाएं— इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है;

(ख) “ग्राम सभा” से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है;

(ग) “मध्यवर्ती स्तर” से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(घ) “पंचायत” से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है;

(ङ) “पंचायत क्षेत्र” से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(च) “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं;

(छ) “ग्राम” से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है ।

243क. ग्राम सभा— ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं ।

243ख. पंचायतों का गठन— (1) प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा ।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है ।

243ग. पंचायतों की संरचना— (1) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा:

1. “पहली अनुसूची के भाग घ के राज्यक्षेत्र और अन्य राज्यक्षेत्र जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं” से संबंधित मूल भाग 9 का संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया और तत्पश्चात् संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (24-4-1993 से) अंतःस्थापित ।

(Part IX.—The Panchayats)

Provided that the ratio between the population of the territorial area of a Panchayat at any level and the number of seats in such Panchayat to be filled by election shall, so far as practicable, be the same throughout the State.

(2) All the seats in a Panchayat shall be filled by persons chosen by direct election from territorial constituencies in the Panchayat area and, for this purpose, each Panchayat area shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall, so far as practicable, be the same throughout the Panchayat area.

(3) The Legislature of a State may, by law, provide for the representation—

(a) of the Chairpersons of the Panchayats at the village level, in the Panchayats at the intermediate level or, in the case of a State not having Panchayats at the intermediate level, in the Panchayats at the district level;

(b) of the Chairpersons of the Panchayats at the intermediate level, in the Panchayats at the district level;

(c) of the members of the House of the People and the members of the Legislative Assembly of the State representing constituencies which comprise wholly or partly a Panchayat area at a level other than the village level, in such Panchayat;

(d) of the members of the Council of States and the members of the Legislative Council of the State, where they are registered as electors within—

(i) a Panchayat area at the intermediate level, in Panchayat at the intermediate level;

(ii) a Panchayat area at the district level, in Panchayat at the district level.

(4) The Chairperson of a Panchayat and other members of a Panchayat whether or not chosen by direct election from territorial constituencies in the Panchayat area shall have the right to vote in the meetings of the Panchayats.

(5) The Chairperson of—

(a) a Panchayat at the village level shall be elected in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide; and

(b) a Panchayat at the intermediate level or district level shall be elected by, and from amongst, the elected members thereof.

(भाग 9—पंचायत)

परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो ।

(2) किसी पंचायत के सभी स्थान, पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो ।

(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,—

(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में, जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ग) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में;

(घ) राज्य सभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों का, जहां वे,—

(i) मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में;

(ii) जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में,

प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा ।

(4) किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा ।

(5)(क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित की जाए, किया जाएगा; और

(ख) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा ।

(Part IX.—The Panchayats)

243D. Reservation of seats.—(1) Seats shall be reserved for—

(a) the Scheduled Castes; and

(b) the Scheduled Tribes,

in every Panchayat and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Panchayat as the population of the Scheduled Castes in that Panchayat area or of the Scheduled Tribes in that Panchayat area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat.

(2) Not less than one-third of the total number of seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.

(3) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat.

(4) The offices of the Chairpersons in the Panchayats at the village or any other level shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and women in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide:

Provided that the number of offices of Chairpersons reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Panchayats at each level in any State shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of such offices in the Panchayats at each level as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State bears to the total population of the State:

Provided further that not less than one-third of the total number of offices of Chairpersons in the Panchayats at each level shall be reserved for women:

Provided also that the number of offices reserved under this clause shall be allotted by rotation to different Panchayats at each level.

(5) The reservation of seats under clauses (1) and (2) and the reservation of offices of Chairpersons (other than the reservation for women) under clause (4) shall cease to have effect on the expiration of the period specified in article 334.

(6) Nothing in this Part shall prevent the Legislature of a State from making any provision for reservation of seats in any Panchayat or offices of Chairpersons in the Panchayats at any level in favour of backward class of citizens.

(भाग 9—पंचायत)

243घ. स्थानों का आरक्षण— (1) प्रत्येक पंचायत में—

(क) अनुसूचित जातियों; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों,

के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे:

परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है:

परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे:

परंतु यह भी कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आबंटित की जाएगी।

(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(Part IX.—The Panchayats)

243E. Duration of Panchayats, etc.—(1) Every Panchayat, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer.

(2) No amendment of any law for the time being in force shall have the effect of causing dissolution of a Panchayat at any level, which is functioning immediately before such amendment, till the expiration of its duration specified in clause (1).

(3) An election to constitute a Panchayat shall be completed—

(a) before the expiry of its duration specified in clause (1);

(b) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution:

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Panchayat would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting the Panchayat for such period.

(4) A Panchayat constituted upon the dissolution of a Panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Panchayat would have continued under clause (1) had it not been so dissolved.

243F. Disqualifications for membership.— (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a Panchayat—

(a) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of elections to the Legislature of the State concerned:

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty-five years of age, if he has attained the age of twenty-one years;

(b) if he is so disqualified by or under any law made by the Legislature of the State.

(2) If any question arises as to whether a member of a Panchayat has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1), the question shall be referred for the decision of such authority and in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide.

(भाग 9—पंचायत)

243ड. पंचायतों की अवधि, आदि— (1) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती ।

(3) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन,—

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व,

पूरा किया जाएगा:

परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा ।

(4) किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती ।

243च. सदस्यता के लिए निरर्हताएं— (1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,—

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है:

परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा ।

(Part IX.—The Panchayats)

243G. Powers, authority and responsibilities of Panchayats.—

Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon Panchayats at the appropriate level, subject to such conditions as may be specified therein, with respect to—

(a) the preparation of plans for economic development and social justice;

(b) the implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the Eleventh Schedule.

243H. Powers to impose taxes by, and Funds of, the Panchayats.—

The Legislature of a State may, by law,—

(a) authorise a Panchayat to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and subject to such limits;

(b) assign to a Panchayat such taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the State Government for such purposes and subject to such conditions and limits;

(c) provide for making such grants-in-aid to the Panchayats from the Consolidated Fund of the State; and

(d) provide for constitution of such Funds for crediting all moneys received, respectively, by or on behalf of the Panchayats and also for the withdrawal of such moneys therefrom,

as may be specified in the law.

243I. Constitution of Finance Commission to review financial position.—(1) The Governor of a State shall, as soon as may be within one year from the commencement of the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, and thereafter at the expiration of every fifth year, constitute a Finance Commission to review the financial position of the Panchayats and to make recommendations to the Governor as to—

(a) the principles which should govern—

(i) the distribution between the State and the Panchayats of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under this Part and the allocation between the Panchayats at all levels of their respective shares of such proceeds;

(भाग 9—पंचायत)

243छ. पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व— संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएँ, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएँ, जिनके अंतर्गत वे स्कीमों भी हैं, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना ।

243ज. पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ— किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,—

(क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस किसी पंचायत को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, समनुदिष्ट कर सकेगा;

(ग) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता-अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा; और

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा,

जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ ।

243झ. वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन— (1) राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, और तत्पश्चात्, प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, और जो—

(क)(i) राज्य द्वारा उद्गृहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच, जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएँ, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को;

(Part IX.—The Panchayats)

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Panchayats;

(iii) the grants-in-aid to the Panchayats from the Consolidated Fund of the State;

(b) the measures needed to improve the financial position of the Panchayats;

(c) any other matter referred to the Finance Commission by the Governor in the interests of sound finance of the Panchayats.

(2) The Legislature of a State may, by law, provide for the composition of the Commission, the qualifications which shall be requisite for appointment as members thereof and the manner in which they shall be selected.

(3) The Commission shall determine their procedure and shall have such powers in the performance of their functions as the Legislature of the State may, by law, confer on them.

(4) The Governor shall cause every recommendation made by the Commission under this article together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before the Legislature of the State.

243J. Audit of accounts of Panchayats.—The Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the maintenance of accounts by the Panchayats and the auditing of such accounts.

243K. Elections to the Panchayats.—(1) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Panchayats shall be vested in a State Election Commission consisting of a State Election Commissioner to be appointed by the Governor.

(2) Subject to the provisions of any law made by the Legislature of a State, the conditions of service and tenure of office of the State Election Commissioner shall be such as the Governor may by rule determine:

Provided that the State Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of a High Court and the conditions of service of the State Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(भाग 9—पंचायत)

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;

(iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;

(ग) पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में,

राज्यपाल को सिफारिश करेगा ।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना का, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी, और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा, उपबंध कर सकेगा ।

(3) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे ।

(4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

243अ. पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा— किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा ।

243ट. पंचायतों के लिए निर्वाचन— (1) पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करे:

परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(Part IX.—The Panchayats)

(3) The Governor of a State shall, when so requested by the State Election Commission, make available to the State Election Commission such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the State Election Commission by clause (1).

(4) Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by law, make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, elections to the Panchayats.

243L. Application to Union territories.—The provisions of this Part shall apply to the Union territories and shall, in their application to a Union territory, have effect as if the references to the Governor of a State were references to the Administrator of the Union territory appointed under article 239 and references to the Legislature or the legislative Assembly of a State were references, in relation to a Union territory having a Legislative Assembly, to that Legislative Assembly:

Provided that the President may, by public notification, direct that the provisions of this Part shall apply to any Union territory or part thereof subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification.

243M. Part not to apply to certain areas.—(1) Nothing in this Part shall apply to the Scheduled Areas referred to in clause (1), and the tribal areas referred to in clause (2), of article 244.

(2) Nothing in this Part shall apply to—

(a) the States of Nagaland, Meghalaya and Mizoram;

(b) the hill areas in the State of Manipur for which District Councils exist under any law for the time being in force.

(3) Nothing in this Part—

(a) relating to Panchayats at the district level shall apply to the hill areas of the District of Darjeeling in the State of West Bengal for which Darjeeling Gorkha Hill Council exists under any law for the time being in force;

(b) shall be construed to affect the functions and powers of the Darjeeling Gorkha Hill Council constituted under such law.

(भाग 9—पंचायत)

(3) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(4) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा ।

243ठ. संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना— इस भाग के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधान-मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश, किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसमें विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रति निर्देश हों:

परंतु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ।

243ड. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना— (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी ।

(2) इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात्: —

(क) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य;

(ख) मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं ।

(3) इस भाग की —

(क) कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् विद्यमान है;

(ख) किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है ।

(Part IX.—The Panchayats)

¹[(3A) Nothing in article 243D, relating to reservation of seats for the Scheduled Castes, shall apply to the State of Arunachal Pradesh.]

(4) Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) the Legislature of a State referred to in sub-clause (a) of clause (2) may, by law, extend this Part to that State, except the areas, if any, referred to in clause (1), if the Legislative Assembly of that State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting;

(b) Parliament may, by law, extend the provisions of this Part to the Scheduled Areas and the tribal areas referred to in clause (1) subject to such exceptions and modifications as may be specified in such law, and no such law shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

243N. Continuance of existing laws and Panchayats.—Notwithstanding anything in this Part, any provision of any law relating to Panchayats in force in a State immediately before the commencement of the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, which is inconsistent with the provisions of this Part, shall continue to be in force until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority or until the expiration of one year from such commencement, whichever is earlier:

Provided that all the Panchayats existing immediately before such commencement shall continue till the expiration of their duration, unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the Legislative Assembly of that State or, in the case of a State having a Legislative Council, by each House of the Legislature of that State.

243O. Bar to interference by courts in electoral matters.—Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 243K, shall not be called in question in any court;

(b) no election to any Panchayat shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the Legislature of a State.

1. Ins. by the Constitution (Eighty-third Amendment) Act, 2000, s. 2 (w.e.f. 8-9-2000).

(भाग 9—पंचायत)

¹[(3क) अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243घ की कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य को लागू नहीं होगी।]

(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) खंड (2) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, इस भाग का विस्तार, खंड (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय, यदि कोई हो, उस राज्य पर उस दशा में कर सकेगा जब उस राज्य की विधान सभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है;

(ख) संसद्, विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार, खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि की अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।

243ड. विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना— इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (तिहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा:

परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं तो, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी।

243ण. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अनुच्छेद 243ट के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है, जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।]

1[PART IXA THE MUNICIPALITIES

243P. Definitions.—In this Part, unless the context otherwise requires,—

(a) “Committee” means a Committee constituted under article 243S;

(b) “district” means a district in a State;

(c) “Metropolitan area” means an area having a population of ten lakhs or more, comprised in one or more districts and consisting of two or more Municipalities or Panchayats or other contiguous areas, specified by the Governor by public notification to be a Metropolitan area for the purposes of this Part;

(d) “Municipal area” means the territorial area of a Municipality as is notified by the Governor;

(e) “Municipality” means an institution of self-government constituted under article 243Q;

(f) “Panchayat” means a Panchayat constituted under article 243B;

(g) “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published.

243Q. Constitution of Municipalities.—(1) There shall be constituted in every State,—

(a) a Nagar Panchayat (by whatever name called) for a transitional area, that is to say, an area in transition from a rural area to an urban area;

(b) a Municipal Council for a smaller urban area; and

(c) a Municipal Corporation for a larger urban area,

in accordance with the provisions of this Part:

1. Part IXA ins. by the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 1-6-1993).

¹[भाग 9क नगरपालिकाएं

243त. परिभाषाएं — इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “समिति” से अनुच्छेद 243ध के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ख) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है;

(ग) “महानगर क्षेत्र” से दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(घ) “नगरपालिका क्षेत्र” से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ङ) “नगरपालिका” से अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है;

(च) “पंचायत” से अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है;

(छ) “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं ।

243थ. नगरपालिकाओं का गठन — (1) प्रत्येक राज्य में, इस भाग के उपबंधों के अनुसार,—

(क) किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, अर्थात्, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का (चाहे वह किसी भी नाम से जात हो);

(ख) किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद् का; और

(ग) किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का,

गठन किया जाएगा:

1. संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा भाग 9क (1-6-1993 से) अंतःस्थापित ।

Provided that a Municipality under this clause may not be constituted in such urban area or part thereof as the Governor may, having regard to the size of the area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment in that area and such other factors as he may deem fit, by public notification, specify to be an industrial township.

(2) In this article, “a transitional area”, “a smaller urban area” or “a larger urban area” means such area as the Governor may, having regard to the population of the area, the density of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance or such other factors as he may deem fit, specify by public notification for the purposes of this Part.

243R. Composition of Municipalities.—(1) Save as provided in clause (2), all the seats in a Municipality shall be filled by persons chosen by direct election from the territorial constituencies in the Municipal area and for this purpose each Municipal area shall be divided into territorial constituencies to be known as wards.

(2) The Legislature of a State may, by law, provide—

(a) for the representation in a Municipality of—

(i) persons having special knowledge or experience in Municipal administration;

(ii) the members of the House of the People and the members of the Legislative Assembly of the State representing constituencies which comprise wholly or partly the Municipal area;

(iii) the members of the Council of States and the members of the Legislative Council of the State registered as electors within the Municipal area;

(iv) the Chairpersons of the Committees constituted under clause (5) of article 243S:

Provided that the persons referred to in paragraph (i) shall not have the right to vote in the meetings of the Municipality;

(b) the manner of election of the Chairperson of a Municipality.

परंतु इस खंड के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिक सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

(2) इस अनुच्छेद में, “संक्रमणशील क्षेत्र”, “लघुतर नगरीय क्षेत्र” या “वृहत्तर नगरीय क्षेत्र” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

243द. नगरपालिकाओं की संरचना — (1) खंड (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे।

(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, —

(क) नगरपालिका में, —

(i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का;

(ii) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है;

(iii) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं;

(iv) अनुच्छेद 243ध के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का,

प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा:

परंतु पैरा (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(ख) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा।

243S. Constitution and composition of Wards Committees, etc.—(1)

There shall be constituted Wards Committees, consisting of one or more wards, within the territorial area of a Municipality having a population of three lakhs or more.

(2) The Legislature of a State may, by law, make provision with respect to—

(a) the composition and the territorial area of a Wards Committee;

(b) the manner in which the seats in a Wards Committee shall be filled.

(3) A member of a Municipality representing a ward within the territorial area of the Wards Committee shall be a member of that Committee.

(4) Where a Wards Committee consists of—

(a) one ward, the member representing that ward in the Municipality;
or

(b) two or more wards, one of the members representing such wards in the Municipality elected by the members of the Wards Committee,

shall be the Chairperson of that Committee.

(5) Nothing in this article shall be deemed to prevent the Legislature of a State from making any provision for the constitution of Committees in addition to the Wards Committees.

243T. Reservation of seats.—(1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in every Municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Municipality as the population of the Scheduled Castes in the Municipal area or of the Scheduled Tribes in the Municipal area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality.

(2) Not less than one-third of the total number of seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.

243ध. वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना — (1) ऐसी नगरपालिका के, जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी ।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, —

(क) वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत;

(ख) उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे, उपबंध कर सकेगा ।

(3) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा ।

(4) जहां कोई वार्ड समिति, —

(क) एक वार्ड से मिलकर बनती है वहां नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य; या

(ख) दो या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है वहां नगरपालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य, जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा,

उस समिति का अध्यक्ष होगा ।

(5) इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधान-मंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबंध करने से निवारित करती है ।

243न. स्थानों का आरक्षण — (1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Municipality shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality.

(4) The offices of Chairpersons in the Municipalities shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and women in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide.

(5) The reservation of seats under clauses (1) and (2) and the reservation of offices of Chairpersons (other than the reservation for women) under clause (4) shall cease to have effect on the expiration of the period specified in article 334.

(6) Nothing in this Part shall prevent the Legislature of a State from making any provision for reservation of seats in any Municipality or offices of Chairpersons in the Municipalities in favour of backward class of citizens.

243U. Duration of Municipalities, etc.—(1) Every Municipality, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer:

Provided that a Municipality shall be given a reasonable opportunity of being heard before its dissolution.

(2) No amendment of any law for the time being in force shall have the effect of causing dissolution of a Municipality at any level, which is functioning immediately before such amendment, till the expiration of its duration specified in clause (1).

(3) An election to constitute a Municipality shall be completed,—

(a) before the expiry of its duration specified in clause (1);

(b) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution:

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting the Municipality for such period.

(4) A Municipality constituted upon the dissolution of a Municipality before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued under clause (1) had it not been so dissolved.

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे।

(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

243प. नगरपालिकाओं की अवधि, आदि — (1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं:

परंतु किसी नगरपालिका का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी नगरपालिका का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

(3) किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन, —

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व,

पूरा किया जाएगा:

परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिका बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

243V. Disqualifications for membership.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a Municipality—

(a) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of elections to the Legislature of the State concerned:

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty-five years of age, if he has attained the age of twenty-one years;

(b) if he is so disqualified by or under any law made by the Legislature of the State.

(2) If any question arises as to whether a member of a Municipality has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1), the question shall be referred for the decision of such authority and in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide.

243W. Powers, authority and responsibilities of Municipalities, etc.—Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by law, endow—

(a) the Municipalities with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon Municipalities, subject to such conditions as may be specified therein, with respect to—

(i) the preparation of plans for economic development and social justice;

(ii) the performance of functions and the implementation of schemes as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the Twelfth Schedule;

(b) the Committees with such powers and authority as may be necessary to enable them to carry out the responsibilities conferred upon them including those in relation to the matters listed in the Twelfth Schedule.

243X. Power to impose taxes by, and Funds of, the Municipalities.—The Legislature of a State may, by law,—

(a) authorise a Municipality to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and subject to such limits;

(भाग 9क—नगरपालिकाएं)

243फ. सदस्यता के लिए निरर्हताएं — (1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, —

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है:

परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी नगरपालिका का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा ।

243ब. नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व — इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, —

(क) नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्: —

(i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ii) ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमों भी हैं, जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना;

(ख) समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्वों को, जिनके अन्तर्गत वे उत्तरदायित्व भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों ।

243भ. नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां — किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, —

(क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी नगरपालिका को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा;

(b) assign to a Municipality such taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the State Government for such purposes and subject to such conditions and limits;

(c) provide for making such grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the State; and

(d) provide for constitution of such Funds for crediting all moneys received, respectively, by or on behalf of the Municipalities and also for the withdrawal of such moneys therefrom,

as may be specified in the law.

243Y. Finance Commission.—(1) The Finance Commission constituted under article 243I shall also review the financial position of the Municipalities and make recommendations to the Governor as to—

(a) the principles which should govern—

(i) the distribution between the State and the Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under this Part and the allocation between the Municipalities at all levels of their respective shares of such proceeds;

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Municipalities;

(iii) the grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the State;

(b) the measures needed to improve the financial position of the Municipalities;

(c) any other matter referred to the Finance Commission by the Governor in the interests of sound finance of the Municipalities.

(2) The Governor shall cause every recommendation made by the Commission under this article together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before the Legislature of the State.

243Z. Audit of accounts of Municipalities.—The Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the maintenance of accounts by the Municipalities and the auditing of such accounts.

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस किसी नगरपालिका को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, समनुदिष्ट कर सकेगा;

(ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए ऐसे सहायता-अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा; और

(घ) नगरपालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा,

जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

243म. वित्त आयोग — (1) अनुच्छेद 243झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और जो —

(क)(i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और नगरपालिकाओं के बीच, जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;

(iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;

(ग) नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में,

राज्यपाल को सिफारिश करेगा ।

(2) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्यवाई के स्पष्टीकारक जापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

243य. नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा — किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा ।

243ZA. Elections to the Municipalities.—(1) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Municipalities shall be vested in the State Election Commission referred to in article 243K.

(2) Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by law, make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, elections to the Municipalities.

243ZB. Application to Union territories.—The provisions of this Part shall apply to the Union territories and shall, in their application to a Union territory, have effect as if the references to the Governor of a State were references to the Administrator of the Union territory appointed under article 239 and references to the Legislature or the Legislative Assembly of a State were references in relation to a Union territory having a Legislative Assembly, to that Legislative Assembly:

Provided that the President may, by public notification, direct that the provisions of this Part shall apply to any Union territory or part thereof subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification.

243ZC. Part not to apply to certain areas.—(1) Nothing in this Part shall apply to the Scheduled Areas referred to in clause (1), and the tribal areas referred to in clause (2) of article 244.

(2) Nothing in this Part shall be construed to affect the functions and powers of the Darjeeling Gorkha Hill Council constituted under any law for the time being in force for the hill areas of the district of Darjeeling in the State of West Bengal.

(3) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may, by law, extend the provisions of this Part to the Scheduled Areas and the tribal areas referred to in clause (1) subject to such exceptions and modifications as may be specified in such law, and no such law shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

243ZD. Committee for district planning.—(1) There shall be constituted in every State at the district level a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole.

(2) The Legislature of a State may, by law, make provision with respect to—

243यक. नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन — (1) नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, अनुच्छेद 243C में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा।

243यख. संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना — इस भाग के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधान-मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश, किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसमें विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रति निर्देश हों:

परंतु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

243यग. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना — (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और इसके खंड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी।

(2) इस भाग की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है।

(3) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।

243यघ. जिला योजना के लिए समिति — (1) प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबंध कर सकेगा, अर्थात्:—

- (a) the composition of the District Planning Committees;
- (b) the manner in which the seats in such Committees shall be filled:

Provided that not less than four-fifths of the total number of members of such Committee shall be elected by, and from amongst, the elected members of the Panchayat at the district level and of the Municipalities in the district in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district;

- (c) the functions relating to district planning which may be assigned to such Committees;
- (d) the manner in which the Chairpersons of such Committees shall be chosen.

(3) Every District Planning Committee shall, in preparing the draft development plan,—

- (a) have regard to—

- (i) matters of common interest between the Panchayats and the Municipalities including spatial planning, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation;

- (ii) the extent and type of available resources whether financial or otherwise;

- (b) consult such institutions and organisations as the Governor may, by order, specify.

(4) The Chairperson of every District Planning Committee shall forward the development plan, as recommended by such Committee, to the Government of the State.

243ZE. Committee for Metropolitan planning.—(1) There shall be constituted in every Metropolitan area a Metropolitan Planning Committee to prepare a draft development plan for the Metropolitan area as a whole.

(2) The Legislature of a State may, by law, make provision with respect to—

- (a) the composition of the Metropolitan Planning Committees;
- (b) the manner in which the seats in such Committees shall be filled:

(क) जिला योजना समितियों की संरचना;

(ख) वह रीति, जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे:

परंतु ऐसी समिति की कुल सदस्य संख्या के कम से कम चार बटा पांच सदस्य, जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने में से, जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे;

(ग) जिला योजना से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुद्दिष्ट किए जाएं;

(घ) वह रीति, जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे ।

(3) प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में,—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात्:—

(i) पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अंतर्गत स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(ii) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे ।

(4) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा ।

243यड. महानगर योजना के लिए समिति — (1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा ।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबंध कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) महानगर योजना समितियों की संरचना;

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे:

Provided that not less than two-thirds of the members of such Committee shall be elected by, and from amongst, the elected members of the Municipalities and Chairpersons of the Panchayats in the Metropolitan area in proportion to the ratio between the population of the Municipalities and of the Panchayats in that area;

(c) the representation in such Committees of the Government of India and the Government of the State and of such organisations and institutions as may be deemed necessary for carrying out the functions assigned to such Committees;

(d) the functions relating to planning and coordination for the Metropolitan area which may be assigned to such Committees;

(e) the manner in which the Chairpersons of such Committees shall be chosen.

(3) Every Metropolitan Planning Committee shall, in preparing the draft development plan,—

(a) have regard to—

(i) the plans prepared by the Municipalities and the Panchayats in the Metropolitan area;

(ii) matters of common interest between the Municipalities and the Panchayats, including coordinated spatial planning of the area, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation;

(iii) the overall objectives and priorities set by the Government of India and the Government of the State;

(iv) the extent and nature of investments likely to be made in the Metropolitan area by agencies of the Government of India and of the Government of the State and other available resources whether financial or otherwise;

(b) consult such institutions and organisations as the Governor may, by order, specify.

(4) The Chairperson of every Metropolitan Planning Committee shall forward the development plan, as recommended by such Committee, to the Government of the State.

परंतु ऐसी समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य, महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, अपने में से, उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे;

(ग) ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(घ) महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं;

(ङ) वह रीति, जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे ।

(3) प्रत्येक महानगर योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में,—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात्:—

(i) महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं;

(ii) नगरपालिकाओं और पंचायतों के सामान्य हित के विषय, जिनके अंतर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(iii) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और पूर्विकताएं;

(iv) उन विनिधानों की मात्रा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने संभाव्य हैं तथा अन्य उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधन;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(4) प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा ।

243ZF. Continuance of existing laws and Municipalities.—

Notwithstanding anything in this Part, any provision of any law relating to Municipalities in force in a State immediately before the commencement of the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992, which is inconsistent with the provisions of this Part, shall continue to be in force until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority or until the expiration of one year from such commencement, whichever is earlier:

Provided that all the Municipalities existing immediately before such commencement shall continue till the expiration of their duration, unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the Legislative Assembly of that State or, in the case of a State having a Legislative Council, by each House of the Legislature of that State.

243ZG. Bar to interference by courts in electoral matters.—

Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 243ZA shall not be called in question in any court;

(b) no election to any Municipality shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the Legislature of a State.]

243यच. विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना — इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त नगरपालिकाओं से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा:

परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी नगरपालिकाएं, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं तो, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी ।

243यछ. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन — इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, —

(क) अनुच्छेद 243यक के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) किसी नगरपालिका के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है, जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं ।]

¹[PART IXB

THE CO-OPERATIVE SOCIETIES

243ZH. Definitions.—In this Part, unless the context otherwise requires,—

(a) “authorised person” means a person referred to as such in article 243ZQ;

(b) “board” means the board of directors or the governing body of a co-operative society, by whatever name called, to which the direction and control of the management of the affairs of a society is entrusted to;

(c) “co-operative society” means a society registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force in any State;

(d) “multi-State co-operative society” means a society with objects not confined to one State and registered or deemed to be registered under any law for the time being in force relating to such co-operatives;

(e) “Office bearer” means a President, Vice-President, Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary or Treasurer, of a co-operative society and includes any other person to be elected by the board of any co-operative society;

(f) “Registrar” means the Central Registrar appointed by the Central Government in relation to the multi-State co-operative societies and the Registrar for co-operative societies appointed by the State Government under the law made by the Legislature of a State in relation to co-operative societies;

(g) “State Act” means any law made by the Legislature of a State;

(h) “State level co-operative society” means a co-operative society having its area of operation extending to the whole of a State and defined as such in any law made by the Legislature of a State.

243ZI. Incorporation of co-operative societies.—Subject to the provisions of this Part, the Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the incorporation, regulation and winding up of co-operative societies based on the principles of voluntary formation, democratic member-control, member-economic participation and autonomous functioning.

1. Part IXB ins. by the Constitution (Ninety-seventh Amendment) Act, 2011, s. 4 (w.e.f. 15-2-2012).

सहकारी सोसाइटियां

243यज. परिभाषाएं — इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “प्राधिकृत व्यक्ति” से अनुच्छेद 243यथ में उस रूप में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) “बोर्ड” से किसी सहकारी सोसाइटी का निदेशक बोर्ड या शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसको किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध का निदेशन और नियंत्रण सौंपा गया हो, अभिप्रेत है;

(ग) “सहकारी सोसाइटी” से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है;

(घ) “बहुराज्य सहकारी सोसाइटी” से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो ऐसी सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है;

(ङ) “पदाधिकारी” से किसी सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष अभिप्रेत है और जिनमें किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(च) “रजिस्ट्रार” से बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार और सहकारी सोसाइटियों के संबंध में किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(छ) “राज्य अधिनियम” से किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि अभिप्रेत है;

(ज) “राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी” से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका सम्पूर्ण राज्य पर विस्तारित अपना प्रचालन क्षेत्र है और जिसको किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि में उस रूप में परिभाषित किया गया है ।

243यझ. सहकारी सोसाइटियों का निगमन — इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, स्वैच्छिक विरचना, लोकातांत्रिक सदस्य-नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी और स्वशासी कार्यकरण के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी सोसाइटियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन के संबंध में उपबंध कर सकेगा ।

(Part IXB.—Co-operative Societies)

243ZJ. Number and term of members of board and its office bearers.—(1) The board shall consist of such number of directors as may be provided by the Legislature of a State, by law:

Provided that the maximum number of directors of a co-operative society shall not exceed twenty-one:

Provided further that the Legislature of a State shall, by law, provide for the reservation of one seat for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and two seats for women on board of every co-operative society consisting of individuals as members and having members from such class or category of persons.

(2) The term of office of elected members of the board and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers shall be contemporaneous with the term of the board:

Provided that the board may fill a casual vacancy on the board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the board is less than half of its original term.

(3) The Legislature of a State shall, by law, make provisions for co-option of persons to be members of the board having experience in the field of banking, management, finance or specialisation in any other field relating to the objects and activities undertaken by the co-operative society, as members of the board of such society:

Provided that the number of such co-opted members shall not exceed two in addition to twenty-one directors specified in the first proviso to clause (1):

Provided further that such co-opted members shall not have the right to vote in any election of the co-operative society in their capacity as such member or to be eligible to be elected as office bearers of the board:

Provided also that the functional directors of a co-operative society shall also be the members of the board and such members shall be excluded for the purpose of counting the total number of directors specified in the first proviso to clause (1).

(भाग 9ख—सहकारी सोसाइटियाँ)

243यत्र. बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि —

(1) बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे, जितने राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं:

परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में जो सदस्यों के रूप में व्यष्टियों से मिलकर बनी हो और उसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा स्त्रियों के वर्ग या प्रवर्ग से सदस्य हों, एक स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और दो स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित करेगा ।

(2) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों तथा उसके पदाधिकारियों की पदावधि, निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड की अवधि के साथ सहावसानी होगी:

परंतु बोर्ड, बोर्ड की आकस्मिक रिक्ति को नामनिर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, भर सकेगा, यदि बोर्ड की पदावधि उसकी मूल पदावधि के आधे से कम है ।

(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसी सोसाइटी के बोर्ड के सदस्यों के रूप में बैंककारी, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या सहकारी सोसाइटी के उद्देश्यों और उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले बोर्ड के सदस्य होने वाले व्यक्तियों को सहयोजित करने के लिए, उपबंध कर सकेगा:

परंतु ऐसे सहयोजित सदस्य खंड (1) के पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होंगे:

परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को ऐसे सदस्य के रूप में उनकी हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मतदान करने का या बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का अधिकार नहीं होगा:

परंतु यह भी कि किसी सहकारी सोसाइटी के कृत्यकारी निदेशक, बोर्ड के सदस्य भी होंगे और ऐसे सदस्यों को खंड (1) के पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट कुल निदेशकों की कुल संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा ।

(Part IXB.—Co-operative Societies)

243ZK. Election of members of board.—(1) Notwithstanding anything contained in any law made by the Legislature of a State, the election of a board shall be conducted before the expiry of the term of the board so as to ensure that the newly elected members of the board assume office immediately on the expiry of the office of members of the outgoing board.

(2) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to a co-operative society shall vest in such an authority or body, as may be provided by the Legislature of a State, by law:

Provided that the Legislature of a State may, by law, provide for the procedure and guidelines for the conduct of such elections.

243ZL. Supersession and suspension of board and interim management.—(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no board shall be superseded or kept under suspension for a period exceeding six months:

Provided that the board may be superseded or kept under suspension in a case—

- (i) of its persistent default; or
 - (ii) of negligence in the performance of its duties; or
 - (iii) the board has committed any act prejudicial to the interests of the co-operative society or its members; or
 - (iv) there is stalemate in the constitution or functions of the board;
- or
- (v) the authority or body as provided by the Legislature of a State, by law, under clause (2) of article 243ZK, has failed to conduct elections in accordance with the provisions of the State Act:

Provided further that the board of any such co-operative society shall not be superseded or kept under suspension where there is no Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government:

Provided also that in case of a co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) shall also apply:

(भाग 9ख—सहकारी सोसाइटियां)

243यट. बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन — (1) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड का निर्वाचन, बोर्ड की अवधि के अवसान से पूर्व संचालित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवनिर्वाचित बोर्ड के सदस्य, पदावरोही बोर्ड के सदस्यों की पदावधि के अवसान होते ही पद ग्रहण कर लें ।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, ऐसे प्राधिकारी या निकाय में, जो राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किया जाए, निहित होगा:

परंतु किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उपबंध कर सकेगा ।

243यठ. बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अन्तरिम प्रबंध — (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बोर्ड, छह मास से अधिक की अवधि के लिए अतिष्ठित नहीं किया जाएगा या निलंबनाधीन नहीं रखा जाएगा:

परंतु बोर्ड को —

(i) उसके लगातार व्यतिक्रम की दशा में; या

(ii) अपने कर्तव्यों के अनुपालन में उपेक्षा करने की दशा में; या

(iii) बोर्ड द्वारा सहकारी सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करने की दशा में; या

(iv) बोर्ड के गठन या उसके कृत्यों में कोई गतिरोध उत्पन्न होने की दशा में; या

(v) राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, अनुच्छेद 243यट के खंड (2) के अधीन यथा उपबंधित प्राधिकारी या निकाय के राज्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन कराने में असफल रहने की दशा में,

अतिष्ठित किया जा सकेगा या निलंबनाधीन रखा जा सकेगा:

परंतु यह और कि जहां कोई सरकारी शेयर धारण या सरकार द्वारा कोई उधार या वित्तीय सहायता या प्रत्याभूति नहीं है वहां ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को अतिष्ठित नहीं किया जाएगा या निलंबनाधीन नहीं रखा जाएगा:

परंतु यह भी कि बैंककारी कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के उपबंध भी लागू होंगे:

(Part IXB.—Co-operative Societies)

Provided also that in case of a co-operative society, other than a multi-State co-operative society, carrying on the business of banking, the provisions of this clause shall have the effect as if for the words “six months”, the words “one year” had been substituted.

(2) In case of supersession of a board, the administrator appointed to manage the affairs of such co-operative society shall arrange for conduct of elections within the period specified in clause (1) and handover the management to the elected board.

(3) The Legislature of a State may, by law, make provisions for the conditions of service of the administrator.

243ZM. Audit of accounts of co-operative societies.—(1) The Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the maintenance of accounts by the co-operative societies and the auditing of such accounts at least once in each financial year.

(2) The Legislature of a State shall, by law, lay down the minimum qualifications and experience of auditors and auditing firms that shall be eligible for auditing accounts of the co-operative societies.

(3) Every co-operative society shall cause to be audited by an auditor or auditing firms referred to in clause (2) appointed by the general body of the co-operative society:

Provided that such auditors or auditing firms shall be appointed from a panel approved by a State Government or an authority authorised by the State Government in this behalf.

(4) The accounts of every co-operative society shall be audited within six months of the close of the financial year to which such accounts relate.

(5) The audit report of the accounts of an apex co-operative society, as may be defined by the State Act, shall be laid before the State Legislature in the manner, as may be provided by the State Legislature, by law.

243ZN. Convening of general body meetings.—The Legislature of a State may, by law, make provisions that the annual general body meeting of every co-operative society shall be convened within a period of six months of close of the financial year to transact the business as may be provided in such law.

(भाग 9ख—सहकारी सोसाइटियाँ)

परन्तु यह भी कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से भिन्न बैंककारी कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस खंड के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे मानो “छह मास” शब्दों के स्थान पर “एक वर्ष” शब्द रखे गए थे ।

(2) बोर्ड के अधिक्रमण की दशा में, ऐसी सहकारी सोसाइटी के कार्यकलाप का प्रबंध करने के लिए नियुक्त प्रशासक, खंड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्वाचनों के संचालन के लिए व्यवस्था करेगा और उसका प्रबंध निर्वाचित बोर्ड को सौंपेगा ।

(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, प्रशासक की सेवा की शर्तों के लिए उपबंध कर सकेगा ।

243यड. सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा — (1) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी सोसाइटियों द्वारा लेखाओं के रखे जाने और ऐसे लेखाओं की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षा किए जाने के संबंध में उपबंध कर सकेगा ।

(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे संपरीक्षकों और संपरीक्षा करने वाली ऐसी फर्मों की, जो सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए पात्र होंगी, न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव अधिकथित करेगा ।

(3) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त, खंड (2) में निर्दिष्ट किसी संपरीक्षक या संपरीक्षा करने वाली फर्मों द्वारा संपरीक्षा करवाएगी:

परन्तु ऐसे संपरीक्षकों या संपरीक्षा करने वाली फर्मों को राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैनल में से नियुक्त किया जाएगा ।

(4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की, जिससे ऐसे लेखे संबंधित हैं, समाप्ति के छह मास के भीतर की जाएगी ।

(5) राज्य अधिनियम द्वारा यथा परिभाषित किसी सर्वोच्च सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान-मंडल के समक्ष ऐसी रीति से रखी जाएगी जो राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा उपबंधित की जाए ।

243यड. साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना — किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, यह उपबंध कर सकेगा कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय की वार्षिक बैठक, ऐसे कारबार का संव्यवहार करने के, जो ऐसी विधि में उपबंधित किया जाए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास की अवधि के भीतर, संयोजित की जाएगी ।

(Part IXB.—Co-operative Societies)

243ZO. Right of a member to get information.—(1) The Legislature of a State may, by law, provide for access to every member of a co-operative society to the books, information and accounts of the co-operative society kept in regular transaction of its business with such member.

(2) The Legislature of a State may, by law, make provisions to ensure the participation of members in the management of the co-operative society providing minimum requirement of attending meetings by the members and utilising the minimum level of services as may be provided in such law.

(3) The Legislature of a State may, by law, provide for co-operative education and training for its members.

243ZP. Returns.—Every co-operative society shall file returns, within six months of the close of every financial year, to the authority designated by the State Government including the following matters, namely:—

(a) annual report of its activities;

(b) its audited statement of accounts;

(c) plan for surplus disposal as approved by the general body of the co-operative society;

(d) list of amendments to the bye-laws of the co-operative society, if any;

(e) declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of elections when due; and

(f) any other information required by the Registrar in pursuance of any of the provisions of the State Act.

243ZQ. Offences and penalties.—(1) The Legislature of a State may, by law, make provisions for the offences relating to the co-operative societies and penalties for such offences.

(2) A law made by the Legislature of a State under clause (1) shall include the commission of the following act or omission as offences, namely:—

(a) a co-operative society or an officer or member thereof wilfully makes a false return or furnishes false information, or any person wilfully not furnishes any information required from him by a person authorised in this behalf under the provisions of the State Act;

(भाग 9ख—सहकारी सोसाइटियां)

243यण. सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार — (1) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य की सहकारी सोसाइटी की ऐसी बहियों, सूचना और लेखाओं तक, जो ऐसे सदस्य के साथ उसके कारबार के नियमित संव्यवहार में रखे गए हों, पहुँच के लिए उपबंध कर सकेगा।

(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की ऐसी न्यूनतम अपेक्षा का उपबंध करते हुए और सेवाओं के ऐसे न्यूनतम स्तर का उपयोग करते हुए, जो ऐसी विधि में उपबंध किया जाए, उपबंध कर सकेगा।

(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अपने सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का उपबंध कर सकेगा।

243यत. विवरणियां — प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर राज्य सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकारी को ऐसी विवरणियां फाइल करेगी, जिनमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी, अर्थात्: —

- (क) उसके क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट;
- (ख) उसके लेखाओं का संपरीक्षित विवरण;
- (ग) अधिशेष के व्ययन की योजना, जो सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित हो;
- (घ) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हों, की सूची;
- (ङ) उसके साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के संबंध में घोषणा; और
- (च) राज्य अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

243यथ. अपराध और शास्तियां — (1) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी सोसाइटियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए शास्तियों से संबंधित उपबंध कर सकेगा।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि में निम्नलिखित कार्य करना या उसका लोप करना अपराध के रूप में सम्मिलित होगा, अर्थात्: —

- (क) कोई सहकारी सोसाइटी या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाता है या मिथ्या जानकारी देता है अथवा कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी जानकारी नहीं देता है, जो इस निमित्त राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित की गई हो;

(Part IXB.—Co-operative Societies)

(b) any person wilfully or without any reasonable excuse disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of the State Act;

(c) any employer who, without sufficient cause, fails to pay to a co-operative society amount deducted by him from its employee within a period of fourteen days from the date on which such deduction is made;

(d) any officer or custodian who wilfully fails to handover custody of books, accounts, documents, records, cash, security and other property belonging to a co-operative society of which he is an officer or custodian, to an authorised person; and

(e) whoever, before, during or after the election of members of the board or office bearers, adopts any corrupt practice.

243ZR. Application to multi-State co-operative societies.—The provisions of this Part shall apply to the multi-State co-operative societies subject to the modification that any reference to “Legislature of a State”, “State Act” or “State Government” shall be construed as a reference to “Parliament”, “Central Act” or “the Central Government” respectively.

243ZS. Application to Union territories.—The provisions of this Part shall apply to the Union territories and shall, in their application to a Union territory, having no Legislative Assembly as if the references to the Legislature of a State were a reference to the administrator thereof appointed under article 239 and, in relation to a Union territory having a Legislative Assembly, to that Legislative Assembly:

Provided that the President may, by notification in the Official Gazette, direct that the provisions of this Part shall not apply to any Union territory or part thereof as he may specify in the notification.

243ZT. Continuance of existing laws.— Notwithstanding anything in this Part, any provision of any law relating to co-operative societies in force in a State immediately before the commencement of the Constitution (Ninety-seventh Amendment) Act, 2011, which is inconsistent with the provisions of this Part, shall continue to be in force until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority or until the expiration of one year from such commencement, whichever is less.]

(भाग 9ख—सहकारी सोसाइटियां)

(ख) कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त कारण के बिना राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी समन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है;

(ग) कोई नियोजक, जो पर्याप्त कारण के बिना, उसके द्वारा उसके कर्मचारी से काटी गई रकम का, उस तारीख से, जिसको ऐसी कटौती की गई है, चौदह दिन की अवधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को संदाय करने में असफल रहता है;

(घ) ऐसा कोई अधिकारी या अभिरक्षक, जो ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी की, जिसका वह अधिकारी या अभिरक्षक है, बहियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, रोकड़, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति की अभिरक्षा किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपने में असफल रहता है; और

(ङ) जो कोई बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के निर्वाचन से पहले, उसके दौरान या पश्चात् कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है ।

243यद. बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना — इस भाग के उपबंध, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि “राज्य का विधान-मंडल”, “राज्य अधिनियम” या “राज्य सरकार” के प्रति किसी निर्देश का वही अर्थ लगाया जाएगा जो क्रमशः, “संसद”, “केन्द्रीय अधिनियम” या “केन्द्रीय सरकार” का है ।

243यध. संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना — इस भाग के उपबंध, संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र को, जिसकी कोई विधान सभा नहीं है, उसी प्रकार लागू होंगे मानो किसी राज्य के विधान-मंडल के प्रतिनिर्देश, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक के प्रति और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसकी कोई विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रतिनिर्देश हैं:

परंतु राष्ट्रपति, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध ऐसे किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके भाग को, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, लागू नहीं होंगे ।

243यन. विद्यमान विधियों का जारी रहना — इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, उसे सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित किए जाने तक या ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के समाप्त होने तक, इनमें से जो भी कम हो, प्रवृत्त बना रहेगा ।]

PART X

THE SCHEDULED AND TRIBAL AREAS

244. Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas.—(1) The provisions of the Fifth Schedule shall apply to the administration and control of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes in any State ^{1****} other than ²[the States of Assam, ³[, ⁴[Meghalaya, Tripura and Mizoram]]].

(2) The provisions of the Sixth Schedule shall apply to the administration of the tribal areas in ²[the States of Assam, ³[, ⁵[Meghalaya, Tripura and Mizoram]]].

⁶[244A. Formation of an autonomous State comprising certain tribal areas in Assam and creation of local Legislature or Council of Ministers or both therefor.—(1) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may, by law, form within the State of Assam an autonomous State comprising (whether wholly or in part) all or any of the tribal areas specified in ⁷[Part I] of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule and create therefor—

(a) a body, whether elected or partly nominated and partly elected, to function as a Legislature for the autonomous State, or

(b) a Council of Ministers,

or both with such constitution, powers and functions, in each case, as may be specified in the law.

(2) Any such law as is referred to in clause (1) may, in particular,—

-
1. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
 2. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71, for "the State of Assam" (w.e.f. 21-1-1972).
 3. Subs. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 2, for "and Meghalaya" (w.e.f. 1-4-1985).
 4. Subs. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 39, for "Meghalaya and Tripura" (w.e.f. 20-2-1987).
 5. Subs. by s. 39, *ibid.*, for "Meghalaya and Tripura and the Union territory of Mizoram". (w.e.f. 20-2-1987).
 6. Ins. by the Constitution (Twenty-second Amendment) Act, 1969, s. 2 (w.e.f. 25-9-1969).
 7. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71, for "Part A" (w.e.f. 21-1-1972).

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र

244. अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन — (1) पांचवीं अनुसूची के उपबंध ¹[असम, ²³[मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम]] राज्यों से भिन्न ^{4***} किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे ।

(2) छठी अनुसूची के उपबंध ¹[असम, ²⁵[मेघालय, त्रिपुरा] और मिजोरम राज्यों] के] जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे ।

⁶[244क. असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रि-परिषद् का या दोनों का सृजन — (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा असम राज्य के भीतर एक स्वशासी राज्य बना सकेगी, जिसमें छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के ⁷[भाग 1] में विनिर्दिष्ट सभी या कोई जनजाति क्षेत्र (पूर्णतः या भागतः) समाविष्ट होंगे और उसके लिए —

(क) उस स्वशासी राज्य के विधान-मंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागतः नामनिर्देशित और भागतः निर्वाचित निकाय का; या

(ख) मंत्रि-परिषद् का,

या दोनों का सृजन कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक का गठन, शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट विधि, विशिष्टतया, —

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 द्वारा (21-1-1972 से) "असम राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 2 द्वारा (1-4-1985 से) "और मेघालय" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) "मेघालय और त्रिपुरा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
5. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) "मेघालय और त्रिपुरा राज्यों और मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 2 द्वारा (25-9-1969 से) अंतःस्थापित ।
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 द्वारा (21-1-1972 से) "भाग क" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(a) specify the matters enumerated in the State List or the Concurrent List with respect to which the Legislature of the autonomous State shall have power to make laws for the whole or any part thereof, whether to the exclusion of the Legislature of the State of Assam or otherwise;

(b) define the matters with respect to which the executive power of the autonomous State shall extend;

(c) provide that any tax levied by the State of Assam shall be assigned to the autonomous State in so far as the proceeds thereof are attributable to the autonomous State;

(d) provide that any reference to a State in any article of this Constitution shall be construed as including a reference to the autonomous State; and

(e) make such supplemental, incidental and consequential provisions as may be deemed necessary.

(3) An amendment of any such law as aforesaid in so far as such amendment relates to any of the matters specified in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (2) shall have no effect unless the amendment is passed in each House of Parliament by not less than two-thirds of the members present and voting.

(4) Any such law as is referred to in this article shall not be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368 notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending this Constitution.]

(क) राज्य सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित वे विषय विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके संबंध में स्वशासी राज्य के विधान-मंडल को संपूर्ण स्वशासी राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति, असम राज्य के विधान-मंडल का अपवर्जन करके या अन्यथा, होगी;

(ख) वे विषय परिनिश्चित कर सकेगी जिन पर उस स्वशासी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा;

(ग) यह उपबंध कर सकेगी कि असम राज्य द्वारा उद्गृहीत कोई कर स्वशासी राज्य को वहां तक सौंपा जाएगा जहां तक उसके आगम स्वशासी राज्य से प्राप्त हुए माने जा सकते हैं;

(घ) यह उपबंध कर सकेगी कि इस संविधान के किसी अनुच्छेद में राज्य के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत स्वशासी राज्य के प्रति निर्देश है; और

(ङ) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपबंध कर सकेगी जो आवश्यक समझे जाए ।

(3) पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि का कोई संशोधन, जहां तक वह संशोधन खंड (2) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित है, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक वह संशोधन संसद् के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मत देने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है ।

(4) इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है ।]

PART XI

RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATES

CHAPTER I.—LEGISLATIVE RELATIONS

Distribution of Legislative Powers

245. Extent of laws made by Parliament and by the Legislatures of States.—(1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State.

(2) No law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra-territorial operation.

246. Subject-matter of laws made by Parliament and by the Legislatures of States.—(1) Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the "Union List").

(2) Notwithstanding anything in clause (3), Parliament, and, subject to clause (1), the Legislature of any State ^{1***} also, have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List III in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the "Concurrent List").

(3) Subject to clauses (1) and (2), the Legislature of any State ^{1***} has exclusive power to make laws for such State or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List II in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the "State List").

(4) Parliament has power to make laws with respect to any matter for any part of the territory of India not included ²[in a State] notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the State List.

³[**246A. Special provision with respect to goods and services tax.**—(1) Notwithstanding anything contained in articles 246 and 254, Parliament, and, subject to clause (2), the Legislature of every State, have power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the Union or by such State.

1. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by s. 29 and Sch., *ibid.*, for "in Part A or Part B of the First Schedule" (w.e.f. 1-11-1956).

3. Ins. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 2 (w.e.f. 16-9-2016).

संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय 1 – विधायी संबंध

विधायी शक्तियों का वितरण

245. संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार — (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधान-मंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा ।

(2) संसद् द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा ।

246. संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु — (1) खंड (2) और खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को सातवीं अनुसूची की सूची 1 में (जिसे इस संविधान में “संघ सूची” कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को और खंड (1) के अधीन रहते हुए, ^{1***} किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सातवीं अनुसूची की सूची 3 में (जिसे इस संविधान में “समवर्ती सूची” कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है ।

(3) खंड (1) और खंड (2) के अधीन रहते हुए, ^{1***} किसी राज्य के विधान-मंडल को, सातवीं अनुसूची की सूची 2 में (जिसे इस संविधान में “राज्य सूची” कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।

(4) संसद् को भारत के राज्यक्षेत्र के ऐसे भाग के लिए ²[जो किसी राज्य] के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों न हो ।

³**246क. माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध** — (1) अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को, और खंड (2) के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल को, संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 2 द्वारा (16-9-2016 से) अंतःस्थापित ।

(2) Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and services tax where the supply of goods, or of services, or both takes place in the course of inter-State trade or commerce.

Explanation.—The provisions of this article, shall, in respect of goods and services tax referred to in clause (5) of article 279A, take effect from the date recommended by the Goods and Services Tax Council.]

247. Power of Parliament to provide for the establishment of certain additional courts.—Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament may by law provide for the establishment of any additional courts for the better administration of laws made by Parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in the Union List.

248. Residuary powers of legislation.—(1) ¹[Subject to article 246A, Parliament] has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List.

(2) Such power shall include the power of making any law imposing a tax not mentioned in either of those Lists.

249. Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest.—(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make laws with respect to ²[goods and services tax provided under article 246A or] any matter enumerated in the State List specified in the resolution, it shall be lawful for Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force.

(2) A resolution passed under clause (1) shall remain in force for such period not exceeding one year as may be specified therein:

Provided that, if and so often as a resolution approving the continuance in force of any such resolution is passed in the manner provided in clause (1), such resolution shall continue in force for a further period of one year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force.

(3) A law made by Parliament which Parliament would not but for the passing of a resolution under clause (1) have been competent to make shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the resolution has ceased to be in force, except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period.

1. Subs. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 3, for "Parliament" (w.e.f. 16-9-2016).

2. Ins. by s. 4, *ibid.* (w.e.f. 16-9-2016).

(भाग 11—संघ और राज्यों के बीच संबंध)

(2) जहां माल का या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता है वहां संसद् को, माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है।

स्पष्टीकरण — इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 279क के खंड (5) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर के संबंध में, माल और सेवा कर परिषद् द्वारा सिफारिश की गई तारीख से प्रभावी होंगे।]

247. कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद् की शक्ति — इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद् अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के, जो संघ सूची में प्रगणित विषय के संबंध में है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी।

248. अवशिष्ट विधायी शक्तियां — (1) [अनुच्छेद 246क के अधीन रहते हुए, संसद्] को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति है।

249. राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति — (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद् [अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर या] राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है, संसद् के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा।

(2) खंड (1) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (1) में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से, जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता, एक वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा।

(3) संसद् द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे संसद् खंड (1) के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने के पश्चात् छह मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

1. संविधान (एक सौ एक्कां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 3 द्वारा (16-9-2016 से) "संसद्" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (एक सौ एक्कां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 4 द्वारा (16-9-2016 से) अंतःस्थापित।

250. Power of Parliament to legislate with respect to any matter in the State List if a Proclamation of Emergency is in operation.—(1) Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament shall, while a Proclamation of Emergency is in operation, have power to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to ¹[goods and services tax provided under article 246A or] any of the matters enumerated in the State List.

(2) A law made by Parliament which Parliament would not but for the issue of a Proclamation of Emergency have been competent to make shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the Proclamation has ceased to operate, except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period.

251. Inconsistency between laws made by Parliament under articles 249 and 250 and laws made by the Legislatures of States.—Nothing in articles 249 and 250 shall restrict the power of the Legislature of a State to make any law which under this Constitution it has power to make, but if any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament has under either of the said articles power to make, the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of the State, shall prevail, and the law made by the Legislature of the State shall to the extent of the repugnancy, but so long only as the law made by Parliament continues to have effect, be inoperative.

252. Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State.—(1) If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that State.

1. Ins. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 5 (w.e.f. 16-9-2016).

(भाग 11—संघ और राज्यों के बीच संबंध)

250. यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति — (1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, '[अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल या सेवा कर या] राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी।

(2) संसद् द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे संसद् आपात की उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् छह मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

251. संसद् द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति — अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसी विधि बनाने की शक्ति को, जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शक्ति उसको है, निर्बंधित नहीं करेगी किंतु यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद् द्वारा बनाई गई विधि के, जिसे उक्त अनुच्छेदों में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की शक्ति संसद् को है, किसी उपबंध के विरुद्ध है तो संसद् द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो और राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक अप्रवर्तनीय होगी किंतु ऐसा तभी तक होगा जब तक संसद् द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहती है।

252. दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना — (1) यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयों में से, जिनके संबंध में संसद् को अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में यथा उपबंधित के सिवाय राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे और यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित करते हैं तो उस विषय का तदनुसार विनियमन करने के लिए कोई अधिनियम पारित करना संसद् के लिए विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा और ऐसे अन्य राज्य को लागू होगा, जो तत्पश्चात् अपने विधान-मंडल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है।

(2) Any Act so passed by Parliament may be amended or repealed by an Act of Parliament passed or adopted in like manner but shall not, as respects any State to which it applies, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that State.

253. Legislation for giving effect to international agreements.—Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other body.

254. Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States.—(1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.

(2) Where a law made by the Legislature of a State ^{1***} with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State:

Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State.

255. Requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matters of procedure only.—No Act of Parliament or of the Legislature of a State ^{1***}, and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given—

1. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 11—संघ और राज्यों के बीच संबंध)

(2) संसद् द्वारा इस प्रकार पारित किसी अधिनियम का संशोधन या निरसन इसी रीति से पारित या अंगीकृत संसद् के अधिनियम द्वारा किया जा सकेगा, किंतु उसका उस राज्य के संबंध में संशोधन या निरसन जिसको वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा नहीं किया जाएगा।

253. अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान — इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।

254. संसद् द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति — (1) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद् द्वारा बनाई गई विधि के, जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद् सक्षम है, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है तो खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, संसद् द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या विद्यमान विधि, अभिभावी होगी और उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी।

(2) जहां ¹*** राज्य के विधान-मंडल द्वारा समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि में कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद् द्वारा पहले बनाई गई विधि के या उस विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है तो यदि ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है तो वह विधि उस राज्य में अभिभावी होगी:

परंतु इस खंड की कोई बात संसद् को उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है, जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी।

255. सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना — यदि संसद् के या ¹*** किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम को —

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।

(Part XI.—Relations between the Union and the States)

(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;

(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;

(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

CHAPTER II.—ADMINISTRATIVE RELATIONS

General

256. Obligation of States and the Union.—The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose:

257. Control of the Union over States in certain cases.—(1) The executive power of every State shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

(2) The executive power of the Union shall also extend to the giving of directions to a State as to the construction and maintenance of means of communication declared in the direction to be of national or military importance:

Provided that nothing in this clause shall be taken as restricting the power of Parliament to declare highways or waterways to be national highways or national waterways or the power of the Union with respect to the highways or waterways so declared or the power of the Union to construct and maintain means of communication as part of its functions with respect to naval, military and air force works.

(3) The executive power of the Union shall also extend to the giving of directions to a State as to the measures to be taken for the protection of the railways within the State.

(4) Where in carrying out any direction given to a State under clause (2) as to the construction or maintenance of any means of communication or under clause (3) as to the measures to be taken for the protection of any railway, costs have been incurred in excess of those which would have been incurred in the discharge of the normal duties of the State if such direction had not been given, there shall be paid by the Government of India to the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India, in respect of the extra costs so incurred by the State.

(भाग 11—संघ और राज्यों के बीच संबंध)

(क) जहां राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने;
 (ख) जहां राजप्रमुख की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने;
 (ग) जहां राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहां राष्ट्रपति ने,
 अनुमति दे दी है तो ऐसा अधिनियम और ऐसे अधिनियम का कोई उपबंध केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं की गई थी या पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी ।

अध्याय 2 - प्रशासनिक संबंध

साधारण

256. राज्यों की और संघ की बाध्यता — प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।

257. कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण — (1) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।

(2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में निदेश देने तक भी होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया है:

परंतु इस खंड की कोई बात किसी राजमार्ग या जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की संसद की शक्ति को अथवा इस प्रकार घोषित राजमार्ग या जलमार्ग के बारे में संघ की शक्ति को अथवा सेना, नौसेना और वायुसेना संकर्म विषयक अपने कृत्यों के भागरूप संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने की संघ की शक्ति को निर्बंधित करने वाली नहीं मानी जाएगी ।

(3) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य को निदेश देने तक भी होगा ।

(4) जहां खंड (2) के अधीन संचार साधनों के निर्माण या बनाए रखने के बारे में अथवा खंड (3) के अधीन किसी रेल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में किसी राज्य को दिए गए किसी निदेश के पालन में उस खर्च से अधिक खर्च हो गया है जो, यदि ऐसा निदेश नहीं दिया गया होता तो राज्य के प्रसामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में खर्च होता वहां उस राज्य द्वारा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का, जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे, संदाय किया जाएगा ।

¹[257A. *[Assistance to States by deployment of armed forces or other forces of the Union.]—Omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 33 (w.e.f. 20-6-1979).]*

258. Power of the Union to confer powers, etc., on States in certain cases.—(1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.

(2) A law made by Parliament which applies in any State may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the Legislature of the State has no power to make laws, confer powers and impose duties, or authorise the conferring of powers and the imposition of duties, upon the State or officers and authorities thereof.

(3) Where by virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a State or officers or authorities thereof, there shall be paid by the Government of India to the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India, in respect of any extra costs of administration incurred by the State in connection with the exercise of those powers and duties.

²[258A. **Power of the States to entrust functions to the Union.**—Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.]

[259. *Armed Forces in States in Part B of the First Schedule.*].—*Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).*

260. Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India.—The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

1. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 43 (w.e.f. 3-1-1977).

2. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 18 (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 11—संघ और राज्यों के बीच संबंध)

¹[257क. [संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता ।] — संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 33 द्वारा (20-6-1979 से) लोप किया गया ।]

258. कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने, आदि की संघ की शक्ति —
(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा ।

(2) संसद् द्वारा बनाई गई विधि, जो किसी राज्य को लागू होती है ऐसे विषय से संबंधित होने पर भी, जिसके संबंध में राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, उस राज्य या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकेगी और उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी या शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी ।

(3) जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं या उन पर कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं वहां उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में राज्य द्वारा प्रशासन में किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का, जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे, संदाय किया जाएगा ।

²[258क. संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति — इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा ।]

[259. पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल ।] — संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

260. भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता — भारत सरकार किसी ऐसे राज्यक्षेत्र की सरकार से, जो भारत के राज्यक्षेत्र का भाग नहीं है, करार करके ऐसे राज्यक्षेत्र की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी, किन्तु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होगा और उससे शासित होगा ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 43 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 18 द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित ।

(Part XI.—Relations between the Union and the States)

261. Public acts, records and judicial proceedings.—(1) Full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the Union and of every State.

(2) The manner in which and the conditions under which the acts, records and proceedings referred to in clause (1) shall be proved and the effect thereof determined shall be as provided by law made by Parliament.

(3) Final judgments or orders delivered or passed by civil courts in any part of the territory of India shall be capable of execution anywhere within that territory according to law.

Disputes relating to Waters

262. Adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers or river valleys.—(1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.

(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1).

Co-ordination between States

263. Provisions with respect to an inter-State Council.—If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a Council charged with the duty of—

(a) inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States;

(b) investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a common interest; or

(c) making recommendations upon any such subject and, in particular, recommendations for the better co-ordination of policy and action with respect to that subject,

it shall be lawful for the President by order to establish such a Council, and to define the nature of the duties to be performed by it and its organisation and procedure.

(भाग 11—संघ और राज्यों के बीच संबंध)

261. सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ — (1) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र, संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी ।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट कार्यों, अभिलेखों और कार्यवाहियों को साबित करने की रीति और शर्तें तथा उनके प्रभाव का अवधारण संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार किया जाएगा ।

(3) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों या आदेशों का उस राज्यक्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा ।

जल संबंधी विवाद

262. अंतरराज्यिक नदियों या नदी-दुनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन — (1) संसद्, विधि द्वारा, किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी-दुन के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी ।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा ।

राज्यों के बीच समन्वय

263. अंतरराज्य परिषद् के संबंध में उपबंध — यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक हित की सिद्धि होगी जिसे —

(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने;

(ख) कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार-विमर्श करने; या

(ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने, के कर्तव्य का भार सौंपा जाए तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद् की स्थापना करे और उस परिषद् द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करे ।

PART XII
FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS

CHAPTER I.—FINANCE

General

¹[**264. Interpretation.**—In this Part, “Finance Commission” means a Finance Commission constituted under article 280.]

265. Taxes not to be imposed save by authority of law.—No tax shall be levied or collected except by authority of law.

266. Consolidated Funds and public accounts of India and of the States.—(1) Subject to the provisions of article 267 and to the provisions of this Chapter with respect to the assignment of the whole or part of the net proceeds of certain taxes and duties to States, all revenues received by the Government of India, all loans raised by that Government by the issue of treasury bills, loans or ways and means advances and all moneys received by that Government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be entitled “the Consolidated Fund of India”, and all revenues received by the Government of a State, all loans raised by that Government by the issue of treasury bills, loans or ways and means advances and all moneys received by that Government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be entitled “the Consolidated Fund of the State”.

(2) All other public moneys received by or on behalf of the Government of India or the Government of a State shall be credited to the public account of India or the public account of the State, as the case may be.

(3) No moneys out of the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State shall be appropriated except in accordance with law and for the purposes and in the manner provided in this Constitution.

267. Contingency Fund.—(1) Parliament may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled “the Contingency Fund of India” into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by Parliament by law under article 115 or article 116.

¹ Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for art. 264 (w.e.f. 1-11-1956).

भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

अध्याय 1 – वित्त

साधारण

¹[264. निर्वचन — इस भाग में, “वित्त आयोग” से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है ।]

265. विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना — कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

266. भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे — (1) अनुच्छेद 267 के उपबंधों के तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम पूर्णतः या भागतः राज्यों को सौंप दिए जाने के संबंध में इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राज हंडियां निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो “भारत की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी तथा किसी राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राज हंडियां निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो “राज्य की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी ।

(2) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां, यथास्थिति, भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएंगी ।

(3) भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशियां विधि के अनुसार तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएंगी, अन्यथा नहीं ।

267. आकस्मिकता निधि — (1) संसद, विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी जो “भारत की आकस्मिकता निधि” के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन रखी जाएगी ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) अनुच्छेद 264 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) The Legislature of a State may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled “the Contingency Fund of the State” into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the Governor ^{1***} of the State to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by the Legislature of the State by law under article 205 or article 206.

Distribution of Revenues between the Union and the States

268. Duties levied by the Union but collected and appropriated by the States.—(1) Such stamp duties ^{2***} as are mentioned in the Union List shall be levied by the Government of India but shall be collected—

(a) in the case where such duties are leviable within any ³[Union territory], by the Government of India, and

(b) in other cases, by the States within which such duties are respectively leviable.

(2) The proceeds in any financial year of any such duty leviable within any State shall not form part of the Consolidated Fund of India, but shall be assigned to that State.

⁴**268A.** [*Service tax levied by Union and collected and appropriated by the Union and the States.*].—Omitted by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 7 (w.e.f. 16-9-2016).

-
1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
 2. The words "and such duties of excise on medicinal and toilet preparations" omitted by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 6, (w.e.f. 16-9-2016).
 3. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for "State Specified in Part C of the First Schedule" (w.e.f. 1-11-1956).
 4. Ins. by the Constitution (Eighty-eighth Amendment) Act, 2003, s. 2 (date not notified).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो “राज्य की आकस्मिकता निधि” के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्य के राज्यपाल ^{1***} के व्ययनाधीन रखी जाएगी।

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण

268. संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क — (1) ऐसे स्टॉप-शुल्क ^{2***} जो संघ सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाएंगे, किंतु —

(क) उस दशा में, जिसमें ऐसे शुल्क ³[संघ राज्यक्षेत्र] के भीतर उद्ग्रहणीय हैं, भारत सरकार द्वारा; और

(ख) अन्य दशाओं में जिन-जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय हैं, उन-उन राज्यों द्वारा, संगृहीत किए जाएंगे।

(2) किसी राज्य के भीतर उद्ग्रहणीय किसी ऐसे शुल्क के किसी वित्तीय वर्ष में आगम, भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे, किन्तु उस राज्य को सौंप दिए जाएंगे।

⁴**268क. [संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाने वाला सेवा-कर।]** — संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 7 द्वारा (16-9-2016 से) लोप किया गया।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया।
2. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 6 द्वारा (16-9-2016 से) “तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क,” शब्दों का लोप किया गया।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (तारीख अधिसूचित नहीं है) अंतःस्थापित।

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

269. Taxes levied and collected by the Union but assigned to the States.—¹[(1) Taxes on the sale or purchase of goods and taxes on the consignment of goods ²[except as provided in article 269A] shall be levied and collected by the Government of India but shall be assigned and shall be deemed to have been assigned to the States on or after the 1st day of April, 1996 in the manner provided in clause (2).

Explanation.—For the purposes of this clause,—

(a) the expression "taxes on the sale or purchase of goods" shall mean taxes on sale or purchase of goods other than newspapers, where such sale or purchase takes place in the course of inter-State trade or commerce;

(b) the expression "taxes on the consignment of goods" shall mean taxes on the consignment of goods (whether the consignment is to the person making it or to any other person), where such consignment takes place in the course of inter-State trade or commerce.

(2) The net proceeds in any financial year of any such tax, except in so far as those proceeds represent proceeds attributable to Union territories, shall not form part of the Consolidated Fund of India, but shall be assigned to the States within which that tax is leviable in that year, and shall be distributed among those States in accordance with such principles of distribution as may be formulated by Parliament by law.]

³[(3) Parliament may by law formulate principles for determining when a ⁴[sale or purchase of, or consignment of goods] takes place in the course of inter-State trade or commerce.]

⁵**[269A. Levy and collection of goods and services tax in course of inter-State trade or commerce.**— (1) Goods and services tax on supplies in the course of inter-State trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India and such tax shall be apportioned between the Union and the States in the manner as may be provided by Parliament by law on the recommendations of the Goods and Services Tax Council.

1. Subs. by the Constitution (Eightieth Amendment) Act, 2000. s. 2, for cls. (1) and (2) (w.e.f. 9-6-2000).

2. Ins. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 s. 8, (w.e.f. 16-9-2016).

3. Ins. by the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956, s. 3 (w.e.f. 11-9-1956).

4. Subs. by the Constitution (Forty-sixth Amendment) Act, 1982. s. 2, for "sale or purchase of goods" (w.e.f. 2-2-1983).

5. Ins. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 9 (w.e.f. 16-9-2016).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

269. संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर —¹[(1) ²[अनुच्छेद 269क में यथा उपबंधित के सिवाय,] माल के क्रय] या विक्रय पर कर और माल के परेषण पर कर, भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाएंगे किन्तु खंड (2) में उपबंधित रीति से राज्यों को 1 अप्रैल, 1996 को या उसके पश्चात् सौंप दिए जाएंगे या सौंप दिए गए समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए —

(क) “माल के क्रय या विक्रय पर कर” पद से समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर अभिप्रेत है जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है;

(ख) “माल के परेषण पर कर” पद से माल के परेषण पर (चाहे परेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया हो) उस दशा में कर अभिप्रेत है जिसमें ऐसा परेषण अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम वहां तक के सिवाय, जहां तक वे आगम संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त हुए आगम माने जा सकते हैं, भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे, किंतु उन राज्यों को सौंप दिए जाएंगे जिनके भीतर वह कर उस वर्ष में उद्गृहणीय हैं और वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, जो संसद् विधि द्वारा बनाए, उन राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।]

³[(3) संसद्, यह अवधारित करने के लिए कि ⁴[माल का क्रय या विक्रय या परेषण] कब अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है, विधि द्वारा सिद्धांत बना सकेगी।]

⁵[**269क. अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्गृहण और संग्रहण** — (1) अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय पर माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा तथा ऐसा कर उस रीति में, जो संसद् द्वारा, विधि द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर उपबंधित की जाए, संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा।

1. संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा (9-6-2000 से) खंड (1) और खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 8 द्वारा (16-9-2016 से) प्रतिस्थापित।
3. संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा (11-9-1956 से) अंतःस्थापित।
4. संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 2 द्वारा (2-2-1983 से) “माल का क्रय या विक्रय” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 9 द्वारा (16-9-2016 से) प्रतिस्थापित।

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

Explanation.—For the purposes of this clause, supply of goods, or of services, or both in the course of import into the territory of India shall be deemed to be supply of goods, or of services, or both in the course of inter-State trade or commerce.

(2) The amount apportioned to a State under clause (1) shall not form part of the Consolidated Fund of India.

(3) Where an amount collected as tax levied under clause (1) has been used for payment of the tax levied by a State under article 246A, such amount shall not form part of the Consolidated Fund of India.

(4) Where an amount collected as tax levied by a State under article 246A has been used for payment of the tax levied under clause (1), such amount shall not form part of the Consolidated Fund of the State.

(5) Parliament may, by law, formulate the principles for determining the place of supply, and when a supply of goods, or of services, or both takes place in the course of inter-State trade or commerce.]

¹[**270. Taxes levied and distributed between the Union and the States.**—(1) All taxes and duties referred to in the Union List, except the duties and taxes referred to in ²[articles 268, 269 and 269A], respectively, surcharge on taxes and duties referred to in article 271 and any cess levied for specific purposes under any law made by Parliament shall be levied and collected by the Government of India and shall be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).

³[(1A) The tax collected by the Union under clause (1) of article 246A shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).

(1B) The tax levied and collected by the Union under clause (2) of article 246A and article 269A, which has been used for payment of the tax levied by the Union under clause (1) of article 246A, and the amount apportioned to the Union under clause (1) of article 269A, shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).]

1. Subs. by the Constitution (Eightieth Amendment) Act, 2000, s. 3, for art. 270 (w.e.f. 1-4-1996).

2. Subs. by the Constitution (Eighty-eighth Amendment) Act, 2003, s. 3, for “articles 268 and 269” (not enforced) and further subs. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 10, for “arts. 268, 268A and 269” (w.e.f. 16-9-2016).

3. Ins. by s. 10, *ibid.* (w.e.f. 16-9-2016).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजन के लिए, भारत के राज्यक्षेत्र में आयात के अनुक्रम में माल के या सेवाओं के या दोनों के प्रदाय को अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रदाय समझा जाएगा।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य को प्रभाजित रकम भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी।

(3) जहां खंड (1) के अधीन उद्गृहीत कर के रूप में संगृहीत रकम का उपयोग अनुच्छेद 246क के अधीन किसी राज्य द्वारा उद्गृहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है, वहां ऐसी रकम भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी।

(4) जहां अनुच्छेद 246क के अधीन किसी राज्य द्वारा उद्गृहीत कर के रूप में संगृहीत रकम का उपयोग खंड (1) के अधीन उद्गृहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है, वहां ऐसी रकम राज्य की संचित निधि का भाग नहीं होगी।

(5) संसद, विधि द्वारा, प्रदाय के स्थान का और इस बात का कि माल का या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में कब होता है, अवधारण करने संबंधी सिद्धांत बना सकेगी।

¹[270. उद्गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण — (1) क्रमशः ²[अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269क] में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय, संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क; अनुच्छेद 271 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत कोई उपकर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाएंगे तथा खंड (2) में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

³[(1क) अनुच्छेद 246क के खंड (1) के अधीन संघ द्वारा संगृहीत कर भी, संघ और राज्यों के बीच खंड (2) में उपबंधित रीति में वितरित किया जाएगा।

(1ख) अनुच्छेद 246क के खंड (2) और अनुच्छेद 269क के अधीन संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसा कर, जिसका उपयोग अनुच्छेद 246क के खंड (1) के अधीन संघ द्वारा उद्गृहीत कर का संदाय करने के लिए किया गया है, और अनुच्छेद 269क के खंड (1) के अधीन संघ को प्रभाजित रकम भी, संघ और राज्यों के बीच खंड (2) में उपबंधित रीति में वितरित की जाएगी।]

1. संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 3 द्वारा (1-4-1996 से) अनुच्छेद 270 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003, धारा 3 द्वारा "अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 269" (तारीख अधिसूचित नहीं) के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 10 द्वारा (16-9-2016 से) "अनुच्छेद 268, 268क और 269" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 10 द्वारा (16-9-2016 से) अंतःस्थापित।

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

(2) Such percentage, as may be prescribed, of the net proceeds of any such tax or duty in any financial year shall not form part of the Consolidated Fund of India, but shall be assigned to the States within which that tax or duty is leviable in that year, and shall be distributed among those States in such manner and from such time as may be prescribed in the manner provided in clause (3).

(3) In this article, "prescribed" means, —

(i) until a Finance Commission has been constituted, prescribed by the President by order, and

(ii) after a Finance Commission has been constituted, prescribed by the President by order after considering the recommendations of the Finance Commission.]

271. Surcharge on certain duties and taxes for purposes of the Union.—Notwithstanding anything in articles 269 and 270, Parliament may at any time increase any of the duties or taxes referred to in those articles ¹[except the goods and services tax under article 246A,] by a surcharge for purposes of the Union and the whole proceeds of any such surcharge shall form part of the Consolidated Fund of India.

[**272. Taxes which are levied and collected by the Union and may be distributed between the Union and the States.**].—Omitted by the Constitution (Eightieth Amendment) Act, 2000, s. 4. (w.e.f. 9-6-2000).

273. Grants in lieu of export duty on jute and jute products.—(1) There shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of the States of Assam, Bihar, ²[Odisha] and West Bengal, in lieu of assignment of any share of the net proceeds in each year of export duty on jute and jute products to those States, such sums as may be prescribed.

(2) The sums so prescribed shall continue to be charged on the Consolidated Fund of India so long as any export duty on jute or jute products continues to be levied by the Government of India or until the expiration of ten years from the commencement of this Constitution whichever is earlier.

1. Ins. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 11 (w.e.f. 16-9-2016).

2. Subs. by the Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 (15 of 2011), s. 5, for "Orissa" (w.e.f. 1-11-2011).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

(2) किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का ऐसा प्रतिशत, जो विहित किया जाए, भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगा, किन्तु उन राज्यों को सौंप दिया जाएगा जिनके भीतर वह कर या शुल्क उस वर्ष में उद्ग्रहणीय है और ऐसी रीति से और ऐसे समय से, जो खंड (3) में उपबंधित रीति से विहित किया जाए, उन राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा ।

(3) इस अनुच्छेद में, “विहित” से अभिप्रेत है —

(i) जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित; और

(ii) वित्त आयोग का गठन किए जाने के पश्चात् वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित ।]

271. कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार — अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 में किसी बात के होते हुए भी, संसद, ¹[अनुच्छेद 246 के अधीन माल और सेवा कर के सिवाय,] उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी में किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और किसी ऐसे अधिभार के संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे ।

272. [कर जो संघ द्वारा उद्ग्रहीत और संगृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे ।] — संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 4 द्वारा (9-6-2000 से) लोप किया गया ।

273. जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान — (1) जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम का कोई भाग असम, बिहार, ²[ओड़िशा] और पश्चिमी बंगाल राज्यों को सौंप दिए जाने के स्थान पर उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां भारित की जाएंगी जो विहित की जाएं ।

(2) जूट पर और जूट उत्पादों पर जब तक भारत सरकार कोई निर्यात शुल्क उद्ग्रहीत करती रहती है तब तक या इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो, इस प्रकार विहित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित बनी रहेंगी ।

1. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 11 (16-9-2016 से) अंतःस्थापित ।

2. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011 का 15) की धारा 5 द्वारा (1-11-2011 से) “उड़ीसा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) In this article, the expression “prescribed” has the same meaning as in article 270.

274. Prior recommendation of President required to Bills affecting taxation in which States are interested.—(1) No Bill or amendment which imposes or varies any tax or duty in which States are interested, or which varies the meaning of the expression “agricultural income” as defined for the purposes of the enactments relating to Indian income-tax, or which affects the principles on which under any of the foregoing provisions of this Chapter moneys are or may be distributable to States, or which imposes any such surcharge for the purposes of the Union as is mentioned in the foregoing provisions of this Chapter, shall be introduced or moved in either House of Parliament except on the recommendation of the President.

(2) In this article, the expression “tax or duty in which States are interested” means—

(a) a tax or duty the whole or part of the net proceeds whereof are assigned to any State; or

(b) a tax or duty by reference to the net proceeds whereof sums are for the time being payable out of the Consolidated Fund of India to any State.

275. Grants from the Union to certain States.—(1) Such sums as Parliament may by law provide shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of such States as Parliament may determine to be in need of assistance, and different sums may be fixed for different States:

Provided that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of a State such capital and recurring sums as may be necessary to enable that State to meet the costs of such schemes of development as may be undertaken by the State with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Tribes in that State or raising the level of administration of the Scheduled Areas therein to that of the administration of the rest of the areas of that State:

Provided further that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of the State of Assam sums, capital and recurring, equivalent to—

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

(3) इस अनुच्छेद में, “विहित” पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 270 में है।

274. ऐसे करान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा — (1) कोई विधेयक या संशोधन, जो ऐसा कर या शुल्क, जिसमें राज्य हितबद्ध है, अधिरोपित करता है या उसमें परिवर्तन करता है अथवा जो भारतीय आय-कर से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित “कृषि-आय” पद के अर्थ में परिवर्तन करता है अथवा जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनसे इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन राज्यों को धनराशियां वितरणीय हैं या हो सकेंगी अथवा जो संघ के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा अधिभार अधिरोपित करता है जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में वर्णित है, संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) इस अनुच्छेद में, “ऐसा कर या शुल्क, जिसमें राज्य हितबद्ध हैं” पद से ऐसा कोई कर या शुल्क अभिप्रेत है —

(क) जिसके शुद्ध आगम पूर्णतः या भागतः किसी राज्य को सौंप दिए जाते हैं; या

(ख) जिसके शुद्ध आगम के प्रति निर्देश से भारत की संचित निधि में से किसी राज्य को राशियां तत्समय संदेय हैं।

275. कुछ राज्यों को संघ से अनुदान — (1) ऐसी राशियां, जिनका संसद् विधि द्वारा उपबंध करे, उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद् यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी:

परंतु किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए :

परंतु यह और कि असम राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी —

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

(a) the average excess of expenditure over the revenues during the two years immediately preceding the commencement of this Constitution in respect of the administration of the tribal areas specified in ¹[Part I] of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule; and

(b) the costs of such schemes of development as may be undertaken by that State with the approval of the Government of India for the purpose of raising the level of administration of the said areas to that of the administration of the rest of the areas of that State.

²[(1A) On and from the formation of the autonomous State under article 244A,—

(i) any sums payable under clause (a) of the second proviso to clause (1) shall, if the autonomous State comprises all the tribal areas referred to therein, be paid to the autonomous State, and, if the autonomous State comprises only some of those tribal areas, be apportioned between the State of Assam and the autonomous State as the President may, by order, specify;

(ii) there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of the autonomous State sums, capital and recurring, equivalent to the costs of such schemes of development as may be undertaken by the autonomous State with the approval of the Government of India for the purpose of raising the level of administration of that State to that of the administration of the rest of the State of Assam.]

(2) Until provision is made by Parliament under clause (1), the powers conferred on Parliament under that clause shall be exercisable by the President by order and any order made by the President under this clause shall have effect subject to any provision so made by Parliament:

Provided that after a Finance Commission has been constituted no order shall be made under this clause by the President except after considering the recommendations of the Finance Commission.

276. Taxes on professions, trades, callings and employments.—(1) Notwithstanding anything in article 246, no law of the Legislature of a State relating to taxes for the benefit of the State or of a municipality, district board, local board or other local authority therein in respect of professions, trades, callings or employments shall be invalid on the ground that it relates to a tax on income.

1. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971) s. 71, for "Part A" (w.e.f. 21-1-1972).

2. Ins. by the Constitution (Twenty-second Amendment) Act, 1969, s. 3 (w.e.f. 25-9-1969).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

(क) जो छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के [भाग 1] में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष के दौरान औसत व्यय राजस्व से जितना अधिक है, उसके बराबर हैं; और

(ख) जो उन विकास स्कीमों के खर्चों के बराबर हैं जिन्हें उक्त क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए।

²[(1क) अनुच्छेद 244क के अधीन स्वशासी राज्य के बनाए जाने की तारीख को और से -

(i) खंड (1) के दूसरे परंतुक के खंड (क) के अधीन संदेय कोई राशियां स्वशासी राज्य को उस दशा में संदत्त की जाएंगी जब उसमें निदिष्ट सभी जनजाति क्षेत्र उस स्वशासी राज्य में समाविष्ट हों और यदि स्वशासी राज्य में उन जनजाति क्षेत्रों में से केवल कुछ ही समाविष्ट हों तो वे राशियां असम राज्य और स्वशासी राज्य के बीच ऐसे प्रभाजित की जाएंगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें;

(ii) स्वशासी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी जो उन विकास स्कीमों के खर्चों के बराबर हैं जिन्हें स्वशासी राज्य के प्रशासन स्तर को शेष असम राज्य के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए स्वशासी राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए।]

(2) जब तक संसद खंड (1) के अधीन उपबंध नहीं करती है तब तक उस खंड के अधीन संसद को प्रदत्त शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा, आदेश द्वारा, प्रयोक्तव्य होंगी और राष्ट्रपति द्वारा इस खंड के अधीन किया गया कोई आदेश संसद द्वारा इस प्रकार किए गए किसी उपबंध के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा:

परंतु वित्त आयोग का गठन किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा इस खंड के अधीन कोई आदेश वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

276. वृत्तियाँ, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर — (1) अनुच्छेद 246 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे करों से संबंधित कोई विधि, जो उस राज्य के या उसमें किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के फायदे के लिए वृत्तियाँ, व्यापारों, आजीविकाओं या नियोजनों के संबंध में हैं, इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि वह आय पर कर से संबंधित है।

1. पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 द्वारा (21-1-1972 से) "भाग क" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 3 द्वारा (25-9-1969 से) अंतःस्थापित।

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

(2) The total amount payable in respect of any one person to the State or to any one municipality, district board, local board or other local authority in the State by way of taxes on professions, trades, callings and employments shall not exceed ¹[two thousand and five hundred rupees] per annum.

2*

*

*

*

(3) The power of the Legislature of a State to make laws as aforesaid with respect to taxes on professions, trades, callings and employments shall not be construed as limiting in any way the power of Parliament to make laws with respect to taxes on income accruing from or arising out of professions, trades, callings and employments.

277. Savings.—Any taxes, duties, cesses or fees which, immediately before the commencement of this Constitution, were being lawfully levied by the Government of any State or by any municipality or other local authority or body for the purposes of the State, municipality, district or other local area may, notwithstanding that those taxes, duties, cesses or fees are mentioned in the Union List, continue to be levied and to be applied to the same purposes until provision to the contrary is made by Parliament by law.

278. [*Agreement with States in Part B of the First Schedule with regard to certain financial matters.*].—*Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.(w.e.f. 1-11-1956).*

279. Calculation of “net proceeds”, etc.—(1) In the foregoing provisions of this Chapter, “net proceeds” means in relation to any tax or duty the proceeds thereof reduced by the cost of collection, and for the purposes of those provisions the net proceeds of any tax or duty, or of any part of any tax or duty, in or attributable to any area shall be ascertained and certified by the Comptroller and Auditor-General of India, whose certificate shall be final.

(2) Subject as aforesaid, and to any other express provision of this Chapter, a law made by Parliament or an order of the President may, in any case where under this Part the proceeds of any duty or tax are, or may be, assigned to any State, provide for the manner in which the proceeds are to be calculated, for the time from or at which and the manner in which any payments are to be made, for the making of adjustments between one financial year and another, and for any other incidental or ancillary matters.

1. Subs. by the Constitution (Sixtieth Amendment) Act, 1988, s. 2, for "two hundred and fifty rupees" (w.e.f. 20-12-1988).

2. Proviso omitted by s.2, *ibid.* (w.e.f. 20-12-1988).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

(2) राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम ¹[दो हजार पांच सौ रुपए] प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2*

*

*

*

(3) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के संबंध में पूर्वोक्त रूप में विधियां बनाने की राज्य के विधान-मंडल की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों से प्रोद्भूत या उद्भूत आय पर करों के संबंध में विधियां बनाने की संसद् की शक्ति को किसी प्रकार सीमित करती है।

277. व्यावृत्ति — ऐसे कर, शुल्क, उपकर या फीस, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगरपालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए विधिपूर्वक उद्गृहीत की जा रही थी, इस बात के होते हुए भी कि वे कर, शुल्क, उपकर या फीस संघ सूची में वर्णित हैं, तब तक उद्गृहीत की जाती रहेंगी और उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती रहेंगी जब तक संसद् विधि द्वारा, इसके प्रतिकूल उपबंध नहीं करती है।

278. कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार। — संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया।

279. “शुद्ध आगम” आदि की गणना — (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में “शुद्ध आगम” से किसी कर या शुल्क के संबंध में उसका वह आगम अभिप्रेत है जो उसके संग्रहण के खर्चों को घटाकर आए और उन उपबंधों के प्रयोजनों के लिए किसी क्षेत्र में या उससे प्राप्त हुए माने जा सकने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चित और प्रमाणित किया जाएगा और उसका प्रमाणपत्र अंतिम होगा।

(2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके और इस अध्याय के किसी अन्य अभिव्यक्त उपबंध के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी दशा में, जिसमें इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को सौंप दिया जाता है या सौंप दिया जाए, संसद् द्वारा बनाई गई विधि या राष्ट्रपति का कोई आदेश उस रीति का, जिससे आगम की गणना की जानी है, उस समय का, जिससे या जिसमें और उस रीति का, जिससे कोई संदाय किए जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का और अन्य आनुषंगिक या सहायक विषयों का उपबंध कर सकेगा।

1. संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 2 द्वारा (20-12-1988 से) “दो सौ पचास रुपए” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 2 द्वारा (20-12-1988 से) परन्तुक का लोप किया गया।

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

¹[279A. Goods and Services Tax Council.]—(1) The President shall, within sixty days from the date of commencement of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, by order, constitute a Council to be called the Goods and Services Tax Council.

(2) The Goods and Services Tax Council shall consist of the following members, namely:—

(a) the Union Finance Minister — Chairperson;

(b) the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance — Member;

(c) the Minister in charge of Finance or Taxation or any other Minister nominated by each State Government — Members.

(3) The Members of the Goods and Services Tax Council referred to in sub-clause (c) of clause (2) shall, as soon as may be, choose one amongst themselves to be the Vice-Chairperson of the Council for such period as they may decide.

(4) The Goods and Services Tax Council shall make recommendations to the Union and the States on—

(a) the taxes, cesses and surcharges levied by the Union, the States and the local bodies which may be subsumed in the goods and services tax;

(b) the goods and services that may be subjected to, or exempted from, the goods and services tax;

(c) model Goods and Services Tax Laws, principles of levy, apportionment of Goods and Services Tax levied on supplies in the course of inter-State trade or commerce under article 269A and the principles that govern the place of supply;

(d) the threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from goods and services tax;

(e) the rates including floor rates with bands of goods and services tax;

(f) any special rate or rates for a specified period, to raise additional resources during any natural calamity or disaster;

1. Ins. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 12 (w.e.f. 12-9-2016).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

¹[279क. माल और सेवा कर परिषद् — (1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर, आदेश द्वारा, माल और सेवा कर परिषद् के नाम से जात एक परिषद् का गठन करेगा।

(2) माल और सेवा कर परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: —

(क) संघ का वित्त मंत्री — अध्यक्ष;

(ख) संघ का राजस्व या वित्त का भारसाधक राज्यमंत्री — सदस्य;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त या कराधान का भारसाधक मंत्री या कोई अन्य मंत्री — सदस्य।

(3) खंड (2) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर परिषद् के सदस्य, यथाशीघ्र अपने में से एक सदस्य को ऐसी अवधि के लिए, जो वे विनिश्चित करें, परिषद् का उपाध्यक्ष चुनेंगे।

(4) माल और सेवा कर परिषद् निम्नलिखित के संबंध में संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगी —

(क) संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा उद्गृहीत कर, उपकर और अधिभार, जो माल और सेवा कर में सम्मिलित किए जा सकेंगे;

(ख) माल और सेवाएं जो माल और सेवा कर के अध्यक्षीन हो सकेंगी या जिन्हें माल और सेवा कर से छूट प्राप्त हो सकेगी;

(ग) आदर्श माल और सेवा कर विधियां, अनुच्छेद 269क के अधीन अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय माल पर उद्गृहीत माल और सेवा कर के उद्ग्रहण, प्रभाजन के सिद्धांत तथा वे सिद्धांत जो प्रदाय के स्थान को शासित करते हैं;

(घ) आवर्त की वह अवसीमा जिसके नीचे माल और सेवाओं को माल और सेवा कर से छूट प्रदान की जा सकेगी;

(ङ) माल और सेवा कर के समूहों के साथ दरें जिनके अंतर्गत न्यूनतम दरें भी हैं;

(च) किसी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें;

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

(g) special provision with respect to the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh and Uttarakhand; and

(h) any other matter relating to the goods and services tax, as the Council may decide.

(5) The Goods and Services Tax Council shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel.

(6) While discharging the functions conferred by this article, the Goods and Services Tax Council shall be guided by the need for a harmonised structure of goods and services tax and for the development of a harmonised national market for goods and services.

(7) One-half of the total number of Members of the Goods and Services Tax Council shall constitute the quorum at its meetings.

(8) The Goods and Services Tax Council shall determine the procedure in the performance of its functions.

(9) Every decision of the Goods and Services Tax Council shall be taken at a meeting, by a majority of not less than three-fourths of the weighted votes of the members present and voting, in accordance with the following principles, namely:—

(a) the vote of the Central Government shall have a weightage of one-third of the total votes cast; and

(b) the votes of all the State Governments taken together shall have a weightage of two-thirds of the total votes cast, in that meeting.

(10) No act or proceedings of the Goods and Services Tax Council shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or any defect in, the constitution of the Council; or

(b) any defect in the appointment of a person as a Member of the Council; or

(c) any procedural irregularity of the Council not affecting the merits of the case.

(11) The Goods and Services Tax Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute—

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

(छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध; और

(ज) माल और सेवा कर से संबंधित कोई अन्य विषय, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(5) माल और सेवा कर परिषद् उस तारीख की सिफारिश करेगी जिसको अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर उद्गृहीत किया जाए ।

(6) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करते समय, माल और सेवा कर परिषद् माल और सेवा कर की सामंजस्यपूर्ण संरचना और माल और सेवाओं के लिए सुव्यवस्थित राष्ट्रीय बाजार के विकास की आवश्यकता द्वारा मार्गदर्शित होगी ।

(7) माल और सेवा कर परिषद् की, उसकी बैठकों में, गणपूर्ति परिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से मिलकर होगी ।

(8) माल और सेवा कर परिषद् अपने कृत्यों के पालन के लिए प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(9) माल और सेवा कर परिषद् का प्रत्येक विनिश्चय बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के अधिमानप्राप्त मतों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्:—

उस बैठक में,—

(क) केन्द्रीय सरकार के मत को डाले गए कुल मतों के एक-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा; और

(ख) सभी राज्य सरकारों के मतों को एक साथ लेने पर डाले गए कुल मतों के दो-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा ।

(10) माल और सेवा कर परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि —

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) परिषद् के किसी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण को प्रभावित नहीं करती है ।

(11) माल और सेवा कर परिषद्, —

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

- (a) between the Government of India and one or more States; or
- (b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more States on the other side; or
- (c) between two or more States,

arising out of the recommendations of the Council or implementation thereof.]

280. Finance Commission.—(1) The President shall, within two years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every fifth year or at such earlier time as the President considers necessary, by order constitute a Finance Commission which shall consist of a Chairman and four other members to be appointed by the President.

(2) Parliament may by law determine the qualifications which shall be requisite for appointment as members of the Commission and the manner in which they shall be selected.

(3) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to—

(a) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under this Chapter and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;

(b) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India;

¹[(bb) the measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats in the State on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the State;]

²[(c) the measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Municipalities in the State on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the State;]

³[(d)] any other matter referred to the Commission by the President in the interests of sound finance.

(4) The Commission shall determine their procedure and shall have such powers in the performance of their functions as Parliament may by law confer on them.

1. Ins. by the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, s. 3 (w.e.f. 24-4-1993).

2. Ins. by the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992, s. 3 (w.e.f. 1-6-1993).

3. Sub-clause (c) re-lettered as sub-clause (d) by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 1-6-1993).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच; या

(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच; या

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच,

परिषद् की सिफारिशों या उनके कार्यान्वयन से उद्भूत किसी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगी ।]

280. वित्त आयोग — (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा, वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

(2) संसद् विधि द्वारा, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा, अवधारण कर सकेगी ।

(3) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह —

(क) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के, जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन के बारे में;

(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;

¹[(खख) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;]

²[(ग) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;]

³[(घ)] सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में,

राष्ट्रपति को सिफारिश करे ।

(4) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद्, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे ।

1. संविधान (तिहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा (24-4-1993 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (चौहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा (1-6-1993 से) अंतःस्थापित ।

3. संविधान (चौहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा (1-6-1993 से) उपखंड (ग) को उपखंड (घ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया ।

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

281. Recommendations of the Finance Commission.—The President shall cause every recommendation made by the Finance Commission under the provisions of this Constitution together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.

Miscellaneous Financial Provisions

282. Expenditure defrayable by the Union or a State out of its revenues.—The Union or a State may make any grants for any public purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which Parliament or the Legislature of the State, as the case may be, may make laws.

283. Custody, etc., of Consolidated Funds, Contingency Funds and moneys credited to the public accounts.—(1) The custody of the Consolidated Fund of India and the Contingency Fund of India, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of public moneys other than those credited to such Funds received by or on behalf of the Government of India, their payment into the public account of India and the withdrawal of moneys from such account and all other matters connected with or ancillary to matters aforesaid shall be regulated by law made by Parliament, and, until provision in that behalf is so made, shall be regulated by rules made by the President.

(2) The custody of the Consolidated Fund of a State and the Contingency Fund of a State, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of public moneys other than those credited to such Funds received by or on behalf of the Government of the State, their payment into the public account of the State and the withdrawal of moneys from such account and all other matters connected with or ancillary to matters aforesaid shall be regulated by law made by the Legislature of the State, and, until provision in that behalf is so made, shall be regulated by rules made by the Governor^{1***} of the State.

284. Custody of suitors' deposits and other moneys received by public servants and courts.—All moneys received by or deposited with—

(a) any officer employed in connection with the affairs of the Union or of a State in his capacity as such, other than revenues or public moneys raised or received by the Government of India or the Government of the State, as the case may be; or

(b) any court within the territory of India to the credit of any cause, matter, account or persons,

1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

281. वित्त आयोग की सिफारिशें — राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक जापन सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध

282. संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय — संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में, यथास्थिति, संसद् या उस राज्य का विधान-मंडल विधि बना सकता है।

283. संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि — (1) भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धनराशियों के संदाय, उनसे धनराशियों के निकाले जाने, ऐसी निधियों में जमा धनराशियों से भिन्न भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक धनराशियों की अभिरक्षा, भारत के लोक लेखे में उनके संदाय और ऐसे लेखे से धनराशियों के निकाले जाने का तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या उनके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धनराशियों के संदाय, उनसे धनराशियों के निकाले जाने, ऐसी निधियों में जमा धनराशियों से भिन्न राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक धनराशियों की अभिरक्षा, राज्य के लोक लेखे में उनके संदाय और ऐसे लेखे से धनराशियों के निकाले जाने का तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या उनके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक राज्य के राज्यपाल ^{1***} द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा।

284. लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा — ऐसी सभी धनराशियां, जो —

(क) यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त राजस्व या लोक धनराशियों से भिन्न हैं, और संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित किसी अधिकारी को उसकी उस हैसियत में; या

(ख) किसी वाद, विषय, लेखे या व्यक्तियों के नाम में जमा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय को,

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

shall be paid into the public account of India or the public account of State, as the case may be.

285. Exemption of property of the Union from State taxation.—(1) The property of the Union shall, save in so far as Parliament may by law otherwise provide, be exempt from all taxes imposed by a State or by any authority within a State.

(2) Nothing in clause (1) shall, until Parliament by law otherwise provides, prevent any authority within a State from levying any tax on any property of the Union to which such property was immediately before the commencement of this Constitution liable or treated as liable, so long as that tax continues to be levied in that State.

286. Restrictions as to imposition of tax on the sale or purchase of goods.—(1) No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on ¹[the supply of goods or of services or both, where such supply takes place]—

(a) outside the State; or

(b) in the course of the import of the ²[goods or services or both] into, or export of the ²[goods or services or both] out of, the territory of India.

³[* * * *]

⁴[(2) Parliament may by law formulate principles for determining when a ⁵[supply of goods or of services or both] in any of the ways mentioned in clause (1).

⁶[(3) * * * *]

287. Exemption from taxes on electricity.—Save in so far as Parliament may by law otherwise provide, no law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the consumption or sale of electricity

1. Subs. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 13, (i)(A) for "the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place" (w.e.f. 16-9-2016).

2. Subs. by s. 13 (i)(B), *ibid.*, for "goods" (w.e.f. 16-9-2016).

3. *Explanation* to cl. (1) omitted by the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956, s. 4 (w.e.f. 11-9-1956).

4. Subs. by s.4, *ibid.*, for cls. (2) and (3) (w.e.f. 11-9-1956).

5. Subs. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 13(ii), for "sale or purchase of goods takes place" (w.e.f. 16-9-2016).

6. Cl. (3) omitted by s. 13 (iii), *ibid.* (w.e.f. 16-9-2016).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

प्राप्त होती है या उसके पास निक्षिप्त की जाती है, यथास्थिति, भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी।

285. संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट — (1) वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य द्वारा या राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी करों से संघ की संपत्ति को छूट होगी।

(2) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक खंड (1) की कोई बात किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी संपत्ति पर कोई ऐसा कर, जिसका दायित्व इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, ऐसी संपत्ति पर था या माना जाता था, उद्गृहीत करने से तब तक नहीं रोकेगी जब तक वह कर उस राज्य में उद्गृहीत होता रहता है।

286. माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन — (1) राज्य की कोई विधि, ¹[माल के या सेवाओं के या दोनों के प्रदाय पर, जहां ऐसा प्रदाय]—

(क) राज्य के बाहर; या

(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में ²[माल के या सेवाओं के या दोनों के आयात अथवा माल के या सेवाओं के या दोनों के] बाहर निर्यात के दौरान, होता है वहां, कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या अधिरोपित करना प्राधिकृत नहीं करेगी।

³[* * * *]

⁴[(2) संसद्, यह अवधारित करने के लिए कि ⁵[माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रदाय] खंड (1) में वर्णित रीतियों में से किसी रीति से कब होता है विधि द्वारा, सिद्धांत बना सकेगी।

⁶[(3)* * * *]

287. विद्युत पर करों से छूट — वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य की कोई विधि (किसी सरकार द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित) विद्युत के उपभोग या विक्रय पर जिसका —

1. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 13(i)(अ) द्वारा (16-9-2016 से) "माल के क्रय या विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 13(i)(आ) द्वारा (16-9-2016 से) "माल के आयात या उसके" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान (छठवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा (11-9-1956 से) खंड (1) के स्पष्टीकरण का लोप किया गया।
4. संविधान (छठवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा (11-9-1956 से) खंड (2) और खंड (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 13(ii) द्वारा (16-9-2016 से) "माल का क्रय या विक्रय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 13(iii) द्वारा (16-9-2016 से) खंड (3) का लोप किया गया।

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

(whether produced by a Government or other persons) which is—

(a) consumed by the Government of India, or sold to the Government of India for consumption by that Government; or

(b) consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or a railway company operating that railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway,

and any such law imposing, or authorising the imposition of, a tax on the sale of electricity shall secure that the price of electricity sold to the Government of India for consumption by that Government, or to any such railway company as aforesaid for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway, shall be less by the amount of the tax than the price charged to other consumers of a substantial quantity of electricity.

288. Exemption from taxation by States in respect of water or electricity in certain cases.—(1) Save in so far as the President may by order otherwise provide, no law of a State in force immediately before the commencement of this Constitution shall impose, or authorise the imposition of, a tax in respect of any water or electricity stored, generated, consumed, distributed or sold by any authority established by any existing law or any law made by Parliament for regulating or developing any inter-State river or river-valley.

Explanation.—The expression “law of a State in force” in this clause shall include a law of a State passed or made before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that it or parts of it may not be then in operation either at all or in particular areas.

(2) The Legislature of a State may by law impose, or authorise the imposition of, any such tax as is mentioned in clause (1), but no such law shall have any effect unless it has, after having been reserved for the consideration of the President, received his assent; and if any such law provides for the fixation of the rates and other incidents of such tax by means of rules or orders to be made under the law by any authority, the law shall provide for the previous consent of the President being obtained to the making of any such rule or order.

289. Exemption of property and income of a State from Union taxation.—(1) The property and income of a State shall be exempt from Union taxation.

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

(क) भारत सरकार द्वारा उपभोग किया जाता है या भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को विक्रय किया जाता है; या

(ख) किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा, जो उस रेल को चलाती है, उपभोग किया जाता है अथवा किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए उस सरकार या किसी ऐसी रेल कंपनी को विक्रय किया जाता है,

कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या कर का अधिरोपण प्राधिकृत नहीं करेगी और विद्युत के विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करने वाली कोई ऐसी विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को, या किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए यथापूर्वक किसी रेल कंपनी को विक्रय की गई विद्युत की कीमत, उस कीमत से जो विद्युत का प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले अन्य उपभोक्ताओं से ली जाती है, उतनी कम होगी जितनी कर की रकम है ।

288. जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट — (1) वहां तक के सिवाय जहां तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबंध करे, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की कोई प्रवृत्त विधि किसी जल या विद्युत के संबंध में, जो किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी-दून के विनियमन या विकास के लिए किसी विद्यमान विधि द्वारा या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा स्थापित किसी प्राधिकारी द्वारा संचित, उत्पादित, उपभुक्त, वितरित या विक्रीत की जाती है, कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या कर का अधिरोपण प्राधिकृत नहीं करेगी ।

स्पष्टीकरण — इस खंड में, “किसी राज्य की कोई प्रवृत्त विधि” पद के अंतर्गत किसी राज्य की ऐसी विधि होगी जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई है और जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे वह या उसके कोई भाग उस समय बिल्कुल या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में न हों ।

(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, खंड (1) में वर्णित कोई कर अधिरोपित कर सकेगा या ऐसे कर का अधिरोपण प्राधिकृत कर सकेगा, किन्तु ऐसी किसी विधि का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाने के पश्चात् उसकी अनुमति न मिल गई हो और यदि ऐसी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य प्रसंगतियों को किसी प्राधिकारी द्वारा, उस विधि के अधीन बनाए जाने वाले नियमों या आदेशों द्वारा, नियत किए जाने का उपबंध करती है तो वह विधि ऐसे किसी नियम या आदेश के बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अभिप्राप्त किए जाने का उपबंध करेगी ।

289. राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट — (1) किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट होगी ।

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

(2) Nothing in clause (1) shall prevent the Union from imposing, or authorising the imposition of, any tax to such extent, if any, as Parliament may by law provide in respect of a trade or business of any kind carried on by, or on behalf of, the Government of a State, or any operations connected therewith, or any property used or occupied for the purposes of such trade or business, or any income accruing or arising in connection therewith.

(3) Nothing in clause (2) shall apply to any trade or business, or to any class of trade or business, which Parliament may by law declare to be incidental to the ordinary functions of Government.

290. Adjustment in respect of certain expenses and pensions.—

Where under the provisions of this Constitution the expenses of any court or Commission, or the pension payable to or in respect of a person who has served before the commencement of this Constitution under the Crown in India or after such commencement in connection with the affairs of the Union or of a State, are charged on the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State, then, if—

(a) in the case of a charge on the Consolidated Fund of India, the court or Commission serves any of the separate needs of a State, or the person has served wholly or in part in connection with the affairs of a State; or

(b) in the case of a charge on the Consolidated Fund of a State, the court or Commission serves any of the separate needs of the Union or another State, or the person has served wholly or in part in connection with the affairs of the Union or another State,

there shall be charged on and paid out of the Consolidated Fund of the State or, as the case may be, the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of the other State, such contribution in respect of the expenses or pension as may be agreed, or as may in default of agreement be determined by an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India.

¹[**290A. Annual payment to certain Devaswom Funds.**—A sum of forty-six lakhs and fifty thousand rupees shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Kerala every year to the Travancore Devaswom Fund; and a sum of thirteen lakhs and fifty thousand rupees shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of ²[Tamil Nadu] every year to the Devaswom Fund established in that State for the maintenance of Hindu temples and shrines in the territories transferred to that State on the 1st day of November, 1956, from the State of Travancore-Cochin.]

1. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 19 (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by the Madras State (Alteration of Name) Act, 1968 (53 of 1968), s. 4, for "Madras" (w.e.f. 14-1-1969).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

(2) खंड (1) की कोई बात संघ को किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारबार के संबंध में अथवा उससे संबंधित किन्हीं क्रियाओं के संबंध में अथवा ऐसे व्यापार या कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त या अधिभुक्त किसी संपत्ति के संबंध में अथवा उसके संबंध में प्रोद्भूत या उद्भूत किसी आय के बारे में, किसी कर को ऐसी मात्रा तक, यदि कोई हो, जिसको संसद विधि द्वारा उपबंध करे, अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करने से नहीं रोकेगी।

(3) खंड (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारबार अथवा व्यापार या कारबार के किसी ऐसे वर्ग को लागू नहीं होगी जिसके बारे में संसद विधि द्वारा घोषणा करे कि वह सरकार के मामूली कृत्यों का आनुषंगिक है।

290. कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन — जहां इस संविधान के उपबंधों के अधीन किसी न्यायालय या आयोग के व्यय अथवा किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में, जिसने इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन के अधीन अथवा ऐसे प्रारंभ के पश्चात् संघ के या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा की है, संदेय पेंशन भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि पर भारित है वहां, यदि —

(क) भारत की संचित निधि पर भारित होने की दशा में, वह न्यायालय या आयोग किसी राज्य की पृथक् आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता है या उस व्यक्ति ने किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पूर्णतः या भागतः सेवा की है; या

(ख) किसी राज्य की संचित निधि पर भारित होने की दशा में, वह न्यायालय या आयोग संघ की या अन्य राज्य की पृथक् आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता है या उस व्यक्ति ने संघ या अन्य राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पूर्णतः या भागतः सेवा की है,

तो, यथास्थिति, उस राज्य की संचित निधि पर अथवा, भारत की संचित निधि अथवा अन्य राज्य की संचित निधि पर, व्यय या पेंशन के संबंध में उतना अंशदान, जितना करार पाया जाए या करार के अभाव में, जितना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे, भारित किया जाएगा और उसका उस निधि में से संदाय किया जाएगा।

¹**290क. कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय** — प्रत्येक वर्ष छियालीस लाख पचास हजार रुपए की राशि केरल राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और उस निधि में से तिरुवांकुर देवस्वम् निधि को संदत्त की जाएगी और प्रत्येक वर्ष तेरह लाख पचास हजार रुपए की राशि [तमिलनाडु] राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और उस निधि में से 1 नवंबर, 1956 को उस राज्य को तिरुवांकुर-कोचीन राज्य से अंतरित राज्यक्षेत्रों के हिंदू मंदिरों और पवित्र स्थानों के अनुरक्षण के लिए उस राज्य में स्थापित देवस्वम् निधि को संदत्त की जाएगी।]

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 19 द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित।

2. मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 53) की धारा 4 द्वारा (14-1-1969 से) "मद्रास" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

291. [*Privy purse sums of Rulers.*].—Omitted by the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, s. 2 (w.e.f. 28-12-1971).

CHAPTER II.—BORROWING

292. Borrowing by the Government of India.—The executive power of the Union extends to borrowing upon the security of the Consolidated Fund of India within such limits, if any, as may from time to time be fixed by Parliament by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed.

293. Borrowing by States.—(1) Subject to the provisions of this article, the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed.

(2) The Government of India may, subject to such conditions as may be laid down by or under any law made by Parliament, make loans to any State or, so long as any limits fixed under article 292 are not exceeded, give guarantees in respect of loans raised by any State, and any sums required for the purpose of making such loans shall be charged on the Consolidated Fund of India.

(3) A State may not without the consent of the Government of India raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the State by the Government of India or by its predecessor Government, or in respect of which a guarantee has been given by the Government of India or by its predecessor Government.

(4) A consent under clause (3) may be granted subject to such conditions, if any, as the Government of India may think fit to impose.

CHAPTER III.—PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES,

OBLIGATIONS AND SUITS

294. Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in certain cases.—As from the commencement of this Constitution—

(a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the Government of the Dominion of India and all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the Government of each Governor's Province shall vest respectively in the Union and the corresponding State; and

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

291. [शासकों की निजी थैली की राशि]] — संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 द्वारा (28-12-1971 से) लोप किया गया ।

अध्याय 2 – उधार लेना

292. भारत सरकार द्वारा उधार लेना — संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद् समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है ।

293. राज्यों द्वारा उधार लेना — (1) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा, नियत करे, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है ।

(2) भारत सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकथित की जाएं, किसी राज्य को उधार दे सकेगी या जहां तक अनुच्छेद 292 के अधीन नियत किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है वहां तक किसी ऐसे राज्य द्वारा लिए गए उधारों के संबंध में प्रत्याभूति दे सकेगी और ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित की जाएंगी ।

(3) यदि किसी ऐसे उधार का, जो भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिसके संबंध में भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग अभी भी बकाया है तो वह राज्य, भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकेगा ।

(4) खंड (3) के अधीन सहमति उन शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे ।

अध्याय 3 – संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद

294. कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार — इस संविधान के प्रारंभ से ही —

(क) जो संपत्ति और आस्तियां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए हिज मजेस्टी में निहित थीं और जो संपत्ति और आस्तियां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रत्येक राज्यपाल वाले प्रांत की सरकार के प्रयोजनों के लिए हिज मजेस्टी में निहित थीं, वे सभी इस संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान डोमिनियन के या पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब प्रांतों के सृजन के कारण किए गए या किए जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रहते हुए क्रमशः संघ और तत्स्थानी राज्य में निहित होंगी; और

(Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)

(b) all rights, liabilities and obligations of the Government of the Dominion of India and of the Government of each Governor's Province, whether arising out of any contract or otherwise, shall be the rights, liabilities and obligations respectively of the Government of India and the Government of each corresponding State,

subject to any adjustment made or to be made by reason of the creation before the commencement of this Constitution of the Dominion of Pakistan or of the Provinces of West Bengal, East Bengal, West Punjab and East Punjab.

295. Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in other cases.—(1) As from the commencement of this Constitution—

(a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in any Indian State corresponding to a State specified in Part B of the First Schedule shall vest in the Union, if the purposes for which such property and assets were held immediately before such commencement will thereafter be purposes of the Union relating to any of the matters enumerated in the Union List, and

(b) all rights, liabilities and obligations of the Government of any Indian State corresponding to a State specified in Part B of the First Schedule, whether arising out of any contract or otherwise, shall be the rights, liabilities and obligations of the Government of India, if the purposes for which such rights were acquired or liabilities or obligations were incurred before such commencement will thereafter be purposes of the Government of India relating to any of the matters enumerated in the Union List,

subject to any agreement entered into in that behalf by the Government of India with the Government of that State.

(2) Subject as aforesaid, the Government of each State specified in Part B of the First Schedule shall, as from the commencement of this Constitution, be the successor of the Government of the corresponding Indian State as regards all property and assets and all rights, liabilities and obligations, whether arising out of any contract or otherwise, other than those referred to in clause (1).

296. Property accruing by escheat or lapse or as *bona vacantia*.—Subject as hereinafter provided, any property in the territory of India which, if this Constitution had not come into operation, would have accrued to His Majesty or, as the case may be, to the Ruler of an Indian State by escheat or lapse, or as *bona vacantia* for want of a rightful owner, shall, if it is property situate in a State, vest in such State, and shall, in any other case, vest in the Union:

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

(ख) जो अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं भारत डोमिनियन की सरकार की और प्रत्येक राज्यपाल वाले प्रांत की सरकार की थीं, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुई हों, वे सभी इस संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान डोमिनियन के या पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब प्रांतों के सृजन के कारण किए गए या किए जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रहते हुए क्रमशः भारत सरकार और प्रत्येक तत्स्थानी राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं होंगी ।

295. अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार — (1) इस संविधान के प्रारंभ से ही —

(क) जो संपत्ति और आस्तियां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में निहित थीं, वे सभी ऐसे करार के अधीन रहते हुए, जो भारत सरकार इस निमित्त उस राज्य की सरकार से करे, संघ में निहित होंगी यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसी संपत्ति और आस्तियां धारित थीं, तत्पश्चात् संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित संघ के प्रयोजन हों; और

(ख) जो अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य की सरकार की थीं, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुई हों, वे सभी ऐसे करार के अधीन रहते हुए, जो भारत सरकार इस निमित्त उस राज्य की सरकार से करे, भारत सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं होंगी यदि वे प्रयोजन, जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे अधिकार अर्जित किए गए थे अथवा ऐसे दायित्व या बाध्यताएं उपगत की गई थीं, तत्पश्चात् संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित भारत सरकार के प्रयोजन हों ।

(2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की सरकार, उन सभी संपत्ति और आस्तियों तथा उन सभी अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं के संबंध में, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुई हों, जो खंड (1) में निर्दिष्ट से भिन्न हैं, इस संविधान के प्रारंभ से ही तत्स्थानी देशी राज्य की सरकार की उत्तराधिकारी होंगी ।

296. राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति — इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के अधीन रहते हुए, भारत के राज्यक्षेत्र में कोई संपत्ति, जो यदि यह संविधान प्रवर्तन में नहीं आया होता तो राजगामी या व्यपगत होने से या अधिकारवान् स्वामी के अभाव में स्वामीविहीन होने से, यथास्थिति, हिज मजेस्टी को या किसी देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती, यदि वह संपत्ति किसी राज्य में स्थित है तो ऐसे राज्य में और किसी अन्य दशा में संघ में निहित होगी:

Provided that any property which at the date when it would have so accrued to His Majesty or to the Ruler of an Indian State was in the possession or under the control of the Government of India or the Government of a State shall, according as the purposes for which it was then used or held were purposes of the Union or of a State, vest in the Union or in that State.

Explanation.—In this article, the expressions “Ruler” and “Indian State” have the same meanings as in article 363.

¹[**297. Things of value within territorial waters or continental shelf and resources of the exclusive economic zone to vest in the Union.**—(1) All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters, or the continental shelf, or the exclusive economic zone, of India shall vest in the Union and be held for the purposes of the Union.

(2) All other resources of the exclusive economic zone of India shall also vest in the Union and be held for the purposes of the Union.

(3) The limits of the territorial waters, the continental shelf, the exclusive economic zone, and other maritime zones, of India shall be such as may be specified, from time to time, by or under any law made by Parliament.]

²[**298. Power to carry on trade, etc.**—The executive power of the Union and of each State shall extend to the carrying on of any trade or business and to the acquisition, holding and disposal of property and the making of contracts for any purpose:

Provided that—

(a) the said executive power of the Union shall, in so far as such trade or business or such purpose is not one with respect to which Parliament may make laws, be subject in each State to legislation by the State; and

(b) the said executive power of each State shall, in so far as such trade or business or such purpose is not one with respect to which the State Legislature may make laws, be subject to legislation by Parliament.]

1. Subs. by the Constitution (Fortieth Amendment) Act, 1976, s. 2 (w.e.f. 27-5-1976).

2. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 20 (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

परंतु कोई संपत्ति, जो उस तारीख को जब वह इस प्रकार हिज मजेस्टी को या देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती, भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के कब्जे या नियंत्रण में थी तब, यदि वे प्रयोजन, जिनके लिए वह उस समय प्रयुक्त या धारित थीं, संघ के थे तो वह संघ में या किसी राज्य के थे तो वह उस राज्य में निहित होगी ।

स्पष्टीकरण — इस अनुच्छेद में, “शासक” और “देशी राज्य” पदों के वही अर्थ हैं जो अनुच्छेद 363 में हैं ।

¹297. राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना — (1) भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए धारण की जाएंगी ।

(2) भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संपत्ति स्रोत भी संघ में निहित होंगे और संघ के प्रयोजनों के लिए धारण किए जाएंगे ।

(3) भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रों की सीमाएं वे होंगी जो संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं ।]

²298. व्यापार करने आदि की शक्ति — संघ की और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, व्यापार या कारबार करने और किसी प्रयोजन के लिए संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन तथा संविदा करने पर, भी होगा :

परंतु —

(क) जहां तक ऐसा व्यापार या कारबार या ऐसा प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में संसद् विधि बना सकती है वहां तक संघ की उक्त कार्यपालिका शक्ति प्रत्येक राज्य में उस राज्य के विधान के अधीन होगी; और

(ख) जहां तक ऐसा व्यापार या कारबार या ऐसा प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में राज्य का विधान-मंडल विधि बना सकता है वहां तक प्रत्येक राज्य की उक्त कार्यपालिका शक्ति संसद् के विधान के अधीन होगी ।]

1. संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (27-5-1976 से) प्रतिस्थापित ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 20 द्वारा (1-11-1956 से) प्रतिस्थापित ।

299. Contracts.—(1) All contracts made in the exercise of the executive power of the Union or of a State shall be expressed to be made by the President, or by the Governor ^{1***} of the State, as the case may be, and all such contracts and all assurances of property made in the exercise of that power shall be executed on behalf of the President or the Governor ^{1***} by such persons and in such manner as he may direct or authorise.

(2) Neither the President nor the Governor ^{2***} shall be personally liable in respect of any contract or assurance made or executed for the purposes of this Constitution, or for the purposes of any enactment relating to the Government of India heretofore in force, nor shall any person making or executing any such contract or assurance on behalf of any of them be personally liable in respect thereof.

300. Suits and proceedings.—(1) The Government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and the Government of a State may sue or be sued by the name of the State and may, subject to any provisions which may be made by Act of Parliament or of the Legislature of such State enacted by virtue of powers conferred by this Constitution, sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the Dominion of India and the corresponding Provinces or the corresponding Indian States might have sued or been sued if this Constitution had not been enacted.

(2) If at the commencement of this Constitution—

(a) any legal proceedings are pending to which the Dominion of India is a party, the Union of India shall be deemed to be substituted for the Dominion in those proceedings; and

(b) any legal proceedings are pending to which a Province or an Indian State is a party, the corresponding State shall be deemed to be substituted for the Province or the Indian State in those proceedings.

³[CHAPTER IV.—RIGHT TO PROPERTY]

300A. Persons not to be deprived of property save by authority of law.—No person shall be deprived of his property save by authority of law.]

1. The words "or the Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. The words "nor the Rajpramukh" omitted by s. 29 and Sch., *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

3. Ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 34 (w.e.f. 20-6-1979).

(भाग 12—वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)

299. संविदाएं — (1) संघ की या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई सभी संविदाएं, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा या उस राज्य के राज्यपाल ^{1***} द्वारा की गई कही जाएंगी और वे सभी संविदाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण-पत्र, जो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए किए जाएं, राष्ट्रपति या राज्यपाल ^{1***} की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और रीति से निष्पादित किए जाएंगे जिसे वह निर्दिष्ट या प्राधिकृत करे ।

(2) राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल ^{2***} इस संविधान के प्रयोजनों के लिए या भारत सरकार के संबंध में इससे पूर्व प्रवृत्त किसी अधिनियमित के प्रयोजनों के लिए की गई या निष्पादित की गई किसी संविदा या हस्तांतरण-पत्र के संबंध में वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा या उनमें से किसी की ओर से ऐसी संविदा या हस्तांतरण-पत्र करने या निष्पादित करने वाला व्यक्ति उसके संबंध में वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा ।

300. वाद और कार्यवाहियां — (1) भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित संसद् के या ऐसे राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा किए जाएं, वे अपने-अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार वाद ला सकेंगे या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार, यदि यह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो, भारत डोमिनियन और तत्स्थानी प्रांत या तत्स्थानी देशी राज्य वाद ला सकते थे या उन पर वाद लाया जा सकता था ।

(2) यदि इस संविधान के प्रारंभ पर —

(क) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा; और

(ख) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें कोई प्रांत या कोई देशी राज्य एक पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस प्रांत या देशी राज्य के स्थान पर तत्स्थानी राज्य प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा ।

³अध्याय 4 – संपत्ति का अधिकार

300क. विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना — किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।]

-
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।
 2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "ना राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।
 3. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 34 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित ।

PART XIII

TRADE, COMMERCE AND INTERCOURSE WITHIN THE TERRITORY OF INDIA

301. Freedom of trade, commerce and intercourse.—Subject to the other provisions of this Part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free.

302. Power of Parliament to impose restrictions on trade, commerce and intercourse.—Parliament may by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one State and another or within any part of the territory of India as may be required in the public interest.

303. Restrictions on the legislative powers of the Union and of the States with regard to trade and commerce.—(1) Notwithstanding anything in article 302, neither Parliament nor the Legislature of a State shall have power to make any law giving, or authorising the giving of, any preference to one State over another, or making, or authorising the making of, any discrimination between one State and another, by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the Lists in the Seventh Schedule.

(2) Nothing in clause (1) shall prevent Parliament from making any law giving, or authorising the giving of, any preference or making, or authorising the making of, any discrimination if it is declared by such law that it is necessary to do so for the purpose of dealing with a situation arising from scarcity of goods in any part of the territory of India.

304. Restrictions on trade, commerce and intercourse among States.—Notwithstanding anything in article 301 or article 303, the Legislature of a State may by law—

(a) impose on goods imported from other States ¹[or the Union territories] any tax to which similar goods manufactured or produced in that State are subject, so, however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced; and

(b) impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest:

1. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

भाग 13

भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

301. व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता — इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा ।

302. व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद् की शक्ति — संसद् विधि द्वारा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो लोक हित में अपेक्षित हों ।

303. व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन — (1) अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए भी, सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर, संसद् को या राज्य के विधान-मंडल को, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है ।

(2) खंड (1) की कोई बात संसद् को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेंगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है ।

304. राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन — अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, —

(क) अन्य राज्यों¹ [या संघ राज्यक्षेत्रों] से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, किन्तु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद न हो; या

(ख) उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा जो लोक हित में अपेक्षित हों:

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित ।

(Part XIII.—Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India)

Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President.

¹[**305. Saving of existing laws and laws providing for State monopolies.**—Nothing in articles 301 and 303 shall affect the provisions of any existing law except in so far as the President may by order otherwise direct; and nothing in article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955, in so far as it relates to, or prevent Parliament or the Legislature of a State from making any law relating to, any such matter as is referred to in sub-clause (ii) of clause (6) of article 19.]

306. [*Power of certain States in Part B of the First Schedule to impose restrictions on trade and commerce.*].—*Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.(w.e.f. 1-11-1956)*

307. Appointment of authority for carrying out the purposes of articles 301 to 304.—Parliament may by law appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of articles 301, 302, 303 and 304, and confer on the authority so appointed such powers and such duties as it thinks necessary.

1. Subs. by the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955, s. 4, for art. 305 (w.e.f. 27-4-1955).

(भाग 13—भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम)

परंतु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के विधान-मंडल में पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा ।

1[305. विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति — वहां तक के सिवाय जहां तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निदेश दे अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 303 की कोई बात किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और अनुच्छेद 301 की कोई बात संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई किसी विधि के प्रवर्तन पर वहां तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी जहां तक वह विधि किसी ऐसे विषय से संबंधित है, जो अनुच्छेद 19 के खंड (6) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट है या वह विधि ऐसे किसी विषय के संबंध में, जो अनुच्छेद 19 के खंड (6) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट है, विधि बनाने से संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल को नहीं रोकेगी ।]

306. [पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधनों के अधिरोपण की शक्ति ।] — संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

307. अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति — संसद् विधि द्वारा, ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो वह अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303 और अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

1. संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 की धारा 4 द्वारा (27-4-1955 से) अनुच्छेद 305 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

PART XIV
SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES

CHAPTER I.—SERVICES

308. Interpretation.—In this Part, unless the context otherwise requires, the expression “State” ¹[does not include the State of Jammu and Kashmir].

309. Recruitment and conditions of service of persons serving the Union or a State.—Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State:

Provided that it shall be competent for the President or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the Union, and for the Governor ^{2***} of a State or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the State, to make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to such services and posts until provision in that behalf is made by or under an Act of the appropriate Legislature under this article, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any such Act.

310. Tenure of office of persons serving the Union or a State.—(1) Except as expressly provided by this Constitution, every person who is a member of a defence service or of a civil service of the Union or of an all-India service or holds any post connected with defence or any civil post under the Union holds office during the pleasure of the President, and every person who is a member of a civil service of a State or holds any civil post under a State holds office during the pleasure of the Governor ^{3***} of the State.

(2) Notwithstanding that a person holding a civil post under the Union or a State holds office during the pleasure of the President or, as the case may be, of the Governor ^{2***} of the State, any contract under which a person, not being a member of a defence service or of an all-India service or of a civil service of the Union or a State, is appointed under this Constitution to hold such a post may, if the President or the Governor ^{2***}, as the case may be, deems it

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for "means a State specified in Part A or Part B of the First Schedule" (w.e.f. 1-11-1956).

2. The words "or Rajpramukh" omitted by s.29 and Sch., *ibid* (w.e.f. 1-11-1956).

3. The words "or, as the case may be, the Rajpramukh" omitted by s.29 and Sch., *ibid*. (w.e.f. 1-11-1956).

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अध्याय 1 – सेवाएं

308. निर्वचन — इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” पद ¹[के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है ।]

309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें — इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे:

परंतु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, यथास्थिति, संघ के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राष्ट्रपति या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निदिष्ट करे और राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राज्य का राज्यपाल ^{2***} या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निदिष्ट करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनाने के लिए सक्षम होगा और इस प्रकार बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे ।

310. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि — (1) इस संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल ³ के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है ।

(2) इस बात के होते हुए भी कि संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाला व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल ^{2***} के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, कोई संविदा जिसके अधीन कोई व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या संघ या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिए इस संविधान के अधीन नियुक्त किया जाता है, उस दशा में, जिसमें, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल ^{2***} विशेष अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझता है, यह उपबंध कर सकेंगी कि यदि करार की गई अवधि की समाप्ति से पहले वह पद समाप्त कर दिया जाता है या ऐसे कारणों से, जो

-
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत हैं” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया ।
 3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “यथास्थिति, उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख” के स्थान पर उपरोक्त रूप में रखा गया ।

(Part XIV.—Services under the Union and the States)

necessary in order to secure the services of a person having special qualifications, provide for the payment to him of compensation, if before the expiration of an agreed period that post is abolished or he is, for reasons not connected with any misconduct on his part, required to vacate that post.

311. Dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a State.—(1) No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.

¹[(2) No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges ^{2***};

³[Provided that where it is proposed after such inquiry, to impose upon him any such penalty, such penalty may be imposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry and it shall not be necessary to give such person any opportunity of making representation on the penalty proposed:

Provided further that this clause shall not apply—]

(a) where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or

(b) where the authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason, to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to hold such inquiry; or

(c) where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the State it is not expedient to hold such inquiry.

(3) If, in respect of any such person as aforesaid, a question arises whether it is reasonably practicable to hold such inquiry as is referred to in clause (2), the decision thereon of the authority empowered to dismiss or remove such person or to reduce him in rank shall be final.]

1. Subs. by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, s. 10, for cls. (2) and (3) (w.e.f. 5-10-1963).

2. Certain words omitted by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 44 (w.e.f. 3-1-1977).

3. Subs. by s. 44, *ibid.*, for certain words (w.e.f. 3-1-1977).

(भाग 14—संग और राज्यों के अधीन सेवाएं)

उसके किसी अवचार से संबंधित नहीं है, उससे वह पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है तो, उसे प्रतिकर दिया जाएगा।

311. संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना — (1) किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा।

¹[(2) यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी जांच के पश्चात् ही, जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में ²**** सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं:

³[परंतु जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहां ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा:

परंतु यह और कि यह खंड वहां लागू नहीं होगा —]

(क) जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके लिए अपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, यह युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाए; या

(ग) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है कि ऐसी जांच की जाए।

(3) यदि, यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि खंड (2) में निर्दिष्ट जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य है या नहीं तो उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।]

1. संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 10 द्वारा (5-10-1963 से) खंड (2) और खंड (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 44 द्वारा (3-1-1977 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।
3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 44 द्वारा (3-1-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part XIV.—Services under the Union and the States)

312. All-India services.—(1) Notwithstanding anything in ¹[Chapter VI of Part VI or Part XI], if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest so to do, Parliament may by law provide for the creation of one or more all India services ²[(including an all-India judicial service)] common to the Union and the States, and, subject to the other provisions of this Chapter, regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to any such service.

(2) The services known at the commencement of this Constitution as the Indian Administrative Service and the Indian Police Service shall be deemed to be services created by Parliament under this article.

²[(3) The all-India judicial service referred to in clause (1) shall not include any post inferior to that of a district judge as defined in article 236.

(4) The law providing for the creation of the all-India judicial service aforesaid may contain such provisions for the amendment of Chapter VI of Part VI as may be necessary for giving effect to the provisions of that law and no such law shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.]

³[312A. Power of Parliament to vary or revoke conditions of service of officers of certain services.—(1) Parliament may by law—

(a) vary or revoke, whether prospectively or retrospectively, the conditions of services as respects remuneration, leave and pension and the rights as respects disciplinary matters of persons who, having been appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India before the commencement of this Constitution, continue on and after the commencement of the Constitution (Twenty-eighth Amendment) Act, 1972, to serve under the Government of India or of a State in any service or post;

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 45, for "Part XI" (w.e.f. 3-1-1977).

2. Ins. by s. 45, *ibid.* (w.e.f. 3-1-1977).

3. Ins. by the Constitution (Twenty-eighth Amendment) Act, 1972, s. 2 (w.e.f. 29-8-1972).

(भाग 14—संग और राज्यों के अधीन सेवाएं)

312. अखिल भारतीय सेवाएं — (1) ¹[भाग 6 के अध्याय 6 या भाग 11] में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो संसद्, विधि द्वारा, संग और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के ²[(जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है)] सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी और इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी ।

(2) इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के अधीन संसद् द्वारा सृजित सेवाएं समझी जाएंगी ।

²[(3) खंड (1) में निर्दिष्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत अनुच्छेद 236 में परिभाषित जिला न्यायाधीश के पद से अवर कोई पद नहीं होगा ।

(4) पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए उपबंध करने वाली विधि में भाग 6 के अध्याय 6 के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो उस विधि के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी ।]

³[312क. कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद् की शक्ति — (1) संसद्, विधि द्वारा —

(क) उन व्यक्तियों की, जो सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे और जो संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात्, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी सेवा या पद पर बने रहते हैं, पारिश्रमिक, छुट्टी और पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें तथा अनुशासनिक विषयों संबंधी अधिकार, भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेगी या प्रतिसंहत कर सकेगी;

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 45 द्वारा (3-1-1977 से) "भाग 11" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 45 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

3. संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 2 द्वारा (29-8-1972 से) अंतःस्थापित ।

(Part XIV.—Services under the Union and the States)

(b) vary or revoke, whether prospectively or retrospectively, the conditions of service as respects pension of persons who, having been appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India before the commencement of this Constitution, retired or otherwise ceased to be in service at any time before the commencement of the Constitution (Twenty-eighth Amendment) Act, 1972:

Provided that in the case of any such person who is holding or has held the office of the Chief Justice or other Judge of the Supreme Court or a High Court, the Comptroller and Auditor-General of India, the Chairman or other member of the Union or a State Public Service Commission or the Chief Election Commissioner, nothing in sub-clause (a) or sub-clause (b) shall be construed as empowering Parliament to vary or revoke, after his appointment to such post, the conditions of his service to his disadvantage except in so far as such conditions of service are applicable to him by reason of his being a person appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India.

(2) Except to the extent provided for by Parliament by law under this article, nothing in this article shall affect the power of any Legislature or other authority under any other provision of this Constitution to regulate the conditions of service of persons referred to in clause (1).

(3) Neither the Supreme Court nor any other court shall have jurisdiction in—

(a) any dispute arising out of any provision of, or any endorsement on, any covenant, agreement or other similar instrument which was entered into or executed by any person referred to in clause (1), or arising out of any letter issued to such person, in relation to his appointment to any civil service of the Crown in India or his continuance in service under the Government of the Dominion of India or a Province thereof;

(b) any dispute in respect of any right, liability or obligation under article 314 as originally enacted.

(4) The provisions of this article shall have effect notwithstanding anything in article 314 as originally enacted or in any other provision of this Constitution.]

(भाग 14—संग और राज्यों के अधीन सेवाएं)

(ख) उन व्यक्तियों की, जो सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे और जो संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारंभ से पहले किसी समय सेवा से निवृत्त हो गए हैं या अन्यथा सेवा में नहीं रहे हैं, पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेगी या प्रतिसंहत कर सकेगी:

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद धारण कर रहा है या कर चुका है, उपखंड (क) या उपखंड (ख) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद् को, उस व्यक्ति की उक्त पद पर नियुक्ति के पश्चात्, उसकी सेवा की शर्तों में, वहां तक के सिवाय जहां तक ऐसी सेवा की शर्तें उसे सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किया गया व्यक्ति होने के कारण लागू हैं, उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन करने के लिए या उन्हें प्रतिसंहत करने के लिए सशक्त करती है।

(2) वहां तक के सिवाय जहां तक संसद्, विधि द्वारा, इस अनुच्छेद के अधीन उपबंध करे इस अनुच्छेद की कोई बात खंड (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने की इस संविधान के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी विधान-मंडल या अन्य प्राधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) उच्चतम न्यायालय को या किसी अन्य न्यायालय को निम्नलिखित विवादों में कोई अधिकारिता नहीं होगी, अर्थात्:—

(क) किसी प्रसविदा, करार या अन्य ऐसी ही लिखत के, जिसे खंड (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किया है या निष्पादित किया है, किसी उपबंध से या उस पर किए गए किसी पृष्ठांकन से उत्पन्न कोई विवाद अथवा ऐसे व्यक्ति को, भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में उसकी नियुक्ति या भारत डोमिनियन की या उसके किसी प्रांत की सरकार के अधीन सेवा में उसके बने रहने के संबंध में भेजे गए किसी पत्र के आधार पर उत्पन्न कोई विवाद;

(ख) मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 के अधीन किसी अधिकार, दायित्व या बाध्यता के संबंध में कोई विवाद।

(4) इस अनुच्छेद के उपबंध मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 में या इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।]

313. Transitional provisions.—Until other provision is made in this behalf under this Constitution, all the laws in force immediately before the commencement of this Constitution and applicable to any public service or any post which continues to exist after the commencement of this Constitution, as an all-India service or as service or post under the Union or a State shall continue in force so far as consistent with the provisions of this Constitution.

314. [Provision for protection of existing officers of certain services].—Omitted by the Constitution (Twenty-eighth Amendment) Act, 1972, s. 3 (w.e.f. 29-8-1972).

CHAPTER II.—PUBLIC SERVICE COMMISSIONS

315. Public Service Commissions for the Union and for the States.—

(1) Subject to the provisions of this article, there shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each State.

(2) Two or more States may agree that there shall be one Public Service Commission for that group of States, and if a resolution to that effect is passed by the House or, where there are two Houses, by each House of the Legislature of each of those States, Parliament may by law provide for the appointment of a Joint State Public Service Commission (referred to in this Chapter as Joint Commission) to serve the needs of those States.

(3) Any such law as aforesaid may contain such incidental and consequential provisions as may be necessary or desirable for giving effect to the purposes of the law.

(4) The Public Service Commission for the Union, if requested so to do by the Governor ^{1***} of a State, may, with the approval of the President, agree to serve all or any of the needs of the State.

(5) References in this Constitution to the Union Public Service Commission or a State Public Service Commission shall, unless the context otherwise requires, be construed as references to the Commission serving the needs of the Union or, as the case may be, the State as respects the particular matter in question.

316. Appointment and term of office of members.—(1) The Chairman and other members of a Public Service Commission shall be appointed, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, by the President, and in the case of a State Commission, by the Governor of the State:

1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 14—संग और राज्यों के अधीन सेवाएं)

313. संक्रमणकालीन उपबंध — जब तक इस संविधान के अधीन इस निमित्त अन्य उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी सभी विधियां जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त हैं और किसी ऐसी लोक सेवा या किसी ऐसे पद को, जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बना रहता है, लागू हैं वहां तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जहां तक वे इस संविधान के उपबंधों से संगत हैं।

314. कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध] संविधान (अटॉर्नीसर्वां संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 द्वारा (29-8-1972 से) लोप किया गया।

अध्याय 2 - लोक सेवा आयोग

315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग — (1) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

(2) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद् उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की (जिसे इस अध्याय में “संयुक्त आयोग” कहा गया है) नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी।

(3) पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध हो सकेंगे जो उस विधि के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हों।

(4) यदि किसी राज्य का राज्यपाल ^{1***} संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा।

(5) इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ऐसे आयोग के प्रति निर्देश हैं जो प्रश्नगत किसी विशिष्ट विषय के संबंध में, यथास्थिति, संघ की या राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

316. सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि — (1) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा और, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल ^{1***} द्वारा की जाएगी:

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया।

Provided that as nearly as may be one-half of the members of every Public Service Commission shall be persons who at the dates of their respective appointments have held office for at least ten years either under the Government of India or under the Government of a State, and in computing the said period of ten years any period before the commencement of this Constitution during which a person has held office under the Crown in India or under the Government of an Indian State shall be included.

¹[(1A) If the office of the Chairman of the Commission becomes vacant or if any such Chairman is by reason of absence or for any other reason unable to perform the duties of his office, those duties shall, until some person appointed under clause (1) to the vacant office has entered on the duties thereof or, as the case may be, until the Chairman has resumed his duties, be performed by such one of the other members of the Commission as the President, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, and the Governor of the State in the case of a State Commission, may appoint for the purpose.]

(2) A member of a Public Service Commission shall hold office for a term of six years from the date on which he enters upon his office or until he attains, in the case of the Union Commission, the age of sixty-five years, and in the case of a State Commission or a Joint Commission, the age of ²[sixty-two years], whichever is earlier:

Provided that—

(a) a member of a Public Service Commission may, by writing under his hand addressed, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, to the President, and in the case of a State Commission, to the Governor ^{3***} of the State, resign his office;

(b) a member of a Public Service Commission may be removed from his office in the manner provided in clause (1) or clause (3) of article 317.

(3) A person who holds office as a member of a Public Service Commission shall, on the expiration of his term of office, be ineligible for re-appointment to that office.

1. Ins. by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, s. 11 (w.e.f. 5-10-1963).

2. Subs. by the Constitution (Forty-first Amendment) Act, 1976, s. 2, for "sixty years" (w.e.f. 7-9-1976).

3. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 14—संग और राज्यों के अधीन सेवाएं)

परंतु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी-अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है।

¹[(1क) यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो, यथास्थिति, जब तक रिक्त पद पर खंड (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य, जिसे संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उन कर्तव्यों का पालन करेगा।]

(2) लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग की दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में ²[बासठ वर्ष] की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा:

परंतु —

(क) लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल ^{3***} को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को, अनुच्छेद 317 के खंड (1) या खंड (3) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

1. संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 11 द्वारा (5-10-1963 से) अंतःस्थापित।
2. संविधान (इकतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (7-9-1976 से) "साठ वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।

(Part XIV.—Services under the Union and the States)

317. Removal and suspension of a member of a Public Service Commission.—(1) Subject to the provisions of clause (3), the Chairman or any other member of a Public Service Commission shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehaviour after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has, on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf under article 145, reported that the Chairman or such other member, as the case may be, ought on any such ground to be removed.

(2) The President, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, and the Governor ^{1***} in the case of a State Commission, may suspend from office the Chairman or any other member of the Commission in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under clause (1) until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything in clause (1), the President may by order remove from office the Chairman or any other member of a Public Service Commission if the Chairman or such other member, as the case may be,—

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(c) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body.

(4) If the Chairman or any other member of a Public Service Commission is or becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or the Government of a State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of clause (1), be deemed to be guilty of misbehaviour.

318. Power to make regulations as to conditions of service of members and staff of the Commission.—In the case of the Union Commission or a Joint Commission, the President and, in the case of a State Commission, the Governor ^{1***} of the State may by regulations—

1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 14—संग और राज्यों के अधीन सेवाएं)

317. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना — (1) खंड (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।

(2) आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जिसके संबंध में खंड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ^{1***} संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है।

(3) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य —

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या

(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है,

तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा।

(4) यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा, उस संविदा या करार से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या निमित्त की गई या किया गया है, किसी प्रकार से संपृक्त या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है तो वह खंड (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

318. आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति — संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल ^{1***} विनियमों द्वारा —

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।

(Part XIV.—Services under the Union and the States)

(a) determine the number of members of the Commission and their conditions of service; and

(b) make provision with respect to the number of members of the staff of the Commission and their conditions of service:

Provided that the conditions of service of a member of a Public Service Commission shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

319. Prohibition as to the holding of offices by members of Commission on ceasing to be such members.—On ceasing to hold office—

(a) the Chairman of the Union Public Service Commission shall be ineligible for further employment either under the Government of India or under the Government of a State;

(b) the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the Union Public Service Commission or as the Chairman of any other State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State;

(c) a member other than the Chairman of the Union Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman of the Union Public Service Commission or as the Chairman of a State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State;

(d) a member other than the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the Union Public Service Commission or as the Chairman of that or any other State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State.

320. Functions of Public Service Commissions.—(1) It shall be the duty of the Union and the State Public Service Commissions to conduct examinations for appointments to the services of the Union and the services of the State respectively.

(2) It shall also be the duty of the Union Public Service Commission, if requested by any two or more States so to do, to assist those States in framing and operating schemes of joint recruitment for any services for which candidates possessing special qualifications are required.

(3) The Union Public Service Commission or the State Public Service Commission, as the case may be, shall be consulted—

(भाग 14—संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं)

(क) आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का अवधारण कर सकेगा; और

(ख) आयोग के कर्मचारिवृंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा:

परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

319. आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध — पद पर न रह जाने पर —

(क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा;

(ख) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा;

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा;

(घ) किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ।

320. लोक सेवा आयोगों के कृत्य — (1) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें ।

(2) यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए, जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाए और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करे ।

(3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से —

(Part XIV.—Services under the Union and the States)

(a) on all matters relating to methods of recruitment to civil services and for civil posts;

(b) on the principles to be followed in making appointments to civil services and posts and in making promotions and transfers from one service to another and on the suitability of candidates for such appointments, promotions or transfers;

(c) on all disciplinary matters affecting a person serving under the Government of India or the Government of a State in a civil capacity, including memorials or petitions relating to such matters;

(d) on any claim by or in respect of a person who is serving or has served under the Government of India or the Government of a State or under the Crown in India or under the Government of an Indian State, in a civil capacity, that any costs incurred by him in defending legal proceedings instituted against him in respect of acts done or purporting to be done in the execution of his duty should be paid out of the Consolidated Fund of India, or, as the case may be, out of the Consolidated Fund of the State;

(e) on any claim for the award of a pension in respect of injuries sustained by a person while serving under the Government of India or the Government of a State or under the Crown in India or under the Government of an Indian State, in a civil capacity, and any question as to the amount of any such award,

and it shall be the duty of a Public Service Commission to advise on any matter so referred to them and on any other matter which the President, or, as the case may be, the Governor ^{1***} of the State, may refer to them:

Provided that the President as respects the all-India services and also as respects other services and posts in connection with the affairs of the Union, and the Governor ^{2***}, as respects other services and posts in connection with the affairs of a State, may make regulations specifying the matters in which either generally, or in any particular class of case or in any particular circumstances, it shall not be necessary for a Public Service Commission to be consulted.

(4) Nothing in clause (3) shall require a Public Service Commission to be consulted as respects the manner in which any provision referred to in clause (4) of article 16 may be made or as respects the manner in which effect may be given to the provisions of article 335.

1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. The words "or Rajpramukh, as the case may be" omitted by s. 29 and Sch. *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 14—संग और राज्यों के अधीन सेवाएं)

(क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर;

(ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर;

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले, सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का, यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए;

(ङ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णीत किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर,

परामर्श किया जाएगा और इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर, जिसे, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल^{1***} उसे निर्देशित करे, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा:

परंतु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल² उन विषयों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(4) खंड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 16 के खंड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाए।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख" शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप से रखा गया।

(5) All regulations made under the proviso to clause (3) by the President or the Governor ^{1***} of a State shall be laid for not less than fourteen days before each House of Parliament or the House or each House of the Legislature of the State, as the case may be, as soon as possible after they are made, and shall be subject to such modifications, whether by way of repeal or amendment, as both Houses of Parliament or the House or both Houses of the Legislature of the State may make during the session in which they are so laid.

321. Power to extend functions of Public Service Commissions.—An Act made by Parliament or, as the case may be, the Legislature of a State may provide for the exercise of additional functions by the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission as respects the services of the Union or the State and also as respects the services of any local authority or other body corporate constituted by law or of any public institution.

322. Expenses of Public Service Commissions.—The expenses of the Union or a State Public Service Commission, including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the members or staff of the Commission, shall be charged on the Consolidated Fund of India or, as the case may be, the Consolidated Fund of the State.

323. Reports of Public Service Commissions.—(1) It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of such report the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before each House of Parliament.

(2) It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor ^{1***} of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall be the duty of a Joint Commission to present annually to the Governor ^{1***} of each of the States the needs of which are served by the Joint Commission a report as to the work done by the Commission in relation to that State, and in either case the Governor ^{2***}, shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State.

1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. The words "or Rajpramukh, as the case may be" omitted by s. 29 and Sch. *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 14—संग और राज्यों के अधीन सेवाएं)

(5) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल ^{1***} द्वारा खंड (3) के परंतुक के अधीन बनाए गए सभी विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद् के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम चौदह दिन के लिए रखे जाएंगे और निरसन या संशोधन द्वारा किए गए ऐसे उपांतरणों के अधीन होंगे जो संसद् के दोनों सदन या उस राज्य के विधान-मंडल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करें जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं ।

321. लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति — यथास्थिति, संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा ।

322. लोक सेवा आयोगों के व्यय — संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे ।

323. लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन — (1) संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले जापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

(2) राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल ^{1***} को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल ^{1***} को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दश में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल ^{2***} उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले जापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख" शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप से रखा गया ।

¹[PART XIVA
TRIBUNALS

323A. Administrative tribunals.—(1) Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State or of any local or other authority within the territory of India or under the control of the Government of India or of any corporation owned or controlled by the Government.

(2) A law made under clause (1) may—

(a) provide for the establishment of an administrative tribunal for the Union and a separate administrative tribunal for each State or for two or more States;

(b) specify the jurisdiction, powers (including the power to punish for contempt) and authority which may be exercised by each of the said tribunals;

(c) provide for the procedure (including provisions as to limitation and rules of evidence) to be followed by the said tribunals;

(d) exclude the jurisdiction of all courts, except the jurisdiction of the Supreme Court under article 136, with respect to the disputes or complaints referred to in clause (1);

(e) provide for the transfer to each such administrative tribunal of any cases pending before any court or other authority immediately before the establishment of such tribunal as would have been within the jurisdiction of such tribunal if the causes of action on which such suits or proceedings are based had arisen after such establishment;

(f) repeal or amend any order made by the President under clause (3) of article 371D;

(g) contain such supplemental, incidental and consequential provisions (including provisions as to fees) as Parliament may deem necessary for the effective functioning of, and for the speedy disposal of cases by, and the enforcement of the orders of, such tribunals.

1. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 46 (w.e.f. 3-1-1977).

¹भाग 14क

अधिकरण

323क. प्रशासनिक अधिकरण — (1) संसद्, विधि द्वारा, संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगी ।

(2) खंड (1) के अधीन बनाई गई विधि —

(क) संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण और प्रत्येक राज्य के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों के लिए एक पृथक् प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी;

(ख) उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक अधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता, शक्तियां (जिनके अंतर्गत अवमान के लिए दंड देने की शक्ति हैं) और प्राधिकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) उक्त अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए (जिसके अंतर्गत परिसीमा के बारे में और साक्ष्य के नियमों के बारे में उपबंध हैं) उपबंध कर सकेगी;

(घ) अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का खंड (1) में निर्दिष्ट विवादों या परिवादों के संबंध में अपवर्जन कर सकेगी;

(ङ) प्रत्येक ऐसे प्रशासनिक अधिकरण को उन मामलों के अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगी जो ऐसे अधिकरण की स्थापना से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं और जो, यदि ऐसे वाद हेतुक जिन पर ऐसे वाद या कार्यवाहियां आधारित हैं, अधिकरण की स्थापना के पश्चात् उत्पन्न होते तो, ऐसे अधिकरण की अधिकारिता के भीतर होते;

(च) राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 371घ के खंड (3) के अधीन किए गए आदेश का निरसन या संशोधन कर सकेगी;

(छ) ऐसे अनुपूर्क, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध (जिनके अंतर्गत फीस के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट कर सकेगी जो संसद् ऐसे अधिकरणों के प्रभावी कार्यकरण के लिए और उनके द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए और उनके आदेशों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझे ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

(3) The provisions of this article shall have effect notwithstanding anything in any other provision of this Constitution or in any other law for the time being in force.

323B. Tribunals for other matters.—(1) The appropriate Legislature may, by law, provide for the adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints, or offences with respect to all or any of the matters specified in clause (2) with respect to which such Legislature has power to make laws.

(2) The matters referred to in clause (1) are the following, namely:—

- (a) levy, assessment, collection and enforcement of any tax;
- (b) foreign exchange, import and export across customs frontiers;
- (c) industrial and labour disputes;

(d) land reforms by way of acquisition by the State of any estate as defined in article 31A or of any rights therein or the extinguishment or modification of any such rights or by way of ceiling on agricultural land or in any other way;

(e) ceiling on urban property;

(f) elections to either House of Parliament or the House or either House of the Legislature of a State, but excluding the matters referred to in article 329 and article 329A;

(g) production, procurement, supply and distribution of food-stuffs (including edible oilseeds and oils) and such other goods as the President may, by public notification, declare to be essential goods for the purpose of this article and control of prices of such goods;

¹[(h) rent, its regulation and control and tenancy issues including the right, title and interest of landlords and tenants;]

²[(i)] offences against laws with respect to any of the matters specified in sub-clauses (a) to ³[(h)] and fees in respect of any of those matters;

1. Ins. by the Constitution (Seventy-fifth Amendment) Act, 1993, s. 2 (w.e.f. 15-5-1994).

2. Sub-clause (h) re-lettered as sub-clause (i) by s. 2, *ibid.* (w.e.f. 15-5-1994).

3. Subs. by s. 2, *ibid.*, for the brackets and letter “(g)” (w.e.f. 15-5-1994).

(3) इस अनुच्छेद के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्सम्य प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

323ख. अन्य विषयों के लिए अधिकरण — (1) समुचित विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे विवादों, परिवादों या अपराधों के अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा जो खंड (2) में विनिर्दिष्ट उन सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित हैं जिनके संबंध में ऐसे विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट विषय निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(क) किसी कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन;

(ख) विदेशी मुद्रा, सीमाशुल्क सीमांतों के आर-पार आयात और निर्यात;

(ग) औद्योगिक और श्रम विवाद;

(घ) अनुच्छेद 31क में यथापरिभाषित किसी संपदा या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन या ऐसे किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उपांतरण द्वारा या कृषि भूमि की अधिकतम सीमा द्वारा या किसी अन्य प्रकार से भूमि सुधार;

(ङ) नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा;

(च) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन, किन्तु अनुच्छेद 329 और अनुच्छेद 329क में निर्दिष्ट विषयों को छोड़कर;

(छ) खाद्य पदार्थों का (जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं) और ऐसे अन्य माल का उत्पादन, उपापन, प्रदाय और वितरण, जिन्हें राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए आवश्यक माल घोषित करे और ऐसे माल की कीमत का नियंत्रण;

¹[(ज) किराया, उसका विनियमन और नियंत्रण तथा किराएदारी संबंधी विवादयक, जिनके अंतर्गत मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकार, हक और हित हैं;]

²[(झ)] उपखंड (क) से उपखंड ³[(ज)] में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और उन विषयों में से किसी की बाबत फीस;

1. संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 2 द्वारा (15-5-1994 से) अंतःस्थापित।

2. संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 2 द्वारा (15-5-1994 से) उपखंड (ज) को उपखंड (झ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया।

3. संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 2 द्वारा (15-5-1994 से) "(छ)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹[(j)] any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to ²[(i)].

(3) A law made under clause (1) may—

(a) provide for the establishment of a hierarchy of tribunals;

(b) specify the jurisdiction, powers (including the power to punish for contempt) and authority which may be exercised by each of the said tribunals;

(c) provide for the procedure (including provisions as to limitation and rules of evidence) to be followed by the said tribunals;

(d) exclude the jurisdiction of all courts, except the jurisdiction of the Supreme Court under article 136, with respect to all or any of the matters falling within the jurisdiction of the said tribunals;

(e) provide for the transfer to each such tribunal of any cases pending before any court or any other authority immediately before the establishment of such tribunal as would have been within the jurisdiction of such tribunal if the causes of action on which such suits or proceedings are based had arisen after such establishment;

(f) contain such supplemental, incidental and consequential provisions (including provisions as to fees) as the appropriate Legislature may deem necessary for the effective functioning of, and for the speedy disposal of cases by, and the enforcement of the orders of, such tribunals.

(4) The provisions of this article shall have effect notwithstanding anything in any other provision of this Constitution or in any other law for the time being in force.

Explanation.—In this article, “appropriate Legislature”, in relation to any matter, means Parliament or, as the case may be, a State Legislature competent to make laws with respect to such matter in accordance with the provisions of Part XI.]

1. Sub-clause (i) re-lettered as sub-clause (j) by the Constitution (Seventy-fifth Amendment) Act, 1993, s. 2 (w.e.f. 15-5-1994).

2. Subs. by s. 2, *ibid*, for “(h)” (w.e.f. 15-5-1994).

¹[(ज)] उपखंड (क) से उपखंड ²[(झ)] में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय ।

(3) खंड (1) के अधीन बनाई गई विधि —

(क) अधिकरणों के उत्क्रम की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी;

(ख) उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक अधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता, शक्तियाँ (जिनके अंतर्गत अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है) और प्राधिकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) उक्त अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए (जिसके अंतर्गत परिसीमा के बारे में और साक्ष्य के नियमों के बारे में उपबंध हैं) उपबंध कर सकेगी;

(घ) अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का उन सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में अपवर्जन कर सकेगी जो उक्त अधिकरणों की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं;

(ङ) प्रत्येक ऐसे अधिकरण को उन मामलों के अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगी जो ऐसे अधिकरण की स्थापना से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं और जो, यदि ऐसे वाद हेतुक जिन पर ऐसे वाद या कार्यवाहियाँ आधारित हैं, अधिकरण की स्थापना के पश्चात् उत्पन्न होते तो ऐसे अधिकरण की अधिकारिता के भीतर होते;

(च) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध (जिनके अंतर्गत फीस के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट कर सकेगी जो समुचित विधान-मंडल ऐसे अधिकरणों के प्रभावी कार्यकरण के लिए और उनके द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए और उनके आदेशों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) इस अनुच्छेद के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्सम्य प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में, किसी विषय के संबंध में, “समुचित विधान-मंडल” से, यथास्थिति, संसद् या किसी राज्य का विधान-मंडल अभिप्रेत है, जो भाग 11 के उपबंधों के अनुसार ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने के लिए सक्षम है ।]

1. संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 2 द्वारा (15-5-1994 से) उपखंड (झ) को उपखंड (ज) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया ।

2. संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 2 द्वारा (15-5-1994 से) “(ज)” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

PART XV

ELECTIONS

324. Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission.—(1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution ^{1***} shall be vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission).

(2) The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix and the appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall, subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament, be made by the President.

(3) When any other Election Commissioner is so appointed the Chief Election Commissioner shall act as the Chairman of the Election Commission.

(4) Before each general election to the House of the People and to the Legislative Assembly of each State, and before the first general election and thereafter before each biennial election to the Legislative Council of each State having such Council, the President may also appoint after consultation with the Election Commission such Regional Commissioners as he may consider necessary to assist the Election Commission in the performance of the functions conferred on the Commission by clause (1).

(5) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service and tenure of office of the Election Commissioners and the Regional Commissioners shall be such as the President may by rule determine:

Provided that the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court and the conditions of service of the Chief Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment:

1. The words "including the appointment of election tribunals for the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with elections to Parliament and to the Legislatures of States" omitted by the Constitution (Nineteenth Amendment) Act, 1966, s. 2 (w.e.f. 11-12-1966).

भाग 15

निर्वाचन

324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना — (1) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, ^{1****} एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है) ।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।

(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

(4) लोक सभा के और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात् प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे ।

(5) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे:

परन्तु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

1. संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा (11-12-1966 से) "जिसके अंतर्गत संसद् के और राज्य के विधान-मंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी है" शब्दों का लोप किया गया ।

Provided further that any other Election Commissioner or a Regional Commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner.

(6) The President, or the Governor ^{1***} of a State, shall, when so requested by the Election Commission, make available to the Election Commission or to a Regional Commissioner such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the Election Commission by clause (1).

325. No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be included in a special, electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex.—There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them.

326. Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage.—The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than ²[eighteen years] of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at any such election.

327. Power of Parliament to make provision with respect to elections to Legislatures.—Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, elections to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.

1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by the Constitution (Sixty-first Amendment) Act, 1988, s. 2, for "twenty-one years" (w.e.f. 28-3-1989).

(भाग 15—निर्वाचन)

परन्तु यह और कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल ^{1***} निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

325. धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना — संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा ।

326. लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना — लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम ²[अठारह वर्ष] की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा ।

327. विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति — इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद समय-समय पर, विधि द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराना, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगी ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।

2. संविधान (इकसवां संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 2 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

328. Power of Legislature of a State to make provision with respect to elections to such Legislature.—Subject to the provisions of this Constitution and in so far as provision in that behalf is not made by Parliament, the Legislature of a State may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, the elections to the House or either House of the Legislature of the State including the preparation of electoral rolls and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.

329. Bar to interference by courts in electoral matters.—¹[Notwithstanding anything in this Constitution ^{2***}—]

(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 327 or article 328, shall not be called in question in any court;

(b) no election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature.

³**329A.** [*Special provision as to elections to Parliament in the case of Prime Minister and Speaker.*].—*Omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 36 (w.e.f. 20-6-1979).*

1. Subs. by the Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975, s. 3, for certain words (w.e.f. 10-8-1975).

2. The words, figures and letter "but subject to the provisions of article 329A" omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 35 (w.e.f. 20-6-1979).

3. Ins. by the Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975, s. 4 (w.e.f. 10-8-1975).

328. किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति — इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जहां तक संसद् इस निमित्त उपबंध नहीं करती है वहां तक, किसी राज्य का विधान-मंडल समय-समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराना और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगा ।

329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन—¹[इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी ²***—]

(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जों पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं ।

³329क. [प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद् के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध]] — संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 36 द्वारा (20-6-1979 से) लोप किया गया ।

1. संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 द्वारा (10-8-1975 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 35 द्वारा (20-6-1979 से) "परन्तु अनुच्छेद 329क के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया गया ।
3. संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 4 द्वारा (10-8-1975 से) अंतःस्थापित ।

PART XVI

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES

330. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People.—(1) Seats shall be reserved in the House of the People for —

(a) the Scheduled Castes;

¹[(b) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam; and]

(c) the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam.

(2) The number of seats reserved in any State ²[or Union territory] for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats allotted to that State ²[or Union territory] in the House of the People as the population of the Scheduled Castes in the State ²[or Union territory] or of the Scheduled Tribes in the State ²[or Union territory] or part of the State ²[or Union territory], as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State ²[or Union territory].

³[(3) Notwithstanding anything contained in clause (2), the number of seats reserved in the House of the People for the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam shall bear to the total number of seats allotted to that State a proportion not less than the population of the Scheduled Tribes in the said autonomous districts bears to the total population of the State.]

⁴[*Explanation.*—In this article and in article 332, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

Provided that the reference in this *Explanation* to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year ⁵[2026] have been published, be construed as a reference to the ⁶[2001] census.]

1. Subs. By the Constitution (Fifty-first Amendment) Act, 1984, s. 2, for sub-clause (b) (w.e.f. 16-6-1986).

2. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

3. Ins. by the Constitution (Thirty-first Amendment) Act, 1973, s. 3 (w.e.f. 17-10-1973).

4. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 47 (w.e.f. 3-1-1977).

5. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 6, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).

6. Subs. by the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003, s. 5, for "1991" (w.e.f. 22-6-2003).

कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

330. लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण — (1) लोक सभा में —

(क) अनुसूचित जातियों के लिए;

¹[(ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए; और]

(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए, स्थान आरक्षित रहेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य ²[या संघ राज्यक्षेत्र] में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य ²[या संघ राज्यक्षेत्र] को आबंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य ²[या संघ राज्यक्षेत्र] की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य ²[या संघ राज्यक्षेत्र] की या उस राज्य ²[या संघ राज्यक्षेत्र] के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य ²[या संघ राज्यक्षेत्र] की कुल जनसंख्या से है।

³[(3) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।]

⁴[स्पष्टीकरण — इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में, “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं:

परन्तु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् ⁵[2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ⁶[2001] की जनगणना के प्रति निर्देश है।]

-
1. संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 2 द्वारा (16-6-1986 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित।
 3. संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा (17-10-1973 से) अंतःस्थापित।
 4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 47 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित।
 5. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 6 द्वारा (21-2-2002 से) “2000” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 6. संविधान (सत्तासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा (22-6-2003 से) “1991” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)

¹[330A. Reservation of seats for women in the House of the People.-

(1) Seats shall be reserved for women in the House of the People.

(2) As nearly as may be, one-third of the total number of seats reserved under clause (2) of article 330 shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(3) As nearly as may be, one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election to the House of the People shall be reserved for women.]

331. Representation of the Anglo-Indian Community in the House of the People.—Notwithstanding anything in article 81, the President may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the House of the People, nominate not more than two members of that community to the House of the People.

332. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States.—(1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, ²[except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam], in the Legislative Assembly of every State ^{3****}.

(2) Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam.

(3) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State.

⁴[(3A) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the taking effect, under article 170, of the re-adjustment, on the basis of the first census after the year ⁵[2026], of the number of seats in the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any such State shall be,—

1. Ins. by the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, s.3 (date yet to be notified).

2. Subs. by the Constitution (Fifty-first Amendment) Act, 1984, s. 3, for certain words (w.e.f. 16-6-1986).

3. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

4. Ins. by the Constitution (Fifty-seventh Amendment) Act, 1987, s. 2 (w.e.f. 21-9-1987).

5. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 7, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

¹[330क. लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण — (1) लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

(2) अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

(3) लोक सभा में प्रत्यक्षनिर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।]

331. लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व — अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा ।

332. राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण — (1) ^{2****} प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए और ³[असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर] अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे ।

(2) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे ।

(3) खंड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।

⁴[(3क) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् ⁵[2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान ऐसे किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, वे —

1. संविधान (एक सौ छठावां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 3 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंत स्थापित।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
3. संविधान (इक्यावनवें संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 3 द्वारा (16-6-1986 से) कुछ शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 2 द्वारा (21-9-1987 से) अंतःस्थापित ।
5. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 7 द्वारा (21-2-2002 से) "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)

(a) if all the seats in the Legislative Assembly of such State in existence on the date of coming into force of the Constitution (Fifty-seventh Amendment) Act, 1987 (hereafter in this clause referred to as the existing Assembly) are held by members of the Scheduled Tribes, all the seats except one;

(b) in any other case, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number (as on the said date) of members belonging to the Scheduled Tribes in the existing Assembly bears to the total number of seats in the existing Assembly.]

¹[(3B) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the re-adjustment, under article 170, takes effect on the basis of the first census after the year ²[2026], of the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Tripura, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly shall be, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number, as on the date of coming into force of the Constitution (Seventy-second Amendment) Act, 1992, of members belonging to the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly in existence on the said date bears to the total number of seats in that Assembly.]

(4) The number of seats reserved for an autonomous district in the Legislative Assembly of the State of Assam shall bear to the total number of seats in that Assembly a proportion not less than the population of the district bears to the total population of the State.

(5) The constituencies for the seats reserved for any autonomous district of Assam shall not comprise any area outside that district ^{3***}.

(6) No person who is not a member of a Scheduled Tribe of any autonomous district of the State of Assam shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the State from any constituency of that district ^{3***}:

⁴[Provided that for elections to the Legislative Assembly of the State of

1. Ins. by the Constitution (Seventy-second Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 5-12-1992).

2. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 7, for "2000" (w.e.f. 21-2-2002).

3. Certain words omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (w.e.f. 21-1-1972).

4. Ins. by the Constitution (Ninetieth Amendment) Act, 2003, s. 2 (w.e.f. 28-9-2003).

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

(क) यदि संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसे राज्य की विद्यमान विधान सभा में (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् विद्यमान विधान सभा कहा गया है) सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा धारित हैं तो, एक स्थान को छोड़कर सभी स्थान होंगे; और

(ख) किसी अन्य दशा में, उतने स्थान होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की (उक्त तारीख को यथाविद्यमान) संख्या का अनुपात विद्यमान विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से है।]

¹[(3ख) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् ²[2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान उस विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की, संविधान (बहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवृत्त होने की तारीख को यथाविद्यमान संख्या का अनुपात उक्त तारीख को उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से है।]

(4) असम राज्य की विधान सभा में किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उस जिले की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

(5) ^{3***} असम के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा।

(6) कोई व्यक्ति जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान सभा के लिए ^{3***} उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा:

⁴[परंतु असम राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के लिए, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् क्षेत्र जिला में सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और

1. संविधान (बहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (5-12-1992 से) अंतःस्थापित।

2. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 7 द्वारा (21-2-2002 से) "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 द्वारा (21-1-1972 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।

4. संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (28-9-2003 से) अंतःस्थापित।

(Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)

Assam, the representation of the Scheduled Tribes and non-Scheduled Tribes in the constituencies included in the Bodoland Territorial Areas District, so notified, and existing prior to the constitution of Bodoland Territorial Areas District, shall be maintained.]

¹[**332A. Reservation of seats for women in the Legislative Assemblies of the States.**— (1) Seats shall be reserved for women in the Legislative Assembly of every State.

(2) As nearly as may be, one-third of the total number of seats reserved under clause (3) of article 332 shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(3) As nearly as may be, one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in the Legislative Assembly of every State shall be reserved for women.]

333. Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the States.—Notwithstanding anything in article 170, the Governor ^{2***} of a State may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community needs representation in the Legislative Assembly of the State and is not adequately represented therein, ³[nominate one member of that community to the Assembly].

334. ⁴[Reservation of seats and special representation to cease after certain period].—Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of this Constitution relating to—

(a) the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States; and

(b) the representation of the Anglo-Indian community in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States by nomination,

1.Ins. by the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, s.4 (date yet to be notified).

2. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

3. Subs. by the Constitution (Twenty-third Amendment) Act, 1969, s. 4, for "nominate such number of members of the community to the Assembly as he considers appropriate" (w.e.f. 23-1-1970).

4. Subs. by the Constitution (One hundred and fourth Amendment) Act, 2019, s. 2, for marginal heading (w.e.f. 25-1-2020).

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

गैर-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जो उस प्रकार अधिसूचित किया गया था और बोडोलैंड प्रोदेशिक क्षेत्र जिला के गठन से पूर्व विद्यमान था, बनाए रखा जाएगा ।]

¹[332क. (1)राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण — (1) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(2) अनुच्छेद 332 के खंड (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।]

(3) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में प्रत्यक्षनिर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

333. राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व — अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य के राज्यपाल ^{2***} की यह राय है कि उस राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधान सभा में ³[उस समुदाय का एक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा] ।

334. ⁴[स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना]— इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, —

(क) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी; और

(ख) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी,

1. संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 4 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंत स्थापित ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।

3. संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 4 द्वारा (23-1-1970 से) "उस विधान सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह समुचित समझे नामनिर्देशित कर सकेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4. संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 2 द्वारा (25-1-2020 से) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)

shall cease to have effect on the expiration of a period of ¹[eighty years in respect of clause (a) and seventy years in respect of clause (b)] from the commencement of this Constitution:

Provided that nothing in this article shall affect any representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may be.

²[334A. **Reservation of seats for women take effect.** — (1) Notwithstanding anything in the foregoing provision of this Part or Part VIII, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after commencement of the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 have been published and shall cease to have effect on the expiration of a period of fifteen years from such commencement.

(2) Subject to the provisions of articles 239AA, 330A and 332A, seats reserved for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall continue till such date as the Parliament may by law determine.

(3) Rotation of seats reserved for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall take effect after each subsequent exercise of delimitation as the Parliament may by law determine.

(4) Nothing in this article shall affect any representation in the House of the People, the Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi until the dissolution of the then existing House of the People, Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.]

335. Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts.—The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State:

1. Subs. by the Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019, s. 2, for “seventy years” (w.e.f. 25-1-2020). The words “seventy years” subs. for “sixty years” by the Constitution (Ninety-fifth Amendment) Act, 2009, s.2 (w.e.f. 25-1-2010). The words “sixty years” subs. for “fifty years” by the Constitution (Seventy-ninth Amendment) Act, 1999, s. 2 (w.e.f. 25-1-2000). The words “fifty years” subs. for “forty years” by the Constitution (Sixty-second Amendment) Act, 1989, s. 2 (w.e.f. 20-12-1989). The words “forty years” subs. for “thirty years” by the Constitution (Forty-fifth Amendment) Act, 1980, s. 2 (w.e.f. 25-1-1980).

2. Ins. by the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, s.5 (date yet to be notified).

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से¹[खंड (क) के संबंध में अस्सी वर्ष और खंड (ख) के संबंध में सत्तर वर्ष] की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे:

परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक सभा में या किसी राज्य की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक, यथास्थिति, उस समय विद्यमान लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।

²**334क. महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना** — (1) इस भाग या भाग 8 के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात पहली जनगणना के उपबंध, संविधान के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात प्रभावी होंगे तथा इसके ऐसे प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे।

(2) अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क और अनुच्छेद 332क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का, उस तारीख तक, जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करें, आरक्षित रहना जारी रहेगा।

(3) लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम, प्रत्येक पश्चात्पूर्वी परिसीमन कार्य के पश्चात उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद विधि द्वारा अवधारित करें।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक की उस समय विद्यमान लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।

335. सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे — संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा:

1. संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 2 द्वारा (25-1-2020 से) "सत्तर वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान (पचानववां संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा 2 द्वारा (25-1-2010 से) "साठ वर्ष" के स्थान पर "सत्तर वर्ष" प्रतिस्थापित। संविधान (उनासीवां संशोधन) अधिनियम, 2004 की धारा 2 द्वारा (25-1-2000 से) "पचास वर्ष" के स्थान पर "साठ वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित। संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 2 द्वारा (20-12-1989 से) "चालीस वर्ष" के स्थान पर "पाचस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित। संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 द्वारा (25-1-1980) "तीस वर्ष" मूल शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे।
2. संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 5 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंत स्थापित।

(Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)

¹[Provided that nothing in this article shall prevent in making of any provision in favour of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation, for reservation in matters or promotion to any class or classes of services or posts in connection with the affairs of the Union or of a State.]

336. Special provision for Anglo-Indian community in certain services.—(1) During the first two years after the commencement of this Constitution, appointments of members of the Anglo-Indian community to posts in the railway, customs, postal and telegraph services of the Union shall be made on the same basis as immediately before the fifteenth day of August, 1947.

During every succeeding period of two years, the number of posts reserved for the members of the said community in the said services shall, as nearly as possible, be less by ten per cent. than the numbers so reserved during the immediately preceding period of two years:

Provided that at the end of ten years from the commencement of this Constitution all such reservations shall cease.

(2) Nothing in clause (1) shall bar the appointment of members of the Anglo-Indian community to posts other than, or in addition to, those reserved for the community under that clause if such members are found qualified for appointment on merit as compared with the members of other communities.

337. Special provision with respect to educational grants for the benefit of Anglo-Indian community.—During the first three financial years after the commencement of this Constitution, the same grants, if any, shall be made by the Union and by each State ^{2***} for the benefit of the Anglo-Indian community in respect of education as were made in the financial year ending on the thirty-first day of March, 1948.

During every succeeding period of three years the grants may be less by ten per cent. than those for the immediately preceding period of three years:

Provided that at the end of ten years from the commencement of this Constitution such grants, to the extent to which they are a special concession to the Anglo-Indian community, shall cease:

Provided further that no educational institution shall be entitled to receive any grant under this article unless at least forty per cent. of the annual admissions therein are made available to members of communities other than the Anglo-Indian community.

1. Ins. by the Constitution (Eighty-second Amendment) Act, 2000, s. 2 (w.e.f. 8-9-2000).

2. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

¹[परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में, संघ या किसी राज्य के कार्यकाल से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।]

336. कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध — (1) इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्, प्रथम दो वर्ष के दौरान, संघ की रेल, सीमाशुल्क, डाक और तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्तियां उसी आधार पर की जाएंगी जिस आधार पर 15 अगस्त, 1947 से ठीक पहले की जाती थी।

प्रत्येक उत्तरवर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान उक्त समुदाय के सदस्यों के लिए, उक्त सेवाओं में आरक्षित पदों की संख्या ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान इस प्रकार आरक्षित संख्या से यथासंभव निकटतम दस प्रतिशत कम होगी:

परन्तु इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के अंत में ऐसे सभी आरक्षण समाप्त हो जाएंगे।

(2) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्य अन्य समुदायों के सदस्यों की तुलना में गुणागुण के आधार पर नियुक्ति के लिए अर्हित पाए जाएं तो खंड (1) के अधीन उस समुदाय के लिए आरक्षित पदों से भिन्न या उनके अतिरिक्त पदों पर आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति को उस खंड की कोई बात वजित नहीं करेगी।

337. आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध — इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्, प्रथम तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शिक्षा के संबंध में संघ और ^{2***} प्रत्येक राज्य द्वारा वही अनुदान, यदि कोई हो, दिए जाएंगे जो 31 मार्च, 1948 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिए गए थे।

प्रत्येक उत्तरवर्ती तीन वर्ष की अवधि के दौरान अनुदान ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष की अवधि की अपेक्षा दस प्रतिशत कम हो सकेंगे:

परन्तु इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के अंत में ऐसे अनुदान, जिस मात्रा तक वे आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष रियायत है उस मात्रा तक, समाप्त हो जाएंगे:

परन्तु यह और कि कोई शिक्षा संस्था इस अनुच्छेद के अधीन अनुदान प्राप्त करने की तब तक हकदार नहीं होगी जब तक उसके वार्षिक प्रवेशों में कम से कम चालीस प्रतिशत प्रवेश आंग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न समुदायों के सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं किए जाते हैं।

1. संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा (8-9-2000 से) अंतःस्थापित।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।

(Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)

338. ¹[**National Commission for Scheduled Castes**].—²³[(1) There shall be a Commission for the Scheduled Castes to be known as the National Commission for the Scheduled Castes.

(2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President may by rule determine.]

(3) The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

(4) The Commission shall have the power to regulate its own procedure.

(5) It shall be the duty of the Commission—

(a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes ^{4***} under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;

(b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Castes ^{4***};

(c) to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes ^{1***} and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;

(d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(e) to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of

1. Subs. by the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003, s. 2, for the marginal heading (w.e.f. 19-2-2004).

2. Subs. by the Constitution (Sixty-fifth Amendment) Act, 1990, s. 2, for cls. (1) and (2) (w.e.f. 12-3-1992).

3. Subs. by the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003, s. 2, for cls. (1) and (2) (w.e.f. 19-2-2004).

4. The words "and Scheduled Tribes" omitted by the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003, s. 2 (w.e.f. 19-2-2004).

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

338. ¹[राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग] — ²[³(1) अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा ।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित करे ।]

(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा ।

(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, —

(क) अनुसूचित जातियों ⁴*** के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;

(ख) अनुसूचित जातियों ⁴*** को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(ग) अनुसूचित जातियों ¹*** के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा

-
1. संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (19-2-2004 से) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 2. संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा (12-3-1992 से) खंड (1) और खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 3. संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (19-2-2004 से) खंड (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 4. संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (19-2-2004 से) "और अनुसूचित जनजातियों" शब्दों का लोप किया गया ।

(Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)

those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes^{1***}; and

(f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the Scheduled Castes^{1***} as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament, by rule specify.

(6) The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

(7) Where any such report, or any part thereof, relates to any matter with which any State Government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the Governor of the State who shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

(8) The Commission shall, while investigating any matter referred to in sub-clause (a) or inquiring into any complaint referred to in sub-clause (b) of clause (5), have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents;

(f) any other matter which the President may, by rule, determine.

(9) The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting Scheduled Castes^{1***}.

²[(10)] In this article, references to the Scheduled Castes^{1***} shall be construed as including references^{3***} to the Anglo-Indian community.

⁴[338A. **National Commission for Scheduled Tribes.**—(1) There shall be a Commission for the Scheduled Tribes to be known as the National Commission for the Scheduled Tribes.

-
1. The words "and Scheduled Tribes" omitted by the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003, s. 2 (w.e.f. 19-2-2004).
 2. Cl. (3) renumbered as cl. (10) by the Constitution (Sixty-fifth Amendment) Act, 1990, s. 2 (w.e.f. 12-3-1992).
 3. The words, brackets and figures "to such other backward classes as the President may, on receipt of the report of a Commission appointed under cl. (1) of article 340, by order specify and also" omitted by the Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018, s. 2 (w.e.f. 15-8-2018).
 4. Art 338A ins. by the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003, s. 3 (w.e.f. 19-2-2004).

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

अनुसूचित जातियों^{1***} के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे; और

(च) अनुसूचित जातियों^{1***} के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(7) जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन, या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(8) आयोग को खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात:—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित करे।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों^{1***} को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोगों से परामर्श करेगी।]

²[(10)] इस अनुच्छेद में, अनुसूचित जातियों^{1***} के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत ³*** आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है।

⁴[338क. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग — (1) अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना होगा।

1. संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (19-2-2004 से) "और अनुसूचित जनजातियों" शब्दों का लोप किया गया।

2. संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा (12-3-1992 से) खंड (3) को खंड (10) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

3. संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 2 द्वारा (15-8-2018 से) "ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और आंग्ल-भारतीय समुदाय प्रति निर्देश भी है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा अनुच्छेद 338क (19-2-2004 से) अंतःस्थापित।

(Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)

(2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President may by rule determine.

(3) The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

(4) The Commission shall have the power to regulate its own procedure.

(5) It shall be the duty of the Commission—

(a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Tribes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;

(b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Tribes;

(c) to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Tribes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;

(d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(e) to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Tribes; and

(f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the Scheduled Tribes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament, by rule specify.

(6) The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendations.

(7) Where any such report, or any part thereof, relates to any matter with which any State Government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the Governor of the State who shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।

(3) राष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।

(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह,—

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;

(ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे;

(ङ) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में, जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे; और

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(7) जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)

(8) The Commission shall, while investigating any matter referred to in sub-clause (a) or inquiring into any complaint referred to in sub-clause (b) of clause (5), have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
- (e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents;
- (f) any other matter which the President may, by rule, determine.

(9) The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting Scheduled Tribes.]

¹[**338B. National Commission for Backward Classes.**—(1) There shall be a Commission for the socially and educationally backward classes to be known as the National Commission for Backward Classes.

(2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President may by rule determine.

(3) The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

(4) The Commission shall have the power to regulate its own procedure.

(5) It shall be the duty of the Commission—

(a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the socially and educationally backward classes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;

(b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the socially and educationally backward classes;

(c) to participate and advise on the socio-economic development of the socially and educationally backward classes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;

1. Art 338B ins. by the Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018, s. 3 (w.e.f. 15-8-2018).

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी, जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्:—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।]

1338ख. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग — (1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।

(3) राष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।

(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह,—

(क) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;

(Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)

(d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(e) to make in such reports the recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the socially and educationally backward classes; and

(f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the socially and educationally backward classes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament, by rule specify.

(6) The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendations.

(7) Where any such report, or any part thereof, relates to any matter with which any State Government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the State Government which shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

(8) The Commission shall, while investigating any matter referred to in sub-clause (a) or inquiring into any complaint referred to in sub-clause (b) of clause (5), have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents;

(f) any other matter which the President may by rule, determine.

(9) The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting the socially and educationally backward classes:]

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे;

(ङ) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में, जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) राष्ट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(7) जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है, जिसका राज्य सरकार से संबंध है, तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जो उसे राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी, जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्:—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी:]

(Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)

¹[Provided that nothing in this clause shall apply for the purposes of clause (3) of article 342A.]

339. Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes.—(1) The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States ^{2***}.

The order may define the composition, powers and procedure of the Commission and may contain such incidental or ancillary provisions as the President may consider necessary or desirable.

(2) The executive power of the Union shall extend to the giving of directions to ³[a State] as to the drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of the Scheduled Tribes in the State.

340. Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes.—(1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any State and the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission.

(2) A Commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper.

(3) The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.

341. Scheduled Castes.—(1) The President ⁴[may with respect to any State ⁵[or Union territory], and where it is a State ^{2***}, after consultation with

1. Ins. by the Constitution (One Hundred and Fifth Amendment) Act, 2021, s. 2 (w.e.f. 15-9-2021).

2. The words and letters for "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

3. Subs. by s. 29 and Sch. *ibid.* for "any such State" (w.e.f. 1-11-1956).

4. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 10, for "may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of a State" (w.e.f. 18-6-1951).

5. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

¹परंतु इस खंड की कोई बात अनुच्छेद 342क के खंड (3) के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होगी ।]

339. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण — (1) राष्ट्रपति ^{2***} राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति, आदेश द्वारा, किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्षों की समाप्ति पर करेगा ।

आदेश में आयोग की संरचना, शक्तियां और प्रक्रिया परिनिश्चित की जा सकेंगी और उसमें ऐसे आनुषंगिक या सहायक उपबंध समाविष्ट हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे ।

(2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ³[किसी राज्य] को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निदेश में आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है ।

340. पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति — (1) राष्ट्रपति, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए, आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी ।

(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशों की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे ।

(3) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले जापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

341. अनुसूचित जातियां — (1) राष्ट्रपति, ⁴[किसी राज्य ⁵या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में और जहां वह ^{2***} राज्य है वहां उसके

1. संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 2 द्वारा (तारीख 15-9-2021 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "किसी ऐसे राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 10 द्वारा (18-6-1951 से) "राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित ।

the Governor ^{1***} thereof], by public notification², specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State ³[or Union territory, as the case may be.]

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

342. Scheduled Tribes.—(1) The President ⁴[may with respect to any State ³[or Union territory], and where it is a State ^{5***}, after consultation with the Governor ^{1***} thereof], by public notification⁶, specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State ³[or Union territory, as the case may be.]

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

-
1. The words "or Rajpramukh" omitted by the constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).
 2. See the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 (C.O. 19), the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951 (C.O. 32), the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 (C.O. 52), the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) (Scheduled Castes) Order, 1962 (C.O. 64), the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964 (C.O. 68), the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 (C.O. 81) and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 (C.O. 110).
 3. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
 4. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 11, for "may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of State" (w.e.f. 18-6-1951).
 5. Certain words Omitted by the constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).
 6. See the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 (C.O. 22), the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951 (C.O. 33), the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) (Scheduled Tribes) Order, 1959 (C.O. 58), the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) (Scheduled Tribes) Order, 1962 (C.O. 65), the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 (C.O. 78), the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 (C.O. 82), the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 (C.O. 88) the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978 (C.O. 111).

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

राज्यपाल ^{1***} से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना ² द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए ³[यथास्थिति,] उस राज्य ³[या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।

(2) संसद् विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्तर्वी अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

342. अनुसूचित जनजातियां — (1) राष्ट्रपति, ⁴[किसी राज्य ³[या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में और जहां वह ^{5***} राज्य है वहां उसके राज्यपाल ^{1***} से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना ⁶ द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, ³[यथास्थिति,] उस राज्य ³[या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।

(2) संसद् विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्तर्वी अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।
2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (सं.आ. 19), संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 (सं.आ. 32), संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 (सं.आ. 52), संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 (सं.आ. 64), संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 (सं.आ. 68), संविधान (गोवा, दमण और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 (सं.आ. 81) और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 (सं.आ. 110) देखिए।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित।
4. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 11 द्वारा (18-6-1951 से) "राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) कतिपय शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।
6. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 (सं.आ. 22), संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 (सं.आ. 33), संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप) (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1959 (सं.आ. 58), संविधान (दादरा और नागर हवेली) (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1962 (सं.आ. 65), संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 (सं.आ. 78), संविधान (गोवा, दमण और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968 (सं.आ. 82), संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 (सं.आ. 88) और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 (सं.आ. 111) देखिए।

(Part XVI.—Special Provisions Relating to Certain Classes)

¹[**342A. Socially and educationally backward classes.**—(1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify ²[the socially and educationally backward classes in the Central List which shall for the purposes of the Central Government] be deemed to be socially and educationally backward classes in relation to that State or Union territory, as the case may be.

(2) Parliament may by law include in or exclude from the Central List of socially and educationally backward classes specified in a notification issued under clause (1) any socially and educationally backward class, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.]

³[*Explanation.*—For the purposes of clauses (1) and (2), the expression “Central List” means the list of socially and educationally backward classes prepared and maintained by and for the Central Government.

(3) Notwithstanding any contained in clauses (1) and (2), every State or Union territory may, by law, prepare and maintain, for its own purposes, a list of socially and educationally backward classes, entries in which may be different from the Central List.]

1. Art 342 A ins. by the Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018, s. 4 (w.e.f. 15-8-2018).

2. Subs. by the Constitution (One Hundred and Fifth Amendment) Act, 2021, s. 3 for socially and educationally backward classes which shall for the purposes of the Constitution (w.e.f. 15-9-2021).

3. Ins. by the Constitution (One Hundred and Fifth Amendment) Act, 2021, s. 3 (w.e.f. 15-9-2021).

(भाग 16—कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध)

¹[342क. सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग — (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, ²[केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के प्रयोजनों के लिए,] यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग समझा जाएगा ।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।]

³[स्पष्टीकरण — खंड (1) और खंड (2) के प्रयोजनों के लिए, “केंद्रीय सूची” अभिव्यक्ति से केन्द्रीय सरकार द्वारा और उसके लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की तैयार की गई और रखी गई सूची अभिप्रेत है ।

(3) खंड (1) और खंड (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, विधि द्वारा, अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकेगा और रख सकेगा, जिसमें प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकेंगी ।]

1. संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 4 द्वारा (15-8-2018 से) अनुच्छेद 342क अंतःस्थापित ।

2. संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 3 द्वारा “सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए” शब्दों के स्थान पर (15-9-2021 से) प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 3 द्वारा (15-9-2021 से) अंतःस्थापित ।

PART XVII

OFFICIAL LANGUAGE

CHAPTER I.—LANGUAGE OF THE UNION

343. Official language of the Union.—(1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.

(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement:

Provided that the President may, during the said period, by order¹ authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

(3) Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of—

(a) the English language; or

(b) the Devanagari form of numerals,

for such purposes as may be specified in the law.

344. Commission and Committee of Parliament on official language.—(1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission.

(2) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to—

(a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;

(b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;

(c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 348;

1. See C.O. 41.

भाग 17
राजभाषा

अध्याय 1 — संघ की भाषा

343. संघ की राजभाषा— (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी ।

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा ।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था:

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश¹ द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा —

(क) अंग्रेजी भाषा का; या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद् की समिति— (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी ।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को—

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग;

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों;

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा;

1. सं.आ. 41 देखिए ।

(d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;

(e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the official language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.

(3) In making their recommendations under clause (2), the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India, and the just claims and the interests of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services.

(4) There shall be constituted a Committee consisting of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the People and ten shall be members of the Council of States to be elected respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) It shall be the duty of the Committee to examine the recommendations of the Commission constituted under clause (1) and to report to the President their opinion thereon.

(6) Notwithstanding anything in article 343, the President may, after consideration of the report referred to in clause (5), issue directions in accordance with the whole or any part of that report.

CHAPTER II.—REGIONAL LANGUAGES

345. Official language or languages of a State.—Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:

Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

346. Official language for communication between one State and another or between a State and the Union.—The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one State and another State and between a State and the Union:

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप;

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय,

के बारे में सिफारिश करे ।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा ।

(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे ।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे ।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा ।

अध्याय 2 — प्रादेशिक भाषाएं

345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं— अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा:

परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था ।

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा— संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी:

Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

347. Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State.—On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

CHAPTER III.—LANGUAGE OF THE SUPREME COURT,
HIGH COURTS, ETC.

348. Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc.—(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides—

- (a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court;
- (b) the authoritative texts—

- (i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State;

- (ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or the Governor^{1***} of a State; and

- (iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State,

shall be in the English language.

(2) Notwithstanding anything in sub-clause (a) of clause (1), the Governor^{1***} of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of the Hindi language, or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the High Court having its principal seat in that State:

1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा ।

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध— यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए ।

अध्याय 3 – उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आदि की भाषा

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा— (1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक—

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी;

(ख) (i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के;

(ii) संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल ^{1***} द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के; और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के,

प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे ।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल ^{1***} राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा:

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।

Provided that nothing in this clause shall apply to any judgment, decree or order passed or made by such High Court.

(3) Notwithstanding anything in sub-clause (b) of clause (1), where the Legislature of a State has prescribed any language other than the English language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislature of the State or in Ordinances promulgated by the Governor ^{1***} of the State or in any order, rule, regulation or bye-law referred to in paragraph (iii) of that sub-clause, a translation of the same in the English language published under the authority of the Governor ^{1***} of the State in the Official Gazette of that State shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article.

349. Special procedure for enactment of certain laws relating to language.—During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

CHAPTER IV.—SPECIAL DIRECTIVES

350. Language to be used in representations for redress of grievances.—Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

²**[350A. Facilities for instruction in mother-tongue at primary stage.**—It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. Arts. 350A and 350B ins. by s.21., *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

परन्तु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों में या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल ^{1***} द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल ^{1***} के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया— इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4 – विशेष निदेश

350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा— प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

²**350क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं—** प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 21 द्वारा (1-11-1956 से) अनुच्छेद 350क और अनुच्छेद 350ख अंतःस्थापित।

350B. Special Officer for linguistic minorities.—(1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.

(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament, and sent to the Governments of the States concerned.]

351. Directive for development of the Hindi language.—It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

350ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी— (1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा ।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा ।]

351. हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश— संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे ।

PART XVIII

EMERGENCY PROVISIONS

352. Proclamation of Emergency.—(1) If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or ¹[armed rebellion], he may, by Proclamation, make a declaration to that effect ²[in respect of the whole of India or of such part of the territory thereof as may be specified in the Proclamation.]

³[*Explanation.*—A Proclamation of Emergency declaring that the security of India or any part of the territory thereof is threatened by war or by external aggression or by armed rebellion may be made before the actual occurrence of war or of any such aggression or rebellion, if the President is satisfied that there is imminent danger thereof.]

⁴[(2) A Proclamation issued under clause (1) may be varied or revoked by a subsequent Proclamation.

(3) The President shall not issue a Proclamation under clause (1) or a Proclamation varying such Proclamation unless the decision of the Union Cabinet (that is to say, the Council consisting of the Prime Minister and other Ministers of Cabinet rank appointed under article 75) that such a Proclamation may be issued has been communicated to him in writing.

(4) Every Proclamation issued under this article shall be laid before each House of Parliament and shall, except where it is a Proclamation revoking a previous Proclamation, cease to operate at the expiration of one month unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament:

1. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 37, for "internal disturbance" (w.e.f. 20-6-1979).

2. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 48 (w.e.f. 3-1-1977).

3. Ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 37 (w.e.f. 20-6-1979).

4. Subs. by s. 37, *ibid.*, for cls. (2), (2A) and (3) (w.e.f. 20-6-1979).

भाग 18

आपात उपबंध

352. आपात की उद्घोषणा— (1) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या ¹[सशस्त्र विद्रोह] के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा ²[संपूर्ण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए] इस आशय की घोषणा कर सकेगा ।

³**[स्पष्टीकरण—** यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है तो वह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकेगी ।]

⁴[(2) खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा में किसी पश्चात्पूर्ति उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा या उसको वापस लिया जा सकेगा ।

(3) राष्ट्रपति, खंड (1) के अधीन उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल का (अर्थात् उस परिषद् का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है) यह विनिश्चय कि ऐसी उद्घोषणा की जाए, उसे लिखित रूप में संसूचित नहीं किया जाता है ।

(4) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह एक मास की समाप्ति पर, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो, प्रवर्तन में नहीं रहेगी:

-
1. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 37 द्वारा (20-6-1979 से) "आंतरिक अशान्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 48 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।
 3. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 37 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित ।
 4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 37 द्वारा (20-6-1979 से) खंड (2), खंड (2क) और खंड (3) के स्थान पर खंड (2) से खंड (8) तक प्रतिस्थापित किए गए ।

Provided that if any such Proclamation (not being a Proclamation revoking a previous Proclamation) is issued at a time when the House of the People has been dissolved, or the dissolution of the House of the People takes place during the period of one month referred to in this clause, and if a resolution approving the Proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to such Proclamation has been passed by the House of the People before the expiration of that period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution, unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the Proclamation has been also passed by the House of the People.

(5) A Proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a period of six months from the date of the passing of the second of the resolutions approving the Proclamation under clause (4):

Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a Proclamation is passed by both Houses of Parliament the Proclamation shall, unless revoked, continue in force for a further period of six months from the date on which it would otherwise have ceased to operate under this clause:

Provided further that if the dissolution of the House of the People takes place during any such period of six months and a resolution approving the continuance in force of such Proclamation has been passed by the Council of States but no resolution with respect to the continuance in force of such Proclamation has been passed by the House of the People during the said period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days, a resolution approving the continuance in force of the Proclamation has been also passed by the House of the People.

(6) For the purposes of clauses (4) and (5), a resolution may be passed by either House of Parliament only by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the Members of that House present and voting.

(7) Notwithstanding anything contained in the foregoing clauses, the President shall revoke a Proclamation issued under clause (1) or a Proclamation varying such Proclamation if the House of the People passes a resolution disapproving, or, as the case may be, disapproving the continuance in force of, such Proclamation.

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है) उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट एक मास की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।

(5) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, खंड (4) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी:

परन्तु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार वह उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, छह मास की और अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी:

परन्तु यह और कि यदि लोक सभा का विघटन छह मास की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।

(6) खंड (4) और खंड (5) के प्रयोजनों के लिए, संकल्प संसद् के किसी सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकेगा।

(7) पूर्वगामी खंडों में किसी बात के होते हुए भी, यदि लोक सभा खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का, यथास्थिति, अननुमोदन या उसे प्रवृत्त बनाए रखने का अननुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस ले लेगा।

(8) Where a notice in writing signed by not less than one-tenth of the total number of members of the House of the People has been given, of their intention to move a resolution for disapproving, or, as the case may be, for disapproving the continuance in force of, a Proclamation issued under clause (1) or a Proclamation varying such Proclamation,—

(a) to the Speaker, if the House is in session; or

(b) to the President, if the House is not in session,

a special sitting of the House shall be held within fourteen days from the date on which such notice is received by the Speaker, or, as the case may be, by the President, for the purpose of considering such resolution.]

¹[(9) The power conferred on the President by this article shall include the power to issue different Proclamations on different grounds, being war or external aggression or ²[armed rebellion] or imminent danger of war or external aggression or ²[armed rebellion], whether or not there is a Proclamation already issued by the President under clause (1) and such Proclamation is in operation.

1 * * * * *

353. Effect of Proclamation of Emergency.—While a Proclamation of Emergency is in operation, then—

(a) notwithstanding anything in this Constitution, the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to any State as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised;

(b) the power of Parliament to make laws with respect to any matter shall include power to make laws conferring powers and imposing duties, or authorising the conferring of powers and the imposition of duties, upon the Union or officers and authorities of the Union as respects that matter, notwithstanding that it is one which is not enumerated in the Union List:

1. Cls. (4) and (5) ins. by the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975, s. 5 (with retrospective effect) and subsequently cl. (4) renumbered as cl. (9) and cl. (5) omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 37 (w.e.f. 20-6-1979).

2. Subs. by s. 37, *ibid.* for "internal disturbance" (w.e.f. 20-6-1979).

(भाग 18—आपात उपबंध)

(8) जहां खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का, यथास्थिति, अनुमोदन या उसको प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दसवें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में,—

(क) यदि लोक सभा सत्र में है तो अध्यक्ष को; या

(ख) यदि लोक सभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को,

दी गई है वहां ऐसे संकल्प पर विचार करने के प्रयोजन के लिए लोक सभा की विशेष बैठक, यथास्थिति, अध्यक्ष या राष्ट्रपति को ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर की जाएगी ।]

¹[(9)] इस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत, युद्ध या बाह्य आक्रमण या ²[सशस्त्र विद्रोह] के अथवा युद्ध या बाह्य आक्रमण या ²[सशस्त्र विद्रोह] का संकट सन्निकट होने के विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी चाहे राष्ट्रपति ने खंड (1) के अधीन पहले ही कोई उद्घोषणा की है या नहीं और ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में है या नहीं ।

¹[* * * *]

353. आपात की उद्घोषणा का प्रभाव— जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब—

(क) संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे;

(ख) किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की संसद् की शक्ति के अंतर्गत इस बात के होते हुए भी कि वह संघ सूची में प्रगणित विषय नहीं है, ऐसी विधियां बनाने की शक्ति होगी जो उस विषय के संबंध में संघ को या संघ के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करती हैं और उन पर कर्तव्य अधिरोपित करती हैं या शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करती हैं:

-
1. संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) खंड (4) और खंड (5) अन्तःस्थापित और तत्पश्चात् खंड (4) और खंड (5), खंड (9) के रूप में पुनःसंख्यांकित और संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 37 द्वारा (20-6-1979 से) खंड (5) का लोप किया गया ।
 2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 37 द्वारा (20-6-1979 से) "आंतरिक अशान्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[Provided that where a Proclamation of Emergency is in operation only in any part of the territory of India,—

(i) the executive power of the Union to give directions under clause (a), and

(ii) the power of Parliament to make laws under clause (b),

shall also extend to any State other than a State in which or in any part of which the Proclamation of Emergency is in operation if and in so far as the security of India or any part of the territory thereof is threatened by activities in or in relation to the part of the territory of India in which the Proclamation of Emergency is in operation.]

354. Application of provisions relating to distribution of revenues while a Proclamation of Emergency is in operation.—(1) The President may, while a Proclamation of Emergency is in operation, by order direct that all or any of the provisions of articles 268 to 279 shall for such period, not extending in any case beyond the expiration of the financial year in which such Proclamation ceases to operate, as may be specified in the order, have effect subject to such exceptions or modifications as he thinks fit.

(2) Every order made under clause (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

355. Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance.—It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution.

356. Provisions in case of failure of constitutional machinery in States.—(1) If the President, on receipt of a report from the Governor^{2***} of a State or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the Government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution, the President may by Proclamation—

1. Added by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 49 (w.e.f. 3-1-1977).

2. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

¹[परन्तु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्यक्षेत्र के केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है वहां यदि और जहां तक भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा, भारत के राज्यक्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है तो और वहां तक,—

(i) खंड (क) के अधीन निदेश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का;
और

(ii) खंड (ख) के अधीन विधि बनाने की संसद् की शक्ति का,

विस्तार किसी ऐसे राज्य पर भी होगा जो उस राज्य से भिन्न है जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है ।]

354. जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना— (1) जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 के सभी या कोई उपबंध ऐसी किसी अवधि के लिए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए और जो किसी भी दशा में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेगी, जिसमें ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती है, ऐसे अपवादों या उपान्तरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो वह ठीक समझे ।

(2) खंड (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

355. बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य— संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे ।

356. राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध— (1) यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल ^{2***} से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा—

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 49 द्वारा (3-1-1977 से) जोड़ा गया ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।

(a) assume to himself all or any of the functions of the Government of the State and all or any of the powers vested in or exercisable by the Governor^{1***} or any body or authority in the State other than the Legislature of the State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament;

(c) make such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provisions of this Constitution relating to any body or authority in the State:

Provided that nothing in this clause shall authorise the President to assume to himself any of the powers vested in or exercisable by a High Court, or to suspend in whole or in part the operation of any provision of this Constitution relating to High Courts.

(2) Any such Proclamation may be revoked or varied by a subsequent Proclamation.

(3) Every Proclamation under this article shall be laid before each House of Parliament and shall, except where it is a Proclamation revoking a previous Proclamation, cease to operate at the expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament:

Provided that if any such Proclamation (not being a Proclamation revoking a previous Proclamation) is issued at a time when the House of the People is dissolved or the dissolution of the House of the People takes place during the period of two months referred to in this clause, and if a resolution approving the Proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to such Proclamation has been passed by the House of the People before the expiration of that period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the Proclamation has been also passed by the House of the People.

1. The words "or Rajpramukh, as the case may be" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 18—आपात उपबंध)

(क) उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और ¹[राज्यपाल] में या राज्य के विधान-मंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा;

(ख) यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी;

(ग) राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित करने के लिए उपबंधों सहित ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों:

परन्तु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी ।

(2) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चात्पूर्वी उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा ।

(3) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है:

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है) उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख" शब्दों के स्थान पर उपयुक्त रूप में रखा गया ।

(4) A Proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a period of ¹[six months from the date of issue of the Proclamation]:

Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a Proclamation is passed by both Houses of Parliament, the Proclamation shall, unless revoked, continue in force for a further period of ²[six months] from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to operate, but no such Proclamation shall in any case remain in force for more than three years:

Provided further that if the dissolution of the House of the People takes place during any such period of ²[six months] and a resolution approving the continuance in force of such Proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to the continuance in force of such Proclamation has been passed by the House of the People during the said period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the continuance in force of the Proclamation has been also passed by the House of the People:

³[Provided also that in the case of the Proclamation issued under clause (1) on the 11th day of May, 1987 with respect to the State of Punjab, the reference in the first proviso to this clause to "three years" shall be construed as a reference to ⁴[five years].]

-
1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 50, for "six months" (w.e.f. 3-1-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 38, for "one year from the date of the passing of the second of the resolutions approving the Proclamation under clause (3)" (w.e.f. 20-6-1979).
 2. Subs. by s. 50, *ibid.*, for "six months" (w.e.f. 3-1-1977) and further subs. by s. 38, *ibid.*, for "one year", respectively (w.e.f. 20-6-1979).
 3. Ins. by the Constitution (Sixty-fourth Amendment) Act, 1990, s. 2 (w.e.f. 16-4-1990).
 4. Subs. by the Constitution (Sixty-seventh Amendment) Act, 1990, s. 2 (w.e.f. 4-10-1990) and further subs. by the Constitution (Sixty-eighth Amendment) Act, 1991, s. 2 (w.e.f. 12-3-1991).

(4) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, ¹[ऐसी उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से छह मास] की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी:

परन्तु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार वह उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, ²[छह मास] की अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, किन्तु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी:

परन्तु यह और कि यदि लोक सभा का विघटन ²[छह मास] की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है:

³[परन्तु यह भी कि पंजाब राज्य की बाबत 11 मई, 1987 को खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा की दशा में, इस खंड के पहले परन्तुक में “तीन वर्ष” के प्रति निर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो वह ⁴[पांच वर्ष] के प्रति निर्देश हो।]

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 50 द्वारा (3-1-1977 से) "छह मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 38 द्वारा (20-6-1979 से) "खंड (3) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे के पारित हो जाने की तारीख से एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 50 द्वारा (3-1-1977 से) "छह मास" के स्थान पर "एक वर्ष" प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् द्वारा संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 38 क्रमशः (20-6-1979 से) प्रतिस्थापित।
3. संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा (16-4-1990 से) अंतःस्थापित।
4. संविधान (सड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा (4-10-1990 से) प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (अड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 2 द्वारा (12-3-1991 से) प्रतिस्थापित।

¹[(5) Notwithstanding anything contained in clause (4), a resolution with respect to the continuance in force of a Proclamation approved under clause (3) for any period beyond the expiration of one year from the date of issue of such Proclamation shall not be passed by either House of Parliament unless—

(a) a Proclamation of Emergency is in operation, in the whole of India or, as the case may be, in the whole or any part of the State, at the time of the passing of such resolution, and

(b) the Election Commission certifies that the continuance in force of the Proclamation approved under clause (3) during the period specified in such resolution is necessary on account of difficulties in holding general elections to the Legislative Assembly of the State concerned;]

²[Provided that nothing in this clause shall apply to the Proclamation issued under clause (1) on the 11th day of May, 1987 with respect to the State of Punjab.]

357. Exercise of legislative powers under Proclamation issued under article 356.—(1) Where by a Proclamation issued under clause (1) of article 356, it has been declared that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament, it shall be competent—

(a) for Parliament to confer on the President the power of the Legislature of the State to make laws, and to authorise the President to delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the power so conferred to any other authority to be specified by him in that behalf;

(b) for Parliament, or for the President or other authority in whom such power to make laws is vested under sub-clause (a), to make laws conferring powers and imposing duties, or authorising the conferring of powers and the imposition of duties, upon the Union or officers and authorities thereof;

(c) for the President to authorise when the House of the People is not in session expenditure from the Consolidated Fund of the State pending the sanction of such expenditure by Parliament.

1. Ins. by the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975, s. 6 (with retrospective effect) and subsequently subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 38, for cl. (5) (w.e.f. 20-6-1979).

2. Proviso omitted by the Constitution (Sixty-third Amendment) Act, 1989, s. 2 (w.e.f. 6-1-1990) and subsequently ins. by the Constitution (Sixty-fourth Amendment) Act, 1990, s. 2 (w.e.f. 16-4-1990).

¹[(5) खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी, खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद् के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब—

(क) ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात की उद्घोषणा, यथास्थिति, संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में है; और

(ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना, संबंधित राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण, आवश्यक है:]

²[परन्तु इस खंड की कोई बात पंजाब राज्य की बाबत 11 मई, 1987 को खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा को लागू नहीं होगी।]

357. अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग— (1) जहाँ अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी वहाँ—

(क) राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने की और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें राष्ट्रपति अधिरोपित करना ठीक समझे, प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद् को;

(ख) संघ या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करने के लिए अथवा शक्तियों का प्रदान किया जाना या कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करने के लिए, विधि बनाने की संसद् को अथवा राष्ट्रपति को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसमें ऐसी विधि बनाने की शक्ति उपखंड (क) के अधीन निहित है;

(ग) जब लोक सभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए, संसद् की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को,

क्षमता होगी।

1. संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 6 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 38 (20-6-1979 से) खंड (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 2 द्वारा (6-1-1990 से) परन्तुक्त का लोप किया गया और तत्पश्चात् संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा (16-4-1990 से) अंतःस्थापित किया गया था।

¹[(2) Any law made in exercise of the power of the Legislature of the State by Parliament or the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) which Parliament or the President or such other authority would not, but for the issue of a Proclamation under article 356, have been competent to make shall, after the Proclamation has ceased to operate, continue in force until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other authority.]

358. Suspension of provisions of article 19 during emergencies.—

²[(1)] ³[While a Proclamation of Emergency declaring that the security of India or any part of the territory thereof is threatened by war or by external aggression is in operation], nothing in article 19 shall restrict the power of the State as defined in Part III to make any law or to take any executive action which the State would but for the provisions contained in that Part be competent to make or to take, but any law so made shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect as soon as the Proclamation ceases to operate, except as respects things done or omitted to be done before the law so ceases to have effect:

⁴[Provided that ⁵[where such Proclamation of Emergency] is in operation only in any part of the territory of India, any such law may be made, or any such executive action may be taken, under this article in relation to or in any State or Union territory in which or in any part of which the Proclamation of Emergency is not in operation, if and in so far as the security of India or any part of the territory thereof is threatened by activities in or in relation to the part of the territory of India in which the Proclamation of Emergency is in operation.]

⁶[(2) Nothing in clause (1) shall apply—

-
1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 51 (w.e.f. 3-1-1977).
 2. Art. 358 re-numbered as cl. (1) by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 39 (w.e.f. 20-6-1979).
 3. Subs. by s. 39, *ibid.*, for "While a Proclamation of Emergency is in operation" (w.e.f. 20-6-1979).
 4. Added by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 52 (w.e.f. 3-1-1977).
 5. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 39, for "where a Proclamation of Emergency" (w.e.f. 20-6-1979).
 6. Ins. by s. 39, *ibid.* (w.e.f. 20-6-1979).

¹[(2) राज्य के विधान-मंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद् द्वारा, अथवा राष्ट्रपति या खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा, बनाई गई ऐसी विधि, जिसे संसद् अथवा राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है ।]

358. आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन—²[(1)] ³[जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट में होने की घोषणा करने वाली आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है] तब अनुच्छेद 19 की कोई बात भाग 3 में यथा परिभाषित राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्यवाई करने की शक्ति को, जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने या करने के लिए सक्षम होता, निर्बंधित नहीं करेगी, किन्तु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय तुरन्त प्रभावहीन हो जाएगी, जिन्हें विधि के इस प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है:

⁴[परन्तु ⁵[जहां आपात की ऐसी उद्घोषणा] भारत के राज्यक्षेत्र के केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है वहां, यदि और जहां तक भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा, भारत के राज्यक्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है तो और वहां तक, ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में या उसके संबंध में, जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं है, इस अनुच्छेद के अधीन ऐसी कोई विधि बनाई जा सकेगी या ऐसी कोई कार्यपालिका कार्यवाई की जा सकेगी ।]

⁶[(2) खंड (1) की कोई बात,—

-
1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 51 द्वारा (3-1-1977 से) प्रतिस्थापित ।
 2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 39 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 358 को खंड (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 3. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 39 द्वारा (20-6-1979 से) "जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 52 द्वारा (3-1-1977 से) जोड़ा गया ।
 5. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 39 द्वारा (20-6-1979 से) "जहां आपात की उद्घोषणा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 6. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 39 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित ।

(a) to any law which does not contain a recital to the effect that such law is in relation to the Proclamation of Emergency in operation when it is made; or

(b) to any executive action taken otherwise than under a law containing such a recital.]

359. Suspension of the enforcement of the rights conferred by Part III during emergencies.—(1) Where a Proclamation of Emergency is in operation, the President may by order declare that the right to move any court for the enforcement of such of ¹[the rights conferred by Part III (except articles 20 and 21)] as may be mentioned in the order and all proceedings pending in any court for the enforcement of the rights so mentioned shall remain suspended for the period during which the Proclamation is in force or for such shorter period as may be specified in the order.

²[(1A) While an order made under clause (1) mentioning any of ¹[the rights conferred by Part III (except articles 20 and 21)] is in operation, nothing in that Part conferring those rights shall restrict the power of the State as defined in the said Part to make any law or to take any executive action which the State would but for the provisions contained in that Part be competent to make or to take, but any law so made shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect as soon as the order aforesaid ceases to operate, except as respects things done or omitted to be done before the law so ceases to have effect:]

³[Provided that where a Proclamation of Emergency is in operation only in any part of the territory of India, any such law may be made, or any such executive action may be taken, under this article in relation to or in any State or Union territory in which or in any part of which the Proclamation of Emergency is not in operation, if and in so far as the security of India or any part of the territory thereof is threatened by activities in or in relation to the part of the territory of India in which the Proclamation of Emergency is in operation.]

1. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 40, for "the rights conferred by Part III" (w.e.f. 20-6-1979).

2. Ins. by the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975, s. 7 (with retrospective effect).

3. Added by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 53 (w.e.f. 3-1-1977).

(क) किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें इस आशय का उल्लेख अंतर्विष्ट नहीं है कि ऐसी विधि उसके बनाए जाने के समय प्रवृत्त आपात की उद्घोषणा के संबंध में है; या

(ख) किसी ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई को लागू नहीं होगी जो ऐसा उल्लेख अंतर्विष्ट करने वाली विधि के अधीन न करके अन्यथा की गई है ।

359. आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन—

(1) जहां आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहां राष्ट्रपति, आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि ¹[(अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर) भाग 3 द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों] को प्रवर्तित कराने के लिए, जो उस आदेश में उल्लिखित किए जाएं, किसी न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार और इस प्रकार उल्लिखित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में लंबित सभी कार्यवाहियां उस अवधि के लिए जिसके दौरान उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है या उससे लघुतर ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित रहेंगी ।

²[(1क) जब ¹[(अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर) भाग 3 द्वारा प्रदत्त किन्हीं अधिकारों] को उल्लिखित करने वाला खंड (1) के अधीन किया गया आदेश प्रवर्तन में है तब उस भाग में उन अधिकारों को प्रदान करने वाली कोई बात उस भाग में यथापरिभाषित राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई करने की शक्ति को, जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने या करने के लिए सक्षम होता, निर्बाधित नहीं करेगी, किन्तु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि पूर्वोक्त आदेश के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय तुरन्त प्रभावहीन हो जाएगी, जिन्हें विधि के इस प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है:]

³[परन्तु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्यक्षेत्र के केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है वहां, यदि और जहां तक भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा, भारत के राज्यक्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है तो और वहां तक, ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में या उसके संबंध में, जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं है, इस अनुच्छेद के अधीन ऐसी कोई विधि बनाई जा सकेगी या ऐसी कोई कार्यपालिका कार्रवाई की जा सकेगी ।]

1. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 40 द्वारा (20-6-1979 से) "भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 7 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित ।

3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 53 द्वारा (3-1-1977 से) जोड़ा गया ।

¹[(1B) Nothing in clause (1A) shall apply—

(a) to any law which does not contain a recital to the effect that such law is in relation to the Proclamation of Emergency in operation when it is made; or

(b) to any executive action taken otherwise than under a law containing such a recital.]

(2) An order made as aforesaid may extend to the whole or any part of the territory of India:

²[Provided that where a Proclamation of Emergency is in operation only in a part of the territory of India, any such order shall not extend to any other part of the territory of India unless the President, being satisfied that the security of India or any part of the territory thereof is threatened by activities in or in relation to the part of the territory of India in which the Proclamation of Emergency is in operation, considers such extension to be necessary.]

(3) Every order made under clause (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

³**359A.** [*Application of this Part to the State of Punjab.*].—Omitted by the Constitution (Sixty-third Amendment) Act, 1989, s. 3 (w.e.f. 6-1-1990).

360. Provisions as to financial emergency.—(1) If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is threatened, he may by a Proclamation make a declaration to that effect.

⁴[(2) A Proclamation issued under clause (1)—

(a) may be revoked or varied by a subsequent Proclamation;

(b) shall be laid before each House of Parliament;

1. Ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 40 (w.e.f. 20-6-1979).

2. Added by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 53 (w.e.f. 3-1-1977).

3. Ins. by the Constitution (Fifty-ninth Amendment) Act, 1988, s. 3 (w.e.f. 30-3-1988) and ceased to operate on the expiry of a period of two years from the commencement of that Act, i.e. 30th day of March, 1988.

4. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 41, for cl. (2) (w.e.f. 20-6-1979).

¹[(1ख) खंड (1क) की कोई बात—

(क) किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें इस आशय का उल्लेख अंतर्विष्ट नहीं है कि ऐसी विधि उसके बनाए जाने के समय प्रवृत्त आपात की उद्घोषणा के संबंध में है; या

(ख) किसी ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई को लागू नहीं होगी जो ऐसा उल्लेख अंतर्विष्ट करने वाली विधि के अधीन न करके अन्यथा की गई है ।]

(2) पूर्वोक्त रूप में किए गए आदेश का विस्तार भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग पर हो सकेगा:

²[परन्तु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्यक्षेत्र के केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है वहां किसी ऐसे आदेश का विस्तार भारत के राज्यक्षेत्र के किसी अन्य भाग पर तभी होगा जब राष्ट्रपति, यह समाधान हो जाने पर कि भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा, भारत के राज्यक्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है, ऐसा विस्तार आवश्यक समझता है ।]

(3) खंड (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

³[359क. इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना ।]— संविधान (तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 3 द्वारा (6-1-1990 से) लोप किया गया ।

360. वित्तीय आपात के बारे में उपबंध— (1) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा ।

⁴[(2) खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा—

(क) किसी पश्चात्कर्तृ उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी;

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी;

1. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 40 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 53 द्वारा (3-1-1977 से) जोड़ा गया ।

3. संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 3 द्वारा (30-3-1988 से) अंतःस्थापित । यह, उस अधिनियम के प्रारंभ से, अर्थात् 1988 के मार्च के तीसवें दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त नहीं रहेगी ।

4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 41 द्वारा (20-6-1979 से) खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(c) shall cease to operate at the expiration of two months, unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament:

Provided that if any such Proclamation is issued at a time when the House of the People has been dissolved or the dissolution of the House of the People takes place during the period of two months referred to in sub-clause (c), and if a resolution approving the Proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to such Proclamation has been passed by the House of the People before the expiration of that period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the Proclamation has been also passed by the House of the People.]

(3) During the period any such Proclamation as is mentioned in clause (1) is in operation, the executive authority of the Union shall extend to the giving of directions to any State to observe such canons of financial propriety as may be specified in the directions, and to the giving of such other directions as the President may deem necessary and adequate for the purpose.

(4) Notwithstanding anything in this Constitution—

(a) any such direction may include—

(i) a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of a State;

(ii) a provision requiring all Money Bills or other Bills to which the provisions of article 207 apply to be reserved for the consideration of the President after they are passed by the Legislature of the State;

(b) it shall be competent for the President during the period any Proclamation issued under this article is in operation to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Union including the Judges of the Supreme Court and the High Courts.

¹[(5) * * * * *]

1. Ins. by the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975, s. 8 (with retrospective effect) and omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 41 (w.e.f. 20-6-1979).

(ग) दो मास की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है:

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन उपखंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है ।]

(3) उस अवधि के दौरान, जिसमें खंड (1) में उल्लिखित उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए निदेश देने तक, जो निदेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसे अन्य निदेश देने तक होगा जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए देना आवश्यक और पर्याप्त समझे ।

(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसे किसी निदेश के अंतर्गत—

(i) किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाला उपबंध;

(ii) धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों को, जिनको अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के लिए उपबंध,

हो सकेंगे;

(ख) राष्ट्रपति, उस अवधि के दौरान, जिसमें इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निदेश देने के लिए सक्षम होगा ।

¹[(5)* * * * *]

1. संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित और उसका संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 41 द्वारा (20-6-1979 से) लोप किया गया ।

PART XIX

MISCELLANEOUS

361. Protection of President and Governors and Rajpramukhs.—(1)

The President, or the Governor or Rajpramukh of a State, shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties:

Provided that the conduct of the President may be brought under review by any court, tribunal or body appointed or designated by either House of Parliament for the investigation of a charge under article 61:

Provided further that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the Government of India or the Government of a State.

(2) No criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the President, or the Governor ^{1***} of a State, in any court during his term of office.

(3) No process for the arrest or imprisonment of the President, or the Governor ^{1***} of a State, shall issue from any court during his term of office.

(4) No civil proceedings in which relief is claimed against the President, or the Governor ^{1***} of a State, shall be instituted during his term of office in any court in respect of any act done or purporting to be done by him in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office as President, or as Governor ^{1***} of such State, until the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to the President or the Governor ^{1***}, as the case may be, or left at his office stating the nature of the proceedings, the cause of action therefor, the name, description and place of residence of the party by whom such proceedings are to be instituted and the relief which he claims.

1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

भाग 19

प्रकीर्ण

361. राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण— (1) राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा:

परन्तु अनुच्छेद 61 के अधीन आरोप के अन्वेषण के लिए संसद् के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी न्यायालय, अधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध समुचित कार्यवाहियां चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बंधित करती है ।

(2) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल ^{1***} के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी ।

(3) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल ^{1***} की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका निकाली नहीं जाएगी ।

(4) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल ^{1***} के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके पश्चात्, उसके द्वारा अपनी वैयक्तिक हैसियत में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाहियां, जिनमें राष्ट्रपति या ऐसे राज्य के राज्यपाल ^{1***} के विरुद्ध अनुतोष का दावा किया जाता है, उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कार्यवाहियों की प्रकृति, उनके लिए वाद हेतुक, ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, वर्णन, निवास-स्थान और उस अनुतोष का जिसका वह दावा करता है, कथन करने वाली लिखित सूचना, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल ^{1***} को परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो मास का समय समाप्त नहीं हो गया है ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।

¹[**361A. Protection of publication of proceedings of Parliament and State Legislatures.**—(1) No person shall be liable to any proceedings, civil or criminal, in any court in respect of the publication in a newspaper of a substantially true report of any proceedings of either House of Parliament or the Legislative Assembly, or, as the case may be, either House of the Legislature, of a State, unless the publication is proved to have been made with malice:

Provided that nothing in this clause shall apply to the publication of any report of the proceedings of a secret sitting of either House of Parliament or the Legislative Assembly, or, as the case may be, either House of the Legislature, of a State.

(2) Clause (1) shall apply in relation to reports or matters broadcast by means of wireless telegraphy as part of any programme or service provided by means of a broadcasting station as it applies in relation to reports or matters published in a newspaper.

Explanation.—In this article, “newspaper” includes a news agency report containing material for publication in a newspaper.]

²[**361B. Disqualification for appointment on remunerative political post.**—A member of a House belonging to any political party who is disqualified for being a member of the House under paragraph 2 of the Tenth Schedule shall also be disqualified to hold any remunerative political post for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire or till the date on which he contests an election to a House and is declared elected, whichever is earlier.

Explanation.—For the purposes of this article,—

(a) the expression “House” has the meaning assigned to it in clause (a) of paragraph 1 of the Tenth Schedule;

(b) the expression “remunerative political post” means any office—

(i) under the Government of India or the Government of a State where the salary or remuneration for such office is paid out of the public revenue of the Government of India or the Government of the State, as the case may be; or

1. Art. 361A ins. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 42 (w.e.f. 20-6-1979).

2. Art. 361B ins. by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, s. 4 (w.e.f. 1-1-2004).

¹[361क. संसद् और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण— (1) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन या, यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतः सही विवरण के किसी समाचारपत्र में प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की सिविल या दांडिक कार्यवाही का तब तक भागी नहीं होगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि प्रकाशन विद्वेषपूर्वक किया गया है:

परन्तु इस खंड की कोई बात संसद् के किसी सदन या, यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाहियों के विवरण के प्रकाशन को लागू नहीं होगी ।

(2) खंड (1) किसी प्रसारण केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध किसी कार्यक्रम या सेवा के भागरूप बेतार तारयांत्रिकी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों या सामग्री के संबंध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचारपत्र में प्रकाशित रिपोर्टों या सामग्री के संबंध में लागू होता है ।

स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद में, “समाचारपत्र” के अंतर्गत समाचार एजेंसी की ऐसी रिपोर्ट है जिसमें किसी समाचारपत्र में प्रकाशन के लिए सामग्री अंतर्विष्ट है ।]

²[361ख. लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता— किसी राजनीतिक दल का किसी सदन का कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या उस तारीख तक जिसको वह किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है, और निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, कोई लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने के लिए भी निरर्हित होगा ।

स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “सदन” पद का वही अर्थ है जो उसका दसवीं अनुसूची के पैरा 1 के खंड (क) में है;

(ख) “लाभप्रद राजनीतिक पद” अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है,—

(i) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद, जहां ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय, यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य सरकार के लोक राजस्व से किया जाता है; या

1. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 42 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 361क अंतःस्थापित।

2. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 द्वारा (1-1-2004 से) अनुच्छेद 361ख अंतःस्थापित ।

(ii) under a body, whether incorporated or not, which is wholly or partially owned by the Government of India or the Government of State, and the salary or remuneration for such office is paid by such body,

except where such salary or remuneration paid is compensatory in nature.]

362. [*Rights and privileges of Rulers of Indian States.*].—Omitted by the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, s. 2 (w.e.f. 28-12-1971).

363. Bar to interference by courts in disputes arising out of certain treaties, agreements, etc.—(1) Notwithstanding anything in this Constitution but subject to the provisions of article 143, neither the Supreme Court nor any other court shall have jurisdiction in any dispute arising out of any provision of a treaty, agreement, covenant, engagement, *sanad* or other similar instrument which was entered into or executed before the commencement of this Constitution by any Ruler of an Indian State and to which the Government of the Dominion of India or any of its predecessor Governments was a party and which has or has been continued in operation after such commencement, or in any dispute in respect of any right accruing under or any liability or obligation arising out of any of the provisions of this Constitution relating to any such treaty, agreement, covenant, engagement, *sanad* or other similar instrument.

(2) In this article—

(a) “Indian State” means any territory recognised before the commencement of this Constitution by His Majesty or the Government of the Dominion of India as being such a State; and

(b) “Ruler” includes the Prince, Chief or other person recognised before such commencement by His Majesty or the Government of the Dominion of India as the Ruler of any Indian State.

¹[363A. Recognition granted to Rulers of Indian States to cease and privy purses to be abolished.—Notwithstanding anything in this Constitution or in any law for the time being in force—

(a) the Prince, Chief or other person who, at any time before the commencement of the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, was recognised by the President as the Ruler of an Indian State or any person who, at any time before such commencement, was recognised by the President as the successor of such ruler shall, on and from such commencement, cease to be recognised as such Ruler or the successor of such Ruler;

1. Art. 363A ins. by the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, s. 3 (w.e.f. 28-12-1971).

(ii) किसी निकाय के अधीन, चाहे निगमित हो या नहीं, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन है, कोई पद और ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय ऐसे निकाय से किया जाता है,

सिवाय वहाँ के जहाँ संदत्त ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिकरात्मक स्वरूप का है ।]

362. [देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार ।]— संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 द्वारा (28-12-1971 से) लोप किया गया ।

363. कुछ संधियों, करारों, आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन— (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 143 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत के किसी उपबंध से, जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई थी या निष्पादित की गई थी और जिसमें भारत डोमिनियन की सरकार या उसकी पूर्ववर्ती कोई सरकार और जिसमें भारत डोमिनियन की सरकार या उसकी पूर्ववर्ती कोई सरकार एक पक्षकार थी और जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्रवर्तन में है या प्रवर्तन में बनी रही है, उत्पन्न किसी विवाद में या ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन प्रोद्भूत किसी अधिकार या उससे उद्भूत किसी दायित्व या बाध्यता के संबंध में किसी विवाद में अधिकारिता नहीं होगी ।

(2) इस अनुच्छेद में—

(क) “देशी राज्य” से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जिसे हिज मजेस्टी से या भारत डोमिनियन की सरकार से इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त थी; और

(ख) “शासक” के अंतर्गत ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति है जिसे हिज मजेस्टी से या भारत डोमिनियन की सरकार से ऐसे प्रारंभ से पहले किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी ।

¹[363क. देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत— इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी—

(क) ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति, जिसे संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी, या ऐसा व्यक्ति, जिसे ऐसे प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, ऐसे प्रारंभ को और से ऐसे शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं रह जाएगा;

1. संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (28-12-1971 से) अनुच्छेद 363क अंतःस्थापित ।

(b) on and from the commencement of the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, privy purse is abolished and all rights, liabilities and obligations in respect of *privy purse* are extinguished and accordingly the Ruler or, as the case may be, the successor of such Ruler, referred to in clause (a) or any other person shall not be paid any sum as *privy purse*.]

364. Special provisions as to major ports and aerodromes.—(1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may by public notification direct that as from such date as may be specified in the notification—

(a) any law made by Parliament or by the Legislature of a State shall not apply to any major port or aerodrome or shall apply thereto subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification; or

(b) any existing law shall cease to have effect in any major port or aerodrome except as respects things done or omitted to be done before the said date, or shall in its application to such port or aerodrome have effect subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification.

(2) In this article—

(a) “major port” means a port declared to be a major port by or under any law made by Parliament or any existing law and includes all areas for the time being included within the limits of such port;

(b) “aerodrome” means aerodrome as defined for the purposes of the enactments relating to airways, aircraft and air navigation.

365. Effect of failure to comply with, or to give effect to, directions given by the Union.—Where any State has failed to comply with, or to give effect to, any directions given in the exercise of the executive power of the Union under any of the provisions of this Constitution, it shall be lawful for the President to hold that a situation has arisen in which the Government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution.

366. Definitions.—In this Constitution, unless the context otherwise requires, the following expressions have the meanings hereby respectively assigned to them, that is to say—

(1) “agricultural income” means agricultural income as defined for the purposes of the enactments relating to Indian income-tax;

(ख) संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ को और से निजी थैली का अंत किया जाता है और निजी थैली की बाबत सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं निर्वापित की जाती हैं और तदनुसार खंड (क) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी को या अन्य व्यक्ति को किसी राशि का निजी थैली के रूप में संदाय नहीं किया जाएगा ।]

364. महापतनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध— (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसी तारीख से, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए,—

(क) संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी महापतन या विमानक्षेत्र को लागू नहीं होगी अथवा ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं; या

(ख) कोई विद्यमान विधि किसी महापतन या विमानक्षेत्र में उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त तारीख से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है अथवा ऐसे पतन या विमानक्षेत्र को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) इस अनुच्छेद में—

(क) “महापतन” से ऐसा पतन अभिप्रेत है जिसे संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि या किसी विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापतन घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसे सभी क्षेत्र हैं जो उस समय ऐसे पतन की सीमाओं के भीतर हैं;

(ख) “विमानक्षेत्र” से वायु मार्गों, वायुयानों और विमान चालन से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए यथा परिभाषित विमानक्षेत्र अभिप्रेत है ।

365. संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव— जहां इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ।

366. परिभाषाएं— इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित पदों के निम्नलिखित अर्थ हैं, अर्थात्:—

(1) “कृषि-आय” से भारतीय आय-कर से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए यथा परिभाषित कृषि-आय अभिप्रेत है;

(2) “an Anglo-Indian” means a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purposes only;

(3) “article” means an article of this Constitution;

(4) “borrow” includes the raising of money by the grant of annuities, and “loan” shall be construed accordingly;

¹[(4A)* * * *]

(5) “clause” means a clause of the article in which the expression occurs;

(6) “corporation tax” means any tax on income, so far as that tax is payable by companies and is a tax in the case of which the following conditions are fulfilled:—

(a) that it is not chargeable in respect of agricultural income;

(b) that no deduction in respect of the tax paid by companies is, by any enactments which may apply to the tax, authorised to be made from dividends payable by the companies to individuals;

(c) that no provision exists for taking the tax so paid into account in computing for the purposes of Indian income-tax the total income of individuals receiving such dividends, or in computing the Indian income-tax payable by, or refundable to, such individuals;

(7) “corresponding Province”, “corresponding Indian State” or “corresponding State” means in cases of doubt such Province, Indian State or State as may be determined by the President to be the corresponding Province, the corresponding Indian State or the corresponding State, as the case may be, for the particular purpose in question;

1. Cl. (4A) was ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 54 (w.e.f. 1-2-1977) and subsequently omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 11 (w.e.f. 13-4-1978).

(2) “आंग्ल-भारतीय” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका पिता या पितृ-परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या था, किन्तु जो भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवासी है और जो ऐसे राज्यक्षेत्र में ऐसे माता-पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहां साधारणतया निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं;

(3) “अनुच्छेद” से इस संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(4) “उधार लेना” के अंतर्गत वार्षिकियां देकर धन लेना है और “उधार” का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

¹[(4क)* * * *]

(5) “खंड” से उस अनुच्छेद का खंड अभिप्रेत है जिसमें वह पद आता है;

(6) “निगम कर” से कोई आय पर कर अभिप्रेत है, जहां तक वह कर कंपनियों द्वारा संदेय है और ऐसा कर है जिसके संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात्:—

(क) वह कृषि-आय के संबंध में प्रभार्य नहीं है;

(ख) कंपनियों द्वारा संदत्त कर के संबंध में कंपनियों द्वारा व्यष्टियों को संदेय लाभांशों में से किसी कटौती का किया जाना उस कर को लागू अधिनियमितियों द्वारा प्राधिकृत नहीं है;

(ग) ऐसे लाभांश प्राप्त करने वाले व्यष्टियों की कुल आय की भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिए गणना करने में अथवा ऐसे व्यष्टियों द्वारा संदेय या उनको प्रतिदेय भारतीय आय-कर की गणना करने में, इस प्रकार संदत्त कर को हिसाब में लेने के लिए कोई उपबंध विद्यमान नहीं है;

(7) शंका की दशा में, “तत्स्थानी प्रांत”, “तत्स्थानी देशी राज्य” या “तत्स्थानी राज्य” से ऐसा प्रांत, देशी राज्य या राज्य अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति प्रश्नगत किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, तत्स्थानी प्रांत, तत्स्थानी देशी राज्य या तत्स्थानी राज्य अवधारित करे;

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 54 द्वारा (1-2-1977 से) खंड (4क) अन्तःस्थापित किया गया और उसका संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 11 द्वारा (13-4-1978 से) लोप किया गया।

(8) “debt” includes any liability in respect of any obligation to repay capital sums by way of annuities and any liability under any guarantee, and “debt charges” shall be construed accordingly;

(9) “estate duty” means a duty to be assessed on or by reference to the principal value, ascertained in accordance with such rules as may be prescribed by or under laws made by Parliament or the Legislature of a State relating to the duty, of all property passing upon death or deemed, under the provisions of the said laws, so to pass;

(10) “existing law” means any law, Ordinance, order, bye-law, rule or regulation passed or made before the commencement of this Constitution by any Legislature, authority or person having power to make such a law, Ordinance, order, bye-law, rule or regulation;

(11) “Federal Court” means the Federal Court constituted under the Government of India Act, 1935;

(12) “goods” includes all materials, commodities, and articles;

¹[(12A) “goods and services tax” means any tax on supply of goods, or services or both except taxes on the supply of the alcoholic liquor for human consumption];

(13) “guarantee” includes any obligation undertaken before the commencement of this Constitution to make payments in the event of the profits of an undertaking falling short of a specified amount;

(14) “High Court” means any Court which is deemed for the purposes of this Constitution to be a High Court for any State and includes—

(a) any Court in the territory of India constituted or reconstituted under this Constitution as a High Court; and

(b) any other Court in the territory of India which may be declared by Parliament by law to be a High Court for all or any of the purposes of this Constitution;

(15) “Indian State” means any territory which the Government of the Dominion of India recognised as such a State;

1. Ins. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 14(i) (w.e.f. 16-9-2016).

(8) “ऋण” के अंतर्गत वार्षिकियों के रूप में मूलधन के प्रतिसंदाय की किसी बाध्यता के संबंध में कोई दायित्व और किसी प्रत्याभूति के अधीन कोई दायित्व है और “ऋणभार” का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(9) “संपदा शुल्क” से वह शुल्क अभिप्रेत है जो ऐसे नियमों के अनुसार जो संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा ऐसे शुल्क के संबंध में बनाई गई विधियों द्वारा या उनके अधीन विहित किए जाएं, मृत्यु पर संक्रांत होने वाली या उक्त विधियों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संक्रांत हुई समझी गई सभी संपत्ति के मूल मूल्य पर या उसके प्रति निर्देश से, निर्धारित किया जाए;

(10) “विद्यमान विधि” से ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम अभिप्रेत है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाले किसी विधान-मंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है;

(11) “फेडरल न्यायालय” से भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन गठित फेडरल न्यायालय अभिप्रेत है;

(12) “माल” के अंतर्गत सभी सामग्री, वाणिज्य और वस्तुएं हैं;

¹[(12क) “माल और सेवा कर” से मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहोली लिकर के प्रदाय पर कर के सिवाय माल या सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय पर कोई कर अभिप्रेत है;]

(13) “प्रत्याभूति” के अंतर्गत ऐसी बाध्यता है जिसका, किसी उपक्रम के लाभों के किसी विनिर्दिष्ट रकम से कम होने की दशा में, संदाय करने का वचनबंध इस संविधान के प्रारंभ से पहले किया गया है;

(14) “उच्च न्यायालय” से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय समझा जाता है और इसके अंतर्गत—

(क) भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के अधीन उच्च न्यायालय के रूप में गठित या पुनर्गठित कोई न्यायालय है; और

(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में संसद् द्वारा विधि द्वारा इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के रूप में घोषित कोई अन्य न्यायालय है;

(15) “देशी राज्य” से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जिसे भारत डोमिनियन की सरकार से ऐसे राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त थी;

(16) “Part” means a Part of this Constitution;

(17) “pension” means a pension, whether contributory or not, of any kind whatsoever payable to or in respect of any person, and includes retired pay so payable; a gratuity so payable and any sum or sums so payable by way of the return, with or without interest thereon or any other addition thereto, of subscriptions to a provident fund;

(18) “Proclamation of Emergency” means a Proclamation issued under clause (1) of article 352;

(19) “public notification” means a notification in the Gazette of India, or, as the case may be, the Official Gazette of a State;

(20) “railway” does not include—

(a) a tramway wholly within a municipal area; or

(b) any other line of communication wholly situate in one State and declared by Parliament by law not to be a railway;

¹[(21)* * * *]

²[(22) “Ruler” means the Prince, Chief or other person who, at any time before the commencement of the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, was recognised by the President as the Ruler of an Indian State or any person who, at any time before such commencement, was recognised by the President as the successor of such Ruler;]

(23) “Schedule” means a Schedule to this Constitution;

(24) “Scheduled Castes” means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 to be Scheduled Castes for the purposes of this Constitution;

(25) “Scheduled Tribes” means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution;

1. Cl. (21) omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, s. 4 (w.e.f. 28-12-1971).

(16) “भाग” से इस संविधान का भाग अभिप्रेत है;

(17) “पेंशन” से किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में संदेय किसी प्रकार की पेंशन अभिप्रेत है चाहे वह अभिदायी है या नहीं है और इसके अंतर्गत इस प्रकार संदेय सेवानिवृत्ति वेतन, इस प्रकार संदेय उपदान और किसी भविष्य निधि के अभिदानों की, उन पर ब्याज या उनमें अन्य परिवर्धन सहित या उसके बिना, वापसी के रूप में इस प्रकार संदेय कोई राशि या राशियां हैं;

(18) “आपात की उद्घोषणा” से अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा अभिप्रेत है;

(19) “लोक अधिसूचना” से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या किसी राज्य के राजपत्र में अधिसूचना अभिप्रेत है;

(20) “रेल” के अंतर्गत —

(क) किसी नगरपालिक क्षेत्र में पूर्णतया स्थित ट्राम नहीं है; या

(ख) किसी राज्य में पूर्णतया स्थित संचार की ऐसी अन्य लाइन नहीं है जिसकी बाबत संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है कि वह रेल नहीं है;

¹[(21)* * * *]

²[(22) “शासक” से ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से पहले किसी समय, राष्ट्रपति से किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे ऐसे प्रारंभ से पहले किसी समय, राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी;]

(23) “अनुसूची” से इस संविधान की अनुसूची अभिप्रेत है;

(24) “अनुसूचित जातियों” से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियां, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है;

(25) “अनुसूचित जनजातियों” से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है;

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) खंड (21) का लोप किया गया ।

2. संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 द्वारा (28-12-1971 से) प्रतिस्थापित ।

(26) “securities” includes stock;

1* * *

²[(26A) “Services” means anything other than goods;

(26B) “State” with reference to articles 246A, 268, 269, 269A and article 279A includes a Union territory with Legislature];

³[(26C) “socially and educationally backward classes” means such backward classes as are so deemed under article 342A for the purposes of the Central Government or the State or Union territory, as the case may be];

(27) “sub-clause” means a sub-clause of the clause in which the expression occurs;

(28) “taxation” includes the imposition of any tax or impost, whether general or local or special, and “tax” shall be construed accordingly;

(29) “tax on income” includes a tax in the nature of an excess profits tax;

⁴[(29A) “tax on the sale or purchase of goods” includes—

(a) a tax on the transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(b) a tax on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;

(c) a tax on the delivery of goods on hire-purchase or any system of payment by instalments;

(d) a tax on the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;

-
1. Cl. (26A) was ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 54 (w.e.f. 1-2-1977), and subsequently omitted by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 11 (w.e.f. 13-4-1978).
 2. Ins. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 14(ii) (w.e.f. 16-9-2016).
 3. Cl. (26C) was ins. by the Constitution (One Hundred and second Amendment) Act, 2018, s. 5 (w.e.f. 14-8-2018), and subsequently subs. by the Constitution (One Hundred and Fifth Amendment) Act, 2021, s. 4 (w.e.f. 15-9-2021).
 4. Cl. (29A) ins. by the Constitution (Forty-sixth Amendment) Act, 1982, s. 4 (w.e.f. 2-2-1983).

(26) “प्रतिभूतियों” के अंतर्गत स्टाक है;

¹***

²[(26क) “सेवाओं” से माल से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है;

(26ख) “राज्य” के अंतर्गत, अनुच्छेद 246क, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269क और अनुच्छेद 279क के संदर्भ में, विधान-मंडल वाला कोई संघ राज्यक्षेत्र भी आता है;]

³[(26ग) “सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों” से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन ऐसा समझा गया है;]

(27) “उपखंड” से उस खंड का उपखंड अभिप्रेत है जिसमें वह पद आता है;

(28) “कराधान” के अंतर्गत किसी कर या लागू का अधिरोपण है चाहे वह साधारण या स्थानीय या विशेष है और “कर” का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(29) “आय पर कर” के अंतर्गत अतिलाभ-कर की प्रकृति का कर है;

⁴[(29क) “माल के क्रय या विक्रय पर कर” के अंतर्गत —

(क) वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में संपत्ति के ऐसे अंतरण पर है जो किसी संविदा के अनुसरण में न करके अन्यथा किया गया है;

(ख) वह कर है जो माल में संपत्ति के (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) ऐसे अंतरण पर है जो किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्बलित है;

(ग) वह कर है जो अवक्रय या किस्तों में संदाय की पद्धति से माल के परिदान पर है;

(घ) वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार के (चाहे वह विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) अंतरण पर है;

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 54 द्वारा (1-2-1977 से) खंड (26क) अंतःस्थापित किया गया था और उसका संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 11 द्वारा (13-4-1978 से) लोप किया गया था ।

2. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 14(iii) द्वारा (16-9-2016 से) अंतःस्थापित ।

3. संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 5 द्वारा (14-8-2018 से) खंड (26ग) अंतःस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 4 द्वारा (15-9-2021) प्रतिस्थापित ।

4. संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 4 द्वारा (2-2-1983 से) खंड (29क) अंतःस्थापित ।

(e) a tax on the supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(f) a tax on the supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating), where such supply or service, is for cash, deferred payment or other valuable consideration,

and such transfer, delivery or supply of any goods shall be deemed to be a sale of those goods by the person making the transfer, delivery or supply and a purchase of those goods by the person to whom such transfer, delivery or supply is made;]

¹[(30) "Union territory" means any Union territory specified in the First Schedule and includes any other territory comprised within the territory of India but not specified in that Schedule.]

367. Interpretation.—(1) Unless the context otherwise requires, the General Clauses Act, 1897, shall, subject to any adaptations and modifications that may be made therein under article 372, apply for the interpretation of this Constitution as it applies for the interpretation of an Act of the Legislature of the Dominion of India.

(2) Any reference in this Constitution to Acts or laws of, or made by, Parliament, or to Acts or laws of, or made by, the Legislature of a State ^{2***}, shall be construed as including a reference to an Ordinance made by the President or, to an Ordinance made by a Governor ^{3***}, as the case may be.

(3) For the purposes of this Constitution "foreign State" means any State other than India:

Provided that, subject to the provisions of any law made by Parliament, the President may by order⁴ declare any State not to be a foreign State for such purposes as may be specified in the order.

⁵[(4) * * * * *]

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. for cl. (30) (w.e.f. 1-11-1956).

2. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by s. 29 and Sch., *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

3. The words "or Rajpramukh" omitted by s. 29 and Sch., *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

4. See the Constitution (Declaration as to Foreign States) Order, 1950 (C.O. 2).

5. Added by the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019 (C.O. 272) (w.e.f. 5-8-2019), for the text of this C.O., see Appendix II.

(ड) वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल के प्रदाय पर है जो किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति-निकाय द्वारा अपने किसी सदस्य को किया गया है;

(घ) वह कर है, जो ऐसे माल के, जो खादय या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य पदार्थ या कोई पेय है (चाहे वह मादक हो या नहीं) ऐसे प्रदाय पर है, जो किसी सेवा के रूप में या सेवा के भाग के रूप में या किसी भी अन्य रीति से किया गया है और ऐसा प्रदाय या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई है,

और माल के ऐसे अंतरण, परिदान या प्रदाय के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा, जो ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय कर रहा है, उस माल का विक्रय है, और उस व्यक्ति द्वारा, जिसको ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय किया जाता है, उस माल का क्रय है:]

¹[(30) “संघ राज्यक्षेत्र” से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य राज्यक्षेत्र है जो भारत के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट है किंतु उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है।]

367. निर्वचन— (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस संविधान के निर्वचन के लिए साधारण खंड अधिनियम, 1897, ऐसे अनुकूलन और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए जाएं, वैसे ही लागू होगा जैसे वह भारत डोमिनियन के विधान-मंडल के किसी अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

(2) इस संविधान में संसद के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का अथवा ^{2***} किसी राज्य के विधान-मंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अध्यादेश या किसी राज्यपाल ^{3***} द्वारा निर्मित अध्यादेश के प्रति निर्देश है।

(3) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, “विदेशी राज्य” से भारत से भिन्न कोई राज्य अभिप्रेत है:

परंतु संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति आदेश⁴ द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि कोई राज्य उन प्रयोजनों के लिए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विदेशी राज्य नहीं है।

⁵[(4) * * * *]

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) खंड (30) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाग क और भाग ख” (1-11-1956 से) का लोप किया गया।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया।
4. संविधान (विदेशी राज्यों के बारे में घोषणा) आदेश, 1950, (सं. आ. 2) देखिए।
5. संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 (स.आ. 272) (5-8-2019 से) जोड़ा गया इस संविधान आदेश के पाठ के लिए परिशिष्ट 2 देखें।

PART XX

AMENDMENT OF THE CONSTITUTION

368. ¹[Power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefor].— ²[(1) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article.]

³[(2)] An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, ⁴[it shall be presented to the President who shall give his assent to the Bill and thereupon] the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill:

Provided that if such amendment seeks to make any change in—

(a) article 54, article 55, article 73, ⁵[article 162, article 241 or article 279A]; or

(b) Chapter IV of Part V, Chapter V of Part VI, or Chapter I of Part XI; or

(c) any of the Lists in the Seventh Schedule; or

(d) the representation of States in Parliament; or

(e) the provisions of this article,

1. Subs. by the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971, s. 3, for "Procedure for amendment of the Constitution" (w.e.f. 5-11-1971).

2. Ins. by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 5-11-1971).

3. Art. 368 re-numbered as cl. (2) thereof by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 5-11-1971).

4. Subs. by s. 3, *ibid.*, (w.e.f. 5-11-1971).

5. Subs. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 15, for the words and figures "article 162 or article 241" (w.e.f. 16-9-2016).

संविधान का संशोधन

368. ¹[संविधान का संशोधन करने की संसद् की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया]— ²[(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद् अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी ।]

³[(2)] इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद् के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुरःस्थापित करके ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तब ⁴[वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब] संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा:

परंतु यदि ऐसा संशोधन —

(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, ⁵[अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279क] में; या

(ख) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में; या

(ग) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में; या

(घ) संसद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व में; या

(ङ) इस अनुच्छेद के उपबंधों में,

-
1. संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (5-11-1971 से) पार्श्वशीर्ष "संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 2. संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (5-11-1971 से) अंतःस्थापित ।
 3. संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (5-11-1971 से) अनुच्छेद 368 को उसके खंड (2) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 4. संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (5-11-1971 से) प्रतिस्थापित ।
 5. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 15 द्वारा (16-9-2016 से) "अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States ^{1***} by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent.

²[(3) Nothing in article 13 shall apply to any amendment made under this article.]

³[(4) No amendment of this Constitution (including the provisions of Part III) made or purporting to have been made under this article [whether before or after the commencement of section 55 of the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976] shall be called in question in any court on any ground.

(5) For the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this Constitution under this article.]

1. The words and letters "specified in Part A and Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. Ins. by the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971, s. 3 (w.e.f. 5-11-1971).

3. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 55 (w.e.f. 3-1-1977).

This section has been declared invalid by the Supreme Court in *Minerva Mills Ltd. and Others Vs. Union of India and Others* AIR 1980 SC 1789.

(भाग 20—संविधान का संशोधन)

कोई परिवर्तन करने के लिए है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए ^{1***} कम से कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधान-मंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा ।

²[(3) अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी ।]

³[(4) इस संविधान का (जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं) इस अनुच्छेद के अधीन संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद् की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बन्धन नहीं होगा ।]

-
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
 2. संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा (5-11-1971 से) अंतःस्थापित ।
 3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित । उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य **बनाम** भारत संघ और अन्य ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1789 के मामले में इस धारा को अविधिमान्य घोषित किया है ।

PART XXI

¹[TEMPORARY, TRANSITIONAL AND SPECIAL PROVISIONS]

369. Temporary power to Parliament to make laws with respect to certain matters in the State List as if they were matters in the Concurrent List.—Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament shall, during a period of five years from the commencement of this Constitution, have power to make laws with respect to the following matters as if they were enumerated in the Concurrent List, namely:—

(a) trade and commerce within a State in, and the production, supply and distribution of, cotton and woollen textiles, raw cotton (including ginned cotton and unginned cotton or *kapas*), cotton seed, paper (including newsprint), food-stuffs (including edible oilseeds and oil), cattle fodder (including oil-cakes and other concentrates), coal (including coke and derivatives of coal), iron, steel and mica;

(b) offences against laws with respect to any of the matters mentioned in clause (a), jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of those matters, and fees in respect of any of those matters but not including fees taken in any court,

but any law made by Parliament, which Parliament would not but for the provisions of this article have been competent to make, shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of the said period, except as respects things done or omitted to be done before the expiration thereof.

1. Subs. by the Constitution (Thirteenth Amendment) Act, 1962, s. 2, for "TEMPORARY AND TRANSITIONAL PROVISIONS" (w.e.f. 1-12-1963).

¹[अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]

369. राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के दौरान निम्नलिखित विषयों के बारे में विधि बनाने की इस प्रकार शक्ति होगी मानो वे विषय समवर्ती सूची में प्रगणित हों, अर्थात्:-

(क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची कपास (जिसके अंतर्गत ओटी हुई रुई और बिना ओटी रुई या कपास है), बिनौले, कागज (जिसके अंतर्गत अखबारी कागज है), खाद्य पदार्थ (जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं), पशुओं के चारे (जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं), कोयले (जिसके अंतर्गत कोक और कोयले के व्युत्पाद हैं), लोहे, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण;

(ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध, उन विषयों में से किसी के संबंध में उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां, तथा उन विषयों में से किसी के संबंध में फीस किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है,

किंतु संसद् द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे संसद् इस अनुच्छेद के उपबंधों के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, उक्त अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उस अवधि की समाप्ति के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

1. संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 2 द्वारा (1-12-1963 से) "अस्थायी तथा अंतःकालीन उपबंध" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

****1[370. Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir.—**(1) Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) the provisions of article 238 shall not apply in relation to the State of Jammu and Kashmir;

(b) the power of Parliament to make laws for the said State shall be limited to—

(i) those matters in the Union List and the Concurrent List which, in consultation with the Government of the State, are declared by the President to correspond to matters specified in the Instrument of Accession governing the accession of the State to the Dominion of India as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for that State; and

**** In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 370 read with clause (1) of article 370 of the Constitution of India, the President, on the recommendation of Parliament, is pleased to declare that, as from the 6th August, 2019 all clauses of said article 370 shall cease to be operative except the following which shall read as under, namely:—**

“370. All provisions of this Constitution, as amended from time to time, without any modifications or exceptions, shall apply to the State of Jammu and Kashmir notwithstanding anything contrary contained in article 152 or article 308 or any other article of this Constitution or any other provision of the Constitution of Jammu and Kashmir or any law, document, judgment, ordinance, order, by-law, rule, regulation, notification, custom or usage having the force of law in the territory of India, or any other instrument, treaty or agreement as envisaged under article 363 or otherwise.”.

(See Appendix III) (C.O. 273).

1. In exercise of the powers conferred by clause (3) of the Constitution of India, the President, on the recommendation of the Constituent Assembly of the State of Jammu and Kashmir, declared that, as from the 17th day of November, 1952, the said art. 370 shall be operative with the modification that for the *Explanation* in cl. (1) thereof, the following *Explanation* is substituted, namely:—

“*Explanation.*—For the purposes of this article, the Government of the State means the person for the time being recognised by the President on the recommendation of the Legislative Assembly of the State as the *Sadar-I-Riyasat of Jammu and Kashmir, acting on the advice of the Council of Ministers of the State for the time being in office.”.

(C.O. 44, dated the 15th November, 1952).

*Now “Governor”.

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

****1370. जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध—**(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(ख) उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद् की शक्ति—

(i) संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनको राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार से परामर्श करके, उन विषयों के तत्स्थानी विषय घोषित कर दे, जो भारत डोमिनियन में उस राज्य के अधिमिलन को शासित करने वाले अधिमिलन पत्र में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट हैं जिनके संबंध में डोमिनियन विधान-मंडल उस राज्य के लिए विधि बना सकता है; और

** राष्ट्रपति, संसद् की सिफारिश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि 6 अगस्त, 2019 से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड, सिवाय निम्नलिखित के, जो नीचे दिए गए हैं के अनुसार हैं, प्रचालन में नहीं रहेंगे, अर्थात्:—

“370. इस संविधान के समय-समय पर यथा संशोधित, सभी उपबंध बिना किन्हीं उपांतरणों या अपवादों के अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू-कश्मीर के संविधान में किसी अन्य उपाबंध या किसी विधि, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य लिखित, संघी या करार जो अनुच्छेद 363 के अधीन यथा परिकल्पित या अन्यथा हैं, में तत्प्रतिकूल किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होंगे।”

[परिशिष्ट 3 देखें (सं.आ. 273)]

1. भारत का संविधान की खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर यह घोषणा की, कि 17 नवंबर, 1952 से उक्त अनुच्छेद 370 इस उपांतरण के साथ प्रवर्तनीय होगा कि उसके खंड (1) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया गया है, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए राज्य की सरकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राज्य की तत्समय पदारूढ मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य करने वाले जम्मू-कश्मीर के सदरे रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की हो।”

(सं.आ. 44, दिनांक 15 नवंबर, 1952)।

* अब “राज्यपाल”।

(Part XXI.—Temporary, Transitional and Special Provisions)

(ii) such other matters in the said Lists as, with the concurrence of the Government of the State, the President may by order specify.

Explanation.—For the purposes of this article, the Government of the State means the person for the time being recognised by the President as the Maharaja of Jammu and Kashmir acting on the advice of the Council of Ministers for the time being in office under the Maharaja's Proclamation dated the fifth day of March, 1948;

(c) the provisions of article 1 and of this article shall apply in relation to that State;

(d) such of the other provisions of this Constitution shall apply in relation to that State subject to such exceptions and modifications as the President may by order* specify:

Provided that no such order which relates to the matters specified in the Instrument of Accession of the State referred to in paragraph (i) of sub-clause (b) shall be issued except in consultation with the Government of the State:

Provided further that no such order which relates to matters other than those referred to in the last preceding proviso shall be issued except with the concurrence of that Government.

(2) If the concurrence of the Government of the State referred to in paragraph (ii) of sub-clause (b) of clause (1) or in the second proviso to sub-clause (d) of that clause be given before the Constituent Assembly for the purpose of framing the Constitution of the State is convened, it shall be placed before such Assembly for such decision as it may take thereon.

(3) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify:

Provided that the recommendation of the ¹[clause (2) of Legislative Assembly of the State] shall be necessary before the President issues such a notification.

* See Appendix II.

1. Subs. by C.O. 272, dated the 5-8-2019, s.2. for "Constituent Assembly of the State referred to in clause (2)" (w.e.f. 5-8-2019).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

(ii) उक्त सूचियों के उन अन्य विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार की सहमति से, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य की सरकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति से, जम्मू-कश्मीर के महाराजा की 5 मार्च, 1948 की उद्घोषणा के अधीन तत्समय पदस्थ मंत्री-परिषद् की सलाह पर कार्य करने वाले जम्मू-कश्मीर के महाराजा के रूप में तत्समय मान्यता प्राप्त थी;

(ग) अनुच्छेद 1 और इस अनुच्छेद के उपबंध उस राज्य के संबंध में लागू होंगे;

(घ) इस संविधान के ऐसे अन्य उपबंध ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो राष्ट्रपति आदेश¹ द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उस राज्य के संबंध में लागू होंगे:

परंतु ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) के पैरा (i) में निर्दिष्ट राज्य के अधिमिलन पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित है, उस राज्य की सरकार से परामर्श करके ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं:

परंतु यह और कि ऐसा कोई आदेश जो अंतिम पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न विषयों से संबंधित है, उस सरकार की सहमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) यदि खंड (1) के उपखंड (ख) के पैरा (ii) में या उस खंड के उपखंड (घ) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट उस राज्य की सरकार की सहमति, उस राज्य का संविधान बनाने के प्रयोजन के लिए संविधान सभा के बुलाए जाने से पहले दी जाए तो उसे ऐसी संविधान सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिए रखा जाएगा जो वह उस पर करे।

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित ही और ऐसी तारीख से, प्रवर्तन में रहेगा, जो वह विनिर्दिष्ट करे:

परंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले ¹[खंड (2) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा] की सिफारिश आवश्यक होगी।

* परिशिष्ट 2 में देखिए।

1. संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 इस संविधान आदेश में "खंड (2) में (5-8-2019 से) उल्लिखित राज्य की संविधान सभा" अभिव्यक्ति को "राज्य की विधान सभा" पढ़ा जाएगा।" परिशिष्ट 2 में देखिए।

¹[371. Special provision with respect to the States of ^{2***}
 Maharashtra and Gujarat.—³[(1)* * * * *]]

(2) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may by order made with respect to ⁴[the State of Maharashtra or Gujarat], provide for any special responsibility of the Governor for—

(a) the establishment of separate development boards for Vidarbha, Marathwada, ⁵[and the rest of Maharashtra or, as the case may be], Saurashtra, Kutch and the rest of Gujarat with the provision that a report on the working of each of these boards will be placed each year before the State Legislative Assembly;

(b) the equitable allocation of funds for developmental expenditure over the said areas, subject to the requirements of the State as a whole; and

(c) an equitable arrangement providing adequate facilities for technical education and vocational training, and adequate opportunities for employment in services under the control of the State Government, in respect of all the said areas, subject to the requirements of the State as a whole.]

⁶[371A. Special provision with respect to the State of Nagaland.—(1) Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) no Act of Parliament in respect of—

(i) religious or social practices of the Nagas;

(ii) Naga customary law and procedure;

(iii) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law;

(iv) ownership and transfer of land and its resources,
 shall apply to the State of Nagaland unless the Legislative Assembly of Nagaland by a resolution so decides;

-
1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 22, for art. 371 (w.e.f. 1-11-1956).
 2. The words "Andhra Pradesh", omitted by the Constitution (Thirty-second Amendment) Act, 1973, s. 2 (w.e.f. 1-7-1974).
 3. Cl. (1) omitted by s. 2, *ibid.* (w.e.f. 1-7-1974).
 4. Subs. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 85, for "the State of Bombay" (w.e.f. 1-5-1960).
 5. Subs. by s. 85, *ibid.*, for "the rest of Maharashtra" (w.e.f. 1-5-1960).
 6. Art. 371A ins. by the Constitution (Thirteenth Amendment) Act, 1962, s. 2 (w.e.f. 1-12-1963).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

¹[371. ²*** महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध—³[(1)***]

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, ⁴[महाराष्ट्र या गुजरात राज्य] के संबंध में किए गए आदेश द्वारा—

(क) यथास्थिति, विदर्भ, मराठवाड़ा ⁵[और शेष महाराष्ट्र या] सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक् विकास बोर्डों की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इन बोर्डों में से प्रत्येक के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जाएगा;

(ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त क्षेत्रों के विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए; और

(ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त सभी क्षेत्रों के संबंध में, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में नियोजन के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करने वाली साम्यापूर्ण व्यवस्था करने के लिए, राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा ।]

⁶[371क. नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) निम्नलिखित के संबंध में संसद् का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात्,—

(i) नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं;

(ii) नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया;

(iii) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां विनिश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं;

(iv) भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण;

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 22 द्वारा (1-11-1956 से) अनुच्छेद 371 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा (1-7-1974 से) “आंध्र प्रदेश,” शब्दों का लोप किया गया ।
3. संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा (1-7-1974 से) खंड (1) का लोप किया गया ।
4. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 85 द्वारा (1-5-1960 से) “मुंबई राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 85 द्वारा (1-5-1960 से) “शेष महाराष्ट्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 371क (1-12-1963 से) अंतःस्थापित ।

(b) the Governor of Nagaland shall have special responsibility with respect to law and order in the State of Nagaland for so long as in his opinion internal disturbances occurring in the Naga Hills-Tuensang Area immediately before the formation of that State continue therein or in any part thereof and in the discharge of his functions in relation thereto the Governor shall, after consulting the Council of Ministers, exercise his individual judgment as to the action to be taken:

Provided that if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is under this sub-clause required to act in the exercise of his individual judgment, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in the exercise of his individual judgment:

Provided further that if the President on receipt of a report from the Governor or otherwise is satisfied that it is no longer necessary for the Governor to have special responsibility with respect to law and order in the State of Nagaland, he may by order direct that the Governor shall cease to have such responsibility with effect from such date as may be specified in the order;

(c) in making his recommendation with respect to any demand for a grant, the Governor of Nagaland shall ensure that any money provided by the Government of India out of the Consolidated Fund of India for any specific service or purpose is included in the demand for a grant relating to that service or purpose and not in any other demand;

(d) as from such date as the Governor of Nagaland may by public notification in this behalf specify, there shall be established a regional council for the Tuensang district consisting of thirty-five members and the Governor shall in his discretion make rules providing for—

(i) the composition of the regional council and the manner in which the members of the regional council shall be chosen:

Provided that the Deputy Commissioner of the Tuensang district shall be the Chairman *ex officio* of the regional council and the Vice-Chairman of the regional council shall be elected by the members thereof from amongst themselves;

(ii) the qualifications for being chosen as, and for being, members of the regional council;

(iii) the term of office of, and the salaries and allowances, if any, to be paid to members of, the regional council;

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

(ख) नागालैंड के राज्यपाल का नागालैंड राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में तब तक विशेष उत्तरदायित्व रहेगा जब तक उस राज्य के निर्माण के ठीक पहले नागा पहाड़ी त्युएनसांग क्षेत्र में विद्यमान आंतरिक अशांति, उसकी राय में, उसमें या उसके किसी भाग में बनी रहती है और राज्यपाल, उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग, मंत्रि-परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् करेगा:

परंतु यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस उपखंड के अधीन अपेक्षा की गई है कि वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेक से किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करना चाहिए था या नहीं:

परंतु यह और कि यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि अब यह आवश्यक नहीं है कि नागालैंड राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व रहे तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि राज्यपाल का ऐसा उत्तरदायित्व उस तारीख से नहीं रहेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ग) अनुदान की किसी मांग के संबंध में अपनी सिफारिश करने में, नागालैंड का राज्यपाल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी विनिर्दिष्ट सेवा या प्रयोजन के लिए भारत की संचित निधि में से भारत सरकार द्वारा दिया गया कोई धन उस सेवा या प्रयोजन से संबंधित अनुदान की मांग में, न कि किसी अन्य मांग में, सम्मिलित किया जाए;

(घ) उस तारीख से जिसे नागालैंड का राज्यपाल इस निमित्त लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, त्युएनसांग जिले के लिए एक प्रादेशिक परिषद् स्थापित की जाएगी जो पैंतीस सदस्यों से मिलकर बनेगी और राज्यपाल निम्नलिखित बातों का उपबंध करने के लिए नियम अपने विवेक से बनाएगा, अर्थात्:—

(i) प्रादेशिक परिषद् की संरचना और वह रीति जिससे प्रादेशिक परिषद् के सदस्य चुने जाएंगे:

परंतु त्युएनसांग जिले का उपायुक्त प्रादेशिक परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और प्रादेशिक परिषद् का उपाध्यक्ष उसके सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा;

(ii) प्रादेशिक परिषद् के सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अर्हताएं;

(iii) प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों की पदावधि और उनको दिए जाने वाले वेतन और भत्ते, यदि कोई हों;

(Part XXI.—Temporary, Transitional and Special Provisions)

- (iv) the procedure and conduct of business of the regional council;
- (v) the appointment of officers and staff of the regional council and their conditions of services; and
- (vi) any other matter in respect of which it is necessary to make rules for the constitution and proper functioning of the regional council.

(2) Notwithstanding anything in this Constitution, for a period of ten years from the date of the formation of the State of Nagaland or for such further period as the Governor may, on the recommendation of the regional council, by public notification specify in this behalf,—

(a) the administration of the Tuensang district shall be carried on by the Governor;

(b) where any money is provided by the Government of India to the Government of Nagaland to meet the requirements of the State of Nagaland as a whole, the Governor shall in his discretion arrange for an equitable allocation of that money between the Tuensang district and the rest of the State;

(c) no Act of the Legislature of Nagaland shall apply to Tuensang district unless the Governor, on the recommendation of the regional council, by public notification so directs and the Governor in giving such direction with respect to any such Act may direct that the Act shall in its application to the Tuensang district or any part thereof have effect subject to such exceptions or modifications as the Governor may specify on the recommendation of the regional council:

Provided that any direction given under this sub-clause may be given so as to have retrospective effect;

(d) the Governor may make regulations for the peace, progress and good government of the Tuensang district and any regulations so made may repeal or amend with retrospective effect, if necessary, any Act of Parliament or any other law which is for the time being applicable to that district;

(e) (i) one of the members representing the Tuensang district in the Legislative Assembly of Nagaland shall be appointed Minister for Tuensang affairs by the Governor on the advice of the Chief Minister and the Chief Minister in tendering his advice shall act on the recommendation of the majority of the members as aforesaid¹;

1. Paragraph 2 of the Constitution (Removal of Difficulties) Order No. X provides (w.e.f. 1-12-1963) that article 371A of the Constitution of India shall have effect as if the following proviso were added to paragraph (i) of sub-clause (c) of clause (2) thereof, namely:—

"Provided that the Governor may, on the advice of the Chief Minister, appoint any person as Minister for Tuensang affairs to act as such until such time as persons are chosen in accordance with law to fill the seats allocated to the Tuensang district, in the Legislative Assembly of Nagaland."

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

(iv) प्रादेशिक परिषद् की प्रक्रिया और कार्य संचालन;

(v) प्रादेशिक परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तें; और

(vi) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में प्रादेशिक परिषद् के गठन और उसके उचित कार्यकरण के लिए नियम बनाने आवश्यक हैं।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, नागालैंड राज्य के निर्माण की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक या ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जिसे राज्यपाल, प्रादेशिक परिषद् की सिफारिश पर, लोक अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,—

(क) त्यानसांग जिले का प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा;

(ख) जहां भारत सरकार द्वारा नागालैंड सरकार को, संपूर्ण नागालैंड राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई धन दिया जाता है वहां, राज्यपाल अपने विवेक से त्यानसांग जिले और शेष राज्य के बीच उस धन के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए प्रबंध करेगा;

(ग) नागालैंड विधान-मंडल का कोई अधिनियम त्यानसांग जिले को तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल, प्रादेशिक परिषद् की सिफारिश पर, लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निदेश नहीं देता है और ऐसे किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश देते हुए राज्यपाल यह निदिष्ट कर सकेगा कि वह अधिनियम त्यानसांग जिले या उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होगा जिन्हें राज्यपाल प्रादेशिक परिषद् की सिफारिश पर विनिर्दिष्ट करे:

परंतु इस उपखंड के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो;

(घ) राज्यपाल त्यानसांग जिले की शांति, उन्नति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए विनियम उस जिले को तत्समय लागू संसद् के किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का, यदि आवश्यक हो तो भूतलक्षी प्रभाव से निरसन या संशोधन कर सकेंगे;

(ङ) (i) नागालैंड विधान सभा में त्यानसांग जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य को राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर त्यानसांग कार्य मंत्री नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री अपनी सलाह देने में पूर्वोक्त¹ सदस्यों की बहुसंख्या की सिफारिश पर कार्य करेगा;

1. संविधान (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, सं० 10 के पैरा 2 में (1-12-1963 से) यह उपबंध है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371क इस प्रकार प्रभावी होगा मानो उसके खंड (2) के उपखंड (ङ) के पैरा (i) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ दिया गया हो, अर्थात्:—

“परंतु राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर, किसी व्यक्ति को त्यानसांग कार्य मंत्री के रूप में ऐसे समय तक के लिए नियुक्त कर सकेगा, जब तक कि नागालैंड की विधान सभा में त्यानसांग जिले के लिए, आबंटित स्थानों को भरने के लिए विधि के अनुसार व्यक्तियों को चुन नहीं लिया जाता है।”

(Part XXI.—Temporary, Transitional and Special Provisions)

(ii) the Minister for Tuensang affairs shall deal with, and have direct access to the Governor on, all matters relating to the Tuensang district but he shall keep the Chief Minister informed about the same;

(f) notwithstanding anything in the foregoing provisions of this clause, the final decision on all matters relating to the Tuensang district shall be made by the Governor in his discretion;

(g) in articles 54 and 55 and clause (4) of article 80, references to the elected members of the Legislative Assembly of a State or to each such member shall include references to the members or member of the Legislative Assembly of Nagaland elected by the regional council established under this article;

(h) in article 170—

(i) clause (1) shall, in relation to the Legislative Assembly of Nagaland, have effect as if for the word “sixty”, the word “forty-six” had been substituted;

(ii) in the said clause, the reference to direct election from territorial constituencies in the State shall include election by the members of the regional council established under this article;

(iii) in clauses (2) and (3), references to territorial constituencies shall mean references to territorial constituencies in the Kohima and Mokokchung districts.

(3) If any difficulty arises in giving effect to any of the foregoing provisions of this article, the President may by order do anything (including any adaptation or modification of any other article) which appears to him to be necessary for the purpose of removing that difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiration of three years from the date of the formation of the State of Nagaland.

Explanation.—In this article, the Kohima, Mokokchung and Tuensang districts shall have the same meanings as in the State of Nagaland Act, 1962.]

¹[**371B. Special provision with respect to the State of Assam.**—Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Assam, provide for the constitution and functions of a committee of the Legislative Assembly of the State consisting of

1. Ins. by the Constitution (Twenty-second Amendment) Act, 1969, s. 4 (w.e.f. 25-9-1969).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

(ii) त्याएनसांग कार्य मंत्री त्याएनसांग जिले से संबंधित सभी विषयों की बाबत कार्य करेगा और उनके संबंध में राज्यपाल के पास उसकी सीधी पहुँच होगी किंतु वह उनके संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी देता रहेगा;

(च) इस खंड के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, त्याएनसांग जिले से संबंधित सभी विषयों पर अंतिम विनिश्चय राज्यपाल अपने विवेक से करेगा;

(छ) अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में तथा अनुच्छेद 80 के खंड (4) में राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के या ऐसे प्रत्येक सदस्य के प्रति निर्देशों के अंतर्गत इस अनुच्छेद के अधीन स्थापित प्रादेशिक परिषद् द्वारा निर्वाचित नागालैंड विधान सभा के सदस्यों या सदस्य के प्रति निर्देश होंगे;

(ज) अनुच्छेद 170 में—

(i) खंड (1) नागालैंड विधान सभा के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होगा मानो “साठ” शब्द के स्थान पर “छियालीस” शब्द रख दिया गया हो;

(ii) उक्त खंड में, उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रति निर्देश के अंतर्गत इस अनुच्छेद के अधीन स्थापित प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होगा;

(iii) खंड (2) और खंड (3) में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रति निर्देश से कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रति निर्देश अभिप्रेत होंगे ।

(3) यदि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, कोई ऐसी बात (जिसके अंतर्गत किसी अन्य अनुच्छेद का कोई अनुकूलन या उपांतरण है) कर सकेगा जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत होती है:

परंतु ऐसा कोई आदेश नागालैंड राज्य के निर्माण की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद में, कोहिमा, मोकोकचुंग और त्याएनसांग जिलों का वही अर्थ है जो नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 में है ।]

¹[371ख. असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, असम राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, उस राज्य की विधान सभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के लिए, जो समिति छठी अनुसूची

1. संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 4 द्वारा (25-9-1969 से) अंतःस्थापित ।

members of that Assembly elected from the tribal areas specified in ¹[Part I] of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule and such number of other members of that Assembly as may be specified in the order and for the modifications to be made in the rules of procedure of that Assembly for the constitution and proper functioning of such committee.]

²**[371C. Special provision with respect to the State of Manipur.—**(1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Manipur, provide for the constitution and functions of a committee of the Legislative Assembly of the State consisting of members of that Assembly elected from the Hill Areas of that State, for the modifications to be made in the rules of business of the Government and in the rules of procedure of the Legislative Assembly of the State and for any special responsibility of the Governor in order to secure the proper functioning of such committee.

(2) The Governor shall annually, or whenever so required by the President, make a report to the President regarding the administration of the Hill Areas in the State of Manipur and the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to the State as to the administration of the said areas.

Explanation.—In this article, the expression “Hill Areas” means such areas as the President may, by order, declare to be Hill areas.]

³**[371D. Special provisions with respect to** ⁴**[the State of Andhra Pradesh or the State of Telangana].—**⁵[(1) The President may by order made with respect to the State of Andhra Pradesh or the State of Telangana, provide, having regard to the requirement of each State, for equitable opportunities and facilities for the people belonging to different parts of such State, in the matter of public employment and in the matter of education, and different provisions may be made for various parts of the States.]

1. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71, for "Part A" (w.e.f. 21-1-1972).

2. Art 371C ins. by the Constitution (Twenty-seventh Amendment) Act, 1971, s. 5 (w.e.f. 15-2-1972).

3. Art 371D and Art 371E ins. by the Constitution (Thirty-second Amendment) Act, 1973, s. 3 (w.e.f. 1-7-1974).

4. Subs. by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, (6 of 2014), s. 97, for “the State of Andhra Pradesh” (w.e.f. 2-6-2014).

5. Subs. by s. 97, *ibid*, for cl. (1) (w.e.f. 2-6-2014).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

के पैरा 20 से संलग्न सारणी के ¹[भाग 1] में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों से निर्वाचित उस विधान सभा के सदस्यों से और उस विधान सभा के उतने अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जितने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा ऐसी समिति के गठन और उसके उचित कार्यकरण के लिए उस विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों में किए जाने वाले उपांतरणों के लिए उपबंध कर सकेगा।]

²[371ग. मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, मणिपुर राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, उस राज्य की विधान सभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के लिए, जो समिति उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित उस विधान सभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी, राज्य की सरकार के कामकाज के नियमों में और राज्य की विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों में किए जाने वाले उपांतरणों के लिए और ऐसी समिति का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा।

(2) राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब कभी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे, मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्य को निदेश देने तक होगा।

स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद में, “पहाड़ी क्षेत्रों” से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, पहाड़ी क्षेत्र घोषित करे।]

³[371घ. ⁴[आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य] के संबंध में विशेष उपबंध— ⁵[(1) राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के विभिन्न भागों के लोगों के लिए लोक नियोजन के विषय में और शिक्षा के विषय में साम्यापूर्ण अवसरों और सुविधाओं का उपबंध कर सकेगा और दोनों राज्यों के विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध किए जा सकेंगे।]

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 द्वारा (21-1-1972 से) “भाग क” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 5 द्वारा (15-2-1972 से) अनुच्छेद 371ग अंतःस्थापित।

3. अनुच्छेद 371घ और अनुच्छेद 371ङ संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा (1-7-1974 से) अंतःस्थापित।

4. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 97 द्वारा (2-6-2014 से) “आंध्र प्रदेश राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 97 द्वारा (2-6-2014 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Part XXI.—Temporary, Transitional and Special Provisions)

(2) An order made under clause (1) may, in particular,—

(a) require the State Government to organise any class or classes of posts in a civil service of, or any class or classes of civil posts under, the State into different local cadres for different parts of the State and allot in accordance with such principles and procedure as may be specified in the order the persons holding such posts to the local cadres so organised;

(b) specify any part or parts of the State which shall be regarded as the local area—

(i) for direct recruitment to posts in any local cadre (whether organised in pursuance of an order under this article or constituted otherwise) under the State Government;

(ii) for direct recruitment to posts in any cadre under any local authority within the State; and

(iii) for the purposes of admission to any University within the State or to any other educational institution which is subject to the control of the State Government;

(c) specify the extent to which, the manner in which and the conditions subject to which, preference or reservation shall be given or made—

(i) in the matter of direct recruitment to posts in any such cadre referred to in sub-clause (b) as may be specified in this behalf in the order;

(ii) in the matter of admission to any such University or other educational institution referred to in sub-clause (b) as may be specified in this behalf in the order,

to or in favour of candidates who have resided or studied for any period specified in the order in the local area in respect of such cadre, University or other educational institution, as the case may be.

(3) The President may, by order, provide for the constitution of an Administrative Tribunal for ¹[the State of Andhra Pradesh and for the State of Telangana] to exercise such jurisdiction, powers and authority [including any jurisdiction, power and authority which immediately before the commencement of the Constitution (Thirty-second Amendment) Act, 1973, was exercisable by any court (other than the Supreme Court) or by any tribunal or other authority] as may be specified in the order with respect to the following matters, namely:—

1. Subs. by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, (6 of 2014), s. 97, for “the State of Andhra Pradesh” (w.e.f. 2-6-2014).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

(2) खंड (1) के अधीन किया गया आदेश, विशिष्टतया, —

(क) राज्य सरकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह राज्य की सिविल सेवा में पदों के किसी वर्ग या वर्गों का अथवा राज्य के अधीन सिविल पदों के किसी वर्ग या वर्गों का राज्य के भिन्न भागों के लिए भिन्न स्थानीय काडरों में गठन करे और ऐसे सिद्धांतों और प्रक्रिया के अनुसार जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों का इस प्रकार गठित स्थानीय काडरों में आबंटन करे;

(ख) राज्य के ऐसे भाग या भागों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो,—

(i) राज्य सरकार के अधीन किसी स्थानीय काडर में (चाहे उसका गठन इस अनुच्छेद के अधीन आदेश के अनुसरण में या अन्यथा किया गया है) पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए;

(ii) राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी काडर में पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए; और

(iii) राज्य के भीतर किसी विश्वविद्यालय में या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य शिक्षा संस्था में प्रवेश के प्रयोजन के लिए, स्थानीय क्षेत्र समझे जाएंगे;

(ग) वह विस्तार विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिस तक, वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिससे और वे शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन, यथास्थिति, ऐसे काडर, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था के संबंध में ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने आदेश में विनिर्दिष्ट किसी अवधि के लिए स्थानीय क्षेत्र में निवास या अध्ययन किया है—

(i) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे काडर में जो इस निमित्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, पदों के लिए सीधी भर्ती के विषय में;

(ii) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था में जो इस निमित्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवेश के विषय में,

अधिमान दिया जाएगा या उनके लिए आरक्षण किया जाएगा ।

(3) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ¹[आंध्र प्रदेश राज्य के लिए और तेलंगाना राज्य के लिए] एक प्रशासनिक अधिकरण के गठन के लिए उपबंध कर सकेगा जो अधिकरण निम्नलिखित विषयों की बाबत ऐसी अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का जिसके अंतर्गत वह अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार है जो संविधान (बतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ से ठीक पहले (उच्चतम न्यायालय से भिन्न) किसी न्यायालय द्वारा अथवा किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोज्य था प्रयोग करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अर्थात्:—

1. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 97 द्वारा (2-6-2014 से) "आंध्र प्रदेश राज्य के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(a) appointment, allotment or promotion to such class or classes of posts in any civil service of the State, or to such class or classes of civil posts under the State, or to such class or classes of posts under the control of any local authority within the State, as may be specified in the order;

(b) seniority of persons appointed, allotted or promoted to such class or classes of posts in any civil service of the State, or to such class or classes of civil posts under the State, or to such class or classes of posts under the control of any local authority within the State, as may be specified in the order;

(c) such other conditions of service of persons appointed, allotted or promoted to such class or classes of posts in any civil service of the State or to such class or classes of civil posts under the State or to such class or classes of posts under the control of any local authority within the State, as may be specified in the order.

(4) An order made under clause (3) may—

(a) authorise the Administrative Tribunal to receive representations for the redress of grievances relating to any matter within its jurisdiction as the President may specify in the order and to make such orders thereon as the Administrative Tribunal deems fit;

(b) contain such provisions with respect to the powers and authorities and procedure of the Administrative Tribunal (including provisions with respect to the powers of the Administrative Tribunal to punish for contempt of itself) as the President may deem necessary;

(c) provide for the transfer to the Administrative Tribunal of such classes of proceedings, being proceedings relating to matters within its jurisdiction and pending before any court (other than the Supreme Court) or tribunal or other authority immediately before the commencement of such order, as may be specified in the order;

(d) contain such supplemental, incidental and consequential provisions (including provisions as to fees and as to limitation, evidence or for the application of any law for the time being in force subject to any exceptions or modifications) as the President may deem necessary.

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

(क) राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियुक्ति, आबंटन या प्रोन्नति;

(ख) राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियुक्त, आबंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता;

(ग) राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर नियुक्त, आबंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों की सेवा की ऐसी अन्य शर्तें जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(4) खंड (3) के अधीन किया गया आदेश—

(क) प्रशासनिक अधिकरण को उसकी अधिकारिता के भीतर किसी विषय से संबंधित व्यथाओं के निवारण के लिए ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए, जो राष्ट्रपति आदेश में विनिर्दिष्ट करे और उस पर ऐसे आदेश करने के लिए जो वह प्रशासनिक अधिकरण ठीक समझता है, प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियों और प्राधिकारों और प्रक्रिया के संबंध में ऐसे उपबंध (जिनके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण की अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के संबंध में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट कर सकेगा जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे;

(ग) प्रशासनिक अधिकरण को उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले विषयों से संबंधित और उस आदेश के प्रारंभ से ठीक पहले (उच्चतम न्यायालय से भिन्न) किसी न्यायालय अथवा किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के ऐसे वर्गों के, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगा;

(घ) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध (जिनके अंतर्गत फीस के बारे में और परिसीमा, साक्ष्य के बारे में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि को किन्हीं अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू करने के लिए उपबंध हैं) अंतर्विष्ट कर सकेगा जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे ।

*(5) The Order of the Administrative Tribunal finally disposing of any case shall become effective upon its confirmation by the State Government or on the expiry of three months from the date on which the order is made, whichever is earlier:

Provided that the State Government may, by special order made in writing and for reasons to be specified therein, modify or annul any order of the Administrative Tribunal before it becomes effective and in such a case, the order of the Administrative Tribunal shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be.

(6) Every special order made by the State Government under the proviso to clause (5) shall be laid, as soon as may be after it is made, before both Houses of the State Legislature.

(7) The High Court for the State shall not have any powers of superintendence over the Administrative Tribunal and no court (other than the Supreme Court) or tribunal shall exercise any jurisdiction, power or authority in respect of any matter subject to the jurisdiction, power or authority of, or in relation to, the Administrative Tribunal.

(8) If the President is satisfied that the continued existence of the Administrative Tribunal is not necessary, the President may by order abolish the Administrative Tribunal and make such provisions in such order as he may deem fit for the transfer and disposal of cases pending before the Tribunal immediately before such abolition.

(9) Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority,—

(a) no appointment, posting, promotion or transfer of any person—

(i) made before the 1st day of November, 1956, to any post under the Government of, or any local authority within, the State of Hyderabad as it existed before that date; or

(ii) made before the commencement of the Constitution (Thirty-second Amendment) Act, 1973, to any post under the Government of, or any local or other authority within, the State of Andhra Pradesh; and

(b) no action taken or thing done by or before any person referred to in sub-clause (a),

* *In P. Sambamurthy and Others Vs. State of Andhra Pradesh and Others* (1987) 1 S.C.C. 362, the Supreme Court declared cl. (5) of art. 371D along with the proviso to be unconstitutional and void.

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

* (5) प्रशासनिक अधिकरण का किसी मामले को अंतिम रूप से निपटाने वाला आदेश, राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि किए जाने पर या आदेश किए जाने की तारीख से तीन मास की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी हो जाएगा:

परंतु राज्य सरकार, विशेष आदेश द्वारा, जो लिखित रूप में किया जाएगा और जिसमें उसके कारण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, प्रशासनिक अधिकरण के किसी आदेश को उसके प्रभावी होने के पहले उपांतरित या रद्द कर सकेगी और ऐसे मामले में प्रशासनिक अधिकरण का आदेश, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जाएगा ।

(6) राज्य सरकार द्वारा खंड (5) के परंतुक के अधीन किया गया प्रत्येक विशेष आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य, शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।

(7) राज्य के उच्च न्यायालय को प्रशासनिक अधिकरण पर अधीक्षण की शक्ति नहीं होगी और (उच्चतम न्यायालय से भिन्न) कोई न्यायालय अथवा कोई अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण की या उसके संबंध में अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार के अधीन किसी विषय की बाबत किसी अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा ।

(8) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि प्रशासनिक अधिकरण का निरंतर बने रहना आवश्यक नहीं है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रशासनिक अधिकरण का उत्सादन कर सकेगा और ऐसे उत्सादन से ठीक पहले अधिकरण के समक्ष लंबित मामलों के अंतरण और निपटारे के लिए ऐसे आदेश में ऐसे उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(9) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी,—

(क) किसी व्यक्ति की कोई नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण की बाबत जो—

(i) 1 नवंबर, 1956 से पहले यथाविद्यमान हैदराबाद राज्य की सरकार के या उसके भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन उस तारीख से पहले किसी पद पर किया गया था; या

(ii) संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ से पहले आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार के अधीन या उस राज्य के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर किया गया था; और

(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष की गई किसी कार्यवाई या बात की बाबत,

* उच्चतम न्यायालय ने पी. सांबमूर्ति और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य (1987) 1 एस.एस.सी., 362, अनुच्छेद 371घ के खंड (5) और उसके परंतुक को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया ।

shall be deemed to be illegal or void or ever to have become illegal or void merely on the ground that the appointment, posting, promotion or transfer of such person was not made in accordance with any law, then in force, providing for any requirement as to residence within the State of Hyderabad or, as the case may be, within any part of the State of Andhra Pradesh, in respect of such appointment, posting, promotion or transfer.

(10) The provisions of this article and of any order made by the President thereunder shall have effect notwithstanding anything in any other provision of this Constitution or in any other law for the time being in force.

371E. Establishment of Central University in Andhra Pradesh.—

Parliament may by law provide for the establishment of a University in the State of Andhra Pradesh.]

¹[371F. Special provisions with respect to the State of Sikkim.—

Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) the Legislative Assembly of the State of Sikkim shall consist of not less than thirty members;

(b) as from the date of commencement of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 (hereafter in this article referred to as the appointed day)—

(i) the Assembly for Sikkim formed as a result of the elections held in Sikkim in April, 1974 with thirty-two members elected in the said elections (hereinafter referred to as the sitting members) shall be deemed to be the Legislative Assembly of the State of Sikkim duly constituted under this Constitution;

(ii) the sitting members shall be deemed to be the members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim duly elected under this Constitution; and

(iii) the said Legislative Assembly of the State of Sikkim shall exercise the powers and perform the functions of the Legislative Assembly of a State under this Constitution;

1. Art 371F ins. by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 3 (w.e.f. 26-4-1975).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

केवल इस आधार पर कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण, ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण की बाबत, यथास्थिति, हैदराबाद राज्य के भीतर या आंध्र प्रदेश राज्य के किसी भाग के भीतर निवास के बारे में किसी अपेक्षा का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार नहीं किया गया था, यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध या शून्य है या कभी भी अवैध या शून्य रहा था ।

(10) इस अनुच्छेद के और राष्ट्रपति द्वारा इसके अधीन किए गए किसी आदेश के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

371क. आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना—संसद विधि द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी ।]

¹[371च. सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) सिक्किम राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी;

(ख) संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ की तारीख से (जिसे इस अनुच्छेद में इसके पश्चात् नियत दिन कहा गया है)—

(i) सिक्किम की विधान सभा, जो अप्रैल, 1974 में सिक्किम में हुए निर्वाचनों के परिणामस्वरूप उक्त निर्वाचनों में निर्वाचित बत्तीस सदस्यों से (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् आसीन सदस्य कहा गया है) मिलकर बनी है, इस संविधान के अधीन सम्यक् रूप से गठित सिक्किम राज्य की विधान सभा समझी जाएगी;

(ii) आसीन सदस्य इस संविधान के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्य समझे जाएंगे; और

(iii) सिक्किम राज्य की उक्त विधान सभा इस संविधान के अधीन राज्य की विधान सभा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी;

1. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 द्वारा (26-4-1975 से) अनुच्छेद 371च अंतःस्थापित।

(c) in the case of the Assembly deemed to be the Legislative Assembly of the State of Sikkim under clause (b), the references to the period of ¹[five years], in clause (1) of article 172 shall be construed as references to a period of ²[four years] and the said period of ²[four years] shall be deemed to commence from the appointed day;

(d) until other provisions are made by Parliament by law, there shall be allotted to the State of Sikkim one seat in the House of the People and the State of Sikkim shall form one parliamentary constituency to be called the parliamentary constituency for Sikkim;

(e) the representative of the State of Sikkim in the House of the People in existence on the appointed day shall be elected by the members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim;

(f) Parliament may, for the purpose of protecting the rights and interests of the different sections of the population of Sikkim make provision for the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Sikkim which may be filled by candidates belonging to such sections and for the delimitation of the assembly constituencies from which candidates belonging to such sections alone may stand for election to the Legislative Assembly of the State of Sikkim;

(g) the Governor of Sikkim shall have special responsibility for peace and for an equitable arrangement for ensuring the social and economic advancement of different sections of the population of Sikkim and in the discharge of his special responsibility under this clause, the Governor of Sikkim shall, subject to such directions as the President may, from time to time, deem fit to issue, act in his discretion;

(h) all property and assets (whether within or outside the territories comprised in the State of Sikkim) which immediately before the appointed day were vested in the Government of Sikkim or in any other authority or in any person for the purposes of the Government of Sikkim shall, as from the appointed day, vest in the Government of the State of Sikkim;

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 56, for "five years" (w.e.f. 3-1-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 43, for "six years" (w.e.f. 6-9-1979).

2. Subs. by s. 56, *ibid.*, for "four years" (w.e.f. 3-1-1977) and further subs. by s. 43, *ibid.*, for "five years", respectively (w.e.f. 6-9-1979).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

(ग) खंड (ख) के अधीन सिक्किम राज्य की विधान सभा समझी गई विधान सभा की दशा में, अनुच्छेद 172 के खंड (1) में ¹[पांच वर्ष] की अवधि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ²[चार वर्ष] की अवधि के प्रति निर्देश हैं और ²[चार वर्ष] की उक्त अवधि नियत दिन से प्रारंभ हुई समझी जाएगी;

(घ) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्य उपबंध नहीं करती है तब तक सिक्किम राज्य को लोक सभा में एक स्थान आबंटित किया जाएगा और सिक्किम राज्य एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा जिसका नाम सिक्किम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा;

(ङ) नियत दिन को विद्यमान लोक सभा में सिक्किम राज्य का प्रतिनिधि सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

(च) संसद्, सिक्किम की जनता के विभिन्न अनुभागों के अधिकारों और हितों की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए सिक्किम राज्य की विधान सभा में उन स्थानों की संख्या के लिए जो ऐसे अनुभागों के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकेंगे और ऐसे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए, जिनसे केवल ऐसे अनुभागों के अभ्यर्थी ही सिक्किम राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिए खड़े हो सकेंगे, उपबंध कर सकेंगी;

(छ) सिक्किम के राज्यपाल का, शांति के लिए और सिक्किम की जनता के विभिन्न अनुभागों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए साम्यापूर्ण व्यवस्था करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व होगा और इस खंड के अधीन अपने विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सिक्किम का राज्यपाल ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राष्ट्रपति समय-समय पर देना ठीक समझे, अपने विवेक से कार्य करेगा;

(ज) सभी संपत्ति और आस्तियां (चाहे वे सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के भीतर हों या बाहर) जो नियत दिन से ठीक पहले सिक्किम सरकार में या सिक्किम सरकार के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति में निहित थीं, नियत दिन से सिक्किम राज्य की सरकार में निहित हो जाएंगी;

-
1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 56 द्वारा (3-1-1977 से) "पांच वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 43 द्वारा (6-9-1979 से "छह वर्ष" के स्थान पर) प्रतिस्थापित ।
 2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 56 द्वारा (3-1-1977 से) "चार वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 43 द्वारा (6-9-1979 से) क्रमशः "पांच वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(i) the High Court functioning as such immediately before the appointed day in the territories comprised in the State of Sikkim shall, on and from the appointed day, be deemed to be the High Court for the State of Sikkim;

(j) all courts of civil, criminal and revenue jurisdiction, all authorities and all officers, judicial, executive and ministerial, throughout the territory of the State of Sikkim shall continue on and from the appointed day to exercise their respective functions subject to the provisions of this Constitution;

(k) all laws in force immediately before the appointed day in the territories comprised in the State of Sikkim or any part thereof shall continue to be in force therein until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority;

(l) for the purpose of facilitating the application of any such law as is referred to in clause (k) in relation to the administration of the State of Sikkim and for the purpose of bringing the provisions of any such law into accord with the provisions of this Constitution, the President may, within two years from the appointed day, by order, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and thereupon, every such law shall have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law;

(m) neither the Supreme Court nor any other court shall have jurisdiction in respect of any dispute or other matter arising out of any treaty, agreement, engagement or other similar instrument relating to Sikkim which was entered into or executed before the appointed day and to which the Government of India or any of its predecessor Governments was a party, but nothing in this clause shall be construed to derogate from the provisions of article 143;

(n) the President may, by public notification, extend with such restrictions or modifications as he thinks fit to the State of Sikkim any enactment which is in force in a State in India at the date of the notification;

(o) if any difficulty arises in giving effect to any of the foregoing provisions of this article, the President may, by order*, do anything (including any adaptation or modification of any other article) which appears to him to be necessary for the purpose of removing that difficulty:

* See the Constitution (Removal of Difficulties) Order No. XI (C.O. 99).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

(झ) सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों में नियत दिन से ठीक पहले उच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत उच्च न्यायालय नियत दिन को और से सिक्किम राज्य का उच्च न्यायालय समझा जाएगा;

(ज) सिक्किम राज्य के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र सिविल, दांडिक और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय तथा सभी न्यायिक, कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी नियत दिन को और से अपने-अपने कृत्यों को इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, करते रहेंगे;

(ट) सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्यक्षेत्र में या उसके किसी भाग में नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त सभी विधियां वहां तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका संशोधन या निरसन नहीं कर दिया जाता है;

(ठ) सिक्किम राज्य के प्रशासन के संबंध में किसी ऐसी विधि को, जो खंड (ट) में निर्दिष्ट है, लागू किए जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए और किसी ऐसी विधि के उपबंधों को इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, नियत दिन से दो वर्ष के भीतर, आदेश द्वारा, ऐसी विधि में निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हों और तब प्रत्येक ऐसी विधि इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी और किसी ऐसे अनुकूलन या उपांतरण को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा;

(ड) उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को, सिक्किम के संबंध में किसी ऐसी संधि, करार, वचनबंध या वैसी ही अन्य लिखत से, जो नियत दिन से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और जिसमें भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती कोई सरकार पक्षकार थी, उत्पन्न किसी विवाद या अन्य विषय के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह अनुच्छेद 143 के उपबंधों का अल्पीकरण करती है;

(ढ) राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसी अधिनियमिति का विस्तार, जो उस अधिसूचना की तारीख को भारत के किसी राज्य में प्रवृत्त है, ऐसे निर्बन्धनों या उपांतरणों सहित, जो वह ठीक समझता है, सिक्किम राज्य पर कर सकेगा;

(ण) यदि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति, आदेश* द्वारा, कोई ऐसी बात (जिसके अंतर्गत किसी अन्य अनुच्छेद का कोई अनुकूलन या उपांतरण है) कर सकेगा जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत होती है:

* संविधान (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश सं. 11 (सं. आ. 99) देखिए ।

(Part XXI.—Temporary, Transitional and Special Provisions)

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the appointed day;

(p) all things done and all actions taken in or in relation to the State of Sikkim or the territories comprised therein during the period commencing on the appointed day and ending immediately before the date on which the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, receives the assent of the President shall, in so far as they are in conformity with the provisions of this Constitution as amended by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, be deemed for all purposes to have been validly done or taken under this Constitution as so amended.]

¹[**371G. Special provision with respect to the State of Mizoram.**—Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) no Act of Parliament in respect of—

(i) religious or social practices of the Mizos;

(ii) Mizo customary law and procedure;

(iii) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law;

(iv) ownership and transfer of land;

shall apply to the State of Mizoram unless the Legislative Assembly of the State of Mizoram by a resolution so decides:

Provided that nothing in this clause shall apply to any Central Act in force in the Union territory of Mizoram immediately before the commencement of the Constitution (Fifty-third Amendment) Act, 1986;

(b) the Legislative Assembly of the State of Mizoram shall consist of not less than forty members.]

²[**371H. Special provision with respect to the State of Arunachal Pradesh.**—Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) the Governor of Arunachal Pradesh shall have special responsibility with respect to law and order in the State of Arunachal Pradesh and in the discharge of his functions in relation thereto, the Governor shall, after consulting the Council of Ministers, exercise his individual judgment as to the action to be taken:

1. Art. 371G ins. by the Constitution (Fifty-third Amendment) Act, 1986.s. 2 (w.e.f. 20-2-1987).

2. Art. 371H ins. by the Constitution (Fifty-fifth Amendment) Act, 1986, s. 2 (w.e.f. 20-2-1987).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

परंतु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा;

(त) सिक्किम राज्य या उसमें समाविष्ट राज्यक्षेत्रों में या उनके संबंध में, नियत दिन को प्रारंभ होने वाली और उस तारीख से जिसको संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान की गई सभी बातें और कार्रवाइयां, जहां तक वे संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा यथासंशोधित इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप हैं, सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार यथासंशोधित इस संविधान के अधीन विधिमान्यतः की गई समझी जाएंगी।]

¹[371छ. मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) निम्नलिखित के संबंध में संसद् का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात्:—

(i) मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं;

(ii) मिजो रुढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया;

(iii) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां विनिश्चय मिजो रुढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं;

(iv) भूमि का स्वामित्व और अंतरण;

परंतु इस खंड की कोई बात, संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रारंभ से ठीक पहले मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी केंद्रीय अधिनियम को लागू नहीं होगी;

(ख) मिजोरम राज्य की विधान सभा कम से कम चालीस सदस्यों से मिलकर बनेगी।]

²[371ज. अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रहेगा और राज्यपाल, उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग मंत्रि-परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् करेगा:

1. संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 द्वारा (20-2-1987 से) अनुच्छेद 371छ अंतःस्थापित।

2. संविधान (पचपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 द्वारा (20-2-1987 से) अनुच्छेद 371ज अंतःस्थापित।

Provided that if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is under this clause required to act in the exercise of his individual judgment, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in the exercise of his individual judgment:

Provided further that if the President on receipt of a report from the Governor or otherwise is satisfied that it is no longer necessary for the Governor to have special responsibility with respect to law and order in the State of Arunachal Pradesh, he may by order direct that the Governor shall cease to have such responsibility with effect from such date as may be specified in the order;

(b) the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh shall consist of not less than thirty members.]

¹**[371-I. Special provision with respect to the State of Goa.—**Notwithstanding anything in this Constitution, the Legislative Assembly of the State of Goa shall consist of not less than thirty members.]

²**[371J. Special provisions with respect to State of Karnataka.—**(1) The President may, by order made with respect to the State of Karnataka, provide for any special responsibility of the Governor for—

(a) establishment of a separate development board for Hyderabad-Karnataka region with the provision that a report on the working of the board will be placed each year before the State Legislative Assembly;

(b) equitable allocation of funds for developmental expenditure over the said region, subject to the requirements of the State as a whole; and

(c) equitable opportunities and facilities for the people belonging to the said region, in matters of public employment, education and vocational training, subject to the requirements of the State as a whole.

(2) An order made under sub- clause (c) of clause (1) may provide for—

(a) reservation of a proportion of seats educational and vocational training institutions in the Hyderabad-Karnataka region for students who belong to that region by birth or by domicile; and

1. Art. 371-I ins. by the Constitution (Fifty-sixth Amendment) Act, 1987, s. 2 (w.e.f. 30-5-1987).

2. Art. 371J ins. by the Constitution (Ninety-eighth Amendment) Act, 2012, s. 2 (w.e.f. 1-10-2013).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

परंतु यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस खंड के अधीन अपेक्षा की गई है कि वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेक से किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करना चाहिए था या नहीं:

परंतु यह और कि यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अब यह आवश्यक नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व रहे तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि राज्यपाल का ऐसा उत्तरदायित्व उस तारीख से नहीं रहेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी ।]

¹[371झ. गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, गोवा राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी ।]

²[371ज. कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— (1) राष्ट्रपति, कर्नाटक राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, —

(क) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए, एक पृथक् विकास बोर्ड की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इस बोर्ड के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा;

(ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त क्षेत्र के विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए; और

(ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए लोक नियोजन, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के विषयों में साम्यापूर्ण अवसर और सुविधाओं के लिए,

राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा ।

(2) खंड (1) के उपखंड (ग) के अधीन किए गए आदेश द्वारा,—

(क) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में, ऐसे छात्रों के लिए जो जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के हैं, स्थानों के आनुपातिक आरक्षण के लिए उपबंध किया जा सकेगा; और

1. संविधान (छप्पनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 2 द्वारा (30-5-1987 से) अनुच्छेद 371झ अंतःस्थापित ।

2. संविधान (अठानवां संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 2 द्वारा (1-10-2013 से) अनुच्छेद 371ज अंतःस्थापित ।

(b) identification of posts or classes of posts under the State Government and in any body or organisation under the control of the State Government in the Hyderabad-Karnataka region and reservation of a proportion of such posts for persons who belong to that region by birth or by domicile and for appointment thereto by direct recruitment or by promotion or in any other manner as may be specified in the order.]

372. Continuance in force of existing laws and their adaptation.—(1) Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this Constitution, all the law in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority.

(2) For the purpose of bringing the provisions of any law in force in the territory of India into accord with the provisions of this Constitution, the President may by order* make such adaptations and modifications of such law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.

(3) Nothing in clause (2) shall be deemed—

(a) to empower the President to make any adaptation or modification of any law after the expiration of ¹[three years] from the commencement of this Constitution; or

(b) to prevent any competent Legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause.

* See the Adaptation of Laws Order, 1950, dated the 26th January, 1950, Gazette of India, Extraordinary, p. 449, as amended by notification No. S.R.O. 115, dated the 5th June, 1950, Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, p. 51, notification No. S.R.O. 870, dated the 4th November, 1950, Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, p. 903, notification No. S.R.O. 508, dated the 4th April, 1951, Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, p. 287, notification No. S.R.O. 1140B, dated the 2nd July, 1952, Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, p. 616/1, and the Adaptation of the Travancore-Cochin Land Acquisition Laws Order, 1952, dated the 20th November, 1952, Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, p. 923.

1. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s.12 for "two years" (w.e.f. 18-6-1951).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

(ख) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या संगठन में पदों या पदों के वर्गों की पहचान के लिए और उन व्यक्तियों के लिए, जो जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के हैं, ऐसे पदों के आनुपातिक आरक्षण के लिए और उन पदों पर सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा अथवा ऐसी किसी अन्य रीति में, जो आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नियुक्ति के लिए उपबंध किया जा सकेगा ।]

372. विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन—(1) अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का इस संविधान द्वारा निरसन होने पर भी, किंतु इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में सभी प्रवृत्त विधि वहां तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे परिवर्तित या निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है ।

(2) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबंधों को इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, आदेश* द्वारा, ऐसी विधि में निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हों और यह उपबंध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीख से जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी और किसी ऐसे अनुकूलन या उपांतरण को किसी न्यायालय में प्रश्नगति नहीं किया जाएगा ।

(3) खंड (2) की कोई बात—

(क) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारंभ से '[तीन वर्ष] की समाप्ति के पश्चात् किसी विधि का कोई अनुकूलन या उपांतरण करने के लिए सशक्त करने वाली; या

(ख) किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को, राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलित या उपांतरित किसी विधि का निरसन या संशोधन करने से रोकने वाली,

नहीं समझी जाएगी ।

* देखिए, अधिसूचना सं० का०नि०आ० 115, तारीख 5 जून 1950, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ० 51; अधिसूचना सं० का०नि०आ० 870, तारीख 4 नवंबर, 1950, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ० 903; अधिसूचना सं० का०नि०आ० 508, तारीख 4 अप्रैल, 1951, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ० 287; अधिसूचना सं० का०नि०आ० 1140ख, तारीख 2 जुलाई, 1952, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ० 616/1, और रावणकोर-कोचीन भूमि अर्जन विधि अनुकूलन आदेश, 1952, तारीख 20 नवंबर, 1952, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ० 923 द्वारा यथासंशोधित विधि अनुकूलन आदेश, 1950, तारीख 26 जनवरी, 1950, भारत का राजपत्र, असाधारण, पृ० 449 ।

1. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 12 द्वारा (18-6-1951 से) "दो वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Explanation I.—The expression “law in force” in this article shall include a law passed or made by a Legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that it or parts of it may not be then in operation either at all or in particular areas.

Explanation II.—Any law passed or made by a Legislature or other competent authority in the territory of India which immediately before the commencement of this Constitution had extra-territorial effect as well as effect in the territory of India shall, subject to any such adaptations and modifications as aforesaid, continue to have such extra-territorial effect.

Explanation III.—Nothing in this article shall be construed as continuing any temporary law in force beyond the date fixed for its expiration or the date on which it would have expired if this Constitution had not come into force.

Explanation IV.—An Ordinance promulgated by the Governor of a Province under section 88 of the Government of India Act, 1935, and in force immediately before the commencement of this Constitution shall, unless withdrawn by the Governor of the corresponding State earlier, cease to operate at the expiration of six weeks from the first meeting after such commencement of the Legislative Assembly of that State functioning under clause (1) of article 382, and nothing in this article shall be construed as continuing any such Ordinance in force beyond the said period.

¹[**372A. Power of the President to adapt laws.**—(1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, into accord with the provisions of this Constitution as amended by that Act, the President may by order* made before the first day of November, 1957, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.

(2) Nothing in clause (1) shall be deemed to prevent a competent Legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause.]

1. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 23 (w.e.f. 1-11-1956).

* See the Adaptation of Laws Order of 1956 and 1957.

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

स्पष्टीकरण 1— इस अनुच्छेद में, “प्रवृत्त विधि” पद के अंतर्गत ऐसी विधि है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई है या बनाई गई है और पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, भले ही वह या उसके कोई भाग तब पूर्णतः या किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में न हों।

स्पष्टीकरण 2— भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई या बनाई गई ऐसी विधि का, जिसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले राज्यक्षेत्रातीत प्रभाव था और भारत के राज्यक्षेत्र में भी प्रभाव था, यथापूर्वोक्त किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, ऐसा राज्यक्षेत्रातीत प्रभाव बना रहेगा।

स्पष्टीकरण 3— इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी अस्थायी प्रवृत्त विधि को, उसकी समाप्ति के लिए नियत तारीख से, या उस तारीख से जिसको, यदि वह संविधान प्रवृत्त न हुआ होता तो, वह समाप्त हो जाती, आगे प्रवृत्त बनाए रखती है।

स्पष्टीकरण 4— किसी प्रांत के राज्यपाल द्वारा भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 88 के अधीन प्रख्यापित और इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त अध्यादेश, यदि तत्स्थानी राज्य के राज्यपाल द्वारा पहले ही वापस नहीं ले लिया गया है तो, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् अनुच्छेद 382 के खंड (1) के अधीन कार्यरत उस राज्य की विधान सभा के प्रथम अधिवेशन से छह सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा और इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी अध्यादेश को उक्त अवधि से आगे प्रवृत्त बनाए रखती है।

¹[372क. विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति— (1) संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले भारत में या उसके किसी भाग में प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों को उस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रपति, 1 नवंबर, 1957 से पहले किए गए आदेश^{*} द्वारा, ऐसी विधि में निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हों और यह उपबंध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीख से जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए, इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी और किसी ऐसे अनुकूलन या उपांतरण को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) खंड (1) की कोई बात, किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को, राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलित या उपांतरित किसी विधि का निरसन या संशोधन करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी।]

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 23 द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित।

* देखिए 1956 और 1957 के विधि अनुकूलन आदेश।

373. Power of President to make order in respect of persons under preventive detention in certain cases.—Until provision is made by Parliament under clause (7) of article 22, or until the expiration of one year from the commencement of this Constitution, whichever is earlier, the said article shall have effect as if for any reference to Parliament in clauses (4) and (7) thereof there were substituted a reference to the President and for any reference to any law made by Parliament in those clauses there were substituted a reference to an order made by the President.

374. Provisions as to Judges of the Federal Court and proceedings pending in the Federal Court or before His Majesty in Council.—(1) The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the Supreme Court and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 125 in respect of the Judges of the Supreme Court.

(2) All suits, appeals and proceedings, civil or criminal, pending in the Federal Court at the commencement of this Constitution shall stand removed to the Supreme Court, and the Supreme Court shall have jurisdiction to hear and determine the same, and the judgments and orders of the Federal Court delivered or made before the commencement of this Constitution shall have the same force and effect as if they had been delivered or made by the Supreme Court.

(3) Nothing in this Constitution shall operate to invalidate the exercise of jurisdiction by His Majesty in Council to dispose of appeals and petitions from, or in respect of, any judgment, decree or order of any court within the territory of India in so far as the exercise of such jurisdiction is authorised by law, and any order of His Majesty in Council made on any such appeal or petition after the commencement of this Constitution shall for all purposes have effect as if it were an order or decree made by the Supreme Court in the exercise of the jurisdiction conferred on such Court by this Constitution.

(4) On and from the commencement of this Constitution the jurisdiction of the authority functioning as the Privy Council in a State specified in Part B of the First Schedule to entertain and dispose of appeals and petitions from or in respect of any judgment, decree or order of any court within that State shall cease, and all appeals and other proceedings pending before the said authority at such commencement shall be transferred to, and disposed of by, the Supreme Court.

(5) Further provision may be made by Parliament by law to give effect to the provisions of this article.

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

373. निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति—जब तक अनुच्छेद 22 के खंड (7) के अधीन संसद् उपबंध नहीं करती है या जब तक इस संविधान के प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक उक्त अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो उसके खंड (4) और खंड (7) में संसद् के प्रति किसी निर्देश के स्थान पर राष्ट्रपति के प्रति निर्देश और उन खंडों में संसद् द्वारा बनाई गई विधि के प्रति निर्देश के स्थान पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेश के प्रति निर्देश रख दिया गया हो ।

374. फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध—(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले फेडरल न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारंभ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे और तब ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों के हकदार होंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 125 के अधीन उपबंधित हैं ।

(2) इस संविधान के प्रारंभ पर फेडरल न्यायालय में लंबित सभी सिविल या दंडिक वाद, अपील और कार्यवाहियाँ, उच्चतम न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी और उच्चतम न्यायालय को उनको सुनने और उनका अवधारण करने की अधिकारिता होगी और फेडरल न्यायालय द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले सुनाए गए या दिए गए निर्णयों और आदेशों का वही बल और प्रभाव होगा मानो वे उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए हों या दिए गए हों ।

(3) इस संविधान की कोई बात भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की या उसके संबंध में अपीलों और याचिकाओं को निपटाने के लिए सपरिषद् हिज मजेस्टी द्वारा अधिकारिता के प्रयोग को वहां तक अविधिमान्य नहीं करेगी जहां तक ऐसी अधिकारिता का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत है और ऐसी अपील या याचिका पर इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् किया गया सपरिषद् हिज मजेस्टी का कोई आदेश सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रभावी होगा मानो वह उच्चतम न्यायालय द्वारा उस अधिकारिता के प्रयोग में जो ऐसे न्यायालय को इस संविधान द्वारा प्रदान की गई है, किया गया कोई आदेश या डिक्री हो ।

(4) इस संविधान के प्रारंभ से ही पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य में प्रिवी कौंसिल के रूप में कार्यरत प्राधिकारी की उस राज्य के भीतर किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की या उसके संबंध में अपीलों और याचिकाओं को ग्रहण करने या निपटाने की अधिकारिता समाप्त हो जाएगी और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारंभ पर लंबित सभी अपीलों और अन्य कार्यवाहियाँ उच्चतम न्यायालय को अंतरित कर दी जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी ।

(5) इस अनुच्छेद के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए संसद् विधि द्वारा और उपबंध कर सकेगी ।

375. Courts, authorities and officers to continue to function subject to the provisions of the Constitution.—All courts of civil, criminal and revenue jurisdiction, all authorities and all officers, judicial, executive and ministerial, throughout the territory of India, shall continue to exercise their respective functions subject to the provisions of this Constitution.

376. Provisions as to Judges of High Courts.—(1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 221 in respect of the Judges of such High Court.¹[Any such Judge shall, notwithstanding that he is not a citizen of India, be eligible for appointment as Chief Justice of such High Court, or as Chief Justice or other Judge of any other High Court.]

(2) The Judges of a High Court in any Indian State corresponding to any State specified in Part B of the First Schedule holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the State so specified and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 217 but subject to the proviso to clause (1) of that article, continue to hold office until the expiration of such period as the President may by order determine.

(3) In this article, the expression “Judge” does not include an acting Judge or an additional Judge.

377. Provisions as to Comptroller and Auditor-General of India.—The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement.

1. Added by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 13 (w.e.f. 18-6-1951).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

375. संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना— भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र सिविल, दंडिक और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय और सभी न्यायिक, कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी अपने-अपने कृत्यों को, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, करते रहेंगे।

376. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध—(1) अनुच्छेद 217 के खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारंभ पर तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे और तब ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों के हकदार होंगे जो ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 221 के अधीन उपबंधित हैं।¹ [ऐसा न्यायाधीश इस बात के होते हुए भी कि वह भारत का नागरिक नहीं है, ऐसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा।]

(2) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य के उच्च न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारंभ पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे और अनुच्छेद 217 के खंड (1) और खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए, ऐसी अवधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे।

(3) इस अनुच्छेद में, “न्यायाधीश” पद के अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश नहीं है।

377. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध— इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने वाला भारत का महालेखापरीक्षक, यदि वह अन्यथा निर्वाचन न कर चुका हो तो, ऐसे प्रारंभ पर भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हो जाएगा और तब ऐसे वेतनों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संबंध में अनुच्छेद 148 के खंड (3) के अधीन उपबंधित हैं और अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करने का हकदार होगा जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन अवधारित की जाए।

1. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 13 द्वारा (18-6-1951 से) जोड़ा गया।

378. Provisions as to Public Service Commissions.—(1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

(2) The Members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the Joint State Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be, and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

¹**378A. Special provision as to duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly.**—Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.]

379. [*Provisions as to provisional Parliament and the Speaker and Deputy Speaker thereof.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

380. [*Provision as to President.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

381. [*Council of Ministers of the President.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

382. [*Provisions as to provisional Legislatures for States in Part A of the First Schedule.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

383. [*Provision as to Governors of Provinces.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

1. Art 378A ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 24 (w.e.f. 1-11-1956).

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

378. लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध—(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो ऐसे प्रारंभ पर संघ के लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे और अनुच्छेद 316 के खंड (1) और खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उस अनुच्छेद के खंड (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए, अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन अवधारित है ।

(2) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत के लोक सेवा आयोग के या प्रांतों के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले किसी लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारंभ पर, यथास्थिति, तत्स्थानी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य या तत्स्थानी राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे और अनुच्छेद 316 के खंड (1) और खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उस अनुच्छेद के खंड (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए, अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन अवधारित है ।

¹**[378क. आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध—**अनुच्छेद 172 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 28 और धारा 29 के उपबंधों के अधीन गठित आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, उक्त धारा 29 में निर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम उस विधान सभा का विघटन होगा ।]

379. [अन्तर्कालीन संसद् तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध]—संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

380. [राष्ट्रपति के बारे में उपबंध]—संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

381. [राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद्]—संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

382. [पहली अनुसूची के भाग क में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों के बारे में उपबंध]—संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

383. [प्रान्तों के राज्यपालों के बारे में उपबंध]—संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 24 द्वारा (1-11-1956 से) अनुच्छेद 378क अंतःस्थापित।

(Part XXI.—Temporary, Transitional and Special Provisions)

384. [*Council of Ministers of the Governors.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

385. [*Provision as to provisional Legislatures in States in Part B of the First Schedule.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

386. [*Council of Ministers for States in Part B of the First Schedule.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

387. [*Special provision as to determination of population for the purposes of certain elections.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

388. [*Provisions as to the filling of casual vacancies in the provisional Parliament and provisional Legislatures of the States.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

389. [*Provision as to Bills pending in the Dominion Legislatures and in the Legislatures of Provinces and Indian States.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

390. [*Money received or raised or expenditure incurred between the commencement of the Constitution and the 31st day of March, 1950.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

391. [*Power of the President to amend the First and Fourth Schedules in certain contingencies.*].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

392. Power of the President to remove difficulties.—(1) The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government of India Act, 1935, to the provisions of this Constitution, by order direct that this Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as he may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after the first meeting of Parliament duly constituted under Chapter II of Part V.

(2) Every order made under clause (1) shall be laid before Parliament.

(3) The powers conferred on the President by this article, by article 324, by clause (3) of article 367 and by article 391 shall, before the commencement of this Constitution, be exercisable by the Governor-General of the Dominion of India.

(भाग 21—अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध)

384. [राज्यपालों की मंत्रि-परिषद्]— संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

385. [पहली अनुसूची के भाग ख में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों के बारे में उपबंध]— संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

386. [पहली अनुसूची के भाग ख में के राज्यों की मंत्रि-परिषद्]— संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

387. [कुछ निर्वाचनों के परियोजनों के लिए जनसंख्या के निर्धारण के बारे में विशेष उपबंध]— संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

388. [अन्तर्कालीन संसद् तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में आकस्मिक रिक्तियों के बारे में उपबंध]— संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

389. [डोमिनियन विधान-मंडल तथा प्रान्तों और देशी राज्यों के विधान-मंडलों में लंबित विधेयकों के बारे में उपबंध]— संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

390. [इस संविधान के प्रारंभ और 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापत या व्यय किया हुआ धन]— संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

391. [कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति]— संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया ।

392. कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति— (1) राष्ट्रपति, किन्हीं ऐसी कठिनाइयों को, जो विशिष्टतया भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों को संक्रमण के संबंध में हों, दूर करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे:

परंतु ऐसा कोई आदेश भाग 5 के अध्याय 2 के अधीन सम्यक् रूप से गठित संसद् के प्रथम अधिवेशन के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) खंड (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के समक्ष रखा जाएगा ।

(3) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367 के खंड (3) और अनुच्छेद 391 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियां, इस संविधान के प्रारंभ से पहले, भारत डोमिनियन के गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी ।

PART XXII

SHORT TITLE, COMMENCEMENT, ¹[AUTHORITATIVE TEXT IN HINDI] AND REPEALS

393. Short title.—This Constitution may be called the Constitution of India.

394. Commencement.—This article and articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Constitution shall come into force on the twenty-sixth day of January, 1950, which day is referred to in this Constitution as the commencement of this Constitution.

²[**394A. Authoritative text in the Hindi language.**—(1) The President shall cause to be published under his authority,—

(a) the translation of this Constitution in the Hindi language, signed by the members of the Constituent Assembly, with such modifications as may be necessary to bring it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative texts of Central Acts in the Hindi language, and incorporating therein all the amendments of this Constitution made before such publication; and

(b) the translation in the Hindi language of every amendment of this Constitution made in the English language.

(2) The translation of this Constitution and of every amendment thereof published under clause (1) shall be construed to have the same meaning as the original thereof and if any difficulty arises in so construing any part of such translation, the President shall cause the same to be revised suitably.

(3) The translation of this Constitution and of every amendment thereof published under this article shall be deemed to be, for all purposes, the authoritative text thereof in the Hindi language.]

395. Repeals.— The Indian Independence Act, 1947, and the Government of India Act, 1935, together with all enactments amending or supplementing the latter Act, but not including the Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949, are hereby repealed.

1. Ins. by the Constitution (Fifty-eighth Amendment) Act, 1987, s. 2 (w.e.f. 9-12-1987).

2. Art 394A, Ins. by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 9-12-1987).

भाग 22

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, ¹[हिंदी में प्राधिकृत पाठ] और निरसन

393. संक्षिप्त नाम— इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है ।

394. प्रारंभ— यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तुरन्त प्रवृत्त होंगे और इस संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी, 1950 को प्रवृत्त होंगे जो दिन इस संविधान में इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।

²[394क. हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ— (1) राष्ट्रपति—

(क) इस संविधान के हिंदी भाषा में अनुवाद को, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसे उपांतरणों के साथ जो उसे केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हैं, और ऐसे प्रकाशन के पूर्व किए गए इस संविधान के ऐसे सभी संशोधनों को उसमें सम्मिलित करते हुए; तथा

(ख) अंग्रेजी भाषा में किए गए इस संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिंदी भाषा में अनुवाद को,

अपने प्राधिकार से प्रकाशित कराएगा ।

(2) खंड (1) के अधीन प्रकाशित इस संविधान और इसके प्रत्येक संशोधन के अनुवाद का वही अर्थ लगाया जाएगा जो उसके मूल का है और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भाग का इस प्रकार अर्थ लगाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति उसका उपयुक्त पुनरीक्षण कराएगा ।

(3) इस संविधान का और इसके प्रत्येक संशोधन का इस अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद, सभी प्रयोजनों के लिए, उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

395. निरसन— भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत शासन अधिनियम, 1935 का, पश्चात् कथित अधिनियम की, संशोधक या अनुपूरक सभी अधिनियमितियों के साथ, जिनके अंतर्गत प्रिवी कौंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम, 1949 नहीं है, इसके द्वारा निरसन किया जाता है ।

1. संविधान (अठारववां संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 2 द्वारा (9-12-1987 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (अठारववां संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 3 द्वारा (9-12-1987 से) अनुच्छेद 394क अंतःस्थापित ।

¹[FIRST SCHEDULE

[Articles 1 and 4]

I. THE STATES

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
1. Andhra Pradesh	² [The territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Andhra State Act, 1953, sub-section (1) of section 3 of the States Reorganisation Act, 1956, the First Schedule to the Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959, and the Schedule to the Andhra Pradesh and Mysore (Transfer of Territory) Act, 1968, but excluding the territories specified in the Second Schedule to the Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959] ³ [and the territories specified in section 3 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014].
2. Assam	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were comprised in the Province of Assam, the Khasi States and the Assam Tribal Areas, but excluding the territories specified in the Schedule to the Assam (Alteration of Boundaries) Act, 1951 ⁴ [and the territories specified in sub-section (1) of section 3 of the State of Nagaland Act, 1962] ⁵ [and the territories specified in sections 5, 6 and 7 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971] ⁶ [and the territories referred to in Part I of the Second Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015, notwithstanding anything contained in clause (a) of section 3 of the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960, so far as it relates to the territories referred to in Part I of the Second Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015.]

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 2, for the First Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by the Andhra Pradesh and Mysore (Transfer of Territory) Act, 1968 (36 of 1968), s. 4, for the former entry (w.e.f. 1-10-1968).

3. Ins. by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), s. 10 (w.e.f. 2-6-2014).

4. Added by the State of Nagaland Act, 1962 (27 of 1962), s. 4 (w.e.f. 1-12-1963).

5. Added by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 9 (w.e.f. 21-1-1972).

6. Added by the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015, s. 3 (w.e.f. 31-7-2015). For the text of the Act, see Appendix I.

[पहली अनुसूची (अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4)]

1. राज्य

नाम	राज्यक्षेत्र
1. आंध्र प्रदेश	² [वे राज्यक्षेत्र जो आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 3 की उपधारा (1) में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में, आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में और आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की द्वितीय अनुसूची में ³ [तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 में] विनिर्दिष्ट हैं ।]
2. असम	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले असम प्रांत, खासी राज्यों और असम जनजाति क्षेत्रों में समाविष्ट थे, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो असम (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ⁴ [और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं] ⁵ [और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं ⁵ [जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 5, धारा 6 और धारा 7 में विनिर्दिष्ट हैं] ⁶ [और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं], जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट हैं ।]

-
- संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा (1-11-1956 से) पहली अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 - आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 (1968 का 36) की धारा 4 द्वारा (1-10-1968 से) पूर्ववर्ती प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 - आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 10 द्वारा (2-6-2014 से) अंतःस्थापित ।
 - नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 4 द्वारा (1-12-1963 से) जोड़ा गया ।
 - पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) जोड़ा गया ।
 - संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 3 द्वारा (31-7-2015 से) जोड़ा गया । उक्त अधिनियम के पाठ के लिए परिशिष्ट 1 देखें ।

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
3. Bihar	¹ [The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of Bihar or were being administered as if they formed part of that Province and the territories specified in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968, but excluding the territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956, and the territories specified in clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the first mentioned Act ² [and the territories specified in section 3 of the Bihar Reorganisation Act, 2000].]
³ 4. Gujarat	The territories referred to in sub-section (1) of section 3 of the Bombay Reorganisation Act, 1960.]
5. Kerala	The territories specified in sub-section (1) of section 5 of the States Reorganisation Act, 1956.
6. Madhya Pradesh	The territories specified in sub-section (1) of section 9 of the States Reorganisation Act, 1956 ⁴ [and the First Schedule to the Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Act, 1959], ⁵ [but excluding the territories specified in section 3 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000].

1. Subs. by the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968 (24 of 1968), s. 4, for the former entry (w.e.f. 10-6-1970).
2. Added by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), s. 5 (w.e.f. 15-11-2000).
3. Subs. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 4 (w.e.f. 1-5-1960).
4. Ins. by the Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Act, 1959 (47 of 1959), s. 4 (w.e.f. 1-10-1959).
5. Added by the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), s. 5 (w.e.f. 1-11-2000).

भारत का संविधान (पहली अनुसूची)

254

नाम	राज्यक्षेत्र
3. बिहार	¹ [वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो बिहार प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों और वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं ² और वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं ।]]
³ [4. गुजरात	वे राज्यक्षेत्र जो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं ।]
5. केरल	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।
6. मध्य प्रदेश	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) में ⁴ [तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ⁵ [किन्तु इनके अंतर्गत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र नहीं हैं]]]

-
1. बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 24) की धारा 4 द्वारा (10-6-1970 से) पूर्ववर्ती प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 2. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 5 द्वारा (15-11-2000 से) जोड़ा गया ।
 3. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 4. राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 (1959 का 47) की धारा 4 द्वारा (1-10-1959 से) अंतःस्थापित ।
 5. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 5 द्वारा (1-11-2000 से) जोड़ा गया ।

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
¹ [7. Tamil Nadu]	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of Madras or were being administered as if they formed part of that Province and the territories specified in section 4 of the States Reorganisation Act, 1956, ² [and the Second Schedule to the Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959], but excluding the territories specified in sub-section (1) of section 3 and sub-section (1) of section 4 of the Andhra State Act, 1953 and ³ [the territories specified in clause (b) of sub-section (1) of section 5, section 6 and clause (d) of sub-section (1) of section 7 of the States Reorganisation Act, 1956 and the territories specified in the First Schedule to the Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959.]
⁴ [8. Maharashtra]	The territories specified in sub-section (1) of section 8 of the States Reorganisation Act, 1956, but excluding the territories referred to in sub-section (1) of section 3 of the Bombay Reorganisation Act, 1960.]
⁵ [⁶ [9.] Karnataka]	The territories specified in sub-section (1) of section 7 of the States Reorganisation Act, 1956 ⁷ [but excluding the territory specified in the Schedule to the Andhra Pradesh and Mysore (Transfer of Territory) Act, 1968.]

1. Subs. by the Madras State (Alteration of Name) Act, 1968 (53 of 1968), s. 5, for "7. Madras" (w.e.f. 14-1-1969).
2. Ins. by the Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959 (56 of 1959), s. 6 (w.e.f. 1-4-1960).
3. Subs. by s. 6, *ibid.*, for certain words (w.e.f. 1-4-1960).
4. Ins. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 4 (w.e.f. 1-5-1960).
5. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) Act, 1973 (31 of 1973), s. 5, for "9. Mysore" (w.e.f. 1-11-1973).
6. Entries 8 to 14 renumbered as entries 9 to 15 by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 4 (w.e.f. 1-5-1960).
7. Ins. by the Andhra Pradesh and Mysore (Transfer of Territory) Act, 1968 (36 of 1968), s. 4 (w.e.f. 1-10-1968).

भारत का संविधान

(पहली अनुसूची)

255

नाम	राज्यक्षेत्र
¹ [7. तमिलनाडु]	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो मद्रास प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों और वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 4 में ² [तथा आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की द्वितीय अनुसूची में] विनिर्दिष्ट हैं,] किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं और ³ [वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 6 और धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।]
⁴ [8. महाराष्ट्र]	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं, किन्तु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं ।]
⁵ [⁶ [9.] कर्नाटक]	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 7 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं, ⁷ [किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।]

- मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 53) की धारा 5 द्वारा (14-1-1969 से) "7. मद्रास" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56) की धारा 6 द्वारा (1-4-1960 से) अंतःस्थापित ।
- आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56) की धारा 6 द्वारा (1-4-1960 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) अंतःस्थापित ।
- मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) "9. मैसूर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 8 से 14 तक को प्रविष्टि 9 से 15 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
- आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 (1968 का 36) की धारा 4 द्वारा (1-10-1968 से) अंतःस्थापित ।

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
¹ [10.] ² [Odisha]	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of Orissa or were being administered as if they formed part of that Province.
¹ [11.] Punjab	The territories specified in section 11 of the States Reorganisation Act, 1956 ³ [and the territories referred to in Part II of the First Schedule to the Acquired Territories (Merger) Act, 1960] ⁴ [but excluding the territories referred to in Part II of the First Schedule to the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960] ⁵ [and the territories specified in sub-section (1) of section 3, section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966.]
¹ [12.] Rajasthan	The territories specified in section 10 of the States Reorganisation Act, 1956 ⁶ [but excluding the territories specified in the First Schedule to the Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Act, 1959].

1. Entries 8 to 14 renumbered as entries 9 to 15 by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 4 (w.e.f. 1-5-1960).
2. Subs. by the Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 (15 of 2011), s. 6, for "Orissa" (w.e.f. 1-11-2011).
3. Ins. by the Acquired Territories (Merger) Act, 1960 (64 of 1960), s. 4 (w.e.f. 17-1-1961).
4. Added by the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960, s. 3 (w.e.f. 17-1-1961).
5. Added by the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), s. 7 (w.e.f. 1-11-1966).
6. Ins. by the Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Act, 1959 (47 of 1959), s. 4 (w.e.f. 1-10-1959).

भारत का संविधान (पहली अनुसूची)

256

नाम	राज्यक्षेत्र
¹ [10.] ² [ओडिशा]	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले या तो उड़ीसा प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों ।
¹ [11.] पंजाब	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 11 में विनिर्दिष्ट हैं ³ [और वे राज्यक्षेत्र जो अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन) अधिनियम, 1960 की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं,] ⁴ [किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं] ⁵ [और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1), धारा 4 और धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।]
¹ [12.] राजस्थान	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 10 में विनिर्दिष्ट हैं, ⁶ [किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।]

-
- मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 8 से 14 तक को प्रविष्टि 9 से 15 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 - उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 की धारा 6 द्वारा (1-11-2011 से) "उड़ीसा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 - अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन) अधिनियम, 1960 (1960 का 64) की धारा 4 द्वारा (17-1-1961 से) अंतःस्थापित ।
 - संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 द्वारा (17-1-1961 से) जोड़ा गया ।
 - पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 7 द्वारा (1-11-1966 से) जोड़ा गया ।
 - राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 (1959 का 47) की धारा 4 द्वारा (1-10-1959 से) अंतःस्थापित ।

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
¹ [13.] Uttar Pradesh	² [The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province known as the United Provinces or were being administered as if they formed part of that Province, the territories specified in clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968, and the territories specified in clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979, but excluding the territories specified in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968, ³ [and the territories specified in section 3 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000] and the territories specified in clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979.]
¹ [14.] West Bengal	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of West Bengal or were being administered as if they formed part of that Province and the territory of Chandernagore as defined in clause (c) of section 2 of the Chandernagore (Merger) Act, 1954 and also the territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956 ⁴ [and also the territories referred to in Part III of the First Schedule but excluding the territories referred to in Part III of the Second Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015, notwithstanding anything contained in clause (c) of section 3 of the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960, so far as it relates to the territories referred to in Part III of the First Schedule and the territories referred to in Part III of the Second Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015.]

1. Entries 8 to 14 renumbered as entries 9 to 15 by the the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 4 (w.e.f. 1-5-1960).
2. Subs. by the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 (31 of 1979), s. 5, for the entry against "13. Uttar Pradesh" (w.e.f. 15-9-1983).
3. Ins. by the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000), s. 5 (w.e.f. 9-11-2000).
4. Added by the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015, s. 3 (w.e.f. 31-7-2015). For the text of the Act, see Appendix I.

नाम	राज्यक्षेत्र
¹ [13.] उत्तर प्रदेश	² वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो संयुक्त प्रांत नाम से ज्ञात प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों, वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) ³ [तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3] में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट हैं।]
¹ [14.] पश्चिमी बंगाल	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो पश्चिमी बंगाल प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों और चंद्रनगर (विलयन) अधिनियम, 1954 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित चंद्रनगर का राज्यक्षेत्र और वे राज्यक्षेत्र भी जो बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं ⁴ [और वे राज्यक्षेत्र भी, जो पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों और दूसरी अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं।]

- मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 8 से 14 तक को प्रविष्टि 9 से 15 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
- हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 का 31) की धारा 5 द्वारा (15-9-1983 से) "13. उत्तर प्रदेश" के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 5 द्वारा (9-11-2000 से) अंतःस्थापित।
- संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 3 द्वारा (31-7-2015 से) जोड़ा गया। उक्त अधिनियम के पाठ के लिए परिशिष्ट 1 देखें।

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
¹ [² **	* * *]
³ [⁴ [15.] Nagaland	The territories specified in sub-section (1) of section 3 of the State of Nagaland Act, 1962.]
³ [⁵ [16.] Haryana	⁶ [The territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 and the territories specified in clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979, but excluding the territories specified in clause (v) of sub-section (1) of section 4 of that Act.]]
³ [⁷ [17.] Himachal Pradesh	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were being administered as if they were Chief Commissioners' Provinces under the names of Himachal Pradesh and Bilaspur and the territories specified in sub-section (1) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966.]
³ [⁸ [18.] Manipur	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was being administered as if it were a Chief Commissioner's Province under the name of Manipur.]

1. **Entry 15 relating to Jammu and Kashmir deleted by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), s. 6 (w.e.f. 31-10-2019).
2. Entries 8 to 14 renumbered as 9 to 15 by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 4 (w.e.f. 1-5-1960).
3. Entries 16 to 29 renumbered as entries 15 to 28 by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), s. 6 (w.e.f. 31-10-2019).
4. Ins. by the State of Nagaland Act, 1962 (27 of 1962), s. 4 (w.e.f. 1-12-1963).
5. Ins. by the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), s. 7 (w.e.f. 1-11-1966) and the entry therein subsequently amended by the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 (31 of 1979), s. 5 (w.e.f. 15-9-1983).
6. Subs. by the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 (31 of 1979), s. 5, for the entry against "17. Haryana" (w.e.f. 15-9-1983).
7. Ins. by the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), s. 4 (w.e.f. 25-1-1971).
8. Ins. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 9 (w.e.f. 21-1-1972).

नाम	राज्यक्षेत्र
¹ [² ** * * *]]	
³ [⁴ [15.] नागालैंड	वे राज्यक्षेत्र जो नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।]
³ [⁵ [16.] हरियाणा	⁶ [वे राज्यक्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं ।]]
³ [⁷ [17.] हिमाचल प्रदेश	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाले प्रांत रहे हों और वे राज्यक्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।]
³ [⁸ [18.] मणिपुर	वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित था मानो वह मणिपुर के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाला प्रांत रहा हो ।]

1. ** जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 6 द्वारा (31-10-2019 से) जम्मू-कश्मीर से संबंधित प्रविष्टि 15 को हटा दिया गया ।
2. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 8 से 14 तक को प्रविष्टि 9 से 15 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 6 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि 16 से प्रविष्टि 29 को प्रविष्टि 15 से प्रविष्टि 28 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
4. नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 4 द्वारा (1-12-1963 से) अंतःस्थापित ।
5. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 7 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित और तत्पश्चात् हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 का 31) की धारा 5 द्वारा (15-9-1983 से) उसमें की प्रविष्टि को संशोधित किया गया ।
6. हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 का 31) की धारा 5 द्वारा (15-9-1983 से) "17. हरियाणा" के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 4 द्वारा (25-1-1971 से) अंतःस्थापित ।
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
¹ [19.] Tripura	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was being administered as if it were a Chief Commissioner's Province under the name of Tripura ² [and the territories referred to in Part II of the First Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015, notwithstanding anything contained in clause (d) of section 3 of the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960, so far as it relates to the territories referred to in Part II of the First Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015.]
¹ [20.] Meghalaya	The territories specified in section 5 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971] ² [and the territories referred to in Part I of the First Schedule but excluding the territories referred to in Part II of the Second Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015.]
¹ [³ [21.] Sikkim	The territories which immediately before the commencement of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, were comprised in Sikkim.]
¹ [⁴ [22.] Mizoram	The territories specified in section 6 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971.]
¹ [⁵ [23.] Arunachal Pradesh	The territories specified in section 7 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971.]
¹ [⁶ [24.] Goa	The territories specified in section 3 of the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987.]

1. Entries 16 to 29 renumbered as entries 15 to 28 by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), s. 6 (w.e.f. 31-10-2019).
2. Added by the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015, s. 3 (w.e.f. 31-7-2015). For the text of the Act, see Appendix I.
3. Ins. by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 2 (w.e.f. 26-4-1975).
4. Ins. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 4 (w.e.f. 20-2-1987).
5. Ins. by the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), s. 4 (w.e.f. 20-2-1987).
6. Ins. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), s. 5 (w.e.f. 30-5-1987).

भारत का संविधान

(पहली अनुसूची)

259

नाम	राज्यक्षेत्र
¹ [19.] त्रिपुरा	वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित था मानो वह त्रिपुरा के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाला प्रांत रहा हो ² [और वे राज्यक्षेत्र जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां तक उनका संबंध संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से हैं, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं ।]
¹ [20. मेघालय	वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 5 में विनिर्दिष्ट हैं ² [और वे राज्यक्षेत्र, जो पहली अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट हैं किन्तु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं ।]
¹ [³ [21.] सिक्किम	वे राज्यक्षेत्र जो संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ से ठीक पहले सिक्किम में समाविष्ट थे ।]
¹ [⁴ [22.] मिजोरम	वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं ।]
¹ [⁵ [23.] अरुणाचल प्रदेश	वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 7 में विनिर्दिष्ट हैं ।]
¹ [⁶ [24.] गोवा	वे राज्यक्षेत्र जो गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं ।]

- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 6 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि 16 से प्रविष्टि 29 को प्रविष्टि 15 से प्रविष्टि 28 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
- संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 3 द्वारा (31-7-2015 से) जोड़ा गया । उक्त अधिनियम के पाठ के लिए परिशिष्ट 1 देखें ।
- संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 2 द्वारा (26-4-1975 से) अंतःस्थापित ।
- मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 4 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।
- अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 4 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।
- गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 5 द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित ।

(First Schedule)

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
¹ [² [25.] Chhattisgarh	The territories specified in section 3 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000.]
¹ [³ [26.] ⁴ [Uttarakhand]	The territories specified in section 3 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000.]
¹ [⁵ [27.] Jharkhand	The territories specified in section 3 of the Bihar Reorganisation Act, 2000.]
¹ [⁶ [28.] Telangana	The territories specified in section 3 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.]

II. THE UNION TERRITORIES

<i>Name</i>	<i>Extent</i>
1. Delhi	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Chief Commissioner's Province of Delhi.
7[* * * *	*]
⁸ [2.] The Andaman and Nicobar Islands	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Chief Commissioner's Province of the Andaman and Nicobar Islands.

1. Entries 16 to 29 renumbered as entries 15 to 28 by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), s. 6 (w.e.f. 31-10-2019).
2. Added by the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), s. 5 (w.e.f. 1-11-2000).
3. Ins. by the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000), s. 5 (w.e.f. 9-11-2000).
4. Subs. by the Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006 (52 of 2006), s. 4, for the word "Uttaranchal" (w.e.f. 1-1-2007).
5. Added by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), s. 5 (w.e.f. 15-11-2000).
6. Ins. by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, s. 10 (w.e.f. 2-6-2014).
7. Entry 2 relating to "Himachal Pradesh" omitted and entries 3 to 10 renumbered as entries 2 to 9 respectively by the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), s. 4 (w.e.f. 25-1-1971) and subsequently entries relating to Manipur and Tripura (i.e. entries 2 and 3) omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971) s. 9 (w.e.f. 21-1-1972).
8. Entries 4 to 9 renumbered as entries 2 to 7 by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 9 (w.e.f. 21-1-1972).

नाम	राज्यक्षेत्र
¹ [² [25.] छत्तीसगढ़]	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र ।]
¹ [³ [26.] ⁴ [उत्तराखंड]	वे राज्यक्षेत्र जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं ।]
¹ [⁵ [27.] झारखंड]	वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं ।]
¹ [⁶ [28.] तेलंगाना]	वे राज्यक्षेत्र जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं ।]

2. संघ राज्यक्षेत्र

नाम	विस्तार
1. दिल्ली	वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले दिल्ली के मुख्य आयुक्त वाले प्रांत में समाविष्ट था ।
7[*	* * * *
8[2.] अंदमान और निकोबार द्वीप	वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अंदमान और निकोबार द्वीप के मुख्य आयुक्त वाले प्रांत में समाविष्ट था ।

1. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 6 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि 16 से प्रविष्टि 29 को प्रविष्टि 15 से प्रविष्टि 28 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
2. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 5 द्वारा (1-11-2000 से) अंतःस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 5 द्वारा (9-11-2000 से) अंतःस्थापित ।
4. उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 52) की धारा 4 द्वारा (1-1-2007 से) "उत्तरांचल" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 5 द्वारा (15-11-2000 से) अंतःस्थापित ।
6. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 10 द्वारा (2-6-2014 से) अंतःस्थापित ।
7. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 4 द्वारा (25-1-1971 से) "हिमाचल प्रदेश" से संबंधित प्रविष्टि 2 का लोप किया गया और प्रविष्टि 3 से प्रविष्टि 10 तक को प्रविष्टि 2 से प्रविष्टि 9 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया तथा तत्पश्चात् पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) मणिपुर और त्रिपुरा आदि से संबंधित प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 3 का लोप किया गया और पुनःसंख्यांकित किया गया ।
8. पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) प्रविष्टि 4 से 9 तक को क्रमशः प्रविष्टि 2 से प्रविष्टि 7 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
¹ [3.] ² [Lakshadweep]	The territory specified in section 6 of the States Reorganisation Act, 1956.
³ [¹ [4.] Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu]	The territory which immediately before the eleventh day of August, 1961 was comprised in Free Dadra and Nagar Haveli and the territories specified in section 4 of the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987.]
⁴ [¹ [*] ³ [	* * * *]
⁵ [¹ [6.] ⁶ [Puducherry]	The territories which immediately before the sixteenth day of August, 1962, were comprised in the French Establishments in India known as Pondicherry, Karikal, Mahe and Yanam.]
⁷ [¹ [7.] Chandigarh]	The territories specified in section 4 of the Punjab Reorganisation Act, 1966.]

1. Entries 4 to 9 renumbered as entries 2 to 7 (respectively) by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 9 (w.e.f. 21-1-1972).
2. Subs. by the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) Act, 1973 (34 of 1973), s. 5, for "The Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands" (w.e.f. 1-11-1973).
3. Entry 4 relating to Dadra and Nagar Haveli was ins. by the Constitution (Tenth Amendment) Act, 1961, s.2 (w.e.f. 11-8-1961). And subsequently subs. by the Dadra and Nagar Haveli Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019), s. 5 for entries 4 and 5 (w.e.f. 19-12-2019).
4. Subs. by the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987 (18 of 1987), s. 5, for entry 5 (w.e.f. 30-5-1987).
5. Ins. by the Constitution (Fourteenth Amendment) Act, 1962, s. 3 (with retrospective effect).
6. Subs. by the Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006), s. 5 for "Pondicherry" (w.e.f. 1-10-2006).
7. Ins. by the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), s. 7 (w.e.f. 1-11-1966).

भारत का संविधान (पहली अनुसूची)

261

नाम	विस्तार
¹ [3.] ² [लक्षद्वीप]	वह राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 6 में विनिर्दिष्ट है ।
³ [¹ [4.] दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	वह राज्यक्षेत्र जो 11 अगस्त, 1961 से ठीक पहले स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली में समाविष्ट था तथा वे राज्यक्षेत्र जो गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।]
⁴ [¹ [*] ³ [	* * * *]
⁵ [¹ [6.] ⁶ [पुडुचेरी]	वे राज्यक्षेत्र जो 16 अगस्त, 1962 से ठीक पहले भारत में पांडिचेरी, कारिकल, माही और यनम के नाम से ज्ञात फ्रांसीसी बस्तियों में समाविष्ट थे ।]
⁷ [¹ [7.] चंडीगढ़	वे राज्यक्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।]

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) क्रमशः प्रविष्टि 4 से प्रविष्टि 9 तक को प्रविष्टि 2 से प्रविष्टि 7 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
- लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 34) की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) "लक्कादीव, मिनिकोय, अमीनदीवी द्वीप" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 द्वारा (11-8-1961 से) दादरा और नागर हवेली से संबंधित प्रविष्टि 4 अन्तःस्थापित की गई थी । तथा तत्पश्चात् दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 5 द्वारा (19-12-2019 से) प्रविष्टि 4 और प्रविष्टि 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 5 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित ।
- पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 5 द्वारा (1-10-2006 से) "पांडिचेरी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 7 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित ।

<i>Name</i>		<i>Territories</i>		
¹ [*	*	*	*	*)]
¹ [*	*	*	*	*)]
² [8. Jammu and Kashmir	The territories specified in section 4 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019.			
9. Ladakh	The territories specified in section 3 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019.]			

1. Entry 8 relating to Mizoram omitted and entry 9 relating to Arunachal Pradesh renumbered as entry 8 by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 4 (w.e.f. 20-2-1987) and entry 8 relating to Arunachal Pradesh omitted by the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986) s. 4 (w.e.f. 15-4-1987).

2. Ins. by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) s. 6 (w.e.f. 31-10-2019).

भारत का संविधान

(पहली अनुसूची)

262

नाम	विस्तार
¹ [* * * * *]	
¹ [* * * * *]	
² [8. जम्मू-कश्मीर	वे राज्यक्षेत्र, जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट है ।
9. लद्दाख	वे राज्यक्षेत्र, जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट है ।]

- मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 4 द्वारा (20-2-1987 से) मिजोरम संबंधी प्रविष्टि 8 का लोप किया गया और अरुणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि 9 को प्रविष्टि 8 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया और अरुणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि 8 का अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 4 द्वारा (15-4-1987 से) लोप किया गया ।
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 6 द्वारा (31-10-2019 से) अन्तःस्थापित ।

[Articles 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164 (5), 186 and 221]

PROVISIONS AS TO THE PRESIDENT AND THE GOVERNORS OF STATES ^{1***}

The President		10,000 rupees*.

The Governor of a State 5,500 rupees**.

2. There shall also be paid to the President and to the Governors of the States ^{2***} such allowances as were payable respectively to the Governor-General of the Dominion of India and to the Governors of the corresponding Provinces immediately before the commencement of this Constitution.

3. The President and the Governors of³[the States] throughout their respective terms of office shall be entitled to the same privileges to which the Governor-General and the Governors of the corresponding Provinces were respectively entitled immediately before the commencement of this Constitution.

4. While the Vice-President or any other person is discharging the functions of, or is acting as, President, or any person is discharging the functions of the Governor, he shall be entitled to the same emoluments, allowances and privileges as the President or the Governor whose functions he discharges or for whom he acts, as the case may be.

4^* $*$ $*$ $*$ $*$

1. The words and letter "specified in Part A of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

* Now five lakh rupees, *vide* the Finance Act, 2018 (13 of 2018), s. 137. (w.e.f. 1-1-2016).

** Now three lakh fifty thousand rupees, by s. 161, *ibid.*, (w.e.f. 1-1-2016).

2. The words "so specified" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

3. Subs. by s. 29 and Sch., *ibid.*, for "such states" (w.e.f. 1-11-1956).

4. Part B omitted by s. 29 and Sch., *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

दूसरी अनुसूची

[अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221]

भाग क

राष्ट्रपति और ^{1***} राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध

1. राष्ट्रपति और ^{1***} राज्यों के राज्यपालों को प्रति मास निम्नलिखित उपलब्धियों का संदाय किया जाएगा, अर्थात्:—

राष्ट्रपति 10,000 रुपए* ।

राज्य का राज्यपाल 5,500 रुपए**।

2. राष्ट्रपति और ^{2***} राज्यों के राज्यपालों को ऐसे भत्तों का भी संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः भारत डोमिनियन के गवर्नर जनरल को तथा तत्स्थानी प्रांतों के गवर्नरों को संदेय थे ।

3. राष्ट्रपति और ³[राज्यों] के राज्यपाल अपनी-अपनी संपूर्ण पदावधि में ऐसे विशेषाधिकारों के हकदार होंगे जिनके इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः गवर्नर जनरल और तत्स्थानी प्रांतों के गवर्नर हकदार थे ।

4. जब उपराष्ट्रपति या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है या उसके रूप में कार्य कर रहा है या कोई व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जिनका, यथास्थिति, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल हकदार है जिसके कृत्यों का वह निर्वहन करता है या, यथास्थिति, जिसके रूप में वह कार्य करता है ।

4*

*

*

*

*

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षर का लोप किया गया ।

* वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 137 द्वारा (1-1-2016 से) अब यह "पांच लाख रुपए" है ।

** वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 161 द्वारा (1-1-2016 से) अब यह "तीन लाख पचास हजार रुपए" है ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "ऐसे विनिर्दिष्ट" शब्दों का लोप किया गया ।

3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "ऐसे राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) भाग ख का लोप किया गया ।

PART C

PROVISIONS AS TO THE SPEAKER AND THE DEPUTY SPEAKER OF THE HOUSE
OF THE PEOPLE AND THE CHAIRMAN AND THE DEPUTY CHAIRMAN
OF THE COUNCIL OF STATES AND THE SPEAKER AND THE
DEPUTY SPEAKER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY ^{1***}
AND THE CHAIRMAN AND THE DEPUTY CHAIRMAN
OF THE LEGISLATIVE COUNCIL OF ²[A STATE]

7. There shall be paid to the Speaker of the House of the People and the Chairman of the Council of States such salaries and allowances as were payable to the Speaker of the Constituent Assembly of the Dominion of India immediately before the commencement of this Constitution, and there shall be paid to the Deputy Speaker of the House of the People and to the Deputy Chairman of the Council of States such salaries and allowances as were payable to the Deputy Speaker of the Constituent Assembly of the Dominion of India immediately before such commencement.

8. There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly ^{3***} and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of ⁴[a State] such salaries and allowances as were payable respectively to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and the President and the Deputy President of the Legislative Council of the corresponding Province immediately before the commencement of this Constitution and, where the corresponding Province had no Legislative Council immediately before such commencement, there shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of the State such salaries and allowances as the Governor of the State may determine.

1. The words and letter "OF A STATE IN PART A OF THE FIRST SCHEDULE" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by s. 29 and Sch., *ibid.*, for "ANY SUCH STATE." (w.e.f. 1-11-1956).

3. The words and letter "of a State specified in Part A of the First Schedule" omitted by s. 29 and Sch., *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

4. Subs. by s. 29 and Sch., *ibid.*, for "such State" (w.e.f. 1-11-1956).

(दूसरी अनुसूची)

भाग ग

लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा ^{1***} ²[राज्य] की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान

परिषद् के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध

7. लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के अध्यक्ष को संदेय थे तथा लोक सभा के उपाध्यक्ष को और राज्य सभा के उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के उपाध्यक्ष को संदेय थे ।

8. ^{3***} राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा ⁴[राज्य] की विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः तत्स्थानी प्रांत की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को संदेय थे और जहां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रांत की कोई विधान परिषद् नहीं थी वहां उस राज्य की विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो उस राज्य का राज्यपाल अवधारित करे ।

-
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क में के किसी राज्य का" शब्दों और अक्षर का लोप किया गया ।
 2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "किसी ऐसे राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी राज्य का" शब्दों और अक्षर का लोप किया गया ।
 4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "कोई ऐसा राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Second Schedule)

PART D

PROVISIONS AS TO THE JUDGES OF THE SUPREME COURT AND OF THE
HIGH COURTS ^{1***}

9. [(1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court, in respect of time spent on actual service, salary at the following rates per mensem, that is to say:—

The Chief Justice .. ²[10,000 rupees].*

Any other Judge .. ³[9,000 rupees].**

Provided that if a Judge of the Supreme Court at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or any of its predecessor Governments or under the Government of a State or any of its predecessor Governments, his salary in respect of service in the Supreme Court ⁴[shall be reduced—

(a) by the amount of that pension; and

(b) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension; and

(c) if he has, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service, by the pension equivalent of that gratuity.]

(2) Every Judge of the Supreme Court shall be entitled without payment of rent to the use of an official residence.

(3) Nothing in sub-paragraph (2) of this paragraph shall apply to a Judge who, immediately before the commencement of this Constitution,—

1. The words and letter "IN STATES IN PART A OF THE FIRST SCHEDULE" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 25(a) (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Act, 1986, s. 4, for "5,000 rupees to 10,000 rupees" (w.e.f. 1-4-1986).

* Now two lakh eighty thousand rupees, *vide* the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2018 (10 of 2018), s. 6 (w.e.f. 1-1-2016).

3. Subs. by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Act, 1986, s. 4, for "4,000 rupees" (w.e.f. 1-4-1986).

** Now two lakh fifty thousand rupees, *vide* the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2018 (10 of 2018), s. 6 (w.e.f. 1-1-2016).

4. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 25(b), for "shall be reduced by the amount of that pension" (w.e.f. 1-11-1956).

(दूसरी अनुसूची)

भाग घ

उच्चतम न्यायालय और ^{1***} उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध

9. [(1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए प्रति मास निम्नलिखित दर से वेतन का संदाय किया जाएगा, अर्थात्: —

मुख्य न्यायमूर्ति

² [10,000 रुपए]*

कोई अन्य न्यायाधीश

³ [9,000 रुपए:]**

परंतु यदि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य की सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पूर्व सेवा के संबंध में (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उच्चतम न्यायालय में सेवा के लिए उसके वेतन में से ⁴[निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा, अर्थात्: —

(क) उस पेंशन की रकम; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम; और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में निवृत्ति-उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान के समतुल्य पेंशन]]

(2) उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश, बिना किराया दिए, शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा ।

(3) इस पैरा के उप-पैरा (2) की कोई बात उस न्यायाधीश को, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले,—

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 25(क) द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क में के राज्यों में" शब्दों का लोप किया गया ।

2. संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 4 द्वारा (1-4-1986 से) "5,000 रुपए" के स्थान पर "10,000 रुपए" प्रतिस्थापित ।

* उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 10) की धारा 6 के अनुसार (1-1-2016 से) अब यह "दो लाख अस्सी हजार रुपए" है ।

3. संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 4 द्वारा (1-4-1986 से) "4,000 रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

** उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 10) की धारा 6 के अनुसार (1-1-2016 से) अब यह "दो लाख पचास हजार रुपए" है ।

4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 25(ख) द्वारा (1-11-1956 से) "उस पेंशन की राशि घटा दी जाएगी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Second Schedule)

(a) was holding office as the Chief Justice of the Federal Court and has become on such commencement the Chief Justice of the Supreme Court under clause (1) of article 374; or

(b) was holding office as any other Judge of the Federal Court and has on such commencement become a Judge (other than the Chief Justice) of the Supreme Court under the said clause,

during the period he holds office as such Chief Justice or other Judge, and every Judge who so becomes the Chief Justice or other Judge of the Supreme Court shall, in respect of time spent on actual service as such Chief Justice or other Judge, as the case may be, be entitled to receive in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which he was drawing immediately before such commencement.

(4) Every Judge of the Supreme Court shall receive such reasonable allowances to reimburse him for expenses incurred in travelling on duty within the territory of India and shall be afforded such reasonable facilities in connection with travelling as the President may from time to time prescribe.

(5) The rights in respect of leave of absence (including leave allowances) and pension of the Judges of the Supreme Court shall be governed by the provisions which, immediately before the commencement of this Constitution, were applicable to the Judges of the Federal Court.

10. (1) ¹[There shall be paid to the Judges of High Courts, in respect of time spent on actual service, salary at the following rates per mensem, that is to say,—

The Chief Justice	..	² [9,000 rupees]*
Any other Judge	..	³ [8,000 rupees]:**

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 25(c), (i), for sub-paragraph (1) (w.e.f. 1-11-1956).

2. Subs. by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Act, 1986, s. 4, for "4,000 rupees" (w.e.f. 1-4-1986).

* Now two lakh fifty thousand rupees, *vide* the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2018 (10 of 2018), s. 2 (w.e.f. 1-1-2016).

3. Subs. by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Act, 1986, s. 4, for "3,500 rupees" (w.e.f. 1-4-1986).

** Now two lakh twenty-five thousand rupees, *vide* the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2018 (10 of 2018), s. 2 (w.e.f. 1-1-2016).

(दूसरी अनुसूची)

(क) फेडरल न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर अनुच्छेद 374 के खंड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बन गया है; या

(ख) फेडरल न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर उक्त खंड के अधीन उच्चतम न्यायालय का (मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न) न्यायाधीश बन गया है,

उस अवधि में, जिसमें वह ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, लागू नहीं होगी और ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश, जो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश बन जाता है, यथास्थिति, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश के जो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश बन जाता है, यथास्थिति, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन और ऐसे वेतन के अंतर के बराबर है जो वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था ।

(4) उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसे व्यक्तिभूक्त भत्ते प्राप्त करेगा और यात्रा संबंधी उसे ऐसी व्यक्तिभूक्त सुविधाएं दी जाएंगी जो राष्ट्रपति समय-समय पर विहित करे ।

(5) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति छुट्टी के (जिसके अंतर्गत छुट्टी भत्ते हैं) और पेंशन के संबंध में अधिकार उन उपबंधों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे ।

10. ¹[(1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए प्रति मास निम्नलिखित दर से वेतन का संदाय किया जाएगा, अर्थात्:—

मुख्य न्यायमूर्ति	..	² [9,000 रुपए]*
कोई अन्य न्यायाधीश	..	³ [8,000 रुपए]:**

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 25(ग)(i) द्वारा (1-11-1956 से) उप-पैरा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. संविधान (चौदवां संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 4 द्वारा (1-4-1986 से) "4,000 रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 10) की धारा 2 के अनुसार (1-1-2016 भूतलक्षी प्रभाव से) अब यह "दो लाख पचास हजार रुपए" है ।

3. संविधान (चौदवां संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 4 द्वारा (1-4-1986 से) "3,500 रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

** उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 10) की धारा 2 के अनुसार (1-1-2016 भूतलक्षी प्रभाव से) अब यह "दो लाख पच्चीस हजार रुपए" है ।

(Second Schedule)

Provided that if a Judge of a High Court at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or any of its predecessor Governments or under the Government of a State or any of its predecessor Governments, his salary in respect of service in the High Court shall be reduced—

(a) by the amount of that pension; and

(b) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension; and

(c) if he has, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service, by the pension equivalent of that gratuity.]

(2) Every person who immediately before the commencement of this Constitution—

(a) was holding office as the Chief Justice of a High Court in any Province and has on such commencement become the Chief Justice of the High Court in the corresponding State under clause (1) of article 376; or

(b) was holding office as any other Judge of a High Court in any Province and has on such commencement become a Judge (other than the Chief Justice) of the High Court in the corresponding State under the said clause,

shall, if he was immediately before such commencement drawing a salary at a rate higher than that specified in sub-paragraph (1) of this paragraph, be entitled to receive in respect of time spent on actual service as such Chief Justice or other Judge, as the case may be, in addition to the salary specified in the said sub-paragraph as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which he was drawing immediately before such commencement.

¹[(3) Any person who, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, was holding office as the Chief Justice of the High Court of a State specified in Part B of the First Schedule and has on such commencement become the Chief Justice of the High Court of a State specified in the said Schedule as amended by the said Act, shall, if he was immediately before such commencement drawing any amount as allowance in addition to his salary, be entitled to receive in respect of time spent on actual service as such Chief Justice, the same amount as allowance in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph.].

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 25(c), (ii), for sub-paragraphs (3) and (4) (w.e.f. 1-11-1956).

(दूसरी अनुसूची)

परंतु यदि किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य की सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पूर्व सेवा के संबंध में (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उच्च न्यायालय में सेवा के लिए उसके वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा, अर्थात्: —

(क) उस पेंशन की रकम; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम; और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में निवृत्ति-उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान के समतुल्य पेंशन ।]

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले—

(क) किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण कर रहा था और ऐसे प्रारंभ पर अनुच्छेद 376 के खंड (1) के अधीन तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बन गया है; या

(ख) किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर उक्त खंड के अधीन तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय का (मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न) न्यायाधीश बन गया है, यदि वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट दर से उच्चतर दर पर वेतन प्राप्त कर रहा था तो, यथास्थिति, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन और ऐसे वेतन के अंतर के बराबर है जो वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था ।

¹[(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले, पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बन गया है, यदि वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले अपने वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में कोई रकम प्राप्त कर रहा था तो, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में वही रकम प्राप्त करने का हकदार होगा ।]

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 25(ग)(ii) द्वारा (1-11-1956 से) उप-पैरा (3) और उप-पैरा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

11. In this Part, unless the context otherwise requires,—

(a) the expression “Chief Justice” includes an acting Chief Justice, and a “Judge” includes an *ad hoc* Judge;

(b) “actual service” includes—

(i) time spent by a Judge on duty as a Judge or in the performance of such other functions as he may at the request of the President undertake to discharge;

(ii) vacations, excluding any time during which the Judge is absent on leave; and

(iii) joining time on transfer from a High Court to the Supreme Court or from one High Court to another.

PART E

PROVISIONS AS TO THE COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA

12. (1) There shall be paid to the Comptroller and Auditor-General of India a salary at the rate of *four thousand rupees per mensem.

(2) The person who was holding office immediately before the commencement of this Constitution as Auditor-General of India and has become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India under article 377 shall in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph be entitled to receive as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which he was drawing as Auditor-General of India immediately before such commencement.

(3) The rights in respect of leave of absence and pension and the other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General of India shall be governed or shall continue to be governed, as the case may be, by the provisions which were applicable to the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution and all references in those provisions to the Governor-General shall be construed as references to the President.

* The Comptroller and Auditor-General of India shall be paid a salary equal to the salary of the Judges of the Supreme Court *vide* s. 3 of the Comptroller and Auditor-General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971). The salary of Judges of the Supreme Court has been raised to two lakh fifty thousand rupees per mensem by the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2018 (10 of 2018), s. 6 (w.e.f. 1-1-2016).

(दूसरी अनुसूची)

11. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “मुख्य न्यायमूर्ति” पद के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति है और “न्यायाधीश” पद के अंतर्गत तर्दथ न्यायाधीश है;

(ख) “वास्तविक सेवा” के अंतर्गत—

(i) न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीश के रूप में कर्तव्य पालन में या ऐसे अन्य कृत्यों के पालन में, जिनका राष्ट्रपति के अनुरोध पर उसने निर्वहन करने का भार अपने ऊपर लिया है, बिताया गया समय है;

(ii) उस समय को छोड़कर जिसमें न्यायाधीश छुट्टी लेकर अनुपस्थित है, दीर्घावकाश है; और

(iii) उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण पर जाने पर पदग्रहण-काल है ।

भाग ड

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध

12. (1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को *चार हजार रुपए प्रतिमास की दर से वेतन का संदाय किया जाएगा ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर अनुच्छेद 377 के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बन गया है, इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन और ऐसे वेतन के अंतर के बराबर है जो वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में प्राप्त कर रहा था ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन तथा अन्य सेवा-शर्तों के संबंध में अधिकार उन उपबंधों से, यथास्थिति, शासित होंगे या शासित होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के महालेखापरीक्षक को लागू थे और उन उपबंधों में गवर्नर जनरल के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हैं ।

* नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 3 द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन का संदाय किया जाएगा । उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 10) की धारा 6 द्वारा (1-1-2016 भूतलक्षी प्रभाव से) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन “दो लाख पचास हजार रुपए” प्रति मास तक बढ़ा दिया गया है ।

THIRD SCHEDULE

[Articles 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 and 219]*

Forms of Oaths or Affirmations

I

Form of oath of office for a Minister for the Union:—

“I, A. B., do swear in the name of God that I will bear true faith
solemnly affirm

and allegiance to the Constitution of India as by law established, ¹[that I will uphold the sovereignty and integrity of India,] that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill-will.”

II

Form of oath of secrecy for a Minister for the Union:—

“I, A. B., do swear in the name of God that I will not directly or
solemnly affirm

indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister.”

²[III

A

Form of oath or affirmation to be made by a candidate for election to Parliament:—

* See also arts. 84 (a) and 173 (a).

1. Ins. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 5 (w.e.f. 5-10-1963).

2. Subs. by s. 5, *ibid.*, for Form III. (w.e.f. 5-10-1963).

तीसरी अनुसूची

[अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219]*

शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप

1

संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्ररूप: —

“मैं, अमुक, $\frac{\text{ईश्वर की शपथ लेता हूँ}}{\text{सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ}}$ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, '[मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा,] मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।”

2

संघ के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप: —

“मैं, अमुक, $\frac{\text{ईश्वर की शपथ लेता हूँ}}{\text{सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ}}$ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।”

²[3

क

संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप: —

* अनुच्छेद 84(क) और अनुच्छेद 173(क) भी देखिए ।

1. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा (5-10-1963 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा (5-10-1963 से) प्ररूप 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Third Schedule)

“I, A.B., having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of States (or the House of the People) do swear in the name of God solemnly affirm

that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India.”

B

Form of oath or affirmation to be made by a member of Parliament:—

“I, A.B., having been elected (or nominated) a member of the Council of States (or the House of the People) do swear in the name of God solemnly affirm

that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.”]

IV

Form of oath or affirmation to be made by the Judges of the Supreme Court and the Comptroller and Auditor-General of India:—

“I, A.B., having been appointed Chief Justice (or a Judge) of the Supreme Court of India (or Comptroller and Auditor-General of India) do swear in the name of God that I will bear true faith and solemnly affirm

faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,
¹[that I will uphold the sovereignty and integrity of India,] that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws.”

1. Ins. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 5 (w.e.f. 5-10-1963).

(तीसरी अनुसूची)

“मैं, अमुक, जो राज्य सभा (या लोक सभा) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा ।”

ख

संसद् के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:—

“मैं, अमुक, जो राज्य सभा (या लोक सभा) का सदस्य निर्वाचित (या नामनिर्देशित) हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा ।”]

4

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:—

“मैं, अमुक, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति (या न्यायाधीश) (या भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, [मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा,] तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा ।”

1. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा (5-10-1963 से) अंतःस्थापित ।

(Third Schedule)

V

Form of oath of office for a Minister for a State:—

“I, A.B., do swear in the name of God that I will bear true faith
solemnly affirm

and allegiance to the Constitution of India as by law established, ¹[that I will uphold the sovereignty and integrity of India,] that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill-will.”

VI

Form of oath of secrecy for a Minister for a State:—

“I, A.B., do swear in the name of God that I will not directly or
solemnly affirm

indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the State of except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister.”

²[VII

A

Form of oath or affirmation to be made by a candidate for election to the Legislature of a State:—

“I, A.B., having been nominated as a candidate to fill a seat in the Legislative Assembly (or Legislative Council), do swear in the name of God that I will bear true faith and
solemnly affirm

allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India.”

1. Ins. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 5 (w.e.f. 5-10-1963).

2. Subs. by s. 5, *ibid.*, for Form VII (w.e.f. 5-10-1963).

(तीसरी अनुसूची)

5

किसी राज्य के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्ररूप: —

“मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, [मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा,] मैं -----राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा ।”

6

किसी राज्य के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप: —

“मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय ----- सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।”

2[7

क

किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:—

“मैं, अमुक, ----- जो विधान सभा (या विधान परिषद्) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा ।”

1. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा (5-10-1963 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा (5-10-1963 से) प्ररूप 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

B

Form of oath or affirmation to be made by a member of the Legislature of a State:—

“I, A.B., having been elected (or nominated) a member of the Legislative Assembly (or Legislative Council), do swear in the name of God that
solemnly affirm

I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.”]

VIII

Form of oath or affirmation to be made by the Judges of a High Court:—

“I, A.B., having been appointed Chief Justice (or a Judge) of the High Court at (or of) do swear in the name of God that I will bear
solemnly affirm

true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, ¹[that I will uphold the sovereignty and integrity of India,] that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws.”

1. Ins. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 5 (w.e.f. 5-10-1963).

(तीसरी अनुसूची)

ख

किसी राज्य के विधान-मंडल के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:—

“मैं, अमुक, जो विधान सभा (या विधान परिषद्) का सदस्य निर्वाचित (या नामनिर्देशित) ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा ।”]

8

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:—

“मैं, अमुक, जो ----- उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति (या न्यायाधीश) नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, [‘मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा,] तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा ।”

1. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा (5-10-1963 से) अंतःस्थापित ।

¹[FOURTH SCHEDULE

[Articles 4(1) and 80(2)]

Allocation of seats in the Council of States

To each State or Union territory specified in the first column of the following table, there shall be allotted the number of seats specified in the second column thereof opposite to that State or that Union territory, as the case may be:

TABLE

1.	Andhra Pradesh	² [11]
³ [2.	Telangana	7]
⁴ [3.]	Assam	7
⁴ [4.]	Bihar	⁵ [16]
⁶ [⁴ 5.]	Jharkhand	6]
⁷ [⁸ [⁴ 6.]	Goa	1]]
⁹ [⁸ [⁴ 7.]	Gujarat	11]]
¹⁰ [⁸ [⁴ 8.]	Haryana	5]]
⁸ [⁴ 9.]	Kerala	9

1. Fourth Schedule Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 3(2), for 'Fourth Schedule' (w.e.f. 1-11-1956).
2. Subs. by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, s. 12, for "18" (w.e.f. 2-6-2014).
3. Ins. by s. 12, *ibid.* (w.e.f. 2-6-2014).
4. Entries 2 to 30 renumbered as entries 3 to 31 respectively by s. 12, *ibid.* (w.e.f. 2-6-2014).
5. Subs. by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), s. 7, for "22" (w.e.f. 15-11-2000).
6. Ins. by s. 7, *ibid.* (w.e.f. 15-11-2000).
7. Entries 4 to 26 renumbered as entries 5 to 27 respectively and entry "4 Goa....1" ins. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), s. 6(a) and (b) (w.e.f. 30-5-1987).
8. Entries 4 to 29 renumbered as entries 5 to 30 by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), s. 7 (w.e.f. 15-11-2000).
9. Subs. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 6, for entry "4" (w.e.f. 1-5-1960).
10. Ins. by the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), s. 9 (w.e.f. 1-11-1966).

¹[चौथी अनुसूची
[अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2)]
राज्य सभा में स्थानों का आबंटन

निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को उतने स्थान आबंटित किए जाएंगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं :

सारणी

1. आंध्र प्रदेश	² [11]
³ [2. तेलंगाना.....	7]
⁴ [3.] असम	7
⁴ [4.] बिहार	⁵ [16]
⁶ [⁴ 5.] झारखंड	6]
⁷ [⁸ [⁴ 6.]] गोवा	1]
⁹ [⁸ [⁴ 7.]] गुजरात	11]
¹⁰ [⁸ [⁴ 8.]] हरियाणा	5]
⁸ [⁴ 9.] केरल	9]

-
- संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा (1-11-1956 से) चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 - आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) "18" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 - आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) अन्तःस्थापित ।
 - आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) 2 से 30 तक की प्रविष्टियों को क्रमशः 3 से 31 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 - बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) "22" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 - बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) अंतःस्थापित ।
 - गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित ।
 - बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 - मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि "4" के स्थान पर "प्रविष्टि 6" पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 - पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित ।

(Fourth Schedule)

¹ [² [10.]]	Madhya Pradesh	³ [11]
⁴ [¹ [² [11.]]	Chhattisgarh	5]]
⁵ [¹ [² [12.]]	Tamil Nadu	⁶ [18]]
⁷ [¹ [² [13.]]	Maharashtra	19]]
⁸ [¹ [² [14.]]	Karnataka	12]]
¹ [² [15.]]	⁹ [Odisha]	10]
¹ [² [16.]]	Punjab	¹⁰ [7]
¹ [² [17.]]	Rajasthan	10]
¹ [² [18.]]	Uttar Pradesh	¹¹ [31]
¹² [¹ [² [19.]]	¹³ [Uttarakhand]	3]]
¹ [² [20.]]	West Bengal	16]
¹⁴ [¹ [² [**]]	* * *	*)
¹⁵ [¹⁶ [¹ [² [21.]]	Nagaland	1]]

- Entries 4 to 29 renumbered as entries 5 to 30 by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), s. 7 (w.e.f. 15-11-2000).
- Entries 2 to 30 renumbered as entries 3 to 31 respectively by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, s. 12 (w.e.f. 2-6-2014).
- Subs. by the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), s. 7, for "16" (w.e.f. 1-11-2000).
- Ins. by s. 7, *ibid.* (w.e.f. 1-11-2000).
- Subs. by the Madras State (Alteration of Name) Act, 1968 (53 of 1968), s. 5, for "8. Madras" (renumbered as *11) (w.e.f. 14-1-1969).
- Subs. by the Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959 (56 of 1959), s. 8, for "17" (w.e.f. 1-4-1960).
- Ins. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 6 (w.e.f. 1-5-1960).
- Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) Act, 1973 (31 of 1973), s. 5, for "10. Mysore" (w.e.f. 1-11-1973).
- Subs. by the Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 (15 of 2011), s. 7 for "Orissa" (w.e.f. 1-11-2011).
- Subs. by the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), s. 9 for "11" (w.e.f. 1-11-1966).
- Subs. by the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000), s. 7 for "34" (w.e.f. 9-11-2000).
- Ins. by s. 7, *ibid.* (w.e.f. 9-11-2000).
- Subs. by the Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006 (52 of 2006), s. 5 for "Uttaranchal" (w.e.f. 1-1-2007).
- ** Entry 21 relating to Jammu and Kashmir deleted by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), s. 8 (w.e.f. 31-10-2019).
- Entries 22 to 31 re-numbered as entries 21 to 30, respectively by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), s. 8 (w.e.f. 31-10-2019).
- Ins. by the State of Nagaland Act, 1962 (27 of 1962), s. 6 (w.e.f. 1-12-1963).

(चौथी अनुसूची)

¹ [² [10.] मध्य प्रदेश	³ [11]
⁴ [¹ [² [11.]] छत्तीसगढ़	5]]
⁵ [¹ [² [12.] तमिलनाडु	⁶ [18]]
⁷ [¹ [² [13.] महाराष्ट्र	19]]
⁸ [¹ [² [14.] कर्नाटक	12]]
¹ [² [15.] ⁹ [ओडिशा]	10]
¹ [² [16.] पंजाब	¹⁰ [7]
¹ [² [17.] राजस्थान	10]
¹ [² [18.]] उत्तर प्रदेश	¹¹ [31]
¹² [¹ [² [19.] ¹³ [उत्तराखंड]	3]]
¹ [² [20.] पश्चिमी बंगाल	16]
¹⁴ [¹ [² [**]] * * *	*)
¹⁵ [¹⁶ [¹ [² [21.]] नागालैंड	1)]

1. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) 2 से 30 तक की प्रविष्टियों को क्रमशः 3 से 31 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
3. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 7 द्वारा (1-11-2000 से) "16" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 7 द्वारा (1-11-2000 से) अंतःस्थापित।
5. मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 53) की धारा 5 द्वारा (14-1-1969 से) "8. मद्रास" ("11" के रूप में पुनःसंख्यांकित) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56) की धारा 8 द्वारा (1-4-1960 से) "17" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) अंतःस्थापित।
8. मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) "10. मैसूर" ("13" के रूप में पुनःसंख्यांकित) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011 का 15) की धारा 7 द्वारा (1-11-2011 से) "उड़ीसा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
10. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) "11" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
11. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-11-2000 से) "34" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
12. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-11-2000 से) अंतःस्थापित।
13. उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 52) की धारा 5 द्वारा (1-1-2007 से) "उत्तरांचल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
14. ** जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 8 द्वारा (31-10-2019 से) जम्मू-कश्मीर से संबंधित प्रविष्टि 21 को हटा दिया गया है।
15. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 8 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि 22 से प्रविष्टि 31 को क्रमशः प्रविष्टि 21 से प्रविष्टि 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया है।
16. नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 6 द्वारा (1-12-1963 से) अंतःस्थापित।

(Fourth Schedule)

¹ [² [³ [⁴ [22.]	Himachal Pradesh	3]]]
³ [² [⁴ [23.]	Manipur	1]
³ [² [⁴ [24.]	Tripura	1]]
³ [² [⁴ [25.]	Meghalaya	1]]
⁵ [³ [² [⁴ [26.]	Sikkim	1]]
⁶ [³ [² [⁴ [27.]	Mizoram	1]]
⁷ [³ [² [⁴ [28.]	Arunachal Pradesh	1]]
³ [² [⁴ [29.]	Delhi	3]
³ [² [⁴ [30.]	⁸ [Puducherry]	1]]
⁹ [³ [² [⁴ [31.]	Jammu and Kashmir	4]
Total		¹⁰ [233]

1. Ins. by the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), s. 5 (w.e.f. 25-1-1971).
2. Entries 4 to 29 renumbered as entries 5 to 30 by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), s. 7 (w.e.f. 15-11-2000).
3. Entries 2 to 30 renumbered as entries 3 to 31 respectively by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), s. 12 (w.e.f. 2-6-2014).
4. Entries 22 to 31 renumbered as entries 21 to 30 respectively by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), s. 8 (w.e.f. 31-10-2019).
5. Ins. by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 4 (w.e.f. 26-4-1975).
6. Ins. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 5 (w.e.f. 20-2-1987).
7. Ins. by the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), s. 5 (w.e.f. 20-2-1987).
8. Subs. by the Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006) s. 4, for "Pondicherry" (w.e.f. 1-10-2006).
9. Ins. by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), s. 8 (w.e.f. 31-10-2019).
10. Subs. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), s. 6, for "232" (w.e.f. 30-5-1987).

(चौथी अनुसूची)

¹ [² [³ [⁴ [22.]] हिमाचल प्रदेश.....	3]]]
³ [² [⁴ [23.]] मणिपुर	1]
³ [² [⁴ [24.]] त्रिपुरा	1]]
³ [² [⁴ [25.]] मेघालय	1]]
⁵ [³ [² [⁴ [26.]] सिक्किम	1]]
⁶ [³ [² [⁴ [27.]] मिजोरम	1]]
⁷ [³ [² [⁴ [28.]] अरुणाचल प्रदेश	1]]
³ [² [⁴ [29.]] दिल्ली	3]
³ [² [⁴ [30.] ⁸ [पंडिचेरी]	1]]
⁹ [³ [² [⁴ [31. जम्मू-कश्मीर	4]
योग :- ¹⁰ [233]	

-
- हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 5 द्वारा (25-1-1971 से) अंतःस्थापित ।
 - बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 - आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 12 द्वारा (2-6-2014 से) 2 से 30 तक की प्रविष्टियाँ को क्रमशः 3 से 31 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 - जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 8 द्वारा (31-10-2019 से) प्रविष्टि 22 से प्रविष्टि 31 को क्रमशः प्रविष्टि 21 से प्रविष्टि 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया है ।
 - संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 4 द्वारा (26-4-1975 से) अंतःस्थापित ।
 - मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।
 - अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।
 - पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (1-10-2006 से) "पांडिचेरी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 - जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 8 द्वारा (31-10-2019 से) अन्तःस्थापित ।
 - गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) "232" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

FIFTH SCHEDULE

[Article 244(1)]

Provisions as to the Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes

PART A

GENERAL

1. **Interpretation.**—In this Schedule, unless the context otherwise requires, the expression “State” ^{1***} does not include the ²[States of Assam ³[, ⁴[Meghalaya, Tripura and Mizoram.]]]

2. **Executive power of a State in Scheduled Areas.**—Subject to the provisions of this Schedule, the executive power of a State extends to the Scheduled Areas therein.

3. **Report by the Governor ^{5***} to the President regarding the administration of Scheduled Areas.**—The Governor ^{5***} of each State having Scheduled Areas therein shall annually, or whenever so required by the President, make a report to the President regarding the administration of the Scheduled Areas in that State and the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to the State as to the administration of the said areas.

PART B

ADMINISTRATION AND CONTROL OF SCHEDULED AREAS AND SCHEDULED TRIBES

4. **Tribes Advisory Council.**—(1) There shall be established in each State having Scheduled Areas therein and, if the President so directs, also in any State having Scheduled Tribes but not Scheduled Areas therein, a Tribes Advisory Council consisting of not more than twenty members of whom, as nearly as may be, three-fourths shall be the representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State:

-
1. The words and letters "means a State specified in Part A or Part B of the First Schedule but" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
 2. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71, for "State of Assam" (w.e.f. 21-1-1972).
 3. Subs. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 3, for "and Meghalaya" (w.e.f. 1-4-1985).
 4. Subs. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 39, for "Meghalaya and Tripura" (w.e.f. 20-2-1987).
 5. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

पांचवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 244 (1)]

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध

भाग क

साधारण

1. **निर्वचन**— इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” पद के अंतर्गत ¹*** ²[असम, ³⁴[मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम]] राज्य नहीं हैं।

2. **अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति**— इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है।

3. **अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल ⁵*** द्वारा प्रतिवेदन**— ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ⁵***, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा।

भाग ख

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण

4. **जनजाति सलाहकार परिषद्**— (1) ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी, जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजाति सलाहकार परिषद् स्थापित की जाएगी जो बीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशक्य निकटतम तीन-चौथाई उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे:

-
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत हैं परन्तु” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।
 2. पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 द्वारा (21-1-1972 से) “असम राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 3. संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 3 द्वारा (1-4-1985 से) “और मेघालय” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 4. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) “मेघालय और त्रिपुरा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 5. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया।

Provided that if the number of representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State is less than the number of seats in the Tribes Advisory Council to be filled by such representatives, the remaining seats shall be filled by other members of those tribes.

(2) It shall be the duty of the Tribes Advisory Council to advise on such matters pertaining to the welfare and advancement of the Scheduled Tribes in the State as may be referred to them by the Governor ^{1***}.

(3) The Governor ^{2***} may make rules prescribing or regulating, as the case may be,—

(a) the number of members of the Council, the mode of their appointment and the appointment of the Chairman of the Council and of the officers and servants thereof;

(b) the conduct of its meetings and its procedure in general; and

(c) all other incidental matters.

5. Law applicable to Scheduled Areas.—(1) Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor ^{1***} may by public notification direct that any particular Act of Parliament or of the Legislature of the State shall not apply to a Scheduled Area or any part thereof in the State or shall apply to a Scheduled Area or any part thereof in the State subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification and any direction given under this sub-paragraph may be given so as to have retrospective effect.

(2) The Governor may make regulations for the peace and good government of any area in a State which is for the time being a Scheduled Area.

In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may—

(a) prohibit or restrict the transfer of land by or among members of the Scheduled Tribes in such area;

(b) regulate the allotment of land to members of the Scheduled Tribes in such area;

1. The words "or Rajpramukh, as the case may be" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. The words "or Rajpramukh" omitted by s. 29 and Sch., *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

(पांचवीं अनुसूची)

परंतु यदि उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद् में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे।

(2) जनजाति सलाहकार परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल ^{1***} द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) राज्यपाल ^{2***}—

(क) परिषद् के सदस्यों की संख्या को, उनकी नियुक्ति की और परिषद् के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति को;

(ख) उसके अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया उसकी प्रक्रिया को; और

(ग) अन्य सभी आनुषंगिक विषयों को,

यथास्थिति, विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।

5. अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि— (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल ^{1***} लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद् का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उपपैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल ^{1***} किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है।

विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम—

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेंगे;

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आबंटन का विनियमन कर सकेंगे;

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख" शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप में रखा गया।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।

(Fifth Schedule)

(c) regulate the carrying on of business as money-lender by persons who lend money to members of the Scheduled Tribes in such area.

(3) In making any such regulation as is referred to in sub-paragraph (2) of this paragraph, the Governor ^{1***} may repeal or amend any Act of Parliament or of the Legislature of the State or any existing law which is for the time being applicable to the area in question.

(4) All regulations made under this paragraph shall be submitted forthwith to the President and, until assented to by him, shall have no effect.

(5) No regulation shall be made under this paragraph unless the Governor ^{1***} making the regulation has, in the case where there is a Tribes Advisory Council for the State, consulted such Council.

PART C

SCHEDULED AREAS

6. Scheduled Areas.—(1) In this Constitution, the expression “Scheduled Areas” means such areas as the President may by order* declare to be Scheduled Areas.

(2) The President may at any time by order**—

(a) direct that the whole or any specified part of a Scheduled Area shall cease to be a Scheduled Area or a part of such an area;

²[(aa) increase the area of any Scheduled Area in a State after consultation with the Governor of that State;]

(b) alter, but only by way of rectification of boundaries, any Scheduled Area;

1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

The words "or Rajpramukh" omitted by s. 29 and sch., *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

* See the Scheduled Areas (Part A States) Order, 1950 (C.O. 9), the Scheduled Areas (Part B States) Order, 1950 (C.O.26), the Scheduled Areas (Himachal Pradesh) Order, 1975 (C.O. 102) and the Scheduled Areas (States of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa) Order, 1977 (C.O. 109).

** See the Madras Scheduled Areas (Cessor) Order, 1950 (C.O. 30) and the Andhra Scheduled Areas (Cessor) Order, 1955 (C.O. 50).

2. Ins. by the Fifth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1976 (101 of 1976), s. 2 (w.e.f. 7-9-1976).

(पांचवीं अनुसूची)

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियमन कर सकेंगे।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट है, राज्यपाल ^{1***} संसद् के या उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(5) इस पैरा के अधीन कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक विनियम बनाने वाले राज्यपाल ^{1***} ने जनजाति सलाहकार परिषद् वाले राज्य की दशा में ऐसी परिषद् से परामर्श नहीं कर लिया है।

भाग ग

अनुसूचित क्षेत्र

6. अनुसूचित क्षेत्र— (1) इस संविधान में, “अनुसूचित क्षेत्र” पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश² द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति, किसी भी समय आदेश² द्वारा –

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा;

²[(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् बढ़ा सकेगा;]

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में, केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही, परिवर्तन कर सकेगा,

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप (1-11-1956 से) किया गया।

* अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सं.आ. 9), अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सं.आ. 26), अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सं.आ. 102) और अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सं.आ. 109) देखिए।

** मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (समाप्ति) आदेश, 1950 (सं.आ. 30) और आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (समाप्ति) आदेश, 1955 (सं.आ. 50) देखिए।

2. संविधान पांचवीं अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 101) की धारा 2 द्वारा (7-9-1976 से) अंतःस्थापित।

(Fifth Schedule)

(c) on any alteration of the boundaries of a State or on the admission into the Union or the establishment of a new State, declare any territory not previously included in any State to be, or to form part of, a Scheduled Area;

¹[(d) rescind, in relation to any State or States, any order or orders made under this paragraph, and in consultation with the Governor of the State concerned, make fresh orders redefining the areas which are to be Scheduled Areas;]

and any such order may contain such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary and proper, but save as aforesaid, the order made under sub-paragraph (1) of this paragraph shall not be varied by any subsequent order.

PART D

AMENDMENT OF THE SCHEDULE

7. Amendment of the Schedule.—(1) Parliament may from time to time by law amend by way of addition, variation or repeal any of the provisions of this Schedule and, when the Schedule is so amended, any reference to this Schedule in this Constitution shall be construed as a reference to such Schedule as so amended.

(2) No such law as is mentioned in sub-paragraph (1) of this paragraph shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

1. Ins. by the Fifth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1976 (101 of 1976), s. 2 (w.e.f. 7-9-1976).

(पांचवीं अनुसूची)

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश पर या नए राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा,

'[(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को विखंडित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिनिश्चित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा,]

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषांगिक और पारिणामिक उपबंध हो सकेंगे जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चात्पूर्ति आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

भाग घ

अनुसूची का संशोधन

7. अनुसूची का संशोधन— (1) संसद, समय-समय पर विधि द्वारा, इस अनुसूची के उपबंधों में से किसी का, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में, संशोधन कर सकेगी और जब अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति निर्देश है ।

(2) ऐसी कोई विधि, जो इस पैरा के उप-पैरा (1) में उल्लिखित है, इस संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी ।

1. संविधान पांचवीं अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 101) की धारा 2 द्वारा (7-9-1976 से) अंतःस्थापित ।

SIXTH SCHEDULE

[Articles 244(2) and 275(1)]

Provisions as to the Administration of Tribal Areas in ¹[the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram]

²1. **Autonomous districts and autonomous regions.**—(1) Subject to the provisions of this paragraph, the tribal areas in each item of ³[⁴[Parts I, II and IIA] and in Part III] of the table appended to paragraph 20 of this Schedule shall be an autonomous district.

(2) If there are different Scheduled Tribes in an autonomous district, the Governor may, by public notification, divide the area or areas inhabited by them into autonomous regions.

(3) The Governor may, by public notification,—

- (a) include any area in ³[any of the Parts] of the said table;
- (b) exclude any area from ³[any of the Parts] of the said table;
- (c) create a new autonomous district;
- (d) increase the area of any autonomous district;
- (e) diminish the area of any autonomous district;
- (f) unite two or more autonomous districts or parts thereof so as to form one autonomous district;
- ⁵[(ff) alter the name of any autonomous district];
- (g) define the boundaries of any autonomous district:

1. Subs. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 39, for certain words (w.e.f. 20-2-1987).

2. Paragraph 1 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2, so as to insert the following proviso after sub-paragraph (2), namely :—

"Provided that nothing in this sub-paragraph shall apply to the Bodoland Territorial Areas District" (w.e.f. 7-9-2003).

3. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch., for "Part A" (w.e.f. 21-1-1972).

4. Subs. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 4, for "Part I and II" (w.e.f. 1-4-1985).

5. Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

छठी अनुसूची

[अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1)]

1[असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों] के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध

21. स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश— (1) इस पैरा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के ³[⁴भाग 1, भाग 2 और भाग 2क] की प्रत्येक मद के और भाग 3] के जनजाति क्षेत्रों का एक स्वशासी जिला होगा।

(2) यदि किसी स्वशासी जिले में भिन्न-भिन्न अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को, जिनमें वे बसे हुए हैं, स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकेगा।

(3) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा,—

(क) उक्त सारणी के ³[किसी भाग] में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा;

(ख) उक्त सारणी के ³[किसी भाग] में किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगा;

(ग) नया स्वशासी जिला बना सकेगा;

(घ) किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा;

(ङ) किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा;

(च) दो या अधिक स्वशासी जिलों या उनके भागों को मिला सकेगा जिससे एक स्वशासी जिला बन सके;

⁵[(चच) किसी स्वशासी जिले के नाम में परिवर्तन कर सकेगा];

(छ) किसी स्वशासी जिले की सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा:

-
1. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 2. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा आसाम में लागू होने के लिए पैरा 1 में उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया गया, अर्थात्:—
“परन्तु इस उप-पैरा की कोई बात, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले को (7-9-2003 से) लागू नहीं होगी।”
 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(i) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) “भाग क” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 4. संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) “भाग 1 और भाग 2” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 5. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित।

(Sixth Schedule)

Provided that no order shall be made by the Governor under clauses (c), (d), (e) and (f) of this sub-paragraph except after consideration of the report of a Commission appointed under sub-paragraph (1) of paragraph 14 of this Schedule:

¹[Provided further that any order made by the Governor under this sub-paragraph may contain such incidental and consequential provisions (including any amendment of paragraph 20 and of any item in any of the Parts of the said Table) as appear to the Governor to be necessary for giving effect to the provisions of the order.]

²2. Constitution of District Councils and Regional Councils.—

³[(1) There shall be a District Council for each autonomous district consisting of not more than thirty members, of whom not more than four persons shall be nominated by the Governor and the rest shall be elected on the basis of adult suffrage.]

1. Ins. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch. (w.e.f. 21-1-1972).

2. Paragraph 2 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003(44 of 2003), s. 2, so as to insert the following proviso after sub-paragraph (1), namely:—

“Provided that the Bodoland Territorial Council shall consist of not more than forty-six members of whom forty shall be elected on the basis of adult suffrage, of whom thirty shall be reserved for the Scheduled Tribes, five for non-tribal communities, five open for all communities and the remaining six shall be nominated by the Governor having same rights and privileges as other members, including voting rights, from amongst the un-represented communities of the Bodoland Territorial Areas District, of which at least two shall be women:”

Paragraph 2 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1995(42 of 1995), s.2, so as to insert the following proviso after sub-paragraph (3), namely:—

“Provided that the District Council constituted for the North Cachar Hills District shall be called as the North Cachar Hills Autonomous Council and the District Council constituted for the Karbi Anglong District shall be called as the Karbi Anglong Autonomous Council.”

Paragraph 2 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003(44 of 2003), s. 2, so as to insert the following proviso after sub-paragraph (3), namely:—

“Provided further that the District Council constituted for the Bodoland Territorial Areas District shall be called the Bodoland Territorial Council.”

3. Subs. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch., for sub-paragraph (1) (w.e.f. 2-4-1970).

(छठी अनुसूची)

परंतु राज्यपाल इस उप-पैरा के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन कोई आदेश इस अनुसूची के पैरा 14 के उप-पैरा (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही करेगा, अन्यथा नहीं:

'[परंतु यह और कि राज्यपाल द्वारा इस उप-पैरा के अधीन किए गए आदेश में ऐसे आनुवंशिक और पारिणामिक उपबंध (जिनके अंतर्गत पैरा 20 का और उक्त सारणी के किसी भाग की किसी मद का कोई संशोधन है) अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो राज्यपाल को उस आदेश के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों]]

²2. जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन—³[(1) प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद् होगी जो तीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से चार से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे ।

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा आसाम में लागू होने के लिए पैरा 2 में उप-पैरा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया गया, अर्थात्:—

"परंतु यह कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् छियालीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से चालीस सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाएगा, जिनमें से तीस अनुसूचित जनजातियों के लिए, पांच गैर जनजातीय समुदायों के लिए, पांच सभी समुदायों के लिए आरक्षित होंगे तथा शेष छह राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे जिनके अधिकार और विशेषाधिकार, जिनके अंतर्गत मत देने के अधिकार भी हैं, वही होंगे जो अन्य सदस्यों के हैं, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के उन समुदायों में से, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, कम से कम दो महिलाएं होंगी:" ।

संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा आसाम में लागू होने के लिए पैरा 2 में उप-पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया गया, अर्थात्:—

"परंतु उत्तरी कछार पहाड़ी जिले के लिए गठित जिला परिषद्, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् कहलाएगी और कार्बी आंगलांग जिले के लिए गठित जिला परिषद्, कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद् कहलाएगी ।";

संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा आसाम में लागू होने के लिए पैरा 2 के उप-पैरा (3) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया गया, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के लिए गठित जिला परिषद् बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् कहलाएगी ।" ।

3. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) उप-पैरा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Sixth Schedule)

(2) There shall be a separate Regional Council for each area constituted an autonomous region under sub-paragraph (2) of paragraph 1 of this Schedule.

(3) Each District Council and each Regional Council shall be a body corporate by the name respectively of “the District Council of (*name of district*)” and “the Regional Council of (*name of region*)”, shall have perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued.

(4) Subject to the provisions of this Schedule, the administration of an autonomous district shall, in so far as it is not vested under this Schedule in any Regional Council within such district, be vested in the District Council for such district and the administration of an autonomous region shall be vested in the Regional Council for such region.

(5) In an autonomous district with Regional Councils, the District Council shall have only such powers with respect to the areas under the authority of the Regional Council as may be delegated to it by the Regional Council in addition to the powers conferred on it by this Schedule with respect to such areas.

(6) The Governor shall make rules for the first constitution of District Councils and Regional Councils in consultation with the existing tribal Councils or other representative tribal organisations within the autonomous districts or regions concerned, and such rules shall provide for—

(a) the composition of the District Councils and Regional Councils and the allocation of seats therein;

(b) the delimitation of territorial constituencies for the purpose of elections to those Councils;

(c) the qualifications for voting at such elections and the preparation of electoral rolls therefor;

(d) the qualifications for being elected at such elections as members of such Councils;

(e) the term of office of members of ¹[Regional Councils];

1. Subs. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch., for “such Councils” (w.e.f. 2-4-1970).

(छठी अनुसूची)

(2) इस अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (2) के अधीन स्वशासी प्रदेश के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक् प्रादेशिक परिषद् होगी ।

(3) प्रत्येक जिला परिषद् और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् क्रमशः “(जिले का नाम) की जिला परिषद्” और “(प्रदेश का नाम) की प्रादेशिक परिषद्” नामक निगमित निकाय होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(4) इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्वशासी जिले का प्रशासन ऐसे जिले की जिला परिषद् में वहां तक निहित होगा जहां तक वह इस अनुसूची के अधीन ऐसे जिले के भीतर किसी प्रादेशिक परिषद् में निहित नहीं हैं और स्वशासी प्रदेश का प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् में निहित होगा ।

(5) प्रादेशिक परिषद् वाले स्वशासी जिले में प्रादेशिक परिषद् के प्राधिकारी के अधीन क्षेत्रों के संबंध में जिला परिषद् को, इस अनुसूची द्वारा ऐसे क्षेत्रों के संबंध में प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त केवल ऐसी शक्तियां होंगी जो उसे प्रादेशिक परिषद् द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं ।

(6) राज्यपाल, संबंधित स्वशासी जिलों या प्रदेशों के भीतर विद्यमान जनजाति परिषदों या अन्य प्रतिनिधि जनजाति संगठनों से परामर्श करके, जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम गठन के लिए नियम बनाएगा और ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की संरचना तथा उनमें स्थानों का आबंटन;

(ख) उन परिषदों के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन;

(ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान के लिए अर्हताएं और उनके लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी;

(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसी परिषदों के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं;

(ङ) ¹[प्रादेशिक परिषदों] के सदस्यों की पदावधि;

1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) “ऐसी परिषदों” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(f) any other matter relating to or connected with elections or nominations to such Councils;

(g) the procedure and the conduct of business ¹[(including the power to act notwithstanding any vacancy)] in the District and Regional Councils;

(h) the appointment of officers and staff of the District and Regional Councils.

¹[(6A) The elected members of the District Council shall hold office for a term of five years from the date appointed for the first meeting of the Council after the general elections to the Council, unless the District Council is sooner dissolved under paragraph 16 and a nominated member shall hold office at the pleasure of the Governor:

Provided that the said period of five years may, while a Proclamation of Emergency is in operation or if circumstances exist which, in the opinion of the Governor, render the holding of elections impracticable, be extended by the Governor for a period not exceeding one year at a time and in any case where a Proclamation of Emergency is in operation not extending beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate:

Provided further that a member elected to fill a casual vacancy shall hold office only for the remainder of the term of office of the member whom he replaces.]

(7) The District or the Regional Council may after its first constitution make rules ¹[with the approval of the Governor] with regard to the matters specified in sub-paragraph (6) of this paragraph and may also make rules ¹[with like approval] regulating—

(a) the formation of subordinate local Councils or Boards and their procedure and the conduct of their business; and

(b) generally all matters relating to the transaction of business pertaining to the administration of the district or region, as the case may be:

1. Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

(छठी अनुसूची)

(च) ऐसी परिषदों के लिए निर्वाचन या नामनिर्देशन से संबंधित या संसक्त कोई अन्य विषय;

(छ) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की प्रक्रिया और उनका कार्य संचालन ¹[(जिसके अंतर्गत किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति है)];

(ज) जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति ।

¹[(6क) जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य, यदि जिला परिषद् पैरा 16 के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, परिषद् के लिए साधारण निर्वाचन के पश्चात् परिषद् के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे और नामनिर्देशित सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा:

परंतु पांच वर्ष की उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब या यदि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण निर्वाचन कराना राज्यपाल की राय में असाध्य है तो, राज्यपाल ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब उद्घोषणा के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा:

परंतु यह और कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित सदस्य उस सदस्य की, जिसका स्थान वह लेता है, शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।]

(7) जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् अपने प्रथम गठन के पश्चात् [राज्यपाल के अनुमोदन से] इस पैरा के उप-पैरा (6) में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए नियम बना सकेगी और ¹[वैसे ही अनुमोदन से]—

(क) अधीनस्थ स्थानीय परिषदों या बोर्डों के बनाए जाने तथा उनकी प्रक्रिया और उनके कार्य संचालन का; और

(ख) यथास्थिति, जिले या प्रदेश के प्रशासन विषयक कार्य करने से संबंधित साधारणतया सभी विषयों का, विनियमन करने वाले नियम भी, बना सकेगी:

1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।

(Sixth Schedule)

Provided that until rules are made by the District or the Regional Council under this sub-paragraph the rules made by the Governor under sub-paragraph (6) of this paragraph shall have effect in respect of elections to, the officers and staff of, and the procedure and the conduct of business in, each such Council.

1*

*

*

*

23. Powers of the District Councils and Regional Councils to make laws.—(1) The Regional Council for an autonomous region in

1. Second proviso omitted by s. 74 and Fourth Sch. of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969) (w.e.f. 2-4-1970).

2. Paragraph 3 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2, so as to substitute sub-paragraph (3) as under (w.e.f. 7-9-2003),—

“(3) Save as otherwise provided in sub-paragraph (2) of paragraph 3A or sub-paragraph (2) of paragraph 3B, all laws made under this paragraph or sub-paragraph (1) of paragraph 3A or sub-paragraph (1) of paragraph 3B shall be submitted forthwith to the Governor and, until assented to by him, shall have no effect.”.

After paragraph 3, the following paragraph has been inserted in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1995 (42 of 1995), s. 2, (w.e.f. 12-9-1995), namely:—

“3A. **Additional powers of the North Cachar Hills Autonomous Council and the Karbi Anglong Autonomous Council to make laws.**—(1) Without prejudice to the provisions of paragraph 3, the North Cachar Hills Autonomous Council and the Karbi Anglong Autonomous Council within their respective districts, shall have power to make laws with respect to—

- (a) industries, subject to the provisions of entries 7 and 52 of List I of the Seventh Schedule;
- (b) communications, that is to say, roads, bridges, ferries and other means of communication not specified in List I of the Seventh Schedule; municipal tramways, ropeways, inland waterways and traffic thereon subject to the provisions of List I and List III of the Seventh Schedule with regard to such waterways; vehicles other than mechanically propelled vehicles;
- (c) preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice; cattle pounds;
- (d) primary and secondary education;
- (e) agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases;
- (f) fisheries;

(छठी अनुसूची)

परंतु जब तक जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस उप-पैरा के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (6) के अधीन बनाए गए नियम, प्रत्येक ऐसी परिषद् के लिए निर्वाचनों, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उसकी प्रक्रिया और उसके कार्य संचालन के संबंध में प्रभावी होंगे।

1*

*

*

*

²3. विधि बनाने की जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शक्ति— (1) स्वशासी प्रदेश की

1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) द्वितीय परन्तुक का लोप किया गया।

2. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) पैरा 3 आसाम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (3) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित हो सके, अर्थात्—

“(3) पैरा 3क के उप-पैरा (2) या पैरा 3ख के उप-पैरा (2) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस पैरा या पैरा 3क के उप-पैरा (1) या पैरा 3ख के उप-पैरा (1) के अधीन बनाई गई सभी विधियां राज्यपाल के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत की जाएंगी और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक प्रभावी नहीं होंगी।”।

संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा आसाम राज्य को लागू होने के लिए पैरा 3 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा (12-9-1995 से) अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्—

“3क. उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् और कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद् की विधि बनाने की अतिरिक्त शक्तियां— (1) पैरा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् और कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद् को, संबंधित जिलों के भीतर निम्नलिखित की बाबत विधियां बनाने की शक्ति होगी, अर्थात्—

(क) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उद्योग;

(ख) संचार, अर्थात्, सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन, जो सातवीं अनुसूची की सूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, नगरपालिक ट्राम, रज्जुमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में सातवीं अनुसूची की सूची 1 और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यंत्र नोदित यानों से भिन्न यान;

(ग) पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजंतुओं के रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय; कांजी हाउस;

(घ) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा;

(ङ) कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है;

(च) मत्स्य उद्योग;

(Sixth Schedule)

(Foot-note Continue),—

- (g) water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I of the Seventh Schedule;
- (h) social security and social insurance; employment and unemployment;
- (i) flood control schemes for protection of villages, paddy fields, markets, towns, etc. (not of technical nature);
- (j) theatre and dramatic performances, cinemas subject to the provisions of entry 60 of List I of the Seventh Schedule; sports, entertainments and amusements;
- (k) public health and sanitation, hospitals and dispensaries;
- (l) minor irrigation;
- (m) trade and commerce in, and the production supply and distribution of, food stuffs, cattle fodder, raw cotton and raw jute;
- (n) libraries, museums and other similar institutions controlled or financed by the State; ancient and historical monuments and records other than those declared by or under any law made by Parliament to be of national importance; and
- (o) alienation of land.

(2) All laws made by the North Cachar Hills Autonomous Council and the Karbi Anglong Autonomous Council under paragraph 3 or under this paragraph shall, in so far as they relate to matters specified in List III of the Seventh Schedule, be submitted forthwith to the Governor who shall reserve the same for the consideration of the President.

(3) When a law is reserved for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the said law or that he withholds assent therefrom:

Provided that the President may direct the Governor to return the law to the North Cachar Hills Autonomous Council or the Karbi Anglong Autonomous Council, as the case may be, together with a message requesting that the said Council will reconsider the law or any specified provisions thereof and, in particular, will, consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when the law is so returned, the said Council shall consider the law accordingly within a period of six months from the date of receipt of such message and, if the law is again passed by the said Council with or without amendment it shall be presented again to the President for his consideration."

After paragraph 3A, the following paragraph has been inserted in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2, (w.e.f. 7-9-2003), namely:—

3B. Additional powers of the Bodoland Territorial Council to make laws.—(1) Without prejudice to the provisions of paragraph 3, the Bodoland Territorial Council within its areas shall have power to make laws with respect to :—

- (i) agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases;
- (ii) animal husbandry and veterinary, that is to say, preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases, veterinary training and practice, cattle pounds;
- (iii) co-operation;
- (iv) cultural affairs;
- (v) education, that is to say, primary education, higher secondary including vocational training, adult education, college education (general);
- (vi) fisheries;
- (vii) flood control for protection of village, paddy fields, markets and towns (not of technical nature);
- (viii) Food and civil

(छठी अनुसूची)

(पाद-टिप्पण जारी),—

(छ) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जल, अर्थात्, जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति;

(ज) सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी;

(झ) ग्रामों, धान के खेतों, बाजारों, शहरों, आदि के संरक्षण के लिए बाढ़ नियंत्रण स्कीम (जो तकनीकी प्रकृति की न हों);

(ञ) नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन; सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेमा, खेल-कूद, मनोरंजन और आमोद;

(ट) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय;

(ठ) लघु सिंचाई;

(ड) खाद्य पदार्थ, पशुओं के चारे, कच्ची कपास और कच्चे जूट का व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण;

(ढ) राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय और वैसी ही अन्य संस्थाएं संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख; और

(ण) भूमि का अन्य संक्रामण ।

(2) पैरा 3 के अधीन या इस पैरा के अधीन उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् और कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद् द्वारा बनाई गई सभी विधियां, जहां तक उनका संबंध सातवीं अनुसूची की सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों से है, राज्यपाल के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत की जाएंगी, जो उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा ।

(3) जब कोई विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख ली जाती है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उक्त विधि पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है:

परंतु राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निदेश दे सकेगा कि वह विधि को, यथास्थिति, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् या कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद् को ऐसे संदेश के साथ यह अनुरोध करते हुए लौटा दे कि उक्त परिषद् विधि या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे और विशिष्टतया, किन्हीं ऐसे संशोधनों पर पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधि इस प्रकार लौटा दी जाती है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर परिषद् ऐसी विधि पर तदनुसार विचार करेगी और यदि विधि उक्त परिषद् द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दी जाती है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा ।

संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा असम राज्य को लागू होने के लिए पैरा 3क के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित (7-9-2003 से) अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्:—

3ख. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् की विधियां बनाने की अतिरिक्त शक्तियां — (1) पैरा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् को, अपने क्षेत्रों में, निम्नलिखित के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी, अर्थात्:—

(i) कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है; (ii) पशुपालन और पशु चिकित्सा अर्थात् पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीव जंतुओं के रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय, कांजी हाऊस; (iii) सहकारिता; (iv) सांस्कृतिक कार्य; (v) शिक्षा अर्थात् प्राइमरी शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जिसमें वृत्तिक प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा (साधारण) भी है; (vi) मत्स्य उद्योग; (vii) गाम, धान के खेतों, बाजारों और

(Sixth Schedule)

supply; (ix) forests (other than reserved forests); (x) handloom and textile; (xi) health and family welfare, (xii) intoxicating liquors, opium and derivatives, subject to the provisions of entry 84 of List I of the Seventh Schedule; (xiii) irrigation; (xiv) labour and employment; (xv) land and revenue; (xvi) library services (financed and controlled by the State Government); (xvii) lotteries (subject to the provisions of entry 40 of List I of the Seventh Schedule), theatres, dramatic performances and cinemas (subject to the provisions of entry 60 of List I of the Seventh Schedule); (xviii) markets and fairs; (xix) municipal corporation, improvement trust, district boards and other local authorities; (xx) museum and archaeology institutions controlled or financed by the State, ancient and historical monuments and records other than those declared by or under any law made by Parliament to be of national importance; (xxi) panchayat and rural development; (xxii) planning and development; (xxiii) printing and stationery; (xxiv) public health engineering; (xxv) public works department; (xxvi) publicity and public relations; (xxvii) registration of births and deaths; (xxviii) relief and rehabilitation; (xxix) sericulture; (xxx) small, cottage and rural industry subject to the provisions of entries 7 and 52 of List I of the Seventh Schedule; (xxxi) social Welfare; (xxxii) soil conservation; (xxxiii) sports and youth welfare; (xxxiv) statistics; (xxxv) tourism; (xxxvi) transport (roads, bridges, ferries and other means of communications not specified in List I of the Seventh Schedule, municipal tramways, ropeways, inland waterways and traffic thereon subject to the provision of List I and List III of the Seventh Schedule with regard to such waterways, vehicles other than mechanically propelled vehicles); (xxxvii) tribal research institute controlled and financed by the State Government; (xxxviii) urban development—town and country planning; (xxxix) weights and measures subject to the provisions of entry 50 of List I of the Seventh Schedule; and (xl) Welfare of plain tribes and backward classes:

Provided that nothing in such laws shall—

(a) extinguish or modify the existing rights and privileges of any citizen in respect of his land at the date of commencement of this Act; and

(b) disallow and citizen from acquiring land either by way of inheritance, allotment, settlement or by any other way of transfer if such citizen is otherwise eligible for such acquisition of land within the Bodoland Territorial Areas District.

(2) All laws made under paragraph 3 or under this paragraph shall in so far as they relate to matters specified in List III of the Seventh Schedule, be submitted forthwith to the Governor who shall reserve the same for the consideration of the President.

(3) When a law is reserved for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the said law or that he withholds assent therefrom:

Provided that the President may direct the Governor to return the law to the Bodoland Territorial Council, together with the message requesting that the said Council will reconsider the law or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when the law is so returned, the said Council shall consider the law accordingly within a period of six months from the date of receipt of such message and, if the law is again passed by the said Council with or without amendments it shall be presented again to the President for his consideration.”.

(छठी अनुसूची)

शहरों के संरक्षण के लिए बाढ़ नियंत्रण (जो तकनीकी प्रकृति का न हो); (viii) खादय और सिविल आपूर्ति; (ix) वन (आरक्षित वनों को छोड़कर); (x) हथकरघा और वस्त्र; (xi) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; (xii) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मादक तिकर, अफीम और व्युत्पन्न; (xiii) सिंचाई; (xiv) श्रम और रोजगार; (xv) भूमि और राजस्व; (xvi) पुस्तकालय सेवाएं (राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रित); (xvii) लाटरी (सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 40 के उपबंधों के अधीन रहते हुए), नाट्यशाला, नाट्य प्रदर्शन और सिनेमा (सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए); (xviii) बाजार और मेले; (xix) नगर निगम, सुधार न्यास, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकारी; (xx) राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित संग्रहालय और पुरातत्व विज्ञान संस्थान, संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न, प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख; (xxi) पंचायत और ग्रामीण विकास; (xxii) योजना और विकास; (xxiii) मुद्रण और लेखन सामग्री; (xxiv) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी; (xxv) लोक निर्माण विभाग; (xxvi) प्रचार और लोक संपर्क; (xxvii) जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण; (xxviii) सहायता और पुनर्वास; (xxix) रेशम उत्पादन; (xxx) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योग; (xxxi) समाज कल्याण; (xxxii) मृदा संरक्षण; (xxxiii) खेलकूद और युवा कल्याण; (xxxiv) सांख्यिकी; (xxxv) पर्यटन; (xxxvi) परिवहन (सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन, जो सातवीं अनुसूची की सूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, नगरपालिका ट्राम, रज्जुमार्ग, अन्तर्देशीय जलमार्गों के संबंध में सातवीं अनुसूची की सूची 1 और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्तर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यंत्र नौदित यानों से भिन्न यान); (xxxvii) राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और वित्तपोषित जनजाति अनुसंधान संस्थान; (xxxviii) शहरी विकास-नगर और ग्रामीण योजना); (xxxix) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 50 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बाट और माप; और (xl) मैदानी जनजातियाँ और पिछड़े वर्गों का कल्याण: परंतु ऐसी विधियों की कोई बात, -

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख पर किसी नागरिक के उसकी भूमि के संबंध में विद्यमान अधिकारों और विशेषाधिकारों को समाप्त या उपांतरित नहीं करेगी; और

(ख) किसी नागरिक को विरासत, आबंटन, व्यवस्थापन के रूप में या अंतरण की किसी अन्य रीति से भूमि अर्जित करने से अनुज्ञात नहीं करेगी यदि ऐसा नागरिक बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के भीतर भूमि के ऐसे अर्जन के लिए अन्यथा पात्र है।

(2) पैरा 3 के अधीन या इस पैरा के अधीन बनाई गई सभी विधियाँ, जहाँ तक उनका संबंध सातवीं अनुसूची की सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों से है, राज्यपाल के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत की जाएंगी जो उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा।

(3) जब कोई विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख ली जाती है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उक्त विधि पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है:

परंतु राष्ट्रपति राज्यपाल को यह संदेश दे सकेगा कि वह विधि को, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् को ऐसे संदेश के साथ यह अनुरोध करते हुए लौटा दे कि उक्त परिषद् विधि या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे और विशिष्टतया, किन्हीं ऐसे संशोधनों को पुरःस्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधि इस प्रकार लौटा दी जाती है तब उक्त परिषद्, ऐसे संदेश की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसी विधि पर तदनुसार विचार करेगी और यदि विधि उक्त परिषद् द्वारा, संशोधन सहित या उसके बिना, फिर से पारित कर दी जाती है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।"।

(Sixth Schedule)

respect of all areas within such region and the District Council for an autonomous district in respect of all areas within the district except those which are under the authority of Regional Councils, if any, within the district shall have power to make laws with respect to—

(a) the allotment, occupation or use, or the setting apart, of land, other than any land which is a reserved forest for the purposes of agriculture or grazing or for residential or other non-agricultural purposes or for any other purpose likely to promote the interests of the inhabitants of any village or town:

Provided that nothing in such laws shall prevent the compulsory acquisition of any land, whether occupied or unoccupied, for public purposes ¹[by the Government of the State concerned] in accordance with the law for the time being in force authorising such acquisition;

(b) the management of any forest not being a reserved forest;

(c) the use of any canal or water-course for the purpose of agriculture;

(d) the regulation of the practice of *jhum* or other forms of shifting cultivation;

(e) the establishment of village or town committees or councils and their powers;

(f) any other matter relating to village or town administration, including village or town police and public health and sanitation;

(g) the appointment or succession of Chiefs or Headmen;

(h) the inheritance of property;

²[(i) marriage and divorce;]

(j) social customs.

(2) In this paragraph, a “reserved forest” means any area which is a reserved forest under the Assam Forest Regulation, 1891, or under any other law for the time being in force in the area in question.

1. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch., for certain words (w.e.f. 21-1-1972).

2. Subs. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch., for cl. (i) (w.e.f. 2-4-1970).

(छठी अनुसूची)

प्रादेशिक परिषद् को ऐसे प्रदेश के भीतर के सभी क्षेत्रों के संबंध में और स्वशासी जिले की जिला परिषद् को ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जो उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकार के अधीन हैं, उस जिले के भीतर के अन्य सभी क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित विषयों के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी, अर्थात्:-

(क) किसी आरक्षित वन की भूमि से भिन्न अन्य भूमि का, कृषि या चराई के प्रयोजनों के लिए अथवा निवास के या कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए अथवा किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जिससे किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की अभिवृद्धि संभाव्य है, आबटन, अधिभोग या उपयोग अथवा अलग रखा जाना;

परंतु ऐसी विधियों की कोई बात ¹[संबंधित राज्य की सरकार को] अनिवार्य अर्जन प्राधिकृत करने वाली तत्समय प्रवृत्ति के अनुसार किसी भूमि का, चाहे वह अधिभोग में हो या नहीं, लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य अर्जन करने से निवारित नहीं करेगी;

(ख) किसी ऐसे वन का प्रबंध जो आरक्षित वन नहीं है;

(ग) कृषि के प्रयोजन के लिए किसी नहर या जलसरणी का उपयोग;

(घ) झूम की पद्धति का या परिवर्ती खेती की अन्य पद्धतियों का विनियमन;

(ङ) ग्राम या नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और उनकी शक्तियां;

(च) ग्राम या नगर प्रशासन से संबंधित कोई अन्य विषय जिसके अंतर्गत ग्राम या नगर पुलिस और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है;

(छ) प्रमुखों या मुखियों की नियुक्ति या उत्तराधिकार;

(ज) संपत्ति की विरासत;

²[(झ) विवाह और विवाह-विच्छेद;]

(ञ) सामाजिक रूढ़ियां ।

(2) इस पैरा में, “आरक्षित वन” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो असम वन विनियम, 1891 के अधीन या प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन आरक्षित वन है ।

1. पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) खंड झ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) All laws made under this paragraph shall be submitted forthwith to the Governor and, until assented to by him, shall have no effect.

14. Administration of justice in autonomous districts and autonomous regions.—(1) The Regional Council for an autonomous region in respect of areas within such region and the District Council for an autonomous district in respect of areas within the district other than those which are under the authority of the Regional Councils, if any, within the district may constitute village councils or courts for the trial of suits and cases between the parties all of whom belong to Scheduled Tribes within such areas, other than suits and cases to which the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 5 of this Schedule apply, to the exclusion of any court in the State, and may appoint suitable persons to be members of such village councils or presiding officers of such courts, and may also appoint such officers as may be necessary for the administration of the laws made under paragraph 3 of this Schedule.

(2) Notwithstanding anything in this Constitution, the Regional Council for an autonomous region or any court constituted in that behalf by the Regional Council or, if in respect of any area within an autonomous district there is no Regional Council, the District Council for such district, or any court constituted in that behalf by the District Council, shall exercise the powers of a court of appeal in respect of all suits and cases triable by a village council or court constituted under sub-paragraph (1) of this paragraph within such region or area, as the case may be, other than those to which the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 5 of this Schedule apply, and no other court except the High Court and the Supreme Court shall have jurisdiction over such suits or cases.

(3) The High Court ^{2***} shall have and exercise such jurisdiction over the suits and cases to which the provisions of sub-paragraph (2) of this paragraph apply as the Governor may from time to time by order specify.

1. Paragraph 4 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2, (w.e.f. 7-9-2003) so as to insert the following sub-paragraph after sub-paragraph (5), namely:—

“(6) Nothing in this paragraph shall apply to the Bodoland Territorial Council constituted under the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 2 of this Schedule.”

2. The words "of Assam" omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch. (w.e.f. 21-1-1972).

(छठी अनुसूची)

(3) इस पैरा के अधीन बनाई गई सभी विधियां राज्यपाल के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत की जाएंगी और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक प्रभावी नहीं होंगी ।

14. स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों में न्याय प्रशासन— (1) स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् ऐसे प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के संबंध में और स्वशासी जिले की जिला परिषद् ऐसे क्षेत्रों से भिन्न जो उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकार के अधीन हैं, उस जिले के भीतर के अन्य क्षेत्रों के संबंध में, ऐसेवादों और मामलों के विचारण के लिए जो ऐसे पक्षकारों के बीच हैं जिनमें से सभी पक्षकार ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा जो उनवादों और मामलों से भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उस राज्य के किसी न्यायालय का अपवर्जन करके ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकेगी और उपयुक्त व्यक्तियों को ऐसी ग्राम परिषद् के सदस्य या ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी और ऐसे अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी जो इस अनुसूची के पैरा 3 के अधीन बनाई गई विधियों के प्रशासन के लिए आवश्यक हों ।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् या उस प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस निमित्त गठित कोई न्यायालय या यदि किसी स्वशासी जिले के भीतर के किसी क्षेत्र के लिए कोई प्रादेशिक परिषद् नहीं है तो, ऐसे जिले की जिला परिषद् या उस जिला परिषद् द्वारा इस निमित्त गठित कोई न्यायालय ऐसे सभीवादों और मामलों के संबंध में जो, यथास्थिति, ऐसे प्रदेश या क्षेत्र के भीतर इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन गठित किसी ग्राम परिषद् या न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं तथा जो उनवादों और मामलों से भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के उपबंध लागू होते हैं अपील न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय को ऐसेवादों या मामलों में अधिकारिता नहीं होगी ।

(3) उच्च न्यायालय^{2**} को, उनवादों और मामलों में जिनको इस पैरा के उप-पैरा (2) के उपबंध लागू होते हैं, ऐसी अधिकारिता होगी और वह उसका प्रयोग करेगा जो राज्यपाल समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

1. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) पैरा 4 आसाम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (5) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जा सके, अर्थात्—

“(6) इस पैरा की कोई बात, इस अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (3) के परंतुक के अधीन गठित बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् को लागू नहीं होगी ।”।

2. पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) “आसाम के” शब्दों का लोप किया गया ।

(4) A Regional Council or District Council, as the case may be, may with the previous approval of the Governor make rules regulating —

(a) the constitution of village councils and courts and the powers to be exercised by them under this paragraph;

(b) the procedure to be followed by village councils or courts in the trial of suits and cases under sub-paragraph (1) of this paragraph;

(c) the procedure to be followed by the Regional or District Council or any court constituted by such Council in appeals and other proceedings under sub-paragraph (2) of this paragraph;

(d) the enforcement of decisions and orders of such councils and courts;

(e) all other ancillary matters for the carrying out of the provisions of sub-paragraphs (1) and (2) of this paragraph.

¹[(5) On and from such date as the President may, ²[after consulting the Government of the State concerned], by notification appoint in this behalf, this paragraph shall have effect in relation to such autonomous district or region as may be specified in the notification, as if—

(i) in sub-paragraph (1), for the words “between the parties all of whom belong to Scheduled Tribes within such areas, other than suits and cases to which the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 5 of this Schedule apply,” the words “not being suits and cases of the nature referred to in sub-paragraph (1) of paragraph (5) of this Schedule, which the Governor may specify in this behalf,” had been substituted;

(ii) sub-paragraphs (2) and (3) had been omitted;

(iii) in sub-paragraph (4)—

(a) for the words “A Regional Council or District Council, as the case may be, may with the previous approval of the Governor make rules regulating”, the words “the Governor may make rules regulating” had been substituted; and

(b) for clause (a), the following clause had been substituted, namely:—

1. Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

2. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch., for certain words (w.e.f. 21-1-1972).

(छठी अनुसूची)

(4) यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

(क) ग्राम परिषदों और न्यायालयों का गठन और इस पैरा के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ;

(ख) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीनवादों और मामलों के विचारण में ग्राम परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन अपीलों और अन्य कार्यवाहियों में प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् अथवा ऐसी परिषद् द्वारा गठित किसी न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) ऐसी परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों और आदेशों का प्रवर्तन;

(ङ) इस पैरा के उप-पैरा (1) और उप-पैरा (2) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य सभी आनुषंगिक विषय ।

¹[(5) उस तारीख को और से जो राष्ट्रपति ²[संबंधित राज्य की सरकार से परामर्श करने के पश्चात्] अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, यह पैरा ऐसे स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश के संबंध में, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस प्रकार प्रभावी होगा मानो—

(i) उप-पैरा (1) में, “जो ऐसे पक्षकारों के बीच हैं जिनमें से सभी पक्षकार ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा जो उनवादों और मामलों से भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के उपबंध लागू होते हैं,” शब्दों के स्थान पर, “जो इस अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के ऐसे वाद और मामले नहीं हैं जिन्हें राज्यपाल इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,” शब्द रख दिए गए हों;

(ii) उप-पैरा (2) और उप-पैरा (3) का लोप कर दिया गया हो;

(iii) उप-पैरा (4) में—

(क) “यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद्, राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—” शब्दों के स्थान पर, “राज्यपाल निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, अर्थात्:—” शब्द रख दिए गए हों; और

(ख) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया गया हो, अर्थात्:—

1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।

2. पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Sixth Schedule)

“(a) the constitution of village councils and courts, the powers to be exercised by them under this paragraph and the courts to which appeals from the decisions of village councils and courts shall lie;”;

(c) for clause (c), the following clause had been substituted, namely:—

“(c) the transfer of appeals and other proceedings pending before the Regional or District Council or any court constituted by such Council immediately before the date appointed by the President under sub-paragraph (5);”;

(d) in clause (e), for the words, brackets and figures “sub-paragraphs (1) and (2)”, the word, brackets and figure “sub-paragraph (1)” had been substituted.]

5. Conferment of powers under the Code of Civil Procedure, 1908, and the Code of Criminal Procedure, 1898¹, on the Regional and District Councils and on certain courts and officers for the trial of certain suits, cases and offences.—(1) The Governor may, for the trial of suits or cases arising out of any law in force in any autonomous district or region being a law specified in that behalf by the Governor, or for the trial of offences punishable with death, transportation for life, or imprisonment for a term of not less than five years under the Indian Penal Code or under any other law for the time being applicable to such district or region, confer on the District Council or the Regional Council having authority over such district or region or on courts constituted by such District Council or on any officer appointed in that behalf by the Governor, such powers under the Code of Civil Procedure, 1908, or, as the case may be, the Code of Criminal Procedure, 1898¹, as he deems appropriate, and thereupon the said Council, court or officer shall try the suits, cases or offences in exercise of the powers so conferred.

(2) The Governor may withdraw or modify any of the powers conferred on a District Council, Regional Council, court or officer under sub-paragraph (1) of this paragraph.

(3) Save as expressly provided in this paragraph, the Code of Civil Procedure, 1908, and the Code of Criminal Procedure, 1898¹, shall not apply to the trial of any suits, cases or offences in an autonomous district or in any autonomous region to which the provisions of this paragraph apply.

1. See the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(छठी अनुसूची)

“(क) ग्राम परिषदों और न्यायालयों का गठन, इस पैरा के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ और वे न्यायालय जिनको ग्राम परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों से अपीलें हो सकेंगी;”;

(ग) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया गया हो, अर्थात्:-

“(ग) प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् अथवा ऐसी परिषद् द्वारा गठित किसी न्यायालय के समक्ष उप-पैरा (5) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियत तारीख से ठीक पहले लंबित अपीलों और अन्य कार्यवाहियों का अंतरण;” और

(घ) खंड (ड) में “उप-पैरा (1) और उप-पैरा (2)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “उप-पैरा (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक रख दिए गए हों ।]

5. कुछ वादों, मामलों और अपराधों के विचारण के लिए प्रादेशिक परिषदों और जिला परिषदों को तथा किन्हीं न्यायालयों और अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898¹ के अधीन शक्तियों का प्रदान किया जाना— (1) राज्यपाल, किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में किसी ऐसी प्रवृत्त विधि से, जो ऐसी विधि है जिसे राज्यपाल इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उद्भूत वादों या मामलों के विचारण के लिए अथवा भारतीय दंड संहिता के अधीन या ऐसे जिले या प्रदेश में तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु से, आजीवन निर्वासन से या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए, ऐसे जिले या प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् को अथवा ऐसी जिला परिषद् द्वारा गठित न्यायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को, यथास्थिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1898¹ के अधीन ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकेगा जो वह समुचित समझे और तब उक्त परिषद्, न्यायालय या अधिकारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादों, मामलों या अपराधों का विचारण करेगा ।

(2) राज्यपाल, इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन किसी जिला परिषद्, प्रादेशिक परिषद्, न्यायालय या अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति को वापस ले सकेगा या उपांतरित कर सकेगा ।

(3) इस पैरा में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898¹ किसी स्वशासी जिले में या किसी स्वशासी प्रदेश में, जिसको इस पैरा के उपबंध लागू होते हैं, किन्हीं वादों, मामलों या अपराधों के विचारण को लागू नहीं होगी ।

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखिए ।

¹[(4) On and from the date appointed by the President under sub-paragraph (5) of paragraph 4 in relation to any autonomous district or autonomous region, nothing contained in this paragraph shall, in its application to that district or region, be deemed to authorise the Governor to confer on the District Council or Regional Council or on courts constituted by the District Council any of the powers referred to in sub-paragraph (1) of this paragraph.]

²[6. **Powers of the District Council to establish primary schools, etc.**—(1) The District Council for an autonomous district may establish, construct, or manage primary schools, dispensaries, markets, ³[cattle pounds], ferries, fisheries, roads, road transport and waterways in the district and may, with the previous approval of the Governor, make regulations for the regulation and control thereof and, in particular, may prescribe the language and the manner in which primary education shall be imparted in the primary schools in the district.

(2) The Governor may, with the consent of any District Council, entrust either conditionally or unconditionally to that Council or to its officers functions in relation to agriculture, animal husbandry, community projects, co-operative societies, social welfare, village planning or any other matter to which the executive power of the State ^{4***} extends.

7. District and Regional Funds.—(1) There shall be constituted for each autonomous district, a District Fund and for each autonomous region, a Regional Fund to which shall be credited all moneys received respectively by the District Council for that district and the Regional Council for that region in the course of the administration of such district or region, as the case may be, in accordance with the provisions of this Constitution.

1. Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

2. Subs. by s. 74 and Fourth Sch., *ibid.* for "paragraph 6" (w.e.f. 2-4-1970).

3. Subs. by the Repealing and Amending Act, 1974 (56 of 1974), s. 4, for "cattle ponds" (w.e.f. 20-12-1974).

4. The words "of Assam or Meghalaya, as the case may be," omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch. (w.e.f. 21-1-1972).

(छठी अनुसूची)

¹[(4) राष्ट्रपति द्वारा किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश के संबंध में पैरा 4 के उप-पैरा (5) के अधीन नियत तारीख को और से, उस जिले या प्रदेश को लागू होने में इस पैरा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् को या जिला परिषद् द्वारा गठित न्यायालयों को इस पैरा के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों में से कोई शक्ति प्रदान करने के लिए राज्यपाल को प्राधिकृत करती है ।]

²[6. प्राथमिक विद्यालय, आदि स्थापित करने की जिला परिषद् की शक्ति— (1) स्वशासी जिले की जिला परिषद् जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, ³[कांजी हाउसों,] फेरी, मीनक्षेत्रों, सड़कों, सड़क परिवहन और जलमार्गों की स्थापना, निर्माण और प्रबंध कर सकेगी तथा राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, उनके विनियमन और नियंत्रण के लिए विनियम बना सकेगी और, विशिष्टतया, वह भाषा और वह रीति विहित कर सकेगी, जिससे जिले के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी ।

(2) राज्यपाल, जिला परिषद् की सहमति से उस परिषद् को या उसके अधिकारियों को कृषि, पशुपालन, सामुदायिक परियोजनाओं, सहकारी सोसाइटियों, समाज कल्याण, ग्राम योजना या किसी अन्य ऐसे विषय के संबंध में, जिस पर ⁴राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, कृत्य सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा ।

7. जिला और प्रादेशिक निधियां— (1) प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला निधि और प्रत्येक स्वशासी प्रदेश के लिए एक प्रादेशिक निधि गठित की जाएगी जिसमें क्रमशः उस जिले की जिला परिषद् द्वारा और उस प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस संविधान के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, उस जिले या प्रदेश के प्रशासन के अनुक्रम में प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जाएंगी ।

-
1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।
 2. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) पैरा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 3. निरसन और संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 56) की धारा 4 द्वारा (20-12-1974 से) "कांजी हाउस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 4. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "यथास्थिति, आसाम या मेघालय" शब्दों का लोप किया गया ।

¹[(2) The Governor may make rules for the management of the District Fund, or, as the case may be, the Regional Fund and for the procedure to be followed in respect of payment of money into the said Fund, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of moneys therein and any other matter connected with or ancillary to the matters aforesaid.

(3) The accounts of the District Council or, as the case may be, the Regional Council shall be kept in such form as the Comptroller and Auditor-General of India may, with the approval of the President, prescribe.

(4) The Comptroller and Auditor-General shall cause the accounts of the District and Regional Councils to be audited in such manner as he may think fit, and the reports of the Comptroller and Auditor-General relating to such accounts shall be submitted to the Governor who shall cause them to be laid before the Council.]

8. Powers to assess and collect land revenue and to impose taxes.—(1) The Regional Council for an autonomous region in respect of all lands within such region and the District Council for an autonomous district in respect of all lands within the district except those which are in the areas under the authority of Regional Councils, if any, within the district, shall have the power to assess and collect revenue in respect of such lands in accordance with the principles for the time being followed ²[by the Government of the State in assessing lands for the purpose of land revenue in the State generally.]

(2) The Regional Council for an autonomous region in respect of areas within such region and the District Council for an autonomous district in respect of all areas in the district except those which are under the authority of Regional Councils, if any, within the district, shall have power to levy and collect taxes on lands and buildings, and tolls on persons resident within such areas.

(3) The District Council for an autonomous district shall have the power to levy and collect all or any of the following taxes within such district, that is to say —

- (a) taxes on professions, trades, callings and employments;
- (b) taxes on animals, vehicles and boats;

1. Subs. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch., for sub-paragraph (2) (w.e.f. 2-4-1970).

2. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch., for certain words (w.e.f. 21-1-1972).

(छठी अनुसूची)

¹[(2) राज्यपाल, यथास्थिति, जिला निधि या प्रादेशिक निधि के प्रबंध के लिए और उक्त निधि में धन जमा करने, उसमें से धनराशियां निकालने, उसके धन की अभिरक्षा और पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या आनुषंगिक किसी अन्य विषय के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियम बना सकेगा।

(3) यथास्थिति, जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् के लेखे ऐसे प्ररूप में रखे जाएंगे जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसी रीति से कराएगा जो वह ठीक समझे और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के ऐसे लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जो उन्हें परिषद् के समक्ष रखवाएगा।]

8. भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने तथा कर का अधिरोपण करने की शक्तियां—(1) स्वशासी प्रदेश के भीतर की सभी भूमियों के संबंध में ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को और यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हैं तो उनके प्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़कर जिले के भीतर की सभी भूमियों के संबंध में स्वशासी जिले की जिला परिषद् को ऐसी भूमियों की बाबत, उन सिद्धांतों के अनुसार राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने की शक्ति होगी, जिनका ²[साधारणतया राज्य में भू-राजस्व के प्रयोजन के लिए भूमि के निर्धारण में राज्य की सरकार द्वारा तत्समय अनुसरण किया जाता है।]

(2) स्वशासी प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के संबंध में ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को और यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हैं तो उनके प्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर जिले के भीतर के सभी क्षेत्रों के संबंध में स्वशासी जिले की जिला परिषद् को, भूमि और भवनों पर करों का तथा ऐसे क्षेत्रों में निवासी व्यक्तियों पर पथकर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने की शक्ति होगी।

(3) स्वशासी जिले की जिला परिषद् को ऐसे जिले के भीतर निम्नलिखित सभी या किन्हीं करों का उद्ग्रहण और संग्रहण करने की शक्ति होगी, अर्थात्:—

(क) वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर;

(ख) जीवजंतुओं, यानों और नौकाओं पर कर;

1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) उप-पैरा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Sixth Schedule)

(c) taxes on the entry of goods into a market for sale therein, and tolls on passengers and goods carried in ferries; ^{1***}

(d) taxes for the maintenance of schools, dispensaries or roads; ²[and]

³[(e) taxes on entertainment and amusements.]

(4) A Regional Council or District Council, as the case may be, may make regulations to provide for the levy and collection of any of the taxes specified in sub-paragraphs (2) and (3) of this paragraph ⁴[and every such regulation shall be submitted forthwith to the Governor and, until assented to by him, shall have no effect].

⁵**9. Licences or leases for the purpose of prospecting for, or extraction of, minerals.**—(1) Such share of the royalties accruing each year from licences or leases for the purpose of prospecting for, or the extraction of, minerals granted by ⁶[the Government of the State] in respect of any area within an autonomous district as may be agreed upon between ⁶[the Government of the State] and the District Council of such district shall be made over to that District Council.

(2) If any dispute arises as to the share of such royalties to be made over to a District Council, it shall be referred to the Governor for determination and the amount determined by the Governor in his discretion shall be deemed to be the amount payable under sub-paragraph (1) of this paragraph to the District Council and the decision of the Governor shall be final.

1. The word "and" omitted by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 16(i) (w.e.f. 16-9-2016).

2. Ins. by s. 16(ii), *ibid.* (w.e.f. 16-9-2016).

3. Ins. by s. 16(iii), *ibid.* (w.e.f. 16-9-2016).

4. Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

5. Paragraph 9 has been amended in its application to the States of Tripura and Mizoram by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988), s. 2 (w.e.f. 16-12-1988), so as to insert the following sub-paragraph after sub-paragraph (2), namely:—

“(3) The Governor may, by order, direct that the share of royalties to be made over to a District Council under this paragraph shall be made over to that Council within a period of one year from the date of any agreement under sub-paragraph (1) or, as the case may be, of any determination under sub-paragraph (2).”

6. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch., for "the Government of Assam" (w.e.f. 21-1-1972).

(छठी अनुसूची)

(ग) किसी बाजार में विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर और फेरी से ले जाए जाने वाले यात्रियों और माल पर पथकर; ^{1***}

(घ) विद्यालयों, औषधालयों या सड़कों को बनाए रखने के लिए कर; ²[और]

³[(ड) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर]]

(4) इस पैरा के उप-पैरा (2) और उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट करों में से किसी कर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने के लिए, यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् विनियम बना सकेगी ⁴[और ऐसा प्रत्येक विनियम राज्यपाल के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक वह उस पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं होगा] ।

⁵9. खनिजों के पूर्वक्षण या निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तियां या पट्टे—

(1) किसी स्वशासी जिले के भीतर के किसी क्षेत्र के संबंध में ⁶[राज्य की सरकार] द्वारा खनिजों के पूर्वक्षण या निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए दी गई अनुज्ञप्तियों या पट्टों से प्रत्येक वर्ष प्रोद्भूत होने वाले स्वामिस्व का ऐसा अंश, जिला परिषद् को दिया जाएगा जो उस ⁷[राज्य की सरकार] और ऐसे जिले की जिला परिषद् के बीच करार पाया जाए ।

(2) यदि जिला परिषद् को दिए जाने वाले ऐसे स्वामिस्व के अंश के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह राज्यपाल को अवधारण के लिए निर्देशित किया जाएगा और राज्यपाल द्वारा अपने विवेक के अनुसार अवधारित रकम इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन जिला परिषद् को संदेय रकम समझी जाएगी और राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा ।

1. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 16(i) द्वारा (16-9-2016 से) "और" शब्द का लोप किया गया ।

2. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 16(ii) द्वारा (16-9-2016 से) अंतःस्थापित ।

3. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 16(iii) द्वारा (16-9-2016 से) अंतःस्थापित ।

4. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।

5. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से) पैरा 9 त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जा सके, अर्थात्:—

"(3) राज्यपाल, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन जिला परिषद् को दिया जाने वाला स्वामिस्व का अंश उस परिषद् को, यथास्थिति, उप-पैरा (1) के अधीन किसी करार या उप-पैरा (2) के अधीन किसी अवधारण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ।"

6. पूर्वतर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "आसाम सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹10. Power of District Council to make regulations for the control of money-lending and trading by non-tribals.—(1) The District Council of an autonomous district may make regulations for the regulation and control of money-lending or trading within the district by persons other than Scheduled Tribes resident in the district.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may—

(a) prescribe that no one except the holder of a licence issued in that behalf shall carry on the business of money-lending;

(b) prescribe the maximum rate of interest which may be charged or be recovered by a money-lender;

(c) provide for the maintenance of accounts by money-lenders and for the inspection of such accounts by officers appointed in that behalf by the District Council;

(d) prescribe that no person who is not a member of the Scheduled Tribes resident in the district shall carry on wholesale or retail business in any commodity except under a licence issued in that behalf by the District Council:

1. Paragraph 10 has been amended in its application to the States of Tripura and Mizoram by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988) (w.e.f. 16-12-1988) s.2, as under—

(a) in the heading, the words “by non-tribals” shall be omitted;

(b) in sub-paragraph (1), the words “other than Scheduled Tribes” shall be omitted;

(c) in sub-paragraph (2), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) prescribe that no person resident in the district shall carry on any trade, whether wholesale or retail, except under a licence issued in that behalf by the District Council.”.

(छठी अनुसूची)

¹10. जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिए विनियम बनाने की जिला परिषद् की शक्ति— (1) स्वशासी जिले की जिला परिषद् उस जिले में निवासी जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की उस जिले के भीतर साहूकारी या व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए विनियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम—

(क) विहित कर सकेंगे कि उस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के धारक के अतिरिक्त और कोई साहूकारी का कारोबार नहीं करेगा;

(ख) साहूकार द्वारा प्रभारित या वसूल किए जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर विहित कर सकेंगे;

(ग) साहूकारों द्वारा लेखे रखे जाने का और जिला परिषदों द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारियों द्वारा ऐसे लेखाओं के निरीक्षण का उपबंध कर सकेंगे;

(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवासी अनुसूचित जनजातियों का सदस्य नहीं है, जिला परिषद् द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन ही किसी वस्तु का थोक या फुटकर कारबार करेगा, अन्यथा नहीं:

1. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से) पैरा 10 त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया:—

(क) शीर्षक में से “जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-पैरा (1) में से “जनजातियों से भिन्न” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) उप-पैरा (2) में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवासी है जिला परिषद् द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन कोई थोक या फुटकर व्यापार करेगा अन्यथा नहीं ।”।

(Sixth Schedule)

Provided that no regulations may be made under this paragraph unless they are passed by a majority of not less than three-fourths of the total membership of the District Council:

Provided further that it shall not be competent under any such regulations to refuse the grant of a licence to a money-lender or a trader who has been carrying on business within the district since before the time of the making of such regulations.

(3) All regulations made under this paragraph shall be submitted forthwith to the Governor and, until assented to by him, shall have no effect.

*

*

*

*

11. Publication of laws, rules and regulations made under the Schedule.—All laws, rules and regulations made under this Schedule by a District Council or a Regional Council shall be published forthwith in the Official Gazette of the State and shall on such publication have the force of law.

*** 12. ¹[**Application of Acts of Parliament and of the Legislature of the State of Assam to autonomous districts and autonomous regions in the State of Assam**].— (1) Notwithstanding anything in this Constitution,—

* Paragraph 10 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2 (w.e.f. 7-9-2003), so as to insert the following sub-paragraph after sub-paragraph (3), namely:—

"(4) Nothing in this paragraph shall apply to the Bodoland Territorial Council constituted under the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 2 of this Schedule."

** Paragraph 12 has been amended to its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1995 (42 of 1995), s. 2 (w.e.f. 12-9-1995) as under,—

"in paragraph 12, in sub-paragraph (1), for the words and figure "matters specified in paragraph 3 of this Schedule", the words, figures and letter "matters specified in paragraph 3 or paragraph 3A of this Schedule" shall be substituted."

*** Paragraph 12 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2 (w.e.f. 7-9-2003), as under,—

"in paragraph 12, in sub-paragraph (1), in clause (a), for the words, figures and letter "matters specified in paragraph 3 or paragraph 3A of this Schedule", the words, figures and letters "matters specified in paragraph 3 or paragraph 3A or paragraph 3B of this Schedule" shall be substituted."

1. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch., for the heading (w.e.f. 21-1-1972).

(छठी अनुसूची)

परंतु इस पैरा के अधीन ऐसे विनियम तब तक नहीं बनाए जा सकेंगे जब तक वे जिला परिषद् की कुल सदस्य संख्या के कम से कम तीन चौथाई बहुमत द्वारा पारित नहीं कर दिए जाते हैं:

परंतु यह और कि ऐसे किन्हीं विनियमों के अधीन किसी ऐसे साहूकार या व्यापारी को जो ऐसे विनियमों के बनाए जाने के पहले से उस जिले के भीतर कारबार करता रहा है, अनुज्ञप्ति देने से इंकार करना सक्षम नहीं होगा।

(3) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राज्यपाल के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।]

*

*

*

*

11. अनुसूची के अधीन बनाई गई विधियाँ, नियमों और विनियमों का प्रकाशन— जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस अनुसूची के अधीन बनाई गई सभी विधियाँ, नियम और विनियम राज्य के राजपत्र में तुरन्त प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर विधि का बल रखेंगे।

*****12. [असम राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद् के और असम राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना]—**(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

* संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) पैरा 10 आसाम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिसमें उप-पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया गया:—

"(4) इस पैरा की कोई बात, इस अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के अधीन गठित बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् को लागू नहीं होगी।"

** संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा (12-9-1995 से) पैरा 12 आसाम राज्य को लागू करने के लिए निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया, अर्थात्:—

'पैरा 12 के उप-पैरा (1) के खंड (क) में, "इस अनुसूची के पैरा 3 या पैरा 3क में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "इस अनुसूची के पैरा 3 या पैरा 3क या पैरा 3ख में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;।

*** संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) पैरा 12 आसाम राज्य को लागू करने के लिए निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया, अर्थात्:—

'पैरा 12 के उप-पैरा (1) के खंड (क) में, " इस अनुसूची के पैरा 3 या पैरा 3क में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "इस अनुसूची के पैरा 3क या पैरा 3ख में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;।

1. पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(a) no Act of the ¹[Legislature of the State of Assam] in respect of any of the matters specified in paragraph 3 of this Schedule as matters with respect to which a District Council or a Regional Council may make laws, and no Act of the Legislature of the State of Assam prohibiting or restricting the consumption of any non-distilled alcoholic liquor shall apply to any autonomous district or autonomous region ²[in that State] unless in either case the District Council for such district or having jurisdiction over such region by public notification so directs, and the District Council in giving such direction with respect to any Act may direct that the Act shall in its application to such district or region or any part thereof have effect subject to such exceptions or modifications as it thinks fit;

(b) the Governor may, by public notification, direct that any Act of Parliament or of the ¹[Legislature of the State of Assam] to which the provisions of clause (a) of this sub-paragraph do not apply shall not apply to an autonomous district or an autonomous region ²[in that State], or shall apply to such district or region or any part thereof subject to such exceptions or modifications as he may specify in the notification.

(2) Any direction given under sub-paragraph (1) of this paragraph may be given so as to have retrospective effect.

³[12A. **Application of Acts of Parliament and of the Legislature of the State of Meghalaya to autonomous districts and autonomous regions in the State of Meghalaya.**—Notwithstanding anything in this Constitution,—

1. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch., for "Legislature of the State" (w.e.f. 21-1-1972).

2. Ins. by s. 71(i) and Eighth Sch., *ibid.* (w.e.f. 21-1-1972).

3. Subs. by s. 71(i) and Eighth Sch., *ibid.*, for paragraph 12A (w.e.f. 21-1-1972).

(छठी अनुसूची)

(क) ¹[असम राज्य के विधान-मंडल] का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों में से किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनके संबंध में जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् विधियां बना सकेगी और ¹[असम राज्य के विधान-मंडल] का कोई अधिनियम, जो किसी अनासुत ऐल्कोहाली लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करता है, ²[उस राज्य में] किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों दशाओं में से हर एक में ऐसे जिले की जिला परिषद् या ऐसे प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद्, लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निदेश नहीं दे देती है और जिला परिषद् किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश देते समय यह निदेश दे सकेगी कि वह अधिनियम ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह ठीक समझती है;

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि संसद् का या ¹[असम राज्य के विधान-मंडल] का कोई अधिनियम, जिसे इस उप-पैरा के खंड (क) के उपबंध लागू नहीं होते हैं ²[उस राज्य में] किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।

³[12क. मेघालय राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद् के और मेघालय राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

-
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "राज्य का विधान-मंडल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।
 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) पैरा 12क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Sixth Schedule)

(a) if any provision of a law made by a District or Regional Council in the State of Meghalaya with respect to any matter specified in sub-paragraph (1) of paragraph 3 of this Schedule or if any provision of any regulation made by a District Council or a Regional Council in that State under paragraph 8 or paragraph 10 of this Schedule, is repugnant to any provision of a law made by the Legislature of the State of Meghalaya with respect to that matter, then, the law or regulation made by the District Council or, as the case may be, the Regional Council whether made before or after the law made by the Legislature of the State of Meghalaya, shall, to the extent of repugnancy, be void and the law made by the Legislature of the State of Meghalaya shall prevail;

(b) the President may, with respect to any Act of Parliament, by notification, direct that it shall not apply to an autonomous district or an autonomous region in the State of Meghalaya, or shall apply to such district or region or any part thereof subject to such exceptions or modifications as he may specify in the notification and any such direction may be given so as to have retrospective effect.]

¹[12AA. **Application of Acts of Parliament and of the Legislature of the State of Tripura to the autonomous districts and autonomous regions in the State of Tripura.**—Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) no Act of the Legislature of the State of Tripura in respect of any of the matters specified in paragraph 3 of this Schedule as matters with respect to which a District Council or a Regional Council may make laws, and no Act of the Legislature of the State of Tripura prohibiting or restricting the consumption of any non-distilled alcoholic liquor shall apply to the autonomous district or an autonomous region in that State unless, in either case, the District Council for that district or having jurisdiction over such region by public notification so directs, and the District Council in giving such direction with respect to any Act may direct that the Act shall, in its application to that district or such region or any part thereof have effect subject to such exceptions or modifications as it thinks fit;

1. Paragraph 12AA ins. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 4 (w.e.f. 1-4-1985) and subsequently subs. by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988), s. 2 (w.e.f. 16-12-1988).

(छठी अनुसूची)

(क) यदि इस अनुसूची के पैरा 3 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के संबंध में मेघालय राज्य में किसी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध या यदि इस अनुसूची के पैरा 8 या पैरा 10 के अधीन उस राज्य में किसी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाए गए किसी विनियम का कोई उपबंध, मेघालय राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई किसी विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है तो, यथास्थिति, उस जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाई गई विधि या बनाया गया विनियम, चाहे वे मेघालय राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले बनाया गया हो या उसके पश्चात्, उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगा और मेघालय राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी;

(ख) राष्ट्रपति, संसद् के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह मेघालय राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।]

12कक. त्रिपुरा राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद् के और त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों में से किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके संबंध में जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् विधियां बना सकेगी, और त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम जो किसी अनासुत ऐल्कोहालिक लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करता है, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को तब तक लागू नहीं होगा जब तक, दोनों दशाओं में से हर एक में, उस जिले की जिला परिषद् या ऐसे प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद् लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निदेश नहीं दे देती है और जिला परिषद् किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश देते समय यह निदेश दे सकेगी कि वह अधिनियम उस जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह ठीक समझती है;

1. पैरा 12कक संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अंतःस्थापित किया गया और तत्पश्चात् संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से) पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Sixth Schedule)

(b) the Governor may, by public notification, direct that any Act of the Legislature of the State of Tripura to which the provisions of clause (a) of this sub-paragraph do not apply, shall not apply to the autonomous district or an autonomous region in that State, or shall apply to that district or such region, or any part thereof, subject to such exceptions or modifications, as he may specify in the notification;

(c) the President may, with respect to any Act of Parliament, by notification, direct that it shall not apply to the autonomous district or an autonomous region in the State of Tripura, or shall apply to such district or region or any part thereof, subject to such exceptions or modifications as he may specify in the notification and any such direction may be given so as to have retrospective effect.

12B. Application of Acts of Parliament and of the Legislature of the State of Mizoram to autonomous districts and autonomous regions in the State of Mizoram.—Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) no Act of the Legislature of the State of Mizoram in respect of any of the matters specified in paragraph 3 of this Schedule as matters with respect to which a District Council or a Regional Council may make laws, and no Act of the Legislature of the State of Mizoram prohibiting or restricting the consumption of any non-distilled alcoholic liquor shall apply to any autonomous district or autonomous region in that State unless, in either case, the District Council for such district or having jurisdiction over such region, by public notification, so directs, and the District Council, in giving such direction with respect to any Act, may direct that the Act shall, in its application to such district or region or any part thereof, have effect subject to such exceptions or modifications as it thinks fit;

(b) the Governor may, by public notification, direct that any Act of the Legislature of the State of Mizoram to which the provisions of clause (a) of this sub-paragraph do not apply, shall not apply to an autonomous district or an autonomous region in that State, or shall apply to such district or region, or any part thereof, subject to such exceptions or modifications, as he may specify in the notification;

(छठी अनुसूची)

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जिसे इस उप-पैरा के खंड (क) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे;

(ग) राष्ट्रपति, संसद् के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह त्रिपुरा राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।

12ख. मिजोरम राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद् के और मिजोरम राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों को लागू होना— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) मिजोरम राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम जो ऐसे विषयों में से किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके संबंध में जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् विधियाँ बना सकेगी, और मिजोरम राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो किसी अनासुत ऐल्कोहालिक लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करता है, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को तब तक लागू नहीं होगा, जब तक, दोनों दशाओं में से हर एक में, उस जिले की जिला परिषद् या ऐसे प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद्, लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निदेश नहीं दे देती है और जिला परिषद् किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश देते समय यह निदेश दे सकेगी कि वह अधिनियम उस जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह ठीक समझती है;

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि मिजोरम राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जिसे इस उप-पैरा के खंड (क) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे;

(c) the President may, with respect to any Act of Parliament, by notification, direct that it shall not apply to an autonomous district or an autonomous region in the State of Mizoram, or shall apply to such district or region or any part thereof, subject to such exceptions or modifications as he may specify in the notification and any such direction may be given so as to have retrospective effect.]]

13. Estimated receipts and expenditure pertaining to autonomous districts to be shown separately in the annual financial statement.—The estimated receipts and expenditure pertaining to an autonomous district which are to be credited to, or is to be made from, the Consolidated Fund of the State ^{1***} shall be first placed before the District Council for discussion and then after such discussion be shown separately in the annual financial statement of the State to be laid before the Legislature of the State under article 202.

²14. Appointment of Commission to inquire into and report on the administration of autonomous districts and autonomous regions.—

(1) The Governor may at any time appoint a Commission to examine and report on any matter specified by him relating to the administration of the autonomous districts and autonomous regions in the State, including matters specified in clauses (c), (d), (e) and (f) of sub-paragraph (3) of paragraph 1 of this Schedule, or may appoint a Commission to inquire into and report from time to time on the administration of autonomous districts and autonomous regions in the State generally and in particular on—

(a) the provision of educational and medical facilities and communications in such districts and regions;

(b) the need for any new or special legislation in respect of such districts and regions; and

(c) the administration of the laws, rules and regulations made by the District and Regional Councils;

and define the procedure to be followed by such Commission.

1. The words "of Assam" omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch. (w.e.f. 21-1-1972).

2. Paragraph 14 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1995 (42 of 1995), s. 2 (w.e.f. 12-9-1995) as under:—

‘in paragraph 14, in sub-paragraph (2), the words “with the recommendations of the Governor with respect thereto” shall be omitted.’.

(छठी अनुसूची)

(ग) राष्ट्रपति, संसद् के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह मिजोरम राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।]

13. स्वशासी जिलों से संबंधित प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक् रूप से दिखाया जाना— किसी स्वशासी जिले से संबंधित प्राक्कलित प्राप्तियाँ और व्यय, जो ¹ राज्य की संचित निधि में जमा होनी हैं या उसमें से किए जाने हैं, पहले जिला परिषद् के समक्ष विचार-विमर्श के लिए रखे जाएंगे और फिर ऐसे विचार-विमर्श के पश्चात् अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक् रूप से दिखाए जाएंगे ।

²14. स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के प्रशासन की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति— (1) राज्यपाल, राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय की, जिसके अंतर्गत इस अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (3) के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) में विनिर्दिष्ट विषय हैं, जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए किसी भी समय आयोग नियुक्त कर सकेगा, या राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के साधारणतया प्रशासन की और विशिष्टतया—

(क) ऐसे जिलों और प्रदेशों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं की और संचार की व्यवस्था की;

(ख) ऐसे जिलों और प्रदेशों के संबंध में किसी नए या विशेष विधान की आवश्यकता थी; और

(ग) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, नियमों और विनियमों के प्रशासन की,

समय-समय पर जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त कर सकेगा और ऐसे आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित कर सकेगा ।

1. पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "आसाम" शब्द का लोप किया गया ।

2. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा पैरा 14 आसाम राज्य में लागू होने के लिए (12-9-1995 से) निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया, अर्थात्—

'पैरा 14 के उप-पैरा (2) में, "राज्यपाल की उससे संबंधित सिफारिशों के साथ" शब्दों का लोप किया जाएगा ।'

(Sixth Schedule)

(2) The report of every such Commission with the recommendations of the Governor with respect thereto shall be laid before the Legislature of the State by the Minister concerned together with an explanatory memorandum regarding the action proposed to be taken thereon by ¹[the Government of the State.]

(3) In allocating the business of the Government of the State among his Ministers the Governor may place one of his Ministers specially in charge of the welfare of the autonomous districts and autonomous regions in the State.

²15. Annulment or suspension of acts and resolutions of District and Regional Councils.—(1) If at any time the Governor is satisfied that an act or resolution of a District or a Regional Council is likely to endanger the safety of India ³[or is likely to be prejudicial to public order], he may annul or suspend such act or resolution and take such steps as he may consider necessary (including the suspension of the Council and the assumption to himself of all or any of the powers vested in or exercisable by the Council) to prevent the commission or continuance of such act, or the giving of effect to such resolution.

(2) Any order made by the Governor under sub-paragraph (1) of this paragraph together with the reasons therefor shall be laid before the Legislature of the State as soon as possible and the order shall, unless revoked by the Legislature of the State, continue in force for a period of twelve months from the date on which it was so made:

Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such order is passed by the Legislature of the State, the order shall unless cancelled by the Governor continue in force for a further period of twelve months from the date on which under this paragraph it would otherwise have ceased to operate.

1. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch., for "the Government of Assam" (w.e.f. 21-1-1972).

2. Paragraph 15 has been amended in its application to the States of Tripura and Mizoram by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988), s. 2 (w.e.f. 16-12-1988), as under,—

In Paragraph 15, in sub-paragraph (2), —

‘(a) in the opening paragraph, for the words “by the Legislature of the State”, the words “by him” shall be substituted;

(b) the proviso shall be omitted.’

3. Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

(छठी अनुसूची)

(2) संबंधित मंत्री, प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को, राज्यपाल की उससे संबंधित सिफारिशों के साथ, उस पर ¹[राज्य की सरकार] द्वारा की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकारक जापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखेगा।

(3) राज्यपाल राज्य की सरकार के कार्य का अपने मंत्रियों में आबंटन करते समय अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को राज्य के स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के कल्याण का विशेषतया भारसाधक बना सकेगा।

²15. जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के कार्यों और संकल्पों का निप्रभाव या निलंबित किया जाना— (1) यदि राज्यपाल का किसी समय यह समाधान हो जाता है कि जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् के किसी कार्य या संकल्प से भारत की सुरक्षा का संकटापन्न होना संभाव्य है ³[या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है] तो वह ऐसे कार्य या संकल्प को निप्रभाव या निलंबित कर सकेगा और ऐसी कार्रवाई (जिसके अंतर्गत परिषद् का निलंबन और परिषद् में निहित या उसके द्वारा प्रयोज्य सभी या किन्हीं शक्तियों को अपने हाथ में ले लेना है) कर सकेगा जो वह ऐसे कार्य को किए जाने या उसके चालू रखे जाने का अथवा ऐसे संकल्प को प्रभावी किए जाने का निवारण करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन किया गया आदेश, उसके लिए जो कारण हैं उनके सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष यथासंभवशीघ्र रखा जाएगा और यदि वह आदेश, राज्य के विधान-मंडल द्वारा प्रतिसंहत नहीं कर दिया जाता है तो वह उस तारीख से, जिसको वह इस प्रकार किया गया था, बारह मास की अवधि तक प्रवृत्त बना रहेगा:

परन्तु यदि और जितनी बार, ऐसे आदेश को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार वह आदेश, यदि राज्यपाल द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है तो, उस तारीख से, जिसको वह इस पैरा के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहता, बारह मास की और अवधि तक प्रवृत्त बना रहेगा।

1. पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "आसाम सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से) पैरा 15 त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया है:—

पैरा 15 के उप-पैरा (2) में,—

(क) आरंभिक भाग में, "राज्य के विधान-मंडल द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "राज्यपाल द्वारा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परन्तु का लोप किया जाएगा।¹

3. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित।

¹16. **Dissolution of a District or a Regional Council.**— ²[(1)] The Governor may on the recommendation of a Commission appointed under paragraph 14 of this Schedule by public notification order the dissolution of a District or a Regional Council, and—

(a) direct that a fresh general election shall be held immediately for the reconstitution of the Council; or

(b) subject to the previous approval of the Legislature of the State assume the administration of the area under the authority of such Council himself or place the administration of such area under the Commission appointed under the said paragraph or any other body considered suitable by him for a period not exceeding twelve months:

Provided that when an order under clause (a) of this paragraph has been made, the Governor may take the action referred to in clause (b) of this paragraph with regard to the administration of the area in question pending the reconstitution of the Council on fresh general election:

Provided further that no action shall be taken under clause (b) of this paragraph without giving the District or the Regional Council, as the case may be, an opportunity of placing its views before the Legislature of the State.

1. Paragraph 16 has been amended in its application to the States of Tripura and Mizoram by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988) s. 2 (w.e.f. 16-12-1988), as under,—

‘(a) in sub-paragraph (1), the words “subject to the previous approval of the Legislature of the State” occurring in clause (b), and the second proviso shall be omitted;

(b) for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(3) Every order made under sub-paragraph (1) or sub-paragraph (2) of this paragraph, along with the reasons therefor shall be laid before the Legislature of the State.”’.

2. Paragraph 16 renumbered as sub-paragraph (1) thereof by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

(छठी अनुसूची)

16. जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् का विघटन— [(1) राज्यपाल, इस अनुसूची के पैरा 14 के अधीन नियुक्त आयोग की सिफारिश पर, लोक अधिसूचना द्वारा, किसी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् का विघटन कर सकेगा, और—

(क) निदेश दे सकेगा कि परिषद् के पुनर्गठन के लिए नया साधारण निर्वाचन तुरन्त कराया जाए; या

(ख) राज्य के विधान-मंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद् के प्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्र का प्रशासन बारह मास से अनधिक अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकेगा अथवा ऐसे क्षेत्र का प्रशासन ऐसे आयोग को जिसे उक्त पैरा के अधीन नियुक्त किया गया है या अन्य ऐसे किसी निकाय को जिसे वह उपयुक्त समझता है, उक्त अवधि के लिए दे सकेगा:

परन्तु जब इस पैरा के खंड (क) के अधीन कोई आदेश किया गया है तब राज्यपाल प्रश्नगत क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में, नया साधारण निर्वाचन होने पर परिषद् के पुनर्गठन के लंबित रहने तक, इस पैरा के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्यवाई कर सकेगा:

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् को राज्य के विधान-मंडल के समक्ष अपने विचारों को रखने का अवसर दिए बिना उस पैरा के खंड (ख) के अधीन कोई कार्यवाई नहीं की जाएगी ।

1. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से) पैरा 16 त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया है:—

'(क) उप-पैरा (1) के खंड (ख) में आने वाले "राज्य के विधान-मंडल के पूर्व अनुमोदन से" शब्दों और दूसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(3) इस पैरा के उप-पैरा (1) या उप-पैरा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके लिए जो कारण है उनके सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।"।

2. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) पैरा 16 को उसके उप-पैरा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया ।

¹[(2) If at any time the Governor is satisfied that a situation has arisen in which the administration of an autonomous district or region cannot be carried on in accordance with the provisions of this Schedule, he may, by public notification, assume to himself all or any of the functions or powers vested in or exercisable by the District Council or, as the case may be, the Regional Council and declare that such functions or powers shall be exercisable by such person or authority as he may specify in this behalf, for a period not exceeding six months:

Provided that the Governor may by a further order or orders extend the operation of the initial order by a period not exceeding six months on each occasion.

(3) Every order made under sub-paragraph (2) of this paragraph with the reasons therefor shall be laid before the Legislature of the State and shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the State Legislature first sits after the issue of the order, unless, before the expiry of that period it has been approved by that State Legislature.]

²**17. Exclusion of areas from autonomous districts in forming constituencies in such districts.**—For the purposes of elections to ³[the Legislative Assembly of Assam or Meghalaya] ⁴[or Tripura] ⁵[or Mizoram], the Governor may by order declare that any area within an autonomous district ⁶[in the State of Assam or Meghalaya] ⁴[or Tripura] ⁵[or Mizoram], as the case may be,] shall not form part of any constituency to fill a seat or seats in the Assembly reserved for any such district but shall form part of a constituency to fill a seat or seats in the Assembly not so reserved to be specified in the order.

⁷[18.* * * * *]

-
1. Added by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).
 2. Paragraph 17 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2 (w.e.f. 7-9-2003) so as to insert the following proviso, namely:—
“Provided that nothing in this paragraph shall apply to the Bodoland Territorial Areas District.”
 3. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch., for "the Legislative Assembly of Assam" (w.e.f. 21-1-1972).
 4. Ins. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 4 (w.e.f. 1-4-1985).
 5. Ins. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 39 (w.e.f. 20-2-1987).
 6. Ins. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch., for "the Legislative Assembly of Assam" (w.e.f. 21-1-1972).
 7. Paragraph 18 omitted by s. 71(i) and Eighth Sch., *ibid.* (w.e.f. 21-1-1972).

(छठी अनुसूची)

¹[(2) यदि राज्यपाल का किसी समय यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश का प्रशासन इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह, यथास्थिति, जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई कृत्य या शक्तियाँ, लोक अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकेगा और यह घोषणा कर सकेगा कि ऐसे कृत्य या शक्तियाँ उक्त अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु राज्यपाल आरंभिक आदेश का प्रवर्तन, अतिरिक्त आदेश या आदेशों द्वारा, एक बार में छह मास से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(3) इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके लिए जो कारण हैं उनके सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा और वह आदेश उस तारीख से जिसको राज्य विधान-मंडल उस आदेश के किए जाने के पश्चात् प्रथम बार बैठता है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले राज्य विधान-मंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है ।]

²17. स्वशासी जिलों में निर्वाचन-क्षेत्रों के बनाने में ऐसे जिलों से क्षेत्रों का अपवर्जन—
राज्यपाल, ³[असम या मेघालय ⁴[या त्रिपुरा ⁵[या मिजोरम]] की विधान सभा] के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए, आदेश द्वारा, यह घोषणा कर सकेगा कि, ⁶[यथास्थिति, असम या मेघालय ⁴[या त्रिपुरा ⁵[या मिजोरम]] राज्य में] किसी स्वशासी जिले के भीतर का कोई क्षेत्र ऐसे किसी जिले के लिए विधान सभा में आरक्षित स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन-क्षेत्र का भाग नहीं होगा, किन्तु विधान सभा में इस प्रकार आरक्षित न किए गए ऐसे स्थान या स्थानों को भरने के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र का भाग होगा ।

⁷[18.*

*

* *]

1. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) जोड़ा गया।
2. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) पैरा 17 आसाम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया गया, अर्थात्:—
“परन्तु इस पैरा की कोई बात बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला को लागू नहीं होगी ।”।
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) “आसाम की विधान सभा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अंतःस्थापित ।
5. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) “आसाम की विधान सभा” के स्थान पर अंतःस्थापित ।
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) पैरा 18 का लोप किया गया ।

(Sixth Schedule)

¹19. **Transitional provisions.**—(1) As soon as possible after the commencement of this Constitution the Governor shall take steps for the constitution of a District Council for each autonomous district in the State under this Schedule and, until a District Council is so constituted for an autonomous district, the administration of such district shall be vested in the Governor and the following provisions shall apply to the administration of the areas within such district instead of the foregoing provisions of this Schedule, namely:—

(a) no Act of Parliament or of the Legislature of the State shall apply to any such area unless the Governor by public notification so directs; and the Governor in giving such a direction with respect to any Act may direct that the Act shall, in its application to the area or to any specified part thereof, have effect subject to such exceptions or modifications as he thinks fit;

(b) the Governor may make regulations for the peace and good government of any such area and any regulations so made may repeal or amend any Act of Parliament or of the Legislature of the State or any existing law which is for the time being applicable to such area.

(2) Any direction given by the Governor under clause (a) of sub-paragraph (1) of this paragraph may be given so as to have retrospective effect.

-
1. Paragraph 19 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Sch. to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2 (w.e.f. 7-9-2003), so as to insert the following sub-paragraph after sub-paragraph (3), namely :—

‘(4) As soon as possible after the commencement of this Act and Interim Executive Council for Bodoland Territorial Areas District in Assam shall be formed by the Governor from amongst leaders of the Bodo movement, including the signatories to the Memorandum of Settlement, and shall provide adequate representation to the non-tribal communities in that area:

Provided that Interim Council shall be for a period of six months during which endeavour to hold the election to the Council shall be made.

Explanation.—For the purposes of this sub-paragraph, the expression “Memorandum of Settlement” means the Memorandum signed on the 10th day of February, 2003 between Government of India, Government of Assam and Bodo Liberation Tigers.’.

(छठी अनुसूची)

19. संक्रमणकालीन उपबंध— (1) राज्यपाल, इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, इस अनुसूची के अधीन राज्य में प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद् के गठन के लिए कार्यवाई करेगा और जब तक किसी स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद् इस प्रकार गठित नहीं की जाती है तब तक ऐसे जिले का प्रशासन राज्यपाल में निहित होगा और ऐसे जिले के भीतर के क्षेत्रों के प्रशासन को इस अनुसूची के पूर्वगामी उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) संसद् का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र को तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निदेश नहीं दे देता है और राज्यपाल किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश देते समय यह निदेश दे सकेगा कि वह अधिनियम ऐसे क्षेत्र या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह ठीक समझता है;

(ख) राज्यपाल ऐसे किसी क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए विनियम संसद् के या उस राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो ऐसे क्षेत्र को तत्समय लागू हैं, निरसन या संशोधन कर सकेंगे ।

(2) राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (1) के खंड (क) के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।

1. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) पैरा 19 आसाम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्:—

(4) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, यथाशीघ्र आसाम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के लिए एक अंतरिम कार्यपालक परिषद्, राज्यपाल द्वारा बोडो आन्दोलन के नेताओं में से, जिनके अंतर्गत समझौते के जापन के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं, बनाई जाएगी और उसमें उस क्षेत्र के गैर जनजातीय समुदायों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा:

परंतु अन्तरिम परिषद् छह मास की अवधि के लिए होगी जिसके दौरान परिषद् का निर्वाचन कराने का प्रयास किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण— इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए, “समझौते का जापन” पद से भारत सरकार, आसाम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइटर्स के बीच 10 फरवरी, 2003 को हस्ताक्षरित जापन अभिप्रेत है ।।

(Sixth Schedule)

(3) All regulations made under clause (b) of sub-paragraph (1) of this paragraph shall be submitted forthwith to the President and, until assented to by him, shall have no effect.

¹[20. **Tribal areas.**—(1) The areas specified in Parts I, II ²[, IIA] and III of the table below shall respectively be the tribal areas within the State of Assam, the State of Meghalaya ²[, the State of Tripura] and the ³[State] of Mizoram.

(2) ⁴[Any reference in Part I, Part II or Part III of the table below] to any district shall be construed as a reference to the territories comprised within the autonomous district of that name existing immediately before the day appointed under clause (b) of section 2 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971:

Provided that for the purposes of clauses (e) and (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 3, paragraph 4, paragraph 5, paragraph 6, sub-paragraph (2), clauses (a), (b) and (d) of sub-paragraph (3) and sub-paragraph (4) of paragraph 8 and clause (d) of sub-paragraph (2) of paragraph 10 of this Schedule, no part of the area comprised within the municipality of Shillong shall be deemed to be within the ⁵[Khasi Hills District].

²[(3) The reference in Part IIA in the table below to the "Tripura Tribal Areas District" shall be construed as a reference to the territory comprising the tribal areas specified in the First Schedule to the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Act, 1979.]

-
1. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch., for paragraphs 20 and 20A (w.e.f. 21-1-1972) and paragraph 20A further substituted by the Government of Union Territory (Amendment) Act, 1971 (83 of 1971) s. 13 (w.e.f. 29-4-1972).
 2. Ins. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 4 (w.e.f. 1-4-1985).
 3. Subs. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 39, for "Union territory" (w.e.f. 20-2-1987).
 4. Subs. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 4, for "any reference in the table below" (w.e.f. 1-4-1985).
 5. Subs. by the Government of Meghalaya Notification No. DCA 31/72/11, dated the 14th June, 1973, Gazette of Meghalaya, Pt. VA, dated 23-6-1973, p. 200.

(छठी अनुसूची)

(3) इस पैरा के उप-पैरा (1) के खंड (ख) के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

¹[20. जनजाति क्षेत्र— (1) नीचे दी गई सारणी के भाग 1, भाग 2, ²[भाग 2क] और भाग 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र क्रमशः असम राज्य, मेघालय राज्य, ³[त्रिपुरा राज्य] और मिजोरम ⁴[राज्य] के जनजाति क्षेत्र होंगे।

(2) ⁴[नीचे दी गई सारणी के भाग 1, भाग 2 या भाग 3 में] किसी जिले के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत किए गए दिन से ठीक पहले विद्यमान उस नाम के स्वशासी जिले में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के प्रति निर्देश हैं:

परन्तु इस अनुसूची के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के खंड (ड) और खंड (च), पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6, पैरा 8 के उप-पैरा (2), उप-पैरा (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) और उप-पैरा (4) तथा पैरा 10 के उप-पैरा (2) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, शिलांग नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र के किसी भाग के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ⁵[खासी पहाड़ी जिले] के भीतर है।

²[(3) नीचे दी गई सारणी के भाग 2क में “त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला” के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद् अधिनियम, 1979 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में समाविष्ट राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है।]

-
1. पैरा 20क पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) पैरा 20 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 2. संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अंतःस्थापित।
 3. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) “संघ राज्यक्षेत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 4. संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) “नीचे दी गई सारणी में” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 5. मेघालय सरकार की अधिसूचना सं. डी.सी.ए. 31/72/11, तारीख 14 जून, 1973, मेघालय का राजपत्र, भाग 5क, तारीख 23-6-1973, पृ. 200 द्वारा प्रतिस्थापित।

(Sixth Schedule)

TABLE

PART I

1. The North Cachar Hills District.
2. ¹[The Karbi Anglong District.]
- ²[3. The Bodoland Territorial Areas District.]

PART II

- ³[1. Khasi Hills District.
2. Jaintia Hills District.]
3. The Garo Hills District.

⁴[**PART IIA**]

Tripura Tribal Areas District]

Part III⁵* * *

- ⁶
- [1. The Chakma District.

⁷[2. The Mara District.

3. The Lai District.]]

⁸[20A. **Dissolution of the Mizo District Council.**—(1) Notwithstanding anything in this Schedule, the District Council of the Mizo District existing immediately before the prescribed date (hereinafter referred to as the Mizo District Council) shall stand dissolved and cease to exist.

-
1. Subs. by the Government of Assam Notification No. TAD/R/115/74/47, dated 14-10-1976 for "The Mikir Hills District".
 2. Ins. by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2 (w.e.f. 7-9-2003).
 3. Subs. by the Government of Meghalaya Notification No. DCA 31/72/11, dated the 14th June, 1973, Gazette of Meghalaya, Pt. VA, dated 23-6-1973, p. 200.
 4. Ins. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 4 (w.e.f. 1-4-1985).
 5. The words "The Mizo District." omitted by the Government of Union Territories (Amendment) Act, 1971 (83 of 1971), s. 13 (w.e.f. 16-2-1972).
 6. Ins. by the Mizoram District Councils (Miscellaneous Provisions) Order, 1972, published in the Mizoram Gazette, 1972, dated the 5th May, 1972, Vol. I, Pt. II, p.17 (w.e.f. 29-4-1972).
 7. Subs. by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988), s. 2, for serial numbers 2 and 3 and the entries relating thereto (w.e.f. 16-12-1988).
 8. Subs. by the North-Eastern Areas (Recognition) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eight Sch. for paragraph 20 (w.e.f. 21-1-1972) and further subs. by the Government of Union Territory (Amendment) Act, 1971 (83 of 1971), s. 13 for paragraph 20A (w.e.f. 16-2-1972).

(छठी अनुसूची)

सारणी

भाग 1

1. उत्तरी कछार पहाड़ी जिला ।
2. ¹[कार्बी आंगलांग जिला ।]
- ²3. बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला ।]

भाग 2

- ³1. खासी पहाड़ी जिला ।
2. जयंतिया पहाड़ी जिला ।]
3. गारो पहाड़ी जिला ।

⁴भाग 2क

त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला ।]

भाग 3

^{5*} * *

- ⁶1. चकमा जिला ।
- ⁷2. मारा जिला ।
3. लई जिला ।]

⁸[20क. मिजो जिला परिषद् का विघटन— (1) इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान मिजो जिले की जिला परिषद् (जिसमें इससे पश्चात् मिजो जिला परिषद् कहा गया है) विघटित हो जाएगी और विद्यमान नहीं रह जाएगी ।

-
1. आसाम सरकार द्वारा तारीख 14-10-1976 की अधिसूचना सं. टी.ए.डी./आर.115/74/47 द्वारा "मिकीर पहाड़ी जिला" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 2. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा (7-9-2003 से) अंतःस्थापित ।
 3. मेघालय सरकार की अधिसूचना सं. डी.सी.ए. 31/72/11, तारीख 14 जून, 1973, मेघालय का राजपत्र, भाग 5क. तारीख 23-6-1973, पृ. 200 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 4. संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अंतःस्थापित ।
 5. संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83) की धारा 13 द्वारा (16-2-1972 से) "मिजो जिला" शब्दों का लोप किया गया ।
 6. मिजोरम का राजपत्र 1972. तारीख 5 मई, 1972, जिल्द 1, भाग 2, पृ. 17 में प्रकाशित मिजोरम जिला परिषद् (प्रकीर्ण उपबंध) आदेश, 1972 द्वारा (29-4-1972 से) अंतःस्थापित ।
 7. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से) क्रम सं० 2 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 8. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(झ) और आठवी अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) पैरा 20 के स्थान पर पैरा प्रतिस्थापित किया गया और तत्पश्चात् संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83) की धारा 13 द्वारा (16-2-1972 से) पैरा 20क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Sixth Schedule)

(2) The Administrator of the Union territory of Mizoram may, by one or more orders, provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the transfer, in whole or in part, of the assets, rights and liabilities of the Mizo District Council (including the rights and liabilities under any contract made by it) to the Union or to any other authority;

(b) the substitution of the Union or any other authority for the Mizo District Council, or the addition of the Union or any other authority, as a party to any legal proceedings to which the Mizo District Council is a party;

(c) the transfer or re-employment of any employees of the Mizo District Council to or by the Union or any other authority, the terms and conditions of service applicable to such employees after such transfer or re-employment;

(d) the continuance of any laws, made by the Mizo District Council and in force immediately before its dissolution, subject to such adaptations and modifications, whether by way of repeal or amendment, as the Administrator may make in this behalf, until such laws are altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority;

(e) such incidental, consequential and supplementary matters as the Administrator considers necessary.

Explanation.—In this paragraph and in paragraph 20B of this Schedule, the expression "prescribed date" means the date on which the Legislative Assembly of the Union territory of Mizoram is duly constituted under and in accordance with the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963. (20 of 1963)]

¹[20B. **Autonomous regions in the Union territory of Mizoram to be autonomous districts and transitory provisions consequent thereto.**—(1) Notwithstanding anything in this Schedule,—

(a) every autonomous region existing immediately before the prescribed date in the Union territory of Mizoram shall, on and from that date, be an autonomous district in that Union territory (hereafter referred to as the corresponding new district) and the Administrator thereof may, by one or more orders, direct that such consequential amendments as are necessary to give effect to the provisions of this clause shall be made in paragraph 20 of this Schedule (including Part III of the table appended to that paragraph) and thereupon the said paragraph and the said Part III shall be deemed to have been amended accordingly;

1. Sub. by the Government of Union Territory (Amendment) Act, 1971 (83 of 1971), s. 13 for paragraph 20A (w.e.f. 16-2-1972).

(छठी अनुसूची)

(2) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) मिजो जिला परिषद् की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का (जिनके अंतर्गत उसके द्वारा की गई किसी संविदा के अधीन अधिकार और दायित्व हैं) पूर्णतः या भागतः संघ को या किसी अन्य प्राधिकारी को अंतरण;

(ख) किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें मिजो जिला परिषद् एक पक्षकार है, मिजो जिला परिषद् के स्थान पर संघ का या किसी अन्य प्राधिकारी का पक्षकार के रूप में रखा जाना अथवा संघ का या किसी अन्य प्राधिकारी का पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना;

(ग) मिजो जिला परिषद् के किन्हीं कर्मचारियों का संघ को या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा उसके द्वारा अंतरण या पुनर्नियोजन, ऐसे अंतरण या पुनर्नियोजन के पश्चात् उन कर्मचारियों को लागू होने वाले सेवा के निबंधन और शर्तें;

(घ) मिजो जिला परिषद् द्वारा बनाई गई और उसके विघटन से ठीक पहले प्रवृत्त किन्हीं विधियों का, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के, चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में, अधीन रहते हुए जो प्रशासक द्वारा इस निमित्त किए जाएं, तब तक प्रवृत्त बना रहना जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी विधियों में परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है;

(ङ) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय जो प्रशासक आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण— इस पैरा में और इस अनुसूची के पैरा 20ख में, “विहित तारीख” पद से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के उपबंधों के अधीन और उनके अनुसार, सम्यक् रूप से गठन होता है।

[20ख. मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में स्वशासी प्रदेशों का स्वशासी जिले होना और उसके पारिणामिक संक्रमणकालीन उपबंध— (1) इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान प्रत्येक स्वशासी प्रदेश उस तारीख को और से उस संघ राज्यक्षेत्र का स्वशासी जिला (जिसे इसमें इसके पश्चात्, तत्स्थानी नया जिला कहा गया है) हो जाएगा और उसका प्रशासक, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस अनुसूची के पैरा 20 में (जिसके अंतर्गत उस पैरा से संलग्न सारणी का भाग 3 है) ऐसे पारिणामिक संशोधन किए जाएंगे जो इस खंड के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हैं और तब उक्त पैरा और उक्त भाग 3 के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका तदनुसार संशोधन कर दिया गया है;

1. संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83) की धारा 13 द्वारा (16-2-1972 से) पैरा 20 का के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Sixth Schedule)

(b) every Regional Council of an autonomous region in the Union territory of Mizoram existing immediately before the prescribed date (hereafter referred to as the existing Regional Council) shall, on and from that date and until a District Council is duly constituted for the corresponding new district, be deemed to be the District Council of that district (hereafter referred to as the corresponding new District Council).

(2) Every member whether elected or nominated of an existing Regional Council shall be deemed to have been elected or, as the case may be, nominated to the corresponding new District Council and shall hold office until a District Council is duly constituted for the corresponding new district under this Schedule.

(3) Until rules are made under sub-paragraph (7) of paragraph 2 and sub-paragraph (4) of paragraph 4 of this Schedule by the corresponding new District Council, the rules made under the said provisions by the existing Regional Council and in force immediately before the prescribed date shall have effect in relation to the corresponding new District Council subject to such adaptations and modifications as may be made therein by the Administrator of the Union territory of Mizoram.

(4) The Administrator of the Union territory of Mizoram may, by one or more orders, provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the transfer in whole or in part of the assets, rights and liabilities of the existing Regional Council (including the rights and liabilities under any contract made by it) to the corresponding new District Council;

(b) the substitution of the corresponding new District Council for the existing Regional Council as a party to the legal proceedings to which the existing Regional Council is a party;

(c) the transfer or re-employment of any employees of the existing Regional Council to or by the corresponding new District Council, the terms and conditions of service applicable to such employees after such transfer or re-employment;

(छठी अनुसूची)

(ख) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान स्वशासी प्रदेश की प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् विद्यमान प्रादेशिक परिषद् कहा गया है) उस तारीख को और से और जब तक तत्स्थानी नए जिले के लिए परिषद् का सम्यक् रूप से गठन नहीं होता है तब तक, उस जिले की जिला परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् तत्स्थानी नई जिला परिषद् कहा गया है) समझी जाएगी।

(2) विद्यमान प्रादेशिक परिषद् का प्रत्येक निर्वाचित या नामनिर्देशित सदस्य तत्स्थानी नई जिला परिषद् के लिए, यथास्थिति, निर्वाचित या नामनिर्देशित समझा जाएगा और तब तक पद धारण करेगा जब तक इस अनुसूची के अधीन तत्स्थानी नए जिले के लिए जिला परिषद् का सम्यक् रूप से गठन नहीं होता है

(3) जब तक तत्स्थानी नई जिला परिषद् द्वारा इस अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (7) और पैरा 4 के उप-पैरा (4) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक विद्यमान प्रादेशिक परिषद् द्वारा उक्त उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम, जो विहित तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त हैं, तत्स्थानी नई जिला परिषद् के संबंध में ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा उनमें किए जाएं।

(4) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) विद्यमान प्रादेशिक परिषद् की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का (जिनके अंतर्गत उसके द्वारा की गई किसी संविदा के अधीन अधिकार और दायित्व हैं) पूर्णतः या भागतः तत्स्थानी नई जिला परिषद् को अंतरण;

(ख) किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें विद्यमान प्रादेशिक परिषद् एक पक्षकार है, विद्यमान प्रादेशिक परिषद् के स्थान पर तत्स्थानी नई जिला परिषद् का पक्षकार के रूप में रखा जाना;

(ग) विद्यमान प्रादेशिक परिषद् के किन्हीं कर्मचारियों का तत्स्थानी नई जिला परिषद् को अथवा उसके द्वारा अंतरण या पुनर्नियोजन; ऐसे अंतरण या पुनर्नियोजन के पश्चात् उन कर्मचारियों को लागू होने वाले सेवा के निबंधन और शर्तें;

(Sixth Schedule)

(d) the continuance of any laws made by the existing Regional Council and in force immediately before the prescribed date, subject to such adaptations and modifications, whether by way of repeal or amendment, as the Administrator may make in this behalf until such laws are altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority;

(e) such incidental, consequential and supplementary matters as the Administrator considers necessary.]

¹[20BA. **Exercise of discretionary powers by the Governor in the discharge of his functions.**—The Governor in the discharge of his functions under sub-paragraphs (2) and (3) of paragraph 1, sub-paragraphs (1), (6), sub-paragraph (6A) excluding the first proviso and sub-paragraph (7) of paragraph 2, sub-paragraph (3) of paragraph 3, sub-paragraph (4) of paragraph 4, paragraph 5, sub-paragraph (1) of paragraph 6, sub-paragraph (2) of paragraph 7, sub-paragraph (4) of paragraph 8, sub-paragraph (3) of paragraph 9, sub-paragraph (3) of paragraph 10, sub-paragraph (1) of paragraph 14, sub-paragraph (1) of paragraph 15 and sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 16 of this Schedule, shall, after consulting the Council of Ministers and the North Cachar Hills Autonomous Council or the Karbi Anglong Autonomous Council, as the case may be, take such action as he considers necessary in his discretion.]

²[20BB. **Exercise of discretionary powers by the Governor in the discharge of his functions.**—The Governor, in the discharge of his functions under sub-paragraphs (2) and (3) of paragraph 1, sub-paragraphs (1) and (7) of paragraph 2, sub-paragraph (3) of paragraph 3, sub-paragraph (4) of paragraph 4, paragraph 5, sub-paragraph (1) of paragraph 6, sub-paragraph (2) of paragraph 7, sub-paragraph (3) of paragraph 9, sub-paragraph (1) of paragraph 14, sub-paragraph (1) of paragraph 15 and sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 16 of this Schedule, shall, after consulting the Council of Ministers, and if he thinks it necessary, the District Council or the Regional Council concerned, take such action as he considers necessary in his discretion.]

-
1. Paragraph 20BA has been inserted in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1995 (42 of 1995), s. 2 (w.e.f. 12-9-1995).
 2. Paragraph 20BB has been inserted in its application to the States of Tripura and Mizoram, by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988), s. 2 (w.e.f. 16-12-1988).

(छठी अनुसूची)

(घ) विद्यमान प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाई गई और विहित तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त किन्हीं विधियों का, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के, चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में, अधीन रहते हुए जो प्रशासक द्वारा इस निमित्त किए जाएं, तब तक प्रवृत्त बना रहना जब तक सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी विधियों में परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है;

(ङ) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय जो प्रशासक आवश्यक समझे ।]

1[20खक.- राज्यपाल द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में वैवेकिक शक्तियों का प्रयोग- राज्यपाल, इस अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (2) और उप-पैरा (3), पैरा 2 के उप-पैरा(1), उप-पैरा(6), उप-पैरा(6क) के पहले परंतुक को छोड़कर और उप-पैरा (7) पैरा 3 के उप-पैरा (3) पैरा 4 के उप-पैरा (4) पैरा 5 के पैरा 6 के उप-पैरा(1), पैरा 7 के उप-पैरा(2), पैरा 8 के उप-पैरा (4), पैरा 9 के उप-पैरा (3), पैरा 10 के उप-पैरा (3), पैरा 14 के उप-पैरा (1), पैरा 15 के उप-पैरा (1), और पैरा 16 के उप-पैरा (1), और उप-पैरा (2), के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, मंत्री - परिषद् और यथास्थिती, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् या कार्बी आंगलांग पहाड़ी स्वशासी परिषद् से परामर्श से परामर्श करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह स्वविवेकानुसार आवश्यक मानता है।]

2[20खख.- राज्यपाल द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में वैवेकिक शक्तियों का प्रयोग- राज्यपाल, इस अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (2) और उप-पैरा (3) पैरा 2 के उप-पैरा(1), उप-पैरा(7), पैरा 3 के उप-पैरा (3) पैरा 4 के उप-पैरा (4) पैरा 5 , पैरा 6 के उप-पैरा(1), पैरा 7 के उप-पैरा(2), पैरा 9 के उप-पैरा (3), पैरा 14 के उप-पैरा (1) पैरा 15 के उप-पैरा (1), और पैरा 16 के उप-पैरा (1), और उप-पैरा (2), के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, मंत्री-परिषद् से और यदि वह आवश्यक समझे तो संबंधित जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह स्वविवेकानुसार समझे।]

1. संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा (12-9-1995 से) असम राज्य को लागू करने में पैरा 20ख के पश्चात् पैरा 20खक अंतःस्थापित किया गया।

2 संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा (16-12-1988 से) पैरा 20ख के पश्चात् पैरा 20खख अंतःस्थापित किया गया।

¹[20C. **Interpretation.**—Subject to any provision made in this behalf, the provisions of this Schedule shall, in their application to the Union territory of Mizoram, have effect—

(1) as if references to the Governor and Government of the State were references to the Administrator of the Union territory appointed under article 239, references to State (except in the expression "Government of the State") were references to the Union territory of Mizoram and references to the State Legislature were references to the Legislative Assembly of the Union territory of Mizoram;

(2) as if—

(a) in sub-paragraph (5) of paragraph 4, the provision for consultation with the Government of the State concerned had been omitted;

(b) in sub-paragraph (2) of paragraph 6, for the words "to which the executive power of the State extends", the words "with respect to which the Legislative Assembly of the Union territory of Mizoram has power to make laws" had been substituted;

(c) in paragraph 13, the words and figures "under article 202" had been omitted.]

21. Amendment of the Schedule.—(1) Parliament may from time to time by law amend by way of addition, variation or repeal any of the provisions of this Schedule and, when the Schedule is so amended, any reference to this Schedule in this Constitution shall be construed as a reference to such Schedule as so amended.

(2) No such law as is mentioned in sub-paragraph (1) of this paragraph shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

1. Sub. by the Government of Union Territories (Amendment) Act, 1971 (83 of 1971), s. 13 for paragraph 20A (w.e.f. 16-2-1972).

(छठी अनुसूची)

¹[20ग. निर्वचन— इस निमित्त बनाए गए किसी उपबंध के अधीन रहते हुए, इस अनुसूची के उपबंध मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे—

(1) मानो राज्य के राज्यपाल और राज्य की सरकार के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों; (“राज्य की सरकार” पद के सिवाय) राज्य के प्रति निर्देश मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश हों और राज्य विधान-मंडल के प्रति निर्देश मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के प्रति निर्देश हों;

(2) मानो—

(क) पैरा 4 के उप-पैरा (5) में संबंधित राज्य की सरकार से परामर्श करने के उपबंध का लोप कर दिया गया हो;

(ख) पैरा 6 के उप-पैरा (2) में, “जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है” शब्दों के स्थान पर “जिसके संबंध में मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा को विधियां बनाने की शक्ति है” शब्द रख दिए गए हों;

(ग) पैरा 13 में, “अनुच्छेद 202 के अधीन” शब्दों और अंकों का लोप कर दिया गया हो ।]

21. अनुसूची का संशोधन— (1) संसद, समय-समय पर विधि द्वारा, इस अनुसूची के उपबंधों में से किसी का, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकेगी और जब अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति निर्देश है ।

(2) ऐसी कोई विधि जो इस पैरा के उप-पैरा (1) में उल्लिखित है, इस संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी ।

1. संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83) की धारा 13 द्वारा (16-2-1972 से) पैरा 20क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

SEVENTH SCHEDULE

(Article 246)

List I—Union List

1. Defence of India and every part thereof including preparation for defence and all such acts as may be conducive in times of war to its prosecution and after its termination to effective demobilisation.

2. Naval, military and air forces; any other armed forces of the Union.

¹[2A. Deployment of any armed force of the Union or any other force subject to the control of the Union or any contingent or unit thereof in any State in aid of the civil power; powers, jurisdiction, privileges and liabilities of the members of such forces while on such deployment.]

3. Delimitation of cantonment areas, local self-government in such areas, the constitution and powers within such areas of cantonment authorities and the regulation of house accommodation (including the control of rents) in such areas.

4. Naval, military and air force works.

5. Arms, firearms, ammunition and explosives.

6. Atomic energy and mineral resources necessary for its production.

7. Industries declared by Parliament by law to be necessary for the purpose of defence or for the prosecution of war.

8. Central Bureau of Intelligence and Investigation.

9. Preventive detention for reasons connected with Defence, Foreign Affairs, or the security of India; persons subjected to such detention.

10. Foreign affairs; all matters which bring the Union into relation with any foreign country.

11. Diplomatic, consular and trade representation.

12. United Nations Organisation.

13. Participation in international conferences, associations and other bodies and implementing of decisions made thereat.

14. Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing of treaties, agreements and conventions with foreign countries.

1. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 57 (w.e.f. 3-1-1977).

सातवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 246)

सूची 1 – संघ सूची

1. भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी और ऐसे सभी कार्य हैं, जो युद्ध के समय युद्ध के संचालन और उसकी समाप्ति के पश्चात् प्रभावी सैन्यवियोजन में सहायक हों ।

2. नौसेना, सेना और वायुसेना; संघ के अन्य सशस्त्र बल ।

¹[2क. संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन; ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियाँ, अधिकारिता, विशेषाधिकार और दायित्व ।]

3. छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के भीतर छावनी प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियाँ तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वास-सुविधा का विनियमन (जिसके अंतर्गत भाटक का नियंत्रण है) ।

4. नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म ।

5. आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबारूद और विस्फोटक ।

6. परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत ।

7. संसद् द्वारा विधि द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किए गए उद्योग ।

8. केन्द्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो ।

9. रक्षा, विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध; इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति ।

10. विदेश कार्य, सभी विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से संबंध होता है ।

11. राजनयिक, कौंसलीय और व्यापारिक प्रतिनिधित्व ।

12. संयुक्त राष्ट्र संघ ।

13. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन ।

14. विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों का कार्यान्वयन ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

(Seventh Schedule)

15. War and peace.
16. Foreign jurisdiction.
17. Citizenship, naturalisation and aliens.
18. Extradition.
19. Admission into, and emigration and expulsion from, India; passports and visas.
20. Pilgrimages to places outside India.
21. Piracies and crimes committed on the high seas or in the air; offences against the law of nations committed on land or the high seas or in the air.
22. Railways.
23. Highways declared by or under law made by Parliament to be national highways.
24. Shipping and navigation on inland waterways, declared by Parliament by law to be national waterways, as regards mechanically propelled vessels; the rule of the road on such waterways.
25. Maritime shipping and navigation, including shipping and navigation on tidal waters; provision of education and training for the mercantile marine and regulation of such education and training provided by States and other agencies.
26. Lighthouses, including lightships, beacons and other provision for the safety of shipping and aircraft.
27. Ports declared by or under law made by Parliament or existing law to be major ports, including their delimitation, and the constitution and powers of port authorities therein.
28. Port quarantine, including hospitals connected therewith; seamen's and marine hospitals.
29. Airways; aircraft and air navigation; provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes; provision for aeronautical education and training and regulation of such education and training provided by States and other agencies.
30. Carriage of passengers and goods by railway, sea or air, or by national waterways in mechanically propelled vessels.

15. युद्ध और शांति ।

16. वैदेशिक अधिकारिता ।

17. नागरिकता, देशीयकरण और अन्यदेशीय ।

18. प्रत्यर्पण ।

19. भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवास और निष्कासन, पासपोर्ट और वीजा ।

20. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं ।

21. खुले समुद्र या आकाश में की गई दस्युता और अपराध; स्थल या खुले समुद्र या आकाश में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराध ।

22. रेल ।

23. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।

24. यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में ऐसे अंतर्देशीय जलमार्गों पर पोत परिवहन और नौ परिवहन जो संसद् द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं; ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम ।

25. समुद्री पोत परिवहन और नौ परिवहन, जिसके अंतर्गत ज्वारीय जल में पोत परिवहन और नौ परिवहन है; वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन ।

26. प्रकाशस्तंभ, जिनके अंतर्गत प्रकाशपोत, बीकन तथा पोत परिवहन और वायुयानों की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्था है ।

27. ऐसे पत्तन जिन्हें संसद् द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित किया जाता है, जिसके अंतर्गत उनका परिसीमन और उनमें पत्तन प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियां हैं ।

28. पत्तन कंरतीन, जिसके अंतर्गत उससे संबद्ध अस्पताल हैं; नाविक और समुद्रीय अस्पताल ।

29. वायुमार्ग, वायुयान और विमान चालन; विमानक्षेत्रों की व्यवस्था; विमान यातायात और विमानक्षेत्रों का विनियमन और संगठन; वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन ।

30. रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा अथवा यंत्र नोदित जलयानों में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन ।

(Seventh Schedule)

31. Posts and telegraphs; telephones, wireless, broadcasting and other like forms of communication.

32. Property of the Union and the revenue therefrom, but as regards property situated in a State ^{1***} subject to legislation by the State, save in so far as Parliament by law otherwise provides.

²[33* * * * *]

34. Courts of wards for the estates of Rulers of Indian States.

35. Public debt of the Union.

36. Currency, coinage and legal tender; foreign exchange.

37. Foreign loans.

38. Reserve Bank of India.

39. Post Office Savings Bank.

40. Lotteries organised by the Government of India or the Government of a State.

41. Trade and commerce with foreign countries; import and export across customs frontiers; definition of customs frontiers.

42. Inter-State trade and commerce.

43. Incorporation, regulation and winding up of trading corporations, including banking, insurance and financial corporations, but not including co-operative societies.

44. Incorporation, regulation and winding up of corporations, whether trading or not, with objects not confined to one State, but not including universities.

45. Banking.

46. Bills of exchange, cheques, promissory notes and other like instruments.

47. Insurance.

48. Stock exchanges and futures markets.

49. Patents, inventions and designs; copyright; trade-marks and merchandise marks.

1. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

2. Entry 33 omitted by s. 26, *ibid.* (w.e.f. 1-11-1956).

31. डाक-तार; टेलीफोन, बेलतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन ।

32. संघ की संपत्ति और उससे राजस्व, किंतु किसी ¹राज्य में स्थित संपत्ति के संबंध में, वहां तक के सिवाय जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए ।

²[33* * * * *]

34. देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण ।

35. संघ का लोक ऋण ।

36. करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा, विदेशी मुद्रा ।

37. विदेशी ऋण ।

38. भारतीय रिजर्व बैंक ।

39. डाकघर बचत बैंक ।

40. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लाटरी ।

41. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; सीमाशुल्क सीमांतों के आर-पार आयात और निर्यात; सीमाशुल्क सीमांतों का परिनिश्चय ।

42. अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।

43. व्यापार निगमों का, जिनके अंतर्गत बैंककारी, बीमा और वित्तीय निगम हैं किंतु सहकारी सोसाइटी नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन ।

44. विश्वविद्यालयों को छोड़कर ऐसे निगमों का, चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन ।

45. बैंककारी ।

46. विनियम-पत्र, चेक, बचत पत्र और वैसे ही अन्य लिखतें ।

47. बीमा ।

48. स्टाक एक्सचेंज और वायदा बाजार ।

49. पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन; प्रतिलिप्यधिकार; व्यापार चिह्न और पण्य वस्तु चिह्न ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 26 द्वारा (1-11-1956 से) प्रविष्टि 33 का लोप किया गया ।

(Seventh Schedule)

50. Establishment of standards of weight and measure.

51. Establishment of standards of quality for goods to be exported out of India or transported from one State to another.

52. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

53. Regulation and development of oilfields and mineral oil resources; petroleum and petroleum products; other liquids and substances declared by Parliament by law to be dangerously inflammable.

54. Regulation of mines and mineral development to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

55. Regulation of labour and safety in mines and oilfields.

56. Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

57. Fishing and fisheries beyond territorial waters.

58. Manufacture, supply and distribution of salt by Union agencies; regulation and control of manufacture, supply and distribution of salt by other agencies.

59. Cultivation, manufacture, and sale for export, of opium.

60. Sanctioning of cinematograph films for exhibition.

61. Industrial disputes concerning Union employees.

62. The institutions known at the commencement of this Constitution as the National Library, the Indian Museum, the Imperial War Museum, the Victoria Memorial and the Indian War Memorial, and any other like institution financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be an institution of national importance.

63. The institutions known at the commencement of this Constitution as the Benares Hindu University, the Aligarh Muslim University and the ¹[Delhi University; the University established in pursuance of article 371E:] any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance.

1. Subs. by the Constitution (Thirty-second Amendment) Act, 1973, s. 4, for "Delhi University and" (w.e.f. 1-7-1974).

50. बाटों और मापों के मानक नियत करना ।

51. भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक नियत करना ।

52. वे उद्योग जिनके संबंध में संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोक हित में समीचीन है ।

53. तेलक्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति स्रोतों का विनियमन और विकास; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; अन्य द्रव और पदार्थ जिनके विषय में संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि वे खतरनाक रूप से ज्वलनशील हैं ।

54. उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद् विधि द्वारा, लोक हित में समीचीन घोषित करे ।

55. खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन ।

56. उस सीमा तक अंतरराज्यिक नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद् विधि द्वारा, लोक हित में समीचीन घोषित करे ।

57. राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र ।

58. संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण, प्रदाय और वितरण; अन्य अभिकरणों द्वारा किए गए नमक के विनिर्माण, प्रदाय और वितरण का विनियमन और नियंत्रण ।

59. अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय ।

60. प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी ।

61. संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद ।

62. इस संविधान के प्रारंभ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित और संसद् द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैसी ही कोई अन्य संस्था ।

63. इस संविधान के प्रारंभ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और ¹[दिल्ली विश्वविद्यालय] नामों से ज्ञात संस्थाएं; ¹[अनुच्छेद 371ड के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय;] संसद् द्वारा, विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था ।

1. संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 4 द्वारा (1-7-1974 से) "दिल्ली विश्वविद्यालय और" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Seventh Schedule)

64. Institutions for scientific or technical education financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be institutions of national importance.

65. Union agencies and institutions for—

(a) professional, vocational or technical training, including the training of police officers; or

(b) the promotion of special studies or research; or

(c) scientific or technical assistance in the investigation or detection of crime.

66. Co-ordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions.

67. Ancient and historical monuments and records, and archaeological sites and remains, ¹[declared by or under law made by Parliament] to be of national importance.

68. The Survey of India, the Geological, Botanical, Zoological and Anthropological Surveys of India; Meteorological organisations.

69. Census.

70. Union Public Service; All-India Services; Union Public Service Commission.

71. Union pensions, that is to say, pensions payable by the Government of India or out of the Consolidated Fund of India.

72. Elections to Parliament, to the Legislatures of States and to the offices of President and Vice-President; the Election Commission.

73. Salaries and allowances of members of Parliament, the Chairman and Deputy Chairman of the Council of States and the Speaker and Deputy Speaker of the House of the People.

74. Powers, privileges and immunities of each House of Parliament and of the members and the Committees of each House; enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committees of Parliament or commissions appointed by Parliament.

75. Emoluments, allowances, privileges, and rights in respect of leave of absence, of the President and Governors; salaries and allowances of the Ministers for the Union; the salaries, allowances, and rights in respect of leave of absence and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General of India.

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 27, for "declared by Parliament by law" (w.e.f. 1-11-1956).

64. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित और संसद् द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएं ।

65. संघ के अभिकरण और संस्थाएं जो—

(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए हैं जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण है; या

(ख) विशेष अध्ययन या अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए हैं; या

(ग) अपराध के अन्वेषण या पता चलाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता के लिए हैं ।

66. उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारण ।

67. ¹[संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व के ¹[घोषित] प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष ।

68. भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भू-वैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानव शास्त्र सर्वेक्षण; मौसम विज्ञान संगठन ।

69. जनगणना ।

70. संघ लोक सेवाएं; अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग ।

71. संघ की पेंशनें, अर्थात् भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से संदेय पेंशनें ।

72. संसद् के लिए, राज्यों के विधान-मंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन; निर्वाचन आयोग ।

73. संसद् सदस्यों के, राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते ।

74. संसद् के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां; संसद् की समितियों या संसद् द्वारा नियुक्त आयोगों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना ।

75. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार; संघ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते; नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार और सेवा की अन्य शर्तें ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 द्वारा (1-11-1956 से) "संसद् द्वारा विधि द्वारा घोषित" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Seventh Schedule)

76. Audit of the accounts of the Union and of the States.

77. Constitution, organisation, jurisdiction and powers of the Supreme Court (including contempt of such Court), and the fees taken therein; persons entitled to practise before the Supreme Court.

78. Constitution and organisation ¹[(including vacations)] of the High Courts except provisions as to officers and servants of High Courts; persons entitled to practise before the High Courts.

²[79. Extension of the jurisdiction of a High Court to, and exclusion of the jurisdiction of a High Court from, any Union territory.]

80. Extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to any area outside that State, but not so as to enable the police of one State to exercise powers and jurisdiction in any area outside that State without the consent of the Government of the State in which such area is situated; extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to railway areas outside that State.

81. Inter-State migration; inter-State quarantine.

82. Taxes on income other than agricultural income.

83. Duties of customs including export duties.

³[84. Duties of excise on the following goods manufactured or produced in India, namely:—

- (a) petroleum crude;
- (b) high speed diesel;
- (c) motor spirit (commonly known as petrol);
- (d) natural gas;
- (e) aviation turbine fuel; and
- (f) tobacco and tobacco products.]

85. Corporation tax.

1. Ins. by the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, s. 12 (with retrospective effect).

2. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. for entry 79 (w.e.f. 1-11-1956).

3. Subs. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 17(a)(i) for entry 84 (w.e.f. 16-9-2016).

76. संघ के और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा ।

77. उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियाँ (जिनके अंतर्गत उस न्यायालय का अवमान है) और उसमें ली जाने वाली फीस; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति ।

78. उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के बारे में उपबंधों को छोड़कर उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन ¹[(जिसके अंतर्गत दीर्घावकाश है)]; उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।

²[79. किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारण और उससे अपवर्जन ।]

80. किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तारण, किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की पुलिस उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ हो सके; किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तारण ।

81. अंतरराज्यिक प्रवजन; अंतरराज्यिक करंतीन ।

82. कृषि-आय से भिन्न आय पर कर ।

83. सीमाशुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क है ।

³[84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद-शुल्क, —

(क) अपरिष्कृत पेट्रोलियम;

(ख) उच्च गति डीजल;

(ग) मोटर स्पिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात);

(घ) प्राकृतिक गैस;

(ङ) विमानन टर्बाइन ईंधन; और

(च) तंबाकू और तंबाकू उत्पाद ।]

85. निगम कर ।

1. संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 12 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) प्रविष्टि 79 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 17(क)(i) द्वारा (16-9-2016 से) प्रविष्टि 84 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Seventh Schedule)

86. Taxes on the capital value of the assets, exclusive of agricultural land, of individuals and companies; taxes on the capital of companies.

87. Estate duty in respect of property other than agricultural land.

88. Duties in respect of succession to property other than agricultural land.

89. Terminal taxes on goods or passengers, carried by railway, sea or air; taxes on railway fares and freights.

90. Taxes other than stamp duties on transactions in stock exchanges and futures markets.

91. Rates of stamp duty in respect of bills of exchange, cheques, promissory notes, bills of lading, letters of credit, policies of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts.

¹[92. * * * * *

²[92A. Taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, where such sale or purchase takes place in the course of inter-State trade or commerce.]

³[92B. Taxes on the consignments of goods (whether the consignment is to the person making it or to any other person), where such consignment takes place in the course of inter-State trade or commerce.]

⁴[92C. * * * * *

93. Offences against laws with respect to any of the matters in this List.

94. Inquires, surveys and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

95. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List; admiralty jurisdiction.

96. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court.

97. Any other matter not enumerated in List II or List III including any tax not mentioned in either of those Lists.

1. Entry 92 omitted by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 17(a)(ii) (w.e.f. 16-9-2016).

2. Ins. by the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956, s. 2 (w.e.f. 11-9-1956).

3. Ins. by the Constitution (Forty-sixth Amendment) Act, 1982, s. 5 (w.e.f. 2-2-1983).

4. Entry 92C was ins. by the Constitution (Eighty-eighth Amendment) Act, 2003, s. 4 (which was not enforced) and omitted by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 17(a)(ii) (w.e.f. 16-9-2016).

86. व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों के, जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूंजी मूल्य पर कर; कंपनियों की पूंजी पर कर ।

87. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क ।

88. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क ।

89. रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर; रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर ।

90. स्टाक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर स्टांप-शुल्क से भिन्न कर ।

91. विनियम-पत्रों, चेकों, वचनपत्रों, वहनपत्रों, प्रत्ययपत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के अंतरण, डिबेंचरों, परोक्षियों और प्राप्तियों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर ।

¹[92. * * * * *]

²[92क. समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है ।]

³[92ख. माल के परेषण पर (चाहे परेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है), उस दशा में कर जिसमें ऐसा परेषण अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है ।]

⁴[92ग. * * * * *]

93. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध ।

94. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े ।

95. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां; नावधिकरण विषयक अधिकारिता ।

96. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है ।

97. कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित नहीं है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है ।

1. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 17(क)(ii) द्वारा (16-9-2016 से) प्रविष्टि 92 का लोप किया गया ।

2. संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा (11-9-1956 से) अंतःस्थापित ।

3. संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 5 द्वारा (2-2-1983 से) अंतःस्थापित ।

4. प्रविष्टि 92ग संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 द्वारा तारीख अधिसूचित नहीं हुई अंतःस्थापित की गई थी और उसका संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 17(क)(ii) द्वारा (16-9-2016 से) लोप किया गया ।

(Seventh Schedule)

List II—State List

1. Public order (but not including ¹[the use of any naval, military or air force or any other armed force of the Union or of any other force subject to the control of the Union or of any contingent or unit thereof] in aid of the civil power).

²[2. Police (including railway and village police) subject to the provisions of entry 2A of List I.]

3. ^{3***} Officers and servants of the High Court; procedure in rent and revenue courts; fees taken in all courts except the Supreme Court.

4. Prisons, reformatories, Borstal institutions and other institutions of a like nature, and persons detained therein; arrangements with other States for the use of prisons and other institutions.

5. Local government, that is to say, the constitution and powers of municipal corporations, improvement trusts, districts boards, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-government or village administration.

6. Public health and sanitation; hospitals and dispensaries.

7. Pilgrimages, other than pilgrimages to places outside India.

8. Intoxicating liquors, that is to say, the production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of intoxicating liquors.

9. Relief of the disabled and unemployable.

10. Burials and burial grounds; cremations and cremation grounds.

⁴[11 * * * * *]

12. Libraries, museums and other similar institutions controlled or financed by the State; ancient and historical monuments and records other than those ⁵[declared by or under law made by Parliament] to be of national importance.

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 57, for certain words (w.e.f. 3-1-1977).

2. Subs. by s. 57, for entry 2, *ibid.* (w.e.f. 3-1-1977).

3. Certain words omitted by s. 57, *ibid.* (w.e.f. 3-1-1977).

4. Entry 11 omitted by s. 57, *ibid.* (w.e.f. 3-1-1977).

5. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 27, for "declared by Parliament by law" (w.e.f. 1-11-1956).

सूची 2 – राज्य सूची

1. लोक व्यवस्था (किंतु इसके अंतर्गत सिविल शक्ति की सहायता के लिए ¹[नौसेना, सेना या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का प्रयोग] नहीं है) ।

²[2. सूची 1 की प्रविष्टि 2क के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस (जिसके अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस है)।]

3. ^{3***} उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक; भाटक और राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों में ली जाने वाली फीस ।

4. कारागार, सुधारालय, बौस्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव ।

5. स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन-बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां ।

6. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय ।

7. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं से भिन्न तीर्थयात्राएं ।

8. मादक लिकर, अर्थात् मादक लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय ।

9. निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता ।

10. शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान ।

⁴[11* * * * *]

12. राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या वैसी ही अन्य संस्थाएं; ⁵[संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व के ⁶[घोषित] किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख ।

-
1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) प्रविष्टि 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।
 4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) प्रविष्टि 11 का लोप किया गया ।
 5. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 द्वारा (1-11-1956 से) "संसद् द्वारा विधि द्वारा घोषित" प्रतिस्थापित ।

(Seventh Schedule)

13. Communications, that is to say, roads, bridges, ferries, and other means of communication not specified in List I; municipal tramways; ropeways; inland waterways and traffic thereon subject to the provisions of List I and List III with regard to such waterways; vehicles other than mechanically propelled vehicles.

14. Agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases.

15. Preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice.

16. Pounds and the prevention of cattle trespass.

17. Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I.

18. Land, that is to say, rights in or over land, land tenures including the relation of landlord and tenant, and the collection of rents; transfer and alienation of agricultural land; land improvement and agricultural loans; colonization.

¹ [19*	*	*	*	*
20*	*	*	*	*]

21. Fisheries.

22. Courts of wards subject to the provisions of entry 34 of List I; encumbered and attached estates.

23. Regulation of mines and mineral development subject to the provisions of List I with respect to regulation and development under the control of the Union.

24. Industries subject to the provisions of ²[entries 7 and 52] of List I.

25. Gas and gas-works.

26. Trade and commerce within the State subject to the provisions of entry 33 of List III.

1. Entries 19 and 20 omitted by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 57 (w.e.f. 3-1-1977).

2. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 28 for entry 52 (w.e.f. 1-11-1956).

13. संचार, अर्थात् सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचारसाधन जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं; नगरपालिक ट्राम; रज्जुमार्ग; अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में सूची 1 और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात; यंत्र-नोदित यानों से भिन्न यान ।

14. कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है ।

15. पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजंतुओं के रोगों का निवारण; पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय ।

16. कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण ।

17. सूची 1 की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जल अर्थात् जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध, जल भंडारकरण और जल शक्ति ।

18. भूमि, अर्थात् भूमि में या उस पर अधिकार, भू-धृति जिसके अंतर्गत भू-स्वामी और अभिधारी का संबंध है और भाटक का संग्रहण; कृषि भूमि का अंतरण और अन्य संक्रामण; भूमि विकास और कृषि उधार; उपनिवेशन ।

¹[19* * * * *

20* * * * *

21. मत्स्यिकी ।

22. सूची 1 की प्रविष्टि 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रतिपाल्य-अधिकरण; विल्लंगमित और कुर्क की गई संपदा ।

23. संघ के नियंत्रण के अधीन विनियमन और विकास के संबंध में सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खानों का विनियमन और खनिज विकास ।

24. सूची 1 की ²[प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उद्योग ।

25. गैस और गैस-संकर्म ।

26. सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) प्रविष्टि 19 और प्रविष्टि 20 का लोप किया गया ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 28 द्वारा (1-11-1956 से) "प्रविष्टि 52 के" स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Seventh Schedule)

27. Production, supply and distribution of goods subject to the provisions of entry 33 of List III.

28. Markets and fairs.

¹[29* * * * *]

30. Money-lending and money-lenders; relief of agricultural indebtedness.

31. Inns and inn-keepers.

32. Incorporation, regulation and winding up of corporations, other than those specified in List I, and universities; unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and associations; co-operative societies.

33. Theatres and dramatic performances; cinemas subject to the provisions of entry 60 of List I; sports, entertainments and amusements.

34. Betting and gambling.

35. Works, lands and buildings vested in or in the possession of the State.

²[36* * * * *]

37. Elections to the Legislature of the State subject to the provisions of any law made by Parliament.

38. Salaries and allowances of members of the Legislature of the State, of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly and, if there is a Legislative Council, of the Chairman and Deputy Chairman thereof.

39. Powers, privileges and immunities of the Legislative Assembly and of the members and the committees thereof, and, if there is a Legislative Council, of that Council and of the members and the committees thereof; enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committees of the Legislature of the State.

40. Salaries and allowances of Ministers for the State.

41. State public services; State Public Service Commission.

42. State pensions, that is to say, pensions payable by the State or out of the Consolidated Fund of the State.

43. Public debt of the State.

44. Treasure trove.

1. Entry 29 omitted by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 57 (w.e.f. 3-1-1977).

2. Entry 36 omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 26 (w.e.f. 1-11-1956).

27. सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, माल का उत्पादन, प्रदाय और वितरण ।

28. बाजार और मेले ।

¹[29. * * * * *]

30. साहूकारी और साहूकार; कृषि ऋणिता से मुक्ति ।

31. पांथशाला और पांथशालापाल ।

32. ऐसे निगमों का, जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न हैं और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन; अनिगमित व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य सोसाइटियां और संगम; सहकारी सोसाइटियां ।

33. नाट्यशाला और नाट्यप्रदर्शन; सूची 1 की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेमा; खेलकूद, मनोरंजन और ओमोद ।

34. दांव और द्यूत ।

35. राज्य में निहित या उसके कब्जे के संकर्म, भूमि और भवन ।

²[36. * * * * *]

37. संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचन ।

38. राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के और, यदि विधान परिषद् है तो, उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते ।

39. विधान सभा की और उसके सदस्यों और समितियों की तथा, यदि विधान परिषद् है तो, उस विधान परिषद् की और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां; राज्य के विधान-मंडल की समितियों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना ।

40. राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते ।

41. राज्य लोक सेवाएं; राज्य लोक सेवा आयोग ।

42. राज्य की पेंशनें, अर्थात् राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संदेय पेंशन ।

43. राज्य का लोक ऋण ।

44. निखात निधि ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) प्रविष्टि 29 का लोप किया गया ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 26 द्वारा (1-11-1956 से) प्रविष्टि 36 का लोप किया गया ।

(Seventh Schedule)

45. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, the maintenance of land records, survey for revenue purposes and records of rights, and alienation of revenues.

46. Taxes on agricultural income.

47. Duties in respect of succession to agricultural land.

48. Estate duty in respect of agricultural land.

49. Taxes on lands and buildings.

50. Taxes on mineral rights subject to any limitations imposed by Parliament by law relating to mineral development.

51. Duties of excise on the following goods manufactured or produced in the State and countervailing duties at the same or lower rates on similar goods manufactured or produced elsewhere in India:—

(a) alcoholic liquors for human consumption;

(b) opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics, but not including medicinal and toilet preparations containing alcohol or any substance included in sub-paragraph (b) of this entry.

¹[52. * * * * *]

53. Taxes on the consumption or sale of electricity.

²[54. Taxes on the sale of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas, aviation turbine fuel and alcoholic liquor for human consumption, but not including sale in the course of inter-State trade or commerce or sale in the course of international trade or commerce of such goods.]

³[55. * * * * *]

56. Taxes on goods and passengers carried by road or on inland waterways.

-
1. Entry 52 omitted by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 17(b)(i) (w.e.f. 16-9-2016).
 2. Subs. by the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956, s. 2 (w.e.f. 11-9-1956) and further subs. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 17(b)(ii) (w.e.f. 16-9-2016).
 3. Entry 55 omitted by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 17(b)(iii) (w.e.f. 16-9-2016).

45. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेख रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और अधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संक्रामण है ।

46. कृषि आय पर कर ।

47. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क ।

48. कृषि भूमि के संबंध में संपदा-शुल्क ।

49. भूमि और भवनों पर कर ।

50. संसद द्वारा, विधि द्वारा, खनिज विकास के संबंध में अधिरोपित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, खनिज संबंधी अधिकारों पर कर ।

51. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद-शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नतर दर से प्रतिशुल्क—

(क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर;

(ख) अफीम, इंडियन हैप और अन्य स्वापक ओषधियां तथा स्वापक पदार्थ,

किन्तु जिसके अंतर्गत ऐसी ओषधियां और प्रसाधन निर्मितियां नहीं हैं जिनमें ऐल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उप-पैरा(ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है ।

¹[52. * * * * *]

53. विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर ।

²[54. अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन ईंधन और मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर के विक्रय पर कर किन्तु इसके अंतर्गत ऐसे माल का अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय या अन्तरराष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय नहीं आता है ।]

³[55. * * * * *]

56. सड़कों या अन्तर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर ।

1. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 17(ख)(i) द्वारा (16-9-2016 से) प्रविष्टि 52 का लोप किया गया ।

2. संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा (11-9-1956 से) प्रतिस्थापित तथा पुनः संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 17(ख)(ii) द्वारा (16-9-2016 से) प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 17(ख)(iii) द्वारा (16-9-2016 से) लोप किया गया ।

57. Taxes on vehicles, whether mechanically propelled or not, suitable for use on roads, including tramcars subject to the provisions of entry 35 of List III.

58. Taxes on animals and boats.

59. Tolls.

60. Taxes on professions, trades, callings and employments.

61. Capitation taxes.

¹[62. Taxes on entertainments and amusements to the extent levied and collected by a Panchayat or a Municipality or a Regional Council or a District Council.]

63. Rates of stamp duty in respect of documents other than those specified in the provisions of List I with regard to rates of stamp duty.

64. Offences against laws with respect to any of the matters in this List.

65. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List.

66. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court.

List III—Concurrent List

1. Criminal law, including all matters included in the Indian Penal Code at the commencement of this Constitution but excluding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I or List II and excluding the use of naval, military or air forces or any other armed forces of the Union in aid of the civil power.

2. Criminal procedure, including all matters included in the Code of Criminal Procedure at the commencement of this Constitution.

3. Preventive detention for reasons connected with the security of a State, the maintenance of public order, or the maintenance of supplies and services essential to the community; persons subjected to such detention.

4. Removal from one State to another State of prisoners, accused persons and persons subjected to preventive detention for reasons specified in entry 3 of this List.

1. Subs. by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 17(b)(iv), for entry 62 (w.e.f. 16-9-2016).

57. सूची 3 की प्रविष्टि 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर कर, चाहे वे यंत्र नोदित हों या नहीं, जिनके अंतर्गत ट्रामकार हैं।

58. जीवजंतुओं और नौकाओं पर कर।

59. पथकर।

60. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर।

61. प्रतिव्यक्ति कर।

¹[62. मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर उस सीमा तक कर जो किसी पंचायत या किसी नगरपालिका या किसी प्रादेशिक परिषद् या किसी जिला परिषद् द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाए।]

63. स्टॉप-शुल्क की दरों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के संबंध में स्टॉप-शुल्क की दर।

64. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।

65. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां।

66. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है।

सूची 3 – समवर्ती सूची

1. दंड विधि जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, किन्तु इसके अंतर्गत सूची 1 या सूची 2 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सेना या वायुसेना अथवा संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का प्रयोग नहीं है।

2. दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हैं।

3. किसी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध, इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति।

4. बंदियों, अभियुक्त व्यक्तियों और इस सूची की प्रविष्टि 3 में विनिर्दिष्ट कारणों से निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना।

1. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 17(ख)(iv) द्वारा (16-9-2016 से) प्रविष्टि 62 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Seventh Schedule)

5. Marriage and divorce; infants and minors; adoption; wills, intestacy and succession; joint family and partition; all matters in respect of which parties in judicial proceedings were immediately before the commencement of this Constitution subject to their personal law.

6. Transfer of property other than agricultural land; registration of deeds and documents.

7. Contracts, including partnership, agency, contracts of carriage, and other special forms of contracts, but not including contracts relating to agricultural land.

8. Actionable wrongs.

9. Bankruptcy and insolvency.

10. Trust and Trustees.

11. Administrators-general and official trustees.

¹[11A. Administration of Justice; constitution and organisation of all courts, except the Supreme Court and the High Courts.]

12. Evidence and oaths; recognition of laws, public acts and records, and judicial proceedings.

13. Civil procedure, including all matters included in the Code of Civil Procedure at the commencement of this Constitution, limitation and arbitration.

14. Contempt of court, but not including contempt of the Supreme Court.

15. Vagrancy; nomadic and migratory tribes.

16. Lunacy and mental deficiency, including places for the reception or treatment of lunatics and mental deficient.

17. Prevention of cruelty to animals.

¹[17A. Forests.

17B. Protection of wild animals and birds.]

18. Adulteration of foodstuffs and other goods.

19. Drugs and poisons, subject to the provisions of entry 59 of List I with respect to opium.

20. Economic and social planning.

¹[20A. Population control and family planning.]

1. Entries 11A, 17A, 17B and 20A ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 57 (w.e.f. 3-1-1977).

5. विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अवयस्क; दत्तक-ग्रहण; विल, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन; वे सभी विषय, जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे ।

6. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण; विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण ।

7. संविदाएं, जिनके अंतर्गत भागीदारी, अभिकरण, वहन की संविदाएं और अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं हैं, किन्तु कृषि भूमि संबंधी संविदाएं नहीं हैं ।

8. अनुयोज्य दोष ।

9. शोधन अक्षमता और दिवाला ।

10. न्यास और न्यासी ।

11. महाप्रशासक और शासकीय न्यासी ।

¹[11क. न्याय प्रशासन; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन ।]

12. साक्ष्य और शपथ; विधियों, लोक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता ।

13. सिविल प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं, परिसीमा और माध्यस्थत्व ।

14. न्यायालय का अवमान, किन्तु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अवमान नहीं है ।

15. आहिंडन; यायावरी और प्रवाजी जनजातियां ।

16. पागलपन और मनोवैकल्य, जिसके अंतर्गत पागलों और मनोविकल व्यक्तियों को ग्रहण करने या उनका उपचार करने के स्थान हैं ।

17. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ।

¹[17क. वन ।

17ख. वन्य जीवजंतुओं और पक्षियों का संरक्षण ।]

18. खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण ।

19. अफीम के संबंध में सूची 1 की प्रविष्टि 59 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मादक द्रव्य और विष ।

20. आर्थिक और सामाजिक योजना ।

¹[20क. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ।]

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) प्रविष्टियां 11क, 17क, 17ख और 20क अंतःस्थापित ।

(Seventh Schedule)

21. Commercial and industrial monopolies, combines and trusts.
22. Trade unions; industrial and labour disputes.
23. Social security and social insurance; employment and unemployment.
24. Welfare of labour including conditions of work, provident funds, employers' liability, workmen's compensation, invalidity and old age pensions and maternity benefits.

¹[25. Education, including technical education, medical education and universities, subject to the provisions of entries 63, 64, 65 and 66 of List I; vocational and technical training of labour.]

26. Legal, medical and other professions.
27. Relief and rehabilitation of persons displaced from their original place of residence by reason of the setting up of the Dominions of India and Pakistan.
28. Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments and religious institutions.
29. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting men, animals or plants.
30. Vital statistics including registration of births and deaths.
31. Ports other than those declared by or under law made by Parliament or existing law to be major ports.
32. Shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels, and the rule of the road on such waterways, and the carriage of passengers and goods on inland waterways subject to the provisions of List I with respect to national waterways.

²[33. Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of,—

- (a) the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products;
- (b) foodstuffs, including edible oilseeds and oils;
- (c) cattle fodder, including oilcakes and other concentrates;
- (d) raw cotton, whether ginned or unginned, and cotton seed; and
- (e) raw jute.]

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 57 (w.e.f. 3-1-1977).

2. Subs. by the Constitution (Third Amendment) Act, 1954, s. 2 for entry 33 (w.e.f. 22-2-1955).

21. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास ।

22. व्यापार संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद ।

23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी ।

24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं ।

¹[25. सूची 1 की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शिक्षा जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं; श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ।]

26. विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां ।

27. भारत और पाकिस्तान डोमिनियनों के स्थापित होने के कारण अपने मूल निवास-स्थान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास ।

28. पूर्ण कार्य और पूर्ण संस्थाएं, पूर्ण और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाएं ।

29. मानवों, जीव-जंतुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों अथवा नाशकजीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।

30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है ।

31. संसद् द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापतन घोषित पतनों से भिन्न पतन ।

32. राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में पोत परिवहन और नौ परिवहन तथा ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन ।

²[33. (क) जहां संसद् द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में;

(ख) खादय पदार्थों का जिनके अंतर्गत खादय तिलहन और तेल हैं;

(ग) पशुओं के चारे का जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं;

(घ) कच्ची कपास का, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हो, और बिनौले का; और

(ङ) कच्चे जूट का,

व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण ।]

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) प्रतिस्थापित ।

2. संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1954 की धारा 2 द्वारा (22-2-1955 से) प्रविष्टि 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(Seventh Schedule)

¹[33A. Weights and measures except establishment of standards.]

34. Price control.

35. Mechanically propelled vehicles including the principles on which taxes on such vehicles are to be levied.

36. Factories

37. Boilers.

38. Electricity.

39. Newspapers, books and printing presses.

40. Archaeological sites and remains other than those ²[declared by or under law made by Parliament] to be of national importance.

41. Custody, management and disposal of property (including agricultural land) declared by law to be evacuee property.

³[42. Acquisition and requisitioning of property.]

43. Recovery in a State of claims in respect of taxes and other public demands, including arrears of land-revenue and sums recoverable as such arrears, arising outside that State.

44. Stamp duties other than duties or fees collected by means of judicial stamps, but not including rates of stamp duty.

45. Inquiries and statistics for the purposes of any of the matters specified in List II or List III.

46. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List.

47. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court.

1. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 57 (w.e.f. 3-1-1977).

2. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 27, for "declared by Parliament by law" (w.e.f. 1-11-1956).

3. Subs. by s. 26, *ibid.* for entry 42 (w.e.f. 1-11-1956).

है ।]¹[33क. बाट और माप, जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं

34. कीमत नियंत्रण ।

35. यंत्र नोदित यान जिसके अंतर्गत वे सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर उद्गृहीत किया जाना है ।

36. कारखाने ।

37. बायलर ।

38. विद्युत ।

39. समाचारपत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय ।

40. ²[संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व के ²[घोषित] पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से भिन्न पुरातत्वीय स्थल और अवशेष ।

41. ऐसी संपत्ति की (जिसके अंतर्गत कृषि भूमि है) अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की जाए ।

³[42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण ।]

43. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर उद्भूत कर से संबंधित दावों और अन्य लोक मांगों की वसूली जिनके अंतर्गत भू-राजस्व की बकाया और ऐसी बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली राशियां हैं ।

44. न्यायिक स्टांपों के द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टांप-शुल्क, किन्तु इसके अंतर्गत स्टांप-शुल्क की दरें नहीं हैं ।

45. सूची 2 या सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े ।

46. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां ।

47. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है ।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 द्वारा (1-11-1956 से) "संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन घोषित" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 26 द्वारा (1-11-1956 से) प्रविष्टि 42 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

EIGHTH SCHEDULE
[Articles 344(1) and 351]
Languages

1. Assamese.
2. Bengali.
- ¹[3. Bodo.
4. Dogri.]
- ²[5.] Gujarati.
- ³[6.] Hindi.
- ³[7.] Kannada.
- ³[8.] Kashmiri.
- ⁴[³9.] Konkani.]
- ¹[10. Maithili.]
- ⁵[11.] Malayalam.
- ⁴[⁶12.] Manipuri.]
- ⁶[13.] Marathi.
- ⁴[⁶14.] Nepali.]
- ⁶[15.] ⁷[Odia].
- ⁶[16.] Punjabi.
- ⁶[17.] Sanskrit.

-
1. Ins. by the Constitution (Ninety-second Amendment) Act, 2003, s. 2 (w.e.f. 7-1-2004).
 2. Entry 3 renumbered as entry 5 by s. 2, *ibid.* (w.e.f. 7-1-2004).
 3. Entries 4 to 7 renumbered as entries 6 to 9 by s. 2, *ibid.* (w.e.f. 7-1-2004).
 4. Ins. by the Constitution (Seventy-first Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 31-8-1992).
 5. Entry 8 renumbered as entry 11 by the Constitution (Ninety-second Amendment) Act, 2003, s. 2 (w.e.f. 7-1-2004).
 6. Entries 9 to 14 renumbered as entries 12 to 17 by s. 2, *ibid.* (w.e.f. 7-1-2004).
 7. Subs. by the Constitution (Ninety-sixth Amendment) Act, 2011, s. 2, for "Oriya" (w.e.f. 23-9-2011).

आठवीं अनुसूची
[अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351]
भाषाएं

1. असमिया ।
2. बंगला ।
- ¹[3. बोडो ।
4. डोगरी ।]
- ²[5.] गुजराती ।
- ³[6.] हिन्दी ।
- ³[7.] कन्नड ।
- ³[8.] कश्मीरी ।
- ⁴[³9.] कोंकणी ।]
- ¹[10. मैथिली ।]
- ⁵[11.] मलयालम ।
- ⁴[⁶12.] मणिपुरी ।]
- ⁶[13.] मराठी ।
- ⁴[⁶14.] नेपाली ।]
- ⁶[15.] ⁷[ओडिया]
- ⁶[16.] पंजाबी ।
- ⁶[17.] संस्कृत ।

-
1. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (7-1-2004 से) प्रविष्टि 3 और प्रविष्टि 4 अन्तःस्थापित ।
 2. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (7-1-2004 से) प्रविष्टि 3 को प्रविष्टि 5 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 3. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (7-1-2004 से) प्रविष्टि 4 से प्रविष्टि 7 को प्रविष्टि 6 से प्रविष्टि 9 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 4. संविधान (इकहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (31-8-1992 से) अन्तःस्थापित ।
 5. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (7-1-2004 से) प्रविष्टि 8 को प्रविष्टि 11 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 6. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (7-1-2004 से) प्रविष्टि 9 से प्रविष्टि 14 को प्रविष्टि 12 से प्रविष्टि 17 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 7. संविधान (छियानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 2 द्वारा (23-9-2011 से) "उड़िया" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(Eighth Schedule)

¹[18. Santhali.]

²[³[19.] Sindhi.]

⁴[20.] Tamil.

⁴[21.] Telugu.

⁴[22.] Urdu.

1. Ins. by the Constitution (Ninety-second Amendment) Act, 2003, s. 2 (w.e.f. 7-1-2004).

2. Added by the Constitution (Twenty-first Amendment) Act, 1967, s. 2 (w.e.f. 10-4-1967).

3. Entry 15 renumbered as entry 19 by the Constitution (Ninety-second Amendment) Act, 2003, s. 2 (w.e.f. 7-1-2004).

4. Entries 16 to 18 renumbered as entries 20 to 22 by s. 2, *ibid.* (w.e.f. 7-1-2004).

- ¹[18. संथाली ।]
²³[19.] सिंधी ।
⁴[20.] तमिल ।
⁴[21.] तेलुगू ।
⁴[22.] उर्दू ।

-
1. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (7-1-2004 से) अन्तःस्थापित ।
 2. संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967 की धारा 2 द्वारा (10-4-1967 से) जोड़ा गया ।
 3. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (7-1-2004 से) प्रविष्टि 15 को प्रविष्टि 19 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
 4. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (7-1-2004 से) प्रविष्टि 16 से प्रविष्टि 18 को प्रविष्टि 20 से प्रविष्टि 22 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

¹[NINTH SCHEDULE

(Article 31B)

1. The Bihar Land Reforms Act, 1950 (Bihar Act XXX of 1950).
2. The Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948. (Bombay Act LXVII of 1948).
3. The Bombay Maleki Tenure Abolition Act, 1949 (Bombay Act LXI of 1949).
4. The Bombay Taluqdari Tenure Abolition Act, 1949. (Bombay Act LXII of 1949).
5. The Panch Mahals Mehwassi Tenure Abolition Act, 1949. (Bombay Act LXIII of 1949).
6. The Bombay Khoti Abolition Act, 1950 (Bombay Act VI of 1950).
7. The Bombay Paragana and Kulkarni Watan Abolition Act, 1950. (Bombay Act LX of 1950).
8. The Madhya Pradesh Abolition of Proprietary Rights (Estates, Mahals, Alienated Lands) Act, 1950 (Madhya Pradesh Act I of 1951).
9. The Madras Estates (Abolition and Conversion into Ryotwari) Act, 1948 (Madras Act XXVI of 1948).
10. The Madras Estates (Abolition and Conversion into Ryotwari) Amendment Act, 1950 (Madras Act I of 1950).
11. The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (Uttar Pradesh Act I of 1951).
12. The Hyderabad (Abolition of Jagirs) Regulation, 1358F (No. LXIX of 1358, Fasli).
13. The Hyderabad Jagirs (Commutation) Regulation, 1359F (No. XXV of 1359, Fasli).]
- ²[14. The Bihar Displaced Persons Rehabilitation (Acquisition of Land) Act, 1950 (Bihar Act XXXVIII of 1950).
15. The United Provinces Land Acquisition (Rehabilitation of Refugees) Act, 1948 (U.P. Act XXVI of 1948).
16. The Resettlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Act, 1948 (Act LX of 1948).
17. Sections 52A to 52G of the Insurance Act, 1938 (Act IV of 1938), as inserted by section 42 of the Insurance (Amendment) Act, 1950 (Act XLVII of 1950).
18. The Railway Companies (Emergency Provisions) Act, 1951 (Act LI of 1951).

1. Ninth Schedule (entries 1 to 13) added by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 14 (w.e.f. 18-6-1951).

2. Ninth Schedule (entries 14 to 20) added by the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955, s. 5 (w.e.f. 27-4-1955).

1। नवीं अनुसूची (अनुच्छेद 31ख)

1. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (1950 का बिहार अधिनियम 30) ।
2. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 (1948 का मुंबई अधिनियम 67) ।
3. मुंबई मालिकी भूधृति उत्पादन अधिनियम, 1949 (1949 का मुंबई अधिनियम 61) ।
4. मुंबई तालुकदारी भूधृति उत्पादन अधिनियम, 1949 (1949 का मुंबई अधिनियम 62) ।
5. पंच महल मेहवासी भूधृति उत्पादन अधिनियम, 1949 (1949 का मुंबई अधिनियम 63) ।
6. मुंबई खेती उत्पादन अधिनियम, 1950 (1950 का मुंबई अधिनियम 6) ।
7. मुंबई परगना और कुलकर्णी वतन उत्पादन अधिनियम, 1950 (1950 का मुंबई अधिनियम 60) ।
8. मध्य प्रदेश सांपत्तिक अधिकार (संपदा, महल, अन्य संक्रांत भूमि) उत्पादन अधिनियम, 1950 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1951) ।
9. मद्रास संपदा (उत्पादन और रैय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) अधिनियम, 1948 (1948 का मद्रास अधिनियम 26) ।
10. मद्रास संपदा (उत्पादन और रैय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) संशोधन अधिनियम, 1950 (1950 का मद्रास अधिनियम 1) ।
11. 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951) ।
12. हैदराबाद (जागीर उत्पादन) विनियम, 1358फ (1358 फसली का सं० 69) ।
13. हैदराबाद जागीर (परिवर्तन) विनियम, 1359फ (1359 फसली का सं० 25) ।]
- 2[14. बिहार विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1950 (1950 का बिहार अधिनियम 38) ।
15. संयुक्त प्रांत के शरणार्थियों को बसाने के लिए भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, 1948 ई० (संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या 26, 1948) ।
16. विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 60) ।
17. बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम 47) की धारा 42 द्वारा यथा अंतःस्थापित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम 4) की धारा 52क से धारा 52छ ।
18. रेल कंपनी (आपात उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम 51) ।

1. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 14 द्वारा (18-6-1951 से) नवी अनुसूची (प्रविष्टि 1 से प्रविष्टि 13) को जोड़ा गया ।

2. संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 की धारा 5 द्वारा (27-4-1955 से) प्रविष्टि 14 से प्रविष्टि 20 तक को जोड़ा गया ।

19. Chapter III-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (Act LXV of 1951), as inserted by section 13 of the Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 1953 (Act XXVI of 1953).

20. The West Bengal Land Development and Planning Act, 1948 (West Bengal Act XXI of 1948), as amended by West Bengal Act XXIX of 1951.]

¹[21. The Andhra Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1961 (Andhra Pradesh Act X of 1961).

22. The Andhra Pradesh (Telangana Area) Tenancy and Agricultural Lands (Validation) Act, 1961 (Andhra Pradesh Act XXI of 1961).

23. The Andhra Pradesh (Telangana Area) Ijara and Kowli Land Cancellation of Irregular Pattas and Abolition of Concessional Assessment Act, 1961 (Andhra Pradesh Act XXXVI of 1961).

24. The Assam State Acquisition of Lands belonging to Religious or Charitable Institution of Public Nature Act, 1959 (Assam Act IX of 1961).

25. The Bihar Land Reforms (Amendment) Act, 1953 (Bihar Act XX of 1954).

26. The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 (Bihar Act XII of 1962), except section 28 of this Act.

27. The Bombay Taluqdari Tenure Abolition (Amendment) Act, 1954 (Bombay Act I of 1955).

28. The Bombay Taluqdari Tenure Abolition (Amendment) Act, 1957 (Bombay Act XVIII of 1958).

29. The Bombay Inams (Kutch Area) Abolition Act, 1958 (Bombay Act XCVIII of 1958).

30. The Bombay Tenancy and Agricultural Lands (Gujarat Amendment) Act, 1960 (Gujarat Act XVI of 1960).

31. The Gujarat Agricultural Lands Ceiling Act, 1960 (Gujarat Act XXVI of 1961).

32. The Sagbara and Mehwasli Estates (Proprietary Rights Abolition, etc.) Regulation, 1962 (Gujarat Regulation I of 1962).

1. Entries 21 to 64 and *Explanation* added by the Constitution (Seventeenth Amendment) Act, 1964, s. 3 (w.e.f. 20-6-1964).

(नवीं अनुसूची)

19. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 26) की धारा 13 द्वारा यथा अंतःस्थापित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम 65) का अध्याय 3क ।

20. 1951 के पश्चिमी बंगाल अधिनियम 29 द्वारा यथा संशोधित पश्चिमी बंगाल भूमि विकास और योजना अधिनियम, 1948 (1948 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 21) ।]

¹[21. आंध्र प्रदेश अधिकतम कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1961 (1961 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 10) ।

22. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) अभिवृद्धि और कृषि भूमि (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1961 (1961 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 21) ।

23. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इजारा और कौली भूमि अनियमित पट्टा रद्दकरण और रियायती निर्धारण उत्सादन अधिनियम, 1961 (1961 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 36)।

24. असम राज्य लोक प्रकृति की धार्मिक या पूर्त संस्था भूमि अर्जन अधिनियम, 1959 (1961 का असम अधिनियम 9) ।

25. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1954 का बिहार अधिनियम 20) ।

26. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 (1962 का बिहार अधिनियम सं० 12), जिसके अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 28 नहीं है ।

27. मुंबई तालुकदारी भूवृद्धि उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, 1954 (1955 का मुंबई अधिनियम 1) ।

28. मुंबई तालुकदारी भूवृद्धि उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1958 का मुंबई अधिनियम 18) ।

29. मुंबई इनाम (कच्छ क्षेत्र) उत्सादन अधिनियम, 1958 (1958 का मुंबई अधिनियम 98) ।

30. मुंबई अभिवृद्धि और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का गुजरात अधिनियम 16) ।

31. गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (1961 का गुजरात अधिनियम 26) ।

32. सगबारा और मेहवासी संपदा (सांपत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1962 (1962 का गुजरात विनियम 1) ।

1. संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 द्वारा (20-6-1964 से) प्रविष्टि 21 से प्रविष्टि 64 और स्पष्टीकरण को जोड़ा गया ।

33. The Gujarat Surviving Alienations Abolition Act, 1963 (Gujarat Act XXXIII of 1963), except in so far as this Act relates to an alienation referred to in sub-clause (d) of clause (3) of section 2 thereof.

34. The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) Act, 1961 (Maharashtra Act XXVII of 1961).

35. The Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands (Re-enactment, Validation and Further Amendment) Act, 1961 (Maharashtra Act XLV of 1961).

36. The Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act, 1950 (Hyderabad Act XXI of 1950).

37. The Jenmikaram Payment (Abolition) Act, 1960 (Kerala Act III of 1961).

38. The Kerala Land Tax Act, 1961 (Kerala Act XIII of 1961).

39. The Kerala Land Reforms Act, 1963 (Kerala Act I of 1964).

40. The Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (Madhya Pradesh Act XX of 1959).

41. The Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960 (Madhya Pradesh Act XX of 1960).

42. The Madras Cultivating Tenants Protection Act, 1955 (Madras Act XXV of 1955).

43. The Madras Cultivating Tenants (Payment of Fair Rent) Act, 1956 (Madras Act XXIV of 1956).

44. The Madras Occupants of Kudiyiruppu (Protection from Eviction) Act, 1961 (Madras Act XXXVIII of 1961).

45. The Madras Public Trusts (Regulation of Administration of Agricultural Lands) Act, 1961 (Madras Act LVII of 1961).

46. The Madras Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Act, 1961 (Madras Act LVIII of 1961).

47. The Mysore Tenancy Act, 1952 (Mysore Act XIII of 1952).

48. The Coorg Tenants Act, 1957 (Mysore Act XIV of 1957).

49. The Mysore Village Offices Abolition Act, 1961 (Mysore Act XIV of 1961).

50. The Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands (Validation) Act, 1961 (Mysore Act XXXVI of 1961).

51. The Mysore Land Reforms Act, 1961 (Mysore Act X of 1962).

(नवीं अनुसूची)

33. गुजरात शेष अन्य संक्रामण उत्सादन अधिनियम, 1963 (1963 का गुजरात अधिनियम 33), वहां तक के सिवाय जहां तक यह अधिनियम इसकी धारा 2 के खंड (3) के उपखंड (घ) में निर्दिष्ट अन्य संक्रामण के संबंध में है ।

34. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) अधिनियम, 1961 (1961 का महाराष्ट्र अधिनियम 27) ।

35. हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि (पुनःअधिनियमन, विधिमान्यकरण और अतिरिक्त संशोधन) अधिनियम, 1961 (1961 का महाराष्ट्र अधिनियम 45) ।

36. हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 (1950 का हैदराबाद अधिनियम 21) ।

37. जन्मीकरम संदाय (उत्सादन) अधिनियम, 1960 (1961 का केरल अधिनियम 3) ।

38. केरल भूमि-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केरल अधिनियम 13) ।

39. केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 (1964 का केरल अधिनियम 1) ।

40. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (मध्य प्रदेश अधिनियम, क्रमांक 20 सन् 1959) ।

41. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन् 1960) ।

42. मद्रास खेतिहर अभिधारी संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का मद्रास अधिनियम 25) ।

43. मद्रास खेतिहर अभिधारी (उचित लगान संदाय) अधिनियम, 1956 (1956 का मद्रास अधिनियम 24) ।

44. मद्रास कुडीरूपु अधिभोगी (बेदखली से संरक्षण) अधिनियम, 1961 (1961 का मद्रास अधिनियम 38) ।

45. मद्रास लोक न्यास (कृषि भूमि प्रशासन विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का मद्रास अधिनियम 57) ।

46. मद्रास भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) अधिनियम, 1961 (1961 का मद्रास अधिनियम 58) ।

47. मैसूर अभिधृति अधिनियम, 1952 (1952 का मैसूर अधिनियम 13) ।

48. कोङ्गू अभिधारी अधिनियम, 1957 (1957 का मैसूर अधिनियम 14) ।

49. मैसूर ग्राम-पद उत्सादन अधिनियम, 1961 (1961 का मैसूर अधिनियम 14) ।

50. हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1961 (1961 का मैसूर अधिनियम 36) ।

51. मैसूर भूमि सुधार अधिनियम, 1961 (1962 का मैसूर अधिनियम 10) ।

52. The Orissa Land Reforms Act, 1960 (Orissa Act XVI of 1960).

53. The Orissa Merged Territories (Village Offices Abolition) Act, 1963 (Orissa Act X of 1963).

54. The Punjab Security of Land Tenures Act, 1953 (Punjab Act X of 1953).

55. The Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act III of 1955).

56. The Rajasthan Zamindari and Biswedari Abolition Act, 1959 (Rajasthan Act VIII of 1959).

57. The Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960 (Uttar Pradesh Act XVII of 1960).

58. The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 (Uttar Pradesh Act I of 1961).

59. The West Bengal Estates Acquisition Act, 1953 (West Bengal Act I of 1954).

60. The West Bengal Land Reforms Act, 1955 (West Bengal Act X of 1956).

61. The Delhi Land Reforms Act, 1954 (Delhi Act VIII of 1954).

62. The Delhi Land Holdings (Ceiling) Act, 1960 (Central Act 24 of 1960).

63. The Manipur Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 (Central Act 33 of 1960).

64. The Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 (Central Act 43 of 1960).

¹[65. The Kerala Land Reforms (Amendment) Act, 1969 (Kerala Act 35 of 1969).

66. The Kerala Land Reforms (Amendment) Act, 1971 (Kerala Act 25 of 1971).]

²[67. The Andhra Pradesh Land Reforms (Ceiling on Agricultural Holdings) Act, 1973 (Andhra Pradesh Act 1 of 1973).

68. The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 1972 (Bihar Act I of 1973).

1. Entries 65 and 66 ins. by the Constitution (Twenty-ninth Amendment) Act, 1972, s. 2 (w.e.f. 9-6-1972).

2. Entries 67 and 86 ins. by the Constitution (Thirty-fourth Amendment) Act, 1974, s. 2 (w.e.f. 7-9-1974).

(नवीं अनुसूची)

52. उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (1960 का उड़ीसा अधिनियम 16) ।
53. उड़ीसा विलीन राज्यक्षेत्र (ग्राम-पद उत्सादन) अधिनियम, 1963 (1963 का उड़ीसा अधिनियम 10) ।
54. पंजाब भू-धृति सुरक्षा अधिनियम, 1953 (1953 का पंजाब अधिनियम 10) ।
55. राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3) ।
56. राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उत्सादन अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 8) ।
57. कुमायूँ तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 17, 1960) ।
58. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961) ।
59. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन अधिनियम, 1953 (1954 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 1) ।
60. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 (1956 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 10) ।
61. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 8) ।
62. दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1960 (1960 का केन्द्रीय अधिनियम 24) ।
63. मणिपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (1960 का केन्द्रीय अधिनियम 33) ।
64. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (1960 का केन्द्रीय अधिनियम 43) ।
- ¹[65. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का केरल अधिनियम 35) ।
66. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का केरल अधिनियम 25) ।]
- ²[67. आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (अधिकतम कृषि जोत सीमा) अधिनियम, 1973 (1973 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 1) ।
68. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1973 का बिहार अधिनियम 1) ।

1. संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 2 द्वारा (9-6-1972 से) प्रविष्टि 65 से प्रविष्टि 66 तक अंतःस्थापित ।

2. संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा (7-9-1974 से) प्रविष्टि 67 से प्रविष्टि 86 तक अंतःस्थापित ।

69. The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 1973 (Bihar Act IX of 1973).

70. The Bihar Land Reforms (Amendment) Act, 1972 (Bihar Act V of 1972).

71. The Gujarat Agricultural Lands Ceiling (Amendment) Act, 1972 (Gujarat Act 2 of 1974).

72. The Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Haryana Act 26 of 1972).

73. The Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Himachal Pradesh Act 19 of 1973).

74. The Kerala Land Reforms (Amendment) Act, 1972 (Kerala Act 17 of 1972).

75. The Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 1972 (Madhya Pradesh Act 12 of 1974).

76. The Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings (Second Amendment) Act, 1972 (Madhya Pradesh Act 13 of 1974).

77. The Mysore Land Reforms (Amendment) Act, 1973 (Karnataka Act 1 of 1974).

78. The Punjab Land Reforms Act, 1972 (Punjab Act 10 of 1973).

79. The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Rajasthan Act 11 of 1973).

80. The Gudalur Janmam Estates (Abolition and Conversion into Ryotwari) Act, 1969 (Tamil Nadu Act 24 of 1969).

81. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1972 (West Bengal Act XII of 1972).

82. The West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Act, 1964 (West Bengal Act XXII of 1964).

83. The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Act, 1973 (West Bengal Act XXXIII of 1973).

84. The Bombay Tenancy and Agricultural Lands (Gujarat Amendment) Act, 1972 (Gujarat Act 5 of 1973).

85. The Orissa Land Reforms (Amendment) Act, 1974 (Orissa Act 9 of 1974).

86. The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Second Amendment) Act, 1974 (Tripura Act 7 of 1974).]

(नवीं अनुसूची)

69. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का बिहार अधिनियम 9) ।

70. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का बिहार अधिनियम सं0 5) ।

71. गुजरात अधिकतम कृषि भूमि सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1974 का गुजरात अधिनियम 2) ।

72. हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1972 का हरियाणा अधिनियम 26) ।

73. हिमाचल प्रदेश अधिकतम भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 19) ।

74. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का केरल अधिनियम 17) ।

75. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 12 सन् 1974) ।

76. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 13 सन् 1974) ।

77. मैसूर भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1974 का कर्नाटक अधिनियम 1) ।

78. पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1973 का पंजाब अधिनियम 10) ।

79. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का राजस्थान अधिनियम 11)।

80. गुडलूर जन्मम् संपदा (उत्सादन और रैय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) अधिनियम, 1969 (1969 का तमिलनाडु अधिनियम 24) ।

81. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 12) ।

82. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1964 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 22) ।

83. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33) ।

84. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1972 (1973 का गुजरात अधिनियम 5) ।

85. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उड़ीसा अधिनियम 9) ।

86. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का त्रिपुरा अधिनियम 7) ।]

$$1[287^* \quad \quad \quad * \quad \quad \quad * \quad \quad \quad * \quad \quad \quad *]$$

88. The Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (Central Act 65 of 1951).

89. The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (Central Act 30 of 1952).

90. The Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957).

*91. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (Central Act 54 of 1969).

$${}^{2f}92^* \quad * \quad * \quad * \quad *$$

93. The Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Act, 1971 (Central Act 64 of 1971).

94. The Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (Central Act 36 of 1972).

95. The General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (Central Act 57 of 1972).

96. The Indian Copper Corporation (Acquisition of Undertaking) Act, 1972 (Central Act 58 of 1972).

97. The Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972 (Central Act 72 of 1972).

98. The Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973 (Central Act 15 of 1973).

99. The Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (Central Act 26 of 1973).

^{**100.} The Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (Central Act 46 of 1973).

101. The Alcock Ashdown Company Limited (Acquisition of Undertakings) Act, 1973 (Central Act 56 of 1973).

1. Entries 87 to 124 ins. by the Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975, s. 5 (w.e.f. 10-8-1975).

2. Entries 87 and 92 omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 44 (w.e.f. 20-6-1979).

* Rep. by the Competition Act, 2002 (12 of 2003) s. 66 (w.e.f. 1-9-2009).

** Rep. by the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), s. 49 (w.e.f. 1-6-2000).

(नवीं अनुसूची)

¹[²87. * * * * *]

88. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 65) ।

89. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 30) ।

90. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67) ।

*91. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम 54) ।

²[92. * * * * *]

93. कोककारी कोयला खान (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम 64) ।

94. कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 36) ।

95. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 57) ।

96. इंडियन कॉपर कारपोरेशन (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 58) ।

97. रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 72) ।

98. कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम 15) ।

99. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम 26) ।

**100. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम 46) ।

101. एलकाक एशडाउन कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम 56) ।

1. संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (10-8-1975 से) प्रविष्टि 87 और प्रविष्टि 124 तक अंतःस्थापित ।

2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 44 द्वारा (20-6-1979 से) प्रविष्टि 87 और प्रविष्टि 92 का लोप किया गया ।

* प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 66 द्वारा (1-9-2009 से) निरसित ।

** विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 49 द्वारा (1-6-2000 से) निरसित ।

102. The Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (Central Act 28 of 1974).

103. The Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (Central Act 37 of 1974).

104. The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (Central Act 52 of 1974).

105. The Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 (Central Act 57 of 1974).

106. The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) (Amendment) Act, 1964 (Maharashtra Act XVI of 1965).

107. The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) (Amendment) Act, 1965 (Maharashtra Act XXXII of 1965).

108. The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) (Amendment) Act, 1968 (Maharashtra Act XVI of 1968).

109. The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) (Second Amendment) Act, 1968 (Maharashtra Act XXXIII of 1968).

110. The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) (Amendment) Act, 1969 (Maharashtra Act XXXVII of 1969).

111. The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) (Second Amendment) Act, 1969 (Maharashtra Act XXXVIII of 1969).

112. The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) (Amendment) Act, 1970 (Maharashtra Act XXVII of 1970).

113. The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) (Amendment) Act, 1972 (Maharashtra Act XIII of 1972).

114. The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) (Amendment) Act, 1973 (Maharashtra Act L of 1973).

115. The Orissa Land Reforms (Amendment) Act, 1965 (Orissa Act 13 of 1965).

116. The Orissa Land Reforms (Amendment) Act, 1966 (Orissa Act 8 of 1967).

117. The Orissa Land Reforms (Amendment) Act, 1967 (Orissa Act 13 of 1967).

(नवीं अनुसूची)

102. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 28) ।

103. अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 37) ।

104. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 52) ।

105. रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 57) ।

106. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1965 का महाराष्ट्र अधिनियम 16) ।

107. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का महाराष्ट्र अधिनियम 32) ।

108. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का महाराष्ट्र अधिनियम 16) ।

109. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का महाराष्ट्र अधिनियम 33) ।

110. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का महाराष्ट्र अधिनियम 37) ।

111. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का महाराष्ट्र अधिनियम 38) ।

112. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का महाराष्ट्र अधिनियम 27) ।

113. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का महाराष्ट्र अधिनियम 13) ।

114. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का महाराष्ट्र अधिनियम 50) ।

115. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का उड़ीसा अधिनियम 13) ।

116. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1967 का उड़ीसा अधिनियम 8) ।

117. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का उड़ीसा अधिनियम 13) ।

120. The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972 (Uttar Pradesh Act 18 of 1973).

121. The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1974 (Uttar Pradesh Act 2 of 1975).

122. The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Third Amendment) Act, 1975 (Tripura Act 3 of 1975).

123. The Dadra and Nagar Haveli Land Reforms Regulation, 1971 (3 of 1971).

124. The Dadra and Nagar Haveli Land Reforms (Amendment) Regulation, 1973 (5 of 1973).]

¹[125. Section 66A and Chapter IVA of the Motor Vehicles Act, 1939* (Central Act 4 of 1939).

126. The Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955).

127. The Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (Central Act 13 of 1976).

128. The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (Central Act 19 of 1976).

129. The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Amendment) Act, 1976 (Central Act 20 of 1976).

 ${}^2_{130}{}^*$ * * * *

131. The Levy Sugar Price Equalisation Fund Act, 1976 (Central Act 31 of 1976).

132. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act 33 of 1976).

1. Entries 125 to 188 ins. by the Constitution (Fortieth Amendment) Act, 1976, s. 3 (w.e.f. 27-5-1976).

* See now the relevant provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

2. Entry 130 omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 44 (w.e.f. 20-6-1979).

(नवीं अनुसूची)

118. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का उड़ीसा अधिनियम 13) ।

119. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का उड़ीसा अधिनियम 18) ।

120. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 18, 1973) ।

121. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 2, 1975) ।

122. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का त्रिपुरा अधिनियम 3)।

123. दादरा और नागर हवेली भूमि सुधार विनियम, 1971 (1971 का 3) ।

124. दादरा और नागर हवेली भूमि सुधार (संशोधन) विनियम, 1973 (1973 का 5) ।

¹[125. मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 66क और अध्याय 4क* ।

126. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) ।

127. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 13)।

128. बंघित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 19) ।

129. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 20) ।

²130* * * *

131. लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 31) ।

132. नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 33) ।

1. संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 द्वारा (27-5-1976 से) प्रविष्टि 125 से प्रविष्टि 188 तक अंतःस्थापित ।

* अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के सुसंगत उपबंध देखिए ।

2. संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 44 द्वारा (20-6-1979 से) प्रविष्टि 130 का लोप किया गया ।

133. The Departmentalisation of Union Accounts (Transfer of Personnel) Act, 1976 (Central Act 59 of 1976).

134. The Assam Fixation of Ceiling on Land Holdings Act, 1956 (Assam Act I of 1957).

135. The Bombay Tenancy and Agricultural Lands (Vidarbha Region) Act, 1958 (Bombay Act XCIX of 1958).

136. The Gujarat Private Forests (Acquisition) Act, 1972 (Gujarat Act 14 of 1973).

137. The Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1976 (Haryana Act 17 of 1976).

138. The Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (Himachal Pradesh Act 8 of 1974).

139. The Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilisation Act, 1974 (Himachal Pradesh Act 18 of 1974).

140. The Karnataka Land Reforms (Second Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1974 (Karnataka Act 31 of 1974).

141. The Karnataka Land Reforms (Second Amendment) Act, 1976 (Karnataka Act 27 of 1976).

142. The Kerala Prevention of Eviction Act, 1966 (Kerala Act 12 of 1966).

143. The Thiruppuvaram Payment (Abolition) Act, 1969 (Kerala Act 19 of 1969).

144. The Sreepadam Lands Enfranchisement Act, 1969 (Kerala Act 20 of 1969).

145. The Sree Pandaravaka Lands (Vesting and Enfranchisement) Act, 1971 (Kerala Act 20 of 1971).

146. The Kerala Private Forests (Vesting and Assignment) Act, 1971 (Kerala Act 26 of 1971).

147. The Kerala Agricultural Workers Act, 1974 (Kerala Act 18 of 1974).

148. The Kerala Cashew Factories (Acquisition) Act, 1974 (Kerala Act 29 of 1974).

149. The Kerala Chitties Act, 1975 (Kerala Act 23 of 1975).

150. The Kerala Scheduled Tribes (Restriction on Transfer of Lands and Restoration of Alienated Lands) Act, 1975 (Kerala Act 31 of 1975).

(नवीं अनुसूची)

133. संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिक अंतरण) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 59) ।

134. असम अधिकतम भूमि जोत सीमा नियतन अधिनियम, 1956 (1957 का असम अधिनियम 1) ।

135. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, 1958 (1958 का मुंबई अधिनियम 99) ।

136. गुजरात प्राइवेट वन (अर्जन) अधिनियम, 1972 (1973 का गुजरात अधिनियम 14) ।

137. हरियाणा भूमि-जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का हरियाणा अधिनियम 17) ।

138. हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 8) ।

139. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिलाली भूमि निधान और उपयोजन अधिनियम, 1974 (1974 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 18) ।

140. कर्नाटक भूमि सुधार (दूसरा संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1974 (1974 का कर्नाटक अधिनियम 31) ।

141. कर्नाटक भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का कर्नाटक अधिनियम 27) ।

142. केरल बेदखली निवारण अधिनियम, 1966 (1966 का केरल अधिनियम 12) ।

143. तिरुप्पुवारम् संदाय (उत्सादन) अधिनियम, 1969 (1969 का केरल अधिनियम 19) ।

144. श्री पादम् भूमि विमुक्ति अधिनियम, 1969 (1969 का केरल अधिनियम 20) ।

145. श्रीपण्डारवका भूमि (निधान और विमुक्ति) अधिनियम, 1971 (1971 का केरल अधिनियम 20) ।

146. केरल प्राइवेट वन (निधान और समनुदेशन) अधिनियम, 1971 (1971 का केरल अधिनियम 26) ।

147. केरल कृषि कर्मकार अधिनियम, 1974 (1974 का केरल अधिनियम 18) ।

148. केरल काजू कारखाना (अर्जन) अधिनियम, 1974 (1974 का केरल अधिनियम 29) ।

149. केरल चिट्ठी अधिनियम, 1975 (1975 का केरल अधिनियम 23) ।

150. केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि के अंतरण पर निर्बंधन और अन्य संक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन) अधिनियम, 1975 (1975 का केरल अधिनियम 31) ।

151. The Kerala Land Reforms (Amendment) Act, 1976 (Kerala Act 15 of 1976).

152. The Kanam Tenancy Abolition Act, 1976 (Kerala Act 16 of 1976).

153. The Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 1974 (Madhya Pradesh Act 20 of 1974).

154. The Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 1975 (Madhya Pradesh Act 2 of 1976).

155. The West Khandesh Mehwass Estates (Proprietary Rights Abolition, etc.) Regulation, 1961 (Maharashtra Regulation 1 of 1962).

156. The Maharashtra Restoration of Lands to Scheduled Tribes Act, 1974 (Maharashtra Act XIV of 1975).

157. The Maharashtra Agricultural Lands (Lowering of Ceiling on Holdings) and (Amendment) Act, 1972 (Maharashtra Act XXI of 1975).

158. The Maharashtra Private Forest (Acquisition) Act, 1975 (Maharashtra Act XXIX of 1975).

159. The Maharashtra Agricultural Lands (Lowering of Ceiling on Holdings) and (Amendment) Amendment Act, 1975 (Maharashtra Act XLVII of 1975).

160. The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) (Amendment) Act, 1975 (Maharashtra Act II of 1976).

161. The Orissa Estates Abolition Act, 1951 (Orissa Act I of 1952).

162. The Rajasthan Colonisation Act, 1954 (Rajasthan Act XXVII of 1954).

163. The Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Landowners' Estates Act, 1963 (Rajasthan Act 11 of 1964).

164. The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 1976 (Rajasthan Act 8 of 1976).

165. The Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1976 (Rajasthan Act 12 of 1976).

166. The Tamil Nadu Land Reforms (Reduction of Ceiling on Land) Act, 1970 (Tamil Nadu Act 17 of 1970).

167. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Amendment Act, 1971 (Tamil Nadu Act 41 of 1971).

(नवीं अनुसूची)

151. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का केरल अधिनियम 15) ।

152. काणम् अभिधृति उत्सादन अधिनियम, 1976 (1976 का केरल अधिनियम 16) ।

153. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1974 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन् 1974) ।

154. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1975 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1976) ।

155. पश्चिमी खानदेश मेहवासी संपदा (सांपत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961 (1962 का महाराष्ट्र विनियम 1) ।

156. महाराष्ट्र अनुसूचित जनजातियों को भूमि का प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1974 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 14) ।

157. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा घटाना) और (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 21) ।

158. महाराष्ट्र प्राइवेट वन (अर्जन) अधिनियम, 1975 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 29) ।

159. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा घटाना) और (संशोधन) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 47) ।

160. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1976 का महाराष्ट्र अधिनियम 2) ।

161. उड़ीसा संपदा उत्सादन अधिनियम, 1951 (1952 का उड़ीसा अधिनियम 1) ।

162. राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम 27) ।

163. राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की संपदा का अर्जन अधिनियम, 1963 (1964 का राजस्थान अधिनियम सं0 11) ।

164. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राजस्थान अधिनियम सं0 8) ।

165. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राजस्थान अधिनियम सं0 12) ।

166. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा घटाना) अधिनियम, 1970 (1970 का तमिलनाडु अधिनियम 17) ।

167. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का तमिलनाडु अधिनियम 41) ।

168. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Amendment Act, 1972 (Tamil Nadu Act 10 of 1972).

169. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Second Amendment Act, 1972 (Tamil Nadu Act 20 of 1972).

170. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Third Amendment Act, 1972 (Tamil Nadu Act 37 of 1972).

171. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Fourth Amendment Act, 1972 (Tamil Nadu Act 39 of 1972).

172. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Sixth Amendment Act, 1972 (Tamil Nadu Act 7 of 1974).

173. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Fifth Amendment Act, 1972 (Tamil Nadu Act 10 of 1974).

174. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Amendment Act, 1974 (Tamil Nadu Act 15 of 1974).

175. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Third Amendment Act, 1974 (Tamil Nadu Act 30 of 1974).

176. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Second Amendment Act, 1974 (Tamil Nadu Act 32 of 1974).

177. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Amendment Act, 1975 (Tamil Nadu Act 11 of 1975).

178. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Second Amendment Act, 1975 (Tamil Nadu Act 21 of 1975).

179. Amendments made to the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (Uttar Pradesh Act I of 1951) by the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1971 (Uttar Pradesh Act 21 of 1971) and the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1974 (Uttar Pradesh Act 34 of 1974).

180. The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1976 (Uttar Pradesh Act 20 of 1976).

181. The West Bengal Land Reforms (Second Amendment) Act, 1972 (West Bengal Act XXVIII of 1972).

182. The West Bengal Restoration of Alienated Land Act, 1973 (West Bengal Act XXIII of 1973).

(नवीं अनुसूची)

168. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का तमिलनाडु अधिनियम 10) ।
169. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का तमिलनाडु अधिनियम 20) ।
170. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) तीसरा संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का तमिलनाडु अधिनियम 37) ।
171. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) चौथा संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का तमिलनाडु अधिनियम 39) ।
172. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) छठा संशोधन अधिनियम, 1972 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 7) ।
173. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) पांचवां संशोधन अधिनियम, 1972 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 10) ।
174. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 15) ।
175. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) तीसरा संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 30) ।
176. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 32) ।
177. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम 11) ।
178. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम 21) ।
179. उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1971) तथा उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1974) द्वारा 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951) में किए गए संशोधन ।
180. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976) ।
181. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 28) ।
182. पश्चिमी बंगाल अन्य संक्रात भूमि का प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1973 (1973 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23) ।

183. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1974 (West Bengal Act XXXIII of 1974).

184. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1975 (West Bengal Act XXIII of 1975).

185. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1976 (West Bengal Act XII of 1976).

186. The Delhi Land Holdings (Ceiling) Amendment Act, 1976 (Central Act 15 of 1976).

187. The Goa, Daman and Diu Mundkars (Protection from Eviction) Act, 1975 (Goa, Daman and Diu Act 1 of 1976).

188. The Pondicherry Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Act, 1973 (Pondicherry Act 9 of 1974).]

¹[189. The Assam (Temporarily Settled Areas) Tenancy Act, 1971 (Assam Act XXIII of 1971).

190. The Assam (Temporarily Settled Areas) Tenancy (Amendment) Act, 1974 (Assam Act XVIII of 1974).

191. The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Amending Act, 1974 (Bihar Act 13 of 1975).

192. The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 1976 (Bihar Act 22 of 1976).

193. The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 1978 (Bihar Act VII of 1978).

194. The Land Acquisition (Bihar Amendment) Act, 1979 (Bihar Act 2 of 1980).

195. The Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1977 (Haryana Act 14 of 1977).

196. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Amendment Act, 1978 (Tamil Nadu Act 25 of 1978).

197. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Amendment Act, 1979 (Tamil Nadu Act 11 of 1979).

1. Entries 189 to 202 were ins. by the Constitution (Forty-seventh Amendment) Act, 1984, s. 2 (w.e.f. 26-8-1984).

(नवीं अनुसूची)

183. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33) ।

184. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23) ।

185. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 12) ।

186. दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 15) ।

187. गोवा, दमण और दीव मुंडकार (बेदखली से संरक्षण) अधिनियम, 1975 (1976 का गोवा, दमण और दीव अधिनियम 1) ।

188. पांडिचेरी भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) अधिनियम, 1973 (1974 का पांडिचेरी अधिनियम 9) ।]

¹[189. असम (अस्थायी रूप से व्यवस्थापित क्षेत्र) अभिधृति अधिनियम, 1971 (1971 का असम अधिनियम 23) ।

190. असम (अस्थायी रूप से व्यवस्थापित क्षेत्र) अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का असम अधिनियम 18) ।

191. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) संशोधी अधिनियम, 1974 (1975 का बिहार अधिनियम 13) ।

192. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का बिहार अधिनियम 22) ।

193. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का बिहार अधिनियम 7) ।

194. भूमि अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1979 (1980 का बिहार अधिनियम 2) ।

195. हरियाणा (भूमि-जोत की अधिकतम सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का हरियाणा अधिनियम 14) ।

196. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1978 (1978 का तमिलनाडु अधिनियम 25) ।

197. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1979 (1979 का तमिलनाडु अधिनियम 11) ।

1. संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 2 द्वारा (26-8-1984 से) प्रविष्टि 189 से प्रविष्टि 202 तक अंतःस्थापित ।

198. The Uttar Pradesh Zamindari Abolition Laws (Amendment) Act, 1978 (Uttar Pradesh Act 15 of 1978).

199. The West Bengal Restoration of Alienated Land (Amendment) Act, 1978 (West Bengal Act XXIV of 1978).

200. The West Bengal Restoration of Alienated Land (Amendment) Act, 1980 (West Bengal Act LVI of 1980).

201. The Goa, Daman and Diu Agricultural Tenancy Act, 1964 (Goa, Daman and Diu Act 7 of 1964).

202. The Goa, Daman and Diu Agricultural Tenancy (Fifth Amendment) Act, 1976 (Goa, Daman and Diu Act 17 of 1976).]

¹[203. The Andhra Pradesh Scheduled Areas Land Transfer Regulation, 1959 (Andhra Pradesh Regulation 1 of 1959).

204. The Andhra Pradesh Scheduled Areas Laws (Extension and Amendment) Regulation, 1963 (Andhra Pradesh Regulation 2 of 1963).

205. The Andhra Pradesh Scheduled Areas Land Transfer (Amendment) Regulation, 1970 (Andhra Pradesh Regulation 1 of 1970).

206. The Andhra Pradesh Scheduled Areas Land Transfer (Amendment) Regulation, 1971 (Andhra Pradesh Regulation 1 of 1971).

207. The Andhra Pradesh Scheduled Areas Land Transfer (Amendment) Regulation, 1978 (Andhra Pradesh Regulation 1 of 1978).

208. The Bihar Tenancy Act, 1885 (Bihar Act 8 of 1885).

209. The Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 (Bengal Act 6 of 1908) (Chapter VIII—sections 46, 47, 48, 48A and 49; Chapter X—sections 71, 71A and 71B; and Chapter XVIII—sections 240, 241 and 242).

210. The Santhal Parganas Tenancy (Supplementary Provisions) Act, 1949 (Bihar Act 14 of 1949) except section 53.

211. The Bihar Scheduled Areas Regulation, 1969 (Bihar Regulation 1 of 1969).

212. The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 1982 (Bihar Act 55 of 1982).

1. Entries 203 to 257 were ins. by the Constitution (Sixty-sixth Amendment) Act, 1990, s. 2 (w.e.f. 7-6-1990).

(नवीं अनुसूची)

198. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 15) ।

199. पश्चिमी बंगाल अन्य संक्रात भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 24) ।

200. पश्चिमी बंगाल अन्य संक्रात भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 56) ।

201. गोवा, दमण और दीव कृषि अभिवृद्धि अधिनियम, 1964 (1964 का गोवा, दमण और दीव अधिनियम 7) ।

202. गोवा, दमण और दीव कृषि अभिवृद्धि (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का गोवा, दमण और दीव अधिनियम 17) ।]

1[203. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण विनियम, 1959 (1959 का आंध्र प्रदेश विनियम 1) ।

204. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र विधि (विस्तारण और संशोधन) विनियम, 1963 (1963 का आंध्र प्रदेश विनियम 2) ।

205. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण (संशोधन) विनियम, 1970 (1970 का आंध्र प्रदेश विनियम 1) ।

206. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण (संशोधन) विनियम, 1971 (1971 का आंध्र प्रदेश विनियम 1) ।

207. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण (संशोधन) विनियम, 1978 (1978 का आंध्र प्रदेश विनियम 1) ।

208. बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (1885 का बिहार अधिनियम 8) ।

209. छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (1908 का बंगाल अधिनियम 6) (अध्याय 8—धारा 46, धारा 47, धारा 48, धारा 48क और धारा 49; अध्याय 10—धारा 71, धारा 71क और धारा 71ख और अध्याय 18—धारा 240, धारा 241, धारा 242) ।

210. संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 (1949 का बिहार अधिनियम 14) धारा 53 को छोड़कर ।

211. बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 (1969 का बिहार विनियम 1)

212. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का बिहार अधिनियम 55) ।

1. संविधान (छियासठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा (7-6-1990 से) प्रविष्टि 203 से प्रविष्टि 257 तक अंतःस्थापित ।

213. The Gujarat Devasthan Inams Abolition Act, 1969 (Gujarat Act 16 of 1969).

214. The Gujarat Tenancy Laws (Amendment) Act, 1976 (Gujarat Act 37 of 1976).

215. The Gujarat Agricultural Lands Ceiling (Amendment) Act, 1976 (President's Act 43 of 1976).

216. The Gujarat Devasthan Inams Abolition (Amendment) Act, 1977 (Gujarat Act 27 of 1977).

217. The Gujarat Tenancy Laws (Amendment) Act, 1977 (Gujarat Act 30 of 1977).

218. The Bombay Land Revenue (Gujarat Second Amendment) Act, 1980 (Gujarat Act 37 of 1980).

219. The Bombay Land Revenue Code and Land Tenure Abolition Laws (Gujarat Amendment) Act, 1982 (Gujarat Act 8 of 1982).

220. The Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 (Himachal Pradesh Act 15 of 1969).

221. The Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) (Amendment) Act, 1986 (Himachal Pradesh Act 16 of 1986).

222. The Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prohibition of Transfer of Certain Lands) Act, 1978 (Karnataka Act 2 of 1979).

223. The Kerala Land Reforms (Amendment) Act, 1978 (Kerala Act 13 of 1978).

224. The Kerala Land Reforms (Amendment) Act, 1981 (Kerala Act 19 of 1981).

225. The Madhya Pradesh Land Revenue Code (Third Amendment) Act, 1976 (Madhya Pradesh Act 61 of 1976).

226. The Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 1980 (Madhya Pradesh Act 15 of 1980).

227. The Madhya Pradesh Akrishik Jot Uchchatam Seema Adhiniyam, 1981 (Madhya Pradesh Act 11 of 1981).

228. The Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings (Second Amendment) Act, 1976 (Madhya Pradesh Act 1 of 1984).

229. The Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 1984 (Madhya Pradesh Act 14 of 1984).

(नवीं अनुसूची)

213. गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन अधिनियम, 1969 (1969 का गुजरात अधिनियम 16) ।
214. गुजरात अभिधृति विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का गुजरात अधिनियम 37) ।
215. गुजरात अधिकतम कृषि भूमि सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति अधिनियम 43) ।
216. गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का गुजरात अधिनियम 27) ।
217. गुजरात अभिधृति विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का गुजरात अधिनियम 30) ।
218. मुम्बई भू-राजस्व (गुजरात दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का गुजरात अधिनियम 37) ।
219. मुम्बई भू-राजस्व संहिता और भूधृति उत्सादन विधि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का गुजरात अधिनियम 8) ।
220. हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 15) ।
221. हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 16) ।
222. कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमि अंतरण प्रतिषेध) अधिनियम, 1978 (1979 का कर्नाटक अधिनियम 2) ।
223. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का केरल अधिनियम 13) ।
224. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का केरल अधिनियम 19) ।
225. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का मध्य प्रदेश अधिनियम 61) ।
226. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का मध्य प्रदेश अधिनियम 15) ।
227. मध्य प्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1981 (1981 का मध्य प्रदेश अधिनियम 11) ।
228. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 (1984 का मध्य प्रदेश अधिनियम 1) ।
229. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का मध्य प्रदेश अधिनियम 14) ।

230. The Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 1989 (Madhya Pradesh Act 8 of 1989).

231. The Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Maharashtra Act 41 of 1966), sections 36, 36A and 36B.

232. The Maharashtra Land Revenue Code and the Maharashtra Restoration of Lands to Scheduled Tribes (Second Amendment) Act, 1976 (Maharashtra Act 30 of 1977).

233. The Maharashtra Abolition of Subsisting Proprietary Rights to Mines and Minerals in certain Lands Act, 1985 (Maharashtra Act 16 of 1985).

234. The Orissa Scheduled Areas Transfer of Immovable Property (by Scheduled Tribes) Regulation, 1956 (Orissa Regulation 2 of 1956).

235. The Orissa Land Reforms (Second Amendment) Act, 1975 (Orissa Act 29 of 1976).

236. The Orissa Land Reforms (Amendment) Act, 1976 (Orissa Act 30 of 1976).

237. The Orissa Land Reforms (Second Amendment) Act, 1976 (Orissa Act 44 of 1976).

238. The Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1984 (Rajasthan Act 12 of 1984).

239. The Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1984 (Rajasthan Act 13 of 1984).

240. The Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1987 (Rajasthan Act 21 of 1987).

241. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Second Amendment Act, 1979 (Tamil Nadu Act 8 of 1980).

242. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Amendment Act, 1980 (Tamil Nadu Act 21 of 1980).

243. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Amendment Act, 1981 (Tamil Nadu Act 59 of 1981).

244. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Second Amendment Act, 1983 (Tamil Nadu Act 2 of 1984).

245. The Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1982 (Uttar Pradesh Act 20 of 1982).

(नवीं अनुसूची)

230. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का मध्य प्रदेश अधिनियम 8) ।

231. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 (1966 का महाराष्ट्र अधिनियम 41) धारा 36, धारा 36क और धारा 36ख ।

232. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता और महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति भूमि प्रत्यावर्तन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1977 का महाराष्ट्र अधिनियम 30) ।

233. महाराष्ट्र कतिपय भूमि में खानों और खनिजों के विद्यमान सांप्रतिक अधिकारों का उत्सादन अधिनियम, 1985 (1985 का महाराष्ट्र अधिनियम 16) ।

234. उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) स्थावर संपत्ति अंतरण विनियम, 1956 (1956 का उड़ीसा विनियम 2) ।

235. उड़ीसा भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1975 (1976 का उड़ीसा अधिनियम 29) ।

236. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का उड़ीसा अधिनियम 30) ।

237. उड़ीसा भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का उड़ीसा अधिनियम 44) ।

238. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का राजस्थान अधिनियम 12) ।

239. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का राजस्थान अधिनियम 13) ।

240. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 21) ।

241. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1979 (1980 का तमिलनाडु अधिनियम 8) ।

242. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1980 (1980 का तमिलनाडु अधिनियम 21) ।

243. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का तमिलनाडु अधिनियम 59) ।

244. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1983 (1984 का तमिलनाडु अधिनियम 2) ।

245. उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 20) ।

246. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1965 (West Bengal Act 18 of 1965).

247. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1966 (West Bengal Act 11 of 1966).

248. The West Bengal Land Reforms (Second Amendment) Act, 1969 (West Bengal Act 23 of 1969).

249. The West Bengal Estate Acquisition (Amendment) Act, 1977 (West Bengal Act 36 of 1977).

250. The West Bengal Land Holding Revenue Act, 1979 (West Bengal Act 44 of 1979).

251. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1980 (West Bengal Act 41 of 1980).

252. The West Bengal Land Holding Revenue (Amendment) Act, 1981 (West Bengal Act 33 of 1981).

253. The Calcutta Thikka Tenancy (Acquisition and Regulation) Act, 1981 (West Bengal Act 37 of 1981).

254. The West Bengal Land Holding Revenue (Amendment) Act, 1982 (West Bengal Act 23 of 1982).

255. The Calcutta Thikka Tenancy (Acquisition and Regulation) (Amendment) Act, 1984 (West Bengal Act 41 of 1984).

256. The Mahe Land Reforms Act, 1968 (Pondicherry Act 1 of 1968).

257. The Mahe Land Reforms (Amendment) Act, 1980 (Pondicherry Act 1 of 1981).]

¹[257A. The Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Seats in Educational Institutions and of appointments or posts in the Services under the State) Act, 1993 (Tamil Nadu Act 45 of 1994).]

1. Entry 257A ins. by the Constitution (Seventy-sixth Amendment) Act, 1994, s. 2 (w.e.f. 31-8-1994).

(नवीं अनुसूची)

246. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 18) ।

247. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 11) ।

248. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23) ।

249. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 36) ।

250. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व अधिनियम, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 44) ।

251. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 41) ।

252. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33) ।

253. कलकत्ता ठेका अभिधृति (अर्जन और विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 37) ।

254. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23) ।

255. कलकत्ता ठेका अभिधृति (अर्जन और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 41) ।

256. माहे भूमि सुधार अधिनियम, 1968 (1968 का पांडिचेरी अधिनियम 1) ।

257. माहे भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1981 का पांडिचेरी अधिनियम 1) ।]

¹[257क. तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (राज्य के अधीन शिक्षा संस्थाओं में स्थानों और सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 1993 (1994 का तमिलनाडु अधिनियम 45) ।]

¹[258. The Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947 (Bihar Act 4 of 1948).

259. The Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act 22 of 1956).

260. The Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation (Amendment) Act, 1970 (Bihar Act 7 of 1970).

261. The Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy (Amendment) Act, 1970 (Bihar Act 9 of 1970).

262. The Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation (Amendment) Act, 1973 (Bihar Act 27 of 1975).

263. The Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation (Amendment) Act, 1981 (Bihar Act 35 of 1982).

264. The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 1987 (Bihar Act 21 of 1987).

265. The Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy (Amendment) Act, 1989 (Bihar Act 11 of 1989).

266. The Bihar Land Reforms (Amendment) Act, 1989 (Bihar Act 11 of 1990).

267. The Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prohibition of Transfer of Certain Lands) (Amendment) Act, 1984 (Karnataka Act 3 of 1984).

268. The Kerala Land Reforms (Amendment) Act, 1989 (Kerala Act 16 of 1989).

269. The Kerala Land Reforms (Second Amendment) Act, 1989 (Kerala Act 2 of 1990).

270. The Orissa Land Reforms (Amendment) Act, 1989 (Orissa Act 9 of 1990).

271. The Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1979 (Rajasthan Act 16 of 1979).

272. The Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1987 (Rajasthan Act 2 of 1987).

273. The Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1989 (Rajasthan Act 12 of 1989).

1. Entries 258 to 284 ins. by the Constitution (Seventy-eighth Amendment) Act, 1995, s. 2 (w.e.f. 30-8-1995).

(नवीं अनुसूची)

¹[258. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति अधिनियम, 1947 (1948 का बिहार अधिनियम 4) ।

259. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण अधिनियम, 1956 (1956 का बिहार अधिनियम 22) ।

260. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण अधिनियम, 1970 (1970 का बिहार अधिनियम 7) ।

261. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का बिहार अधिनियम 9) ।

262. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1975 का बिहार अधिनियम 27) ।

263. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1982 का बिहार अधिनियम 35) ।

264. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का बिहार अधिनियम 21) ।

265. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का बिहार अधिनियम 11) ।

266. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1990 का बिहार अधिनियम 11) ।

267. कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमि अंतरण प्रतिषेध) (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का कर्नाटक अधिनियम 3) ।

268. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का केरल अधिनियम 16) ।

269. केरल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 (1990 का केरल अधिनियम 2) ।

270. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1990 का उड़ीसा अधिनियम 9) ।

271. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1979 (1979 का राजस्थान अधिनियम 16) ।

272. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 2) ।

273. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का राजस्थान अधिनियम 12) ।

1. संविधान (अठ्ठतरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 द्वारा (30-8-1995 से) प्रविष्टि 258 से प्रविष्टि 284 तक अंतःस्थापित ।

274. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Amendment Act, 1983 (Tamil Nadu Act 3 of 1984).

275. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Amendment Act, 1986 (Tamil Nadu Act 57 of 1986).

276. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Second Amendment Act, 1987 (Tamil Nadu Act 4 of 1988).

277. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) (Amendment) Act, 1989 (Tamil Nadu Act 30 of 1989).

278. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1981 (West Bengal Act 50 of 1981).

279. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1986 (West Bengal Act 5 of 1986).

280. The West Bengal Land Reforms (Second Amendment) Act, 1986 (West Bengal Act 19 of 1986).

281. The West Bengal Land Reforms (Third Amendment) Act, 1986 (West Bengal Act 35 of 1986).

282. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1989 (West Bengal Act 23 of 1989).

283. The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 1990 (West Bengal Act 24 of 1990).

284. The West Bengal Land Reforms Tribunal Act, 1991 (West Bengal Act 12 of 1991).]

Explanation:—Any acquisition made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955), in contravention of the second proviso to clause(1) of article 31A shall, to the extent of the contravention, be void.]

(नवीं अनुसूची)

274. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1983 (1984 का तमिलनाडु अधिनियम 3) ।

275. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का तमिलनाडु अधिनियम 57) ।

276. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1987 (1988 का तमिलनाडु अधिनियम 4) ।

277. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का तमिलनाडु अधिनियम 30) ।

278. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 50) ।

279. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 5) ।

280. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 19) ।

281. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 35) ।

282. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23) ।

283. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1990 (1990 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 24) ।

284. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिकरण अधिनियम, 1991 (1991 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 12) ।]

स्पष्टीकरण — राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं0 3) के अधीन, अनुच्छेद 31क के खंड (1) के दूसरे परंतुक के उल्लंघन में किया गया अर्जन उस उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा ।]

¹[TENTH SCHEDULE
[Articles 102(2) and 191(2)]

Provisions as to disqualification on ground of defection

1. Interpretation.—In this Schedule, unless the context otherwise requires,—

(a) "House" means either House of Parliament or the Legislative Assembly or, as the case may be, either House of the Legislature of a State;

(b) "legislature party", in relation to a member of a House belonging to any political party in accordance with the provisions of paragraph 2 or ^{2***} paragraph 4, means the group consisting of all the members of that House for the time being belonging to that political party in accordance with the said provisions;

(c) "original political party", in relation to a member of a House, means the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2;

(d) "paragraph" means a paragraph of this Schedule.

2. Disqualification on ground of defection.—(1) Subject to the provisions of ³[paragraphs 4 and 5], a member of a House belonging to any political party shall be disqualified for being a member of the House—

(a) if he has voluntarily given up his membership of such political party; or

(b) if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction issued by the political party to which he belongs or by any person or authority authorised by it in this behalf, without obtaining, in either case, the prior permission of such political party, person or authority and such voting or abstention has not been condoned by such political party, person or authority within fifteen days from the date of such voting or abstention.

Explanation.—For the purposes of this sub-paragraph,—

(a) an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party, if any, by which he was set up as a candidate for election as such member;

(b) a nominated member of a House shall,—

1. Tenth Schedule added by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 6 (w.e.f. 1-3-1985).

2. Certain words omitted by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, s. 5 (w.e.f. 1-1-2004).

3. Subs. by s. 5, *ibid.*, for "paragraphs 3, 4 and 5" (w.e.f. 1-1-2004).

¹[दसवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2)]

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध

1. निर्वचन – इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “सदन” से, संसद का कोई सदन या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या, विधान-मंडल का कोई सदन अभिप्रेत है;

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जो, यथास्थिति, पैरा 2 या ²*** पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, “विधान-दल” से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं;

(ग) सदन के किसी सदस्य के संबंध में, “मूल राजनीतिक दल” से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है;

(घ) “पैरा” से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है ।

2. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता – (1) ³[पैरा 4 और पैरा 5] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें—

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख) वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है ।

स्पष्टीकरण – इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था;

(ख) सदन के किसी नामनिर्देशित सदस्य के बारे में,—

-
1. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 6 द्वारा (1-3-1985 से) दसवीं अनुसूची से जोड़ा गया ।
 2. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा (1-1-2004 से) “पैरा 3 कुछ शब्दों का लोप किया गया ।
 3. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा (1-1-2004 से) “पैरा 3, 4, और 5” के स्थान प्रतिस्थापित ।

(i) where he is a member of any political party on the date of his nomination as such member, be deemed to belong to such political party;

(ii) in any other case, be deemed to belong to the political party of which he becomes, or, as the case may be, first becomes, a member before the expiry of six months from the date on which he takes his seat after complying with the requirements of article 99 or, as the case may be, article 188.

(2) An elected member of a House who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party shall be disqualified for being a member of the House if he joins any political party after such election.

(3) A nominated member of a House shall be disqualified for being a member of the House if he joins any political party after the expiry of six months from the date on which he takes his seat after complying with the requirements of article 99 or, as the case may be, article 188.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this paragraph, a person who, on the commencement of the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, is a member of a House (whether elected or nominated as such) shall,—

(i) where he was a member of political party immediately before such commencement, be deemed, for the purposes of sub-paragraph (1) of this paragraph, to have been elected as a member of such House as a candidate set up by such political party;

(ii) in any other case, be deemed to be an elected member of the House who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party for the purposes of sub-paragraph (2) of this paragraph or, as the case may be, be deemed to be a nominated member of the House for the purposes of sub-paragraph (3) of this paragraph.

! * * * *

4. Disqualification on ground of defection not to apply in case of merger.— (1) A member of a House shall not be disqualified under sub-paragraph (1) of paragraph 2 where his original political party merges with another political party and he claims that he and any other members of his original political party—

(a) have become members of such other political party or, as the case may be, of a new political party formed by such merger; or

(b) have not accepted the merger and opted to function as a separate group,

(दसवीं अनुसूची

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नामनिर्देशन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यह समझा जाएगा कि वह उस राजनीतिक दल का सदस्य है जिसका, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व वह, यथास्थिति, सदस्य बनता है या पहली बार बनता है।

(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(3) सदन का कोई नामनिर्देशित सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(4) इस पैरा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ पर, सदन का सदस्य है (चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नामनिर्देशित) –

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य था वहां, इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के रूप में ऐसे सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, इस पैरा के उप-पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है या, इस पैरा के उप-पैरा (3) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का नामनिर्देशित सदस्य है।

1*

*

*

*

4. दल परिवर्तन के आधार पर निरहता का विलय की दशा में लागू न होना –

(1) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन निरहित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य –

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं; या

(ख) उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है,

and from the time of such merger, such other political party or new political party or group, as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of this sub-paragraph.

(2) For the purposes of sub-paragraph (1) of this paragraph, the merger of the original political party of a member of a House shall be deemed to have taken place if, and only if, not less than two-thirds of the members of the legislature party concerned have agreed to such merger.

5. Exemption.—Notwithstanding anything contained in this Schedule, a person who has been elected to the office of the Speaker or the Deputy Speaker of the House of the People or the Deputy Chairman of the Council of States or the Chairman or the Deputy Chairman of the Legislative Council of a State or the Speaker or the Deputy Speaker of the Legislative Assembly of a State, shall not be disqualified under this Schedule,—

(a) if he, by reason of his election to such office, voluntarily gives up the membership of the political party to which he belonged immediately before such election and does not, so long as he continues to hold such office thereafter, rejoin that political party or become a member of another political party; or

(b) if he, having given up by reason of his election to such office his membership of the political party to which he belonged immediately before such election, rejoins such political party after he ceases to hold such office.

6. Decision on questions as to disqualification on ground of defection.—(1) If any question arises as to whether a member of a House has become subject to disqualification under this Schedule, the question shall be referred for the decision of the Chairman or, as the case may be, the Speaker of such House and his decision shall be final:

Provided that where the question which has arisen is as to whether the Chairman or the Speaker of a House has become subject to such disqualification, the question shall be referred for the decision of such member of the House as the House may elect in this behalf and his decision shall be final.

(2) All proceedings under sub-paragraph (1) of this paragraph in relation to any question as to disqualification of a member of a House under this Schedule shall be deemed to be proceedings in Parliament within the meaning of article 122 or, as the case may be, proceedings in the Legislature of a State within the meaning of article 212.

और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नए राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जाएगा जब संबंधित विधान-दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हैं।

5. छूट – इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ है, इस अनुसूची के अधीन निरर्हित नहीं होगा, –

(क) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके पश्चात् जब तक वह पद धारण किए रहता है तब तक, उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है; या

(ख) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता छोड़ देता है और ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात् ऐसे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है।

6. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय — (1) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु जहां यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं वहां वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के संबंध में इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाहियां हैं।

***7. Bar of jurisdiction of courts.**—Notwithstanding anything in this Constitution, no court shall have any jurisdiction in respect of any matter connected with the disqualification of a member of a House under this Schedule.

8. Rules.—(1) Subject to the provisions of sub-paragraph (2) of this paragraph, the Chairman or the Speaker of a House may make rules for giving effect to the provisions of this Schedule, and in particular, and without prejudice to the generality of the foregoing, such rules may provide for—

(a) the maintenance of registers or other records as to the political parties, if any, to which different members of the House belong;

(b) the report which the leader of a legislature party in relation to a member of a House shall furnish with regard to any condonation of the nature referred to in clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 in respect of such member, the time within which and the authority to whom such report shall be furnished;

(c) the reports which a political party shall furnish with regard to admission to such political party of any members of the House and the officer of the House to whom such reports shall be furnished; and

(d) the procedure for deciding any question referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 6 including the procedure for any inquiry which may be made for the purpose of deciding such question.

(2) The rules made by the Chairman or the Speaker of a House under sub-paragraph (1) of this paragraph shall be laid as soon as may be after they are made before the House for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and shall take effect upon the expiry of the said period of thirty days unless they are sooner approved with or without modifications or disapproved by the House and where they are so approved, they shall take effect on such approval in the form in which they were laid or in such modified form, as the case may be, and where they are so disapproved, they shall be of no effect.

(3) The Chairman or the Speaker of a House may, without prejudice to the provisions of article 105 or, as the case may be, article 194, and to any other power which he may have under this Constitution direct that any wilful contravention by any person of the rules made under this paragraph may be dealt with in the same manner as a breach of privilege of the House.]

* Paragraph 7 declared invalid for want of ratification in accordance with the proviso to clause (2) of article 368 as per majority opinion in *Kihoto Hollohon Vs. Zachilhu and Others* A.I.R. 1993 SC 412.

*7. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन — इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरहता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी ।

8. नियम — (1) इस पैरा के उप-पैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का सभापति या अध्यक्ष, इस अनुसूची के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्: —

(क) सदन के विभिन्न सदस्य जिन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उनके बारे में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखना;

(ख) ऐसा प्रतिवेदन जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधान-दल का नेता, उस सदस्य की बाबत पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की माफी के संबंध में देगा, वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसको ऐसा प्रतिवेदन दिया जाएगा;

(ग) ऐसे प्रतिवेदन जिन्हें कोई राजनीतिक दल सदन के किसी सदस्य को ऐसे राजनीतिक दल में प्रविष्ट करने के संबंध में देगा और सदन का ऐसा अधिकारी जिसको ऐसे प्रतिवेदन दिए जाएंगे; और

(घ) पैरा 6 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी जांच की प्रक्रिया है, जो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए की जाए ।

(2) सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, सदन के समक्ष, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । वे नियम तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होंगे जब तक कि उनका सदन द्वारा परिवर्तनों सहित या उनके बिना पहले ही अनुमोदन या अननुमोदन नहीं कर दिया जाता है । यदि वे नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे, यथास्थिति, ऐसे रूप में जिसमें वे रखे गए थे या ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे । यदि नियम इस प्रकार अननुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे निष्प्रभाव हो जाएंगे ।

(3) सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के उपबंधों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन प्राप्त है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निर्देश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाए गए नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए गए किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति से कार्रवाई की जाए जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है ।]

* पैरा 7 को किहोतो होलोहन बनाम जेचिल्हु और अन्य ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 412 में बहुमत की राय के अनुसार अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के अनुसार अनुसमर्थन के अभाव में अविधिमन्य घोषित किया गया ।

¹[ELEVENTH SCHEDULE

(Article 243G)

1. Agriculture, including agricultural extension.
2. Land improvement, implementation of land reforms, land consolidation and soil conservation.
3. Minor irrigation, water management and watershed development.
4. Animal husbandry, dairying and poultry.
5. Fisheries.
6. Social forestry and farm forestry.
7. Minor forest produce.
8. Small scale industries, including food processing industries.
9. Khadi, village and cottage industries.
10. Rural housing.
11. Drinking water.
12. Fuel and fodder.
13. Roads, culverts, bridges, ferries, waterways and other means of communication.
14. Rural electrification, including distribution of electricity.
15. Non-conventional energy sources.
16. Poverty alleviation programme.
17. Education, including primary and secondary schools.
18. Technical training and vocational education.
19. Adult and non-formal education.
20. Libraries.
21. Cultural activities.
22. Markets and fairs.
23. Health and sanitation, including hospitals, primary health centres and dispensaries.
24. Family welfare.
25. Women and child development.
26. Social welfare, including welfare of the handicapped and mentally retarded.
27. Welfare of the weaker sections, and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
28. Public distribution system.
29. Maintenance of community assets.]

1. Eleventh Schedule added by the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, s. 4 (w.e.f. 24-4-1993).

¹[ग्यारहवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 243छ)

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि-विस्तार है ।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण ।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलविभाजक क्षेत्र का विकास ।
4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट-पालन ।
5. मत्स्य उद्योग ।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी ।
7. लघु वन उपज ।
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं ।
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग ।
10. ग्रामीण आवासन ।
11. पेय जल ।
12. ईंधन और चारा ।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन ।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है ।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत ।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं ।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा ।
20. पुस्तकालय ।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप ।
22. बाजार और मेले ।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं ।
24. परिवार कल्याण ।
25. महिला और बाल विकास ।
26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है ।
27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण ।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ।]

1. संविधान (तिहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 4 द्वारा (24-4-1993 से) ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया ।

¹[TWELFTH SCHEDULE
(Article 243W)

1. Urban planning including town planning.
2. Regulation of land-use and construction of buildings.
3. Planning for economic and social development.
4. Roads and bridges.
5. Water supply for domestic, industrial and commercial purposes.
6. Public health, sanitation conservancy and solid waste management.
7. Fire services.
8. Urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects.
9. Safeguarding the interests of weaker sections of society, including the handicapped and mentally retarded.
10. Slum improvement and upgradation.
11. Urban poverty alleviation.
12. Provision of urban amenities and facilities such as parks, gardens, playgrounds.
13. Promotion of cultural, educational and aesthetic aspects.
14. Burials and burial grounds; cremations, cremation grounds; and electric crematoriums.
15. Cattle pounds; prevention of cruelty to animals.
16. Vital statistics including registration of births and deaths.
17. Public amenities including street lighting, parking lots, bus stops and public conveniences.
18. Regulation of slaughter houses and tanneries.]

1. Twelfth Schedule added by the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992, s. 4 (w.e.f. 1-6-1993).

¹[बारहवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 243ब)

1. नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है ।
2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण ।
3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना ।
4. सड़कें और पुल ।
5. घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय ।
6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंध ।
7. अग्निशमन सेवाएं ।
8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि ।
9. समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा ।
10. गंदी-बस्ती सुधार और प्रोन्नयन ।
11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन ।
12. नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था ।
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि ।
14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह ।
15. कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ।
16. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है ।
17. सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाएं भी हैं ।
18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।]

1. संविधान (चौहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 4 द्वारा (1-6-1993 से) बारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया ।

APPENDIX I
THE CONSTITUTION (ONE HUNDREDTH AMENDMENT)
ACT, 2015

[28th May, 2015.]

An Act further to amend the Constitution of India to give effect to the acquiring of territories by India and transfer of certain territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol entered into between the Governments of India and Bangladesh.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015.

2. Definitions.—In this Act,—

(a) “acquired territory” means so much of the territories comprised in the India-Bangladesh agreement and its protocol and referred to in the First Schedule as are demarcated for the purpose of being acquired by India from Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol referred to in clause (c);

(b) “appointed day” means such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint as the date for acquisition of territories from Bangladesh and transfer of the territories to Bangladesh in pursuance of the India-Bangladesh agreement and its protocol, after causing the territories to be so acquired and transferred as referred to in the First Schedule and Second Schedule and demarcated for the purpose;

(c) “India-Bangladesh agreement” means the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People’s Republic of Bangladesh concerning the Demarcation of the Land Boundary between India and Bangladesh and Related Matters dated the 16th day of May, 1974, Exchange of Letters dated the 26th day of December, 1974, the 30th day of December, 1974, the 7th day of October, 1982, the 26th day of March, 1992 and protocol to the said agreement dated the 6th day of September, 2011, entered into between the Governments of India and Bangladesh, the relevant extracts of which are set out in the Third Schedule;

* 31st day of July, 2015, *vide* notification No. S.O. 2094(E), dated 31st July, 2015.

परिशिष्ट 1

संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015

[28 मई, 2015]

भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच किए गए करार और उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में राज्यक्षेत्रों का भारत द्वारा अर्जन किए जाने और कतिपय राज्यक्षेत्रों का बांग्लादेश को अंतरण किए जाने को प्रभावी करने के लिए भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम— इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

2. परिभाषाएं— इस अधिनियम में,—

(क) “अर्जित राज्यक्षेत्र” से भारत-बांग्लादेश करार और उसके प्रोटोकाल में समाविष्ट तथा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उतने राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिनका खंड (ग) में निर्दिष्ट करार और उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में भारत द्वारा बांग्लादेश से अर्जन किए जाने के प्रयोजन के लिए अभ्यंकन किया गया है;

(ख) “नियत दिन” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, भारत-बांग्लादेश करार तथा उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में यथानिर्दिष्ट कुछ राज्यक्षेत्रों का, जिनका इस प्रकार अर्जन और अंतरण कराए जाने और उस प्रयोजन के लिए अभ्यंकन कराए जाने के पश्चात् बांग्लादेश से राज्यक्षेत्रों के अर्जन और बांग्लादेश को राज्यक्षेत्रों के अंतरण के लिए तारीख नियत करे;

(ग) “भारत-बांग्लादेश करार” से भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के अभ्यंकन और संबद्ध विषयों के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच तारीख 16 मई, 1974 को हुआ करार, तारीख 26 दिसम्बर, 1974, तारीख 30 दिसम्बर, 1974, तारीख 7 अक्टूबर, 1982 और तारीख 26 मार्च, 1992 का पत्र विनिमय तथा भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच हुए तारीख 6 सितम्बर, 2011 के उक्त करार का प्रोटोकाल अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत उद्धरण तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं;

* तारीख 31 जुलाई, 2015, अधिसूचना सं० का.आ. 2094(अ) तारीख 31 जुलाई, 2015 द्वारा अधिसूचित ।

(Appendix I)

(d) “transferred territory”, means so much of the territories comprised in the India-Bangladesh agreement and its protocol and referred to in the Second Schedule as are demarcated for the purpose of being transferred by India to Bangladesh in pursuance of the agreements and its protocol referred to in clause (c).

3. Amendment of First Schedule to Constitution.— As from the appointed day, in the First Schedule to the Constitution,—

(a) in the paragraph relating to the territories of the State of Assam, the words, brackets and figures “and the territories referred to in Part I of the Second Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015, notwithstanding anything contained in clause (a) of section 3 of the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960, so far as it relates to the territories referred to in Part I of the Second Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015”, shall be added at the end;

(b) in the paragraph relating to the territories of the State of West Bengal, the words, brackets and figures “and also the territories referred to in Part III of the First Schedule but excluding the territories referred to in Part III of the Second Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015, notwithstanding anything contained in clause (c) of section 3 of the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960, so far as it relates to the territories referred to in Part III of the First Schedule and the territories referred to in Part III of the Second Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015”, shall be added at the end;

(c) in the paragraph relating to the territories of the State of Meghalaya, the words, brackets and figures “and the territories referred to in Part I of the First Schedule but excluding the territories referred to in Part II of the Second Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015”, shall be added at the end;

(d) in the paragraph relating to the territories of the State of Tripura, the words, brackets and figures “and the territories referred to in Part II of the First Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015, notwithstanding anything contained in clause (d) of section 3 of the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960, so far as it relates to the territories referred to in Part II of the First Schedule to the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015”, shall be added at the end.

(परिशिष्ट 1)

(घ) “अंतरित राज्यक्षेत्र” से भारत-बांग्लादेश करार और उसके प्रोटोकाल में समाविष्ट तथा दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट उतने राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिनका खंड (ग) में निर्दिष्ट करार और उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में भारत द्वारा बांग्लादेश को अंतरित किए जाने के प्रयोजन के लिए अभ्यंकन किया गया है ।

3. संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन-संविधान की पहली अनुसूची में, नियत दिन से ही,—

(क) असम राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, “और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट हैं” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, अंत में, जोड़े जाएंगे;

(ख) पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, “और वे राज्यक्षेत्र भी, जो पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों और दूसरी अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर, अंत में, जोड़े जाएंगे;

(ग) मेघालय राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, “और वे राज्यक्षेत्र, जो पहली अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट हैं किन्तु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की दूसरी अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं” शब्द, अंक और कोष्ठक, अंत में, जोड़े जाएंगे;

(घ) त्रिपुरा राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, “और वे राज्यक्षेत्र जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां तक उनका संबंध संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, अंत में, जोड़े जाएंगे ।

THE CONSTITUTION OF INDIA

(Appendix I)

THE FIRST SCHEDULE

[See sections 2(a), 2(b) and 3]

PART I

The acquired territory in relation to Article 2 of the agreement dated the 16th day of May, 1974 and Article 3 (I) (b) (ii) (iii) (iv) (v) of the protocol dated the 6th day of September, 2011.

PART II

The acquired territory in relation to Article 2 of the agreement dated the 16th day of May, 1974 and Article 3 (I) (c) (i) of the protocol dated the 6th day of September, 2011.

PART III

The acquired territory in relation to Articles 1(12) and 2 of the agreement dated the 16th day of May, 1974 and Articles 2 (II), 3 (I) (a) (iii) (iv) (v) (vi) of the protocol dated the 6th day of September, 2011.

THE SECOND SCHEDULE

[See sections 2(b), 2(d) and 3]

PART I

The transferred territory in relation to Article 2 of the agreement dated 16th day of May, 1974 and Article 3 (I) (d) (i) (ii) of the protocol dated 6th day of September, 2011.

PART II

The transferred territory in relation to Article 2 of the agreement dated the 16th day of May, 1974 and Article 3 (I) (b) (i) of the protocol dated 6th day of September, 2011.

PART III

The transferred territory in relation to Articles 1(12) and 2 of the agreement dated the 16th day of May, 1974 and Articles 2 (II), 3 (I) (a) (i) (ii) (vi) of the protocol dated the 6th day of September, 2011.

(परिशिष्ट 1)

पहली अनुसूची

[धारा 2(क), धारा 2(ख) और धारा 3 देखिए]

भाग 1

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3(I)(ख)(ii)(iii)(iv)(v) के संबंध में अर्जित राज्यक्षेत्र ।

भाग 2

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3(I)(ग)(i) के संबंध में अर्जित राज्यक्षेत्र ।

भाग 3

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 1(12) और अनुच्छेद 2 तथा तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2(II), 3(I)(क)(iii)(iv)(v)(vi) के संबंध में अर्जित राज्यक्षेत्र ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 2(ख), धारा 2(घ) और धारा 3 देखिए]

भाग 1

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3(I)(घ)(i)(ii) के संबंध में अन्तरित राज्यक्षेत्र ।

भाग 2

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3(I)(ख)(i) के संबंध में अन्तरित राज्यक्षेत्र ।

भाग 3

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 1(12) और अनुच्छेद 2 तथा तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2(II), 3(I)(क)(i)(ii)(vi) के संबंध में अन्तरित राज्यक्षेत्र ।

THE CONSTITUTION OF INDIA

(Appendix I)

THE THIRD SCHEDULE

[See section 2(c)]

I. EXTRACTS FROM THE AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH CONCERNING THE DEMARCATION OF THE LAND BOUNDARY BETWEEN INDIA AND BANGLADESH AND RELATED MATTERS DATED THE 16TH DAY OF MAY, 1974

Article 1 (12): ENCLAVES

The Indian enclaves in Bangladesh and the Bangladesh enclaves in India should be exchanged expeditiously, excepting the enclaves mentioned in paragraph 14 without claim to compensation for the additional area going to Bangladesh.

Article 2:

The Governments of India and Bangladesh agree that territories in adverse possession in areas already demarcated in respect of which boundary strip maps are already prepared, shall be exchanged within six months of the signing of the boundary strip maps by the plenipotentiaries. They may sign the relevant maps as early as possible as and in any case not later than the 31st December, 1974. Early measures may be taken to print maps in respect of other areas where demarcation has already taken place. These should be printed by the 31st May, 1975 and signed by the plenipotentiaries thereafter in order that the exchange of adversely held possessions in these areas may take place by the 31st December, 1975. In sectors still to be demarcated, transfer of territorial jurisdiction may take place within six months of the signature by plenipotentiaries on the concerned boundary strip maps.

II. EXTRACTS FROM THE PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH CONCERNING THE DEMARCATION OF THE LAND BOUNDARY BETWEEN INDIA AND BANGLADESH AND RELATED MATTERS, DATED THE 6TH DAY OF SEPTEMBER, 2011

Article 2:

(II) Article 1 Clause 12 of the 1974 Agreement shall be implemented as follows:—

(परिशिष्ट 1)

तीसरी अनुसूची

[धारा 2(ग) देखिए]

I. भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के अभ्यंकन तथा संबंधित विषयों के संबंध में तारीख 16 मई, 1974 को हुए करार से उद्धरण

अनुच्छेद 1(12) : विदेशी अंतःक्षेत्र (एन्क्लेव)

बांग्लादेश स्थित भारतीय एन्क्लेवों और भारत स्थित बांग्लादेश एन्क्लेवों का, पैरा 14 में उल्लिखित एन्क्लेवों को छोड़कर, बांग्लादेश में जाने वाले अतिरिक्त क्षेत्र के लिए प्रतिकर का दावा किए बिना शीघ्रतिशीघ्र आदान-प्रदान किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 2 :

भारत और बांग्लादेश की सरकारें इस बात के लिए सहमत हैं कि पहले से अभ्यंकित क्षेत्रों में प्रतिकूल कब्जे वाले राज्यक्षेत्र, जिनके संबंध में सीमा पट्टी मानचित्र पहले से तैयार हैं, पूर्णाधिकारियों द्वारा सीमा पट्टी मानचित्रों पर हस्ताक्षर किए जाने के छह मास के भीतर आदान-प्रदान किए जाएंगे। वे सुसंगत मानचित्रों पर यथासंभवशीघ्र और किसी भी दशा में 31 दिसम्बर, 1974 के अपश्चात् हस्ताक्षर कर सकते हैं। ऐसे अन्य क्षेत्रों के, जिनकी बाबत अभ्यंकन पहले ही किया जा चुका है, मानचित्रों के मुद्रण हेतु शीघ्र उपाय किए जाएं। इन्हें 31 मई, 1975 तक मुद्रित करा लिया जाना चाहिए और तत्पश्चात् उन पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करवा लिए जाने चाहिए जिससे कि इन क्षेत्रों में प्रतिकूलतः धारित कब्जों का आदान-प्रदान 31 दिसम्बर, 1975 तक किया जा सके। जिन सेक्टरों का अभी भी अभ्यंकन किया जाना है, उनमें राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का अन्तरण संबंधित सीमा पट्टी मानचित्रों पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के छह मास के भीतर हो सकता है।

II. भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के अभ्यंकन तथा संबंधित विषयों के संबंध में तारीख 6 सितम्बर, 2011 को हुए करार के प्रोटोकाल से उद्धरण

अनुच्छेद 2 :

(II) 1974 के करार के अनुच्छेद 1, खंड 12 को कार्यान्वित निम्नानुसार किया जाएगा:—

Enclaves

111 Indian Enclaves in Bangladesh and 51 Bangladesh Enclaves in India as per the jointly verified cadastral enclave maps and signed at the level of DGLR&S, Bangladesh and DLR&S, West Bengal (India) in April, 1997, shall be exchanged without claim to compensation for the additional areas going to Bangladesh.

Article 3:

(I) Article 2 of the 1974 Agreement shall be implemented as follows:—

The Government of India and the Government of Bangladesh agree that the boundary shall be drawn as a fixed boundary for territories held in Adverse Possession as determined through joint survey and fully depicted in the respective adversely possessed land area Index Map (APL map) finalised by the Land Records and Survey Departments of both the countries between December, 2010 and August, 2011, which are fully described in clause (a) to (d) below.

The relevant strip maps shall be printed and signed by the Plenipotentiaries and transfer of territorial jurisdiction shall be completed simultaneously with the exchange of enclaves. The demarcation of the boundary, as depicted in the above-mentioned Index Maps, shall be as under:—

(a) West Bengal Sector*(i) Bousmari – Madhugari (Kushtia-Nadia) area*

The boundary shall be drawn from the existing Boundary Pillar Nos. 154/5-S to 157/1-S to follow the centre of old course of river Mathabanga, as depicted in consolidation map of 1962, as surveyed jointly and agreed in June, 2011.

(ii) Andharkota (Kushtia-Nadia) area

The boundary shall be drawn from existing Boundary Pillar No. 152/5-S to Boundary Pillar No. 153/1-S to follow the edge of existing River Mathabanga as jointly surveyed and agreed in June, 2011.

(परिशिष्ट 1)

एन्क्लेव

संयुक्त रूप से सत्यापित और डी.जी.एल.आर.एंड एस., बांग्लादेश तथा डी.एल.आर.एंड एस., पश्चिमी बंगाल (भारत) के स्तर पर अप्रैल, 1997 में हस्ताक्षर किए गए भू-कर एन्क्लेव मानचित्रों के अनुसार बांग्लादेश में के 111 भारतीय एन्क्लेव और भारत में के 51 बांग्लादेश एन्क्लेव का बांग्लादेश में जाने वाले अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए प्रतिकर का दावा किए बिना आदान-प्रदान किया जाएगा ।

अनुच्छेद 3 :

(I) 1974 के करार के अनुच्छेद 2 को निम्नानुसार कार्यान्वित किया जाएगा:

भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच यह करार हुआ है कि प्रतिकूल कब्जे में धारित राज्यक्षेत्रों के लिए, जैसा कि संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से अवधारित किया गया था और अपने-अपने प्रतिकूल कब्जा भू-क्षेत्र सूचक मानचित्र (एपीएल मानचित्र) में, जिसे दिसम्बर, 2010 और अगस्त, 2011 के बीच दोनों देशों के भू-अभिलेख और सर्वेक्षण विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, पूर्णतया चित्रित किया गया था, जिनका पूर्णतया वर्णन नीचे खंड (क) से खंड (घ) में किया गया है, एक नियत सीमा के रूप में सीमा रेखा खींची जाएगी ।

सुसंगत सीमा पट्टी से मानचित्रों को मुद्रित किया जाएगा और उन पर पूर्णधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का अन्तरण एन्क्लेवों के आदान-प्रदान के साथ-साथ पूर्ण किया जाएगा । ऊपर वर्णित सूचक मानचित्रों में यथा चित्रित सीमा का अभ्यंकन निम्नानुसार होगा:

(क) पश्चिमी बंगाल सेक्टर

(i) बौसमारी-मधुगरी (कुशित्या-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 154/5-एस से 157/1-एस से होते हुए मथबंगा नदी के पुराने बहाव मार्ग के मध्य तक, जैसा कि 1962 के चकबंदी मानचित्र में चित्रित है एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी ।

(ii) अंधारकोटा (कुशित्या-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 152/5-एस से सीमा स्तंभ सं० 153/1-एस से होते हुए विद्यमान मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी ।

THE CONSTITUTION OF INDIA

(Appendix I)

(iii) *Pakuria (Kushtia-Nadia) area*

The boundary shall be drawn from existing Boundary Pillar No. 151/1-S to Boundary Pillar No. 152/2-S to follow the edge of River Mathabanga as jointly surveyed and agreed in June, 2011.

(iv) *Char Mahishkundi (Kushtia-Nadia) area*

The boundary shall be drawn from existing Boundary Pillar No. 153/1-S to Boundary Pillar No. 153/9-S to follow the edge of River Mathabanga as jointly surveyed and agreed in June, 2011.

(v) *Haripal/Khutadah/Battoli/Sapameri/LNpur (Patari) (Naogaon-Malda) area*

The boundary shall be drawn as line joining from existing Boundary Pillar No. 242/S/13, to Boundary Pillar No. 243/7-S/5 and as jointly surveyed and agreed in June, 2011.

(vi) *Berubari (Panchagarh-Jalpaiguri area)*

The boundary in the area Berubari (Panchagarh-Jalpaiguri) adversely held by Bangladesh, and Berubari and Singhapara-Khudipara (Panchagarh-Jalpaiguri), adversely held by India shall be drawn as jointly demarcated during 1996-1998.

(b) Meghalaya Sector

(i) *Lobachera-Nuncherra*

The boundary from existing Boundary Pillar No. 1315/4-S to Boundary Pillar No. 1315/15-S in Lailong - Balichera, Boundary Pillar No. 1316/1-S to Boundary Pillar No. 1316/11-S in Lailong- Noonchera, Boundary Pillar No. 1317 to Boundary Pillar No. 1317/13-S in Lailong- Lahiling and Boundary Pillar No. 1318/1-S to Boundary Pillar No. 1318/2-S in Lailong- Lobhachera shall be drawn to follow the edge of tea gardens as jointly surveyed and agreed in December, 2010.

(परिशिष्ट 1)

(iii) पकुरिया (कुशितिया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 151/1-एस से सीमा स्तंभ सं० 152/2-एस से होते हुए मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी ।

(iv) चार महिष्कुंडी (कुशितिया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 153/1-एस से सीमा स्तंभ सं० 153/9-एस से होते हुए मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी ।

(v) हरिपाल/खुतादाह/बटोली/सपामेरी/एलएन पुर (पटारी)
(नौगांव-मालदा) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 242/एस/13 से सीमा स्तंभ सं० 243/7-एस/5 को जोड़ने वाली रेखा के रूप में सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी ।

(vi) बेरुबाडी (पंचगढ़-जलपाईगुडी) क्षेत्र

बांग्लादेशी द्वारा प्रतिकूलतः धारित बेरुबाडी क्षेत्र (पंचगढ़-जलपाईगुडी) और भारत द्वारा प्रतिकूलतः धारित बेरुबाडी और सिंघपारा-खुडीपारा (पंचगढ़-जलपाईगुडी) में सीमा रेखा 1996-1998 के दौरान संयुक्त रूप से किए गए अभ्यंकन के अनुसार खींची जाएगी ।

(ख) मेघालय सेक्टर

(i) लोबाचेरा-नूनचेरा

लईलांग-बलिचेरा में विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 1315/4-एस से सीमा स्तंभ सं० 1315/15-एस तक लईलांग-नूनचेरा में सीमा स्तंभ सं० 1316/1-एस से सीमा स्तंभ सं० 1316/11-एस तक लईलांग-लहिलिंग में सीमा स्तंभ सं० 1317 से सीमा स्तंभ सं० 1317/13-एस तक और लईलांग-लुभाचेरा में सीमा स्तंभ सं० 1318/1-एस से सीमा स्तंभ सं० 1318/2-एस से होते हुए चाय बागानों के किनारे तक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि दिसम्बर, 2010 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी ।

THE CONSTITUTION OF INDIA**(Appendix I)****(ii) *Pyrdiwah/ Padua Area***

The boundary shall be drawn from existing Boundary Pillar No. 1270/1-S as per jointly surveyed and mutually agreed line till Boundary Pillar No. 1271/1-T. The Parties agree that the Indian Nationals from Pyrdiwah village shall be allowed to draw water from Piyang River near point No. 6 of the agreed Map.

(iii) *Lyngkhat Area***(aa) *Lyngkhat-I/Kulumcherra and Lyngkhat-II/ Kulumcherra***

The boundary shall be drawn from existing Boundary Pillar No. 1264/4-S to Boundary Pillar No. 1265 and BP No. 1265/6-S to 1265/9-S as per jointly surveyed and mutually agreed line.

(ab) *Lyngkhat-III/Sonarhat*

The boundary shall be drawn from existing Boundary Pillar No. 1266/13-S along the nallah southwards till it meets another nallah in the east-west direction, thereafter it shall run along the northern edge of the nallah in east till it meets the existing International Boundary north of Reference Pillar Nos. 1267/4-R-B and 1267/3-R-I.

(iv) *Dawki/Tamabil area*

The boundary shall be drawn by a straight line joining existing Boundary Pillar Nos. 1275/1-S to Boundary Pillar Nos. 1275/7-S. The Parties agree to fencing on 'zero line' in this area.

(परिशिष्ट 1)

(iii) पिरडीवाह/पडुआ क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 1270/1-एस से सीमा स्तंभ सं० 1271/1-टी तक, संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण और परस्पर सहमति अनुसार सीमा रेखा खींची जाएगी। पक्षकारों के बीच सहमति हुई है कि पिरडीवाह गांव से भारतीय राष्ट्रियों को उस मानचित्र के, जिस पर सहमति हुई है, बिन्दु सं० 6 के निकट पियांग नदी से पानी लेने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) लिंगखाट क्षेत्र

(कक) लिंगखाट-I / कुलुमचेरा और लिंगखाट-

II/कुलुमचेरा

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 1264/4-एस से सीमा स्तंभ सं० 1265 और सीमा स्तंभ सं० 1265/6-एस से सीमा स्तंभ सं० 1265/9-एस तक उस रेखा के अनुसार सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और परस्पर सहमति हुई थी।

(कख) लिंगखाट-III/सोनारहाट

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 1266/13-एस से दक्षिण दिशा के नाले के साथ-साथ वहां तक सीमा रेखा जहां तक वह पूर्व-पश्चिम दिशा में दूसरे नाले से मिलती है, खींची जाएगी उसके पश्चात् यह पूर्व दिशा में नाले के उत्तरी किनारे से होते हुए वहां तक चलेगी, जहां तक वह संदर्भ स्तंभ सं० 1267/4-आर. बी. और 1267/3-आर. आई के उत्तर में विद्यमान अन्तरराष्ट्रीय सीमा से मिलती है।

(iv) दावकी/तमाबिल क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 1275/1-एस से सीमा स्तंभ सं० 1275/7-एस को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा से सीमा रेखा खींची जाएगी। पक्षकार इस क्षेत्र में “शून्य रेखा” पर बाड़ लगाने पर सहमत हैं।

THE CONSTITUTION OF INDIA

(Appendix I)

(v) *Naljuri/Sreepur Area*

(aa) *Naljuri I*

The boundary shall be a line from the existing Boundary Pillar No. 1277/2-S in southern direction up to three plots as depicted in the strip Map No. 166 till it meets the nallah flowing from Boundary Pillar No. 1277/5-T, thereafter it will run along the western edge of the nallah in the southern direction up to 2 plots on the Bangladesh side, thereafter it shall run eastwards till it meets a line drawn in southern direction from Boundary Pillar No. 1277/4-S.

(ab) *Naljuri III*

The boundary shall be drawn by a straight line from existing Boundary Pillar No. 1278/2-S to Boundary Pillar No. 1279/ 3-S.

(vi) *Muktapur/ Dibir Hawor Area*

The Parties agree that the Indian Nationals shall be allowed to visit Kali Mandir and shall also be allowed to draw water and exercise fishing rights in the water body in the Muktapur / Dibir Hawor area from the bank of Muktapur side.

(c) Tripura Sector

Chandannagar-Champarai Tea Garden area in Tripura/ Moulvi Bazar sector

The boundary shall be drawn along Sonaraichhera river from existing Boundary Pillar No. 1904 to Boundary Pillar No. 1905 as surveyed jointly and agreed in July, 2011.

(परिशिष्ट 1)

(v) नलजूरी/श्रीपुर क्षेत्र

(कक) नलजूरी-I

सीमा रेखा दक्षिण दिशा में विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 1277/2-एस से पट्टी मानचित्र सं० 166 में यथा दर्शित तीन भू-खंडों तक वहां तक की एक ऐसी रेखा होगी जहां तक वह सीमा स्तंभ सं० 1277/5-टी से बहने वाले नाले से मिलती है तत्पश्चात् वह दक्षिण दिशा में नाले के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ बांग्लादेश की ओर के दो भू-खंडों तक चलेगी, तत्पश्चात् वह पूर्व की ओर वहां तक चलेगी जहां तक सीमा स्तंभ सं० 1277/4-एस से दक्षिण दिशा में खींची गई रेखा से मिलती है ।

(कख) नलजूरी-III

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 1278/2-एस से सीमा स्तंभ सं० 1279/3-एस तक सीमा रेखा एक सीधी रेखा के रूप में खींची जाएगी ।

(vi) मुक्तापुर / डिबिर हावोर क्षेत्र

पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि भारतीय राष्ट्रिकों को काली मंदिर जाने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें मुक्तापुर की ओर के तट से मुक्तापुर / डिबिर हावोर क्षेत्र में स्थित जलाशय से पानी लेने और मछली पकड़ने के अधिकारों का प्रयोग करने की भी अनुज्ञा दी जाएगी ।

(ग) त्रिपुरा सेक्टर

(i) त्रिपुरा/मौलवी बाजार सेक्टर में चन्दन नगर-चंपाराई चाय बागान क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 1904 से सीमा स्तंभ सं० 1905 तक सोनार चेरी नदी के साथ सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि जुलाई, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी ।

THE CONSTITUTION OF INDIA

(Appendix I)

(d) Assam Sector

(i) Kalabari (Boroibari) area in Assam sector

The boundary shall be drawn from existing Boundary Pillar No. 1066/24-T to Boundary Pillar No. 1067/16-T as surveyed jointly and agreed in August, 2011.

(ii) Pallathal area in Assam sector

The boundary shall be drawn from existing Boundary Pillar No. 1370/3-S to 1371/ 6-S to follow the outer edge of the tea garden and from Boundary Pillar No. 1372 to 1373/2-S along outer edge of the pan plantation.

III. LIST OF EXCHANGE OF ENCLAVES BETWEEN INDIA AND BANGLADESH IN PURSUANT TO ARTICLE 1 (12) OF THE AGREEMENT DATED 16TH MAY, 1974 AND THE PROTOCOL TO THE AGREEMENT DATED 6TH SEPTEMBER, 2011

A. EXCHANGEABLE INDIAN ENCLAVES IN BANGLADESH WITH AREA

Sl.	Name of Chhits	Chhit No.	Lying within Police station Bangladesh	Lying within Police station W. Bengal	Area in acres
1	2	3	4	5	6
<i>A. Enclaves with independent chhits</i>					
1.	Garati	75	Pochagar	Haldibari	58.23
2.	Garati	76	Pochagar	Haldibari	0.79
3.	Garati	77	Pochagar	Haldibari	18
4.	Garati	78	Pochagar	Haldibari	958.66
5.	Garati	79	Pochagar	Haldibari	1.74
6.	Garati	80	Pochagar	Haldibari	73.75
7.	Bingimari Part-I	73	Pochagar	Haldibari	6.07

(परिशिष्ट 1)

(घ) असम सेक्टर

(i) असम सेक्टर में कालाबाड़ी (बोरोईबारी) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 1066/24-टी से सीमा स्तंभ सं० 1067/16-टी तक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि अगस्त, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(ii) असम सेक्टर में पल्लाथाल क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 1370/3-एस से सीमा स्तंभ सं० 1371/6-एस से होते हुए चाय बागान के बाहरी किनारे से होते हुए पान बागान क्षेत्र के बाहरी किनारे के साथ-साथ सीमा स्तंभ सं० 1372 से 1373/2-एस तक सीमा रेखा खींची जाएगी।

III. तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 1(12) और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के करार के प्रोटोकाल के अनुसरण में भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेवों के आदान-प्रदान की सूची

अ. बांग्लादेश में के आदान-प्रदान योग्य भारतीय एन्क्लेव, क्षेत्रफल सहित

क्रम सं०	छिटों का नाम	छिट सं०	बांग्लादेश के पुलिस स्टेशन के भीतर स्थित	पश्चिमी बंगाल के पुलिस स्टेशन के भीतर स्थित	क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
क. स्वतंत्र छिटों वाले एन्क्लेव					
1.	गराटी	75	पोचागर	हल्दीबाड़ी	58.23
2.	गराटी	76	पोचागर	हल्दीबाड़ी	0.79
3.	गराटी	77	पोचागर	हल्दीबाड़ी	18
4.	गराटी	78	पोचागर	हल्दीबाड़ी	958.66
5.	गराटी	79	पोचागर	हल्दीबाड़ी	1.74
6.	गराटी	80	पोचागर	हल्दीबाड़ी	73.75
7.	बिंगीमारी भाग-I	73	पोचागर	हल्दीबाड़ी	6.07

(Appendix I)

1	2	3	4	5	6
8.	Nazirganja	41	Boda	Haldibari	58.32
9.	Nazirganja	42	Boda	Haldibari	434.29
10.	Nazirganja	44	Boda	Haldibari	53.47
11.	Nazirganja	45	Boda	Haldibari	1.07
12.	Nazirganja	46	Boda	Haldibari	17.95
13.	Nazirganja	47	Boda	Haldibari	3.89
14.	Nazirganja	48	Boda	Haldibari	73.27
15.	Nazirganja	49	Boda	Haldibari	49.05
16.	Nazirganja	50	Boda	Haldibari	5.05
17.	Nazirganja	51	Boda	Haldibari	0.77
18.	Nazirganja	52	Boda	Haldibari	1.04
19.	Nazirganja	53	Boda	Haldibari	1.02
20.	Nazirganja	54	Boda	Haldibari	3.87
21.	Nazirganja	55	Boda	Haldibari	12.18
22.	Nazirganja	56	Boda	Haldibari	54.04
23.	Nazirganja	57	Boda	Haldibari	8.27
24.	Nazirganja	58	Boda	Haldibari	14.22
25.	Nazirganja	60	Boda	Haldibari	0.52
26.	Putimari	59	Boda	Haldibari	122.8
27.	Daikhata Chhat	38	Boda	Haldibari	499.21
28.	Salbari	37	Boda	Haldibari	1188.93
29.	Kajal Dighi	36	Boda	Haldibari	771.44
30.	Nataktoka	32	Boda	Haldibari	162.26
31.	Nataktoka	33	Boda	Haldibari	0.26
32.	Beuladanga Chhat	35	Boda	Haldibari	0.83
33.	Balapara Iagrabar	3	Debiganj	Haldibari	1752.44
34.	Bara Khankikharija Citaldaha	30	Dimla	Haldibari	7.71

भारत का संविधान
(परिशिष्ट 1)

360

1	2	3	4	5	6
8.	नजीरगंज	41	बोडा	हल्दीबाड़ी	58.32
9.	नजीरगंज	42	बोडा	हल्दीबाड़ी	434.29
10.	नजीरगंज	44	बोडा	हल्दीबाड़ी	53.47
11.	नजीरगंज	45	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.07
12.	नजीरगंज	46	बोडा	हल्दीबाड़ी	17.95
13.	नजीरगंज	47	बोडा	हल्दीबाड़ी	3.89
14.	नजीरगंज	48	बोडा	हल्दीबाड़ी	73.27
15.	नजीरगंज	49	बोडा	हल्दीबाड़ी	49.05
16.	नजीरगंज	50	बोडा	हल्दीबाड़ी	5.05
17.	नजीरगंज	51	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.77
18.	नजीरगंज	52	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.04
19.	नजीरगंज	53	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.02
20.	नजीरगंज	54	बोडा	हल्दीबाड़ी	3.87
21.	नजीरगंज	55	बोडा	हल्दीबाड़ी	12.18
22.	नजीरगंज	56	बोडा	हल्दीबाड़ी	54.04
23.	नजीरगंज	57	बोडा	हल्दीबाड़ी	8.27
24.	नजीरगंज	58	बोडा	हल्दीबाड़ी	14.22
25.	नजीरगंज	60	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.52
26.	पुटीमारी	59	बोडा	हल्दीबाड़ी	122.8
27.	दैखाता छट	38	बोडा	हल्दीबाड़ी	499.21
28.	सल्बरी	37	बोडा	हल्दीबाड़ी	1188.93
29.	काजल दिघी	36	बोडा	हल्दीबाड़ी	771.44
30.	नटकटोका	32	बोडा	हल्दीबाड़ी	162.26
31.	नटकटोका	33	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.26
32.	बेउलाडांगा छट	35	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.83
33.	बलापारा इगराबार	3	देबीगंज	हल्दीबाड़ी	1752.44
34.	बला खनकिखरीजा सितलदहा	30	डिमला	हल्दीबाड़ी	7.71

(Appendix I)

1	2	3	4	5	6
35.	Bara Khankikharija Citaldaha	29	Dimla	Haldibari	36.83
36.	Barakhangir	28	Dimla	Haldibari	30.53
37.	Nagarjikobari	31	Dimla	Haldibari	33.41
38.	Kuchlibari	26	Patgram	Mekliganj	5.78
39.	Kuchlibari	27	Patgram	Mekliganj	2.04
40.	Bara Kuchlibari	Fragment of J.L.107 of P.S Mekliganj	Patgram	Mekliganj	4.35
41.	Jamaldaha- Balapukhari	6	Patgram	Mekliganj	5.24
42.	Uponchowki kuchlibari	115/2	Patgram	Mekliganj	0.32
43.	Uponchowki kuchlibari	7	Patgram	Mekliganj	44.04
44.	Bhothnri	11	Patgram	Mekliganj	36.83
45.	Balapukhari	5	Patgram	Mekliganj	55.91
46.	Bara Khangir	4	Patgram	Mekliganj	50.51
47.	Bara Khangir	9	Patgram	Mekliganj	87.42
48.	Chhat Bogdokra	10	Patgram	Mekliganj	41.7
49.	Ratanpur	11	Patgram	Mekliganj	58.91
50.	Bogdokra	12	Patgram	Mekliganj	25.49
51.	Fulker Dabri	Fragment of J.L. 107 of P.S Mekliganj	Patgram	Mekliganj	0.88

(परिशिष्ट 1)

1	2	3	4	5	6
35.	बला खनकिखरीजा सितलदहा	29	डिमला	हल्दीबाड़ी	36.83
36.	बराखनगीर	28	डिमला	हल्दीबाड़ी	30.53
37.	नगरजीकोबरी	31	डिमला	हल्दीबाड़ी	33.41
38.	कुचलीबारी	26	पटग्राम	मेकलीगंज	5.78
39.	कुचलीबारी	27	पटग्राम	मेकलीगंज	2.04
40.	बरा कुचलीबारी	थाना मेकलीगंज के जे०एल० 107 का अपखंड	पटग्राम	मेकलीगंज	4.35
41.	जमालोहा- बेलापुखारी	6	पटग्राम	मेकलीगंज	5.24
42.	उपनचौकी कुचलीबारी	115/2	पटग्राम	मेकलीगंज	0.32
43.	उपनचौकी कुचलीबारी	7	पटग्राम	मेकलीगंज	44.04
44.	भोथनरी	11	पटग्राम	मेकलीगंज	36.83
45.	बालापुखारी	5	पटग्राम	मेकलीगंज	55.91
46.	बाराखानगीर	4	पटग्राम	मेकलीगंज	50.51
47.	बाराखानगीर	9	पटग्राम	मेकलीगंज	87.42
48.	छठ बोगडोकरा	10	पटग्राम	मेकलीगंज	41.7
49.	रतनपुर	11	पटग्राम	मेकलीगंज	58.91
50.	बोगडोकरा	12	पटग्राम	मेकलीगंज	25.49
51.	पुलकर डाबरी	थाना मेकलीगंज के जे०एल० 107 का अपखंड	पटग्राम	मेकलीगंज	0.88

(Appendix I)

1	2	3	4	5	6
52.	Kharkharia	15	Patgram	Mekliganj	60.74
53.	Kharkharia	13	Patgram	Mekliganj	51.62
54.	Lotamari	14	Patgram	Mekliganj	110.92
55.	Bhotbari	16	Patgram	Mekliganj	205.46
56.	Komat	16A	Patgram	Mekliganj	42.8
	Changrabandha				
57.	Komat	17A	Patgram	Mekliganj	16.01
	Changrabandha				
58.	Panisala	17	Patgram	Mekliganj	137.66
59.	Dwarikamari	18	Patgram	Mekliganj	36.5
	Khasbash				
60.	Panisala	153/P	Patgram	Mekliganj	0.27
61.	Panisala	153/O	Patgram	Mekliganj	18.01
62.	Panisala	19	Patgram	Mekliganj	64.63
63.	Panisala	21	Patgram	Mekliganj	51.4
64.	Lotamari	20	Patgram	Mekliganj	283.53
65.	Lotamari	22	Patgram	Mekliganj	98.85
66.	Dwarikamari	23	Patgram	Mekliganj	39.52
67.	Dwarikamari	25	Patgram	Mekliganj	45.73
68.	Chhat Bhothat	24	Patgram	Mekliganj	56.11
69.	Baakata	131	Patgram	Hathabhanga	22.35
70.	Baakata	132	Patgram	Hathabhanga	11.96
71.	Baakata	130	Patgram	Hathibhanga	20.48
72.	Bhogramguri	133	Patgram	Hathibhanga	1.44
73.	Chenakata	134	Patgram	Mekliganj	7.81
74.	Banskata	119	Patgram	Mathabhanga	413.81
75.	Banskata	120	Patgram	Mathabhanga	30.75
76.	Banskata	121	Patgram	Mathabhanga	12.15
77.	Banskata	113	Patgram	Mathabhanga	57.86
78.	Banskata	112	Patgram	Mathabhanga	315.04
79.	Banskata	114	Patgram	Mathabhanga	0.77

भारत का संविधान
(परिशिष्ट 1)

362

1	2	3	4	5	6
52.	खरखरीया	15	पटग्राम	मेकलीगंज	60.74
53.	खरखरीया	13	पटग्राम	मेकलीगंज	51.62
54.	लोटामारी	14	पटग्राम	मेकलीगंज	110.92
55.	भूतबारी	16	पटग्राम	मेकलीगंज	205.46
56.	कोमट चांगबधा	16ए	पटग्राम	मेकलीगंज	42.8
57.	कोमट चांगबधा	17ए	पटग्राम	मेकलीगंज	16.01
58.	पनीसाला	17	पटग्राम	मेकलीगंज	137.66
59.	द्वारिकामारी	18	पटग्राम	मेकलीगंज	36.5
	खासबाश				
60.	पनीसाला	153/पी	पटग्राम	मेकलीगंज	0.27
61.	पनीसाला	153/ओ	पटग्राम	मेकलीगंज	18.01
62.	पनीसाला	19	पटग्राम	मेकलीगंज	64.63
63.	पनीसाला	21	पटग्राम	मेकलीगंज	51.4
64.	लोटामारी	20	पटग्राम	मेकलीगंज	283.53
65.	लोटामारी	22	पटग्राम	मेकलीगंज	98.85
66.	द्वारिकामारी	23	पटग्राम	मेकलीगंज	39.52
67.	द्वारिकामारी	25	पटग्राम	मेकलीगंज	45.73
68.	छट भोथाट	24	पटग्राम	मेकलीगंज	56.11
69.	बाकाटा	131	पटग्राम	हथभंगा	22.35
70.	बाकाटा	132	पटग्राम	हथभंगा	11.96
71.	बाकाटा	130	पटग्राम	हथभंगा	20.48
72.	भोग्रामगुरी	133	पटग्राम	हथभंगा	1.44
73.	चेनाकाटा	134	पटग्राम	मेकलीगंज	7.81
74.	बांसकाटा	119	पटग्राम	मथबंगा	413.81
75.	बांसकाटा	120	पटग्राम	मथबंगा	30.75
76.	बांसकाटा	121	पटग्राम	मथबंगा	12.15
77.	बांसकाटा	113	पटग्राम	मथबंगा	57.86
78.	बांसकाटा	112	पटग्राम	मथबंगा	315.04
79.	बांसकाटा	114	पटग्राम	मथबंगा	0.77

(Appendix I)

1	2	3	4	5	6
80.	Banskata	115	Patgram	Mathabanga	29.2
81.	Banskata	122	Patgram	Mathabanga	33.22
82.	Banskata	127	Patgram	Mathabanga	12.72
83.	Banskata	128	Patgram	Mathabanga	2.33
84.	Banskata	117	Patgram	Mathabanga	2.55
85.	Banskata	118	Patgram	Mathabanga	30.98
86.	Banskata	125	Patgram	Mathabanga	0.64
87.	Banskata	126	Patgram	Mathabanga	1.39
88.	Banskata	129	Patgram	Mathabanga	1.37
89.	Banskata	116	Patgram	Mathabanga	16.96
90.	Banskata	123	Patgram	Mathabanga	24.37
91.	Banskata	124	Patgram	Mathabanga	0.28
92.	Gotamari Chhit	135	Hatibandha	Sitalkuchi	126.59
93.	Gotamari Chhit	136	Hatibandha	Sitalkuchi	20.02
94.	Banapachai	151	Lalmonirhat	Dinhata	217.29
95.	Banapachai Bhitarkuthi	152	Lalmonirhat	Dinhata	81.71
96.	Dasiar Chhara	150	Fulbari	Dinhata	1643.44
97.	Dakurhat- Dakinirkuthi	156	Kurigram	Dinhata	14.27
98.	Kalamati	141	Bhurungamari	Dinhata	21.21
99.	Bhahobganj	153	Bhurungamari	Dinhata	31.58
100.	Baotikursa	142	Bhurungamari	Dinhata	45.63
101.	Bara Coachulka	143	Bhurungamari	Dinhata	39.99
102.	Gaochulka II	147	Bhurungamari	Dinhata	0.9
103.	Gaochulka I	146	Bhurungamari	Dinhata	8.92
104.	Dighaltari II	145	Bhurungamari	Dinhata	8.81
105.	Dighaltari I	144	Bhurungamari	Dinhata	12.31
106.	Chhoto Garaljhora II	149	Bhurungamari	Dinhata	17.85

भारत का संविधान
(परिशिष्ट 1)

363

1	2	3	4	5	6
80.	बांसकाटा	115	पटग्राम	मथबंगा	29.2
81.	बांसकाटा	122	पटग्राम	मथबंगा	33.22
82.	बांसकाटा	127	पटग्राम	मथबंगा	12.72
83.	बांसकाटा	128	पटग्राम	मथबंगा	2.33
84.	बांसकाटा	117	पटग्राम	मथबंगा	2.55
85.	बांसकाटा	118	पटग्राम	मथबंगा	30.98
86.	बांसकाटा	125	पटग्राम	मथबंगा	0.64
87.	बांसकाटा	126	पटग्राम	मथबंगा	1.39
88.	बांसकाटा	129	पटग्राम	मथबंगा	1.37
89.	बांसकाटा	116	पटग्राम	मथबंगा	16.96
90.	बांसकाटा	123	पटग्राम	मथबंगा	24.37
91.	बांसकाटा	124	पटग्राम	मथबंगा	0.28
92.	गोटामारी छिट	135	हातिबंघा	सितलकुची	126.59
93.	गोटामारी छिट	136	हातिबंघा	सितलकुची	20.02
94.	बनापचाई	151	लालमोनिरहाट	दिनहाटा	217.29
95.	बनापचाई	152	लालमोनिरहाट	दिनहाटा	81.71
	भीतरकुथी				
96.	दसिआर छारा	150	फुलबारी	दिनहाटा	1643.44
97.	दकुरहाट- दकिनिरकुथी	156	कुरीग्राम	दिनहाटा	14.27
98.	कलामती	141	भुंगामारी	दिनहाटा	21.21
99.	भाहोबगंज	153	भुंगामारी	दिनहाटा	31.58
100.	बाओतिकुरसा	142	भुंगामारी	दिनहाटा	45.63
101.	बरा कोआचुल्का	143	भुंगामारी	दिनहाटा	39.99
102.	गावचुल्का II	147	भुंगामारी	दिनहाटा	0.9
103.	गावचुल्का I	146	भुंगामारी	दिनहाटा	8.92
104.	दिघालतरी II	145	भुंगामारी	दिनहाटा	8.81
105.	दिघालतरी I	144	भुंगामारी	दिनहाटा	12.31
106.	छोटूगरलझोरा II	149	भुंगामारी	दिनहाटा	17.85

(Appendix I)

1	2	3	4	5	6
107.	Chhoto Garaljhora I	148	Bhurungamari	Dinhata	35.74
108.	1 chhit* without name & JL No. at the southern and of JL No. 38 & southern and of JL No. 39 (locally known as Ashokabari*)		Patgram	Mathabhanga	3.5
<i>Enclaves with Fragmented Chhits</i>					
109.	(i) Bewladanga	34	Haldibari	Boda	862.46
	(ii) Bewladanga	Fragment	Haldibari	Debiganj	
110.	(i) Kotbhajni	2	Haldibari	Debiganj	2012.27
	(ii) Kotbhajni	Fragment	Haldibari	Debiganj	
	(iii) Kotbhajni	Fragment	Haldibari	Debiganj	
	(iv) Kotbhajni	Fragment	Haldibari	Debiganj	
111.	(i) Dahala	Khagrabari	Haldibari	Debiganj	2650.35
	(ii) Dahala	Fragment	Haldibari	Debiganj	
	(iii) Dahala	Fragment	Haldibari	Debiganj	
	(iv) Dahala	Fragment	Haldibari	Debiganj	

* Corrected *vide* 150th (54th) India-Bangladesh Boundary Conference held at Kolkata from 29th September to 2nd October, 2002.

** Corrected *vide* 152nd (56th) India-Bangladesh Boundary Conference held at Kochbihar, India from 18th—20th September, 2003.

(परिशिष्ट 1)

1	2	3	4	5	6
107.	छोटू गरलझोरा I	148	भुरुंगामारी	दिनहाटा	35.74
108.	जे०एल० सं० 38 के दक्षिणी छोर और जे०एल० सं० 39 के दक्षिणी छोर पर बिना नाम और जे०एल० सं० का 1 छिट* (स्थानीय रूप से अशोकाबाड़ी** के रूप में ज्ञात)	157	पटग्राम	मथभंगा	3.5
ख. अपखंड छिट वाले एन्क्लेव					
109	(i) बेवलाडांगा	34	हल्दीबाड़ी	बोडा	862.46
	(ii) बेवलाडांगा	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
110.	(i) कोतभाजनी	2	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	2012.27
	(ii) कोतभाजनी	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(iii) कोतभाजनी	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(iv) कोतभाजनी	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
111.	(i) दहाला	खागराबारी	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	2650.35
	(ii) दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(iii) दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(iv) दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	

* 29 सितम्बर, 2002 से 2 अक्टूबर, 2002 तक कोलकाता में आयोजित एक सौ पचासवें (चौवनवें) भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन द्वारा संशोधित ।

** 18 सितम्बर, 2003 से 20 सितम्बर, 2003 तक कूच बिहार (भारत) में आयोजित एक सौ बावनवें (छप्पनवें) भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन द्वारा संशोधित ।

THE CONSTITUTION OF INDIA

(Appendix I)

1	2	3	4	5	6
	(v) Dahala	Fragment	Haldibari	Debiganj	
	(vi) Dahala	Fragment	Haldibari	Debiganj	
					17160.63

The above given details of enclaves have been jointly compared and reconciled with records held by India and Bangladesh during the Indo-Bangladesh Conference held at Calcutta during 9th—12th October, 1996 as well as during joint field inspection at Jalpaiguri (West Bengal) Panchagarh (Bangladesh) sector during 21—24 November, 1996.

Note: Name of enclave in Sl. No. 108 above has been identified as Ashokabari by joint ground verification during field season 1996-97.

Brig. J.R. Peter
Director Land Records & Survey
(*Ex-Officio*) West Bengal, India &
Director, Eastern Circle Survey of
India, Calcutta.

Md. Shafi Uddin
Director-General, Land Records
and Surveys, Bangladesh.

B. EXCHANGEABLE BANGLADESH ENCLAVES IN INDIA WITH AREA

Sl. No.	Name of Chhits	Lying within Police station W. Bengal	Lying within Police station Bangladesh	J.L. No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
<i>A. Enclaves with independent chhits</i>					
1.	Chhit Kuchlibari	Mekliganj	Patgram	22	370.64
2.	Chhit Land of Kuchlibari	Mekliganj	Patgram	24	1.83
3.	Balapukhari	Mekliganj	Patgram	21	331.64
4.	Chhit Land of Panbari No. 2	Mekliganj	Patgram	20	1.13

(परिशिष्ट 1)

1	2	3	4	5	6
	(v) दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(vi) दहाला	अपखंड	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
					17160.63

एन्क्लेवों के उपरोक्त ब्यौरों का 9 अक्टूबर, 1996 से 12 अक्टूबर, 1996 के दौरान कलकत्ता में आयोजित भारत-बांग्लादेश सम्मेलन के दौरान और साथ ही 21 नवम्बर, 1996 से 24 नवम्बर, 1996 के दौरान जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल)-पांचागढ़ (बांग्लादेश) सेक्टर में संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण के दौरान भी भारत और बांग्लादेश द्वारा धारित अभिलेखों से संयुक्त रूप से मिलान किया गया है और उन्हें समाधानप्रद बनाया गया है।

टिप्पण : क्षेत्र सीमन काल 1996-97 के दौरान संयुक्त भूमि सत्यापन द्वारा उपर्युक्त क्रम सं० 108 के एन्क्लेव के नाम की अशोकाबाड़ी एन्क्लेव के रूप में पहचान की गई।

बिग्रेडियर जे०आर० पीटर
निदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण
(पदेन), पश्चिमी बंगाल, भारत
और निदेशक, पूर्वी क्षेत्र
भारतीय सर्वेक्षण, कलकत्ता

मो० शफी उद्दीन
महानिदेशक, भू-अभिलेख और
सर्वेक्षण, बांग्लादेश

आ. भारत में के आदान-प्रदान योग्य बांग्लादेश एन्क्लेव, क्षेत्रफल सहित

क्रम सं०	छिटों का नाम	पश्चिमी बंगाल के पुलिस स्टेशन के भीतर स्थित	बांग्लादेश के पुलिस स्टेशन के भीतर स्थित	जे०एल० सं०	क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
क. स्वतंत्र छिटों वाले एन्क्लेव					
1.	छिट कुचलीबारी	मेकलीगंज	पटग्राम	22	370.64
2.	कुचलीबारी की भूमि	मेकलीगंज	पटग्राम	24	1.83
3.	बालापुरखारी	मेकलीगंज	पटग्राम	21	331.64
4.	पनबारी सं० 2 की छिट भूमि	मेकलीगंज	पटग्राम	20	1.13

(Appendix I)

1	2	3	4	5	6
5.	Chhit Panbari	Mekliganj	Patgram	18	108.59
6.	Dhabalsati Mirgipur	Mekliganj	Patgram	15	173.88
7.	Bamandal	Mekliganj	Patgram	11	2.24
8.	Chhit Dhabalsati	Mekliganj	Patgram	14	66.58
9.	Dhabalsati	Mekliganj	Patgram	13	60.45
10.	Srirampur	Mekliganj	Patgram	8	1.05
11.	Jote Nijjama	Mekliganj	Patgram	3	87.54
12.	Chhit Land of Jagatber No. 3	Mathabhanga	Patgram	37	69.84
13.	Chhit Land of Jagatber No. 1	Mathabhanga	Patgram	35	30.66
14.	Chhit Land of Jagatber No. 2	Mathabhanga	Patgram	36	27.09
15.	Chhit Kokoabari	Mathabhanga	Patgram	47	29.49
16.	Chhit Bhandardaha	Mathabhanga	Patgram	67	39.96
17.	Dhabalguri	Mathabhanga	Patgram	52	12.5
18.	Chhit Dhabalguri	Mathabhanga	Patgram	53	22.31
19.	Chhit Land of Dhabalguri No. 3	Mathabhanga	Patgram	70	1.33
20.	Chhit Land of Dhabalguri No. 4	Mathabhanga	Patgram	71	4.55
21.	Chhit Land of Dhabalguri No. 5	Mathabhanga	Patgram	72	4.12
22.	Chhit Land of Dhabalguri No. 1	Mathabhanga	Patgram	68	26.83
23.	Chhit Land of Dhabalguri No. 2	Mathabhanga	Patgram	69	13.95
24.	Mahishmari	Sitalkuchi	Patgram	54	122.77
25.	Bura Saradubi	Sitalkuchi	Hatibandha	13	34.96

(परिशिष्ट 1)

1	2	3	4	5	6
5.	छिट पनबारी	मेकलीगंज	पटग्राम	18	108.59
6.	धाबलसाती मिर्गीपुर	मेकलीगंज	पटग्राम	15	173.88
7.	बामनदल	मेकलीगंज	पटग्राम	11	2.24
8.	छिट धाबलसाती	मेकलीगंज	पटग्राम	14	66.58
9.	धाबलसाती	मेकलीगंज	पटग्राम	13	60.45
10.	श्रीरामपुर	मेकलीगंज	पटग्राम	8	1.05
11.	जोते निज्जमा	मेकलीगंज	पटग्राम	3	87.54
12.	जगतबेर सं० 3 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	37	69.84
13.	जगतबेर सं० 1 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	35	30.66
14.	जगतबेर सं० 2 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	36	27.09
15.	छिट कोकोआबारी	मथबंगा	पटग्राम	47	29.49
16.	छिट भंदारदाहा	मथबंगा	पटग्राम	67	39.96
17.	धाबलगुड़ी	मथबंगा	पटग्राम	52	12.5
18.	छिट धाबलगुड़ी	मथबंगा	पटग्राम	53	22.31
19.	धाबलगुड़ी सं० 3 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	70	1.33
20.	धाबलगुड़ी सं० 4 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	71	4.55
21.	धाबलगुड़ी सं० 5 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	72	4.12
22.	धाबलगुड़ी सं० 1 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	68	26.83
23.	धाबलगुड़ी सं० 2 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	69	13.95
24.	महिशमारी	सितलकुची	पटग्राम	54	122.77
25.	बुरा सराडुबी	सितलकुची	हातिबंघा	13	34.96

(Appendix I)

1	2	3	4	5	6
26.	Falnapur	Sitalkuchi	Patgram	64	505.56
27.	Amjhol	Sitalkuchi	Hatibandha	57	1.25
28.	Kismat Batrigachh	Dinhata	Kaliganj	82	209.95
29.	Durgapur	Dinhata	Kaliganj	83	20.96
30.	Bansua Khamar Gitaldaha	Dinhata	Lalmonirhat	1	24.54
31.	Poaturkuthi	Dinhata	Lalmonirhat	37	589.94
32.	Paschim Bakalir Chhara	Dinhata	Bhurungamari	38	151.98
33.	Madhya Bakalir Chhara	Dinhata	Bhurungamari	39	32.72
34.	Purba Bakalir Chhara	Dinhata	Bhurungamari	40	12.23
35.	Madhya Masaldanga	Dinhata	Bhurungamari	3	136.66
36.	Madhya Chhit Masaldanga	Dinhata	Bhurungamari	8	11.87
37.	Paschim Chhit Masaldanga	Dinhata	Bhurungamari	7	7.6
38.	Uttar Masaldanga	Dinhata	Bhurungamari	2	27.29
39.	Kachua	Dinhata	Bhurungamari	5	119.74
40.	Uttar Bansjani	Tufanganj	Bhurungamari	1	47.17
41.	Chhat Tilai	Tufanganj	Bhurungamari	17	81.56
<i>B. Enclaves with Fragmented Chhits</i>					
42.	(i) Nalgram	Sitalkuchi	Patgarm	65	1397.34
	(ii) Nalgram (Fragment)	Sitalkuchi	Patgarm	65	
	(iii) Nalgram (Fragment)	Sitalkuchi	Patgarm	65	

भारत का संविधान
(परिशिष्ट 1)

367

1	2	3	4	5	6
26.	फलनापुर	सितलकुची	पटग्राम	64	506.56
27.	अमझोल	सितलकुची	हातिबंधा	57	1.25
28.	किसमत भातरीगाछ	दिनहाटा	कालीगंज	82	209.95
29.	दुर्गापुर	दिनहाटा	कालीगंज	83	20.96
30.	बंसुआ खामर गितालदाहा	दिनहाटा	लालमोनिरहाट	1	24.54
31.	पाओतुकुथी	दिनहाटा	लालमोनिरहाट	37	589.94
32.	पश्चिम बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुंगामारी	38	151.98
33.	मध्य बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुंगामारी	39	32.72
34.	पूरबा बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुंगामारी	40	12.23
35.	मध्य मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	3	136.66
36.	मध्य छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	8	11.87
37.	पश्चिम छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	7	7.6
38.	उत्तर मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	2	27.29
39.	कचुआ	दिनहाटा	भुंगामारी	5	119.74
40.	उत्तर बंसजानी	तूफानगंज	भुंगामारी	1	47.17
41.	छत तिलाई	तूफानगंज	भुंगामारी	17	81.56
ख. अपखंड छिट वाले एन्क्लेव					
42.	(i) नलग्राम	सितलकुची	पटग्राम	65	1397.34
	(ii) नलग्राम (अपखंड)	सितलकुची	पटग्राम	65	
	(iii) नलग्राम (अपखंड)	सितलकुची	पटग्राम	65	

(Appendix I)

1	2	3	4	5	6
43.	(i) Chhit Nalgram	Sitalkuchi	Patgarm	66	49.5
	(ii) Chhit Nalgram (Fragment)	Sitalkuchi	Patgarm	66	
44.	(i) Batrigachh	Dinhata	Kaliganj	81	577.37
	(ii) Batrigachh (Fragment)	Dinhata	Kaliganj	81	
	(iii) Batrigachh (Fragment)	Dinhata	Phulbari	9	
45.	(i) Karala	Dinhata	Phulbari	9	269.91
	(ii) Karala (fragment)	Dinhata	Phulbari	9	
	(iii) Karala (fragment)	Dinhata	Phulbari	8	
46.	(i) Sipprasad Mustati	Dinhata	Phulbari	8	373.2
	(ii) Sipprasad Mustati (Fragment)	Dinhata	Phulbari	6	
47.	(i) Dakshin Masaldanga	Dinhata	Bhurungamari	6	571.38
	(ii) Dakshin Masaldanga (Fragment)	Dinhata	Bhurungamari	6	
	(iii) Dakshin Masaldanga (Fragment)	Dinhata	Bhurungamari	6	
	(iv) Dakshin Masaldanga (Fragment)	Dinhata	Bhurungamari	6	
	(v) Dakshin Masaldanga (Fragment)	Dinhata	Bhurungamari	6	
	(vi) Dakshin Masaldanga (Fragment)	Dinhata	Bhurungamari	6	

भारत का संविधान
(परिशिष्ट 1)

368

1	2	3	4	5	6
43.	(i) छिट नलग्राम	सितलकुची	पटग्राम	66	49.5
	(ii) छिट नलग्राम (अपखंड)	सितलकुची	पटग्राम	66	
44.	(i) बतरीगाछ	दिनहाटा	कालीगंज	81	577.37
	(ii) बतरीगाछ (अपखंड)	दिनहाटा	कालीगंज	81	
	(iii) बतरीगाछ (अपखंड)	दिनहाटा	फुलबारी	9	
45.	(i) कराला	दिनहाटा	फुलबारी	9	269.91
	(ii) कराला (अपखंड)	दिनहाटा	फुलबारी	9	
	(iii) कराला (अपखंड)	दिनहाटा	फुलबारी	8	
46.	(i) सिबप्रसाद मुस्तती	दिनहाटा	फुलबारी	8	373.2
	(ii) सिबप्रसाद मुस्तती (अपखंड)	दिनहाटा	फुलबारी	6	
47.	(i) दक्षिण मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	6	571.38
	(ii) दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	6	
	(iii) दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	6	
	(iv) दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	6	
	(v) दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	6	
	(vi) दक्षिण मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	6	

THE CONSTITUTION OF INDIA

(Appendix I)

1	2	3	4	5	6
48.	(i) Paschim Masaldanga	Dinhata	Bhurungamari	4	29.49
	(ii) Paschim Masaldanga (Fragment)	Dinhata	Bhurungamari	4	
49.	(i) Purba Chhit Masaldanga	Dinhata	Bhurungamari	10	35.01
	(ii) Purba Chhit Masaldanga (Fragment)	Dinhata	Bhurungamari	10	
50.	(i) Purba Masaldanga	Dinhata	Bhurungamari	11	153.89
	(ii) Purba Masaldanga (Fragment)	Dinhata	Bhurungamari	11	
51.	(i) Uttar Dhalidanga	Tufanganj	Bhurungamari	14	24.98
	(ii) Uttar Dhalidanga (Fragment)	Tufanganj	Bhurungamari	14	
	(iii) Uttar Dhalidanga (Fragment)	Tufanganj	Bhurungamari	14	
Total Area					7,110.02

The above given details of enclaves have been jointly compared and reconciled with records held by India and Bangladesh during the Indo-Bangladesh Conference held at Calcutta during 9th—12th October, 1996 as well as during joint field inspection at Jalpaiguri (West Bengal) – Panchagarh (Bangladesh) sector during 21—24 November, 1996.

Brig. J.R. Peter
 Director Land Records & Survey
 (*Ex officio*) West Bengal, India &
 Director, Eastern Circle Survey of
 India, Calcutta.

Md. Shafi Uddin
 Director General, Land Records
 and Surveys, Bangladesh.

(परिशिष्ट 1)

1	2	3	4	5	6
48.	(i) पश्चिम मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	4	29.49
	(ii) पश्चिम मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	4	
49.	(i) पूरबा छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	10	35.01
	(ii) पूरबा छिट मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	10	
50.	(i) पूरबा मसालडांगा	दिनहाटा	भुंगामारी	11	153.89
	(ii) पूरबा मसालडांगा (अपखंड)	दिनहाटा	भुंगामारी	11	
51.	(i) उत्तर धालडांगा	तूफानगंज	भुंगामारी	14	24.98
	(ii) उत्तर धालडांगा (अपखंड)	तूफानगंज	भुंगामारी	14	
	(iii) उत्तर धालडांगा (अपखंड)	तूफानगंज	भुंगामारी	14	
कुल क्षेत्र				7,110.02	

एन्क्लेवों के उपरोक्त ब्यौरों का 9 अक्टूबर, 1996 से 12 अक्टूबर, 1996 के दौरान कलकत्ता में आयोजित भारत-बांग्लादेश सम्मेलन के दौरान और साथ ही 21 नवम्बर, 1996 से 24 नवम्बर, 1996 के दौरान जलपाईगुडी (पश्चिमी बंगाल)-पांचागढ़ (बांग्लादेश) सेक्टर में संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण के दौरान भी भारत और बांग्लादेश द्वारा धारित अभिलेखों से संयुक्त रूप से मिलान किया गया है और उन्हें समाधानप्रद बनाया गया है ।

बिग्रेडियर जे०आर० पीटर
निदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण
(पदेन) पश्चिमी बंगाल, भारत
और निदेशक, पूर्वी क्षेत्र
भारतीय सर्वेक्षण, कलकत्ता ।

मो० शफी उद्दीन
महानिदेशक, भू-अभिलेख और
सर्वेक्षण, बांग्लादेश ।

APPENDIX II

¹THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) ORDER, 2019

C.O. 272

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019.

(2) It shall come into force at once, and shall thereupon supersede the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 as amended from time to time.

2. All the provisions of the Constitution, as amended from time to time, shall apply in relation to the State of Jammu and Kashmir and the exceptions and modifications subject to which they shall so apply shall be as follows:—

To article 367, there shall be added the following clause, namely:—

“(4) For the purposes of this Constitution as it applies in relation to the State of Jammu and Kashmir—

(a) references to this Constitution or to the provisions thereof shall be construed as references to the Constitution or the provisions thereof as applied in relation to the said State;

(b) references to the person for the time being recognized by the President on the recommendation of the Legislative Assembly of the State as the *Sadar-i-Riyasat* of Jammu and Kashmir, acting on the advice of the Council of Ministers of the State for the time being in office, shall be construed as references to the Governor of Jammu and Kashmir;

(c) references to the Government of the said State shall be construed as including references to the Governor of Jammu and Kashmir acting on the advice of his Council of Ministers; and

(d) in proviso to clause (3) of article 370 of this Constitution, the expression “Constituent Assembly of the State referred to in clause (2)” shall read “Legislative Assembly of the State”.”

1. Published with the Ministry of Law and Justice, (Legislative Department) notification No. G.S.R. 551 (E), dated the 5th August, 2019, Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i).

परिशिष्ट 2

संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019

सं०आ० 272

संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते हैं,—

1. (1) इस आदेश नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा और इसके बाद यह समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 का अधिक्रमण करेगा ।

2. समय-समय पर यथा संशोधित संविधान के सभी उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और जिन अपवादों और आशोधनों के अधीन ये लागू होंगे निम्न प्रकार होंगे:—

अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

“(4) संविधान, जहां तक यह जम्मू-कश्मीर के संबंध में लागू हैं, के प्रयोजनों के लिए—

(क) इस संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्य के संबंध में यथा लागू संविधान और उसके उपबंधों का निर्देश माना जाएगा ;

(ख) जिस व्यक्ति को राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत, जो तत्स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्री-परिषद् की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, के रूप में तत्स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिए निर्देशों को जम्मू-कश्मीर के राजपाल के लिए निर्देश माना जाएगा ;

(ग) उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्री-परिषद् की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू-कश्मीर के राजपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा ; तथा

(घ) इस संविधान के अनुच्छेद 370 के परन्तुक में “खंड (2) में उल्लिखित राज्य की संविधान सभा” अभिव्यक्ति को “राज्य की विधान सभा” पढ़ा जाएगा ।”।”

1. विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 551 (अ), तारीख 5 अगस्त, 2019 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित ।

APPENDIX III

¹DECLARATION UNDER ARTICLE 370(3) OF THE CONSTITUTION

C.O. 273

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 370 read with clause (1) of article 370 of the Constitution of India, the President, on the recommendation of Parliament, is pleased to declare that, as from the 6th August, 2019, all clauses of the said article 370 shall cease to be operative except the following which shall read as under, namely:—

“370. All provisions of this Constitution, as amended from time to time, without any modifications or exceptions, shall apply to the State of Jammu and Kashmir notwithstanding anything contrary contained in article 152 or article 308 or any other article of this Constitution or any other provision of the Constitution of Jammu and Kashmir or any law, document, judgement, ordinance, order, by-law, rule, regulation, notification, custom or usage having the force of law in the territory of India, or any other instrument, treaty or agreement as envisaged under article 363 or otherwise.”.

1. Published with the Ministry of Law and Justice, (Legislative Department) notification No. G.S.R. 562(E), dated the 6th August, 2019, Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i).

परिशिष्ट 3

¹संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा

सं0आ0 273

राष्ट्रपति, संसद् की सिफारिश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि 6 अगस्त, 2019 से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड, सिवाय निम्नलिखित के, जो नीचे दिए गए के अनुसार हैं, प्रचालन में नहीं रहेंगे, अर्थात्:—

“370. इस संविधान के समय-समय पर यथा संशोधित, सभी उपबंध बिना किन्हीं उपांतरणों या अपवादों के अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू-कश्मीर के संविधान में किसी अन्य उपबंध या किसी विधि, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य लिखित, संधि या करार जो अनुच्छेद 363 के अधीन यथा परिकल्पित या अन्यथा है, में तत्प्रतिकूल किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होंगे।”।

1. विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 562(अ), तारीख 6 अगस्त, 2019 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित।